



# भारत में शिक्षा



लेखक

डॉ. श्रीधरनाथ मुकर्जी

अध्यक्ष

शिक्षा एवं मनोविज्ञान सहाय

श्री महाराज सादजीराव विश्वविद्यालय

बड़ौदा




प्रकाशक

आचार्य युक्त द्विपो

बड़ौदा

१९६०



भारतीय शिक्षा को नवीन ज्योति दिखानेवाले

पूज्य राष्ट्र-पिता के

श्रीचरणों में विनम्र श्रद्धाञ्जलि



## प्राक्कथन

अंग्रेजी भाषा में मेरी 'Education in India—Today and Tomorrow' नामक पुस्तक पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। उनका चतुर्थ अंश अभी प्रकाशित हुआ है। शिक्षा-जगत में उस पुस्तक का इस प्रकार आदर एवं प्रचार उसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। प्रस्तुत पुस्तक मेरी उसी पुस्तक पर आधारित है। इसमें कहीं-कहीं तो उस मूल ग्रन्थ का अनुवाद है, उसको आधार मान लिया गया है। आशा है कि मेरी उक्त अंग्रेजी पुस्तक हिन्दी रूप भी पाठकों को रुचिकर होगा।

शिक्षण महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम की ओर दृष्टि रखकर मैंने यह पुस्तक आरम्भ किया था; किन्तु जिस समय मैं वर्ष विषय के विभिन्न अङ्गों पर पूर्वक लिखने बैठा, उस समय मैंने अनुभव किया कि व्यापकता का ध्यान ए इस पुस्तक को केवल बी० एट० या एम० एट० के पाठ्यक्रम तक ही सीमित जावे, यरन् इसे इस प्रकार लिखा जावे, जिसमें यह साधारण शिक्षित भारतीय भी ध्यान आकृष्ट करे। चूंकि शिक्षा-विषयक जानकारी प्रत्येक भारतीय के लिए आवश्यक है, अतएव इस पुस्तक को इस प्रकार प्रस्तुत करने का विचार गया है कि जिसमें बढिनाइयों के विना सर्वसाधारण पाठक इसका लाभ ले सके।

इस पुस्तक को लिखने का मेरा दूसरा उद्देश्य हिन्दी-भाषा की यथा-रुचि सेवा ही है। हिन्दी भाषा में शिक्षा-विषयक पुस्तकों की माँग है, और ऐसी शिक्षा साहित्य की भी अभाव भी है। इसीसे इस पुस्तक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी। मैंने इस ग्रन्थ में भाषा को भंगक मरल रखने का प्रयत्न किया है। विषयक परिभाषिक शब्दों के रूप की अनिश्चितता के कारण कभी-कभी शब्दों का भी सामना करना पड़ा, पर साधारणतया मैंने हिन्दी में प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग किया है।


अन्त में उन अनेक विद्वानों तथा ग्रन्थकारों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट है, जिनके विचारों तथा ग्रन्थों से मुझे इस कार्य में सहायता प्राप्त हुई है। इनके ग्रन्थ शूरी में दिये गये हैं।

मैं भी सन्तोषजनक अक्षरित, 'स्वर्ण-सहोदर' एडम् आरम्भणीय प० राजस्थान डिपेंडी, ए०, (मूलपूर्व अधीक्षक, भारतीय शिक्षण महाविद्यालय, जयपुर) का अत्यन्त

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इति श्रीकृष्णार्जुनसंवादे  
 अर्जुनस्य वचनं ॥ १० ॥ अहं कुरुक्षेत्रे  
 संवृत्तः पापकर्मण्यः संशयः प्रकृतः  
 सन्निवृत्तः प्रसादात्प्राप्तः प्रभुः ॥

## विषय-सूची

प्राक्कथन	..		
तालिका-सूची	...		
चित्र-सूची	...		



### १. भारतीय शिक्षा के इतिहास की रूपरेखा

भूमिका	...		...
वैदिक युग	...	...	
बौद्ध युग	...		...
मुस्लिम युग	...	...	...
ब्रिटिश युग	...	..	...
स्वातन्त्र्योत्तर काल	..	...	...

### २. शिक्षा व्यवस्था

भारत के राज्य	...	...	...
शिक्षा-प्रशासन	...	...	...
शिक्षा-नारथाओ का वर्गीकरण	...	...	...
शिक्षा की सीढ़ी	..	...	..
शिक्षा-रूप	...	...	...

### ३. पुनियार्दी शिक्षा

प्रस्तावना	...	...	...
प्रारम्भिक कार्य	...	...	...
नदी तालिम के प्रक्रम	...	...	...
नदी तालिम और भूदान	...	...	...
नदी तालिम और सरकार	...	...	...
समाप्ति	...	...	...



## ४. प्राथमिक शिक्षा

पूर्व-पृष्ठिका	...	...	६२
अनिवार्य शिक्षा-आन्दोलन...	...	...	६६
वर्तमान स्थिति	...	...	७२
प्राथमिक शिक्षा की कतिपय समस्याएँ	..	...	७९
सुधार की ओर	...	...	८३
उपसंहार	...	...	९६

## ५. माध्यमिक शिक्षा

पूर्व-पृष्ठिका	..	...	९७
वर्तमान स्थिति	...	...	१०६
माध्यमिक शिक्षा की कतिपय समस्याएँ	...	...	११५
उपसंहार	...	..	१३५

## ६. विश्वविद्यालयीय शिक्षा

प्रस्तावना	..	...	१३६
आधुनिक काल में उच्च शिक्षा	...	...	१३६
वर्तमान विश्वविद्यालयीय शिक्षा की कुछ विशेषताएँ	...	...	१४३
कतिपय समस्याएँ	...	...	१४८
स्वाधीन भारत तथा विश्वविद्यालय	...	...	१६१
उपसंहार	...	...	१७७

## ७. - स्त्री-शिक्षा

...	...	...	१७८
शिक्षा का विस्तार	...	...	१७८
स्थिति	...	...	१८१
...	...	...	१८७
...	...	...	१९२

## वैदिक शिक्षा

सावना	...	...	... १९४
देश शासन-काल में प्राविधिक शिक्षा	...	...	... १९५
चीन भारत में प्राविधिक शिक्षा	...	...	... १९८
विषय समस्याएँ	...	.	... २०५
संसार	...	...	... २१३

## शिक्षक प्रशिक्षण

विश्व-दृष्टिका	...	..	... २१५
मान्य परिस्थिति	...	...	... २२०
अनुसन्धान एवं उत्तर-स्नातक कार्य	...	...	... २२७
विषय-व्यवस्थापन प्रशिक्षण	...	...	... २२९
शिक्षक-प्रशिक्षण समस्याएँ	...	...	... २३१
शिक्षकों की कतिपय समस्याएँ	...	...	... २३९
संसार	...	...	... २४३

## विध विषय

वर्ष-प्राथमिक शिक्षा	...	...	... २४५
बाल (समाज) शिक्षा	...	...	... २५०
अक्षरों की शिक्षा	...	...	... २६२
साक्षर्य एवं अनुशासन	...	...	... २७१

## विषय राष्ट्रीय संस्थान

सावना	...	...	... २७९
दिल्ली, बौगड़ी	...	...	. २७९
एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय	...	...	... २८०
विश्व-भारती	...	...	... २८१
राधापीठ	...	...	... २८४
गामिया मिलिया, दिल्ली	...	...	... २८५
इन्दुस्थानी ताटीमी संघ, सेवाग्राम	...	...	... २८७

### प्राथमिक शिक्षा

पूर्व सूचिका	...	६०
वर्तमान स्थिति का परिचय	...	६६
वर्तमान स्थिति	...	७३
प्राथमिक शिक्षण की वर्तमान समस्याएँ	...	७९
सुधार की आवश्यकता	...	८३
उपसंहार	...	९६

### माध्यमिक शिक्षा

पूर्व सूचिका	...	९०
वर्तमान स्थिति	...	१०६
माध्यमिक शिक्षण की वर्तमान समस्याएँ	...	११५
उपसंहार	...	११६

### विश्वविद्यालयीय शिक्षा

प्रस्तावना	...	११६
आधुनिक ज्ञान में उच्च शिक्षा	...	११६
वर्तमान विश्वविद्यालयीय शिक्षा की कुछ विशेषताएँ	...	१४३
वर्तमान समस्याएँ	...	१४८
स्वार्थीन भाव तथा विश्वविद्यालय	...	१६१
उपसंहार	...	१७०

### स्त्री-शिक्षा

प्रस्तावना	...	१७८
स्त्री-शिक्षा का विस्तार	...	१७८
वर्तमान स्थिति	...	१८१
आलोचना	...	१८७
उपसंहार	...	१९२

## ८. प्राविधिक शिक्षा

प्रस्तावना	...	...	...
ब्रिटिश शासन-काल में प्राविधिक शिक्षा	...	...	...
स्वाधीन भारत में प्राविधिक शिक्षा	...	...	...
कतिपय समस्याएँ	...	...	...
उपसंहार	...	...	...

## ९. शिक्षक प्रशिक्षण

पूर्व-वृष्टिका	...	...	...
वर्तमान परिस्थिति	...	...	...
अनुसन्धान एवं उत्तर-स्नातक कार्य	...	...	...
मध्य-अध्यापन प्रशिक्षण	...	...	...
शिक्षक-प्रशिक्षण समस्याएँ	...	...	...
शिक्षकों की कतिपय समस्याएँ	...	...	...
उपसंहार	...	...	...

## १०. विविध विषय

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा	...	...	...
मौढ़ (समाज) शिक्षा	...	...	...
मजबूतों की शिक्षा	...	...	...
स्वास्थ्य एवं अनुशासन	...	...	...

## ११. कतिपय राष्ट्रीय संस्थान

प्रस्तावना	...	...	...
गुरुकुल, काँगड़ी	...	...	...
एम० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय	...	...	...
विश्व-भारती	...	...	...
रिवापीट	...	...	...
बामिना मिलिया, दिल्ली	...	...	...
हिन्दुस्थानी तालीमी संघ, सेवामान	...	...	...

१३. बालिका	..	..	... ३२०
------------	----	----	---------

द्वितीय

१. श्री-महादेव-जी के देव-मठ, (१९५६-५७)	..	..	... ३००
२. देव-मठ के देव-मठ, १९५८	..	..	... ३००
३. देव-मठ के देव-मठ	...	..	... ३००

अनुवर्णिका	..	..	... ३००
अनुवर्णिका (अनुवर्णिका) ...	..	..	... ३००
अनुवर्णिका (नाममात्र)	..	..	... ३००

## तालिका-सूची

१.	प्रथम तथा द्वितीय पंच-वर्षीय योजनाओं में शिक्षा-व्यय का आवण्टन ( करोड़ रुपये )	...	...	२
२.	प्रथम योजना की सफलताएँ तथा द्वितीय योजना के लक्ष्य	...	...	२
३.	भारत के राज्यों का क्षेत्रफल और जनसंख्या	...	...	२
४.	अंग्रेजी भारत में अनिवार्य शिक्षा, १९२१-२७	...	...	७
५.	प्राथमिक स्कूलों का विभाजन, १९५५-५६	...	...	७
६.	प्राथमिक शिक्षा पर खोतवार कुल प्रत्यक्ष खर्च, १९५५-५६	...	...	७
७.	प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा, १९५१-५२ से १९५६-५७	...	...	७
८.	एक-शिक्षकवाले प्राथमिक स्कूल	..	...	७
९.	शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा पर किया हुआ एकत्रित प्रत्यक्ष व्यय, १९०१-०२ से १९४७-४८	...	...	८
१०.	कुछ देशों में प्राथमिक शिक्षा की प्रारम्भिक उन्नति	...	...	८
११.	माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, १९४७-४८ में १९५६-५७	...	...	१०
१२.	माध्यमिक स्कूलों का विभाजन, १९५५-५६	..	...	१०
१३.	माध्यमिक शिक्षा पर खोतवार कुल प्रत्यक्ष खर्च, १९५५-५६	...	...	११
१४.	मैट्रिक तथा अन्य शालान्त परीक्षाओं का फल	..	...	११
१५.	कालिजों की संख्या, सन् १८५७	...	...	१३
१६.	अंग्रेजी भारत में कालिज शिक्षा, १९२१-४७	...	...	१४
१७.	प्रबन्धानुसार कालिजों का वर्गीकरण, १९५५-५६	...	...	१४
१८.	उच्च शिक्षा की आय का खोतवार घंटवार, १९५५-५६	...	...	१५
१९.	विद्वत्विद्यालय अनुदान-आयोग द्वारा अनुदान-आवण्टन	...	...	१५
२०.	विभिन्न युनिरर्सिटी परीक्षाओं का परिणाम, १९५५-५६	...	...	१६
२१.	स्कूल तथा कालिजों में लड़कियों की संख्या, १९२१-२२ से १९४६-४७	...	...	१८
२२.	कालिज माध्यमिक शिक्षा में प्रगति	...	...	१८
२३.	विभिन्न विद्वत्विद्यालयीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रा-संख्या	...	...	१८
२४.	कतिपर क्षेत्रों में नारी	...	...	१८
२५.	भारत में शिक्षकों की संख्या, १९५६-५७	...	...	२४
२६.	गमाब शिक्षा का विस्तार, १९५१-५२ से १९५५-५६	...	...	२५
२७.	महशूरों की शिक्षा समस्याएँ, १९५५-५६	...	...	२६
२८.	राष्ट्रीय उच्च शिक्षार्थी दल की प्रगति	...	...	२७
२९.	राष्ट्रीय अनुशासन योजना की व्यवस्था, १९५९-६०	...	...	२७

## चित्र-सूची

१.	विप्लव-वर्धित तन्त्रिका के एक आकार ...	...	८
२.	रीस विरायतिका में विद्युत्ता ...	..	१०
३.	केन्द्रीय विद्युत्ता ...	...	२०
४.	विद्युत्ता ...	...	२३
५.	दुर्गम विद्युत्ता में ...	...	५५
६.	आय में ...		७८
७.	आयिक विद्युत्ता की ...	...	८६
८.	आयिक विद्युत्ता ...		१०६
९.	आयिक विद्युत्ता में ...		
	... १९५५-५६ ...		१०६
१०.	विद्युत्ता ...		१२९
११.	विद्युत्ता ...	..	१४९
१२.	विद्युत्ता ...	..	१६६
१३.	विद्युत्ता ...		१८९
१४.	विद्युत्ता ...		२०९
१५.	विद्युत्ता ...	..	२२०
१६.	विद्युत्ता ...	..	२३९
१७.	विद्युत्ता ...	..	२५९
१८.	विद्युत्ता ...	..	२७९
१९.	विद्युत्ता ...	..	२९९
२०.	विद्युत्ता ...	..	३१९

## पहला अध्याय

### भारतीय शिक्षा के इतिहास की रूप-रेखा

[ एक विद्याघरलोकन ]

सब हमारा देश शिक्षा गिना जाता है। यदि अधोभास विच्छेदन का लक्षण है कुछ कहना नहीं है। यदि निरक्षरता के कारण हम शिक्षे गिने जाते हैं, तो भी यह जाना पड़ता है। किन्तु यदि सभ्यता की दृष्टि में देखा जाय तो कुछ देना ही हमारी सभ्यता कर सकती है। अब हमारा देश सभ्य का निर्माण जाता था, तब पाश्चात्य देश खेर गिने जाते थे। यद्यपि आज ८२ प्रतिशत तक ही निरक्षर है, तथापि ये सचो नही बंद जा सकता है। धनो ही धनो में मुँहो ने बंदी, गुजरी प्रभु की उपदेश-भरी पत्तियाँ निकल पड़ती हैं। वे ऊपर की दीर्घ-म-पूर्ण दीर्घ-भाषा ध्वानने लगे हैं, और नरकी गेहना तथा के. भक्ति मय गीतों को सुकर विमोह हो गते हैं।

हमका मुख्य कारण है हमारी सभ्यता। ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय तक सभ्यता की धारा बहुत धनी आ रही है। निश्चय ही ये अनेक औं से मुक्तों मया बना पड़ा, तो भी हमारी सभ्यता का मन अटुला रहा। आज भी हमारी सभ्यता तथा साहित्य की उन्नति को सभ्य स्वीकार करना है। अनेक सभ्य देशों के साथ में समान गये, पर सभ्य आज भी फिर उँचा खड़े रहता है। हमारा भी सुदृढ़ नींव पर आधारित हमारी सभ्यता आज भी गढ़े-गढ़े बना सही है।

हमारा का ध्यान सुधरेर बनने होता है। इस अवधि अधोद २,५०० ० के सभ्यता मय १९६० ई० तक क धनो को विद्या दह विद्या का के मय, इन सभ्य-विद्या लोद सभ्यो में दैत सभ्य है :



१. वैदिक युग	१,५०० ई० पू० से ५०० ई० पू० तक
२. कौटिल्य युग	५०० ई० पू० से १,५०० ई० पू० तक
३. मुनि युग	१,५०० ई० से १,५५३ ई० तक
४. वैदिक युग	१,५५३ ई० से १,९०३ ई० तक
५. महाभारत युग	१,९०३ ई० से आगे


मनुष्य युग में वर्तमान सिद्ध सिद्धि की विस्तार पूर्वक खोज की गयी है। सिद्धि के अर्थ में माना की सिद्धि का अर्थ है। यह सिद्धि मानने के लिए हमें अर्थ की समझना आवश्यक है। हमें यह समझना चाहिए कि वर्तमान मनुष्य की सिद्धि पदार्थों की नींव पर आधारित है। इसी कारण हम अर्थ के आधार पर सिद्धि के इतिहास की खोज की गयी है तथा अर्थ के अर्थों के अर्थों सिद्धि प्रथम की पूर्व-वृद्धि मध्य में की गयी है। इनमें मनुष्य युग में वर्तमान सिद्धि के इतिहास की मुख्य मनुष्य की तथा पदार्थों का ही फल सिद्धि है। ये इस प्रकार चुनी गयी है, जिनमें वर्तमान सिद्धि पर मनुष्य प्रभाव पड़े।

वैदिक युग में आर्यों ने यह सिद्धि सिद्ध की प्रत्येक वर्ग अपने विर पर लक्ष्य लेकर पैदा होता है—देव-लक्ष्य, विदु-लक्ष्य और शक्ति लक्ष्य। अर्थात् का ध्यान देना तथा यह कर के यह देव-लक्ष्य में मुक्त होगा है, विचार कर और पुत्र उत्पन्न कर वा विदु शक्त में दृढ़ता है, तथा अर्थजन और अर्थजन कर यह शक्ति लक्ष्य में उत्पन्न होता है।

### वैदिक युग

वैदिक युग में मानव-समाज कर्म स्वभाव के अनुसार चार वर्गों में बाँट दिया गया था—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम था पढ़ना और पढ़ाना, क्षत्रिय का कर्तव्य था प्रजा तथा आधितो का रक्षण और पालन करना, वैश्य का काम था व्यापार और खेती करना, तथा शूद्र का काम था सेवा करना और सब वर्गों के काम की वस्तुएँ बनाना। समाज को पूर्णतः व्यवस्थित करने के लिए, इस वर्ण-व्यवस्था की सृष्टि की गयी थी, जिससे प्रत्येक मनुष्य वही काम करे, जिसके लिए वह उपयुक्त समझा जावे। जाति-भेद की व्यवस्था उस समय किसीने सोची भी नहीं थी।

अध्ययन के प्रथम ठीक-ठीक बॉट दिये गये—जन्म से सात वर्ष तक घर में, और उसके बाद गुरुकुल में। आठवें वर्ष उपनयन के पश्चात्, बालक गुरुकुल में विद्याध्ययन



भारतीय शिक्षा के इतिहास की रूप-रेखा

के लिए जाना था। उपनयन का अर्थ है गुरुकुल में पहुँचाने का मर्यादा। प्रथम श्रद्धा यज्ञों के लिए गुरुकुल में अध्ययन करना अनिवार्य था। यज्ञ करने शिक्षागुरु या पिता ने आवश्यक अध्ययन करना था। गुरुकुल में मुक्त नहीं किया जाता था। बालक में गुरु पूजने थे—'कर्म ब्रह्मचारी अस्मि?' (तुम किसके ब्रह्मचारी हो?) बालक उत्तर देता था—'भयतः' (आपका)। फिर उसका नाम पूजा जाता था, और वह प्रविष्ट कर लिया जाता था।

गुरुकुल आश्रम, नगर के कोलाहल में दूर, किसी नदी या वृक्ष जंगल के समीप होता था, जिसमें दान्य वसावर्षण में समुचित पढ़ाई हो सके तथा निदास के लिए पर्याप्त स्थान प्राप्त हो। प्रत्येक विद्यार्थी को गुरु-गृह में विनोदित रहकर ब्रह्मचर्य-जीवन पालन करना पड़ता था। उसका जीवन अति सरसी तथा मानसिक होता था। नार्मलिक पराधी का रोदन, योगी अन्न, मिठाई आदि का भोजन, तथा खेल, जूरा, लतरी और दर्पण का उपयोग करना विद्यार्थी के लिए निषिद्ध था। उसे बटोर कपड़ा पर सोना होता था और पोथे हुए स्वच्छ घग्ने की परतना पहता था। उस स्थानों के बीच बैठने की मनाही थी।

ब्रह्मचारी की दिनचर्या भी बेसी थी। प्रति दिन प्रातः सुप्त में उठकर तथा निरु कर्म समाप्त कर, उसे आश्रम के लिए बुझा, ऊपर, गरिष्ठा आदि लाता होता था। तत्पश्चात् आश्रम की दुहाभर, गाधो की दुहाभर तथा दुग्ध पानकर वह सुप्री के पास जाता था। वहाँ वह सुप्री की प्रणाम कर सुपचाय उनका पढ़ाया हुआ पाठ सुनाता तथा सुनता था। पाठ पूरा होने पर वह सुप्री की आज्ञा से आश्रम तथा आश्रम करता था। दोपहर के समय, वह निरुड क किसी सोव या नगर में विद्या सुनने जाता था। प्रायः विद्याभूषण गुरुजी की देता, तथा उसका विद्या हुआ जीवन स्वभाव वह कुछ समय विभाजित करता था। विभाग के बाद वह प्रातः काल के पाठ का धर्म्य अन्तः पर्यवेक्षण के साथ करता था। सन्ध्या के समय वह अध्ययन करता था। फिर, आश्रम की रात्रि कर, सुप्री की दुहाभर तथा निरु के सोव से शिक्षा लेकर वह सुप्री के पास जाता था। सुप्री वह किसी सामुदायिक में दृष्टिगत दुहाभर का कर्म-धर्म सुप्रीक या किसी दुहाभर का कर्म-धर्म का वह एक एक एक कर्म-धर्म होता था, उसे वह सुप्री की आज्ञा सुप्री के सोव कर करता था।

भी को पढ़ना पड़ता था। अपने-अपने वर्ण के अनुसार विद्यार्थीगण वेद तथा ग्राह्य का अध्ययन करते थे। नैतिक शिक्षा कुछ तो उपदेश से और कुछ आश्रम के तावरण से मिलती थी। शारीरिक शिक्षा के लिए प्राणायाम और व्यायाम का विधान था। यों तो दैनिक नियमित कार्यों के सम्पादन में ही पर्याप्त ध्यायाम हो जाता था, उसमें प्रत्येक विद्यार्थी को लकड़ी काटना, पानी भरकर ढोना तथा आश्रम की स्वच्छता करना आवश्यक होता था।

व्यावसायिक शिक्षा वर्णों के अनुकूल दी जाती थी। ब्राह्मण पौरोहित्य, दर्शन, मंत्राण्ड आदि विषय का अध्ययन करते थे, क्षत्रिय दण्ड-नीति, राज-नीति, सैन्यशास्त्र, रथशास्त्र, धनुर्वेद आदि सीखते थे तथा वैश्य को पशु-पालन एवं कृषि-विद्या में विशेष योग्यता प्राप्त करना पड़ती थी। इन विषयों के सिवा आयुर्वेदादि विषय अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सभी छात्र सीख सकते थे। एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि अनेक विषयों के अध्ययन-अध्यापन की सुविधा रहते हुए भी, प्रत्येक छात्र को किसी एक विषय में पारङ्गत होना पड़ता था। साधारणतः पच्चीस वर्ष की आयु में तीनों वर्णों की शिक्षाएँ पूरी हो जाती थीं; पर ब्राह्मण को यह विशेषाधिकार था कि वह आजीवन स्वेच्छापूर्वक विद्यार्जन करे—‘यावज्जीवमधीते विप्रः’। शिक्षा समाप्त होने पर तथा गुरु-दक्षिणा देकर प्रत्येक विद्यार्थी विवाहोपरान्त गृहस्थाश्रम में विष्ट होता था।

आचार्य या गुरु सभ से ऊपर के वर्णों के छात्रों को पढ़ाते थे। ये विद्यार्थी अपने से निम्न वर्ग के छात्रों को सिखाते थे, और वे अपने से नीचे वालों को। इस प्रकार सभ से नीचे वर्ग के छात्रों के सिवा, गुरुकुल में सभ गुरु-ही-गुरु रहते थे। अध्यापन के समय, प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तित्व की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। प्राण, वैदिक काल में गुरु किसी विद्यालय या वर्ग के शिक्षक न थे। गुरु का कर्तव्य बाल पढ़ाना ही न था। उसका धर्म था कि वह प्रत्येक छात्र को सदाचारी बनावे, उसके आचरण की रक्षा करे, उसका चरित्र-गठन करे, उसके भोजन वस्त्र का प्रबंध करे तथा उसके प्रति अपने पुत्र के समान वात्सल्यभाव दिखावे। विद्यार्थी भी गुरु को अपना और देवता समझता था। उसे ‘आचार्यदेवो भव’ की शिक्षा दी जाती थी। यह सब कुछ सम्भव था, क्योंकि शिक्षा मांजाम-प्रणाली के अनुसार दी जाती थी और साधु-साधु रहते थे। इस प्रकार प्राचीन भारत का शिष्य गुरु का ही नहीं होता था, बरन वह गुरु-परिवार का एक सदस्य भी होता था।  
में गरीब और अमीर साथ साथ रहने और विद्याध्ययन करते थे। वहाँ

ऊँच-नीच का भेद-भाव न था। इस प्रकार गुरुकुलों का सामाजिक जीवन भ्रातृभाव में परिपूर्ण था। इसी कारण आर्थिक मद्दे के समर मुद्रामाजी महद्यतार्थ अपने पूर्व सटपाठी श्रीकृष्ण भगवान् के निरुद टौड़े गये थे, और एक नृपति होकर भी उन्होंने अपने एक भूतपूर्व दीन महपाठी का समुचित सम्मान किया था।

वैदिक कालीन शिक्षण-पद्धतिमें तीन क्रियाओं का समावेश था — श्रवण, मनन तथा निदिध्यान। अध्यापन के समर विद्यार्थी गुरु के वचन को ध्यान-पूर्वक सुनते थे। पाठ समाप्त होने पर विद्यार्थी प्रश्न करते थे और गुरु उनके उत्तर देते थे। इस प्रकार प्रश्नोत्तर-प्रणाली प्रचलित थी। विद्यार्थियों के उत्तर की शुद्धता की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। अपने अवकाश के समर वे पठित पाठ का मनन और निदिध्यान (चिन्तन) करते थे।

गुरुकुलों में आजकल के समान परीक्षा प्रणाली न थी। गुरुजी प्रति दिन जो कुछ पढ़ाते थे, उसे उनके अगले दिन प्रत्येक विद्यार्थी से सुनते थे। उहाँ कभी गढ़ जाती थी, उसे वहाँ विद्यार्थी पूरा कर लेता था। पूर्णतः मनुष्ट होने पर ही गुरुजी अगला पाठ पढ़ाते थे। इस प्रकार प्रत्येक छात्र की स्वतन्त्र योग्यता की ओर विशेष लक्ष्य दिया जाता था। बीच-बीच में गुरुजी आश्रम के विद्यार्थियों को दो टहलें में बाँट देते थे, जिनमें परस्पर शास्त्रार्थ चलता था। कभी कभी दो गुरुकुल के छात्रों में भी परस्पर शास्त्रार्थ हुआ करता था। प्रत्येक विद्वान् को भी सदैव शास्त्रार्थ के लिए प्रयत्न रहना पड़ता था। उसे कोई भी शास्त्रार्थ के लिए आह्वान कर सकता था, और उसे स्वार्जित विद्या का परिचय देना पड़ता था। आजकल के विद्यार्थी तो अपनी विद्वत्ता की साक्षी के रूप में विश्वविद्यालय का एक टम्बापेज पेश कर सकते हैं, पर वैदिक काल में प्रत्येक विद्वान् की विद्वत्ता उसकी जीभ पर नाचती थी। यह नहीं कह सकता कि मैंने जो कुछ सीखा था उसे भूल गया हूँ। उसे सदैव विद्या की चचा करनी पड़ती थी।

इस काल में बन्धुओं का सम्बन्ध तो अल्प होता था, पर बन्धुओं के सम्मान उनके लिए गुरुकुल न थे। कुरेद के काल में स्त्रीशिक्षा पूर्णतः प्रचलित थी। महर्षिः पर्युषिण न थी, पर धीरे धीरे यह प्रथा उठ खड़ी। दण्डवत्कर ने शालिकाओं का उदभवन धेनादरक समता तथा उनका "विनाद कुरु आश्रम के पूर्व होने लगने और अन्ततः बन्धुओं के लिए यह विधान था कि वे अपने माता-पिता, उद्वेष्ट भ्रातृणी, स्वयं तथा पति से विद्या प्राप्त करें। आश्रमों की बन्दारे स्वर अपने दिने के साथ रहकर विद्यापन्न करती थी, जैसे: सुनी, देवकी, मैथिली आदि। इनके धर्म-शास्त्रों में



काय-शिल्प, चिकित्सा तथा शल्य-शास्त्र, धनुर्विद्या तथा युद्ध विद्या, ज्योतिष ( गणित और फलित ), भविष्य-कथन, जादू, गाछड़ी विद्या, गुप्त द्रव्योत्पादन, संगीत, नृत्य, चित्रकला और ग्राहित्य । †

## बौद्ध युग

**भूमिका.**—प्रसिद्ध दार्शनिक श्रीगणेशधर्म का कहना है : “ बौद्ध धर्म नया धर्म नहीं, अपितु हिन्दू धर्म का ही परिवर्तित रूप है । ” ‡ जिन समय भगवान् बुद्ध का जन्म हुआ था ( ५६३ ई० पू० ), उस समय धार्मिक सुधारों की विशेष आवश्यकता थी । वैदिक धर्म में ज्ञान एव कर्म के समन्वय का सम्पूर्ण हास हो गया था । इसके बदले यह का आदर्श आ गया था, जिसमें मान की आहुति देना आवश्यक था । ब्राह्मणों की प्रधानता चट गयी थी और उनके सिवा अन्य जातियों से उपनयन संस्कार उठ गया था । ब्राह्मणों ने तो अपने कर्मे में शक्ति, वैश्य और शूद्र—सभी—को फौज रखा था । जन्ता उनके बनाये हुए नियमों तथा धार्मिक अन्ध-विधियों से तह आ गयी थी, और कहीं भी स्वतन्त्रता का मार्ग दिखलानी नहीं पड़ता था । ब्राह्मण पुकार-पुकार कर कह रहे थे कि नीच जातियों मोक्ष नहीं पा सकती, अतः एव उनकी आशालता पूर्ण रूप से मुग्धा गयी थी और उनकी आन्तरिक भावनाओं में उन्नति की उन्नति प्रवृत्ति नहीं रही थी ।

उन्नति की यह उन्नति दिखायी एक क्षत्रिय राजकुमार—गीतम बुद्ध ने । जाति पौति का भेद-भाव उठाकर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार जन-भारतों द्वारा सभी धर्मों, धर्म, जाति तथा स्त्री पुरुष में किया । जीवन का लक्ष्य दर्शाना गया निरांग या मोक्ष । इसकी प्राप्ति का एक मात्र उपाय दर्शाना गया—अहिंसा तथा परिश्रम जीवन । भगवान् बुद्ध ने अपने शिष्यों को दो भागों में विभाजित किया—भिक्षु अर्थात् पुरुष और भिक्षुणी अर्थात् स्त्री ।

**परब्रह्म तथा उपसम्पदा.**—वैदिक शिक्षा की भाँति बौद्ध शिक्षा का प्रारम्भ सम्सारों से ही होता है । इनमें दो मुख्य वे—परब्रह्म ( ब्रह्म ) और उपसम्पदा । वैदिक धर्म में जो स्थान उपनयन संस्कार का है, बौद्ध धर्म में वही स्थान

† D. G. Apte, *Universities in Ancient India*, Baroda, Faculty of Education & Psychology, n. d., pp. 10-14

‡ S. R. Khasturkar, *Indian Education*, Vol. I, p. 202.



प्रवेश (पञ्चम) का है। इस सम्कार का शाब्दिक अर्थ 'बाहर जाना' है। इस सम्कार के द्वारा एक अष्टवर्षीय बालक या बालिका अपने गृह से सदा के लिए अलग होकर एक सभ में प्रवेश करता था। पञ्चम का द्वार सभी वर्गों के लिए खुला था। अपना गिर मुड़ाकर तथा पीत वस्त्र पहन कर, विद्यार्थी नत मस्तक होकर मिथु को प्रणाम करता था तथा प्रार्थना करता था कि वे उसे शिष्यरूप में स्वीकार करें। इसके स्वीकार होने पर, उसे अपने उपाध्याय के सम्मुख 'सग्यत्रय' के तीन प्रणों की तीन बार उच्चारण कर कहना पड़ता था :

बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सधं शरणं गच्छामि।

पञ्चम प्रविष्ट छात्र समनेर अध्याय 'धम्मो' कहलाता था। श्रमणार त्याग्य वास्तव्य धर्म शिक्षाध्ययन करने के पदचान्, बीस वर्ष की आयु में भ्रमण उरगम्पदा सम्कार प्रदण करता था। इस सम्कार के पदचान् यह मिथु कहलाता था। उसे पार व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी : (१) वृक्ष के नीचे वास करना, (२) निम्न पात्र में भिक्षाग्र एकत्रित करके भोजन करना, (३) मीठे फल वस्त्रों से शरीर ढँकना और (४) स्त्रीपथि रूप में शीघ्र संवन करना। उरगम्पदा में यह स्पष्ट होता है कि वैदिक विद्यार्थी पञ्चीय वर्ष की आयु में भ्रमण होकर गार्हस्थ्य जीवन यात्रा करते थे, पर बौद्ध विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त कर सभ के स्थायी सदस्य बन जाने थे, और ऐसे जीवन नियु-रूप में बिताते थे।

**वैदिक जीवन.**—वैदिक ब्रह्मचारियों की गार्ह भ्रमण तथा मिथुओं का जीवन गृह एवं गाँव, शरण तथा आश्रम-रूप होता था। उनका भोजन अति सादा होता था, शरण में ही हुआ रहता था और शरीर पर अति धारण करने थे। उनका जीवन नियमित रहता था, वे विनम्र एवं अनुशासित होने थे तथा उनके अध्ययन, निरासन और भोजन से निरा सदस्य निर्धारित रहता था। उन्हें अपने अध्ययन की विभिन्न संदार्थें करनी पड़ती थीं, और गार्ह के साथ सुधरा भी रखना पड़ता था।

**विहार.**—मिथु तथा मिथुली शरण वा सदाशरण में अपना जीवन व्यतीत करते थे। विहार करती आश्रमों में ही रहते थे। बौद्ध-सम्प्रदाय का विहार-रहती के लोके हुए रहते थे। वे २४ वर्ष की आयु में ही शरण छोड़ने के लोके निर्गमण करती थीं। वे प्रमाण होते थे, तथा प्रत्येक शरण के लोके कम ५००-१,००० विहारियों के रहने का प्रवृत्त रहता था। इनके शरण शरण के लोके एक एक रूप में होते थे।



बौद्ध शिक्षा-पद्धति की एक और विशेषता थी। वह थी संबंधीय प्रणाली। इसके अनुसार छोटे-मोटे वैयक्तिक विद्यालय एक बड़े समुदाय से सम्बन्धित रहते थे। इनके छात्रगण अपने उपाध्याय से वैयक्तिक शिक्षा अवश्य ग्रहण करते थे, तिस पर भी वे केन्द्रीय सभा के मददगार होते थे तथा उसके समस्त सामूहिक व्यापारों में भाग ले सकते थे। इस प्रकार यह सर्वाय प्रणाली वर्तमान संबंधीय विश्वविद्यालयों से भिन्न-जुलती है।


**पाठ्यक्रम.**—बौद्ध शिक्षा में दो प्रकार का पाठ्यक्रम होता था : (१) लौकिक और (२) धार्मिक। प्रथम पाठ्यक्रम का उद्देश्य था साधारण स्त्री-पुरुषों को उचित नागरिक क्रानाना तथा उन्हें अपने भावी जीवन के लिए तैयार करना। इस पाठ्यक्रम में विविध प्रकार के कला-कौशल, शास्त्रार्थ, सारथीविद्या, धनुर्विद्या, मन्त्रविद्या, चित्रकारी, अर्णन, चिकित्साशास्त्र प्रभृति होते थे।

धार्मिक पाठ्यक्रम मिश्रु तथा मिश्रुणियों के लिए होता था। इसमें इन पाठ्य-विषयों का समावेश था : (१) बौद्ध धार्मिक साहित्य, जो नौ भागों में विभक्त था, (२) मठों तथा विहारों के निर्माण का व्यावहारिक ज्ञान और (३) विहारों को दिये गये दान की सम्पत्ति का शिक्षा-क्रिया तथा प्रबन्ध।

इसके अनिरीक्त बौद्ध धर्म ने जन शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। बौद्ध उपाध्यायों का दर कर्तव्य था कि वे अपने परिभ्रमण में प्रवचन करें। इसके द्वारा वे पुरुषों को धर्म की शिक्षा देते थे तथा उनकी शब्दाओं का समाधान करते थे। उपाध्याय के पीछे पीछे उनके शिष्यगण प्रवचन सुनते चलते थे।

**अध्यापन-विधि.**—बौद्ध विहारों में साधारणतः प्रवचन या व्याख्यान-रूप शिक्षा दी जाती थी। उपाध्याय एक मंच पर बैठते थे, और शिष्यगण उनके तीन ओर बैठकर भीमपूर्वक प्रवचन सुनते थे। जहाँ कुछ शब्दाँ होती थी, वहाँ शिष्यधीन उपाध्याय की आज्ञा लेकर प्रश्न पूछते थे। प्रवचन प्रणाली के अनिरीक्त बौद्ध शिक्षाक्रम में व्याख्यान-प्रणाली, प्रश्नोत्तर विधि तथा वाद-विवाद की रीति का प्रमुख स्थान था। इस बात में शिष्य का प्रयत्न हो गया था। सम्भवतः पुनराधारित अध्यापन विधि भी कार्य थी। इसके अनिरीक्त, शिष्यगण आरम में पाठ-पत्रों या शान-विनिर्माण भी शिष्य करते थे। व्याख्यान तथा प्रश्न-निर्माण को भी मान्यता दी जाती थी।

**बौद्ध विश्वविद्यालय.**—बौद्ध शिक्षा में सबसे अधिक उल्लेखनीय बौद्ध विश्वविद्यालय : सारनाथ (वैशाली), शालवी (गुजरात), त्रिकुलविहार (बंगाल), इत्यदि स्थान (बंगाल), विश्वविद्यालय, कोसलपुरी तथा प्रणवत (बंगाल), इत्यदि। यहाँ शिष्य के



श्रीगणेश धंनम्

कोने में विद्यापीठों का विद्याभ्यास के लिए आने थे और उन्हें यहाँ प्रविष्ट होने के लिये पढ़ना पड़ता था। प्रवेश पाने के लिए परीक्षा का विधान कठोर था। विद्यालयों के अन्तर्गत पुस्तकालय, छात्रावास तथा अभिविद्यालयों के लिए अनेक भवन थे। विद्यालय के धर्म की गन्तव्य गण-महागणनाओं ने अनेक गौरीजी (शिर पोषण) में देकर मुद्रता दी थी। नाश्रुत में प्राप्त यशोवर्मा के लेख में लिखा है :

अपने शुभ ऊँचे चैत्यों के दिग्ग-गमूहों ने नाश्रुत नगरी बड़े-बड़े गजाओं की नगरियों की मानों हँगी उड़ाती है और इसके जिन ऊँचे प्रासादों एवं विहारों की पक्तियों में प्रसिद्ध धुग्धर विद्वान वाम करते हैं, वे उन मुमेरु पर्वत-सी शोभावाली लगती हैं, जिनमें विद्याधर वाम करते हैं।

इन विश्वविद्यालयों का पाठ्य-क्रम सर्वाङ्गपूर्ण था तथा उसमें बौद्धीय या ग्रीक महायान तथा हीनयान विषयों का समावेश था। कुछ विषय तो अनिवार्य थे, कुछ ऐच्छिक। प्रत्येक भिक्षु को महायान तथा अठारह सम्प्रदायों के ग्रन्थ का ज्ञान करना पड़ता था। व्यायाम तथा दैनिक चक्रक्रम अर्थात् टहलना भी सबके अनिवार्य था। इनके अतिरिक्त दर्शन, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, तान्त्रिक दर्शन, वेद वेदाङ्ग, आयुर्वेद तथा रसायन शास्त्र, व्याकरण, विधि (कानून), भाषा शास्त्र, इत्यादि भी पाठ्यक्रम में रखे गये थे। बौद्ध संस्थाएँ होते हुए भी, इन विश्वविद्यालयों में साम्प्रदायिकता की घूँ न थी।

अन्त.—मुसलमानों के आक्रमण के कारण भारत से बौद्ध धर्म का लोप हुआ। से भिक्षु तो तलवार के घाट उतार दिये गये, और अनेक भारत के बाहर भाग यहाँ एक दृष्टान्त दिया जाता है। सन् १२३० ई० में बख्तियार खिलजी दिल्ली विश्वविद्यालय पहुँचा। उसने उसे भूल से एक गढ़ समझ लिया, और भिक्षुओं को सिपाही। कारण, विश्वविद्यालय के भवन के चारों ओर एक दीवार थी, और सब भिक्षुओं के शरीर पर पीत वस्त्र थे। इस, क्या था, भवन ध्वस्त किया गया और सिरमुँड़े भिक्षुओं का कलेआम हुआ। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय का विशाल पुस्तकालय छः महीने निरन्तर जलता रहा।

## उत्तम युग

भूमिका.—भारतवर्ष में मुसलमानों का आगमन प्रथम हिजरी शताब्दी के में अर्थात् आठवीं शताब्दी ईस्वी के आरम्भ में हुआ था। पर वे इस देश में

महमूद गज़नवी के आक्रमण के बाद नें घसने लगे। जहाँ जहाँ यवन मेनाएँ पहुँचीं, वहाँ वहाँ उलेमा तथा इस्लाम के धर्म-प्रचारक पहुँच गये। जहाँ वे घस गये, वहाँ इस्लामी धर्म-शास्त्रों की शिक्षा देने लगे।

ईसा की तेरहवीं शताब्दी में, मङ्गोलों ने मध्य एशिया में दूट-मार मचा दी। इस कारण अनेक उलेमा वहाँ से भाग कर दिल्ली में आये। तथा उन्होंने बख्श के दरबार में शरण ली। ये विद्वान् बल्ख, बुखारा, समरकन्द, ख्वारीज़म में आये थे, जो मुस्लिम संस्कृति के प्रधान केन्द्र थे। उस समय दिल्ली में इतने विद्वान् इकट्ठे हो गये थे कि इस्लामी धर्म-शास्त्रों का बह बगदाद और कस्तूराम में मुकाबला करती थी। इस प्रकार भारत में जो दिल्ली इस्लामी राज्य की राजधानी थी, वह मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा का केन्द्र बन गयी।

भारत में यवन-आधिपत्य प्रायः साढ़े पाँच सौ वर्षों तक रहा, अर्थात् बुध्दुहीन ऐबक के शासनकाल से प्राची के युद्ध तक (१२०६-१७५७ ई०)। इस दीर्घकालीन आधिपत्य के फल-स्वरूप भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता विचार रूप से प्रभावित हुई। साहित्य तथा ललित कलाओं का विकास हुआ, भारतीय भाषाओं को नया रूप मिला तथा नवीन 'भक्ति-मार्ग' का जन्म हुआ। मुस्लिम शासन का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा। प्रथमः, एक नयी शिक्षा-प्रणाली की नींव इस देश में पड़ी। हम इस मुस्लिम शिक्षा-प्रणाली कह सकते हैं। यह उन भारतीयों के शिष्य निर्मित हुई थी, जिन्होंने इस्लाम धर्म की दीक्षा ली थी। द्वितीयः, यवन राजा का प्रभाव पूर्ववर्ती शिक्षा-प्रणालि पर पड़ा। इन दोनों विषयों की चर्चा अगले अध्यायों में की जावेगी।

**मुस्लिम शिक्षा-प्रणाली.**—भारत में मुस्लिम शिक्षा-प्रणाली का यही स्वरूप था, जो अन्य इस्लामी देशों में प्रचलित था। प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। साधारणतः मकतब प्रदेह मस्जिद के साथ जुड़े रहते थे। कहीं-कहीं मकतब मौजिदों के घर अथवा अन्य स्थानों में लगते थे। मकतबों का पालन-पोषण बुखारा पर ही केन्द्रित होना था। बुखारा के साथ-साथ काबूल भी कुछ बगदाद, मकाह पदना, अजमर के शहर पड़ी शानदारगी हुआएँ। हालाँकि भी सिखायी जाती थी। उहे मकतब में ही साधारण रूप में मकाह पदने का अध्ययन कराया जाता था।

मकतब में बुखारा "मस्जिद" शीर्ष में पढ़ाया जाता था। इसका अर्थ यह है कि अरबी कर्माना का ज्ञान होने के पश्चात् शिक्षार्थी अरबों देशों में शिक्षा लेने के लिए जा सकते हैं। अरबों देशों में अरबी की भाषा का अध्ययन करने के लिए

आते थे। जब बाबरक बर्गनाला के गर्मी अशरों में परिचित हो जाने, तब उन्हें सुल्तानों का ज्ञान कराया जाता था। अशर-ज्ञान का सम्बन्ध अभ्यास हो जाने के बाद कुरान का तीसरा पाठ पढ़ाया जाता था, जिसमें छोटी-छोटी गुरतें हैं। कुरान को पढ़ाकर पढ़ लेने के बाद, विद्यार्थियों को फारसी का माधारण ज्ञान करा दिया जाता था। फारसी-फ़ारसी मकतब में इदीम, कविता तथा नीतिशास्त्र भी पढ़ाया जाता था।

उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। भारत के प्रायः सभी बड़े-बड़े शहरों में मदरसे थे। इनकी स्थापना बादशाहों, नयारों तथा धनी अमीरों ने की थी। बड़े बड़े मदरसों के माथ पुस्तकालय सलम रहते थे। कई एक संस्थान तो खास सादास विश्व-विद्यालय थे, जहाँ कि छात्रगण दूर-दूर से विद्याध्ययन के लिए आते थे। मदरसों का शिक्षा-काल १० से १२ वर्ष का रहता था। शिक्षा का माध्यम अरबी थी। वर्तमान विद्यालयों के समान मदरसों में कक्षा-प्रणाली नहीं होती थी। कक्षाओं का विभाजन पाठ्यपुस्तकों के अनुसार होता था। पाठ्यपुस्तकें तीन प्रकार की होती थीं। पहली उच्चतम पाठ्य पुस्तकें "मुख्तमरात" (ए० व० मुख्तमर) कहलाती थीं। दूसरी पाठ्य पुस्तकें मध्यम विस्तार वाली होती थीं। उन्हें "मुतवस्ततात" (ए० व० मुतवस्तत-मध्यम) कहते थे। तीसरी पाठ्यपुस्तकें "मुतव्वलात" (ए० व० मुतव्वल) नामक विस्तृत होती थीं। इस प्रकार सारा पाठ्यक्रम संकेन्द्रीय होता था।

पाठ्य-क्रम दो प्रकार के थे : (१) धार्मिक—इस्लामी धर्मग्रन्थ, इस्लामी इतिहास तथा कानून, और (२) सासारिक—अरबी, फारसी, व्याकरण, साहित्य, गणित, वेदान्त, भूगोल, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, यूनानी-चिकित्सा, कृषि, कानून, हिसाब, इत्यादि। यह आवश्यक न था कि प्रत्येक मदरसा सब विषय पढ़ावे। कुछ मदरसे केसी विशेष विषय या विषयों के लिए प्रसिद्ध थे। इनमें से कुछ केन्द्रों की ख्याति देश भर में थी, जैसे: लाहौर और सियालकोट (गणित तथा ज्योतिष), रामपूर (तर्क एवं ज्योतिष), दिल्ली (कविता और संगीत) तथा लखनऊ (शिया-शिक्षा)। फारसी-फ़ारसी मदरसे में हिन्दू विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रबन्ध रहता था, जहाँ कुरान के बदले वेदान्त तथा पातञ्जलि के योग-भाष्य का अध्ययन कराया जाता था। कई एक मदरसे तो केवल उत्तर-स्नातक शिक्षा ही देते थे। उदाहरण के लिए बादशाह अकबर की धाय माँ—मादम अंगा द्वारा स्थापित मदरसा (१५६१ ई०) है। इस संस्था में केवल संगीत, चित्रकला, दर्शन तथा गणित की शिक्षा उत्तर-स्नातक स्तर पर दी जाती थी।

**पूर्ववर्ती शिक्षा-प्रणालियों का नया रूप.**—मुस्लिम शासन काल का प्रभाव बौद्ध तथा वैदिक शिक्षा-प्रणालियों पर भी पड़ा। चूँकि बौद्ध शिक्षा संस्था केन्द्रित

थी, इस कारण शिक्षा-केन्द्रों के मन्त्रानाश के साथ-साथ इस देश से बौद्ध शिक्षा-प्रणाली का भी लोप हो गया। इसके विपरीत वैदिक शिक्षा इस कारण अमिट रही कि यह शिक्षा गुरु-केन्द्रित थी। इसके विद्यालय छोटे-मोटे थे, जिनकी छात्रसंख्या ३०-४० से अधिक नहीं और वे समूचे देश में फैले हुए थे। ये दो प्रकार के थे: (१) संस्कृत विद्यालय — इन्हें बङ्गाल में 'टोल' तथा पश्चिम भाग में 'पाठशाला' कहते थे। इनकी पढ़ाई बहुत ही ऊँचे ढँके की थी। इन विद्यालयों में पाँच विषयों का अध्यापन होता था — तर्क, बानून, माहिन्य, ज्योतिष तथा व्याकरण। प्रत्येक विद्यालय अपना एक ही विषय पढ़ाता था। (२) प्राथमिक स्कूल — जो गाँव-गाँव में फैले हुए थे। ये दोनों प्रकार के विद्यालय उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक मौजूद थे। भारतीय शिक्षा के इतिहास में यह प्रणाली 'देशी शिक्षा' के नाम से प्रसिद्ध है।<sup>१</sup>

**शिक्षा और राज्य.**—वैदिक तथा बौद्ध युग में, शिक्षा का राज्य ने कोई सम्बन्ध न था, तथापि हिन्दू वृत्तपिण्ड शिक्षा-केन्द्रों तथा विद्वानों को संश्लेष दान देते थे। मुसलमान-सुल्तानों तथा बादशाहों ने अनेक मकतब, मदरसे तथा पुस्तकालय खुलवाये, तथा उल्लेमा और मोअलिमों को सरकारी खजाने में वजीफे दिये। पर पटानों के काल में शिक्षा की कोई विशेष व्यवस्था न थी। यद्युतः शिक्षा शासक की रुचि पर निर्भर रहती थी। इल्लुतमिष, रजिया, बल्बन तथा फ़ीरोज़शाह शिक्षा में अभिरुचि रखते थे। पर अलाउद्दीन, इल्हाहीम लोदी आदि बादशाहों का विद्या में कोई प्रेम न था। आधुनिक नहीं कि इसी कारण राज्य ने अपनी आत्म-स्था में लिखा है कि 'भारतीय शिक्षा गिरनी हुई अवस्था में है।'

मुगलशासक के सभी बादशाह विद्या प्रेमी थे। बादशाह अकबर ने मुस्लिम शिक्षा को एक नयी दिशा देने की कोशिश की। सरकारी नौकरी के लिए राजभाषा फारसी के ज्ञान की जरूरत थी, पर अनेक हिन्दू मकतब तथा मदरसे में अध्ययन करने में दिवक्ते थे। अकबर ने पाठ्य क्रम में सुधार किया तथा मकतबों और मदरसों में हिन्दुओं के पढ़ने दिखने की उचित व्यवस्था की, ताकि पढ़ने की दिवक्चिन्ता दूर हो और उनके अपनी सभ्यता का ज्ञान मिले।

इस प्रकार हिन्दू-मुसलमानों में एकता का सुवसन हुआ। इसी समय एक नयी भाषा — उर्दू — भी रचि हुई। हिन्दू तथा मुस्लिम बंधों के अटूट होने से नई नई शिक्षाओं की खोजी का उद्गम हुआ, तथा पूर्वी मन का उदय हुआ। इस प्रकार हमें ध्येः भारतीय तथा फारसी सभ्यताओं के एक प्रणालियों का सम्मेलन हो चला।

<sup>१</sup> इतिहास के अनुसार।

## ब्रिटिश युग

**भूमिका.**—इस युग के इतिहास को हम निम्नलिखित कालों में बाँट सकते हैं :  
 (१) प्रथम काल (सन् १७५७-१८१३ ई०)—इस अवधि में ईस्ट इंडिया कम्पनी शिक्षा के प्रति उदासीन रही। उसने तटस्थता की नीति अपनायी। (२) द्वितीय काल (सन् १८१३-१८५७ ई०)—इस समय कम्पनी शिक्षा-समस्या पर विचार करती रही। उसने प्रयोगात्मक रीति अपनायी। (३) तृतीय काल (सन् १८५७-१९१९ ई०)—इस अवधि में केन्द्रीय सरकार पूरे देश की शिक्षा-नीति निर्धारित करती रही। (४) चतुर्थ काल (सन् १९१९-१९४७ ई०)—इस काल में प्रादेशिक स्वशासन शुरू हुआ। कारण, शिक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकार के हाथ में आ गयी।

**प्रथम काल (तटस्थ नीति).**—प्यासी के युद्ध ने अंग्रेजों के गले में विषम-माला पहना दी, जिससे वे धीरे धीरे इस देश के मालिक बन बैठे। देश विद्रोह करने पर मी गौगाण प्रभुओं ने आरम्भ में विद्या के लिए कुछ न किया। ईस्ट इंडिया कम्पनी के पास न पैसा था और न अवकाश। भारत में अपना पाना मजदूती से बनाने के लिए उसे दिन-रात युद्ध करना पड़ा। इस अवधि में कम्पनी ने शिक्षा के प्रति तटस्थ नीति अपनायी, और वह शिक्षा के प्रति उदासीन रही। कम्पनी के डाइरेक्टरों का कहना था कि शिक्षा-वित्तार के लिए शासक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उच्च शिक्षा देश की प्रचलित शिक्षा विधि में कोई हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। इस नीति के लिए हम उन डाइरेक्टरों को दोषी भी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि उनके देश की यही राजनीति थी।

जिस समय गौगाण महाप्रभुओं ने इस देश पर अपना अधिकार बनाया, उस समय हमारी देशी शिक्षा-पद्धति बहुत कुछ अस्तित्व में थी। यह अवश्य है कि अठारवीं सदी में सम्पूर्ण भारत में गड़बड़ी रहने के कारण देशी शिक्षा-पद्धति को रखा घका पहुँचा था। हम शिक्षा की बाँच भारत के विभिन्न प्रदेशों में सन् १८२० से सन् १८३८ के बीच हुई थी। तद्द्विकारों से पता चला कि भारत के गाँव-गाँव में प्राथमिक स्कूल तथा मदिरों से संलग्न मक़तब अवस्थित थे। उच्च शिक्षा के लिए बड़े-बड़े नगरों में 'शैल' या 'पाठशालाएँ' (हिंदुओं के लिए) और मदरसे (मुसलमानों के लिए) मौजूद थे।

यद्यपि कम्पनी शिक्षा के प्रति उदासीन रही, तथापि उसे अपने व्यावसायिक केन्द्रों के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कई स्कूल खोलने ही पड़े। कम्पनी के

कई अफसरों ने शिक्षा के प्रति दिलचस्पी दिखलायी, और उन्होंने अपने व्यय से दो-एक विद्यालय स्थापित भी किये, जिन्हें बाद में कम्पनी ने अपने हाथ में ले लिया। पहली संस्था 'कलकत्ता मद्रासा' सन् १७८१ में स्थापित हुई थी। उसके स्थापक भारत के सर्व प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिग्स थे। इस संस्था को खोलने का मुख्य उद्देश्य कम्पनी की नौकरी के लिए मुसलमान नवयुवकों को उचित शिक्षा देना था। दूसरा विद्यालय था बंगालम सम्मूह कालेज (सन् १७९१ ई०)। इसके प्रतिष्ठाता थे बंगालम के तत्कालीन रेसीडेन्ट जनोथान डन्कन। यह संस्था हिन्दुओं के लिए ग्रीकरी गयी थी। कम्पनी के राज्य का विस्तार हो रहा था, पर अंग्रेज अफसर इस देश के कानून वापसों से नितान्त अपरिचित थे। उनकी सहायता के लिए, भारतीय नायकों की विशेष आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से ऐसे विद्यालय खोले गये।

यद्यपि कम्पनी मृतः पुर रही, तथापि उसने भारत में ईसाई मण्डलों तथा धर्म-प्रचारकों को मृत्यु तथा कालेज खोलने दिये। यद्यपि उन शिक्षा-संस्था संचालकों का उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार ही प्रधान था, तो भी उन लोगों ने शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया और शिक्षा-पद्धति में एक जान फूँक दी। उन्होंने इस देश में छापाखाने भी खोले, जिनमें छपी हुई पुस्तकों का प्रचार बढ़ा।

अन्ततः कम्पनी तटस्थता की नीति अतिरिक्त समय तक स्थिर न रख सकी। इंग्लैंड में पार्लियामेंट के कई सदस्य प्रयत्न कर रहे थे कि कम्पनी भारत में शिक्षा-विस्तार के लिए कुछ न-कुछ करे। उन्हींके प्रयत्नों के फल-स्वरूप सन् १८१३ ई० का नवीन आदेश पत्र में एक धारा बढ़ा दी गयी थी कि "ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कारखानों का यह भी बर्तव्य होगा कि वे भारत में कम-से-कम एक लाख रुपये प्रति वर्ष शिक्षा पर व्यय करें।" पाठक समझ सकते हैं कि भारत जैसे विशाल देश के लिए शिक्षाई व्यय की यह अल्प राशि 'ऊँट के सूँड़ में लौंग' की भाँति थी। कुछ भी हो, भारत की दृष्टि में बढ़े ही यह राशि महत्व हीन थी, तथापि इस कार्यवाही का शुरुआत करी और ही है। सन् १८१३ ई० के आदेश ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह मानने के लिए बाध्य किया कि "शिक्षा का सरकारी राज्य पर अधिकार है"। यह बात कम्पनी अभी तक स्वीकार नहीं करना चाहती थी, किन्तु उसे इस आदेश से हार माननी पड़ी और उसे चुबना ही पडा।

द्वितीय काल (प्रयोगिक दौर)।—इस आदेश में कम्पनी ने प्रयोगिक नीति अपनायी। ऐसे ही काल के कार्य पर यह स्थिर न कर सकी कि शिक्षा के लिए क्या किया जावे। उसके मानने से सन् १८३१ की : (१) आन इत्यादि में प्रारम्भिक शिक्षा



फैलायी जावे या उच्च शिक्षा का प्रचार उच्च श्रेणी में किया जावे। (२) प्राच्य या पाश्चात्य विद्या का प्रचार किया जावे। (३) शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होवे या संस्कृत और फारसी। (४) शिक्षा का प्रचार देशी विद्यालयों या नये स्कूलों और कालेजों द्वारा किया जावे।

इन समस्याओं के रहते हुए भी सन् १८१३ ई० के आदेशान्तर्गत धारा को क्रियान्वित करने के लिए कम्पनी दस वर्ष मौन रही। उसे इस समय इस दिशा में सक्रियता दिखाने के लिए अवकाश भी तो नहीं था। सन् १८१३ से १८२३ ई० तक कम्पनी को गुरखों, पिण्डारियों तथा मराठों का सामना करना पड़ा। लड़ाई से फुरसत मिलने पर कम्पनी ने सन् १८२३ में शिक्षा के लिए प्रधान शिक्षा-समिति (जनरल कमिटी ऑफ् पब्लिक इन्स्ट्रक्शन) मुकर्रर की। इस समिति को इस देश के अनुद्भूत शिक्षा-प्रबंध निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया, और खर्च के लिए तथाकथित आदेशानुसार एक लाख रुपये वार्षिक दिया जाने लगा।

प्रधान समिति में दस सदस्य थे। शुरू-शुरू में सब-के-सब अंग्रेज थे, जो प्राच्यवादी थे। इस कारण पहिले पहल इस समिति ने प्राच्य विद्या फैलाने का किया, लेकिन धीरे-धीरे पौसा पलट गया। शिक्षा-समिति के कुछ सदस्य बटल : सन् १८३१ ई० में इसके आधे मेम्बर प्राच्यवादी थे और आधे आंग्लवा दोनों दलों में झगड़ा लड़ा हुआ। मतभेद इतना बढ़ा कि कुछ भी कामकाज कठिन हो गया। दोनों दलों ने स्वीकार किया कि अर्थाभाव के कारण जन-शिक्षा की ध्यान देना असम्भव है। इसलिए दोनों दल सहमत हुए कि इस थोड़ीसी रकम के पहले उन्नत समाज में उच्च शिक्षा का प्रचार किया जावे। उन्होंने सोचा कि ये धीरे-धीरे अपनी मातृभाषा में उपयोगी पुस्तकें लिखेंगे और जनता में शिक्षा का प्र करेंगे। इस प्रकार शिक्षा छनते हुए विशिष्ट समाज से आरम्भ होकर जनता की फैलेगी। यह सिद्धान्त भारतीय शिक्षा के इतिहास में शिक्षा छनने के सिद्ध (फिल्ट्रेशन थ्योरी) के नाम से प्रसिद्ध है। बाद में दोनों दलों में यह विवाद खड़ा कि यह उच्च शिक्षा किस देश की विद्या हो (भारत या युरोप की), तथा शिक्षा माध्यम क्या हो—अंग्रेजी या संस्कृत और फारसी? प्राच्यवादियों का मत था कि विद्या इस देश की हो तथा शिक्षा का माध्यम इस देश की सांस्कृतिक भाषा हो; आंग्लवादियों का कथन था कि प्राच्यविद्या सड़ गयी है, अतएव इस देश में प्राच्य का प्रचार अंग्रेजी के द्वारा किया जाय।

इस विवाद ने उग्र रूप धारण किया, और सन् १८३४ ई० में दोनों दलों ने सरकार के सम्मुख अपना अपना अभिमत व्यक्त करते हुए वक्तव्य भेजे। इसी साल प्रोफेड्रॉ अँग्रेजी विद्वान् लार्ड मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य होकर यहाँ आये। तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड विलियम बेंटिंक ने उन्हें शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया और उन्हें अधिकार दिया कि आप इस विषय की जाँच करके अपना मत व्यक्त करें। फलतः २ फरवरी, सन् १८३५ को एक लेख-पत्र द्वारा मैकाले ने अपना मत दिया।

इस लेख-पत्र-द्वारा मैकाले ने यह प्रतिपादित किया था कि सरकार बिना रोक टोक चाहे जिस प्रकार शिक्षा की रकम खर्च कर सकती है, पर हमें इस पैसे का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि यह सब कैसे हो सकता है? इस छोटी-सी रकम के द्वारा ज्ञान-शिक्षा असम्भव है; इसलिए हमें कुछ इने-गिने मनुष्यों में उच्च विद्या का प्रचार करना पड़ेगा, जो भारतीय लोक-भाषा, संस्कृत या फारसी से सभ्य नहीं है। कारण, इन भाषाओं में कोई दम नहीं है और न इनका साहित्य-भण्डार यूरोपीय चुनी हुई पुस्तकों की एक आलमारी के मुकाबिले उद्भूत ही सकता है। इस कारण हमें पाश्चात्य विद्या का प्रचार अँग्रेजी भाषा द्वारा करना पड़ेगा। यह भाषा सारे मसाल में प्रचलित है, इसके ज्ञान का स्वज्ञाना असीम है और भारतवासी इसे सीखने के लिये उत्सुक हैं। मैकाले ने पुनः घोषित किया कि “हमें निर्माण करना है इस देश में ऐसे वर्ग का, जो रङ्ग और रक्त में भले ही भारतीय हो, परन्तु खान-पान, गहन गहन, आचार-विचार तथा बुद्धि में पूरे अँग्रेज रहें।”†

यह प्रसिद्ध लेख-पत्र बेंटिंक के सामने पेश किया गया। वे तो इसी की ताक में बैठे थे। उनकी इच्छा इस देश में अँग्रेजी भाषा के प्रचार की थी ही, क्योंकि राज कार्य के लिए उन्हें अल्प-वयसभोगी अँग्रेजी पढ़े-लिखे भारतीय नौकरों की जरूरत थी। वम, मैकाले के लेख-पत्र के मिलने ही, उन्होंने शट उन पर लिख दिया, “मे सम्पूर्ण रूप से सहमत हूँ।”

७ मार्च, सन् १८३५ ई० को एक सरकारी सूचना निकली, जिसका सार अर्थ यह था कि भारत में पाश्चात्य विद्या का प्रचार अँग्रेजी भाषा-द्वारा किया जावे। प्रधान शिक्षा-समिति का हुक्म दिया गया, “प्राप्य शिक्षा के लिये जो कुछ किया जा चुका है, वह जैसे-का तैसा बना रहेगा; परन्तु भविष्य में सम्पूर्ण अनुदान अँग्रेजी माध्यम द्वारा ही ज्ञानेशाली अँग्रेजी शिक्षा पर ही व्यय किया जायगा।”

इस ऐलान का असर आज भी हमारी शिक्षा पर है। अंग्रेजी शिक्षा कैली, और खूब कैली। पर शिक्षा उच्च श्रेणी में ही सीमित रही, जनता में न कैली। फल-स्वरूप आज ८० प्रति शत भारतवासी अपढ़ हैं। हम अपनी पुरानी संस्कृति और सांस्कृतिक भाषाएँ भूल बैठे। हम अंग्रेजी के रङ्ग में रँग गये। हमें पाश्चात्य कला और विज्ञान का लाभ अवश्य मिला और यहाँ पाश्चात्य ढङ्ग के स्कूल तथा कालेज भी खोले गये, पर पर्याप्त रूप में नहीं। हमारे देश की परम्परागत शिक्षा-पद्धति नष्ट-भ्रष्ट हो गयी। हमारे देशी स्कूल, टोल, पाठशालाएँ, मकतब तथा मदरसे कुचल दिये गये। माना कि वे पुराने ढाँचे में ढले हुए थे, तथापि उनमें सशोधन या सुधार किया जा सकता था।

आज मैकाले साहब के लेख-पत्र की नुकताचीनी करने से कोई विशेष लाभ नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी एक ऐसा युग था, जिसके लिए हम मैकाले साहब को विशेष टोपी नहीं ठहरा सकते। अठारहवीं शताब्दी की व्यावसायिक क्रान्ति और साम्राज्यवृद्धि ने प्रत्येक अंग्रेज का सिर फेर दिया था। वह यही सोचता था कि न अंग्रेजी भाषा के समान कोई दूसरी भाषा है और न किसी राष्ट्र की उन्नति अंग्रेजी के बिना हो ही सकती है। मैकाले इस युग का एक चिन्तनगारी मात्र था। पर हमें यह मानना पड़ेगा कि अंग्रेजी भाषा तथा पाश्चात्य ज्ञान से हमें बहुत कुछ लाभ मिला है। आधुनिक काल में, ज्ञान का विकास सांस्कृतिक भाषाओं-द्वारा असम्भव है।

सन् १८३५ ई० के बाद दूसरी मञ्जिल आती है सन् १८५४ ई० में। इस वर्ष कम्पनी के बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स युड ने भारतीय शिक्षा पर एक सरकारी पत्र प्रकाशित किया था। इसका नाम 'युड का घोषणापत्र' (युड्स डिमण्ड) पड़ गया है। प्रथमतः इस चिह्ने ने शिक्षा के ये सिद्धान्त इस देश के लिए घोषित किये:

यह गन्व है कि भारत की जनता अपनी सांस्कृतिक भाषाओं के बिना काम नहीं चला सकती है, तिस पर भी इस देश में शिक्षाप्रसार के विषय सुयोग के समुच्चन कला-कौशल, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य—संशोधन में सुयोगीय ज्ञान—हैं।।

इस घोषणा ने जन-शिक्षा पर विशेष जोर दिया। शिक्षा के माध्यम पर, हम दसावेत्त ने तौर दिया, "भारत की शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी और मातृ भाषा—दोनों का विशेष स्थान है; अंग्रेजी, उच्च शिक्षा के लिए और मातृभाषा, जन-शिक्षा के लिए।"।

† *Woolfs Dispatch*, para 7

‡ *Ibid.*, para 11

इस घोषणा-पत्र के फल-स्वरूप प्रत्येक प्रदेश में शिक्षा-विभाग संगठित हुए। लन्डन विश्वविद्यालय के आदर्श पर चम्पई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए, राजकीय प्रशासन-विभाग तथा प्रशिक्षण विद्यालय खोले गये, प्राथमिक एवं स्त्रीशिक्षा पर जोर दिया गया तथा अनना-द्वारा चलाये हुए विद्यालयों की महायत्ना के लिए आर्थिक अनुदान-पद्धति (ग्राण्ट-इन-एड सिस्टम) का प्रावधान प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार वर्तमान शिक्षाप्रणाली को इस आशा-पत्र ने ही संचालित किया। इसी कारण यह दस्तावेज भारतीय शिक्षा का महा विधान (मैन्ना-कार्ड) गिना जाता है।

**तृतीय काल (केन्द्रीय निर्धारित नीति).**—सन् १८५७ ई० के स्वातन्त्र्य-युद्ध के फल स्वरूप, भारत के शासन की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर अंग्रेज नरेशों के हाथ में आ गयी। इस दीर्घ काल में, अर्थात् सन् १९१९ तक, भारत सरकार सम्पूर्ण देश की शिक्षा-नीति नियन्त्रित करती रही। केन्द्रीय सरकार ने तीन महत्व-पूर्ण आयोग या कमीशन (हॉट्टर, १९०२ की विश्वविद्यालय समिति तथा मैडलर) नियुक्त किये। दो शिक्षा-नीति (१९०४ और १९१३) घोषित की, प्रान्तीय सरकारों को अनेक प्रसिद्धि-पत्र भेजे, तथा शिक्षा-सम्बन्धी कई सम्मेलन बुलाये। इन सबका जिक्र अगले अध्यायों में यथा स्थान किया जावेगा। इस प्रकार भारत सरकार देश की शिक्षा नीति संचालित करती रही।

इस समय का विनेय उल्लेखयोग्य विषय है राष्ट्रीय जागृति। इसी काल में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और बंग-भंग का आन्दोलन खड़ा हुआ। इन सब घटनाओं की आँख शिक्षा पर भी लगी। लार्ड कर्जन की विश्वविद्यालय नीति का तीव्र प्रतिवाद हुआ, बैंग-भंग आन्दोलन ने विद्यार्थियों को राजनैतिक क्षेत्र में खींचा तथा प्राविधिक शिक्षा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ।

श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य करने की चेष्टा की। इस प्रयत्न में वे असफल हुए, किन्तु उनकी चेष्टा व्यर्थ न हुई। देश में स्नाथीनता का आन्दोलन बढ़ा और इसीके फल-स्वरूप भारत सरकार का सन् १९१९ का नियम निकला।

**चतुर्थ काल (प्रान्तीय स्वशासन).**—प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के समय, अगस्त १९१७ ई० में, इंग्लैंड की पार्लियामेण्ट में तत्कालीन भारत-राज्य माण्टेग्मू ने घोषणा की, “शासन के हर एक क्षेत्र में भारतवासियों का सहयोग उत्तरोत्तर बढ़ाया जाय।” इस घोषणा के पश्चात् माण्टेग्मू मारच इस देश में आये। उन्होंने और तत्कालीन वाइसराय चेम्सफोर्ड ने मिलकर भारत में लागू करने के लिए राजनीतिक सुधारों की एक योजना तैयार की। इस योजना के आधार पर सन् १९१९ में इंग्लैंड

की सरकार ने 'गवर्नमेण्ट ऑफ़ इंडिया एक्ट' के द्वारा भारतवासियों को मास्टेर-चेम्बेरोडे मुफ्त प्रदान किये। इस कानून की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है शिक्षाक्षेत्र में प्रान्तीय स्वशासन। इस कायदे के अनुसार शिक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार के हाथ ने निकल कर प्रांतीय सरकारों के उत्तरदायित्व में आ गयी। प्रत्येक प्रांतीय सरकार को अधिकार दिया गया कि अपने प्रान्त की शिक्षा-नीति का नियन्त्रण करे। इस विषय में केन्द्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों पर कोई दबाव नहीं डाल सकती।

प्रान्तीय स्वशासन का एक और भी विशेष रूप है। सन् १९१९ के कायदे के अनुसार शिक्षा का सम्पूर्ण प्रबंध एक नियोजित भारतीय मन्त्री के हाथ सौंप दिया गया। इस प्रकार प्रांतीय विधान-सभा शिक्षा सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने लगी और अन्त में शिक्षा की उन्नति में कार्य में कारी दिलचस्पी लेने लगी। प्राथमिक शिक्षा लासली (अनिवार्य) करने के लिए कानून निर्रोडे, स्त्री शिक्षा की उन्नति हुई तथा प्रौढ़ शिक्षा का भी लोप हुआ।

यद्यपि कुछ देरें हुए, शिक्षा की समुत्थान प्रगति न हुई। प्रथम विध-मुद्र के दसवार सम्पूर्ण समार में आधिक मन्त्री आयीं, और फिर आगम्य हुआ द्वितीय विध-मुद्र। इसके साथ साथ देश में स्वाधीनता का आन्दोलन जारी रहा। यह सोच है कि शिक्षा का विकास भारत में ठीक ठीक न हुआ, पर शिक्षा क्षेत्र में नयी धाराएँ आरम्भ हो कर निकलीं, तथा : बुनियादी शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, मातृशाला पर ध्यान, लाल मजदूरी का विचार, प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान, आदि। इस प्रकार अन्त में १५ अगस्त, १९४७ के दिन इसका देश स्वाधीनता की शृंगारण में मुक्त हुआ।

#### स्वातन्त्र्योत्तर काल

स्वाधीन होने पर हमारे देश के लगभग सब में बड़ा अन्तर्गत था, पूर्ण स्वाधीन युक्ति शिक्षा की बनाने की इच्छा। ८० प्रति सत्र अन्तर्गतही अन्तर्गत, ६-११ पर्यन्त के १९३० की मन्त्री बनने के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएँ थीं, और हमें क्या प्राथमिक का मातृशाला तथा उच्च शिक्षा के लिए। वेलायत और शिक्षा विभागों हुई थीं, तथा शिक्षा का तो भी लोप हो ही हुआ था। इन लोगों का कहना है कि जब हमारे लगभग सब का—देश का मातृशाला का पुनर्रचना हुई तथा प्राथमिक पर ध्यान देने के साथ कई अन्य का साथ बढ़ाया।

उत्तरी अन्तर्गत का अन्तर्गत काल हुए इस अन्तर्गत का साथ ही था, देश अन्तर्गत इस काल में बन रहा हुआ। विचार-धारा तथा अन्तर्गत का ही अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत, और अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत

लिए समितियों गठित हुई, जैसे : प्राविधिक शिक्षा, समाज शिक्षा, उच्च ग्राम-शिक्षा, भाषा, इत्यादि। इन आयोगों एवं समितियों के अभिप्रायों के अनुसार बहुत कुछ काम भी हुआ।

पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति स्वाधीन भारत का सर्वाधिक उद्दिश्यनीय कदम है। इनका प्रधान उद्देश्य देश में विकास कार्य आरम्भ करना है, जिससे लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाया जा सके और उन्हें उन्नत जीवन बिताने के लिए नये अवसर प्रदान किये जा सकें। इन योजनाओं में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना (१९५१-५६ ई०) में १६९ करोड़ रुपये खर्च हुए, और द्वितीय योजना (१९५६-६१ ई०) में ३०७ करोड़ रुपये निर्धारित हैं। दोनों योजनाओं के विभिन्न अंगों पर होनेवाले व्यय का आवण्टन नीचे दिया गया है :

### तालिका १

प्रथम तथा द्वितीय पञ्चवर्षीय योजनाओं में  
शिक्षा-व्यय का आवण्टन (करोड़ रुपये)

विवरण	प्रथम योजना	द्वितीय योजना
प्राथमिक शिक्षा ... ..	९३	८९
माध्यमिक शिक्षा ... ..	२२	५१
विश्वविद्यालयीय शिक्षा ... ..	१५	५७
प्राविधिक शिक्षा ... ..	२३	४८
समाज शिक्षा ... ..	५	५
प्रशासन तथा विविध ... ..	११	५७
योग.....	१६९	३०७

सन् १९५५ ई० में द्वितीय योजना की प्राथमिक रूपरेखा की आलोचना के समय, शिक्षा के निम्न १०८ अरब रुपये की माँग थी। संशोधित रकम घटते-घटते ३०७ करोड़ रुपये निर्धारित हुई। इस व्यय में से ९५ करोड़ रुपये केन्द्र तथा २१२ करोड़ रुपये राज्य बहन करेंगे। अगले पन्ने की तालिका में प्रथम योजना की मरकजों तथा द्वितीय योजना के राज्य शिक्षाये गये हैं।

## तालिका २ †

प्रथम योजना की सफलताएँ तथा द्वितीय योजना के लक्ष्य

कार्य	१९५५-५६	१९६०-६१
६-११ बयोवर्ग के शिक्षा पाने वाले बच्चों की उस बयोवर्ग की कुल आबादी की प्रतिशती ... ..	५१.०	६२.७
११-१४ बयोवर्ग के शिक्षा पाने वाले बच्चों की उस बयोवर्ग की कुल आबादी की प्रतिशती ... ..	१८.२	२२.५
१४-१७ बयोवर्ग के शिक्षा पाने वाले बच्चों की उस बयोवर्ग की कुल आबादी की प्रतिशती ... ..	८.४	११.७
प्रारम्भिक तथा अवर बुनियादी स्कूलों की संख्या	२,७८,७६८	३,२६,८००
अवर बुनियादी स्कूलों की संख्या ..	४२,९४१	६४,९१०
मिडिल तथा प्रवर बुनियादी स्कूलों की संख्या ..	२१,७३०	२२,७२५
प्रवर बुनियादी स्कूलों की संख्या ..	४,८४२	४,५७१
हाई तथा उच्च हाईस्कूलों की संख्या	१०,७३८	१२,१२५
हाईस्कूल से परिवर्तित उच्च हाईस्कूलों की संख्या... ..	४७	१,१९७
बहुदेशीय स्कूलों की संख्या	३६७	१,१८७
विश्वविद्यालयों की संख्या ..	३२	३८
इंजीनियरिंग डिप्लोमा-मंस्थानों की संख्या	४७	५४
"  "  "  "  "  "  "  "	८८	१०४
"  "  "  "  "  "  "	३,३९५	५,४८०
"  "  "  "  "  "  "	३,८११	८,०००
टेक्नोलॉजी डिप्लोमा मंस्थानों की संख्या ..	२५	२८
"  "  "  "  "  "  "	३६	३७
"  "  "  "  "  "  "	७००	८००
"  "  "  "  "  "  "	४३०	५८०

मुर्दाख पञ्चासवीय योजना (१९६१-६६) की प्रारम्भिक रूपरेखा की आलोचना हो रही है। इस मसौदे का मुख्य उद्देश्य यह है कि मुर्दाख पञ्चासवीय योजना के

अन्त तक ६ वर्ष से ११ वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे अनिवार्य शिक्षा-योजना के अन्तर्गत आ जावें तथा लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जावे। इस रूप-रेखा में यह भी सिफारिश की गयी है कि कम-से-कम ५० प्रति शत वर्तमान हार्दस्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बदलने की व्यवस्था की जाय तथा गवर्न-मन्त्रालयों द्वारा वररक स्कूलों की स्थापना का अलग कार्यक्रम शामिल किया जाय।

भारत को स्वाधीन हुए बारह वर्ष हुए। इस अरसे में शिक्षा काफी बढ़ी। आज (१९५७) हमारे देश में २,८७,३१८ प्राथमिक शालाएँ, ३५,८३८ माध्यमिक स्कूल, ७७१ आर्ट्स तथा साइन्स कालेज, ४०४ व्यवसाय-सम्बन्धी कालेज तथा ३,२८३ व्यावसायिक स्कूल हैं।† सन् १९४८ के वर्ष में इन संस्थाओं की संख्या क्रमशः १,४०,७९४ (प्राथमिक), १२,८९९ (माध्यमिक), २९५ (आर्ट्स तथा साइन्स कालेज), १३१ (व्यावसायिक कालेज) और १,३९१ (व्यावसायिक स्कूल) थी।‡ इसी अरसे में छात्र-संख्या भी प्रायः तिगुनी हो गयी।

यह शिक्षा-विस्तार कुछ कम नहीं है, पर यदि हम सब कदमों से कन्धा लगाकर काम करते तो सम्भवतः प्रगति और भी अधिक होती। हाल ही में चीन देश से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है 'China's Big Leap Forward'। हमसे पता चलता है कि चीन में ८ वर्ष के अरसे में शिक्षा-संस्थाओं की छात्र-संख्या कितनी बढ़ी। प्राथमिक शालाएँ २,४०,००० से ६,४०,०००, माध्यमिक शालाएँ १० लाख से ६० लाख, व्यवसाय-सम्बन्धी स्कूल साठे तीन लाख से ७,८०,००० तथा विश्वविद्यालय और कालेज १,५५,००० से ४,४५,००० की संख्या में बढ़े। इजीनियरिंग विद्यार्थियों की संख्या तो पचगुनी होकर १,६३,००० तक जा पहुँची। सरकार तथा जनता के पारस्परिक सहयोग के कारण ही यह विस्तार वहाँ हो सका।

आज भारत खचेत हो उठा है। पाने और से शिक्षा-मुधार की पुकार मची हुई है। लोग अनुभव कर रहे हैं कि शिक्षा के अह्न प्रत्यह्न में एक नवीन जीवन के प्रादुर्भा और की आवश्यकता है। प्रशासन-पद्धति, शैक्षणिक रूप-रेखा, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक तथा स्त्री शिक्षा पर नये नये विचार हो रहे हैं। भारत तथा शिक्षा के माध्यम की नयी समझाएँ देश के सामने उपरिपन्न हैं। इसीके फल स्वरूप हमारे शिक्षा क्षेत्र में नयी नयी विचार धाराएँ बहने लगी हैं, जैसे : बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा, राष्ट्रीय प्रयोग शालाएँ तथा शिक्षण-मन्दिर, राष्ट्रीय तथा महानक सैन्य शिक्षार्थी हल, इत्यादि। इन महान प्रानों पर हम पुस्तक के अगले अध्यायों में विचार किया जायगा।

† भारत, १९५९, पृष्ठ ७९।

‡ Seven Years of Freedom, pp 34-47.



## दूसरा अध्याय

### शिक्षा-व्यवस्था

भारत के राज्य

जब १५ अगस्त, १९४७ को भारत स्वाधीन हुआ तब भारत में नौ अतिरिक्त ५४८ रियासतें थीं। भारत के उपप्रधान मन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेल के भीतर ही सम्पूर्ण भारत को एक बना दिया, जिससे ये बहुमूल्य भारत के भान्तरिक भाग बन गये, जिस तरह कि अन्य राज्य इसके अङ्ग हैं। सारे भारत में प्रजातन्त्र राज्य प्रस्थापित हुआ। १ नवम्बर, १९५६ में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिसमें देशी राज्यों का घटक राज्यों के रूप में नवनिर्मित राज्यों में विलय हुआ। आज भारत इन चौदह नवीन राज्यों का सघटित रूप — राष्ट्र-संघ — है। राज्यों का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या अधोलिखित तालिका में प्रदर्शित है।

### तालिका ३

भारत के राज्यों का क्षेत्रफल और जन-संख्या।

राज्य	क्षेत्रफल (वर्गमील)	जन-संख्या
असम	८५,०६२	९०,४३०
आन्ध्रप्रदेश	१,०५,६७७	३,१२,६००
उड़ीसा	६०,२५०	१,४६,४५०
उत्तरप्रदेश	१,१३,४२२	६,३२,१५०
केरल	१५,००६	१,३५,४९०
जम्मू और कश्मीर	८५,८६१	४०,१००
पंजाब	४७,०६२	१,६१,३४०
पश्चिम बङ्गाल	३३,९२७	२,६३,०२०
बिहार	१,९०,६६८	४,८२,६५०
छत्तीसगढ़	६७,०७१	३,८७,८३०
मद्रास	५०,१३८	२,९९,७४०
मध्यप्रदेश	१,७१,२५०	२,६०,७३०
मैसूर	७४,८६१	१,९०,०१०
राजस्थान	१,३२,१४८	१,५९,७००

इन राज्यों के सिवा भारत में छः संघीय क्षेत्र हैं, अर्थात् (१) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह, (२) दिल्ली, (३) हिमाचल प्रदेश, (४) लक्षद्वीप, मिनिक्वय तथा अमीनदीवी द्वीप-समूह, (५) मणिपूर और (६) त्रिपुरा।

भारत पृथ्वी का एक छोटा-सा स्वरूप है, जिसका क्षेत्रफल १२,५९,७६५ वर्ग मील है। सारा के सबसे अधिक जन-संख्यावाले देशों में इस देश का स्थान दूसरा है। १९५१ की जन-गणना के अनुसार, इस देश की कुल जन-संख्या ३५,६८,७९,३४९ थी, जिसमें १८,३३,०८,७३३ पुरुष तथा १७,३५,२२,८२१ स्त्रियाँ हैं। औसतन १,००० पुरुष पीछे ९४७ स्त्रियाँ हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि देश की एकत्रित जन-संख्या में से १७-३ प्रतिशत लोग शहरों में तथा शेष गाँवों में रहते हैं। इस जन-गणना के अनुसार भारत में ५,९१,५१,००१ व्यक्ति साक्षर थे, जिनमें ४,५६,०१,१८४ पुरुष तथा १,३६,४९,८१७ महिलाएँ थीं; अर्थात् सम्पूर्ण देश की साक्षरता थी : १६-६१ प्रतिशत — २४-८७ (पुरुष) तथा ७-८७ (स्त्रियाँ)।

भारत में विभिन्न रूप-रङ्गवाले तथा अनेक भाषा-भाषी लोग रहते हैं। १९५१ की मर्तुमशुमारी के अनुसार देश में कुल ८४५ भाषाएँ अथवा बोलियाँ बोली जाती हैं, जिनमें ७०२ भारतीय भाषाएँ अथवा बोलियाँ हैं। इनमें से प्रत्येक के मापियों की संख्या एक लाख से कम है, तथा ६३ गैर भारतीय भाषाएँ हैं। ९१ प्रतिशत जनता संविधान में उल्लिखित १४ भाषाओं में से किसी-न-किसी एक भाषा को बोलती है।

## शिक्षा-प्रशासन

### पूर्व-शृष्टिका

सन् १८५५ ई० तक इस देश में शिक्षा-प्रशासन मुख्यतः स्थान न था। ब्रिटिश के घोषणा-पत्र की सिफ़ारिशों के कारण, प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-विभाग कायम हुए। इनके साथ-साथ समूचे देश की शिक्षा-नीति भारत सरकार निरूपित करने लगी। पर केन्द्र में शिक्षा शासन के लिए कोई राजकीय विभाग स्थापित न हुआ। कुछ काल तक शिक्षा की व्यवस्था यह-विभाग की शिक्षा-शाखा करती रही, पर भारत सरकार अनुभव कर रही थी कि पूरे देश की शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए एक अफसर की आवश्यकता है। इस अभाव की पूर्ति लाई कर्जन ने की। सन् १९०१ ई० में उन्होंने पूरे देश के लिए प्रधान शिक्षा-संचालक (शाहरेक्टर जनरल ऑफ़ एजुकेशन) पद की सृष्टि यह-विभाग के मातहत की।

† दैनिक चौथा अर्धघण्टा।

नौ वर्षों तक इसी प्रकार ही काम चलता रहा। सन् १९१० ई० में वाइसरॉय की कार्य-कारिणी समिति के सदस्यों की संख्या एक और बढ़ा दी गयी। इस सदस्य-को शिक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गयी, पर प्रधान शिक्षा-संचालक का पद उठा दिया गया। पाँच वर्ष बाद 'एज्यूकेशन कमिश्नर' नामक एक नये अफसर की नियुक्ति हुई। उसका काम वही रहा जो प्रधान शिक्षा-संचालक का था। इसी साल शिक्षा-सूचना-कार्यालय (ब्यूरो ऑफ एज्यूकेशन) भी खोला गया। भारत सरकार की वार्षिक तथा पंचवार्षिक रिपोर्टों को प्रकाशित करने के अतिरिक्त, यह दफ्तर शिक्षा-सम्बन्धी अनेक साहित्य निकालता रहता था। सन् १९०२-१८ की अवधि में केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालयों तथा प्रान्तीय सरकारों को काफी रुपये अनुदान में दिये।

भारत सरकार के सन् १९१९ के कायदे के अनुसार, शिक्षा की जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार के हाथ से निकल कर प्रान्तीय सरकार के हाथ आ गयी। पर इस प्रान्तीय स्वशासन के कारण प्रान्तीय सरकारों का भारत सरकार से एकलन होने के विना, आपेसी पृथकरण भी हुआ। इस पृथकवादी नीति के फल-स्वरूप पैसा तथा परिश्रम बहुत कुछ व्यर्थ जाने लगा। कारण, न प्रान्तीय सरकारें आपस के कार्य-कलापों का लाभ उठा सकती थीं और न केन्द्रीय सरकार पूरे देश के लिए कोई शिक्षा-नीति निर्धारित कर सकती थी। इस प्रकार सभी अनुभव करने लगे कि सम्पूर्ण देश की शिक्षा-नीति में एकसूत्रता लाने के लिए, एक प्रतिष्ठान की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान बन्द हो गया। फलस्वरूप, शिक्षा की नवीन योजनाएँ विधिल पड़ने लगीं।

इस कारण सन् १९२१ ई० में केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार मण्डल (संयुक्त एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एज्यूकेशन) की स्थापना हुई। पर केवल दो वर्ष बाद, इस मण्डल का ग्वास्ता हुआ। कारण, सरकार के पास पैसा न था। इस मिनव्यप्ता के फलस्वरूप शिक्षा-सूचना-कार्यालय भी उठा दिया गया, तथा शिक्षा विभाग अन्य सरकारी मुरकमों अर्थात् स्वास्थ्य, गव्य-कर और कृषि के साथ जोड़ दिया गया। वार्षिक खर्च सुधारने पर तथा शार्टग मिनिति की सिफारिशों के कारण, सन् १९३५ ई० में केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार-मण्डल तथा इसके दो साल बाद शिक्षा-सूचना-कार्यालय पुनः स्थापित हुए।

सन् १९४५ ई० में, भारत सरकार ने अपना एक स्वतंत्र शिक्षा-विभाग ग्वाया। दो वर्ष बाद यह विभाग मन्त्रालय में बढ़ा दिया गया। सन् १९५७ में इस मन्त्रालय को

वैज्ञानिक शोध का कार्य सँपा गया और इसका नाम पड़ा 'शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध मन्त्रालय'। लेकिन एक वर्ष बाद, यह मन्त्रालय दो भागों में विभक्त हुआ : (१) शिक्षा और (२) वैज्ञानिक अनुसन्धान और संरक्षित।

यह हमारे देश के शिक्षा-शासन के विकास की रूप-रेखा हुई। इस शासन की चांगडोर तीन स्वतन्त्र अधिकारियों के अधीन है : (१) केन्द्रीय सरकार, (२) राज्य सरकार और (३) स्वायत्त शासन। इनके कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

### केन्द्रीय सरकार

**शिक्षा-मन्त्रालय.**—शिक्षा-मन्त्रालय, शिक्षा-मन्त्री की अधीनता में है। सन् १९५८ तक शिक्षा-मन्त्री मन्त्री-मण्डल के सदस्य रहे, पर अब वे केवल राज्य-मन्त्री ही हैं। मन्त्रालय के मुख्य दो कर्तव्य हैं : (१) देश की शिक्षा-नीति सयोजित करना और (२) यथा सम्भव भिन्न भिन्न राज्यों की शिक्षा प्रणाली में एकरूपता रखना।

मन्त्रालय के सब से प्रधान कर्मचारी शिक्षा-परामर्श-दाता (एज्युकेशन एडवाइजर) होते हैं। ये भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय के सचिव का काम करते हैं, तथापि इनकी सबसे बड़ी जबाबदारी यह है कि ये शिक्षा-मन्त्री को पूरे देश की शिक्षा-नीति तथा शासन के विषय में उचित परामर्श दें। केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय निम्नलिखित आठ संविभागों में विभक्त है :

- (१) प्रारम्भिक तथा बुनियादी शिक्षण,
- (२) माध्यमिक शिक्षा,
- (३) उच्च शिक्षा तथा यूनेस्को,
- (४) हिन्दी,
- (५) सामाजिक शिक्षा तथा समाज-कल्याण,
- (६) व्यायाम तथा मनोरञ्जन,
- (७) छात्र-वृत्ति तथा
- (८) प्रशासन।†

† Free Press Journal. May 14, 1959

# केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय



विभाग

आधिकार क्षेत्र

शिक्षामन्त्री

शिक्षा  
परामर्शदाता

सलाहकारी परिषद

केन्द्रीय शिक्षा  
सलाहकार मण्डल

विश्वविद्यालय  
अनुदान आयोग

अखिल भारतीय  
माध्यमिक  
शिक्षा परिषद

अखिल भारतीय  
प्रारम्भिक  
शिक्षा परिषद

ग्रामीण उच्चतर  
शिक्षा समिति

राष्ट्रीय  
स्त्री-शिक्षा  
परिषद

अन्तर्राष्ट्रीय  
सम्पर्क

संघीय क्षेत्र

शिक्षा-सूचना  
कार्यालय

विदेशी दफ्तरें

केन्द्रीय  
विश्वविद्यालय

पब्लिक स्कूल

अखिल भारतीय  
शिक्षा-संस्थाएँ

प्रारम्भिक तथा  
बुनियादी शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा

उच्च शिक्षा  
तथा युनेस्को

हिन्दी

सामाजिक शिक्षा  
तथा समाज-कल्याण

व्यायाम तथा  
मनोरंजन

छात्र-वृत्ति

प्रशासन

शिक्षा-मन्त्रालय को कई सलाहकारी या परिनिपत परिषद् सहायता पहुँचानी है। मुख्य परिषद् ये हैं : (१) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल (केशिसम), (२) विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग (युनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन), (३) अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा-परिषद् (आल इंडिया काउन्सिल ऑफ़ सेकण्डरी एज्युकेशन), (४) अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद् (आल इंडिया काउन्सिल ऑफ़ एलिमेण्टरी एज्युकेशन), (५) ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति (नेशनल काउन्सिल ऑफ़ रूरल एज्युकेशन), (६) राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा-परिषद् (नेशनल काउन्सिल ऑफ़ वुमेन्स एज्युकेशन), (७) केन्द्रीय समाज-सेवा-मण्डल (सेन्ट्रल सोशियल वेलफेयर बोर्ड), इत्यादि। इस अध्याय में केवल 'केशिसम' की आलोचना की जायेगी। अन्य परिषदों के विषय में अगले अध्यायों के यथायोग्य अंशों में लिखा जायगा।

केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय के कार्यों का प्रधान साधन 'केशिसम' है। इसकी स्थापना एन् १९२१ ई० में हुई थी। इसका संविधान इस प्रकार है :

- (१) भारत-सरकार के शिक्षा-मन्त्री (सभापति),
- (२) भारत-सरकार के शिक्षा-पगमरी-दाता (सदस्य),
- (३) भारत सरकार द्वारा मनोनीत पंद्रह सदस्य, जिनमें से पाँच सदस्य महिला हों,
- (४) सदन द्वारा निर्वाचित पाँच सदस्य — दो राज्य-सभा-द्वारा तथा तीन लोक-सभा-द्वारा,
- (५) अन्तर्विद्यालय-मण्डल (इण्टर युनिवर्सिटी बोर्ड) द्वारा निर्वाचित दो सदस्य,
- (६) अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा-परिषद् (आल इंडिया काउन्सिल ऑफ़ टेक्निकल एज्युकेशन) द्वारा मनोनीत दो सदस्य,
- (७) प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि, जो कि शिक्षा-मन्त्री हो। उसकी अनुपस्थिति में, उसका मनोनीत व्यक्ति किसी भी बैठक में भाग ले सकता है और
- (८) मण्डल का सचिव — (जिसे भारत सरकार नियुक्त करती है)।

भारत-सरकारी सदस्यों का कार्य-काल तीन वर्ष रहता है। मण्डल की बैठक प्रतिवर्ष एक बार होती है, जिसमें सम्पूर्ण देश से सम्बन्धित शिक्षा-विषयक प्रश्नों पर विचार

किया जाता है। मण्डल की कई स्थायी समितियों भी हैं, और समय समय पर मण्डल शिक्षा के विशिष्ट विषयों पर रिपोर्टें प्रकाशित करता रहता है। हर्ष की बात है कि आरम्भ से ही मण्डल का कार्य प्रगसनाय रहा है। मण्डल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं। कारण, शिक्षा एक राज्याय विषय है। राज्य सरकारें मण्डल की सिफारिशों को ठुकरा सकती हैं, बदल सकती हैं या अपना सकती हैं। इस कारण, मण्डल की चेष्टाएँ कभी-कभी व्यर्थ भी जाती हैं।

मण्डल से सलग शिक्षा-सूचना कार्यालय तथा एक सर्वाङ्गपूर्ण पुस्तकालय है। शिक्षा-सूचना-कार्यालय का काम है देश-विदेश के शिक्षा-विषयक समाचारों का संग्रह करना तथा शिक्षा-सम्बन्धी रिपोर्टें प्रकाशित करना। पुस्तकालय तो देश-विदेश के शिक्षा-साहित्य का भण्डार ही है।

यद्यपि शिक्षा के सम्बन्ध में भारत-सरकार राज्यों की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, तथापि उसका स्थान शिक्षा-क्षेत्र में महत्व-पूर्ण है। प्रथमतः, पूरे देश की शिक्षा-नीति में समानता लाने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर ही है। 'केशिसम' तथा राज्य के शिक्षा-मन्त्रियों की बैठकों में, पूरे देश के शिक्षा-विषयक प्रश्नों पर विचार-विनिमय हुआ करता है। शिक्षा के पंचोद प्रश्नों को सुलझाने के लिए भारत-सरकार समितियाँ तथा आयोग/नियुक्त करती है, रिपोर्टें प्रकाशित करती है तथा विचिय मामलों पर सोच-विचार करती है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार विशेषज्ञ तथा प्रकाशक का कार्य करती है। द्वितीयतः, यह अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क तथा समुक्त राष्ट्र सघीय शिक्षा, 'विज्ञान एवं सङ्कृति-संगठन' (यूनेस्को) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित करती है। इसके सिवा, केन्द्रीय सरकार का काम है इस देश के छात्रों को विदेश की शिक्षा-संस्थाओं में प्रविष्ट कराना तथा उनकी देख-भाल करना। इस कार्य के लिए भारत-सरकार के लंडन, वाशिंगटन, बान तथा नैरोबी में दफ्तर हैं। तृतीयतः, सघीय क्षेत्र की शिक्षा की जिम्मेवारी भारतीय सरकार पर है तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (दिल्ली, अलीगढ़, बनारस और विश्व-भारती) की देख-रेख इसे ही करनी पड़ती है। चतुर्थतः, भारत के अठारह पब्लिक स्कूल शिक्षा-मन्त्रालय के प्रशासन में हैं। पञ्चमतः, अनेक आखिल भारतीय शिक्षा-संस्थाएँ स्वयं भारत-सरकार-द्वारा सञ्चालित हैं, जैसे : दिल्ली सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ् एज्युकेशन, देहरादून सेन्ट्रल ब्रेल प्रेस, दिल्ली नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ् वेसिक एज्युकेशन, इत्यादि। षष्ठतः, केन्द्रीय सरकार अनेक शिक्षा-योजनाओं के लिए राज्यों तथा गैरसरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देती है, बरातें कि ये योजनाएँ केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त हों।

**वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मन्त्रालय.**—इस मन्त्रालय के सबसे प्रमुख व्यक्ति एक राज-मन्त्री है, जिनकी सहायता एक उप-मन्त्री करते हैं। इस मन्त्रालय की स्थापना हाल ही में हुई है। इस मन्त्रालय के मुख्य कार्य ये हैं : (१) वैज्ञानिक शोध तथा भूमीभाग, (२) सांस्कृतिक कार्यकलाप तथा (३) प्राविधिक शिक्षा। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा कानपुर में इस मन्त्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भूटैकनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जेओटोपिक सर्वे ऑफ इंडिया—इसीके प्रशासन में हैं। यह मन्त्रालय अनेक शिक्षा-मठों भी चलाता है, जैसे : दिल्ली पोलिटेकनिक, खड़गपुर-स्थित प्रौद्योगिकी संस्था, धानवाट-स्थित इंडियन स्कूल ऑफ मॉर्नस एण्ड एप्लाइड ज्योलोजी, इत्यादि। वैज्ञानिक तथा प्राविधिक गवेषणा के प्रोत्साहन के लिए, मन्त्रालय अनेक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता भी देता है। अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद मन्त्रालय को प्राविधिक शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श देता है।<sup>†</sup>

राज्य सरकार

यह पहले ही बताया जा चुका है कि, शिक्षा एक राष्ट्रीय विषय है। केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय शिक्षा-नीति में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। केवल दो विषयों की सञ्चन, केन्द्रीय सरकार की सम्पूर्ण जिम्मेवारी है। ये हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से विभिन्न उच्च शिक्षा निकायों के बीच समन्वय स्थापित करना और उच्चतर शिक्षा, शोध, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा का स्तर निर्धारित करना। ये उच्चतर तथा व्यवसायिक विषय पूरे देश से सम्बन्धित हैं, इसलिए हमारे विधान ने इनकी जिम्मेवारी राज्यों पर त्यागना हितकारी नहीं समझा। और यह ठीक भी है। इनके सिवा, राज्य-सरकारों पर एक और प्रतिबन्ध है। दिन-दिन योजनाओं के लिए, राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता लेती हैं, उन योजनाओं को चलाने के लिए उन्हें केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्रदर्शित पथ का अनुसरण करना पड़ता है। इन रूपावतों के सिवा, राज्यों को शिक्षा के सम्बन्ध में पूर्ण स्वायत्तता है।

राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति-द्वारा पाँच वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। उसके कार्य-संचालन में सहायता तथा परामर्श देने की दृष्टि में मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रि परिषद की व्यवस्था की गयी है। मन्त्रियों को अलग-अलग सामन्त-प्रभाग सौंप दिये जाते हैं, जिनकी जिम्मेवारी पूरे मन्त्रि-परिषद पर होती है। यह सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। शिक्षा मन्त्री के

† देखिए भाटर्षी अध्याय।



मातहत शिक्षा-विभाग रहता है। पूरे राज्य की शिक्षा-नीति का निर्देशन ये ही करते हैं। उनकी सहायता के लिए दो प्रधान अफसर रहते हैं : शिक्षा-सचिव तथा शिक्षा-संचालक (डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन)। सचिव शिक्षा-विभाग के सारे कागजात शिक्षा-मन्त्री के सामने पेश करते हैं तथा सरकार की ओर से हुकम निकालते हैं। बहुधा सचिव शासकीय अफसर ही होता है, और उसे शिक्षा-विभाग का अधिक अनुभव नहीं रहता है।

शिक्षा-विभाग का असली काम डाइरेक्टर चलाते हैं, जो सदा इस विभाग के एक अनुभवी व्यक्ति होते हैं। शिक्षा-सम्बन्धी पेचीदे प्रश्नों पर ये ही शिक्षा-मन्त्री को सलाह देते हैं। डाइरेक्टर की सहायता के लिए, सट्टर टफ़्तर में कई उपसंचालक (डिप्टी या असिस्टेण्ट डाइरेक्टर) रहते हैं। राज्य विभागों में बँट दिया जाता है, और विभाग जिलों में। प्रत्येक विभाग एक क्षेत्रीय डिप्टी डाइरेक्टर या सुपरिण्टेंडेण्ट अथवा इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के प्रशासन में रहता है; यह प्रबंध प्रत्येक राज्य की शासन-पद्धति पर निर्भर होता है। कई राज्यों में मध्यवर्ती शासक रखने की प्रथा उठा दी गयी है। इन राज्यों में डाइरेक्टर से पर्वती अफसर जिला शाला निरीक्षक (डिस्ट्रिक्ट एज्यूकेशन इन्स्पेक्टर) होता है। प्रत्येक राज्य तालुक़ या तहसीलों में बँट दिया जाता है जो कि एक डिप्टी इन्स्पेक्टर के मातहत रहता है। इन सब अफसरों के काम की निगरानी शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर करते हैं।

यों तो पूरे राज्य की शिक्षा की जिम्मेदारी शिक्षा-मन्त्री पर रहती है, पर कुछ विशेष शिक्षा-संस्थाएँ अन्य मंत्रियों के प्रशासन में रहती हैं, जैसे : कृषि-विद्यालय, टेकनीकी स्कूल तथा कालेज, समाज शिक्षा-केंद्र, आदि। हमें यह न सोचना चाहिए कि शिक्षा-विभाग अपना पूरा कार्य स्वयं चलाता है। उसे अन्य ध्यवस्थापकों की सहकारिता की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे : उच्च शिक्षा-विश्वविद्यालयों के जरिये, प्राथमिक शिक्षा-स्थानीय क्षेत्रों में मिलजुल कर, माध्यमिक शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा-मण्डलों के सहयोग से। हम पृथकीकरण नीति के कारण, कभी कभी शिक्षा को धरती पहुँचती है। शिक्षा प्रशासन के समग्र यह एक मुख्य-पूर्ण प्रश्न है।

#### स्वायत्त शासन

स्वायत्त शासन की नींव सन् १८६१ ई० में पड़ी। इस वर्ष कलकत्ता, मद्रास और बम्बई शहरों का शासन बनने के लिए प्रशासनिक निर्वाचित सभाओं की स्थापना हुई। इसके बाद सन् १८८२ ई० में लार्ड रिडिंग ने एक नियम बनवाया, जिसके अनुसार शहरों के शहरी, कस्बों और जिलों का प्रत्येक वर्ग के लिए नगरपालिका-नियमों का निर्धारण करने का अधिकार दे दिया। अर्थात् स्थानीय शिक्षा बोर्डों के लिए पर ही

सरकार के हैं : शहरी तथा ग्रामीण। बड़े बड़े नगरों के निकायों को 'निगम' और मध्यम तथा छोटे नगरों के निकायों को 'नगरपालिका समिति' कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की देख-भाल जिला-मण्डल अथवा तालुका-मण्डल (जनपद सभा) तथा ग्राम-पंचायतें करती हैं।

सरकार ने कई क़ायदे-क़ानूनों तथा प्रस्तावों द्वारा स्थानीय निकायों को शिक्षा-विषयक अनेक अधिकार दिये हैं। माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने स्पष्ट घोषणा की कि "शासन की ओर से जिल्लों, शहरों एवं क़स्बों का शासन उनके निवासियों को मिल जाय और वे उनका प्रबन्ध-सम्भाल बनाकर इच्छानुकूल कार्य करें।" इस विषय में बाहरी हस्तक्षेप धान्यनीय नहीं है। इस घोषणा का फल यह हुआ कि प्रान्तीय विधान सभाओं ने धीरे-धीरे स्थानीय निकायों की शक्तता बढ़ा दी। आज सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षा का शासन स्थानीय निकाय ही कर्त्ते हैं। वे स्वतः स्कूल खोलते हैं, गैरसरकारी स्कूलों को मज़ूर करते हैं तथा उन्हें ग्राण्ट देते हैं। शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए वे अपने स्कूल-बोर्ड स्थापित करते हैं तथा स्कूलों की देखरेख के लिए निरीक्षक नियुक्त करते हैं। प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए, वे अपनी योजनाएँ भी चला सकते हैं।

### शिक्षा-संस्थाओं का वर्गीकरण

भारत की शिक्षा-संस्थाएँ दो श्रेणियों में विभाजित की जा सकती हैं : (१) स्वीकृत तथा (२) अस्वीकृत। पहले वर्ग की संस्थाएँ किसी शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय या हाईस्कूल बोर्ड द्वारा प्रस्वीकृत होती हैं। इनके द्वारा अनुमोदित संस्थाओं को पाठ्य प्रश्न तथा पाठ्य-पुस्तकों का चयनना पड़ता है, और उन्हें अपने विद्यार्थियों को सरकारी या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में विठाने का हक़ रहता है। समय-समय पर इन संस्थाओं का निरीक्षण भी होता है। इस कारण, इन्हें सदैव चौकसा रहना पड़ता है। ऐसे स्कूल और कॉलेजों को छोड़कर दोय संस्थाएँ अस्वीकृत होती हैं। क़मुना ये देसी विद्यालय होते हैं, जिनमें मस्जिद, पारसी, मुग़ल, आयुर्वेद या यूनानी चिकित्सा का ज्ञान शिक्षा जाता है। इनारे देस में कुछ ऐसे स्कूल भी खुल गये हैं, जो परीक्षाओं में अस्वीकृत छात्रों को फिर से परीक्षाओं में प्रवेश्य विठाने के लिए तैयार करते हैं। परमेश्वर देस को देसी अनपेकारी संस्थाओं में बचावें।

स्वीकृत संस्थाएँ भी दो प्रकार की हैं—सरकारी तथा स्वसंचालित। पहले वर्ग की संस्थाएँ राष्ट्रीय या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित होती हैं। स्वसंचालित संस्थाओं को या तो कोई व्यक्ति अथवा ही चलाता है या कोई शिक्षा-संस्थान चलाता है। इन

संस्थाओं को भी इन दो भागों में बाँट सकते हैं : (१) महापता प्राप्त अर्थात् स्थित सकार या और स्थानीय निवासों में प्राप्त मिलती है, और (२) स्थाभित, जिन्हें अनुदान प्राप्त नहीं होता। ऐसी संस्थाओं को अविश्वसनीय, चन्द्रा-या-दान पर ही निर्भर रहना पड़ता है।

१९५५-५६ में स्वीकृत संस्थाओं की संख्या ३,६६,६४१ थी : राजकीय ८७,६०१, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड १,४२,९८०, म्युनिसिपल बोर्ड १०,४९७, स्वसंचालित १,१४,२०४ (महापता-प्राप्त) और ११,३५९ (स्थाभित)। इसी वर्ष सम्पूर्ण देश में ४,८०६ अस्वीकृत संस्थाएँ थीं। †


## शिक्षा की सीढी

शिक्षा की पहली सीढी पर पूर्व-प्राथमिक स्कूल हैं, जहाँ ३ से ६ वर्ष की आयु के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे स्कूलों की संख्या देश में बहुत ही कम है। इनके बाद प्राथमिक स्कूलों और अवर बुनियादी स्कूलों का नम्बर आता है, जहाँ ६ से ११ वर्ष की आयु के बच्चे पढ़ते हैं। इनके बाद के माध्यमिक स्कूल दो प्रकार के होते हैं— (१) मिडिल-अवर हाई स्कूल या अवर बुनियादी स्कूल, जिनमें ११ से १४ वर्ष तक की आयु के बच्चे विद्याध्ययन करते हैं और (२) हाईस्कूल, जिनमें ११ से १६ वर्ष की आयु के बच्चे शिक्षा पाते हैं। परन्तु कई राज्यों में उच्चतर माध्यमिक स्कूल भी हैं, जहाँ ११ से १७ या १८ वर्ष की आयु के बालक शिक्षा पाते हैं।

हाईस्कूल के बाद इण्टरमीडिएट कालेजों या डिग्री कालेजों की इण्टरमीडिएट कक्षाओं का नम्बर आता है। यहाँ दो वर्ष शिक्षा मिलती है। इण्टरमीडिएट परीक्षा में सफलभूत होने के बाद विद्यार्थी को दो वर्ष का समय प्रथम डिग्री पाने के लिए लगता है। जो विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक स्कूल से उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें इण्टरमीडिएट नहीं पढ़नी पड़ती है। वे सीधे तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्य क्रम में भरती होते हैं।

स्नातक होने के बाद, विद्यार्थी को उत्तर-स्नातक डिग्री प्राप्त करने के लिए दो वर्ष लगते हैं। आजकल विश्वविद्यालयों, अनुसन्धान-संस्थाओं तथा कई कालेजों में का विशेष बन्दोबस्त है। यहाँ विद्यार्थीगण उत्तर-स्नातक स्तर के अनुसन्धान कार्यों में दिलचस्पी ले सकते हैं।

उमर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



शिक्षा-सीढ़ी

व्यवसाय-सम्बन्धी शिक्षा नाना प्रकार की होती है, जैसे : अर्थ-वाणिज्य, कृषि, शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, विधि (कानून), चिकित्सा, वन-विद्या, नृत्य, चित्रकला, आदि। कालेजों में तो विद्यार्थी इण्टरमीडिएट या पूर्व-व्यावसायिक (प्री-प्रफेशनल) परीक्षा उत्तीर्ण होकर ही प्रविष्ट होते हैं, पर स्कूल तथा पालीटेक्नीक में प्रवेश पाने के लिए मैट्रिक सर्टीफिकेट यथेष्ट होता है। अशक्त एवं अन्य विकलाङ्ग बच्चों के लिए विशेष स्कूल हैं। इसी प्रकार प्रौढ़ों के लिए भी अलग स्कूल हैं।

यह तो हुआ हमारे देश की शिक्षा-पद्धति का साधारण विवरण। आजकल पद्धति में बहुत कुछ फेरफार हो रहे हैं। इनके सिवा प्रत्येक राज्य की कुछ-न-कुछ अपनी शैक्षणिक विशिष्टताएँ हैं, जिसे समूचे देश की शिक्षा-पद्धति एक समान नहीं है।

### शिक्षा-व्यय

शिक्षा-व्यय दो प्रकार का होता है—प्रत्यक्ष (डाइरेक्ट) और परोक्ष (इन्-डाइरेक्ट)। प्रत्यक्ष व्यय में जो व्यय शामिल है, वे ये हैं : अध्यापकों, कर्मचारियों आदि के वेतन, भत्ते, पेंशन, अंश-दान, मात्र-सामान और उपयोग में आनेवाली यन्त्रों, लिखन सामग्री, इमारतों की मरम्मत, क्रिया, परीक्षाओं आदि का आरम्भ प्रणालि। परोक्ष व्यय में वे व्यय शामिल हैं : छात्रावास और छात्र-शुक्तियों का व्यय, इमारतों और मात्र-सामान का व्यय, निर्देशन एवं निरीक्षण का व्यय और इस प्रकार के विविध व्यय जो किसी एक संस्था या एक प्रकार की संस्थाओं में नहीं बाँटे जा सकते।

गिठने कुछ वर्षों में शिक्षा-व्यय बढ़ गया है, और उतनेतर बढ़ता ही जा रहा है। ३१ मार्च, १९४८ को पूरे देश का कुल शिक्षा-व्यय केवल ५५.१ करोड़ रुपये था। पर व्यय १९५६ ई० में १८९.८ करोड़ रुपये हुआ। अर्थात् शिक्षा व्यय तीन गुने में अधिक बढ़ गया है। इतना होने हुए भी इस व्यय में पूरे देश की शिक्षा की आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो सकती हैं। एक सरकारी रिपोर्ट का कहना है :

शिक्षा व्यय में दर वृद्धि अत्यन्त गम्भीर है; पर पूरे देश की शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ४०० करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इस व्यय में दर भी पता चलता है कि हमें अभी शिक्षा काम करना है।\*

## तीसरा अध्याय

### बुनियादी शिक्षा

#### प्रस्तावना

आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास में सबसे उल्लेखनीय घटना है 'बुनियादी शिक्षा'। इसने इस देश के शिक्षा-क्षेत्र में एक नवीन धारा प्रवाहित कर दी। भारत को श्रेष्ठ राष्ट्र की यह अन्तिम, किन्तु सबसे बहुमूल्य देन है। उन्होंने अनुभव किया कि देश में एक नूतन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन की सृष्टि की आवश्यकता है और यह उपयुक्त शिक्षा-पद्धति के द्वारा ही सम्भव है। गान्धीजी ने तो देश का कोना-कोना छान डाला था, और उन्हें जन-समुदाय की स्थिति का रत्ती-रत्ती पता था। उन्होंने अनुभव किया था कि भारतीय जनता को न तो भरपेट भोजन ही नसीब होता और न तन भर कपड़ा ही प्राप्त होता है।

इस आर्थिक दरिद्रता से भी हीनतर थी आत्मिक दरिद्रता। देश में सदियों परवराता का शोचबाला था। यहाँ के अधिवासी तन, मन, विचार, आचार, रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा आदि के दासत्व के कुचक्र में इस बुरी तरह फँस रहे थे। उससे उन्हें मुक्ति पाना दुष्कर-सा हो रहा था। अधिक क्या, लोग इस मायामय गुलामी पर मोहित-से हुए उसे अविकाशिक आत्ममात् करते जा रहे थे। पूज्य गान्धीजी के ध्यान में यह बात विशेष रूप से खटकी। देश के शिक्षित वर्ग की आकांक्षा तथा गति-विधि को देखते हुए उनके हृदय में वर्तमान शिक्षा के प्रति एक विनृष्णा उत्पन्न हुई। जिस जमीन का अन्न-पानी इस वर्ग के शरीर में भिटा था उस वातावरण में अनुकूल उसे शिक्षा नहीं मिली थी, जिससे उसे अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति प्रीति प्रकट हो पायी थी। उसके हाव-भाव से पार्श्वगत्य धूँ आ गयी थी, वह परिश्रम से दूर भागता था और जनता से अपने को कोसों दूर रखना चाहता था। इस कारण समाज के दो टुकड़े हो गये थे। एक ओर इन्ने-गिने बुद्धिजीवी थे और दूसरी ओर करोड़ों अमज्जीवी। दोनों के बीच भेद की गहरी खाई खुद गयी थी। बुद्धिजीवी भ्रम से पहराते थे, अ


यस प्रकार बेटे में। इन-लीव, लीज वहा, मारिब नीर और हुन-गार के विचार में मन्त्री इस पूरी तरह पलाइ गया था कि पुस्तकों का कोई संग्रह ही नष्ट नहीं आ रहा था।

नयी शालिका का क्या भवे मन्त्र और नवीन शालिका कल्या के विचार में हुआ था। इस शालिका में शालीकी में शिक्षा के अनेक आदर्शों का संग्रहण करना पारा था। ये इस शिक्षा के द्वारा अपनी मानु-भूमि में सामाजिक शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे: ऐसी शिक्षा, जो पुनर्जीव न हो, मन्त्र मनिराज्ञा तथा सुबनानक काये पर निर्भर हो, जो भारतीय सभ्यता के पाये पर नहीं हो, जिसमें शारीरिक परिश्रम के लिए संघट्ट स्थान हो, जो शरीर शरीर का भेद निरासे और जो दूर देशों के एक-दूसरे में विरोध हो। शालीकी के मानने एक और प्रथम था—अर्थ। साम्य, शिक्षा-विचार के लिए पराम्य प्रत्य अपेक्षित होना है। पर इतनी शरीर एवं पराधीन मानु-भूमि के लिए इस तरह काये के निमित्त इतना अधिक धन सहाय करना सम्भव न था। इसीलिए शालीकी एक ऐसी शिक्षा की कल्पना में ये जो अपनी अवसर हो, पर शालीकी न हो।

शालीकी अपनी नवीन शिक्षा विवरण कल्पना में द्रुत दिनों से निमग्न थे। उनकी शिक्षा का आरम्भ दक्षिण आफ्रिका के किनिस्म कायेनी में अपने परिवार में ही और टाटम्यार पार्स में हुआ। दक्षिण आफ्रिका में मानव की आत्मा एवं मानवता का जो निम्न अवमान हो रहा था, और आज भी हो रहा है, उसके विरुद्ध शालीकी ने जो अहिंसात्मक आन्दोलन चलाया, यही उनकी शिक्षा के कार्यक्रम का माध्यम रहा। इस माध्यम का प्रथम विकास दक्षिण आफ्रिका में करके चापूजी भारत में आये, और यहाँ मासमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सन् १९१७ ई० के चम्पारण सत्याग्रह से लेकर उनकी जन-शिक्षा का कार्यक्रम का प्रारम्भ हुआ। यह भारत जैसे एक विराट राष्ट्र की समग्र जनता के लिए अहिंसा पर आधारित व्यक्तिगत व सामूहिक जीवन की तैयारी थी। आगे जाकर उन्होंने अपनी इस नयी शिक्षा का नाम 'बुनियादी शिक्षा' या 'नयी तालीम' दिया। जुलाई, १९३७ के 'हरिजन' के अंशों में शालीकी ने राष्ट्र के सामने बुनियादी तालीम की मूल कल्पना रखी। †

प्रारम्भिक कार्य

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन, वर्षा.—२२ और २३ अक्टूबर, १९३७ को वर्षा के मारवाडी हाईस्कूल (वर्तमान नवभारत विद्यालय) की



रजत-जयन्ती के अवसर पर, गान्धीजी के सभापतित्व में इस देश के शिक्षा-शास्त्रियों का एक सम्मेलन आमन्त्रित हुआ। इसमें गान्धीजी ने अपनी नवीन शिक्षा-योजना उपस्थित करते हुए कहा कि वर्तमान शिक्षा न तो किसी प्रकार की जीवन-वृत्ति के लिए मार्ग प्रदर्शित करती है और न उसमें किसी प्रकार के उत्पादनशील कार्य की क्षमता ही है। उक्त सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुए :

१. इस सम्मेलन की राय में, देश के सब बच्चों के लिए सात वर्ष की मुफ्त और लाजिमी तालीम होना चाहिए।

२. तालीम का जरिया मातृ-भाषा होना चाहिए।

३. यह सम्मेलन महात्मा गान्धी की इस तजवीज की तार्किकता करता है कि तमाम मुद्दत में शिक्षा का मध्य बिन्दु किसी किसम की दस्तकारी होना चाहिए, जिससे कुछ मुनाफा हो सके और बच्चों में जो कुछ अच्छे गुण पैदा करने हैं और उनको जो शिक्षा-दीक्षा देनी है वह जहाँ तक हो सके किसी केन्द्रीय दस्तकारी से सम्बन्ध रखती हो और जिस दस्तकारी का चुनाव बच्चों के माहोल का लिहाज रखकर किया जाय।

४. सम्मेलन आशा करता है कि इस तरीके से धीरे-धीरे अध्यापकों की तनखाह का खर्च निकल आवेगा। †

**नयी तालीम की अर्हिसक योजना.**—सम्मेलन ने फिर दिल्ली के जमिया मिलिया के प्राचार्य डाक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक कमिटी मुकर्रर की। उस समिति की रिपोर्ट २ दिसम्बर, १९३७ में निकली। १९३८ की हरिपुरा कांग्रेस ने इस रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजूर किया और यहाँ के पास सेवामाम में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ स्थापित किया। इस संघ का उद्घाटन करते हुए गान्धीजी ने कहा :

यह योजना पूरी तरह से भारतीय योजना है। इसके आदर्श का जन्म संगीव में हुआ है। असली हिन्दुस्तान तो सात लाख गाँवों में बसता है, जो संगीव से भी बहुत हीन दशा में हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन गाँवों में निरक्षरता दूर भगा दें, तथा मत्प और अर्हिसा के द्वारा स्वयंसेवा प्राप्त करने का सन्देश गाँवों में पहुँचावें। यह जिम्मेवारी आपके





धुनाई और कलाई का साधारण ज्ञान । (३) मातृ-भाषा । (४) गणित । (५) समाज-शास्त्र (इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र का समन्वय) । (६) साधारण विज्ञान । (७) संगीत और चित्रकला । (८) हिन्दुस्तानी ( ऊर्दू और देवनागरी लिपि-द्वारा) ।

**योजना की प्रगति.**—झाकि हुसैन रिपोर्ट के निकलते ही कांग्रेस प्रदेशों अर्थात् असम, कर्नाट, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा संयुक्त प्रदेश में बुनियादी शिक्षा का प्रचार जोंग में आरम्भ हुआ । स्कूल स्थापित हुए, शिक्षकों तथा शासकीय अफसरों के लिए प्रशिक्षण और पुनर्तजीवन केन्द्र खोले गये तथा बुनियादी शिक्षा की समितियाँ स्थापित हुईं । गश्ति रात्रों में कश्मीर में अच्छा काम किया । कुछ शिक्षा-प्रतिष्ठानों ने अपनी निजी बुनियादी शालाएँ चलायीं । इनमें उद्देख्ययोग्य हैं - दिल्ली जामिया मिलिया, गुजरात विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ, आन्ध्र ज्ञातीय कल्याणाला, इत्यादि । पर द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ होते ही, योजना में सिध्दिलता आ गयी । तो भी देश की आजादी के साथ-साथ बुनियादी शिक्षा में फिर से तेजी आ गयी ।

**नयी तालीम पर नये विचार.**—हम अर्वाक्ष में गान्धीजी ने नयी तालीम को एक नया रूप दिया । १९४२ में जेल से मुक्त होने के बाद, उन्होंने धारणा की :

बन्दी अवस्था में नयी तालीम की आवश्यकता पर सोचते-सोचते मैंने दिल अस्थिर हो पड़ा । योजना की कामगारी देखकर हमें चुन नहीं रहना चाहिए । हमें आगे बढ़ना है । हमें बच्चों के घर सुधारने पड़ेगे, हमें उनके मौ-आप को शिक्षा देनी होगी । बुनियादी शिक्षा का ध्येय होना चाहिए—आजीवन शिक्षा ।

हम धारणा के साथ आरम्भ हुई नयी तालीम की दूसरी मंडाल । बुनियादी शिक्षा का सम्बन्ध अब बच्चों की तालीम में मर्यादित न रहा । इस शिक्षा का दृष्ट बढाना पड़ा, ताकि हम दृष्ट में हर उम्र का हर व्यक्ति शामिल हो सके । बदलती १९४५ को, संसदीय में राष्ट्रीय कार्य-सूचीओं की एक बैठक हुई । इस धा बुनियादी शिक्षा का मिहादलोकन तथा भरिष्य के लिए एक प्रोग्राम स्वीकृत । अन्तर्गत भारत देते हुए गान्धीजी ने कहा :

हमारी शिमेवारी साथ से बीसह वर्ष के बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ समाप्त नहीं होगी । नयी तालीम के कार्य क्षेत्र के विस्तार की बहुत आवश्यकता है । यह शिक्षा मानव जीवन में सम्पूर्णता से आरम्भ होगी और मृत्यु तक चलती रहती है ।

गान्धीजी के नवीन निर्देशानुसार बुनियादी शिक्षा को आजीवन शिक्षा बनाने की ओर सम्मेलन ने ध्यान दिया। सम्मेलन ने चार समितियाँ गठित की और प्रत्येक को जीवन के एक-एक प्रक्रम के अनुकूल सुप्रयोज्य शिक्षा-योजना निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी। इन शिक्षा-प्रक्रमों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं : (१) प्रौढ़ शिक्षा, (२) पूर्व बुनियादी अर्थात् सात से कम आयु वाले बच्चों की शिक्षा, (३) बुनियादी अर्थात् सात से चौदह वर्ष वाले बच्चों की शिक्षा और (४) उत्तर बुनियादी शिक्षा, अर्थात् उन विद्यार्थियों की शिक्षा, जिन्होंने बुनियादी शिक्षा समाप्त कर ली हो।

३० जनवरी, १९४८ को गान्धीजी हम सबको रोता हुआ छोड़ इस संसार से सदा के लिए विदा हुए। उनकी मृत्यु के पश्चात् नयी तालीम के कार्यकर्त्ताओं ने यह शपथ ली कि जब तक हमारे टम में दम है तब तक हम नयी तालीम की यात्रा को जारी रखेंगे, तथा अपने जीवन और काम में नीचे लिखे उद्देश्यों को साधने रत्नकर मञ्जिल की ओर बढ़ते रहेंगे :

१. तालीम में सत्य और अहिंसा की रूढ़ि फूँकना।
२. तालीम को हाथ के काम से, कुदरती वातावरण से, और समाजी जिन्दगी से जोड़ना।
३. तालीम के द्वारा सच्ची देश-भक्ति और इन्सानी हमदर्दी सिलाना तथा साम्प्रदायिकता को मिटाना।
४. बचपन से बुढ़ापे तक की उम्र की हर सीढ़ी के लिए नयी तालीम का उचित प्रबन्ध करना।
५. बच्चों और सयानों को ऐसे समाज के लिए तैयार करना, जिसमें मुसाबिले की जगह सहयोग हो, लूट की जगह इन्साफ हो, आज़ादी हो जिम्मेदारी के साथ, और आर्थिक उन्नति हो नैतिक उन्नति के साथ।

### नयी तालीम के प्रक्रम

अब तनिक नयी तालीम के भिन्न-भिन्न प्रक्रमों पर विचार किया जाय।

१. शिक्षा.—नयी तालीम की पूर्ण कामगारी के लिए आवश्यक है कि पर-  
 २. सत्य प्रौढ़ समाज में होनी चाहिए। इसलिए नयी तालीम का प्रथम

प्रक्रम है 'प्रौढ़शिक्षा'—अर्थात् समूचे समाज की तालीम और साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी शिक्षा, जिससे कि सब लोग एक मुग्री, स्वास्थ्यकर, स्वच्छ तथा स्वावलम्बी जीवन बिता सकें।

**पूर्व-बुनियादी—**(७ से कम आयुवाले बच्चों की शिक्षा)—ज्योंही बच्चा स्वतः अपने घर में स्कूल पैदल जाने लगता है, त्योही शिक्षा-प्रक्रिया गृह से शाला की ओर प्रसारित होती है। पूर्व-बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य बच्चों का पूर्णतया शारीरिक एवं मानसिक विकास करना है। यह तभी सम्भव है जब कि शिक्षक, माता-पिता तथा समाज मिल-जुल कर बच्चों की शिक्षा में हाथ बँटावें तथा घर, स्कूल एवं गाँव एक सूत्र में गुँथ जायें। †

**बुनियादी शिक्षा—**(सात से चौदह वर्ष वाले बालक-बालिकाओं के लिए)—इस शिक्षा की हमारा प्रौढ़ शिक्षा तथा पूर्व-बुनियादी शिक्षा की नींव पर गढ़ी होती है। जाकिर हुसैन रिपोर्ट का पूर्व पाठ्यक्रम दुबारा संशोधित किया गया है। योजना निम्न लिखित कार्य-कलापों से सम्बन्ध रखती है :

१. आवश्यक ज्ञान, अभ्यास, भाव तथा बौद्धिक — जो स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद जीवन (संस्तिगत तथा सामाजिक) के लिए आवश्यक हो।

२. नागरिक शिक्षा (व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक)—गृह, स्कूल, ग्राम, स्वदेश तथा विश्व के ज्ञान के द्वारा। यह ज्ञान इतिहास, भूगोल, नागरिक शासन, सरल समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र-द्वारा दिया जाय।

३. स्वावलम्बी होने की क्षति—अन्न-पख तथा आभय-प्राप्ति के लिए।

४. केन्द्रीय दस्तकारी—इनमें से कोई भी एक हस्तकार्य हो : कृषि और बागवानी, कपार और बुनार, बट्टरनिरी, घर निर्माण और सम्मन का काम, या अन्य कोई दस्तकारी जो शिक्षा प्रद हो और जिसके लिए स्थानिक साधन उपलब्ध हो।

५. साधारण विज्ञान और कृति।

हाल ही में बुनियादी शिक्षा की अल्पमान निर्धारण समिति (एनेम्बेस्ट कमिटी) ने सिफारिश की है कि जो विद्यार्थी हार्दस्कूल या अन्य उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वे अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय की भाँति छोटी कक्षा से ले सकते हैं। इस प्रकार अंग्रेजी श्रेणी की बुनियादी विद्यालयों में हिन्दी एक अतिरिक्त विषय का दिया जाय।

**उत्तर बुनियादी शिक्षा (फरवरी से अक्टूबर वर्षगांठे विद्यार्थियों के लिए)—**  
 हिन्दुस्तानी तारकीनी मध्य की उत्तर बुनियादी समिति के निर्णय के अनुसार इस शिक्षा के  
 ये उद्देश्य हैं : (१) इस शिक्षा की नींव भी बुनियादी शिक्षा की नाई किसी दस्तावेज  
 पर आधारित या केन्द्रित होना चाहिए। (२) पाठ्यक्रम अपने आप में पूर्ण हो  
 (३) पाठ्यक्रम में विविध प्रकार के विषयों का समावेश रहे, ताकि विद्यार्थियों की  
 योग्यता के अनुसार विषयों का चयन हो सके। (४) शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय  
 भाषा हो। (५) पूर्ण शिक्षा की अवधि, पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार  
 कुछ और अवसर हो, पर तीन से पांच वर्ष के भीतर ही ही हो। (६) पाठ्यक्रम  
 ऐसा हो कि अल्पसंख्यक में प्रवेश विद्यार्थी अपना स्वयं भाषा बसा सके।।

समिति ने शीघ्र प्रकार के कार्य प्रस्तावित किये हैं, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी  
 भाषा के अनुसार कार्य का चयन कर सके। ये कार्य ये हैं : कृषि, विज्ञान,  
 इतिहास, स्वास्थ्य, वाणिज्य, हस्तकला, विद्युत, शिक्षा, परिवार कला,  
 खेल, पर्यावरण, पर विज्ञान, धातु विज्ञान और उद्योग।।

उत्तम दुनियादी वा विश्वविद्यालयीय शिक्षा:—१९४९ में डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट निकली। इस रिपोर्ट में प्राचीन विश्वविद्यालय की पुरानी विचार रूप में की गयी है। दुनियादी शिक्षा-सम्मेलन के मातृ-अधिदेशन के समय विश्वविद्यालय (उत्तम दुनियादी) शिक्षा की आलोचना की गयी थी। मेवाप्राम में एक विश्वविद्यालय स्थापित करना निश्चित हुआ। एक समिति ने उत्तम दुनियादी शिक्षा का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम तैयार किया। समिति ने अध्ययन के लिए सात कार्य-काल ठीक किये: कृषि तथा उद्यान विद्या, पशु-पालन तथा दुग्ध-उद्योग, प्राचीन इन्जीनियरिंग, साम-उद्योग, साम्य-शास्त्र तथा आहार, प्राचीन ऐकनोमिजी और साम्य शिक्षा।

नवम्बर, १९५२ में विश्वविद्यालय का कार्य आरम्भ हुआ और अठारह विद्यार्थी उसमें प्रविष्ट हुए। अधिक छात्रों ने कृषि या पशु-पालन की चुना और कुछ ने इन्जीनियरिंग या शास्त्र। इतने में सन् विनोबा की पुकार आयी। ये विद्यार्थी मेवाप्राम छोड़कर, विनोबाजी के भूदान-यत्र में सम्मिलित हुए। यथाथ में विनोबाजी की भूदान यात्रा एक परिणामकारी साम्य-विश्वविद्यालय है। प्रतिदिन नये नये छात्रों में इस उद्योग-विद्यालय का अध्ययन चलता है, और विद्यार्थियों को नयी-नयी कार्य-काल का साक्षात्कार होता है।

### नयी-नयी और भूदान

आज भारत में विनोबाजी ने एक नयी-नयी कार्य-काल की है। हमारे लिए आशा और उम्मीद की बात यह है कि भारत की जनता विनोबाजी की बात सुन रही है और उसका अर्थ भी देख रही है। अभी तक यह कार्य-काल शुरू और लंबे समय से बरिब छात्रों का दान प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ यह है कि नयी-नयी कार्य-काल का अर्थ-भाग देना में, प्रारम्भ हो रही है। नयी-नयी कार्य-काल को देख लेना ही यह है।

उत्तम दुनियादी के कार्य-काल के लिए हमें यह देखना ही चाहिए कि जो यह कार्य-काल आरम्भ है, वह नयी-नयी कार्य-काल है। अतः १९५३-५४ के लिए, १९५७ की बैठक में विश्वविद्यालय के कार्य-काल में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

दुनियादी शिक्षा के कार्य-काल में आगे की प्रस्ताव का अर्थ-भाग यह है कि जो कार्य-काल आरम्भ है, वह नयी-नयी कार्य-काल है। अतः १९५३-५४ के लिए, १९५७ की बैठक में विश्वविद्यालय के कार्य-काल में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

ग्राम-दान आन्दोलन आगे बढ़ता हुआ अब शान्ति-सेना के कार्यक्रम तक आ पहुँचा है। शान्ति-सेना की कल्पना भारत के लिए कोई नयी बात नहीं है। आज से बीस वर्ष पूर्व गांधीजी ने शान्ति सेना की योजना राष्ट्र और विश्व के सामने उपस्थित की थी, लेकिन उग समय उसकी कल्पना के अनुगार काम करने का नैतिक बल इस देश में जागृत न था। अब सन्त विनोबाजी ने भूदान-यज्ञ के द्वारा सम्पूर्ण देश में एक नवीन जीवन फूँक दिया है। ग्राम-दान में मिले हुए गाँवों में ग्राम-स्वराज्य की स्थापना नयी तालीम का एक नया पथ है। विनोबाजी ने ग्राम-शिक्षा और ग्राम-रक्षा—इन दोनों—को जोड़कर राष्ट्र के समक्ष नयी तालीम का जो समग्र कार्यक्रम रखा है उसके विषय में शिक्षक-समाज को गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिए। सच्चा शिक्षक वही है जो प्रत्येक व्यक्ति में आत्म-निर्भरता का और समाज की प्रवृत्तियों में अनुशासन-युक्त सहयोग की भावना का विकास करे तथा जो सदा सेवा एवं मित्र होवे।

गांधीजी के मन में शान्ति-सेना की जो कल्पना थी, विनोबाजी ने उसकी ओर राष्ट्र का ध्यान पुनः आकर्षित किया है। शान्ति-सैनिक का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है :

शान्ति सेना का सैनिक नित्य जन-सेवा करेगा, और नैतिक तौर पर शान्ति-कार्य करेगा। ऐसे निष्काम, निस्स्वार्थ, निष्पक्ष एवं निरपेक्ष सेवकों की सेना खड़ी होनी चाहिए।

राष्ट्र के शिक्षक ही इस शान्ति-सेना के सैनिक बन सकते हैं। नयी तालीम का ध्येय है : जब कि साग संसार भयभीत है तब शिक्षकगण स्वेच्छा से शान्ति-सेना के स्वयंसेवक (सैनिक) बनकर विश्व में शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न करें।

नयी तालीम और सरकार

**खेर समितियाँ.**—बाकिर हुसैन रिपोर्ट की जॉब-पड़ताल के लिए 'केसशिम्' ने बम्बई के मुख्य तथा शिक्षा मन्त्री श्री खेर की अध्यक्षता में दो बार समितियाँ नियुक्त कीं। प्रथम समिति ने अपनी रिपोर्ट १९३८ में तथा दूसरी ने अपनी रिपोर्ट सन् १९४० में दी। प्रथम रिपोर्ट में निम्नलिखित मुख्य बातें थीं :

१. बुनियादी शिक्षा का आरम्भ पहले गाँवों में किया जाय। ✓
२. अनिवार्य शिक्षा की आयु ६ से १४ वर्ष रखी जाय। ✓
३. विद्यार्थियों को बुनियादी स्कूलों से अन्य स्कूलों में जाने की

४. मासिक विषयों के वे अंश स्वतन्त्र रूप से निलीये जावे, जिनके फेन्डींग दस्तावेजों द्वारा न सिराये जा सके।
५. बुनियादी शिक्षा के अन्त में किसी बाह्य परीक्षा की जम्मत न हो। आन्तरिक परीक्षा के आधार पर एक प्रमाण-पत्र दे दिया जाय।

द्वितीय समिति ने निम्न-लिखित रिपोर्ट दी :

१. बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम आठवर्षीय अर्थात् ६ से १२ वर्ष तक के बच्चों के लिए रखा जावे, पर पाठ्यक्रम की उकता को ध्यान रखते हुए इस अवधि को दो हिस्सों में बाँट दिया जाय. (१) अर्ध-वर्ष (बुनियादी), जो ६ से ११ वर्ष के बच्चों के लिए हो और (२) प्रथम (सीनियर) बुनियादी, जो ११ से १४ वर्ष के बच्चों के लिए हो।

२. अर्ध शिक्षा के समाप्त होने पर ही, विद्यार्थी अन्य उच्चतर शिक्षा के माध्यमों में प्रवेश के लिए जाने पावें।

**सारजेण्ट योजना (मार्च १९४४)**—'केमरिशम' ने रंग समितियों के अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इसी समय अध्यापक मन्त्रालय ने 'केमरिशम' ने अपनी 'सुदृढीकरण शिक्षा-पुनर्निर्माण योजना' प्रकाशित की। इस योजना का सार नाम 'सारजेण्ट योजना' है, क्योंकि सर जॉन सारजेण्ट ने, जो कि उस समय भारत सरकार के शिक्षा-सलाहकार थे, इस योजना के तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। इस योजना ने रंग समितियों की रिपोर्टों पर पूर्णतः विचार किया और घोषित किया कि इस देश की राष्ट्रीय शिक्षा नयी तार्कीक होनी चाहिये। यह शिक्षा आठ वर्ष की अवधि की हो; पर रंग समिति की सिफारिशों के अनुसार दो भागों में हो—अर्ध और प्रथम। पर नयी तार्कीक के 'विद्या के द्वारा ज्ञान' के सिद्धान्त के पूर्ण समर्थन करने हुए रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया :

उसकी सम्मति में विशेषतः प्राथमिक चरण में शिक्षा देने की स्थापना न हो ही सकती है और न होनी चाहिये। विद्यार्थियों के उत्साहन में, अध्यापकों के अधिक, दस्तावेजों के सामान ही परीक्षा जा सकते हैं।

**हाल की समितियाँ**—'केमरिशम' के सुझावों के अधिष्ठान की सिफारिशों के कारण, एक केन्द्रीय बुनियादी समिति स्थापित हुई है। इस समिति का मुख्य कार्य



केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को बुनियादी शिक्षा के लिए सलाह देना। सन् १९५५ में केन्द्रीय सरकार ने अनुमान-निर्धारण समिति (एसेसमेण्ट कमिटी) मुकम्मल की। इसे निर्देश दिया गया कि वह चुने हुए स्थानों में स्वतः जाकर बुनियादी शिक्षा की जाँच करे। समिति ने सिफारिश की है :

१. प्रत्येक राज्य में विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत उत्तर-स्नातक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित किये जावें।

२. बुनियादी शिक्षा पर गयेपणा करने के लिए, एक केन्द्रीय अन्वेषण संस्था की आवश्यकता है।

३. ग्राम-पुनर्गठन से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी और गैरसरकारी समितियों शिक्षा-विभाग से मिलकर बुनियादी शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य करें।

४. प्रत्येक राज्य-सरकार अपनी शिक्षा-नीति स्पष्ट घोषित करें कि थोड़े ही अरसे में राज्य के सब प्राथमिक स्कूल तथा प्रशिक्षण विद्यालय बुनियादी रूप में बदल दी जावें।

५. उच्च विद्यालयों में भरती होने के समय बुनियादी तथा माध्यमिक स्कूलों के समान वर्गों को एक-सी मान्यता दी जावे।

६. दस्तकारी सिखाने के लिए, बुनियादी स्कूलों में पुराने कुशल अशिक्षित कारीगर नियुक्त किये जावें, जो बुनियादी शिक्षकों से मिलकर काम करें।

**वर्तमान स्थिति**—आज हमारे देशमें नयी तालीम का जो भी काम चल रहा है, वह अधिकतर सरकार के शिक्षा-विभाग की ओर से या सरकारी मान्यता और आर्थिक सहायता के बल पर चल रहा है। केन्द्रीय तथा राज्यीय सरकारों ने स्वीकार कर लिया है कि पूरे देशमें ६ से १४ वर्षवाले बच्चों की शिक्षा बुनियादी होगी। देश में बुनियादी स्कूल खुलते जा रहे हैं, पुरानी प्राथमिक शाळाओं को बुनियादी रूप दिया जा रहा है, प्रशिक्षण स्कूलों के विद्यार्थी-शिक्षकगण इस नयी शिक्षा में प्रशिक्षित किये जा रहे हैं तथा नयी तालीम के साहित्य की उन्नति होती जा रही है। इतना होते-हुए भी बुनियादी शिक्षा की प्रगति आशाानुकूल नहीं हो रही है।

इसी पक्ष के साथ राष्ट्रीय सांस्कृतिक तथा जनन शिक्षा का पक्ष लना हुआ है।

साध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में नहीं। फल-स्वरूप उत्तर बुनियादी शिक्षा एक टिमटिमाते हुए दीप के समान है। पूरे देश में सिर्फ २६ उत्तर बुनियादी विद्यालय हैं (१९५६-५७)।† हाल में ही केन्द्रीय सरकार ने ग्यारह ग्राम-प्रतिष्ठान स्थापित किये हैं, जिनका बुनियादी शिक्षा में निकटतम सम्बन्ध है। इस समय पूरे देश में ५८१ प्रशिक्षण स्कूल तथा ३१ प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं।‡

अनुमान-निर्धारण—समिति की सिफारिश के कारण, राष्ट्रीय बुनियादी प्रतिष्ठान की स्थापना हाल में ही हुई है। इस सस्था का उद्देश्य नयी तालीम में खोज या अन्वेषण, तथा बुनियादी शासकों एवं निरीक्षकों को बुनियादी शैली में प्रशिक्षित करना है। प्रतिष्ठान अन्य बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों से मिलकर काम करता है, वह बुनियादी शिक्षा के विविध समाचारों का लेखा रखता है तथा नयी तालीम की समस्याओं को मुद्दज्ञाने की चेष्टा करता है।

#### समालोचना

कुछ आक्षेप—इस योजना के प्रस्तुत होने के साथ ही साथ, भारतीय शिक्षा-जगत् में इसकी बड़ी आलोचना हुई तथा शिक्षा-विशारदों ने इसके विरुद्ध अनेक आक्षेप प्रस्तुत किये। इनमें से कुछ आक्षेपों को समझना बहुत ही आवश्यक है। प्रथम आक्षेप शिक्षा की स्वाभ्रमता है। बहुतों का कहना है कि बुनियादी शिक्षा के द्वारा स्कूल शिक्षा-कूटीर केन्द्र बन जावेगे, जिनमें बालकों का शोषण होगा। कारण, शिक्षकों का वेतन विद्यार्थियों के परिश्रम पर निर्भर रहेगा। इसके अतिरिक्त बच्चों के द्वारा प्रस्तुत माल सब समय भद्रा रहेगा। यह कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित माल के समक्ष न टिक सकने योग्य रहेगा। ऐसे में उसकी खपत भी न होगी। यह प्रायः देखा गया है कि इस कौशल-शिक्षा सदैव खर्चीली ही हुआ करती है। इसमें आमदनी की अपेक्षा खर्च सदैव अधिक ही रहता है।

यह आक्षेप बहुत कुछ युक्ति-संगत तथा तथ्यपूर्ण है। बुनियादी तालीम का प्रचार अनेक स्थानों में हुआ है। सक्ता अनुभव है कि वहाँ स्वाभ्रमता नहीं पनप पायी। शायद कहीं वह सघ भी सबी होगी। सारजेण्ट रिपोर्ट ने तो स्पष्ट ही कह दिया था कि शिक्षा—विशेषकर प्राथमिक शिक्षा—कभी भी स्वाभ्रमी नहीं हो सकती है।\*

† Education in The States, 1956-57, pp. 2-3.

‡ Loc. cit.

\* Sargent Report p 8

वाकिर हुसैन समिति ने भी आठ को इस प्रश्न पर विचार करते हुए कहा, “यद्यपि यह शिक्षा स्वावलम्बी नहीं हो सकती है, तथापि इसकी आवश्यकता है। कारण, ऐसी ही शिक्षा से राष्ट्रीय संगठन हो सकता है।”†

स्वावलम्बन की चर्चा करते हुए गान्धीजी ने कहा था कि परली-दूसरी कक्षाओं में तुरन्तान होगा, इसलिए घाटा रहेगा। लेकिन कुल सात कक्षाएँ होंगी; अतएव कुल मिलाकर सब ठीक हो जायगा। बिहार सरकार का कहना है, “यदि आठ कक्षाओंवाले प्रवर बेसिक स्कूल हों — १५० विद्यार्थी प्रथम पाँच वर्गों में तथा १०० विद्यार्थी अन्तिम तीन वर्गों में — तो स्कूल का ६७ प्रतिशत खर्च, विद्यार्थी — निर्मित माल की कीमत से निकल सकता है।”‡ लेकिन आज सभी जगह आठ कक्षाएँ नहीं हैं, और सभी जगह प्रत्येक कक्षा में ३० विद्यार्थी मिलना शक्य नहीं है। उत्तर-बुनियादी भवन मेवाग्राम में देखा गया है कि विद्यार्थीगण अपने परिश्रम-द्वारा अपना ६५ प्रतिशत खर्च निराल सकते हैं, पूरा नहीं।\* सार अर्थ यह है कि स्वाश्रयता केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं स्वीकार करना चाहिए। हाल में ही अखिल भारतीय नयी तालीम के द्वादशवें सम्मेलन के उद्बोधन भाषण में डा० जाकिर हुसैन ने उत्पादक कार्य (प्रोडक्टिव वर्क) का यथार्थ रूप समझाते हुए कहा :

मेरी समझ में एज्युकेशन प्रोडक्टिव वर्क का नाम ही ‘शिक्षा’ है। यह काम अमल में मन्त्रिष्क का काम है, कभी हाथ के काम के साथ, और कभी हाथ के काम से अलग। यह हाथ का काम भी हो सकता है, और मन्त्रिष्क का काम भी।‡

द्वितीय आक्षेप यह है कि एक केन्द्रीय दस्तकारी के द्वारा पूर्ण शिक्षा देना। इस विषय में अनेक प्रश्न किये जाते हैं : क्या केन्द्रीय उद्योग-द्वारा विद्यार्थी के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सकता है ? और क्या इसमें साहित्यिक शिक्षा नीरग नहीं हो जाती है ? क्या इस शिक्षा के द्वारा भौतिक एवं व्यावहारिक माध्यम से प्रत्येक विषय का बोना-बोना पढ़ाया जा सकता है ? इत्यादि अब पर्याप्त प्रश्न हीजिए और बुनियादी पाठ्यक्रम

† Hindustani Talimi Sangh, *Educational Reconstruction*, 1950 p. 56.

‡ *Education in India, 1950-51*, Vol. I, p. 77

\* Ram Kishore, *op. cit.*, p. 229.

† द्वादश बुनियादी शिक्षा सम्मेलन, नवम्बर, १९५०।

पर दृष्टि-विशेष कीजिए। इस दृष्टिगत में ज्ञात होगा कि पाठ्यक्रम में साहित्यिक विषयों का विशेष समावेश है, और इसका उद्देश्य एक समन्वित एवं सर्वांगीण शिक्षा देना है। पुस्तकों के पढ़ने के साथ-साथ बच्चों को अपने हाथ तथा अपनी बुद्धि को उपयोगी कामों में लगाने की क्षमता प्राप्त होनी है। अपनी मातृभाषा, राष्ट्र भाषा, स्वदेश का इतिहास, साधारण विज्ञान, इत्यादि साहित्यिक विषयों के सीखने के बिना यह इस देश का एक उपयुक्त नागरिक तैयार होता है। सांग्रश यह है कि प्रचलित पाठ्यक्रम की अपेक्षा बुनियादी पाठ्यक्रम कहीं अधिक स्वाभाविक, प्रेरणादायक तथा मनोवैज्ञानिक है।

दूसरी शंका के उठने का मुख्य कारण है योजना की भ्रामक समय माहिणी, जिसके ५३ घण्टे के दैनिक कार्यक्रम में ३ घण्टे २० मिनट केन्द्रीय टर्मिनारी के लिए और केवल दो घण्टे साहित्यिक विषयों के लिए निर्धारित किये गये हैं। इस भ्रम को मिटाने के लिए जाकिर हुसैन समिति की द्वितीय रिपोर्ट का निम्नलिखित अंश पढ़ना आवश्यक है :

आधारभूत कौशल के लिए निर्धारित समय की स्पष्ट टीका टिप्पणी हुआ करती है और कहा जाता है कि इसके कारण साहित्यिक विषयों की उपेक्षा होती है। ... .. इस विषय में हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि केन्द्रीय टर्मिनारी के लिए बंधा हुआ पूरा समय केवल गिनत-संख्या अभ्यास में नहीं व्यय हो जाता, बल्कि निर्धारित समय का विशेष भाग टर्मिनारी में सम्बन्धित मौखिक कार्य, भाषा-अभिव्यक्ति तथा प्रेरणाचित्र पर खर्च होता है। इसके सिवा, विद्यार्थियों का उपयोग प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक रूप अपनाए हर क्रिया का क्या और क्यों का परिशान दिया जाता है। †

यहाँ तक सभी सहमत होने हैं, पर बुनियादी योजना में इस-कौशल के साथ पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों का अन्तर्सँग कृत्रिम तथा अस्वाभाविक है। समन्वय स्पष्ट तथा स्वाभाविक होना चाहिए। यदि इस दृष्टि में अधिक स्वीचमान की जाय, तो इन अक्षय तथा खोखला रह जाता है। सब विषयों का प्रत्येक भाग समन्वय भाग कभी भी नहीं सिखाया जा सकता है। बुनियादी शिक्षा के दिग्दर्शकों ने इस कमी को दूर ही समझ लिया और उन्होंने इसे इतने ही कोसिला भी की। मन् १९३९ के अक्टूबर में नयी तारीख के समेकन में निर्णय किया :

† Hindustani Telami Sangh, *Fluctuations in Learning* 1938, p. 182


५. बुनियादी शिक्षण में समवाय-का-प्रयोग ज़रूरदस्ती न किया जाय । समवाय की स्थापना केवल केन्द्रस्थ दस्तकारी के साथ ही तक सीमित न रहे । यह समवाय बच्चों के भौतिक तथा सामाजिक वातावरण से भी सम्बद्ध किया जाय ।†

असल में इसका अर्थ यह है कि विद्यार्थीगण जो उद्योग करते हैं, उस उद्योग के आसपास जो ज्ञान सहज-प्राप्य हो, वह उन्हें देना चाहिए ।

हाल में ही केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय ने अंग्रेजी भाषा में 'बुनियादी शिक्षकों की पुस्तिका' (The Hand-book for Teachers of Basic Schools) प्रकाशित की है । इस पुस्तिका ने बुनियादी शिक्षण-पद्धति तथा विशेषतः समवाय के यथार्थ रूप पर नवीन प्रकाश डाला है । पुस्तिका में ठीक ही समझाया गया है कि बुनियादी पाठ्य-क्रम कार्य-कलाप पर निर्भर है । इसका उद्देश्य है विविध विषयों के पृथक्त्व को दूर करना तथा उन अंशों को समन्वित करना जो सहज में ही जोड़े जा सकें । इसके सिवा बुनियादी शिक्षा जोर देती है कि तमाम तालीम जीवन के जीते-जागते मात्सर तथा जहाँ तक हो सके उत्पादक अनुभवों के मार्फत दी जाय । इसी प्रकार प्रत्येक बुनियादी दस्तकारी शिक्षणीय अवश्य हो ; पर इसके साथ-साथ वह स्वाभाविक वातावरण के अनुकूल हो । चित्र ५ में एक कार्य-कलाप-केन्द्रित कार्यक्रम का रूप समझाया गया है । इस आकृति से यह भी स्पष्ट होगा कि आशय-पूर्ण कार्यों-द्वारा विद्यार्थीगण किस प्रकार अपने स्थानिक वातावरण का अपने अध्ययन में उपयोग कर सकते हैं । इससे यह भी स्पष्ट होगा कि समवाय केवल केन्द्रीय दस्तकारी तक ही मर्यादित नहीं है । इसकी सीमा और भी विस्तृत है ।

इन आक्षेपों के सिवा, बुनियादी शिक्षा की और भी बहुत कुछ नुकताच होती रहती है, जैसे: इन शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को कोई स्थान नहीं दिया ग विद्यार्थी की रुचि का ध्यान किये बिना ही हम उस पर एक दस्तकारी लार्द देते एक ही प्रकार के या कुछ इने-गिने हस्त-कौशल के साथ माया-पच्ची करते-करते क्रम उसमें उपगमता हो जाती है, योजना में केवल गाँवों की आवश्यकता का ध्यान र गना है, अध्यापक के व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं रह गया, इत्यादि । जहाँ तक सका है, बुनियादी शिक्षा के कार्य-कर्त्ताओं ने इन त्रुटियों को दूर करने की चेष्टा हाल ही की है ।

# बुनियादी शिक्षा में समवाय कार्यकलाप: ग्राम पर्यालोचन



**कुछ गुण.**—यह निर्विवाद है कि इस शिक्षा-योजना ने भारत के शिक्षा-जगत् में एक हलचल-सी मचा दी है। इसका जन्म नये गमाज और नये मनुष्य की रचना के विचार में हुआ था। देश में सदियों से गुलामी की बंधनियाँ पड़ी थीं। अपनी दूर दृष्टि में गान्धीजी ने यह देख लिया था कि भारत की उन्नति के लिए शिथिल नयी वृत्ति, बुद्धि, भावना और शक्तियुक्त गमाज की आवश्यकता है। पर देश की गरीबी तथा निम्नतरता इस दिशा में पद-पद पर बाधा डाल रही थी।

यही कारण है कि गान्धीजी ने एक ऐसी योजना हमारे सामने रखी, जिसके द्वारा तमाम लड़के और लड़कियों को सात साल तक मुफ्त और लाजिमी तालीम मिल सके। चूंकि अनिवार्य शिक्षा-योजना बिना पैसे के नहीं चल सकती है, इस कारण उन्होंने एक स्वाध्यायी योजना की परिकल्पना की। पर स्वाध्यायता तो हम शिक्षा की प्रासंगिक बात थी। इस विचार ने देश में एक लहर-सी लहरा दी और प्रत्येक भारतवासी अनुभव करने लगा कि उमकी मातृ-भूमि की उन्नति अनिवार्य शिक्षा पर निर्भर है। इस तरंग के आगे अंग्रेज सरकार न टिक सकी।

गान्धीजी की बनवायी हुई योजना में बहुत महत्व की दूसरी बात यह थी कि बुनियादी शिक्षा केवल शब्दों और किताबों की शिक्षा नहीं है, बल्कि जीवन की शिक्षा है। आदमी के जीवन के तीन बड़े-बड़े क्षेत्र (मरकज़) हैं: एक, उसका प्राकृतिक वातावरण; दूसरा, उसका सामाजिक वातावरण; और तीसरा, उसका काम। इस योजना में अहिंसा के अनुसार, इन्हीं तीन को शिक्षा का मरकज़ भी माना गया है। जैसा कि डाक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, “इसमें बच्चों के लिए एक काम होगा। ऐसा काम जिससे कुछ काम की चीज़ बने, जो उनके अपने काम आ सके या उसके साथियों और पड़ोसियों के काम आ सके।” †

पर इस योजना में खाली काम शिक्षा का मरकज़ नहीं है, बच्चे का प्राकृतिक वातावरण भी है। मौखिक गटन्त के बदले यह शिक्षा बच्चों को सृजनात्मक कार्य के लिए तैयार करती है। इसके कारण शिक्षा में एक नयी जान आ गयी है, कक्षाओं की पुरानी नीगसता समाप्त हो गयी है, गटन्त विद्या के बदले विविध प्रकार के रचनात्मक शारीरिक कार्य होने लगे हैं। अब कक्षाएँ मानों हँसने लगी हैं और छात्रों में परिश्रम के प्रति आदर उत्पन्न हुआ है। पर सबसे उल्लेखनीय परिणाम यह है कि हमें हमारे देश के प्रचलित शिक्षा के अंग-प्रत्यंग के दोष दृष्टि में आने लगे। हम अनुभव करने लगे कि देश की शिक्षा-नीति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

† द्वादश भाषित भारतीय नयी तालीम सम्मेलन — उद्बोधन भाषण।

इस शिक्षा का 'बुनियादी' नामकरण क्यों हुआ ? इसके मुख्य तीन कारण हैं :

१. यह शिक्षा इस राष्ट्र की सम्पूर्ण सभ्यता, संस्कृति तथा शिक्षा मण्डल की नींव पर खड़ी है ।

२. यह शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी को वह ज्ञान देती है जो उसके लिए अपने वातावरण को बुद्धिमत्तापूर्वक समझने तथा प्रयोग करने के लिए आवश्यक है ।

३. यह शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी को अपने भविष्य जीवन के निर्वाह की क्षमता देती है ।

नयी तालीम के कट्टर विरोधियों को भी मानना पड़ेगा कि इस शिक्षा ने स्वाधीन भाग्य के बच्चों के मानने नया आदर्श उपस्थित किया है । प्रत्येक योजना में कुछ-न-कुछ त्रुटियाँ हो ही सकती हैं । समय और अनुभव उन त्रुटियों को दूर करने का सामर्थ्य देता है ।

**उपसंहार.**—इतना होने हुए भी नयी तालीम की सन्तोषप्रद प्रगति नहीं हुई । सन् १९५६-५७ में, अवर बुनियादी स्कूलों और पुराने प्राथमरी स्कूलों की मर्यादा क्रमशः ४६,८८१ तथा २,४०,४१७ थी । इसी प्रकार उस वर्ष अवर बुनियादी स्कूलों तथा पुगने मिलि स्कूलों की तादाद क्रमशः ६,८९७ तथा १७,५८९ थी;† अर्थात् पुगनी मर्यादों की मर्यादा प्रायः चौगुनी थी । यह स्थिति उस समय की है, जब सरकार ने ६ से १४ वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के लिए नयी तालीम को अपनाया स्वीकार किया । इस मन्थन गति के अनेक कारण हैं । एक सरकारी रिपोर्ट ने स्वीकार भी किया है, "बुनियादी शिक्षा एक नवीन प्रयोग है । इसे पद-पद पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है : उपयुक्त प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, अर्थोभाव तथा शिक्षा-साधनों की ख़तरा ।"‡

असन्तोषप्रद प्रगति के और भी अनेक कारण हैं । नयी तालीम को चले हुए साईस वर्ष बीत गये, पर लोग इस शिक्षा के दाम्नाधिक स्वरूप को नहीं पहचान सके । जैसा कि अनुमान-निर्धारण समिति ने महसूस किया है कि "बुनियादी शिक्षा के विषय में सही धारणा का अभाव है, और अभी भी अधिकतर लोगों को इस सम्बन्ध में ठीक

† *Education in the States, 1956-57*, p. 2

‡ *Ten Years of Freedom*, p. 3.



ज्ञान नहीं है। जहाँ भी कहीं समिति के सदस्य गये, वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि बुनियादी शिक्षा की अलग-अलग रीति से व्याख्या की जाती है — ऊँचे पद के लोगों के द्वारा भी।” †

मुख्य प्रश्न यह है कि बुनियादी शिक्षा की स्पष्ट धारणा क्यों नहीं हो पायी है? इसका एक प्रधान कारण यह है कि प्रत्येक राज्य में बुनियादी शिक्षा के भिन्न-भिन्न रूप हैं। कहीं प्राथमिक चरण में चार वर्ष की पढ़ाई हो रही है, कहीं पाँच वर्ष की और कहीं छः वर्ष की। कुछ स्कूलों में एक केन्द्रीय दस्तकारी के द्वारा शिक्षा दी जाती है और कहीं दूसरे विषयों के साथ एक उद्योग सिखाया जाता है। जब सम्पूर्ण देश के प्राथमिक क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा ही अपनायी जायगी तब अत्यावश्यक होगा कि बुनियादी शिक्षा के रूप में शिक्षा का एक ही स्वरूप सारे देश में चालू किया जावे। राज्य सरकारों से मिलकर, केन्द्रीय सरकार इस नीति को स्पष्ट करे।

बुनियादी शिक्षा के समर्थकों में हम दो मत देखते हैं : कट्टरपन्थी और उदारपन्थी। कट्टरपन्थी गान्धीजी के आदर्श पर चलना चाहते हैं। वे नयी तालीम के मूल रूप में विशेष परिवर्तन नहीं चाहते हैं। वे समग्र नयी तालीम पर आस्था रखते हैं तथा उसे भाषात रूप में रखना चाहते हैं। उदारपन्थी खैर समितियों तथा सारजेण्ट योजना द्वारा निरूपित मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं। वे नयी तालीम की महत्ता अवश्य स्वीकार करते हैं, पर स्वाभ्यता का समर्थन वे नहीं करते हैं।

उदारपन्थी अनुयायियों में भी दो भेद हैं। प्रथम ढल बुनियादी शिक्षा की अवधि (६-१४ वर्ष) को दो हिस्सों (अवर और प्रवर) में बाँटने का पक्षपाती है। द्वितीय इस इस पॉट का विरोध करता है। उसका कथन है कि यह पॉट बुनियादी शिक्षा में दोष लायगा। कारण, इस शिक्षा में दस्तकारी का महत्वपूर्ण स्थान है। आठ वर्ष के प्रतिष्ठित — सतत — अभ्यास के बिना, उद्योग-द्वारा शिक्षा ठीक ठीक प्रतिफलित नहीं हो सकती। यह मत-भेदों के कारण, नयी तालीम की धारणा स्पष्ट नहीं

... शिक्षा में वैसी ही नियम-निष्ठा आ गयी है, जैसी कि वर्तमान है। नयी तालीम की भिन्न-भिन्न क्रियाओं के विन्द हैं। यदि किसी भी कार्य-क्रम के तालीम करने में योहीनी

नी चूक हुई तो शिक्षक-समाज तथा निरीक्षकों को हाथ मलना पड़ता है। एक सरकारी प्रस्ताव का यह उद्धरण पढ़िए, जो कि बुनियादी स्कूलों में सम्बन्धित है :

१. निधाम की सुविधा .. दस्तकारी के अभ्यास के लिए, समझे बगमदे बौंधे जावें तथा शिक्षा-साधनों और कच्चे मात के लिए स्वतन्त्र कमरे हों।

२. गेती के लिए उचित तथा पर्याप्त भूमि हो।

३. शिक्षा-साधन ठीक समय में बगमर तैयार ग्वे जावें। वे छात्रों की मग्या के अनुसार यथेष्ट हों।

४. नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार टर्मवारी बी शिक्षा के लिए प्रतिदिन साठ मिनट के दो घण्टे लगावे जावे।

ऐसे निर्देशों का उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों न हो, पर हमका पता निररीत होता है। शिक्षकगण अपनी प्रेरणा-शक्ति ग्वे बैठने हैं तथा लर्नर के पर्यार होकर प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। यह स्मरणीय है कि नयी तालीम के माध काम-पुनर्निर्माण का प्रदन भी जुड़ा हुआ है। गान्धीजी का उद्देश्य था कि प्रत्येक बुनियादी स्कूल अपने गाँव का समाज-केन्द्र बनकर उगकी हागत सुधारे। यह तनी सम्भव हो सकता है जब कि स्कूल का पाठ्यक्रम अपने वातावरण की आवश्यकताओं पर अवलम्बित हो तथा स्थानीय समाज उमे ठीक करे। सरकारी अधिकारियों की दौंड तथा एक घादी शक्ति के प्रभाव से यह सम्पादित नहीं हो सकती है। श्री मैदीरन का बचन है :

प्राम्य पाठशाला कभी भी लोक प्रिय न हो सकेगी, जब तक कि वह स्थानीय सामुदायियों की रचि, धन्धी एवं आवश्यकताओं का सम्बन्ध नहीं करेगी। प्रत्येक स्कूल का वातावरण ऐसा हो कि बच्चे तथा उनके माता पिता अनुभव करे कि विद्यालय एक ऐसी, सुखरहित बान्दी हागत तथा एर है जहाँ वे अपने पर के बान्दी-क्रम की सुधार रूप से बान्दी रख सकते हैं।

1 G. V. BHATTARAI, *A Report of the Director of Education in the State of Mysore*, 1958-59, Bangalore, Government Central Press, 1959, p. 11. 2-52

2 J. G. SHANKAR, *The Education of the Village*, Mysore, Government of Mysore, Mysore, 1958, p. 11.

हर्ष की बात है कि अनुमान निर्धारण-समिति ने यह प्रस्ताव किया है कि ग्राम-पुनर्रचना तथा बुनियादी शिक्षा साथ-साथ चले समिति ने यह सुझाव दिया है कि ग्राम-पुनर्रचना से सम्बन्धित विभिन्न अधिकारीगण बुनियादी शिक्षा के विकास में सहयोग देंगे।

बुनियादी शिक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह योजना वर्तमान शिक्षा-प्रणाली से बिलकुल मेल नहीं खाती। चूँकि सरकार ने प्राथमिक क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा को अपना लिया है, इस कारण अवर और प्रवर बुनियादी स्कूल काफी खुल गये हैं और खुलते जा रहे हैं। पर इसके बाद के चरणों का कुछ विशेष पता नहीं चलना। ग्यारह उच्च शिक्षाग्राम-प्रतिष्ठान अवश्य खुल गये हैं, पर उत्तर-बुनियादी स्कूलों की संख्या तीस से भी कम है। इसके विपरीत पूरे देश में बारह हजार से अधिक माध्यमिक स्कूल तथा एक हजार कालेज हैं, और इनकी संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही जा रही है। इस तरह स्पष्ट है कि उत्तर एवं उत्तम बुनियादी शिक्षा की स्थिति शोचनीय है और पुराने ढर्रे की शिक्षा-संस्थाओं की मौंग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है।

बिहार के उत्तर-बुनियादी स्कूलों पर विचार करते हुए, एक सरकारी रिपोर्ट ने कहा है, "पुराने माध्यमिक स्कूल अधिक लोकप्रिय हैं, क्योंकि लोगों में मैट्रिक सर्टीफिकेट की चाह अधिक है।"† अनुमान-निर्धारण समिति ने भी बुनियादी शिक्षा की कठिनाइयों को अनुभव किया। इसी कारण समिति ने सुझाव दिया है कि उत्तर-बुनियादी शालाओं की स्थापना और बुनियादी संस्थाओं का अन्य संस्थाओं के साथ उचित सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक है।‡

यह मानना ही पड़ेगा कि हम देश की शिक्षा-पद्धति में अनेक दोष आ गये थे, और इनके सुधार की ज़रूरत थी। बुनियादी विचारधारा ने भारतीय शिक्षा-संसार में एक नवीन जीवन का संचार किया है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि शिक्षा-क्षेत्र में दो विभिन्न धाराएँ प्रवाहित होने लगे, और जिनके गन्तव्य मार्ग एक दूसरे के सर्वथा प्रतिरुद्ध हों। पर ग्रेट की बात है कि आज हमारे देश के शिक्षा-शास्त्रियों में दो दल हैं — बुनियादी और गैरबुनियादी। इन दोनों दलों में प्रतिस्पर्धा चल रही है। पर होद देश के लिए हितकर एवं भेदकर नहीं है। सबसे अच्छा तो यह हो कि ये

† Education in India, 1951-52, Vol. I, p. 75

‡ इतिहास, पृष्ठ ५५।

विभिन्न धाराएँ विरुद्ध दिशाओं में न जाकर एक साथ मिल जावें। इस सम्मिलित प्रवाह में हमारी शिक्षा में व्याप्त समस्त दोषों का प्रभालन हो जायगा।

बुनियादी शिक्षा 'नूतन' शिक्षा है। हमने हमारे सामने नवीन विचार उपस्थित किये हैं — सृजनात्मक शिक्षा, रचनात्मक कार्य, कलात्मक कृतियाँ, परिश्रम के प्रति उत्साह एवं विश्वास, मातृ-भाषा के प्रति श्रद्धा, राष्ट्र परीक्षाओं की परिमामा, भागतीय सृष्टि तथा मम्यता का सम्मान, समाजसेवा, शिक्षा का विद्यार्थी के भावी जीवन से सम्बन्ध, देश की आवश्यकताओं का ध्यान, इत्यादि। हमें इस नवीन रस में अपनी पुरानी शिक्षा-संस्थाओं को परिप्लवित कर देना चाहिए ताकि वे इस नूतन शिक्षा के नवीन दृष्टिकोण को आत्मसात कर लें। कुछ लड़खलाने हुए उत्सर्ग-बुनियादी स्कूलों तथा अध्यापक शिक्षा प्राम-प्रतिष्ठानों द्वारा ही इस देश का काम नहीं चल सकता है। हमारे देश में एक मुदृढ तथा विशाल शिक्षा-अट्टालिका की जरूरत है, न कि दो विभिन्न या कमशेर इमारतों की। शिक्षा की उन्नति विकासवाट द्वारा हो सकती है, न कि पूर्ण परिवर्तन के द्वारा।

इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में भारत में एक नयीन प्रकार की शिक्षा का प्रारम्भ हुआ। इसका प्रभाव देश की समूची प्राथमिक शिक्षा-पद्धति पर पड़ा।

**इंस्ट इंडिया कम्पनी की नीति.**—अंग्रे कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कम्पनी ने अंग्रेजी बच्चियों में कुछ प्राथमिक स्कूल खोले। कम्पनी ने इस देश में भी अपने ही देश की शिक्षा-नीति अपनायी तथा गार्बेडनिक शिक्षा का उत्तरदायित्व पूर्णतः स्वयं न उठाना चाहा। न उगफे पाग पैगा था, ओर न अवकाश। बुड के पोपगा-पप के बाद सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की ओर कुछ ध्यान दिया। इस पत्र ने सिफारिश की कि देशी विद्यालयों को मान्यता दी जाये तथा अधिक संख्या में प्राथमिक स्कूल खोले जायें। इसके फल-स्वरूप कुछ सरकारी स्कूल खोले गये, और गैरसरकारी स्कूलों को ग्रांट (अनुदान) मिलने लगा। पर अर्थाभाव के कारण प्राथमिक शिक्षा की दशा ज्यों की त्यो रही।

**इंग्लैण्ड के नरेशों का शासन (१८५७-१९०२).**—सन् १८५९ ई० में स्टेनले का आशा-पत्र निकला। इस पत्र ने यह अंगीकार किया कि अर्थाभाव तथा ग्रांट-इन-एड की अभावता के कारण प्राथमिक शिक्षा गिरती हुई दशा में है। पत्र ने यह भी स्वीकार किया कि जन-साधारण की शिक्षा सरकार का मुख्य कर्तव्य है। उसे इसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए स्थानीय कर भी लगाना चाहिए। इन सिफारिशों का परिणाम यह हुआ कि प्रान्तीय सरकारें अपने स्कूल खोलने लगीं तथा बङ्गाल को छोड़कर सभी प्रान्तों में स्थानीय कर के कानून पास हुए। इस्तमरारी बन्दोबस्त (स्थायी भू-व्यवस्था) होने के कारण यह कर बंगाल में नहीं लगाया गया। सन् १८७१ ई० में लार्ड मेयो ने प्रान्तीय सरकारों को शिक्षा-विषयक अनेक अधिकार दिये और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा के व्यय के विषय में कुछ निश्चित आदेश भी दिये। इन प्रयत्नों के फल-स्वरूप १८७०-७१ से १८८१-८२ तक प्राथमिक शिक्षा का यथेष्ट विस्तार हुआ। सन् १८८३-८४ ई० में लार्ड रिपन ने 'लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट एक्ट' पास किया। इसके अनुसार भारत के शहरों, कस्बों और जिलों का प्रबन्ध करने के लिए नगरपालिका समितियों और जिला मण्डल स्थापित हुए। उन्हें प्राथमिक शिक्षा के प्रबन्ध का विशेष अधिकार दिया गया, और सरकार इसके प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व से मुक्त हो गयी। परन्तु स्थानीय बोर्डों के अर्थाभाव के कारण प्राथमिक शालाओं की प्रगति भली-भाँति नहीं हो पायी। सन् १९०४ ई० की शिक्षा-नीति को कहना ही पड़ा :



पर ऐसा न हुआ। सरकार ख्याली पुस्तक ही पढ़ानी रही। उनमें जो कुछ सोचा था, वह मृग-तृष्णा मात्र रहा। शिक्षित समाज ने जनता की ओर अग्रसर होने के बदले, उधर से मुँह मोड़ लिया। जो धारा नदी के रूप में विस्तृत होनेवाली थी, वह एक प्रवाह-विहीन उथली तलैया बनकर गूढ़ गयी !!

तृतीयतः, अंग्रेजों ने यह कभी अङ्गीकार नहीं किया कि प्राथमिक शिक्षा दी जावे। हण्टर कमीशन की ६०० पन्नोंवाली रिपोर्ट में, अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख कहीं भी नहीं है। अंग्रेजों का हर समय यही कहना रहा कि अनिवार्य शिक्षा भारत के लिए दिवा-स्वप्न है। पर सबसे अचम्भे की बात यह है कि अनिवार्य शिक्षा का आन्दोलन विश्व में सबसे पहले इंग्लैण्ड से ही आरम्भ हुआ था।

उपर्युक्त तीन मूल शिक्षा-नीति के सिवा, उन्नीसवीं शताब्दी में प्राथमिक शिक्षा के असन्तोषप्रद प्रसार के अन्य कारण भी हैं :

१. **केन्द्रीकरण राजनीति.**—जिसके कारण देहाती भारत की उपेक्षा की गयी थी। स्मरण रहे कि ८० प्रतिशत भारतवासी देहात में रहते हैं।

२. **भारतीय उद्योगों के प्रति उदासीनता.**—जनता के जीवन को समुन्नत बनाने के लिए कोई भी विशेष चेष्टा नहीं की गयी।

३. **शिक्षा का तिरस्कार.**—सन् १९०१-०२ में समूचे देश का शिक्षा-व्यय सिर्फ १,०२,७८,६५९ रुपये था। यह रकम देश की आय का ०.८८ प्रतिशत भाग था।

### अनिवार्य शिक्षा-आन्दोलन

**प्रारम्भिक प्रस्ताव.**—अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए सब से प्रथम सुझाव एडम साद्वि ने सन् १८३८ में दिया था। उनका कहना था कि एक ऐसे कानून की आवश्यकता है, जिससे प्रत्येक गाँव कम-से-कम एक प्राथमिक स्कूल चलावे। सन् १८५२ में, बम्बई प्रान्त के लिए रेवन्यु सर्वे कमिश्नर कप्तान किन्गेट ने प्रस्ताव किया कि जमीन की आय का पाँच प्रतिशत पर शिक्षा के लिए लगाया जाय और इस रकम से ii के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जावे। इसके छः वर्ष पश्चात् गुजरात के जे. के इन्स्पेक्टर भी टी. सी. होप ने सिफारिश की कि एक ऐसा कायदा अमल में लाय, जिसके अनुसार किसी भी जगह के निवासियों को स्कूल खोलने के लिए

एक स्थानिक कर लगाने का अधिकार मिले। सन् १८८४ ई० में भड़ोच जिले के डिप्टी इन्स्पेक्टर ऑफ् स्कूल्स श्री शास्त्री ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरम्भ करने का मुस्ताव दिया।

### वाद-विवाद (१८९०-१९१८)

**राष्ट्रीय जागृति.**—उपर्युक्त मुद्दों की ओर सरकार ने एकदम ध्यान न दिया। ये प्रस्ताव असाधारणिक टकराये गये। पर इतने में समूचे देश में राष्ट्रीय भावना की जागृति का आरम्भ हो गया। अंग्रेजी शासन की बहुत कुछ वृत्तियाँ थीं, तथापि इस शासन से देश की अनेक लाभ भी हुए। उसने भारत के विगरे भागों को एक में मिला दिया, और एकता की खुरि की। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से देश में पाश्चात्य विचारों का प्रसार होने लगा। सोना हुआ भारत जाग उठा। देश में पागों और सुधार की पुकार मच गयी। इस प्रकार नवीन भारत का प्रादुर्भाव हुआ। पर हमारे नेताओं ने देखा कि शिक्षा की उपरि के बिना राष्ट्रीय संगठन बटिन है। देविये, स्वामी विवेकानन्द ने क्या भविष्यवाणी की :

राष्ट्र अग्रसर क्यों नहीं हो रहा है ? हमारी प्रथम आवश्यकता है शिक्षा का प्रचार। ... .. राजाओं की सत्ता बहो लुप्त हो गयी है ? जनता के पास। इस जनता के सुधार की आवश्यकता है। समाज सुधार का प्रथम मोरान शिक्षा है।

**बम्बई में खेएरपे.**—सन् १८८० ई० में हमारे कई जनजायक अनिसार शिक्षा के प्रसार के लिये प्रयत्नशील थे। सन् १८८५ ई० में 'इडियल मेन्टल बोर्डिंग' का जन्म हुआ, और परिणाम स्वरूप शिक्षा की माँग बढी। अंग्रेजी भारत में अनिसार शिक्षा के लिये प्रथम सुव्यवस्थित प्रयत्न बम्बई के सर इमार्टीन वेहमरुता तथा सर विमनलाल सीतलशाह ने किया। इन्हीं के धन के कारण, बम्बई सरकार ने एक समिति नियुक्त की (सन् १९०६)। खोच पहलाच दाग होने पर निर्णय करता था कि बम्बई नगर में अनिसार शिक्षा लागू की जा सकती है या नहीं। समिति ने फैसला किया कि इस विचार को कार्यन्वित करने का अत्युत्त समय अभी नहीं आया है, अतएव अभी टरने की आवश्यकता है।

**मार्सहदांक बहोदा.**—सर्कारीन शिक्षा शासन को सुदूर धरं न कर सका, उसे एक भारतीय नेरेश ने विरुधित किया। ये थे बहोतजोरुत महात्मा सर महात्मा गान्धराह। सन् १८९३ ई० में उन्हे अत्युत्त शक्त करने के लिये



अपने गान के आन्दोलन काफ़ी से निःस्वार्थ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जारी की। तत्पश्चात् सन् १९२६ ई० में, इसका विचार अपने पूर्व गान में कर दिया।

स्वर्गीय गोकुल के प्रयास.— अंग्रेज़ी गान में उच्च-प्रवृत्तियों में अनुमति दिया कि स्वयं अपने पास पर लगे हुए जिना आग में शिक्षा की उपाय अग्रगण्य है। इस आन्दोलन के कर्तव्य प्रतिज्ञा ग कर दिन के आशीर्वाद के साथ शुरू किया। सन् १९१० में उन्होंने इन्वीटिड रिजिस्ट्रार काउन्सिल में प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव का आसार यह था कि भारत के उन भागों में जहाँ में दस वर्ष के बच्चों को अनिवार्य तथा निःस्वार्थ शिक्षा दी जाये, उन्हीं पर ३३ प्रतिशत गलत गणना है। किन्तु सरकार के आदेशानुसार देने पर गोकुलजी ने अपना यह प्रस्ताव वापस ले लिया।

पर जब सरकार ने आभागन के पारदर्शक कुछ न किया, तब दूसरे वर्ष भी गोकुल ने अपना दूसरा विधेयक काउन्सिल में उपस्थित किया। विधेयक की शर्तें बहुत ही सावधानी से रखी गयी थीं। मुख्य शर्तें ये थीं : (१) यह योजना केवल उन स्थानों में प्रयुक्त की जाये, जहाँ पर ६ से १० वर्षों के बच्चों (बालक-बालिकाओं) के एक निर्धारित प्रतिशत को शिक्षा मिल रही हो। (२) अनिवार्य शिक्षा पहले बालकों के लिए लागू की जाये, और बाद में प्रमाणात् लड़कियों के लिए व्यवहृत की जाय। (३) इस योजना को अपने सम्पूर्ण अधिकार-क्षेत्र या उसके कुछ भाग विशेष में एकदम लागू न करने का अधिकार स्थानीय बोर्डों पर छोड़ दिया जाय। (४) अनिवार्य शिक्षा का रख्य चलाने के लिए प्रत्येक स्थानीय मण्डल को कर लगाने का अधिकार दिया जाये। (५) योजना को अमल में लाने के लिए प्रांतीय सरकार की अनुमति अपेक्षित है।

विधेयक पर दो दिनों तक गरमागरम बहस हुई। पर ५१ सदस्यों में से केवल १३ सदस्यों ने श्री गोकुल का समर्थन किया। सरकारी एव जर्मीदार सदस्यों ने घोर विरोध किया, किन्तु गोकुल हतोत्साह न हुए। उन्होंने अपनी बहस को समाप्त करते हुए कहा था :

मैं जानता था कि सन्ध्या तक मेरा विधेयक उखाड़कर फेंक दिया जायगा। इस पर मुझे न कोई शिकायत है और निराशा ही है। ... मैं सदैव सोचता हूँ और कहता हूँ कि इस पीढ़ी के भारतवासी अपनी मातृ-भूमि की सेवा अपनी असफलताओं के द्वारा ही कर सकते हैं। ... कर्मनिष्ठ व्यक्तियों के लिए असफलता अकर्मण्यता में अग्रगण्य है।†

**उपसंहार.**—पर गोल्वले के प्रथम सर्वथा निष्फल न हुए। सन् १९१०-१९१७ के बीच, प्राथमिक शिक्षा का गैरसरकारी प्रसार हुआ। तब सरकार भी चुप न रह सकी। सन् १९११ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय अण्डर-सेक्रेटरी को प्राथमिक शिक्षा के प्रति र्यथैष्ट ध्यान देने का निर्देश दिया। सन् १९११-१२ में इस देश में सम्राट् पद्मम आर्ज का शुभागमन हुआ। उन्होंने दिल्ली दरबार में पचास लाख रुपये का आवर्तक वार्षिक अनुदान प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्वीकृत किया। सन् १९१३ ई० में भारत सरकार ने अपनी शिक्षा-नीति में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में यह आदेश प्रसारित किया :

१. प्राथमिक शिक्षा में निम्न-प्राथमिक विद्यालयों का विनाश और विस्तार किया जाय।

२. केन्द्रीय प्रांशों में उच्च-प्राथमिक स्कूल अधिक संख्या में खोले जायें।

३. साधारणतः प्राथमिक शिक्षा का प्रसार छोटे-छोटे स्कूलों के द्वारा हो। जहाँ यह न हो सके, वहाँ स्वीकृत स्कूल 'ग्रान्ट इन-एड' पद्धति पर चलाये जायें।

इसी अवसर पर प्रथम विश्व-युद्ध शुरू हुआ। इस कारण ऊपर के प्रसार कार्यान्वित न किये जा सके। युद्धकाल में भारत को अनेक आघातों का सामना करना पड़ा। पर अन्त में सन् १९१९ ई. में इंग्लैण्ड की सरकार ने भारतवासियों को माण्डेयू-चेम्बरलेई सुधार प्रदान किये। भारत सरकार की शिक्षा नीति पर इस सुधार का अनुकूल प्रभाव पड़ा।

### मन्त्रिकार्य शिक्षा का प्रसार (१९१८-४०)

**पक. मधीन दृष्टिकोण.**—सन् १९२१ ई० में माण्डेयू चेम्बरलेई सुधारों पर कार्य आरम्भ हुआ। इसके अनुसार शिक्षा हस्तांतरित होकर भारतीय मन्त्रियों के हाथ आ गयी। तत्परन्तु गवर्नमेण्ट ऑफ् इण्डिया एक्ट (१९१५) ने भारतीय शासन में पूर्ण हस्तागत प्रतिष्ठित किया। इनके पक्ष रखकर भारतीय मन्त्रियों ने बड़े परिश्रम और उत्साह से काम किया, और जनता में शिक्षा का व्याप उपलब्ध किया। इसी समय (१९१६-१९२०) भारतीय राष्ट्रीय उद्यम में राष्ट्रीयता का उदय हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय स्वायत्तता आन्दोलन को एक नया रूप दिया। उसी समय में ही आन्दोलन देश के ईश-कोश और घर घर में फैला। समस्त देश में एक नया जोर उत्पन्न हुआ, और मन्त्री ने

यह अनुभव किया कि रचनात्मकता-प्राप्ति के बाद भाग का काम शिक्षा के अन्तर्गत न करना संभव है; अतएव शिक्षा परम आवश्यक है।

**अनिवार्य शिक्षा के कानून.**—अगस्त, १९१७ की योजना के बाद सभी अंग्रेजी प्रान्तों की विधायिका सभाओं के सदस्यगण निर्धारण दूर करने के लिए प्रयत्न करने लगे। उन्होंने अनिवार्य शिक्षा की ओर ध्यान दिया। पृष्ठ-भूमि तो म्यूनीसिपल बोर्डों ने पहले ही तैयार कर रखी थी। उन्होंने जो बात समूचे देश के लिए चाही थी, उसे श्री विठ्ठलभाई पटेल ने बम्बई के लिए कर दिया। सन् १९१७ ई० में उन्होंने बम्बई प्रान्त के, बम्बई नगर को छोड़कर, नगरपालिका क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा जारी करने के उद्देश्य से प्रान्तीय धारासभा में एक विधेयक उपस्थित किया। दो छूटों को छोड़कर यह बिल गोखलेजी के विधेयक से मिल्ता जुल्ता था : (१) यह बिल केवल नगरपालिका के क्षेत्रों के लिए लागू होता था, पर गोखलेजी के विधेयक में गाँव भी शामिल थे। (२) सरकार पर आर्थिक जवाबदेही नहीं रखी गयी थी। पर यदि सरकार चाहे तो अनिवार्य शिक्षा के कुल खर्च का एक भाग, जिसे वह स्वयं निश्चित करे, दे सकती थी। श्री गोखले के विधेयक की शर्तों के अनुसार अनिवार्य शिक्षा के दो-तिहाई खर्च की जिम्मेवारी सरकार पर रखी गयी थी।

श्री विठ्ठलभाई का विधेयक पारित होकर “बम्बई प्रायमरी एजुकेशन एक्ट, १९१८” के रूप में प्रसारित हुआ। प्राथमिक शिक्षा का यह सबसे प्रथम कानून है। इस एक्ट ने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बनाने की सार्वजनिक माँग को वैधानिक स्वीकृति दी। इस कानून से भारत के दूसरे प्रान्त भी प्रभावित हुए बिना न रहे। सभी प्रान्तों में धड़ाधड़ अनिवार्य शिक्षा के कानून बनाये गये। सामान्यतः ये कानून एक दूसरे से मिलते-जुलते-से हैं, और वे गोखले-बिल या पटेल-एक्ट के आधार पर बनाये गये हैं। जो स्थानीय मण्डल अनिवार्य शिक्षा की इच्छा करते हैं, वे पहले स्थानिक आवश्यकताओं का अध्ययन करते हैं। इसके बाद वे अनिवार्य शिक्षा की एक योजना तैयार करते हैं। यह योजना मण्डल के दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से उनकी विशिष्ट बैठक में पारित की जाती है। इसके पश्चात् प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जाती है, जो अत्यावश्यक होती है। यह आवश्यक नहीं होता कि अनिवार्य शिक्षा मण्डल-क्षेत्र के सम्पूर्ण भाग में लागू की जावे। यह धीरे-धीरे एक क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्र में लागू की जा सकती है। शिक्षा के व्यय के लिए स्थानीय मण्डल शिक्षा-कर लगा सकते हैं।

अनिवार्य शिक्षा प्रायः ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों लिए जारी की गयी है। उन क्षेत्रों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर विविध शिक्षा-कार्य प्रगता जाता है।

अनिवार्य शिक्षा की प्रगति.—सन् १९२१-२७ के बीच, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की प्रगति के आँकड़े नीचे दिये गये हैं :

### तालिका ४

अंग्रेजी भारत में अनिवार्य शिक्षा, १९२१-३७<sup>१</sup>

वर्ष	नगर-पालिका तथा हाइरी क्षेत्र	देहाती इलाके
१९२१-२२	८	—
१९२६-२७	११४	१,५७१
१९२१-२६	१५२	१,२९६
१९२६-३७	१६७	१,०३४

उपर के अंकों से यह स्पष्ट ही होगा कि अनिवार्य शिक्षा की प्रगति सर्वोत्तम नहीं हुई। इसके मुख्य दो कारण हैं। प्रथमतः, सन् १९२१-२७ के बीच सन्तुष्टि कर्मा में एक विशालकारी मन्त्री का मर्जी का मर्जी, इस कारण किसी भी शिक्षा-विभाग को ठीक ठीक चलाना असम्भव था। द्वितीयतः, हाईरिज सर्जिनी की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने ठीक नीति अपनायी। इसके अनुसार बंगाली स्कूलों का खर्च हर शिक्षक को सन् १९२७ ई० के पश्चात् तो प्रदेशों में कार्यरत के शिक्षक को मिलना शुरू हुआ। साथ ही, कार्यरत शिक्षकों में भी कुछ सुधार हुआ। इस कारण अनिवार्य शिक्षा की प्रगति बहुत प्रगति हुई। सन् १९२६-२७ में, अनिवार्य शिक्षा करने वाले क्षेत्रों १०,०१७ बच्चों में, केवल १००० के लिए, तथा १० बच्चों और १,००४ बच्चों में, बच्चे-बच्चियों के लिए था।

<sup>१</sup> १. G. S. ...  
... 11 147 147

इस प्रकार सन् १९५५-५६ ई० में जो कुल खर्च हुआ, सरकार ने उसके प्रा-  
 तीन-चौथाई का खर्च उठाया। समय-समय पर केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों को का-  
 रकम अनुदान के रूप में देती है। लेकिन यह रकम निश्चित नहीं रहती है।  
 स्थानीय मण्डलों, दान तथा दूसरे स्रोतों का अंश-दान विशेष सराहनीय नहीं है।  
 जिन क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, वहाँ शिक्षा निःशुल्क है। दूसरे क्षेत्रों  
 भी सरकार तथा स्थानीय मण्डल मुफ्त शिक्षा देते हैं। गैरसरकारी स्कूलों में फी-  
 लगती है। सन् १९५५-५६ में समूचे देश के प्रत्येक प्राथमिक छात्र का औसत  
 वार्षिक खर्च २३-४ रुपये था।

**ग्राण्ट-इन-एड पद्धतियाँ**—इसकी चर्चा तीन स्तरों में की जा सकती  
 है—केन्द्रीय-राज्यीय अनुदान, राज्यीय-स्थानीय अनुदान और स्वसंचालित सत्याज  
 को राज्यीय या स्थानीय अनुदान। प्रथम अनुदान सदैव अनिश्चित रहता है। यह रकम  
 केन्द्रीय योजनाओं तथा आर्थिक स्थिति पर निर्भर रहती है। द्वितीय अनुदान-नीति  
 पूरे देश में एक-सी नहीं है। प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी नीति है। वर्तमान  
 तरीकों का सार नीचे दिया गया है :

१. खण्ड अनुदान-नीति — मध्यप्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में  
ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेवारी स्थानीय मण्डलों पर है।  
 इस कार्य के लिए राज्य-सरकार उन्हें एक निश्चित रकम दान  
 करती है।

२. कुल खर्च का एक निर्दिष्ट प्रति शत अनुदान ( बिहार, कर्नाटक,  
 पंजाब ) — राज्यीय सरकार स्थानीय मण्डलों को कुल खर्च का एक बंधा  
 हुआ हिस्सा अनुदान स्वरूप देती है। यह रकम जिला-मण्डल तथा  
 नगरपालिका-मण्डल के लिए भिन्न होती है।

३. स्थानीय मण्डल अपने राजस्व का एक विशिष्ट अंश प्राथमिक  
 शिक्षा पर खर्च करता है। इन क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों की जिम्मेवारी अति  
 सामान्य रहती है। राज्य-सरकार खर्च का अधिक भार स्वयं उठाती है।  
 कई राज्य के जिला तथा अनधिकृत नगर-पालिका-मण्डलों के लिए यह  
 प्रथा लागू है।

वर्तमान समय में पहली प्रथा उठती जा रही है। सरकार अनुभव कर रही है  
 कि प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेवारी स्थानीय मण्डलों पर पूर्णतः नहीं छोड़ी जा सकती है।  
 कारणों वजहः स्कूल खोल रही है, और कई स्थानीय क्षेत्रों के अंशदान को



## वर्तमान स्थिति

## प्रशासन

प्रबन्ध.—प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध तीन विभिन्न कार्य-कर्ताओं के हाथ में है : (१) राज्य सरकार, (२) स्थानीय बोर्ड और (३) स्वसंचालित संस्थाएँ ( प्रायः सभी को ग्राण्ट मिलता है ) । इस दृष्टि से प्राथमिक स्कूलों का विभाजन निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

## तालिका ५

प्राथमिक स्कूलों का विभाजन, १९५५-५६†

अनुशासन	स्कूलों की संख्या	कुल स्कूलों का प्रतिशत
राजकीय ... ..	६४,८२७	२३.३
जिला-मण्डल .. ..	१,३३,२९६	४७.९
नगर-पालिका-मण्डल .. ..	८,९२७	३.२
स्वसंचालित संस्थाएँ :		
सहायता-प्राप्त ... ..	६७,२६३	२४.२
सहायता-रहित .. ..	३,८२२	१.४
योग ... ..	२,७८,१३५	१००.००

अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा-परिषद.—भारतीय संविधान के ४५ वें अनुच्छेद के निर्देश को क्रियान्वित करने के लिए पहली जुलाई, १९५७ को एक 'अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा-परिषद' की स्थापना की गयी है । इस परिषद के मुख्य उद्देश्य ये हैं : केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों को सलाह देना, प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति का निरीक्षण, प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार तथा सुधार के लिए योजना तैयार करना, शोध तथा अनुसन्धान, शिक्षकोंचिन साहित्य तैयार करना, प्रारम्भिक शिक्षा का आदर्श सर्वेक्षण, पाठ्यक्रम पर निवार, इत्यादि । इस परिषद के २३ सदस्य

ई: सौदह राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, 'केसशिप' का एक प्रतिनिधि, अखिल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा-परिषद् का एक प्रतिनिधि, एक प्रशिथग विद्यालय का अध्यक्ष, बुनियादी शिक्षा, स्त्री-शिक्षा तथा अनुसूचित जातियों की शिक्षा के दो-दो विशेषज्ञ। केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय के शिक्षा-परामर्शदाता, इस परिषद् के 'अध्यक्ष' तथा उसी मन्त्रालय के बुनियादी और समाज-शिक्षा विभाग के प्रमुख 'मन्त्री' हैं। गैरसरकारी सदस्यों का कार्य-काल दो साल निर्दिष्ट है।

वित्त

स्रोतपर खर्च.—प्राथमिक शिक्षा का खर्च पाँच स्रोतों से निरूह्यता है: सरकारी (केन्द्रीय तथा राजकीय) निधि, स्थानीय मण्डल-निधि, फीम और दूसरे स्रोत (दान, चन्दा आदि)। सन् १९५५-५६ ई० में प्राथमिक शिक्षा के स्रोतगत खर्च का विवरण अधोलिखित तालिका में दिखाया गया है:

### तालिका ६

प्राथमिक शिक्षा पर स्रोतवार कुल प्रत्यक्ष व्यय, १९५५-५६<sup>१</sup>

स्रोत	रकम (रुपयों में)	कुल व्यय का प्रति सत
राजकीय निधि ... ..	३९,५७,१०,६७१	७३.६
विद्या मण्डल निधि ... ..	६,२४,७४,२६६	११.६
नगरपालिका निधि ... ..	४,४९,८२,०७९	८.४
फीम ... ..	१,७५,२७,१२७	३.३
दान ... ..	६२,८२,१६४	१.२
दूसरे स्रोत ... ..	१,०४,९४,७५९	१.९
कुल ... ..	५३,७२,७२,०६६	१००.००



इन अनुदानों में सहायक श्रेणी में की जाने वाली सुधारें मुख्यतः, काव्य में सुधारें, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये, असाध्य रोगों के उपचार के लिये, शैक्षणिक साधनों की कमी को पूराने के लिये, असाध्य रोगों के उपचार के लिये, शैक्षणिक सुधारों के लिये, आदि हैं। इन अनुदानों में सहायक श्रेणी में की जाने वाली सुधारें मुख्यतः, काव्य में सुधारें, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये, असाध्य रोगों के उपचार के लिये, शैक्षणिक साधनों की कमी को पूराने के लिये, असाध्य रोगों के उपचार के लिये, आदि हैं।

**साधक-सम-एक पद्धतियाँ।—**इसकी सहायता से तीन प्रकार के अनुदान हैं — केन्द्रीय स्तर पर अनुदान, स्थानीय स्तर पर अनुदान और स्वसहायता समितियों को सहायता देने के लिये अनुदान। इनमें अनुदान मुख्यतः सहायक श्रेणी में हैं। परन्तु केन्द्रीय स्तर पर अनुदान में सहायक श्रेणी में भी कुछ अनुदान हैं। इनमें सहायक श्रेणी में भी कुछ अनुदान हैं। इनमें सहायक श्रेणी में भी कुछ अनुदान हैं। इनमें सहायक श्रेणी में भी कुछ अनुदान हैं। इनमें सहायक श्रेणी में भी कुछ अनुदान हैं। इनमें सहायक श्रेणी में भी कुछ अनुदान हैं।

१. **राष्ट्र अनुदान नीति —** मुख्यतः सहायक श्रेणी में सहायक श्रेणी की सहायक श्रेणी की सहायक श्रेणी की सहायक श्रेणी पर है। इन अनुदानों के लिए राज्य सरकार उन्हें एक निश्चित राशि देना पड़ेगी है।

२. **कुल सहायता का एक निश्चित प्रतिशत अनुदान ( शिष्ट, सन्देश, प्रकाश ) —** स्थानीय सरकार स्थानीय मण्डलों को कुल सहायता का एक निश्चित प्रतिशत अनुदान देती है। परन्तु सहायक श्रेणी-मण्डल तथा सहायक श्रेणी मण्डल के लिए भिन्न होती है।

३. **स्थानीय मण्डल अपने राज्य का एक निश्चित अंश प्राथमिक शिक्षा पर सहायता देता है। इन क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों की जिम्मेदारी अति सामान्य रहती है। राज्य-सरकार सहायता का अधिक भार स्वयं उठाती है।** इसी राज्य के शिक्षण तथा अनधिकृत नगर-पालिका-मण्डलों के लिए यह प्राधान्य है।

सहायक श्रेणी में पहली प्रथा उठती जा रही है। सरकार अनुभव कर रही है कि प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय मण्डलों पर पूर्णतः नहीं छोड़ी जा सकती है। इसी कारण सरकारें सहायक श्रेणी स्कूल खोल रही हैं, और कई स्थानीय बोर्डों के अनुदान को

मात्र देकर दोष स्वयं खुद देती हैं। स्वयंचालित संस्थाओं को स्थानीय मण्डलों के द्वारा प्राण्ट दिया जाता है। सरकार कभी-कभी स्थानीय बोर्डों को एण्ड-अनुदान भी देती है। इसका उद्देश्य यह रहता है कि इस आर्थिक सहायता-द्वारा बोर्ड अत्यावश्यक सुधारों को कार्य-रूप में परिणत कर सकें।

**अन्य प्रश्न**

**स्कूल तथा छात्र-संख्या** — सन् १९४७ के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा की काफी प्रगति हुई है। सन् १९४७ ४८ में देश भर में १,४०,१२१ प्राथमिक स्कूल थे। इनकी छात्र-संख्या १,१०,००,९६४ थी। आठ साल बाद प्राथमरी स्कूलों की संख्या २,१५,३२० तथा उनकी छात्र-संख्या १,७९,८५,०७४ पहुँची। पिछले अध्याय में यह बतलाना गमना है कि आज भारत की स्वीकृत शिक्षा-प्रणाली बुनियादी शिक्षा है। इस दृष्टिकोण से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदलने की चेष्टा कर रही हैं। नये बुनियादी स्कूल भी खोले जा रहे हैं। तिस पर भी अधिकतर प्रारम्भिक स्कूल प्राथमिक हैं। निम्नांकित तालिका से यह स्पष्ट होगा :

**तालिका ७**

**प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा. १९५१-५२ से १९५६-५७†**

वर्ष	स्कूल		छात्र-संख्या (हजारों में)	
	प्राथमिक	बुनियादी	प्राथमिक	बुनियादी
१९५१-५२	२,१५,३६६	३३,७५१	१,९०,२३३	२९,८५
१९५२-५३	२,२२,४१०	३४,२२३	१,९५,५१	२९,६०
१९५३-५४	२,३९,८०८	३४,९४०	२,०८,४३	३०,३१
१९५४-५५	२,६४,१३९	३७,३९५	२,२२,४३	३१,५५
१९५५-५६	२,७८,७६८	४२,९७१	२,२९,६६	३७,३०
१९५६-५७	२,८८,०९१	४६,८५५	२,३१,०७	४१,०३

† India, 1959 p 113

**अनिवार्य शिक्षा.**—सन् १९४७-४८ ई० में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा २२४ शहरों तथा १०,०१० गाँवों में चालू थी, तथा १९५५-५६ में १,०९३ शहरों तथा ३७,२७६ गाँवों में थी। सन् १९५१ की जन-संख्या के अनुसार भारत में शहरों तथा ग्रामों की संख्या क्रमशः ३,०१८ तथा २,८५,०८९ थी। अर्थात् आज (१९५५-५६) भारत के एक-तिहाई शहर तथा एक-दशवाँ गाँव अनिवार्य शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ यह ध्यान रहे कि अनेक शहरों तथा गाँवों में अनिवार्य शिक्षा सम्पूर्ण क्षेत्र में नहीं, बल्कि कुछ अंशों में ही जारी है।

**शिक्षक.**—सन् १९५५-५६ में समूचे देश के प्राथमिक शिक्षकों की संख्या ६,९१,२९५ थी। औसतन प्रत्येक शिक्षक के अधीन ३३ विद्यार्थी पढ़ते थे। पर सच से खेद की बात यह है कि एक-शिक्षकवाले स्कूलों की संख्या दिन-प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है। इसका अन्दाज निम्नांकित तालिका से चलेगा :

### तालिका ८

#### एक-शिक्षकवाले प्राथमिक स्कूल

वर्ष	स्कूल
१९४९-५०	६७,७६२
१९५०-५१	६८,८४१
१९५१-५२	७१,७६२
१९५२-५३	८६,०३१
१९५४-५५	१०१,३४२
१९५५-५६	१११,२२०

**पाठ्यक्रम.**—पाठ्यक्रम में अधिकतर मानवमात्र, गणित, भूगोल, मातृ भाषा का इतिहास एवं सृष्टि-विकास का समावेश रहता है। पर पढ़ाई का लक्ष्य विद्यार्थियों के बाल्याचरण की ओर नहीं रहता है। गाँव तथा शहर के पाठ्यक्रम में कोई अन्तर नहीं

है। रजन्त विद्या का प्रचार अधिक है। माघ ही ग्वचनत्मक कार्य का अभाव है। पिछले अध्याय में यह बतलाया जा चुका है कि सरकार का ध्येय है कि प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित किया जाय। इसी उद्देश्य का पहला कदम है, गैरबुनियादी स्कूलों में उद्योग की शिक्षा देना।

**शाला-गृह.**—स्कूलों की इमारतें मन्तोपजनक नहीं हैं। केवल सरकार तथा स्थानीय बोर्डों ने स्वाम शाला-गृह निर्मित कराये हैं, पर कुल छात्र मख्या का ३० प्रतिशत ही ऐसी इमारतों में शिक्षा पा रहा है। अधिकतर स्कूल किंगये के मकानों, मरायों तथा मन्दिरो में लगते हैं। ऐसी जगहों में हवा तथा प्रकाश का नामोनिशान नहीं रहता है। वहाँ बच्चे घन्ट कमरों में ट्रैम दिये जाते हैं।

**व्यर्थता.**—आज साधारण जनता शिक्षा में दिलचस्पी दिग्ना रही है। तिम पर भी प्राथमिक शिक्षा में व्यर्थता की मात्रा इतनी अधिक है कि शिक्षा के विस्तार से वास्तविक लाभ नहीं हो रहा है। १९५२-५३ में स्कूलों में पढती कक्षा में भरती हुए प्रति १०० बच्चों में से ६४ दूसरी कक्षा में (१९५३-५४), ५१ तीसरी कक्षा में (१९५४-५५) और सिर्फ ४३ चौथी कक्षा (१९५५-५६) में शिक्षा पाने रहे। † इस प्रकार ५७ बच्चे स्थायी साक्षरता के लिए न्यूनतम माने जानेवाले चार वर्षों के पाठ्यक्रम को पूरा करने के पहले ही पढना छोड़ बैठे। व्यर्थता के अनेक कारण हैं, जैसे : (१) अनिवार्य शिक्षा-विषयक एकटों का मली भौति पालन न करना; (२) लोगों की गरीबी; (३) माता-पिता की शिक्षा के प्रति उदासीनता; (४) पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता; (५) शिक्षण की प्रभाव-हीनता; (६) एक-शिक्षकवाले स्कूलों का बाहुल्य; (७) बहुत से स्कूलों का नाम मात्र के लिए अस्तित्व, इत्यादि।

**अचरोधन.**—व्यर्थता (अपव्यय) से मलग्न दूसरा दोष अचरोधन (स्थिरता) का है जो प्राथमिक शिक्षा में पाया जाता है। अचरोधन का अर्थ है बालक का एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक रुक जाना। प्रायः देखा गया है कि प्रत्येक कक्षा में प्रति वर्ष २० से ३० की मदी विद्यार्थी रोक लिये जाते हैं। सर्वाधिक निगदाजनक स्थिति पहली कक्षा की रहती है। यह कक्षा एक गैदले कुण्ड के समान बनी रहती है।

इस अचरोधन का विनाक परिणाम विद्यार्थी, माता पिता तथा पूरे गण्ट पर पढता है। अमफला के फल-स्वरूप ऊँची कक्षा में न जा सकने के कारण विद्यार्थी

† Education in India, 1955-56, Vol I, p 64

# भारत में प्राथमिक शिक्षा १९५५-५६

प्राथमिक स्कूलों में  
६-११ वयोवर्ग के बच्चे



५३  
स्कूल के भीतर

४७  
स्कूल के बाहर



स्कूलों का  
बन्दोबस्त




प्रति ३ गाँवों में १ स्कूल



अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध

प्रति ३ शहरों में १



प्रति १४ गाँवों में १



व्यर्थता


प्रत्येक पूर्ण प्रतिरूप = २०

४३			कक्षा १
५१			कक्षा २
६४			कक्षा ३
१००			कक्षा ४

एक-शिक्षक स्कूल



प्रति ३ स्कूलों में  
१ एक-शिक्षक स्कूल



शिक्षा-खर्च



निदल्लाह हो जाते हैं, उन्हें उनके माता-पिता स्कूल से खींच लेते हैं, देश की सम्पत्ति का अपव्यय होता है तथा राष्ट्र की भावी निधि — बालकों — का विकास पूर्णरूपेण होना असम्भव हो जाता है। इस प्रकार शिक्षा की व्यर्थता की वृद्धि होती है। हमें यह नहीं भुलाना चाहिए कि विद्यार्थी स्कूल में विद्याध्ययन के लिए आते हैं, न कि वार्षिक परीक्षा में ठोकर खाकर पश्चात्पद होने के लिए।

### प्राथमिक शिक्षा की कतिपय समस्याएँ

**भूमिका.**—स्वतन्त्रता अर्जन करने के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा की उन्नति अवश्य हुई है; पर वैसी नहीं हुई, जैसी देश की कल्पना थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ६-११ वर्ष के बच्चों के ६० प्रति शत बच्चों की शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध करना था। पर आयोजना के अन्त में यह संख्या ५१.० प्रति शत ही पहुँची। इस निराशा-जनक स्थिति के अनेक कारण हैं। सक्षेप में कुछ कारणों पर विचार कर लेना यहाँ अनुपयुक्त न होगा।

**दोष-युक्त सरकारी नीति** — पिछले पृष्ठों में अंग्रेजी शिक्षा-नीति के दोषों पर पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है। वहाँ अंग्रेज सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता पर यथेष्ट प्रकाश डाला जा चुका है। प्रथमतः, उसने 'शिक्षा छनने के सिद्धान्त' का प्रचार किया, और तत्पश्चात् टोम नीति का। आज उस पर दोषारोपण करने में कुछ भी शक नहीं। वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं विकास के लिए काफी प्रयत्न किया जा रहा है। अभी तक शिक्षा की उन्नति के लिए कोई सुसंगठित योजना नहीं थी। दो वर्ष पूर्व लोकसभा में अनुमान-समिति ने ग्रेड के साथ घोषित किया था कि "शिक्षा-मन्त्रालय ने अभी तक ऐसी कोई सुसंगठित योजना प्रस्तुत नहीं की, जिसके द्वारा सविधान का ४५ वाँ अनुच्छेद कार्यरूप में परिणत हो सके।"<sup>†</sup> विभिन्न राज्य भी अनिवार्य शिक्षा को सफल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, पर सभी 'अपनी अपनी टफली, अपना अपना राग' वाली बहाल के लक्ष्य बन रहे हैं। सरासरी यह है कि सम्पूर्ण देश के लिए सुसंगठित योजना की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त हमारी सरकार आदर्शवादी है। वह यथार्थवादी नहीं है। उसने स्वीकृत शिक्षा प्रणाली के रूप में बुनियादी शिक्षा को स्वीकार किया है, और प्राथमिक शिक्षा को इसके अतुल्य घनाना चाहती है। पर यह तभी संभव हो सकता है, जब कि

† Estimates Committee *Elementary Education, 1957-58*  
New Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1958 p 60.

पर्याप्त द्रव्य हो और यथेष्ट शिक्षक उपलब्ध हों। आज तो हमारे देश के एक-तृतीयांश प्रारम्भिक स्कूल एक-शिक्षकवाले स्कूल हैं।

**दुर्बल शासन.**—प्राथमिक शिक्षा का भार मुख्यतः स्थानीय मण्डलों पर है, और राज्य-सरकार शिक्षा-नीति निर्धारित करती तथा शिक्षा की देखरेख करती है। इस दोहरे नियंत्रण के कारण अनेक समस्याएँ पैदा होती हैं। इसके सिवा, स्थानीय मण्डलों के पास न काफी पैसा है और न उन्हें सरकारी अनुदान ही इतना मिलता है कि वे अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेवारी को उठा सकें। शिक्षा कर लगाने के लिए वे सदैव हिचकते हैं। कारण, इससे स्थानीय विरोध बढ़ता है। अनिवार्य शिक्षा के फायदे देश के पुगने दर्रे पर बनते चले आ रहे हैं। इनमें बहुत कुछ सुधार की जरूरत है।

कुछ वर्षों से, सरकार अनिवार्य कार्यों को यथाविधि अमल में लाने की चेष्टा कर रही है। सन् १९५५-५६ में ६,८७,४२१ नोटिसे बच्चों को स्कूल में दाखिल न करने के लिए और २,४०,४५० नोटिसे बच्चों की गैरहाजिरी के कारण जारी हुई। गैरहाजिरी तथा भरती न कराने के कारण क्रमशः ५७,१४६ तथा ३९,५१४ मुकदमे चलाये गये। पर पूरे देश से २३,२३९ रुपये ही जुर्माने में वसूल हुए। फिर, इस योजना की मार्थकता ही कहाँ रही ?

इसके साथ-साथ निरीक्षकों की अपर्याप्तता भी जुड़ी हुई है। सन् १९५५-५६ में अनिवार्य शिक्षा अमल में लाने के लिए केवल ९८१ अफसर थे। निरीक्षकों की संख्या भी कुछ अधिक नहीं है। औसतन एक निरीक्षक को प्रतिवर्ष सौ से अधिक स्कूलों का पर्यवेक्षण करना पड़ता है। ऐसी दशा में स्कूल की शिक्षा में कोई उन्नति की कैसे आशा करे ?

स्कूल के विकास की भी कोई निर्धारित नीति नहीं है। सर्वेक्षण किये बिना ही स्कूल स्थापित होते हैं। स्कूल मनमाने ही खोले जाते हैं तथा स्थानिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका विपण्य परिणाम यह होता है कि कहीं तो एक भी स्कूल नहीं होता है, और कहीं इतने स्कूल खुल जाते हैं कि वे आपस में खींचातानी करते हैं।

**अर्थाभाव.**—प्राथमिक शिक्षा के सामने सबसे बड़ा प्रश्न खर्च का है। अर्थाभाव के कारण, शिक्षा का प्रसार ठीक नहीं हो सक रहा है। अगले पन्ने की तालिका से ब्रिटिश युग में प्राथमिक शिक्षा पर हुए व्यय का पता चलेगा :

### तालिका ९

शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा पर किया हुआ एकत्रित प्रत्यक्ष व्यय  
१९०१-०२ से १९४७-४८ (करोड़ रुपये)

विवरण	१९०१-०२	१९२१-२२	१९३६-३७	१९४७-४८
एकत्रित शिक्षा व्यय ..	४०१	१३०७	७८०५	५९१८
प्राथमिक शिक्षा पर व्यय	१२८	३०९	८३७	१८९०
प्रति शाल ..	२९.६	२७.३	२९.८	२९.२

इस प्रकार ब्रिटिश युग में प्राथमिक शिक्षा पर कुल शिक्षा व्यय का ३० प्रतिशत अधिक बची भी खर्च नहीं हुआ। वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा-व्यय खतरनाक गता है, पर प्रति शाल खर्च ज्यों-का-त्यों बना है। उदाहरण स्वरूप सन् १९५६-५७ में शिक्षा पर हुए २०६.३ करोड़ रुपये के कुल प्रत्यक्ष व्यय तथा प्राथमिक शिक्षा पर ५८.४ करोड़ रुपये का व्यय दृश्य है, यह प्राथमिक शिक्षा-व्यय का २९ प्रतिशत इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त रूप में पैसा नहीं मिलता। हमारे देश के नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कि उन्नत देश प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा-व्यय का दो-तीनगुना और बड़ी-बड़ी तीन-चारगुना तक खर्च करते हैं।

**प्राथमिक शिक्षा का आधार।**—भारत की ८२.७ प्रतिशत जन-संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। गाँवों में प्राथमिक शिक्षा के संगठन, निरीक्षण आदि में अनेक कठिनाईएँ हैं, जैसे : गाँवों का दूर-दूर बसा होना, जन-संख्या के घनत्व की कमी, बच्चों के मातृभाषा का अभाव तथा प्राथमिक बर्तिकाएँ। गाँवों में शिक्षक-व्यय बहुत ही कम होता है, और यदि खर्च भी है तो वह सीमा-भंग करने वाला है।

सामूहिक शिक्षा का २३.११ प्रतिशत भाग, अर्थात् २,८०,१५९ बच्चों की शिक्षा के लिए है। इसके सिवा देश की सीमा-पार क्षेत्रों में शिक्षा के लिए



जगहों में स्कूल खोलना कठिन है। उदाहरणार्थ, सन् १९४७ ई० के पहले पान देश के सीमान्त क्षेत्र में तीस हजार वर्ग मील का एक ऐसा भाग था, जहाँ कि क भी स्कूल न था।

**सामाजिक, धार्मिक तथा भाषा-जन्य बाधाएँ.**—अनेक स्थानों में लड़कियों के लिए स्वतन्त्र स्कूलों की माँग है। कारण, कई अपढ़ माता-पिता अपनी कन्याओं को लड़कों के साथ पढ़ाना नहीं चाहते। इसी प्रकार विविध धर्मावलम्बी विभिन्न स्कूल खोलना चाहते हैं। इसके सिवा, प्रत्येक मनुष्य अपने बच्चों को मानव-भाषा-द्वारा शिक्षा देना चाहता है। यह ठीक है, पर यदि किसी स्थान में किन्हीं अन्य भाषा-भाषियों की मर्यादा कम हुई तो उनके लिए स्वतन्त्र स्कूल खोलना असम्भव हो जाता है।

सन् १९५६ की सशोधित सूचि के अनुसार इस देश में इस समय अनुसूचित जातियों के ५,५३,२७,०२१ तथा अनुसूचित आदिम जातियों के २,२५,११,८५४ व्यक्तियों के होने का अनुमान लगाया गया है। इन जातियों में शिक्षा की अधिकाधिक सुविधा देने के लिए उपाय प्रयुक्त किये जा रहे हैं, पर इनमें शिक्षा का प्रसार करना एक समस्या का विषय है।

**शिक्षा-सम्बन्धी तथा आर्थिक बाधाएँ.**—वर्तमान पाठ्यक्रम सतोपजनक नहीं है। पाठ्यक्रम पुस्तकीय है, तथा दैनिक जीवन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस शिक्षा को पाकर, विद्यार्थी शारीरिक परिश्रम से घबराते हैं तथा अपने शप-ग्रहों का धन्धा छोड़ बैठते हैं। यही कारण है कि माध्याम्य जनता का विधायक इस शिक्षा में उठ गया है। इस कमी के निवारण के लिए ही, बुनियादी शिक्षा का प्रचार आम हुआ है। पर इस शिक्षा के सिद्धान्तों को लोग पूर्णतः समझ नहीं पाते हैं। स्कूलों में शिक्षा ठीक नहीं दी जा रही है। कारण ग्योत्रने की अधिक आवश्यकता नहीं हमारे देश के एक-तृतीयांश स्कूल एक-शिक्षकमाले हैं। शिक्षकों की पढ़ाई का विशेष ऊँचा नहीं है। चाहीस प्रति शत शिक्षक अप्रशिक्षित हैं तथा अनेक शिक्षक अल्प-शिक्षण-प्राप्त ही हैं। शाना होने हुए भी प्राथमिक शिक्षा के लिए अनेक शिक्षक नहीं निरन्तर हैं।

अनेक माता-पिता स्वयं अपढ़ हैं। इस कारण, वे शिक्षा के प्रति उदात्त भाव से शिक्षा देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसके साथ साथ ही

अनेक बच्चे ऐसे हैं, जो यदि स्वयं मेहनत न करें तो उन्हें सूखी रोटी भी नसीब न हो। शरीर मजदूर तथा किसान चाहते हैं कि वे उनके कार्य में सहायता दें। तब उनके बच्चों को शिक्षा किस प्रकार मिल सकती है? इस प्रकार कितनी ही कठिनाइयों शिक्षा-प्रसार में बाधक हैं।

## सुधार की ओर

**भूमिका—इंग्लैण्ड का मन् १९४४ ई० का शिक्षा-कानून निम्न-लिखित शब्दों में आरम्भ होता है :**


इस देश का भाग्य जनता की शिक्षा पर निर्भर है।

उपर्युक्त विचार का सम्मान सम्पूर्ण विश्व में होना चाहिए। बीसवीं शताब्दी अनिवार्य शिक्षा का युग है। इस शिक्षा का महत्व सभी देशों ने स्वीकार किया है। लोग चाहे, या न चाहे, आजाद देश में किसीको छपट नहीं रहना चाहिए। आजादी का मंत्र से कट्टर दुश्मन है निरक्षरता। इसी कारण स्वाधीन भारत में यह आवश्यक हो गया है कि देश के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कम से कम अवधि में उपलब्ध करा दी जाए। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए, भारतीय संविधान के ४५ वें अनुच्छेद ने राज्यों को यह निर्देश दिया है :


राज्य इस संविधान के आरम्भ से दस वर्ष की बाल्यवधि के भीतर सब बालक-बालिकाओं को चौदह वर्ष की अवस्था समाप्त तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए साधन उपलब्ध करने का प्रयास करेगा।

इस अवधि के बीतने का समय आ गया है। लेकिन हम देखते हैं कि यह निर्देश वागमयी आदर्श होकर ही रह गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने के पहले ६-११ वयोवर्ग के ४२.० प्रति शत (१,८६.८० लाख) बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा की सुविधाएँ थीं। आयोगना के अंत में ५.१.० प्रति शत (२,४८.१२ लाख) बच्चों को ये सुविधाएँ मिलने लगीं। वहाँ तक माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में ११-१४ वयोवर्ग के बच्चों की संख्या १३.९ प्रति शत (३३.७० लाख) में बढ़कर १९.२ प्रति शत (५०.९५ लाख) हो गयी है, और द्वितीय आयोगना में २२.५ प्रति शत (६३,८७ लाख) बच्चों की सुविधाएँ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

# प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति तथा निर्धारित लक्ष्य



६-११. वयोवर्ग



११-१४. वयोवर्ग

आज पूरे देश के सामने यही प्रश्न है कि मन्त्रिधान के निर्देश को केसे कार्य-रूप में परिणत किया जाय। हाल में ही योजना-आयोग ने स्वीकार किया है कि ६-१४ वयोवर्ग की अनिवार्य शिक्षा असम्भव है। इस कारण ६-११ वयोवर्ग की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जावे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा-परिषद ने भी सुझाव दिया है कि तृतीय आयोगना के अन्त तक ६-११ वयोवर्ग के सभी बच्चे अनिवार्य शिक्षा के अन्तर्गत आ जाना चाहिए। नयी दिल्ली में २८-३० जून, १९५९ को मन्त्रों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सम्बन्धी कार्यकारी टाल की जो मन्त्र: बैठक हुई थी उसने भी इस सिफारिश का अनुमोदन किया है। तृतीय पञ्चवर्षीय मूवीय योजना का लक्ष्य है कि योजना-काल के दौरान में ६-११ वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा मिले।

११-१४ वयोवर्ग के बच्चों की शिक्षा के विषय में, उपर्युक्त मूवीय योजना ने अभिप्राय किया है कि आयोजना की अवधि में स्कूल में नियमित रूप से शिक्षा पाने वाली की संख्या ३० प्रति हात पहुँचेगी। इसके अतिरिक्त १० प्रति हात बच्चों की सामान्य (बन्दिन्युजन्) शिक्षा मिलेगी। इस प्रकार तृतीय आयोगना के अन्त तक इस वर्ग के शिक्षित बच्चों की संख्या ४० प्रति हात पहुँचेगी। आशा की जाती है कि यह संख्या चतुर्थ एवं पञ्चम योजना के अन्त तक क्रमशः ६५ तथा १०० पहुँचेगी। इस प्रकार सन् १९७५ के अन्त तक मन्त्रिधान के लक्ष्य के सफल होने की सम्भावना है।

एक हुई हमारे देश में ६-१४ वयोवर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की योजना की स्वीकृति। पर इसे सफलीभूत करने के लिए अनेक बन्दिन्युजने का साधना करना पड़ेगा। मुख्य समस्याएँ हैं (१) प्रशासन, (२) इन्फ्रस्ट्रक्चर, (३) अनिवार्य शिक्षा का आगमन तथा प्रसार, (४) स्कूलों का प्रबंध, (५) पाठ्यक्रम, (६) शिक्षक, (७) निदान-उपकरण और (८) अनुसन्धान।

प्रशासन — देश में एक ही प्रकार का सुझाव है, स्कूलों के लिए एक सुनिश्चित योजना की आवश्यकता है। विशेष रूप से इस योजना की स्वीकृति की जाती है। राष्ट्रीय के शिक्षा निदेशों में स्वीकृत किया कि प्रारम्भिक शिक्षा ६-११ वयोवर्ग के बच्चों के लिए हो, तथा १९६६ के अन्त तक इस वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा मिले। पर इसके साथ साथ अनेक प्रश्न खड़े होते हैं - (१) केन्द्रीय सरकार की नीति, (२) अनिवार्य शिक्षा प्रशासनिक, (३) राष्ट्रीय

वित्त-नीति, (४) पाठ्यक्रम, इत्यादि। ये ऐसे प्रश्न हैं, जो समूचे देश से सम्बन्ध रखते हैं। इस कारण इन मामलों में एक समान नीति की आवश्यकता है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि देश के विभिन्न राज्य एक ही अनुशासन की शृंखला से जकड़ दिये जावें। स्थानीय तथा विशेष आवश्यकताओं का सदा ध्यान रखना होगा। ऐसी नीति की अनुपस्थिति में अर्थ तथा श्रम के अपव्यय होने की आशंका है।

सब से बड़ी आवश्यकता है केन्द्रीय सरकारों की राज्य-सरकारों से सहकारिता की। राज्य-सरकारों में आजकल यह धारणा है कि भारत-सरकार अधिकार केन्द्रीभूत करना चाहती है, तथा ऐसे क्षेत्रों पर हस्तक्षेप करता है, जिनका सबंध राज्य-सरकारों से है। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह इस धारणा का निर्मूलोत्पत्ति करे। इसके साथ ही यह आवश्यक है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच आर्थिक तथा अन्य बातों में अधिकाधिक सहयोग स्थापित हो। अनुदान देते समय, उन राज्यों पर विशेष ध्यान रहे, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न हो और जिनकी शिक्षा पिछड़ी हुई हो।

प्राथमिक शिक्षा के पिछड़े रहने का विशेष कारण हमारे स्थानीय मण्डलों की अममर्थता है। सारजेण्ट योजना ने तो स्पष्ट मुझाव दिया था कि प्रान्तीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेवारी स्थानीय मण्डलों के हाथ से ले लें। इस प्रश्न पर तब से बहस हो रही है, लेकिन अभी तक सभी यह अनुभव कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा का स्थानीय निकायों से निकटतम सम्बन्ध है। कारण, वे ही अपनी जरूरतों को ठीक समझ सकते हैं। इसके सिवा जनतन्त्र की इमारत स्थानीय निकायों की बुनियाद पर खड़ी होती है। इस कारण इन्हें अपनी जिम्मेवारी खुद संभालनी चाहिए।

लेकिन इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि राज्य-सरकारों पर कुछ भी उत्तरदायित्व न रहे। इस प्रश्न पर कुछ मुझाव नीचे दिये हैं :

१. सरकार पूरे राज्य के लिए, एक शिक्षा-नीति तथा न्यूनतम मान-दण्ड स्थिर करे।

२. क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए उपर्युक्त नीति तथा मान-दण्ड परिवर्तन किया जावे, क्योंकि कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ और कोई क्षेत्र उन्नत भी हो सकता है।

३. अनिवार्य शिक्षा के प्रशासन के लिए प्रत्येक राज्य में एक शक्तिशाली राजकीय विभाग होवे। इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है

कि शिक्षा-विभाग स्थानीय मण्डलों के कार्यों का निर्गमन तथा नियन्त्रण करे।

४. राज्य सरकार स्थानीय निकायों को यथेष्ट आर्थिक अनुदान दे।

**वित्त.**—निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए काफी पैसों की आवश्यकता है। ७ मार्च, १९५७ को लोक-सभा में बजट पर भाषण देते हुए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री गणेश श्रीमाली ने कहा कि देश में ६-११ वयोवर्ग के सभी बच्चों को तृतीय योजना के अन्त तक मुफ्त प्राथमिक शिक्षा देने के निमित्त ३०० करोड़ रुपये की जरूरत है। अर्थ में यह उक्ति लोक-सभा को चुनौती थी। आशा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में, अनिवार्य शिक्षा के लिए इस रकम का प्रबन्ध रहेगा। इसके साथ साथ, राज्य सरकारों को कमर कमाना चाहिए। यह आवश्यक है कि वे अपनी योजनाओं में इस महत्वपूर्ण तथा जरूरी कार्य के लिए यथेष्ट अर्थ का प्रबन्ध करें। इसके बिना वे केन्द्रीय आर्थिक अनुदान का यथोचित लाभ न उठा सकेंगे।

**अनिवार्य शिक्षा का आरम्भ तथा प्रसार.**—अनिवार्य शिक्षा का आरम्भ मोच कर करना चाहिए तथा ममत्त-बूझकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। कुछ मुद्दाय नीचे दिये गये हैं।

**प्रारम्भिक सर्वेक्षण की आवश्यकता.**—अनिवार्य शिक्षा चालू करने के पहिले एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण की आवश्यकता है, जिसे राज्य सरकार ठीक समय पर करे। सर्वेक्षण में निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान दिया जावे : राज्य की विशेष शक्तों, वे केन्द्र जहाँ स्कूल खोलना चाहिए, उन बच्चों की संख्या, जिन्हें अनिवार्य शिक्षा देनी है, स्कूलों की वर्तमान स्थिति, शिक्षा-साधनों, शिक्षकों तथा शाला-गृहों की आवश्यकता, और सम्पूर्ण योजना पर स्वर्चं। अनिवार्य शिक्षा आरम्भ होने के पश्चात्, सामयिक सर्वेक्षण की भी आवश्यकता है। इसके द्वारा अनुमान किया जा सकता है कि योजना कैसी चल रही है, उसमें कौनसे परिवर्तन की आवश्यकता है, मुख्य बाधाएँ क्या हैं, ये कैसे हटायी जा सकती हैं, आदि।

इसकी बात है कि केन्द्रीय सरकार के मुद्दाय के कारण प्रत्येक राज्य-सरकार ने राष्ट्र ही में ऐसे प्रारम्भिक सर्वेक्षण किये हैं। आशा की जाती है कि इस जाँच का लाभ प्रत्येक राज्य अपनी अनिवार्य शिक्षा-परिकल्पना में उठावेगा।

राष्ट्रीय आन्दोलन की आवश्यकता.—अनिवार्य शिक्षा का आन्दोलन इने-गिने क्षेत्रों या राज्यों में ही नहीं, किन्तु सम्पूर्ण देश में जोर-शोर से चलना चाहिए। अनिवार्य शिक्षा बूँद बूँद टपकना नहीं चाहिए, वरन् जोर से बरसना चाहिए। शुरू-शुरू में इसकी बहुत आवश्यकता है। अनेक देशों ने इस नीति का अनुसरण किया था; और केवल उस ही वर्षों के भीतर इन देशों के प्रारम्भिक स्कूलों की छात्र-संख्या दुगुनी हो गयी। इस तालिका की छात्र-संख्या पर दृष्टि डालिए :

### तालिका १०

कुछ देशों में प्राथमिक शिक्षा की प्रारम्भिक उन्नति†

देश	छात्र-संख्या (वर्ष)	छात्र-संख्या (वर्ष)
इंग्लैण्ड ...	१८,००,००० (१८७१)	४६,००,००० (१८८१)
जापान ...	१७,४६,००० (१८७३)	२३,००,००० (१८७९)
इजिप्ट ...	३,०३,००० (१९२८)	१०,००,००० (१९३८)
चीन ...	२८,००,००० (१९२१)	१,१७,००,००० (१९३१)

इस प्रकार, आरम्भ में सम्पूर्ण देश में एक आन्दोलन तथा राष्ट्रीय जाग्रति की ज़रूरत है; पर प्रगति मुचाक रूप से, समझ-बुझकर तथा नियमित हो। प्रत्येक क्षेत्र को अपने सामर्थ्य के अनुसार चलने देना चाहिए। उसीके अनुरूप उसका प्रोग्राम भी हो। पर यह सदा ध्यान में रहे कि पूरे देश का लक्ष्य क्या है, अर्थात् सम्पूर्ण देश में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कब तक हासिल करना है।

अनिवार्य शिक्षा एक्टों का संशोधन.—इस देश की अनिवार्य-शिक्षा विषयक कानून लगभग चालीस वर्ष पुराने हैं। ये मोललेजी के विरेयक या पटेल एक्ट के द्वारे पर दाले गये हैं। इनकी कमज़ोरियों पर ब्याल करना बहुत ज़रूरी है। केन्द्रीय सरकार को उचित है कि राज्य सरकारों के विभिन्न प्राथमिक शिक्षा कानूनों पर

पर विचार करे तथा सम्पूर्ण देश के लिए अनिवार्य शिक्षा-कानून का एक समान तथा आदर्श ढाँचा निर्मित करे। यह कार्य राज्य-सरकारों के परामर्श से किया जाना आवश्यक है। हाल में अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद ने भी यह सुझाव दिया है।

**मानवीय वैयक्तिक सम्बन्ध.—**बहुधा देखा गया है कि उपस्थित अधिकारी-गण साधारण जनता के प्रति कटोरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। उनकी व्यावहारिक रूढ़ता का परिणाम यह होता है कि अपट्ट व्यक्तियों के हृदय में शिक्षा के प्रति वितृष्ण उत्पन्न होती है। वे उपस्थित अधिकारियों को आग्धी विभाग के कर्मचारियों के तुल्य गिनते हैं। स्वाधीन भारत के उपस्थित अधिकारियों को समाज-कल्याण की ओर ध्यान देना चाहिए। जनता के साथ उनके किये गये व्यावहारिक आचरण पर ही शिक्षा का भविष्य निर्भर है। यह जनता अनुकम्पा, भ्रातृ-भाव तथा महानुभूति की ही अपेक्षा रखनी है, यह बात सर्वथा स्मरणीय है।

**स्थानीय सहयोग तथा नेतृत्व.—**यह प्रकट सत्य है कि स्थानीय सहयोग के बिना अनिवार्य शिक्षा-योजना सफल नहीं हो सकती है। स्कूल तथा स्थानीय समाज का अल्पन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। स्कूल का कर्तव्य है कि वह सदा स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान रखे तथा समाज की उन्नति की चेष्टा करे। यदि समाज ने एकबार ताड़ लिया कि स्कूल उसके कल्याण के लिए है तो यह स्कूल की उन्नति के लिए भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के अनेक स्थानों में, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, यह बात देखी गयी है कि जनता स्कूल के कार्यों में विशेष दिलचस्पी ले रही है। एक सरकारी रिपोर्ट में उद्धृत निम्नांकित विवरण पढ़िए :

देश के अनेक भागों में, जनता ने अपने गाँव के स्कूल के लिए अर्थ, भूमि तथा धन का दान किया है। एक जिले में ६०० शाला-गृहों का स्थानीय जनता ने स्वयंसेव निर्माण किया था। इली उन्माद के फलस्वरूप अनेक दुर्गम स्थानों में भी आज स्कूल स्वीयत्वा संभव हो गया है। उदाहरण-स्वरूप सन् १९४७ के पहले भारत की ईशान दिशा में स्थित आदिम जातीय क्षेत्रों में एक भी स्कूल न था। वहाँ सन् १९५३ में १,९०० स्कूल थे।†

इस प्रकार हम 'जहाँ चाह है, वहाँ राह है' वाली श्लोकोक्ति को प्रत्यक्ष चरितार्थ होने देखते हैं। यदि स्थानीय जनता चाहेगी, तो वह स्वयः स्कूल स्वीयेगी। उनकी इस इच्छा को प्रकृतिक रुकावटें भी न रोक सकेंगी। सरकार का कर्तव्य है कि वह

† *Seven Years of Freedom* pp 2-3



जनता की इस इच्छा को पूर्णरूपेण जागृत करे। इस जागृति के साथ-साथ सम्पूर्ण देश में स्कूल खोलना आसान हो जायगा।

**स्कूलों का प्रयत्न.**—इसके बाद आता है स्कूलों का प्रयत्न। कारण, समूचे भारत के कोने-कोने में प्राथमिक शालाओं की जरूरत है — शहरों में तथा गाँवों में। इसके अतिरिक्त देश में कई जगह विशेष स्कूलों की माँग है। विभिन्न धर्मावलम्बी तथा भाषा-भाषी पृथक् निजी स्कूल चाहते हैं, तथा आदिम जातियों के लिये भी विशेष स्कूलों की जरूरत है।

**शहरों में स्कूल.**—शहरों में स्कूल खोलने और चलाने की विशेष अशुविधाएँ नहीं हैं। वहाँ शाला-गृह शीघ्रता-पूर्वक निर्मित किये जा सकते हैं, शिक्षकगण शहरों में रहना चाहते हैं, जनता में शिक्षा की चाह है। वहाँ केवल उपयुक्त उपस्थित-अधिकारियों की आवश्यकता होती है। इन्हें सपेट प्रशासनिक धमता दी जावे। इसके सिवा, जनता के सुभीते की ओर ध्यान रखते हुए, स्कूल अनुकूल समय में लगे।

सन् १९५४ ई० में 'भारतीय उद्योग-गणना' के अनुसार, भारत में ७,०६७ पंजीकृत कारखाने थे। इन कारखानों में काम करनेवाले व्यक्तियों की संख्या १७,१४,७७० थी।<sup>†</sup> इन व्यक्तियों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का ठीक प्रबंध होना चाहिए, उनका विशेषकर, जो कि कारखाने के आसपास रहते हों। हमारे देश में एक ऐसे कानून की जरूरत है जिसके अनुसार औद्योगिक संस्थाओं को अपने कर्मचारियों तथा मजदूरों के बच्चों के लिए प्रारम्भिक स्कूल चलाना पड़े। मेक्सिको में सन् १९४२ ई० के शिक्षा-कानून के ६७-७१ अनुच्छेदों के अनुसार कल-कारखानों के स्वामियों पर कुछ प्रतिबन्ध रखे गये हैं। उन्हें स्कूल चलाना पड़ता है, स्वास्थ्यकर शाला-गृहों का निर्माण करना पड़ता है तथा विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त देना पड़ता है।

**गाँवों में स्कूल.**—गाँवों में सोच-विचार कर स्कूल खोलना चाहिए। सन् १९५१ ई० की जन-संख्या के अनुसार सम्पूर्ण देश में कुल ५,५८,०८८ गाँव थे। उनमें से ३,८०,०१९ गाँवों की मनुष्य-संख्या ५०० से कम थी। आर्थिक दृष्टि-कोण से ऐसे छोटे गाँवों में स्वतन्त्र स्कूल खोलना हितकर नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में किसी केन्द्रीय गाँव में स्कूल स्थापित करना चाहिए। ऐसा गाँव विशेष विचार के साथ चुनना चाहिए, ताकि अन्य गाँव उससे दूर न हों। इस कारण स्कूल खोलने के पहले एक सर्वेक्षण की आवश्यकता है, ताकि स्कूल मनमाने जहाँ-तहाँ न खोले जावें।

† भारत, १९५९, पृष्ठ २११।

गाँव में स्कूल खोलना कुछ सद्दज नहीं है, उसमें अनेक अड़चनों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर अनेक माता-पिता गरीब हैं तथा शिक्षा के विरुद्ध विचार रखते हैं। उन्हें अपने बच्चों से मजदूरी करानी पड़ती है। मजदूरी किये बिना उनके कुटुम्ब का पालन-पोषण होना कठिन हो जाता है। इन कठिनाइयों के बावजूद उन्हें भी अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता है, तथा इसीलिए उनके बच्चों को स्कूल में स्वीचन पड़ता है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम उन बच्चों के माता-पिताओं की ज़रूरतों की ओर बिल्कुल ध्यान न दें। हमें स्कूलों के लगने का समय बदलना पड़ेगा। यदि स्कूल सुबह तथा शाम को लगाये जावें, तो बच्चों को अपने माता-पिता की सहायता करने के लिए पर्याप्त अवकाश मिलने लगेगा। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत कृषि-प्रधान देश है। इस कारण किसानों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए स्कूलों के लगने का समय स्थिर करना चाहिए। हमें ऐसे समय नियम-निष्ठुर — लबीर के फबीर — नहीं रहना चाहिए। उदाहरणार्थ, चीन में ग्रामीण पाठशालाओं का खेती से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वहाँ साधारण सिद्धान्त यह है : “ जब तुम्हारे पास अधिक समय है, तब अधिक पढ़ो। जब अल्प अवकाश हो, तब कम पढ़ो। जब तुम बहुत ही व्यस्त हो, तब कुछ समय तक पढ़ना बन्द करो।”<sup>1</sup>

सार अर्थ यह है कि स्कूल समाज के कल्याणार्थ है। स्कूलों के प्रति ग्रामवासियों की उदासीनता बहुत कुछ दूर हो जायगी, यदि पाठ्यक्रम में गाँवों की ज़रूरतों की ओर ध्यान रखकर विषयों का चयन किया जावे। समाज-शिक्षा भी इस उदासीनता-रूपी व्याधि की अमोघ औषधि है। बहुत अवद व्यक्ति ही शिक्षा के विरोधी होते हैं। इसके सिवा ग्राम्य स्कूल की जिम्मेवारी बच्चों की पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहती है। ग्रामिक समाज की उत्थति भी उसी पर निर्भर है। उसे आज ग्रामवासियों को किमान नहीं बनाना है, वरन् स्वतंत्र भारत का नागरिक निर्मित करना है। इस प्रकार प्राथमिक स्कूल ग्रामोत्थान के केन्द्र हैं। इस कार्य में स्कूल को सम्पूर्ण ग्राम के साथ हाथ बँटाना चाहिए, ताकि ग्रामवासियों को गौर हो कि स्कूल हमारा है। आज मेक्सिको में यही प्रयत्न किया जा रहा है। यहाँ स्कूल तथा गाँव परस्पर एक सूत्र में गुँथ गये हैं। स्कूल समाज की उत्थति के प्रयत्न करता है तथा समाज स्कूल की प्रत्येक कमी को दूर करने के लिए भरसक कोशिश करता है। मेक्सिको के शिक्षा-उपमन्त्री श्री मोरनेज़ सिद्ध का कथन है :

<sup>1</sup> देखिए पृष्ठ ८१।

<sup>2</sup> *Peking Review*, April 15, 1928, p. 12

यह ठीक नहीं कहा जा सकता है कि ग्रामीण स्कूल का काम कहाँ आरम्भ या समाप्त होता है। उसी प्रकार ग्राम्य जीवन के आरम्भ और समाप्ति के विषय में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। कारण, गाँव और स्कूल एक ही सस्था हैं, तथा स्कूल ने ग्राम-मुधार का उत्तरदायित्व अपने सिर पर ले लिया है।†

**विशेष स्कूल.**—कभी-कभी धर्म एवं भाषा-भेद के कारण, विभिन्न स्कूलों की माँग रहती है। इसके सिवा, कन्या-शालाओं की भी चाह है। वस्तुतः मजहबी स्कूलों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत एक असांप्रदायिक राष्ट्र है। यद्यपि छात्र-संख्या के बिना न स्वतन्त्र भाषा-भाषी स्कूल चल सकते हैं और न कन्या-शालाएँ। यदि विशेष भाषा-भाषी स्वतन्त्ररूप से अपना स्कूल अलग से अपने व्यय के द्वारा चलाना चाहें तो वह दूसरी बात है। इसी प्रकार स्वतन्त्र कन्या-शालाओं की विशेष आवश्यकता नहीं है। कारण, प्राथमिक स्कूलों में बालक-बालिकाएँ विना रोक टोक साथ-साथ पढ़ सकती हैं। इनकी सह-शिक्षा में किसी को आपत्ति न होनी चाहिए।

असली समस्या आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्कूल खोले जाने की है। ये वस्तुतः से दूर जंगल पहाड़ों में रहते हैं तथा शिक्षा के महत्व को भी नहीं जानते हैं। हर्ष की बात है कि सम्प्रति इन लोगों में शिक्षा प्रसार के कार्य का श्रीगणेश हुआ है। इन लोगों में शिक्षा का प्रचार करने के लिए, कई स्वेच्छिक संगठन तथा धर्म-संस्थाएँ पर्याप्त प्रयत्न-शील हैं। सरकार भी अब सजग हो उठी है। सब कुछ होते हुए भी, आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति अभी भी अनुत्तमप्राय है।

**पाठ्यक्रम.**—प्रचलित पाठ्यक्रम की त्रुटियों एवं कमियों की आलोचना पूर्व पृष्ठों में पर्याप्त कर दी गयी है। इसीके प्रतिकार-स्वरूप बुनियादी शिक्षा का आविर्भाव हुआ है। यह शिक्षा आज हमारे देश की स्वीकृत शिक्षा-प्रणाली है। अब इसकी सफलता के लिए यद्यपि कुशल शिक्षकों एवं पर्याप्त अर्थ-राशि की आवश्यकता है।

सम्प्रति, केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री डाक्टर श्रीमाली ने घोषणा की है कि आगामी दो या तीन वर्षों में देश के वर्तमान प्राथमरी स्कूल बुनियादी स्कूल में बदल दिये जावेंगे। ग्रामीण तथा शहरी स्कूलों के लिए न्यूनतम बुनियादी पाठ्यक्रम आयोजित किया जायगा, तथा तहसील और तालुका केन्द्रों में अल्प-कालिक प्रशिक्षण का बन्दोबस्त

† M. B. L. Filho, et al *The Training of Rural School Teachers*  
Paris, UNESCO, 1952 p 135

योग। राज्य-सरकारों को केन्द्रीय सरकार से कुल खर्च का साठ प्रति शत माण्ड भी मिलेगा।† हम इस योजना की मफयता के लिए शुभाकांक्षाएँ रखते हैं। पर यदि बुनियादी शिक्षा बुनियादी ही रखना है, तो उसका सूक्ष्म आकार हो ही नहीं सकता है।

हमें आदर्शवादी के बदले यथार्थवादी होना चाहिए। प्राथमिक स्कूलों के लिए एक कार्य-योग्य पाठ्यक्रम की जरूरत है। इसमें समाविष्ट हो : मातृ भाषा, गणित, सरल छवि-विज्ञान, समाज शास्त्र की रूप-रेखा तथा एक उद्योग। पर इसका उद्देश्य है एक उद्योग का साधारण ज्ञान, न कि उद्योग द्वारा शिक्षा। गाँवों में कृषि या बागवानी सिखलाई जा सकती है। विद्यार्थीगण खेतों तथा झींघों में काम कर सकते हैं। शहरों में स्थानीय कारीगर उद्योग सिखा सकते हैं। मूल उद्देश्य यह है कि शिक्षा रचनात्मक हो तथा स्थानीय वातावरण पर पाठ्यक्रम आधारित हो। विद्यार्थियों में नागरिकता की भावना को जगाना उचित है तथा उन्हें स्वच्छ एवं स्वस्थ रहना सिखाना चाहिए।

**शिक्षकमण.**—हिसाब लगाया गया है कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा योजना के लिए अष्टाईस लाख शिक्षकों की आवश्यकता है। पर आज प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक-सेखना प्रायः सात लाख ही है। शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तथा शिक्षित बेकारों को रोजगार देने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने सन् १९५३ ई० में शिक्षित बेकारों की सहायता-योजना शुरू की है। इसने अनुमार ३१ जनवरी १९५६ तक राज्यों के लिए कुल मिलाकर ८०,००० शिक्षक और २,००० सामाजिक कार्य-कर्ता नियुक्त कर दिये गये।‡ इसी योजना के अन्तर्गत आयोगना आयोग और भी ४०,००० शिक्षक नियुक्त करना चाहता है। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री की घोषणा के अनुसार आज इस देश में ६,२५,५६७ मैट्रिक पास विद्यार्थी बेकार बैठे हुए हैं।\* यदि वे व्यक्ति शिक्षक बन जायें, तो शिक्षक-समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है।

पर केवल इन्हीं चेष्टाओं से काम न चलेगा। शुरू-शुरू में आकांक्षाएँ अधिक ऊँची नहीं होनी चाहिए। हमें मैट्रिक से कम पढ़े-लिखे अध्यात् वर्गाक्युल्य फाइनल या मिडिल पास शिक्षकों से काम चलाना पड़ेगा। हमें मटैब सचेत रहना चाहिए कि ये शिक्षक गाँवों में टिकेंगे या नहीं। देखिए, मेक्सिको ने शिक्षक-समस्या का समाधान कैसे किया, जब कि उस देश में प्रति वर्ष एक हजार से अधिक स्थानीय स्कूल खुल

† *Times of India*, March 17, 1959

‡ भारत में शिक्षा — खेता — चित्रों में, पृष्ठ ६।

\* *Times of India*, August 10, 1959

रहे थे। उच्च शिक्षित व्यक्ति शिक्षक बनना पसन्द नहीं करते थे; अतएव अध्यापन कार्य के लिए सम्पत्ति, उत्साही तथा सेवा प्रेमी स्त्री-पुरुष नियुक्त हुए। युवक तथा युवतियों शिक्षार्थी कार्य के लिए अधिक पसन्द की गयीं, तथा स्थानीय उम्मेदवारों के प्रति रियायत या उदारता दिखायी गयी। उच्च-शिक्षा प्राप्त न होने हुए भी ऐसे व्यक्ति अध्यापन कार्य के लिए नियुक्त हुए। बाद में मध्य-अध्यापन प्रशिक्षण-द्वारा उनकी ग्राह्यिक तथा स्थापनायिक क्षमियों दूर की गयीं। भारत में ऐसी योजना की विशेष आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ हमें वर्तमान शिक्षकों का व्यवस्थित रूप से उपयोग करना चाहिए, जैसे : शिक्षकों का उचित चयन, परिवर्तन-प्रथा का अधिक उपयोग, प्रत्येक पक्षा की छात्र-संख्या-वृद्धि, इत्यादि। यह देखा गया है कि शहरी स्कूलों के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षक मिलते हैं, पर ग्रामीण स्कूल बहुधा एक-शिक्षक-वाली संस्था होते हैं। यह दूषित प्रणाली आज नहीं चल सकती। स्थानिक मण्डलों को शिक्षकों का चयन इस प्रकार करना उचित है कि प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में, चाहे वह शहर में स्थित हो या एक छोटे-से गाँव में, कम-से-कम तीन शिक्षक अवश्य हों। इसी नीति का अवलम्बन करने पर अनेक शिक्षकों का शहरों से गाँवों में तबादला अवश्य होगा। पर न्याय तथा शैक्षणिक दृष्टिकोण से, यह बहुत ही जरूरी है।

उपर्युक्त प्रस्ताव कार्यान्वित होने पर हम देखेंगे कि किसी भी शिक्षक को कमी भी दो से अधिक कक्षाएँ एक साथ नहीं पढ़ाना पड़ेंगी। यदि ये शिक्षकगण द्वैत-शिक्षा में यथोचित प्रशिक्षित किये जायें तो उनका अध्यापन-कार्य बहुत कुछ सुधर सकता है। इसके साथ-साथ भारत में परिवर्तन-प्रथा की अधिक जरूरत है। इसके अनुसार स्कूल की कक्षाएँ भिन्न-भिन्न समय में लग सकती हैं। शिक्षकों का काम अवश्य बढ़ जायगा, पर उन्हें एक से अधिक वर्ग एक साथ तो न पढ़ाना पड़ेंगे। यह मानना ही पड़ेगा कि यह प्रथा आदर्श नहीं है, पर शिक्षकों की कमी दूर करने की यह एक अच्छी दवा है। यह प्रथा कुछ नयी नहीं है। सभी उन्नत देशों ने अनिवार्य शिक्षा के आरंभ में इस प्रथा को अपनाया था, जैसे : जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जापान, पोर्तुगाल। आज भी यह प्रथा आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, टर्की, इजिप्ट, चीन, सीलोन तथा डेनमार्क में प्रचलित है।

हम प्रत्येक कक्षा की छात्रसंख्या भी बढ़ा सकते हैं। यह प्रथा बड़े स्कूलों में अपनायी जा सकती है जहाँ एक ही कक्षा के कई वर्ग होते हैं। हम देखते हैं कि किसी-न-किसी समय सभी देशों के प्रत्येक प्राथमिक कक्षा की छात्रसंख्या अत्यधिक थी :

इंग्लैण्ड में ६० (१८९४), जर्मनी में ८० (१८९६), इटली में ६० (१९२२), इत्यादि। यहाँ तक कि सन् १९२२ ई० में इंग्लैण्ड में २८,००० और ५,००० कक्षाएँ ऐसी थीं, जिनमें प्रत्येक की छात्रसंख्या क्रमशः ५० से ६० और ६० से अधिक थी। आज हमारे शिक्षा-विभागों के अनुसार एक कक्षा में ४० से अधिक विद्यार्थी भर्ती नहीं किये जा सकते हैं। हम इस सीमा को ५० तक आसानी से बढ़ा सकते हैं।

**निवास-व्यवस्था.**—यह स्तत्याया जा चुका है कि हमारे अधिकांश शाला-ग्रह अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं हैं, पर इस कारण हमें इतना न होना चाहिए। लगभग पचास वर्ष पूर्व इंग्लैण्ड के कुछ स्कूल रेल-पथ के मेहराबों के नीचे लगने से तथा जर्मन शाला-ग्रह अँधेरे तथा गन्दे थे। यहाँ तक कि सन् १९२५ में रूस के प्रांतीय प्राथमिक शाला-ग्रह भेदे तथा पुराने ढङ्ग पर बने हुए थे।

कहा जाता है कि हमारे देश के अनेक स्कूल धर्मशालाओं, मगानों, मन्दिरों तथा मस्जिदों में लगे रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ लगना नहीं आनी चाहिए। यह प्रथा इस देश में परम्परा से जली आ रही है। हमारे देश की उन्नति के लिए अनिवार्य शिक्षा की ज़रूरत है। जबतक उपयुक्त शाला-ग्रह न बने, तब तक क्या हम हाथ-पर-हाथ रखे बैठे रह सकते हैं! हमें जहाँ भी कोई स्वामी जगद मिले, वहाँ ही स्कूल खोलना चाहिए। नीले आकाश के नीचे मुक्त वायु (ओपन-एयर) में हम स्कूल खोल सकते हैं। दैर्घिक दृष्टि से ऐसी सरप्राएँ आश्चर्य गिनी जाती है। भारत पर निर्भर देवी का घरत हम है। तब हमें ऐसे स्कूल खोलने में क्यों हिचकना चाहिए!

**अनुसंधान.**—हमारे देश की प्राथमिक शिक्षा-समस्याएँ अति गम्भीर तथा पेचीली हैं। इन पर बहुत कुछ सोचविचार की ज़रूरत है। हमारे शिक्षा विभागों तथा प्रादेशिक महाविद्यालयों को चाहिए कि वे इन प्रश्नों की जाँच तथा उपयुक्त शोध करें। कुछ समस्याओं के सर्पक नीचे शिखे गये हैं :

१. प्राथमिक स्कूलों को कुनिसानी रूप देना,
२. अनिवार्य शिक्षा-प्रतिपादन की समस्याएँ,
३. अल्प मात्रा विदाओं की धरने हल्की की शिक्षा के अति अर्थ,
४. द्वैत शिक्षा-व्यवस्था,

५. परिवर्तित शिक्षा विधि,
६. व्यर्थता तथा अवगोचन,
७. शाखा-गण,
८. भिन्न-भिन्न देशों की शिक्षा-प्रणाली, इत्यादि ।

### उपसंहार

इस अध्याय में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति तथा कुछ उल्लेखनीय समस्याओं पर विचार किया गया है । ब्रिटिश सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रति उदासीन रही । आज यह बात पुरानी हो गयी है । इस पर आलोचना करना व्यर्थ है । आज हमें अपने देश के भविष्य की ओर ध्यान देना है । भारत की उन्नति जनता की साक्षरता पर निर्भर है । ८० प्रति शत में अधिक भारतवासी अभी निरक्षर हैं । मले ही वे न चाहे, किन्तु हमें उन्हें शिक्षित करना है । यह हमारा पगम कर्तव्य है ।

पर जब हम अनिवार्य शिक्षा की समस्याओं पर विचार करते हैं, तब हमारे अङ्ग-प्रत्यङ्ग ढीले पड़ जाते हैं, चेहरा मुग्धा जाता है और हमारा जोश ठण्डा पड़ जाता है । पर ऐसा करने में काम न चलेगा । निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए समुचित अर्थ एवं सर्वाङ्गपूर्ण योजना अपेक्षित होती है, पर इससे भी अधिक मन में शक्ति और दृढ़ता की आवश्यकता है । — ऐसी दृढ़ता, जो हमें कठिन-से कठिन मुश्किलों का सामना करना सिलाये, जो हमें हताश न होने दे और जो हमें नीचे न गिरने दे । परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि वह हमें ऐसा बल प्रदान करें ।

प्रत्येक उन्नत देश की अनिवार्य शिक्षा का प्रसार करने के लिए अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा । वे आगे ही बढ़ते गये । पीछे नहीं हटे । चालीस साल के अरसे में अमेरिका ने फिलिपाइन द्वीप-पुञ्ज की साक्षरता २ से ५५ प्रति शत बढ़ायी । पच्चीस वर्ष की अवधि में रूस की साक्षरता ८ से ८८ पहुँची । अनेक कठिनायों का सामना करते हुए, चीन तथा टर्की ने अपनी निरक्षरता दूर की । फिर हम क्यों हताश हों ?

## पाँचवाँ अध्याय

### माध्यमिक शिक्षा

#### पूर्व-पृष्ठिका

**प्रारम्भ.**—उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ से आज, इस देश के अधिकांश माध्यमिक स्कूल अंग्रेजी सम्पाएँ हैं। अंग्रेजी स्कूल इस देश में जब प्रथम-प्रथम खुले, तब इनका उद्देश्य धनी भारतवासियों को राज-भाषा (अंग्रेजी) सिखाना था। मन् १८३० में ई० ई० कम्पनी के डाइरेक्टर्स ने तय कर लिया था कि “भारतवासियों को अंग्रेजी-शिक्षा दी जाय, ताकि इस प्रकार का एक वर्ग तैयार किया जा सके, जो अपनी बुद्धि और नैतिकता के कारण, उच्च प्रशासकीय पदों पर नियुक्त किया जा सके।” †

इसी बीच लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा-नीति पर अपनी सम्मति एक प्रसिद्ध लेख-पत्र-द्वारा घोषित की, और लॉर्ड विलियम बैंटिन्क ने इस सम्मति को एक सरकारी ऐलान द्वारा स्वीकार किया (७ मार्च, १८३५)। इस ऐलान ने घोषणा करते हुए कहा, “सरकार का मुख्य उद्देश्य इस देश में अंग्रेजी भाषा-द्वारा युरोपीय साहित्य एवं विज्ञान का प्रचार करना है।” इसके पश्चात् तुरन्त दो और भी क़ापदे निकले, जिनके अनुसार अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होने लगा। मन् १८३७ ई० में ‘अंग्रेजी’ भारत की राज-भाषा बना दी गयी और लॉर्ड हाटिंग्ज के मन् १८४८ की घोषणा के अनुसार उच्च सरकारी नौकरियों शिक्षित भारतीयों के लिए खुल गयीं। अब तो पारचात्य ज्ञान का आश्र और भी बढ़ा, और अंग्रेजी स्कूल धड़ाधड़ खुलने लगे।

• बुड की घोषणा (१८५४) से भारतीय विश्वविद्यालय कानून (१९०) तक—बुड के घोषणा-पत्र की विचारियों के कारण माध्यमिक शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन मिला। इस पत्र ने जोरदार शब्दों में कहा :

† A N Basu, ed “Letters from the Court of Directors to the Governor of Fort St George, September, 29, 1830” *Indian Education in Parliamentary Papers, Part I* Bombay, Asia Publishing, 1952 p 195.



भारतीयों को पाश्चात्य लेखकों की रचनाओं से पूर्णतः परिचित होना पड़ेगा, ताकि उन्हें युरोपीय ज्ञान-विज्ञान के प्रत्येक शाखा की जानकारी हो सके। इस विद्या-परिचय का प्रसार भारतीय शिक्षा-पद्धति का भविष्य में मुख्य ध्येय हो।†

इस घोषणा के फल-स्वरूप अंग्रेजी शिक्षा और भी पल्लवित होने लगी। सन् १८५७ में, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। इसका माध्यमिक शिक्षा पर अति गहरा प्रभाव पड़ा। मैट्रिक परीक्षा-द्वारा विश्वविद्यालय माध्यमिक स्कूलों का पाठ्य-क्रम, शिक्षण का माध्यम, अध्यापन-पद्धति, इत्यादि का नियन्त्रण करने लगे। इसके फल-स्वरूप शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कालिजों तथा विश्वविद्यालयों के लिए विद्यार्थी तैयार करना हो गया।

बुड के घोषणा-पत्र ने स्वसंचालित स्कूलों के सहायतार्थ ग्राण्ट-इन-एड पद्धति के व्यापक व्यवहार का आदेश दिया था। इस सरकारी अनुदान-नीति के फल-स्वरूप अंग्रेजी स्कूलों की संख्या बढ़ने लगी। सन् १८५४ तक केवल मिशन-संस्थाओं के ही स्वसंचालित स्कूल थे, पर बाद में भारतीय लोग भी माध्यमिक विद्यालय खोलने लगे। इस प्रकार माध्यमिक क्षेत्र में तीन प्रकार के हाई स्कूल प्रचलित हुए : (१) मिशन, (२) राजकीय और (३) भारतीयों द्वारा खोले हुए। सन् १८५४ में राजकीय स्कूलों की संख्या केवल १६९ थी, किन्तु सन् १८८२ में वह बढ़कर १,३६३ हो गयी। अंग्रेजी स्कूलों का विस्तार भी द्रुतगति से हुआ। सन् १८८२ में, भारतीयों-द्वारा परिचालित माध्यमिक विद्यालयों की संख्या १,३४१ हो गयी। इसी वर्ष अन्य स्वसंचालित संस्थाओं के द्वारा ७५७ स्कूल क्रियाशील थे।

इस विकास के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक दोष आ गये, जो अब तक अपना असर फैलाये हुए हैं। प्रमुख दोष ये हैं - जीवन की दृष्टि से शिक्षा अदेष्ट्य-हीन हो गयी थी। मातृ-भापा के बदले अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हो गयी। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गयी। शिक्षकों के प्रशिक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया गया। परीक्षा का असर बढ़ने लगा। पाठ्यक्रम सकुचित हो गया। औद्योगिक शिक्षा का अभाव रहा।

सन् १८८२ ई० में इण्टर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के क्षेत्र में एक महत्व-पूर्ण सुझाव दिया। आयोग ने कहा :

† Wood's Despatch, Para 10.

माध्यमिक शिक्षा में दो प्रकार के पाठ्यक्रम रखे जावें: (१) अ-कोर्स जो साधारण रूप में साहित्यिक पाठ्यक्रम हो और जिसका उद्देश्य विश्व-विद्यालय में प्रवेश पानेवाले छात्रों को तैयार करना हो; और (२) आ-कोर्स—यह व्यावहारिक तथा औद्योगिक पाठ्यक्रम हो, जिसमें व्यायामिक, व्यावसायिक तथा साहित्यिक विषयों का समावेश हो।<sup>4</sup>

आज हम अपने इस देश में बहुदेशीय स्कूलों की चर्चा मुनने हैं, पर हमकी परिचयना ८० वर्ष पूर्व हण्टर कमीशन ने की थी। ग्रेट की बात है कि हम मुगाव की ओर न सरकार ने ध्यान दिया और न जनता ने ही।

सन् १८८२ से १९०२ तक माध्यमिक शिक्षा में एक बाढ़ मी आ गयी। सन् १८८२ में माध्यमिक स्कूलों की संख्या १,९१६ थी। इनमें २,१४,६७७ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे। सन् १९०२ में स्कूलों की संख्या ५,१२४ तथा उनमें छात्र-संख्या ६,२२,८६८ हो गयी। इसी अवधि में, मैट्रिक परीक्षा में बैठनेवाले परीक्षार्थियों की भी संख्या बढ़ी— १८८२ में ७,४२९ से १९०२ में २२,७६७ हुई। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा का विस्तार अवश्य हुआ, पर अधिकांश एवं संकटन के अभाव में बंभनेर स्कूलों की ही संख्या बढ़ी। ये स्कूल अधिकांशतः बिना महापदा-प्राप्त स्कूल थे। ये शिक्षा विभाग के प्रशासन के बाहर थे; बाग्य, उन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलता था। ये परीषद् की धार पर चलते थे, तथा उनके संचालकों को दृष्ट थी कि वे अपने स्कूल, जैसा भी चाहें, चलावें। वे अपने विद्यार्थियों को मैट्रिक परीक्षा में बैठने के लिए विद्यार्थ्यालय उन्हें मान्यता अवश्य देता था पर उमें उनके निरीक्षण का अधिकांश न था।

सन् १९०४ के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, सभी स्वयं-चालित स्कूल-महापदा प्राप्त और बिना महापदावाले-सरकारी नियंत्रण के अधीन आये। इस प्रस्ताव में, सरकार ने कुछ मांगें कीं निर्धारित कीं, जिनका पालन करना स्कूलों के लिए अनिवार्य हो गया। इन बातों के माने बिना स्कूल स्वीकृत नहीं किये जाते थे। इस तरह बिना महापदावाले स्कूल सरकारी नियंत्रण में लाये गये। इसी समय, भारत सरकार शिक्षा-विभाग कायम (१९०४) कायम हुआ। इसके अनुसार मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवाले माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता देने का अधिकांश विद्यार्थ्यालयों को हीन था। पालन-पालन में शिक्षा-विभाग ने कुछ ही निर्धारित था। समय-समय पर शिक्षा-विभाग द्वारा इन विद्यालयों का निरीक्षण भी हुने लगा। इसके

स्कूलों की शिक्षिता निश्चय ही दूर हुई; पर माध्यमिक क्षेत्र में, विश्वविद्यालय का प्रभुत्व बढ़ा तथा प्रशासन में द्वैध शासन शुरू हुआ।

**स्वदेशी आन्दोलन से सेडलर कमीशन तक (१९०५-१७).—**  
इस अवधि की मुख्य विशेषतायें हैं : (१) राष्ट्रीय जागृति, (२) शिक्षा के माध्यम पर विचार और (३) माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन।

**राष्ट्रीय जागृति.**—बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से, भारतवासियों ने शिक्षा में दिलचस्पी लेना शुरू किया। पिछली शताब्दी में, इस देश के निवासी सरकार की शिक्षा-नीति के प्रति उदासीन रहे। पर लार्ड कर्जन के सुधारों को भारतवासी सन्देह की दृष्टि से देखने लगे। देश भर में यह भावना लहरा गयी कि लार्ड कर्जन के शिक्षा-सुधारों का मुख्य उद्देश्य 'शिक्षा का विस्तार रोकना' है। हमारे नेताओं ने यह पूर्णतया समझ लिया कि देश का पुनर्जागरण शिक्षा के प्रसार से ही सम्भव है। यह जागरण केवल सरकार का मुँह तकने से ही सम्भव न था, बल्कि उनके प्रयत्नों पर अवलम्बित था। इस प्रकार हमारे नेतागण शिक्षा-सुधार के लिए कटिबद्ध हुए।

सन् १९०५ में लार्ड कर्जन की भ्रम विच्छेद-चेष्टा के कारण, बंगाल में स्वदेशी आन्दोलन शुरू हुआ। इसका शिक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ा। फलतः, बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा-परिषद् की स्थापना हुई। इसके कर्णधार थे सर गुरुदाम बनर्जी, रासबिहारी घोष तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार का यही सबसे प्रथम प्रयास था। परिषद् ने पूर्व-प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा के सुधार की एक वस्तुन योजना तैयार की। कार्यक्रमों में एक राष्ट्रीय कालेज तथा एक इजीनियरिंग कालेज (वर्तमान जादवपुर विश्वविद्यालय) स्थापित हुआ। राष्ट्रीय कालेज के अध्यक्ष थे श्री रघुविन्द। कुछ राष्ट्रीय माध्यमिक स्कूल भी खोले गये। इनमें साधारण विषयों के अतिरिक्त, एक उद्योग भी सिखाया जाता था।

परिषद् ने सम्पूर्ण भारत में शिक्षा-सुधार की एक लहर सी फैला दी। किन्तु इसकाल में स्वदेशी आन्दोलन के शिक्षित होने पर सभी राष्ट्रीय सस्यार्थे बन्द हो गयीं। जब जादवपुर विश्वविद्यालय आज भी गिर उठना क्रिये खड़ा है। पर परिषद् की दृष्टि के कारण, माध्यमिक शिक्षा-क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा भी मॉग शुरू हुई।

**शिक्षा का माध्यम.**—इस अवधि में शिक्षा के माध्यम पर धार तक विचार प्रारम्भ हुए। कारण, यह सभी अनुभव करने लगे कि माध्यमिक शिक्षा का माध्यम

मानव-भाषा होना चाहिए न कि अंग्रेजी। १७ मार्च, १९१५ में श्री एस० रायनिम्बार ने केन्द्रीय विधायिका में निम्न-लिखित प्रस्ताव उपस्थित किया :

यदि विधायिका गवर्नर-जनरल की कार्य-कारिणी समिति से सिफारिश करती है कि माध्यमिक स्कूलों का शिक्षा-माध्यम भारतीय भाषाएँ हों; पर पाठ्यक्रम में अंग्रेजी एक द्वितीय अनिवार्य भाषा के रूप में रहे। इन प्रश्नों का विचार कार्य-कारिणी समिति प्रांतीय सरकारों का परामर्श लेकर करे।

इस प्रस्ताव का घोर विरोध हुआ। विरोध के मुख्य कारण ये थे : (१) विद्यार्थियों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान में अवनति की आशङ्का, (२) भारतीय भाषाओं में उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों का अभाव, (३) बहुभाषा-भाषी प्रांतों की कठिनाईयें और (४) अन्तः-प्रादेशिक आदान-प्रदान में अंग्रेजी की आवश्यकता। परिणाम-स्वरूप अंग्रेजी या प्राधान्य माध्यमिक क्षेत्र में बना रहा।

प्रशासन.—सन् १९०४ के सरकारी प्रस्ताव की नीति के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति हुई। पर स्कूलों की वृद्धि गीकी न जा सकी। स्कूलों की मरना प्रमदा: बढ़ती हुई सन् १९१७ में ७,६९३ हो गयी। पर इस अवधि में हाईस्कूल के प्रशासन में द्वैध शासन आरम्भ हुआ। कारण, हाईस्कूलों को दो अधिकारियों के सामने छुटना पड़ता था। एक ओर उन्हें अनुदान-सहायता के लिए सरकारी शिक्षा-विभागों से स्वीकृति लेनी पड़ती थी और दूसरी ओर मैट्रिक परीक्षा में विद्यार्थियों को भेजने के लिए विश्वविद्यालयों के समक्ष प्रार्थी होना पड़ता था। इस दोहरे नियन्त्रण के कारण, शिक्षा-विभागों तथा विश्वविद्यालयों में तनावनी चलती थी। शिक्षा विभाग का फयन था कि विश्वविद्यालय की स्वीकृति केवल मैट्रिक वर्ग तक ही सीमित रहे, पर विश्वविद्यालय उस-से-अस होना नहीं चाहता था।

सैंट्रलर कमीशन से स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक (१९१९-४७).—इस अवधि में कई विद्वान रिपोर्टों ने माध्यमिक शिक्षा पर अज्ञे प्रविचिन प्रस्तुत किये। इनमें से मुख्य थे : सैंट्रलर कमीशन-रिपोर्ट (१९१९), हाईंग रिपोर्ट (१९२९), एण्ड बुट रिपोर्ट (१९३७) तथा गार्डेन रिपोर्ट (१९४४)।

सैंट्रलर कमीशन रिपोर्ट—सन् १९१७ ई० में भारत सरकार ने कल्याण विध-विद्यालय की जीव के लिए सीएम विश्वविद्यालय के उपरुत्कर्ति, सर मार्केट सैंट्रलर की अध्यक्षता में 'कल्याण विश्वविद्यालय कमीशन' की नियुक्ति की। इस आयोग ने माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय के सुष्ठु सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार किया। कमीशन की

राय थी कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार के बिना विश्वविद्यालय की उन्नति असम्भव है।<sup>†</sup> इस कारण, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का पूर्ण विश्लेषण किया और इस क्षेत्र में निम्नलिखित सुझाव रखे :

१. माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय की शिक्षाओं का विभाजन, मैट्रिक परीक्षा की अपेक्षा इण्टरमीडिएट परीक्षा द्वारा हो ।

२. माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त दो परीक्षाएँ ली जावें : (१) हाईस्कूल परीक्षा, जो वर्तमान मैट्रिक परीक्षा के समान हो । इसे परीक्षार्थी सोल्ड वर्ग की आयु में दे सके । (२) इण्टरमीडिएट परीक्षा, जिसे विद्यार्थी १८ वर्ष की आयु में दे सकें । यह प्रचलित इण्टरमीडिएट परीक्षा के समान अवश्य हो, पर इसके पाठ्य-क्रम में विविध विषयों का समावेश हो ।

३. इण्टरमीडिएट शिक्षा का प्रबन्ध विश्वविद्यालयों से हस्तान्तरित होकर एक नये प्रकार के विद्यालय अर्थात् इण्टरमीडिएट कालेजों के हाथ में आवे । इनमें कला तथा विज्ञान के अतिरिक्त चिकित्सा, प्रशिक्षण, इन्जिनियरिंग, कृषि, वाणिज्य तथा व्यवसाय के शिक्षण की सुविधा हो । ये कालेज या तो स्वतन्त्र हों या हाईस्कूलों से सलग हों ।

४. माध्यमिक शिक्षा के प्रबन्ध, प्रवेश एवं परीक्षण के लिए प्रत्येक प्रान्त में एक माध्यमिक तथा इण्टरमीडिएट मण्डल की स्थापना की जावे । प्रत्येक परिषद में सरकार, विश्वविद्यालय, हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रतिनिधि हों ।

भारतीय शिक्षा में यह पहला ही अग्रसर था कि एक शिक्षा-आयोग ने इण्टरमीडिएट शिक्षा का हस्तान्तरण हाईस्कूलों में करने का सुझाव दिया । आयोग ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि विश्वविद्यालयों का मैट्रिक तथा इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है । इनका प्रबन्ध एक स्वतन्त्र शिक्षा-परिषद करे ।

हार्टंग रिपोर्ट.—हार्टंग कमिटी की दृष्टि में, माध्यमिक पाठ्यक्रम मैट्रिक परीक्षा की आवश्यकताओं में पूर्णतः प्रभावित था । कमिटी ने कहा कि “माध्यमिक शिक्षा की उन्नति अनोखे ढंग की है, किन्तु इसके मगज में अनेक दोष हैं । इसका अन्दाज मैट्रिक परीक्षा में अव्यक्त अंगकृत होने वाले छात्रों की संख्या में लगता है ।” इस वर्णन को दूर करने के लिए, कमिटी ने यह पगमचं दिया कि :

१. जो बालक प्राथमिक व्यवसायों में लग सकें, उनके लिए प्राथमिक शालाएँ खोली जावें। इन स्कूलों के पाठ्यक्रम में विविधता लायी जाय।

२. मिडिल कक्षाओं में ही पाठ्यक्रम का विभाजन हो जाय, ताकि वही से विद्यार्थीगण औद्योगिक तथा व्यावसायिक कार्यों की ओर मुड़ सकें।

एबट-वुड रिपोर्ट.—मन् १९३६-३७ ई० में भारत सरकार ने दो अंग्रेज विशेषज्ञों को, व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सलाह देने के लिए नियुक्त किया। ये महानुभाव थे श्री एबट तथा श्री वुड। इन्होंने भारतीय शिक्षा का अध्ययन किया, तथा मार्च, मन् १९३७ में अपना प्रतिवेदन तैयार किया जो एबट-वुड रिपोर्ट के नाम से मशहूर है। रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा पर प्रमुख सिफारिशें ये थीं :

१. प्राथमिक मिडिल स्कूलों का पाठ्य-क्रम बालकों के वातावरण से सम्बन्धित हो।

२. हस्तकला, कला तथा कौशल के शिक्षण को प्रोत्साहित किया जावें। प्रत्येक स्कूल के पाठ्य-क्रम में इनका समावेश हो।

३. दो प्रकार के व्यावसायिक स्कूल खोले जावें; (१) अथवा (२ वर्ष की शिक्षा) — इनमें आठवीं कक्षा के बाद विद्यार्थीगण भर्ती हों, और (२) प्रथम (२ वर्ष की शिक्षा) — इनमें न्यारहवीं कक्षा के बाद छात्र भर्ती किये जावें।

४. चुने हुए स्थानों में भारत सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षण कालिद्र तथा तकनीकी स्कूल स्थापित करे।†

साक्षर रिपोर्ट.—माध्यमिक शिक्षा के विषय में, इस रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिये :

१. दत्तमान एण्टरमीडिएट का प्रथम वर्ष हाईस्कूल में मिलाकर, हाई स्कूल की शिक्षा छः वर्षों की कर दी जावे। हाई स्कूल में भर्ती की अवस्था ११ वर्ष होनी चाहिए।

२. हाई स्कूल की शिक्षा छठी कक्षा की ही करनी चाहिए, जिसकी समाप्ति औसत छात्रों में स्थान: ऊँची हो। इस कारण, अथवा दुन्दुभी पाठ्य क्रम बनाने के बाद चुनाव द्वारा छठे कक्षा केवल २० प्रतिशत

छात्र हाई स्कूलों में प्रवेश पायें। पर बुनियादी शिक्षा में जो छात्र योग्य दिखलावे, उनके प्रवेश के लिए भी हाई स्कूलों में स्थान रखे जावे।

३. हाई स्कूल दो प्रकार के हों — साहित्यिक तथा तकनीकी। दोनों का लक्ष्य विद्यार्थी को एक उत्तम टोस शिक्षा देना हो, ताकि आर्थिक कक्षाओं में उसे एक ऐसे उद्यम की शिक्षा मिले जो उसके स्कूल छोड़ने पर भारी जीवन में काम आवे।

४. प्रत्येक दशा में पाठ्य-क्रम विभिन्न हो। उस पर विश्वविद्यालय या सार्वजनिक परीक्षण मस्थाओं का अनावश्यक प्रभाव न हो।†

**उपसंहार.**—इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति उत्तरोत्तर होती ही रही। सन् १९४८ ई० में मुख्य प्रान्तों के माध्यमिक स्कूलों की संख्या १२,६९३ तक पहुँची। इनकी छात्रसंख्या की भी वृद्धि हुई। इस वर्ष मिडिल स्कूलों की तथा हाई और उच्चतर हाईस्कूलों की सम्मिलित छात्रसंख्या क्रमशः ११,६७,२८३ तथा १७,८६,७१२ थी। जनता में माध्यमिक शिक्षा की चाह बढ़ी। देहातों में अनेक माध्यमिक स्कूल खुले तथा कन्या शिक्षा बढ़ी।

सन् १९४७ ई० में, ब्रिटिश राज्य का अन्त हुआ। अंग्रेजी शिक्षा-नीति के माध्यमिक शिक्षा पर प्रभाव की आलोचना करते हुए, श्री हैम्पटन ने कहा है :

माध्यमिक शिक्षा का एक सिंहावलोकन करते समय, हमें मानना ही पड़ता है कि यह शिक्षा पूर्ण विकसित न हो सकी—न यह देश के राजनैतिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वृद्धि के साथ कन्धे से कन्धा टगाकर बढ़ी, और न आधुनिकतम शैक्षणिक प्रगति के साथ अग्रसर हुई। स्कूलों पर मैट्रिक परीक्षा तथा शिक्षा-विभाग के शासीय स्वीकृत नियमों का अत्यधिक प्रभुत्व है। पाठ्यक्रम नितान्त पुस्तकीय तथा शैक्षणिक है, विद्यार्थियों की व्यावहारिक आवश्यकताओं की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है, अंग्रेजी में घोटते घोटते वे अपनी प्रेरणाशक्ति खो बैठते हैं। स्कूलों की पढ़ाई शुष्क तथा नीरस है, वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक विषयों का आयोजन नहीं किया गया है, शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद तथा मनोरंजन-कार्यों का अभाव है। अनेक शिक्षा आयोग तथा समितियों ने शिक्षा-मुद्धार पर सुझाव दिये थे,

† Sargent Report, pp 26-27.

पर उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। खेद के साथ कहना पड़ता है कि हुने-गिने विद्यालयों को छोड़कर माध्यमिक स्कूल आज उसी दशा में हैं, जैसे कि वे सन् १८८४ या १९०४ में थे।†

**स्थापना-काल.**—इस काल में तीन प्रसिद्ध निकायों ने माध्यमिक शिक्षा पर विचार किया : ताराचन्द्र समिति (१९४८), विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग (१९४९) तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५३)।

**ताराचन्द्र समिति.**—इस समिति ने सुझाव दिया कि माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षा का अवधि-काल १२ साल का हो : ५ वर्ष अवर-बुनियादी, ३ वर्ष प्रवर-बुनियादी तथा ४ वर्ष उच्चतर माध्यमिक। उच्चतर माध्यमिक स्कूल बहुदेशीय हों। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि साधारण स्कूल बन्द कर दिये जायें। माध्यमिक शिक्षा की जाँच करने के लिए समिति ने एक कमीशन की नियुक्ति की सिफारिश की।

**विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग.**—इस आयोग का सम्बन्ध विश्वविद्यालयीन शिक्षा से था, पर इसने माध्यमिक शिक्षा का भी विदलेपन किया और उस पर कुछ सुझाव भी दिये। कमीशन ने गौर किया कि हमारी माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा-क्षेत्र की सबसे कमजोर कड़ी है और उसका सुधार अत्यावश्यक है। आयोग ने फिर मत दिया कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश इण्टरमीडिएट पास करने के बाद होना चाहिए, अर्थात् बारह वर्ष स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालिज में शिक्षा के पश्चात्।

**माध्यमिक शिक्षा-आयोग.**—ताराचन्द्र समिति तथा 'केसडिम' की सिफारिशों के कारण भारत-सरकार ने २३ सितम्बर, १९५२ को यह कमीशन नियुक्त किया। मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति, डॉ० लक्ष्मनस्वामी मुदालियर, इसके अध्यक्ष थे। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जून, १९५३ में भारत सरकार को दे दी। इसमें माध्यमिक शिक्षा के पेंचीदे प्रश्नों पर विचार किया गया है। मुख्य सिफारिशों की चर्चा इस अध्याय में दक्षोचित स्थानों पर की जावेगी।

**उपसंहार.**—स्वातन्त्र्य लाभ के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा में उद्देखयोग्य प्रगति हुई है। इसका पता अगले पन्ने के तान्त्रिका से लगेगा :

† H. V. Hampton. "Secondary Education", *The Educational System Bombay*, O. U. P., 1943 pp. 30-31.



## तालिका ११

माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, १९४७-४८ से १९५६-५७

वर्ष	स्कूल-संख्या	छात्र-संख्या	खर्च (करोड़ रुपये)
१९४७-४८	१२,६९३	२९,५३,९९५	१४
१९५२-५३	२४,०५९	५९,०६,६६६	३७
१९५६-५७	३५,८३८	९३,३०,०००	५८


इस काल में माध्यमिक शिक्षा के ध्येय, पाठ्यक्रम, सगठन इत्यादि में अनेकानेक हेरफेर हुए। उल्लेखयोग्य सुधार ये हैं : (१) पाठ्यक्रम में विविधता तथा व्यावसायिक विषयों का समावेश, (२) विज्ञान आदि विषयों के अध्यापन में सुधार, (३) नये प्रकार के उत्तर-प्राथमिक स्कूलों का आविर्भाव, (४) क्षेत्रीय भाषाओं तथा राष्ट्र-भाषा की ओर अधिक झुकाव, (५) व्यायाम तथा खेल-कूद को प्रोत्साहन, इत्यादि। इतना होते हुए भी, भारतीय शिक्षा-क्षेत्र में, माध्यमिक शिक्षा सबसे निकम्मी ठहरायी जाती है।

## वर्तमान स्थिति

**स्कूलों का वर्गीकरण.**—साधारणतः माध्यमिक स्कूलों की शिक्षावधि सात वर्ष होती है। इस अवधि को हम दो भागों में बाँट सकते हैं : (१) मिडिल या प्रवर बुनियादी या अवर माध्यमिक प्रक्रमण — यहाँ ११-१३ वयोवर्ग के विद्यार्थीगण अध्ययन करते हैं, और (२) हाईस्कूल — जहाँ १३ से १६ वयोवर्ग के छात्रगण शिक्षा पाते हैं। यह अवश्य है कि यह व्यवस्था पूरे देश में एक-सी नहीं है। प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी विनियमता है। बहुधा मिडिल स्कूल हाई-स्कूलों से संलग्न रहते हैं।


हाल ही में कुछ नये प्रकार के माध्यमिक स्कूल खुल गये हैं। वे ये हैं : उच्चतर प्राथमिक स्कूल तथा उत्तर-बुनियादी स्कूल। उच्चतर माध्यमिक स्कूल की अवधि किसी राज्य में तीन वर्ष और किसी में चार वर्ष है। इनके सिवा, अनेक स्कूलों को बहुदेशीय स्कूलों में बदल दिया गया है।

विकसर्षि (लाख)  
 स्कूल (हजार)



चित्र ८

माध्यमिक शिक्षा लेने  
 योग्य बच्चों की दृष्टिसे  
 विभिन्न राज्यों में  
 शिक्षा का प्रवन्ध  
 १९५५-५६



**स्कूल तथा छात्र-संख्या.**—सन् १९५६-५७ में कुल स्वीकृत माध्यमिक स्कूलों की संख्या ३६,२९१ थी, जिनमें से २६ उत्तर-बुनियादी, २४,४८६ मिडिल तथा ११,७७९ उच्च एवं उच्चतर स्कूल थे। इनमें से ४,३७३ कन्या-शालाएँ थीं। देहातों की कुल स्कूल-संख्या २४,९३६ थी, जिनमें १९,७१३ मिडिल तथा ५,२२३ हाई स्कूल थे।

इसी वर्ष माध्यमिक स्कूलों की छात्र-संख्या थी : ७९,७१,५९५ (५४,३५,७९६ लड़के और २५,३५,७९९ लड़कियाँ)। इन विद्यार्थियों में से ४८,२३,३४४ (३८,३०,७८४ लड़के और ९,९२,५६० लड़कियाँ) मिडिल कक्षाओं में, तथा २०,३३,२६१ (१६,५५,७५० लड़के और ३,४७,५११ लड़कियाँ) उच्च वर्गों में अध्ययन कर रहे थे। माध्यमिक शिक्षा लेने योग्य सम्पूर्ण देश के बच्चों का १३.५ प्रति शत स्कूलों में शिक्षा पा रहा था। इस दृष्टि से विभिन्न राज्यों का शिक्षा-प्रबन्ध चित्र ९ से मिलेगा।

**प्रबन्ध.**—प्रबन्ध की दृष्टि से माध्यमिक स्कूलों का विभाजन निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित किया गया है :

**तालिका १२**  
**माध्यमिक स्कूलों का विभाजन, १९५५-५६†**

अनुशासन	स्कूल-संख्या	कुल स्कूलों का प्रतिशत
राजकीय ... ..	६,५७३	२०.२
जिला-मण्डल ... ..	९,१५४	२८.१
नगर-पालिका-मण्डल ..	१,२३६	३.८
स्वसंचालित स्कूल :		
सहायता-प्राप्त ... ..	११,६३२	३५.७
स्वाभित ... ..	३,९७३	१२.२
योग...	३२,५६८	१००.००

इस प्रकार एक-पंचमांश सस्थाएँ गवर्नीय हैं तथा लगभग आधे स्कूल गैरसरकारी हैं। प्रायः एक-चतुर्थांश स्वसंचालित स्कूलों को सरकारी अनुदान नहीं मिलता तथा प्रायः एक-तृतीयांश स्कूल स्थानीय निकायों-द्वारा परिचालित हैं।

**प्रशासन.**—माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेवारी राज्यों पर है तथा इसका प्रशासन शिक्षा-विभाग करता है। शिक्षा-विभाग शाला-स्वीकृति के नियम बनाता है, स्कूलों के प्रशासन के लिए कायदे-कानून ठीक करता है, पाठ्य पुस्तकें तथा पाठ्यक्रम निर्धारित करता है तथा स्कूलों का निरीक्षण करता है। पर स्कूल-इन्स्पेक्टरों की मरुदा पदान्त न होने के कारण, स्कूल-निरीक्षण ठीक नहीं हो पाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा ही है :

प्रचलित निरीक्षण-पद्धति की अनेक साधियों ने ताम समाप्तेचना की है। उनका कहना है कि निरीक्षण-कार्य असावधानी से किरा जाता है, तथा स्कूल का निरीक्षण अग्र-कारिक होता है।।

गैरसरकारी बर्मादान की विचारियों के कारण आब प्रायः प्रत्येक राज्य में इण्टर-मीडिएट था। और माध्यमिक शिक्षा-मण्डल स्थापित हुए हैं। सन् १९५७ ई० में इनकी संख्या पन्द्रह थी। इनके नाम तथा प्रत्येक का मरुदापन वर्ष इस प्रकार हैं :

(१) बिहार स्कूल परीक्षा-मण्डल, पटना, १९५२, (२) राज्य परीक्षण-मण्डल, त्रिचेन्द्रम १९४९, (३) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मण्डल, दिल्ली, १९२६, (४) आन्ध्र माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, ग्वालियर, १९५६, (६) उत्तर-प्रदेश माध्यमिक तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा-मण्डल, अलाहाबाद, १९२२, (७) माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मद्रास, १९११, (८) उड़ीसा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, बटक, १९५६, (९) गवर्णान माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, जयपुर, १९५०, (१०) पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, १९५१, (११) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, अजमेर, १९२९, (१२) महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, १९५६, (१३) मैसूर माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, बंगलौर, १९१३, (१४) माध्यमिक स्कूल सर्टिफिकेट मण्डल, पुना, १९४८ और (१५) विदर्भ माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, नागपुर, १९२६। इनमें से अजमेर मण्डल को छोड़कर जेर अरने-अरने क्षेत्र या राज्य के इण्टरमीडिएट था। और शासन परीक्षाओं का परिचालन करने हैं। अजमेर-मण्डल की परीक्षाओं में भारत के किसी भी भाग के विद्यार्थी बैठ सकते हैं। वे परीक्षाएँ उन छात्रों के लिए बुकिरकरक हैं, जिनके अभिभावकों की बदली राज्य के विभिन्न भागों में कृपा हुआ करती है।

धित्त.—माध्यमिक शिक्षा का स्रोतवार खर्च का विवरण निम्नांकित तालिका में मिलेगा :

### तालिका १३

माध्यमिक शिक्षा पर स्रोतवार कुल प्रत्यक्ष खर्च, १९५५-५६†

स्रोत	रकम (रुपये)	कुल खर्च का प्रति शत
राजकीय निधि ... ..	२४,६८,२६,९५२	४६.६
जिला मंडल निधि ... ..	२,४९,३०,७६५	४.७
नगर पालिका मंडल निधि ... ..	१,०७,६१,५४४	२.०
फीस ... ..	२०,०४,९२,२६७	३७.८
दान ... ..	१,५०,३९,४५५	२.८
दूसरे स्रोत ... ..	२,८६,७८,७३०	६.८
योग...	५३,०१,९८,६१९	१००.००

ऊपर के अंकों से स्पष्ट है कि सरकार माध्यमिक शिक्षा का आधा खर्च स्वतः चलाती है, पर यह रकम सब राज्यों में एक सी नहीं है। सबसे अधिक यह मध्यप्रदेश (५७.३) में थी तथा सबसे कम आन्ध्र प्रदेश (२३.९) में। पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश का आधे से अधिक खर्च फीस द्वारा चला। दान और दूसरे स्रोत का भी हिस्सा भिन्न-भिन्न था — कुल खर्च का १५.१ प्रति शत उड़ीसा में तथा ४.६ प्रति शत आन्ध्र प्रदेश में।

स्वसंचालित संस्थाओं को बहुधा राजकीय अनुदान मिलता है। पर इन प्रश्न पर प्रत्येक राज्य की स्वतन्त्र नीति होती है निम्न-लिखित विषयों में से किसी भी एक मंड पर अनुदान प्राप्त हो सकता है :

१. शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए वृत्ति;
२. विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की परीक्षा का खर्च;
३. अनाथ बच्चों के छात्रावासों का सञ्चालन;
४. स्कूल तथा छात्रावास की इमारतों के निर्माण तथा प्रसार पर खर्च;
५. भ्रमबाह, शिक्षा-साधन, विज्ञान-शिक्षा तथा पुस्तकालय पर व्यय;
६. स्कूल की इमारतों, छात्रावासों तथा खेल-कूद के लिए जमीन खरीदने का खर्च;
७. हस्त-कला, कला तथा कौशल के शिक्षण पर व्यय; तथा
८. निर्वाह-अनुदान।†

केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों तथा शिक्षा-संस्थाओं को कुछ अनुमोदित विषयों के लिए अनुदान देती है। प्रथम योजना-काल में केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सहायता के कारण माध्यमिक शिक्षा में अनेक सुधार किये गये। ४७० स्कूल बहुद्देशीय स्कूलों में बदल दिये गये। १,०७२ स्कूलों को समाज-शास्त्र तथा २१४ स्कूलों को विज्ञान-अभ्यापन की उन्नति के लिए, १,४७९ स्कूल-पुस्तकालयों तथा १,११९ मिडिल स्कूलों को हस्तकला आरम्भ करने के उद्देश्य से केन्द्रीय अनुदान की व्यवस्था की गयी। १० प्रशिक्षण केन्द्रों और १३ प्रशिक्षण महाविद्यालयों को प्राण्ट मिला तथा २१ संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा के ३१ विषयों पर शोध करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक मंड में अनावर्ती खर्च का ६६ प्रति शत तथा आवर्तक खर्च का २५ प्रति शत स्वयं अनुदान के रूप में दिया।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् — माध्यमिक शिक्षा आयोग की विपरीतियों के कारण, भारत सरकार ने इन परिषद् की स्थापना २२ मार्च, १९५५ में की। परिषद् एक विरोध संस्था के रूप में काम करती है, तथा केन्द्रीय और राज्य-सरकारों को माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सलाह देती है। सितम्बर, १९५८ को परिषद् की कार्यवाही की बीच केन्द्रीय शिक्षा-सन्त्रास-द्वारा नियुक्त एक

† Secondary Education Commission's Report, p. 221

समिति ने की। इस समिति के परामर्श के अनुसार, परिषद पुनर्गठित हुई। इस पुनर्गठित परिषद के सदस्यों का विवरण इस प्रकार है : (१) संचालक, माध्यमिक शिक्षा-प्रसारण - कार्यक्रम - संचालक-मण्डल, केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय, (२) नायक वित्त-परामर्शदाता, केन्द्रीय मन्त्रालय, (३) प्रत्येक संस्था से एक प्रतिनिधि — (अ) अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा-परिषद, (आ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (इ) अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा-परिषद, (ई) अखिल भारतीय शिक्षण-सभ और (उ) शिक्षण महाविद्यालय - आचार्य-सभा, (४) प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि, (५) पाँच नामजद शिक्षा-शास्त्री - केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा मनोनीत। इस तरह सभासदों की संख्या चौबीस है।

केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय के संयुक्त शिक्षा-परामर्श-दाता माध्यमिक शिक्षा-विभाग, तथा इसी विभाग के प्रधान क्रमशः इस परिषद के अध्यक्ष एवं मन्त्री हैं। परिषद के मुख्य कार्य निम्न-लिखितानुसार हैं :

१. माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की आलोचना करना तथा एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक प्रश्न पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सलाह देना;

२. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा उठाये हुए प्रस्तावों की परीक्षा करना और उन पर उपयुक्त सुझाव देना;

३. माध्यमिक शिक्षा के मुद्दों के लिए, नये प्रस्तावों को उठाना; और

४. माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित शोधों पर विचार करना तथा गवेषणा के लिए नये तथ्य मुझाना।†

मूल परिषद के विधायक कार्य अत्र एक स्वतन्त्र 'माध्यमिक शिक्षा-प्रसारण-कार्यक्रम-संचालक-मण्डल' को सौंप दिये गये हैं। यह मण्डल केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय से संलग्न है। नये परिषद का प्रथम अधिवेशन २७ जुलाई, १९५९ को हुआ, जब कि माध्यमिक शिक्षा के मुख्य पाँच प्रश्नों पर विचार करने के लिए पाँच उप-समितियाँ नियुक्त हुईं : (१) उच्चतर माध्यमिक स्कूल तथा बहुद्देशीय स्कूल, (२) पाठ्य-विषयक तथा परीक्षा-सम्बन्धी मुद्दों, (३) मध्य-अध्यापन-प्रशिक्षण, (४) शिक्षक तथा प्रयोग और (५) विज्ञान-शिक्षा।

† *Government of India Resolution No F. 13-36/58-SE 3, March 28, 1959.*

**पाठ्यक्रम.**—इसका माध्यमिक पाठ्यक्रम में ये विषय सम्मिलित रहते हैं :  
 (१) अंग्रेजी, (२) मातृ-भाषा, (३) इतिहास तथा भूगोल, (४) गणित, (५) विज्ञान  
 और (६) सांस्कृतिक या आधुनिक भाषा। हाल ही में औद्योगिक विषयों का भी  
 समावेश हुआ है। पाठ्यक्रम के दोषों की आलोचना करते हुए, माध्यमिक शिक्षा  
 आयोग ने कहा :

१. प्रचलित पाठ्यक्रम अति सकुचित है;
२. यह निम्न पुस्तकीय तथा सैद्धान्तिक है,
३. पाठ्य-विषयों की अधिकता होने हुए भी, हममें उन क्रियाओं  
 का अभाव है, जिनसे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास हो सके;
४. यह किशोरों की विभिन्न क्षमताओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति  
 नहीं करता;
५. हममें परीक्षा की प्रधानता रहती है, और
६. हममें तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है। देश  
 की आर्थिक तथा औद्योगिक उन्नति के लिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है।<sup>१</sup>

ताम्रचन्द्र रिपोर्ट के निकलते ही देश में विविध पाठ्यक्रम की माँग शुरू हुई  
 तथा कुछ औद्योगिक स्कूल खुले। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के फल-स्वरूप  
 हम कार्य में एक नवीनता आयी। अब राष्ट्रीय स्तर पर खुलने जा रहे हैं तथा  
 पाठ्यक्रम का वृत्त फैल रहा है। शारीरिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा है तथा  
 राष्ट्रीय मैन्यु-विद्यार्थी दल की आगोशना की गयी है।

**शाला-शृङ्खला तथा शिक्षण-साधन.**—हममें कुछ विविध उन्नति नहीं दिखलाई  
 दे रही है। अनेक स्कूल क्षेत्रों में हमारतो तथा गन्दी शालियों में लगते हैं। पुस्तकालयों का  
 स्थिति सम्बन्धित नहीं है। जनता इन दोनों में पूर्णतया परिचित है, पर उन्नति का  
 आकाश नहीं दिख रहा है। इसका मुख्य कारण है माध्यमिक शिक्षा का हीन स्तर में  
 शिक्षण। कभी-कभी हमारे गैरमान्य हतोन्माद होकर यह देखते हैं कि शिक्षण-साधन  
 कभी होने दो। शिक्षण-साधनों एवं ज्ञान दलों की विन्ता हम अनिश्चय में करेते।

**परीक्षा.**—हमारी शिक्षण-व्यवस्था में परीक्षा का प्रमुख स्थान है। परीक्षाएँ दो  
 प्रकार की होती हैं: आन्तरिक और बाह्य। आन्तरिक परीक्षाओं के द्वारा शिक्षण-व्यवस्था



कि विभाजन तथा उनकी क्षमता की जेंग होगी है। आन्तरिक परीक्षाएँ सामाजिक, तांत्रिक, शारीरिक तथा वार्षिक होगी हैं। इन गरमों वार्षिक परीक्षा ही गरमों महत्व पूर्ण होती है। कारण, इस परीक्षा फल के आधार पर विद्यार्थियों को ऊपर की कक्षाओं में उढ़ाने जाते हैं, अथवा अनुत्तीर्ण होने पर उगी कक्षा में रोक दिये जाते हैं।

बाह्य परीक्षा माध्यमिक शिक्षा समाप्त होने पर ली जाती है। निम्न-निम्न गरमों में उन शालान्त परीक्षा के विविध नाम हैं: मैट्रिक, मूल्य कायान्त, मूल्य मर्त्योकिनेट, आदि। वेद के साथ कहना पड़ता है कि इस परीक्षा में गरमों देश के ५० प्रति दान में भी म परीक्षाओं सफल होते हैं। निम्नाह्वित ताथिता पर दृष्टि-निधेन कीजिए :

### तालिका १४

मैट्रिक तथा अन्य शालान्त परीक्षाओं का फल

वर्य	परीक्षार्थियों की सख्या	'पास' सख्या	उत्तीर्णता का प्रति शत
१५१-५२	५,८३,५७०	२,६२,०५९	४४.७
१५२-५३	७,२४,७९९	३,३४,७६०	४६.२
१५३-५४	८,१८,६२०	३,९७,००५	४८.५
१५४-५५	८,३०,००१	४,००,०१४	४८.२
१५५-५६	९,२०,०२६	४,२९,४९४	४६.७

परीक्षार्थी, उसके माता-पिता या अभिभावक, समाज तथा शिक्षा-पद्धति पर इस शिक्षा का विपाक्त परिणाम होता है। घोटते-घोटते विद्यार्थी निष्प्राण-सा हो जाता है, और उसकी शारीरिक सम्पत्ति निस्तेज पड़ जाती है। परीक्षा में वह जो कुछ भी उगल जाता है, उसी पर उसे उसका मूल्यांकन होता है। उसके आन्तरिक परीक्षा-फल की कोई निका भी परवा नहीं करता है। उस मूल्यांकन में परीक्षकों की वैयक्तिक रुचियाँ एवं चारों का ही प्राधान्य रहता है। यदि परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण होता है, तो वह अपना नैतिक संतुलन खो बैठता है, विलाप करने लगता है और आत्म-विश्वास गवाँ देता

है। इन के साथ-साथ उसके माता-पिता के तथा देश के अर्थ का नाश या अपव्यय होना है।

पर इस परीक्षा का सबसे बुरा परिणाम हमारी शिक्षा-पद्धति पर पड़ता है। कारण, एक शिक्षक की योग्यता तथा एक स्कूल की दक्षता शालान्त परीक्षा-फल के आधार पर की जाती है। शिक्षक का ध्येय हो जाता है विद्यार्थियों को परीक्षा में पास कराना। वह वैज्ञानिक शिक्षा-प्रणाली भूल जाता है। पढ़ाने समय वह उन अंशों पर धोर देता है, जिन पर अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों को भी ऐसे स्थल बिना समझे-बूझे कंठस्थ करने पड़ने हैं। इस परीक्षा के विकृत पचास वर्षों से आवाज उठती आ रही है, पर परीक्षाओं के बोझ से भारतीय शिक्षा मुक्त नहीं हो पायी है।

### माध्यमिक शिक्षा की कतिपय समस्याएँ

**भूमिका.**—आज विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा की नुस्खतापीनी हो रही है, और इस शिक्षा की आशानुरूप प्रगति नहीं हुई है। असन्तोष के अनेक कारण हैं। पूरे विश्व के माध्यमिक क्षेत्र में आज एक नवीन विचार-धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञान की वृद्धि हो रही है, नये नये विषयों का समावेश हो रहा है तथा उपयोगिता और व्यावहारिक ज्ञान की पुकार मची है। इन सब बातों की ओर हमारे देश की माध्यमिक शिक्षा पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, पर आशानुरूप परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। लगभग दस वर्षों से हम प्रजातान्त्रिक हैं, पर आज भी हमारी माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली प्रजातान्त्रिक नहीं है। विद्यार्थियों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, पाठ्यक्रम खरबों है, निर्देश तथा परामर्श का अभाव है, परीक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है, जीवन की आवश्यकताओं में शिक्षा का कोई सम्बन्ध नहीं है, इत्यादि। माराय यह है कि आज माध्यमिक शिक्षा के सामने अनेक समस्याएँ हैं। उनमें से मुख्य ये हैं: (१) उद्देश्य, (२) माध्यमिक शिक्षा की दृष्टि, (३) मागटनिक टॉन्का, (४) पाठ्यक्रम, (५) निर्देश मूल्य, (६) निर्देश तथा परामर्श, (७) प्रशासन, (८) परीक्षा तथा योग्यता निर्धारण और (९) विद्यार्थियों का चरित्र-निर्माण। अब इन समस्याओं पर प्रत्येक संक्षेप में विचार किया जाए।

**उद्देश्य.**—अभी तक माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को या तो विश्वविद्यालयों के योग्य तैयार करना था, अथवा दफ्तरी के जूबों के लक्ष्य बना देना था। अगर माध्यमिक शिक्षा का यही उद्देश्य सत्य है तो हमारे माध्यमिक स्कूल आधुनिक मकानों में हुए हैं। कपड़, कपड़े खराबच भरे हुए हैं। यहाँ तक कि अनेक विद्यार्थियों को बर्तों आब उगार नहीं मिल रही है। इसके सिवा, हजारों शिक्षक

इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा की अवधि बच्चों की मजदूरी एवं आयु तक है। उच्चतर माध्यमिक स्तर के अनेक कारण हैं। माध्यमिक शिक्षा की अवधि में एक वर्ष छोड़ने का मुख्य कारण था कि माध्यमिक शिक्षा की कुछ क्षमताएं जैसे तथा कठिनाईयों में अधिक आयु के तैयार विद्यार्थियों को आते। यह भी देखा जाता है कि हमारे स्कूल पाठ्य विद्यार्थियों को आने का निम्न-अव्ययन का प्रथम वर्ष शुरू को संभालने में लग जाता है, और अंतर्गत-संभालने उन्हें इष्टतम-दृष्टि परीक्षा का सामना करना पड़ता है। तीन वर्षों तक शिक्षा की आवश्यकता इसी-दृष्टि रही गयी है। अब में अच्छा तो यह होगा कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर्यन्त इष्टतम-दृष्टि का स्थान ले लेता, और उसके बाद उच्चतर माध्यमिक स्तर का तीन वर्षों का डिग्री कोर्स आना। राष्ट्रीय-आयोग का यही सुझाव था, पर इसमें शिक्षा की अवधि एक वर्ष बढ़ जाती और माना-दिनांशों पर अपने बच्चों के एक वर्ष के रार्य का घेत लड़ जाता। यह सब सोच-विचार कर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा की अवधि नहीं बढ़ानी चाही।

**सांख्यिक ढाँचा.**—माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर कई समितियों तथा परिषदों ने विचार किया। अन्त में 'कंसलिंग' तथा विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों की एक बैठक में (१२-१४ जनवरी, १९५५) भारत की शिक्षा के विषय में कुछ प्रस्ताव पास हुए। भारत सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार किया। इनके अनुसार, भविष्य में शिक्षा का ढाँचा साधारणतया इस प्रकार का होगा :

१. आठ वर्ष की अवधि की अक्षत बुनियादी शिक्षा — ६-१४ वयोवर्ग के बच्चों के लिए;

२. तीन वर्षों की अवधि की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, जिसमें बहुमुखी पाठ्यक्रम की व्यवस्था होगी — १४-१७ वयोवर्ग के हेतु; और

३. उच्चतर माध्यमिक स्तर के पश्चात् विश्वविद्यालयों का तीन वर्षीय डिग्री कोर्स।

इस प्रकार भारत सरकार अष्टवर्षीय बुनियादी शिक्षा की कल्पना कर रही है; पर इस स्तर को दो भागों में विभाजित करना पड़ेगा : (१) प्रारम्भिक ६-११ तथा (२) निम्न माध्यमिक या प्रथम बुनियादी ११-१४। इसके मुख्य दो कारण हैं : प्रथमतः, ६-१४ वयोवर्ग के विद्यार्थियों की सार्वजनिक, अनिवार्य शिक्षा अभी कुछ वर्षों तक संभव है। द्वितीयतः, ११ वर्ष की आयु के पश्चात् अनेक विद्यार्थी बुनियादी स्कूल नहीं चाहेंगे। अभी भारत के सामने मुख्य प्रश्न ६-११ वयोवर्ग के बच्चों की

अनिवार्य शिक्षा का है। यह शिक्षा ठीक पाँच वर्ष की अवधि की हो, न कि चार अथवा पाँच वर्षीय — जैसा कि माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने सुझाव दिया था। इस अवधि को अनिवार्य न छोड़ देना चाहिए।

प्रारम्भिक स्तर के बाद आना चाहिए निम्न माध्यमिक या प्रवर बुनियादी (११-१४ वयोवर्ग के लिए), और तत्पश्चात् उच्च माध्यमिक (१४-१७ वयोवर्ग के लिए)। यहाँ यह भी कहना अनुचित न होगा कि उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रवर बुनियादी विद्यार्थीगण बे-रोकटोक दाखिल हो सके। यह आवश्यक है कि प्रवर बुनियादी के अधिकांश विद्यार्थियों को उत्तर बुनियादी स्कूलों में अध्ययन करें। इस तरह माध्यमिक शिक्षा के दो भिन्न-भिन्न स्तर होंगे : (१) निम्न (वर्ग ६-८) तथा (२) उच्च (वर्ग ९-११)। हम तरह उच्च माध्यमिक का दौरान तीन वर्ष होगा, न कि माध्यमिक शिक्षा-आयोग के सुझाव के अनुसार चार वर्ष। यह कहना अनावश्यक है कि उच्च माध्यमिक के पाठ्यक्रम में इण्टरमीडिएट का प्रथम वर्ष सम्मिलित रहेगा।

उपरोक्त टोचों को कार्यान्वित करने में दो अड़चनें आवेंगी : (१) वर्तमान हाई स्कूलों को उच्चतर स्कूल में बदलना और (२) उच्चतर हाई स्कूल पाठ्यक्रम को और भी कम समय में सनात करना—अर्थात् छः वर्ष में, न कि ७ या ८ वर्ष में। चूँकि अभी हम प्रत्येक हाईस्कूल को उच्चतर रूप नहीं दे सकते हैं, कुछ समय तक कालिज तथा विश्वविद्यालय पूर्व-विश्वविद्यालय कीस चलावेंगे। पर कम-से-कम प्रत्येक जिले में एक उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूल की आवश्यकता है। द्वितीय प्रश्न का समाधान हो सकता है, उच्चतर माध्यमिक (वर्ग ६-११) के समूचे पाठ्यक्रम को विचारपूर्वक एकीकरण के द्वारा। यह हमारे शिक्षा-शास्त्रियों को एक चुनौती है। कारण, उन्हें सात या आठ वर्ष के पाठ्यक्रम को छः वर्ष के वृत्त में बनाना पड़ेगा।

**पाठ्यक्रम.**—माध्यमिक पाठ्यक्रम की बनियों की चर्चा पहले ही की गयी है। अब एक-उद्देशीय पाठ्यक्रम से काम न चलेगा। कारण, ऐसे पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों की विभिन्न रुचियों, शक्तियों तथा रुच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा का ध्येय है, “उत्पादन-कार्य-बुद्धि का विकास करना, राष्ट्र का धन बढ़ाना और उसके द्वारा जनता के जीवन-स्तर को देश में ऊँचा उठाना।”<sup>1</sup> हम यह भी स्थूल रखना पड़ेगा कि वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मानसिक विकास के साथ उनकी शारीरिक उन्नति तथा चरित्र-गठन करना भी है। अतः, इन विचारों से माध्यमिक पाठ्यक्रम को बनाना अनिवार्य हो जाता है। साहित्यिक

स युवक और युवतियों नौकरों की अर्जा लिये धकेलते हुए फिर रही है। इस प्रकार स्तविक जीवन की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा उद्देश्य हीन हो गयी है। हिमाचल न्यायालया है कि केवल ५०-५५ प्रति शत मैट्रिक पास विद्यार्थी विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं। इसके सिवा गत पचास वर्षों में माध्यमिक स्कूलों की छात्र-संख्या पन्द्रह गुना बढ़ गयी है। सन् १९०१-०२ में ६०.३ लाख छात्र थे, जो सन् १९५६-५७ में ३.३ लाख हो गये। इसका अर्थ यह है कि अब विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक वर्ग के विद्यार्थीगण माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं। इन शिक्षा-सम्बन्धी वृत्ति में अधिकतर विविधता पायी जाती है। निःशुल्क अनिवार्य तथा सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा का और भी विस्तार होगा। अब यह स्पष्ट हो गया है कि माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा की केवल पृष्ठभूमि न रहेगी, पितृ स्वतः पूर्ण भी होगी। हाँ, यह विश्वविद्यालयों के लिए प्रतिभा-सम्पन्न छात्र तैयार करके अवश्य देवेगी; पर यह भी आवश्यक है कि इस शिक्षा के समाप्त करने पर किसी कार्य-क्षेत्र में सीधे लग सकें और जीवन के उत्तरदायित्वों को वहन करने में मर्ध हो सकें। चूँकि वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वाङ्ग-पूर्ण विकास करना है, इस कारण माध्यमिक स्कूल का ध्येय विद्यार्थी की मानसिक उन्नति के साथ उसका शारीरिक तथा नैतिक गठन भी होगा।

आजादी मिलने के पश्चात् हमारे माध्यमिक स्कूलों पर एक नवीन उत्तरदायित्व आ गया है। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने कहा है कि इन स्कूलों के छात्रों को सी-शिक्षा देनी चाहिए "जिससे वे धर्म-निरपेक्ष गणतन्त्र के सारे उत्तरदायित्वों को संभाल कर सकें, और देश का नैतिक अग्रगण्य बन सकें।" माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य देश के लिए मध्यवर्ती नेता तैयार करना होना चाहिए। इर्ष की बात है हमारे देश में अनेक विश्व-विख्यात उच्चश्रेणी के नेतागण हैं; पर मध्यवर्ती नेताओं की अत्यन्त अभाव है। किसी भी देश की उन्नति मध्यवर्ती नेताओं पर ही रहती है। इस कारण, ये ही स्थानिक समाज के कर्णधार होते हैं। ये ही सामान्य जनता को समुचित दिशा दे सकते हैं। खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माध्यमिक स्कूलों ने भी तक इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है।

**माध्यमिक शिक्षा की हद्द.**—आज हमारे देश के शिक्षा-जगत में विभिन्न रिभाषिक शब्दों का उपयोग हो रहा है : अवर तथा प्रवर बुनियादी, प्राथमिक, प्रारम्भिक, डिग्री, जूनियर माध्यमिक, हाई, उच्चतर माध्यमिक, विश्वविद्यालय, इत्यादि। इन्हें

सुनकर कोई भी धरना जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि शिक्षा के मुख्य तीन क्रम हैं : प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च। इन्हीं तीन पारिभाषिक शब्दों का हमारे देश में उपयोग किया जाय।

इन तीन क्रमों में एकता की बहुत जरूरत है। पहले, प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा पर विचार कीजिए। दोनों शिक्षा-प्रणाली की अवधि, विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। उनमें एक समानता चाहिए। जब कि बुनियादी शिक्षा हमारे देश की स्वीकृत शिक्षा-प्रणाली है, तब पूरे देश की प्राथमिक शिक्षा का दौरान ५ वर्ष (अथवा बुनियादी) क्यों न हो ?

इस शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा आनी है। इसकी अवधि कितनी होनी चाहिए ? माध्यमिक शिक्षा अयोग ने सिफारिश की है कि चार या पाँच वर्ष की प्राथमिक अथवा अथवा बुनियादी के बाद माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भ हो, तथा इस शिक्षा के दो खण्ड हों : (१) मिडिल अथवा अथवा माध्यमिक अथवा प्रथम बुनियादी—तीन वर्ष की शिक्षा ; और (२) उच्चतर माध्यमिक—४ वर्ष की शिक्षा।

प्रथम बुनियादी को माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत लाकर आयोग ने ठीक सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि उच्च शिक्षा के लिये दार्ष्टान्तिक आधार तथा व्यावसायिक कुशलता दोनों ही की प्राप्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा की अवधि एक वर्ष बढ़ाना अपेक्षित है। इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए यह सुझाव दिया गया कि :

१. माध्यमिक शिक्षा की वय-अवधि ११ से १७ वर्ष हो।
२. उच्चतर माध्यमिक के चार वर्ष के पाठ्यक्रम में इण्टरमीडिएट प्रथम वर्ष सम्मिलित हो।
३. द्वितीय वर्ष टिप्पी-बोर्स में जोड़ दिया जाय। इस प्रकार टिप्पी-बोर्स तीन वर्ष का कर दिया जावे।
४. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के पश्चात्, किसी भी व्यावसायिक शिक्षण में प्रवेश किया जा सके।
५. जब तक माध्यमिक हाईस्कूल का नया ढाँचा कार्यान्वित न हो तब तक पुराने हाईस्कूल जारी रखे जावें। इन स्कूलों में मजबूतीपूर्ण शिक्षण के लिए कालिनी में एक वर्ष का पूर्व-निश्चिन्त पाठ्यक्रम आदर्शित किया जाय।†

इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा की अवधि बच्चों की मग्न वरुष आयु तक है । उपर्युक्त सुझाव के अनेक वारण थे । माध्यमिक शिक्षा की अवधि में एक वरुष जोड़ने का मुख्य ध्येय था कि माध्यमिक शिक्षा की कुछ धमता बदे तथा कालिजों में अधिक आयु के तैयार विद्यार्थीगण आवें । यह भी देखा जाता है कि हाई स्कूल पास विद्यार्थियों को अपने कालिज-अध्ययन का प्रथम वरुष खुद को सँभालने में लग जाता है, और सँभलते-सँभलते उन्हें इण्टरमीडिएट परीक्षा का सामना करना पड़ता है । तीन वरुष स्नातक शिक्षा की आयोजना इसीलिए रखी गयी है । सब से अच्छा तो यह होता कि उच्चतर माध्यमिक स्तर वर्तमान इण्टरमीडिएट का स्थान ले लेता, और उसके बाद विश्वविद्यालयों का तीन वरुष का डिग्री कोर्स आता । राधाकृष्णन आयोग का यही सुझाव था, पर इससे शिक्षा की अवधि एक वरुष बढ़ जाती और माता-पिताओं पर अपने बच्चों के एक वरुष के खर्च का बोझ लट जाता । यह सब सोच-विचार कर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा की अवधि नहीं बढ़ानी चाही ।

**सांगठनिक ढाँचा.**—माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर कई समितियों तथा परिपत्रों ने विचार किया । अन्त में 'केसशिम्' तथा विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की एक बैठक में ( १२-१४ जनवरी, १९५५ ) भारत की शिक्षा के ढाँचे के विषय में कुछ प्रस्ताव पास हुए । भारत सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार किया । इनके अनुसार, भविष्य में शिक्षा का ढाँचा साधारणतया इस प्रकार का होगा :

१. आठ वरुष की अवधि की अक्षत बुनियादी शिक्षा — ६-१४ वयोवर्ग के बच्चों के लिए;

२. तीन वरुष की अवधि की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, जिसमें बहुमुखी पाठ्यक्रम की व्यवस्था होगी — १४-१७ वयोवर्ग के हेतु; और

३. उच्चतर माध्यमिक स्तर के पश्चात् विश्वविद्यालयों का तीन वर्षीय डिग्री कोर्स ।

इस प्रकार भारत सरकार अष्टवर्षीय बुनियादी शिक्षा की कल्पना कर रही है; पर इस स्तर को दो भागों में विभाजित करना पड़ेगा : (१) प्रारम्भिक ६-११ तथा (२) निम्न माध्यमिक या प्रवर बुनियादी ११-१४ । इसके मुख्य दो कारण हैं : प्रथमतः, ६-१४ वयोवर्ग के विद्यार्थियों की सार्वजनीन, अनिवार्य शिक्षा अभी कुछ वर्ष असम्भव है । द्वितीयतः, ११ वरुष की आयु के पश्चात् अनेक विद्यार्थी बुनियादी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहेंगे । अभी भारत के सामने मुख्य प्रश्न ६-११ वयोवर्ग के बच्चों की

माध्यमिक शिक्षा

अनिवार्य शिक्षा का है। यह शिक्षा ठीक पाँच वर्ष की अवधि की हो, न कि चार आठवाँ पाँच वर्षीय — जैसा कि माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने सुझाव दिया था। इस अवधि को अनिर्णीत न छोड़ देना चाहिए।

प्रारम्भिक स्तर के बाद आना चाहिए निम्न माध्यमिक या प्रथम बुनियादी (११-१४ वयोवर्ग के लिए), और तत्पश्चात् उच्च माध्यमिक (१४-१७ वयोवर्ग के लिए)। यहाँ यह भी कहना अनुचित न होगा कि उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रथम बुनियादी विद्यार्थीगण बे-रोकटोक दाखिल हो सकें। यह आवश्यक है कि प्रथम बुनियादी के अधिकांश विद्यार्थियों को उत्तर बुनियादी स्कूलों में अधुनून करे। इस तरह माध्यमिक शिक्षा के दो भिन्न-भिन्न स्तर होंगे : (१) निम्न (वर्ग ६-८) तथा (२) उच्च (वर्ग ९-११)। इस तरह उच्च माध्यमिक का दौरान तीन वर्ष होगा, न कि माध्यमिक शिक्षा-आयोग के सुझाव के अनुसार चार वर्ष। यह कहना अनावश्यक है कि उच्च माध्यमिक के पाठ्यक्रम में इण्टरमीडिएट का प्रथम वर्ष सम्मिलित रहेगा।

उपर्युक्त टोचे को कार्यान्वित करने में दो अड़चने आवेंगी : (१) वर्तमान हाई स्कूलों को उच्चतर स्कूल में बदलना और (२) उच्चतर हाई स्कूल पाठ्यक्रम को और भी कम समय में समाप्त करना—अर्थात् छः वर्ष में, न कि ७ या ८ वर्ष में। चूँकि अभी हम प्रत्येक हाईस्कूल को उच्चतर रूप नहीं दे सकते हैं, कुछ समय तक कालिब तथा विश्वविद्यालय पूर्ण-विश्वविद्यालय कोर्स चलवेंगे। पर कम से-कम प्रत्येक ज़िले में एक उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूल की आवश्यकता है। द्वितीय प्रश्न का समाधान हो सकता है, उच्चतर माध्यमिक (वर्ग ६-११) के समूचे पाठ्यक्रम को विचारपूर्वक एकीकरण के द्वारा। यह हमारे शिक्षा-शास्त्रियों को एक चुनौती है। कारण, उन्हें मात्र या आठ वर्ष के पाठ्यक्रम को छः वर्ष के हूत में समाप्त पड़ेगा।

पाठ्यक्रम.—माध्यमिक पाठ्यक्रम की कमियों की खर्चा परले ही की गयी है। अब एक-उद्देशीय पाठ्यक्रम से काम न चलेगा। कारण, ऐसे पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों की निर्भिन्न रुचियों, शक्तियों तथा इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा का ध्येय है, “उत्साहन-कार्य कुशलता का विकास करना, गति का धन बढ़ाना और उसके द्वारा जनता के जीवन-स्तर को देश में उच्च उठाना।”<sup>१</sup> हमें यह भी स्पष्ट भवना पड़ेगा कि वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मानसिक विकास के साथ उनकी शारीरिक उन्नति तथा चरित्र-गठन करना भी है। अतः, इन दिश्यों में माध्यमिक पाठ्यक्रम को हलक बनाना अनिवार्य हो जाता है। सांख्यिक



विषयों के विषय, इसमें औद्योगिक तथा तकनीकी विषयों का स्थान आवश्यक है। इसके अतिरिक्त गृहनात्मक कार्यों की ओर ध्यान दिया जाय।

**निम्न माध्यमिक स्तर.**—इस स्तर के पाठ्यक्रम का प्रधान उद्देश्य विद्यार्थियों के जीवन से सम्बन्धित आवश्यक विषयों का परिचय कराना है। इस कारण पाठ्यक्रम में, भाषाएँ, समाज शास्त्र, सामान्य विज्ञान तथा गणित का समावेश हो। इनके अतिरिक्त विद्यार्थियों में सांस्कृतिक रसिकता के लिए कथा एवं संगीत और कलाएँ, तथा उन्हें जीविके के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल कूद का ज्ञान देना है। इन आवश्यकताओं की ओर ध्यान रखा जाए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्न माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया है :

१. भाषाएँ : (१) राष्ट्र-भाषा (हिन्दी), (२) मातृ-भाषा — जिन क्षेत्रों में हिन्दी मातृ-भाषा हो, वहाँ भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ायी जाये, और (३) अंग्रेजी अथवा उच्च मातृ-भाषा या अन्य आधुनिक भारतीय भाषा;

२. समाज शास्त्र — इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र का समावेश;

३. सामान्य विज्ञान;

४. गणित : अंकगणित, सरल बीजगणित, सरल रेखागणित;

५. कला या संगीत;

६. एक क्राफ्ट (स्थानिक वातावरण की ओर ध्यान रखते हुए; देहातों में कृषि); और

७. शारीरिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक और मनोरंजक क्रियाएँ।†

शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा हो। पाठ्यक्रम विभिन्न स्वतन्त्र विषयों में न बँटा हुआ हो, बल्कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान-क्षेत्रों में बँटा हुआ हो, जो कि जीवन से सम्बन्धित हों। इसके अतिरिक्त जैसा कि माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने प्रस्ताव किया है कि “सिडिल तथा प्रवर बुनियादी पाठ्यक्रम एक से हों। इनकी अध्यापन-पद्धति में ही केवल विभिन्नता की आवश्यकता है।”‡

† Ibid., p 89.

‡ Ibid., pp 86-87.

उच्चतर माध्यमिक स्तर.—निम्न माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सभी विषय अनिवार्य हैं। इस न्यूनतम ज्ञान की आवश्यकता सभी शिक्षित मनुष्य को रहती है। पर उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर, विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्य-विषयों का प्रबन्ध होना चाहिए। इसके कई कारण हैं। प्रथमतः, निम्न माध्यमिक स्तर की पढ़ाई की बुनियाद पर अब विशेषीकृत अध्ययन शुरू हो सकता है। द्वितीयतः, किशोरों की विभिन्न क्षमताओं का ठीक अनुमान १३-१४ वर्ष की आयु के पूर्व नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने पर आधे से अधिक विद्यार्थियों के सामने दाल-रोटी का प्रश्न आ जाता है। इस कारण उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का एक विशेष ध्येय होना चाहिए — प्रत्येक विद्यार्थी को एक व्यवसाय या उद्योग के लिए तैयार करना। इन जरूरतों को सामने रखते हुए दो विशिष्ट निश्चयों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम पर विचार किया जाय, अर्थात् माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा-परिषद् (अभामाशिष)।

१. माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रभाव.—इस आयोग ने सिफारिश की है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर में निम्न-लिखित विषय सम्मिलित किये जायें :

अ. भाषाएँ.—(१) मातृ-भाषा या क्षेत्रीय भाषा या मातृ-भाषा तथा सांस्कृतिक भाषा सम्मिलित एक पाठ्यक्रम, (२) इनमें से कोई भी एक भाषा : (अ) हिन्दी (जिनकी यह भाषा मातृ-भाषा न हो), (आ) सरल अंग्रेजी (जिनोंने मिडिल स्कूल में अंग्रेजी न पढ़ी हो), (इ) उच्च अंग्रेजी (इस भाषा का जिनोंने पहले अध्ययन किया हो), (ई) एक आधुनिक भारतीय भाषा (हिन्दी को छोड़कर), (उ) एक आधुनिक विदेशी भाषा (अंग्रेजी को छोड़कर), (ऊ) एक सांस्कृतिक भाषा।

आ. (१) समाज शास्त्र और (२) सामान्य विज्ञान (गणित के साथ) — प्रथम दो वर्ष।

इ. स्थानिक वातावरण की ओर ध्यान रखते हुए, इनमें से एक क्रमः (१) बतारें तथा कुनाई, (२) बड़ईगिरी, (३) धान का काम, (४) बागवानी, (५) उर्जागिरी, (६) छारने की कला, (७) बागखाने का काम, (८) सुविधमं तथा बर्सातकारी, और (९) मूर्ति कला।

ई. निम्न-लिखित वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के कोई भी तीन विषय : (१) मानवीय विषय—(अ) एक सांस्कृतिक भाषा या अन्य कोई

भाषा, जो कि ऋ(२) में न री गयी हो, (आ) इतिहास, (इ) भूगोल, (ई) सरल अर्थ और नागरिक शास्त्र, (उ) सरल मानव और तर्क शास्त्र, (ऊ) गणित, (ए) संगीत, (ऐ) गृह विज्ञान । (२) विज्ञान — (अ) पदार्थ विज्ञान, (आ) रसायन शास्त्र, (इ) प्राणी-विज्ञान, (ई) भूगोल, (उ) गणित, (ऊ) सरल शरीर तथा आगेण्य विज्ञान । (३) प्राविधिक विषय. — (अ) व्यावहारिक गणित और भूमिति रेखा चित्र, (आ) व्यावहारिक विज्ञान, (इ) सरल मैकेनिकल इंजिनियरिंग, (ई) सरल इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग । (४) वाणिज्य विषय. — (अ) व्यवसायी अभ्यास, (आ) लेखा-कार्य, (इ) व्यावसायिक भूगोल या सरल अर्थ और नागरिक शास्त्र, (ई) शॉर्टहेण्ड तथा टाइपिंग । (५) कृषि. — (अ) साधारण कृषि, (आ) पशु-पालन, (इ) उद्यान-विद्या तथा बागवानी, (ई) कृषि-सम्बन्धी रसायन तथा घनस्पति-शास्त्र । (६) कलात्मक कलाएँ. — (अ) कला-इतिहास, (आ) नकशा तथा रेखा-चित्र, (इ) चित्र-कला, (ई) मूर्ति-कला, (उ) संगीत, (ऊ) नृत्य । (७) गृह-विज्ञान. — (अ) गृह अर्थशास्त्र, (आ) आहार तथा पारु-कला, (इ) मातृ-कला तथा शिशु-पालन, (ई) गृह-प्रबन्ध तथा सुश्रूषा ।†

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होगा कि आयोग ने दो प्रकार के विषयों का सुझाव दिया है : (१) अनिवार्य अर्थात् अ, आ, इ समूह और (२) बहुमुखी अर्थात् ई समूह । इसके अन्तर्गत ई समूह के ७ वर्ग आ जाते हैं । इनमें से किसी भी वर्ग के तीन विषय लिये जा सकते हैं । आवश्यकतानुसार दूसरे प्रकार के विविध विषय भी अवश्य सम्मिलित किये जा सकते हैं । आयोग ने यह सिफारिश की है कि बहुमुखी पाठ्यक्रम उच्चतर स्तर के द्वितीय वर्ष से शुरू किये जावें ।

२. अभामाशिप के प्रस्ताव.—माध्यमिक शिक्षा के प्रस्तावों का विचार कई निकायों ने किया । भाषा के विषय में 'अभामाशिप' की एक बैठक (११ जनवरी, १९५६) ने सुझाव दिया कि उच्चतर पाठ्यक्रम में तीन भाषाएँ अनिवार्य हों । 'केसशिप' ने अपनी सन् १९५७ ईस्वी की जनवरी की बैठक में इस सुझाव को मान लिया तथा राज्य-सरकारों की विवेचना के लिए निम्न-लिखित दो सूत्र प्रस्तुत किये :

प्रथम सूत्र : (१)—(अ) मातृ-भाषा या (आ) क्षेत्रीय भाषा या (इ) मातृ-भाषा तथा कोई क्षेत्रीय भाषा-सम्मिश्रित एक पाठ्यक्रम, या (ई) मातृ-भाषा और सांस्कृतिक भाषा-सम्मिश्रित एक पाठ्यक्रम, या उ) एक क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक भाषा-सम्मिश्रित एक पाठ्यक्रम; (२) हिन्दी या अंग्रेजी; (३) कोई आधुनिक भारतीय या पाश्चात्य भाषा जो कि (१) या (२) में न ली गयी हो।

द्वितीय सूत्र : (१) प्रथम सूत्र के समान, (२) अंग्रेजी या कोई आधुनिक पाश्चात्य भाषा; (३) हिन्दी (अहिन्दी क्षेत्रों के लिए) या कोई भी भारतीय भाषा (हिन्दी क्षेत्रों के लिए)।

उपर्युक्त सूत्रों के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को तीन भाषाएँ सीखना ज़रूरी हो गया है, किन्तु माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दो अनिवार्य भाषा का सुझाव दिया था। वेद की भाँति है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग या 'अभ्यासाक्षर' ने पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक भाषा को योग्य स्थान नहीं दिया है। इसे यह वाद रखना चाहिए कि किसी भी देश का सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन सांस्कृतिक भाषा के अध्ययन पर ही निर्भर है। यह सोच विचार पर भाषा-अध्ययन पर एक सुझाव नीचे दिया जाता है :

१. मातृ-भाषा या अहिन्दी क्षेत्रों के लिए अन्य कोई भारतीय भाषा;

२. कोई भी दो भाषाएँ : (१) कोई अन्य भारतीय भाषा जो ऊपर न ली गयी हो, (२) एक सांस्कृतिक भाषा, (३) अंग्रेजी या अन्य कोई आधुनिक पाश्चात्य भाषा।

व्याधीन भारत में मातृ भाषा का ज्ञान किसी भी भारतीयता के लिए अनिवार्य होगा। किसी मातृ भाषा हिन्दी हो, वे कोई भी एक भारतीय भाषा लीये। आज देश के अनेक भागों में यह धारणा है कि हिन्दी मातृ भाषा के रूप में अहिन्दी क्षेत्रों में लगी जा रही है। यह तनावनी बहुत कुछ दूर हो सकती है, यदि हिन्दी भाषा अपने अन्य कोई भारतीय भाषा का अध्ययन करे।

द्वितीय सूत्र के, विद्यार्थी कोई भी दो भाषा चुन सकते हैं। अनेक विद्यार्थी अंग्रेजी को चुनते हैं। कारण, यह एक प्रधान अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है तथा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में इसका स्थान बहुत ही ऊँचा है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी अपना सर्व आधुनिक ज्ञान एक भाषा ही में रखते हैं — एक भारतीय भाषा या एक सांस्कृतिक भाषा या अंग्रेजी होकर कोई भी एक सुलेख्य भाषा।

तीन भाषाओं के अतिरिक्त, पाठ्यक्रम में समाज-शास्त्र तथा सामान्य विज्ञान आधारभूत विषय होंगे। इन दो बुनियादी विषयों का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना भविष्य में अन्य विषय पूर्णतः नहीं समझे जा सकते हैं। ये विषय, कई विषयों के समावेश से बनाये गये हैं। वर्तमान युग में ज्ञान के विस्तार के कारण, ऐसे सम्मिलित विषयों की सृष्टि हुई है। इन दोनों बुनियादी विषयों की पढ़ाई प्रथम दो वर्ष में खतम कर देनी चाहिए, तथा तृतीय वर्ष से विशिष्ट विषयों का अध्ययन आरम्भ किया जाय। विद्यार्थीगण बहुधा असमञ्जस में पड़ जाते हैं, जब कि उन्हें बुनियादी और विशिष्ट विषय साथ-साथ सीखना पड़ता है।

३. उपसंहार.—इस प्रकार पाठ्यक्रम में तीन भाषाएँ और दो बुनियादी विषय आधारभूत होंगे। इनके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी को एक क्राफ्ट तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा सुझाये हुए बहुमुखी पाठ्यक्रम के किसी भी समूह से तीन विषय लेने पड़ेंगे। क्राफ्ट के द्वारा विद्यार्थियों की कलात्मक तथा सृजनात्मक भावनाओं का विकास होता है। बहुमुखी पाठ्यक्रम की आयोजना के समय सदा दो प्रकार के विद्यार्थियों की जरूरतों की ओर लक्ष्य रहे : (१) वे विद्यार्थी, जो माध्यमिक शिक्षा समाप्त कर, जीवन-क्षेत्र में घुसना चाहते हों, और (२) वे, जो उच्च शिक्षा पाना चाहते हों। ऐसी स्थिति में बहुमुखी पाठ्यक्रम दो प्रकार के होना चाहिए : (१) शालान्त और (२) प्रवेशक। पाठ्यक्रम के विषय, किशोरों की व्यक्तिगत रुचियों, विशेष क्षमताओं और योग्यताओं की ओर लक्ष्य रखते हुए, चुने जावें। इनके अतिरिक्त, शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद सब विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हों।

अभ्यापन तथा पाठ्यक्रम में, सदा निम्न-लिखित विषयों की ओर ध्यान दिया जावे :

१. शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा हो;
२. जहाँ तक हो सके, पाठ्य-विषयों का एकीकरण किया जाय;
३. पाठ्यक्रम का सञ्चालन सही रीतियों से हो;
४. स्थानीय आवश्यकताओं तथा विद्यार्थियों की रुचि का सदा ध्यान रहे; तथा
५. छात्रों को निर्देश तथा परामर्श देने का प्रयत्न रहे।

विशेष स्कूल.—माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट निम्नलिखित के बाद, केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की ओर विशेष रूप से ध्यान

दिया है। योजना के दो अङ्ग हैं : (१) हाई स्कूलों की उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बढ़ाना, तथा (२) वर्तमान स्कूलों की बहुदलीय स्कूलों में बदलाव नया कर देना। प्रथम योजना के अरधिकार में ३६७ बहुदलीय स्कूल खोले गये। द्वितीय योजना का लक्ष्य है १३७ बहुदलीय तथा १,१८७ उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्थापित करना। इस प्रकार द्वितीय योजना की सम्पत्ति तक १० प्रति शत माध्यमिक स्कूल बहुदलीय रूप में बदल दिये जायेंगे। तृतीय योजना का लक्ष्य है और भी १,००० बहुदलीय स्कूल स्थापित करना।

उच्चतर माध्यमिक स्कूल.—देखा गया है कि योजनानुसार बहुदलीय स्कूल खोलने का रहे है, पर हाई स्कूलों की उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदलने का का धीरे-धीरे हो रहा है। इसके अनेक कारण हैं। प्रथमतः, राज्य सरकारों बहुदलीय स्कूल खोलने में दिलचस्पी ले रही हैं, और जनता में इन सम्बन्धों की अधिक माँग है। द्वितीयतः, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा योजना के प्रति राज्य सरकारों की उदासीनता का कारण है केन्द्रीय सरकार की अनुदार नीति। इस कारण के लिए केन्द्रीय सरकार कुछ ही समय तक मिलेगी। वर्तमान समय में इस वर्ष का ४० प्रति शत राज्य सरकारों दे रही है, और दोष केन्द्रीय सरकार। पर द्वितीय योजना के अरधिकार के बाद, राज्य सरकारों को इस कार्य का कुल व्यय स्वयं उठाना पड़ेगा। तृतीयतः, राज्य सरकारों अपना अधिकांश द्रव्य बहुदलीय स्कूल योजना पर खर्च कर रही हैं। इस खर्च को मिटाने के बाद, उनके पास अधिक पैसा नहीं बचता। चतुर्थतः, अधिकांश विश्वविद्यालयों ने तीन-वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स १९५७-५८ में आरम्भ किया है। इस पाठ्यक्रम के चले बिना, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का प्रसार असम्भव है। पर सब कठिन समस्या है उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए उपयुक्त शिक्षकों का अभाव। आ पूरे देश में लगभग २,००० उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं। इनमें से ७०० स्कूल हाल ही में खोले गये हैं। इनके लिए प्रति वर्ष २०,००० उत्तर-स्नातक डिग्री धारी शिक्षकों की आवश्यकता है। प्रत्येक राज्य-सरकार का अनुभव है कि एक शिक्षक पत्रांतरूप में नहीं मिलते। समूचे देश में प्रति वर्ष औसतन १४,००० एम० ए निकलते हैं। यदि ये सब भी शिक्षक बनें, तो भी देश की आवश्यकता पूरा न होगी।

बहुदलीय स्कूल.—माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निर्देशित बहुमुखी पाठ्यक्रमों में से तीन या उससे अधिक विषयों का प्रबंध एक बहुदलीय स्कूल में रहता है। इस स्कूल की लोक-प्रियता के कारण अगले पक्ष में दिये गये हैं :

१. इस सरथा-द्वारा सामाजिक एकता बढ़ती है। कारण, यहाँ सभी प्रकार के विद्यार्थीगण पढ़ सकते हैं तथा उनमें भेद-भाव बढ़ने नहीं पाता है।

२. ऐसे स्कूल में विद्यार्थियों को उनके धौदिक आधार तथा व्यावसायिक कुशलता के अनुसार छांटकर उचित पाठ्य-क्रम की शिक्षा देना सद्दज होता है। तत्पश्चात् किसी भी विद्यार्थी को अनुभव के आधार पर एक पाठ्यक्रम से दूसरे पाठ्यक्रम में बदलने के लिए कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता।

३. चूँकि ऐसे स्कूल में अनेक स्तर के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, इस कारण छात्रों तथा उनके अभिभावकों में कोई न्यूनता या श्रेष्ठता का भाव नहीं उपजता। यह भाव विद्यार्थियों के स्कूल में टाखिल होने या न होने के कारण उत्पन्न होता है।

बहुद्देशीय योजना के कार्यान्वित होने में अनेक कठिनाइयाँ आ रही हैं। प्रथमतः, इस योजना के अन्तर्गत पाठ्यक्रम तथा उनकी आवश्यकताओं को अनेक स्कूल-संचालकगण ठीक तरह नहीं समझ पा रहे हैं। प्रत्येक शिक्षा-विभाग का यह कर्तव्य है कि वह उचित मार्गदर्शन करे। इसमें विविध प्रकार की आवश्यकताओं का ध्यान रहे, यथा : शालागृह, प्रयोग-शाला, कर्म-शाला, शिक्षा-साधन, पुस्तकें इत्यादि। द्वितीयतः, ये स्कूल जहाँ तहाँ स्थापित न किये जायें। इनके खोलने के समय, सदा स्थानिक जरूरतों तथा साधनों का ख्याल रहे। अधिक छात्र-संख्या के बिना एक बहुद्देशीय स्कूल चल नहीं सकती है। यदि तीन ही विविध विषय एक स्कूल में रखे जायें, तो प्रत्येक कक्षा में कम-से-कम तीन बर्ग होना चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक शिक्षा-विभाग अपने राज्य का एक सर्वेक्षण करे, और तत्पश्चात् ऐसे स्कूल ठीक जगहों में खोले तथा अनुकूल विषय स्थिर करे। तकनीकी, वाणिज्य, कृषि, ललितकला तथा गृह-विज्ञान सरीखे विषयों के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों के मिलने में विशेष कठिनाई अनुभव की जाती है। इसके सिवा, ये विषय व्यय-साध्य भी हैं; अतएव स्वसंचालित भस्पाएँ इन्हें बड़ी कठिनाई से चला पाती हैं। शिक्षा-विभाग के अनुसार इन विषयों के पढ़ाने के लिए बहुमूल्य प्रयोग-शालाएँ, विशाल कर्म-शालाएँ तथा विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है। इन्हें सब समय जुटाना टेदी खीर है। सबसे अच्छा तो यह हो कि अधिकांश व्यावहारिक कार्य कल-कारखानों, व्यवसाय-केन्द्रों तथा विद्यार्थियों के निजी खेतों पर किया जावे। यह प्रथा अनेक पाश्चात्य देशों में आज प्रचलित है।

एक-उद्देश्यीय स्कूल.—यह किसीको न समझ लेना चाहिए कि एक-उद्देश्यीय स्कूल बहुद्देश्यीय संस्थाओं से कम महत्वपूर्ण है। शिक्षा-क्षेत्र में स्वतन्त्र प्राविधिक, प्रशासनिक या साहित्यिक स्कूलों का एक विशिष्ट स्थान है। उदाहरण-स्वरूप इंग्लैण्ड बहुद्देश्यीय स्कूलों का समर्थन नहीं करता है। उसके विरोध के मुख्य कारण नीचे दिये जा रहे हैं:

१. बहुद्देश्यीय स्कूलों का इतना अनुभव नहीं हुआ है कि वे वांछनीय गिने जा सकें।

२. एक-उद्देश्यीय संस्था का मान-दण्ड सदा ऊँचा कायम रखा जा सकता है।

३. बहुद्देश्यीय स्कूलों-द्वारा सामाजिक एकता नहीं बढ़ती है। सामाजिक एकता का अर्थ विद्यार्थियों की अधिकता नहीं है। यह भावना आध्यात्मिक होती है; और इसका विकास तभी सम्भव है, जब विद्यार्थियों में एक ही विचार में मग्न रहें।

४. एक-उद्देश्यीय स्कूलों का लक्ष्य स्पष्ट रहता है। बहुद्देश्यीय स्कूलों के पाठ्यक्रम तथा लक्ष्य की एक लिचड़ी-सी पक जाती है।

५. बहुद्देश्यीय स्कूलों के उपयुक्त अनेक विषयों के विचारद प्रधानाध्यापकों का अत्यन्त अभाव है।†

इस प्रकार इंग्लैण्ड में बहुद्देश्यीय स्कूलों के विषय में पौर मतभेद है। इस देश में एक-उद्देश्यीय स्कूल फैल रहे हैं, जैसे: ग्रामर-स्कूल, मॉडर्न-स्कूल, इत्यादि। प्रचलने की बात है कि एक ही छिनालीस स्थानिक निवासों में से सिर्फ़ दसों ने बहुद्देश्यीय स्कूल खोले हैं। इस प्रकार हमारे देश में भी ये स्कूल सोच-विचार कर स्थापित किये जायें।

ग्रामीण तथा श्रमिक-विद्यालय.—किसी भी शिक्षा-योजना में हमारे देशियों का स्थान सदा सम्मुख रहना चाहिए। कारण, ८० प्रतिशत भारतवासी गाँवों में रहते हैं, तथा श्रमिक से अपनी गुजर करते हैं। पर गाँवों की दशा दिन-प्रति-दिन गिरती जा रही है। ग्राम-शाही शहरो की ओर भाग रहे हैं। गाँवों में सुविधा का अभाव है। शिक्षा-सुधार ग्राम-सुधार का एक प्रधान अंग है।

† T. L. Keller, 'The Comprehensive Secondary School Controversy in England,' *Educational Administration and Supervision*, October, 1955



सन् १९५६-५७ ई० में देहातों के माध्यमिक स्कूलों की संख्या केवल २४,९३६ (इनमें उच्च या उच्चतर ५,२२३ और १९,७१३ मिडिल) थी। इनके तथा शहरी स्कूलों के पाठ्यक्रम में कोई भी फर्क नहीं है। सबसे अच्छा तो यह हो कि देहाती मिडिल स्कूल प्रवर बुनियादी स्कूलों में बदल दिये जावें। पर इनके पाठ्यक्रम का केन्द्रीय उद्योग कृषि या बागवानी होवे। जहाँ तक हो सके हाई स्कूल की पढ़ाई का सम्बन्ध ग्रामीण वातावरण से रहे, तथा क्राफ्ट एक देहाती विषय या कुटीर शिल्प हो। इसके साथ-साथ कृषि हाई स्कूल पर्याप्त रूप में खोले जावें। खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरीखे कृषि-प्रधान देश में ऐसे स्कूलों की संख्या सिर्फ ८४ (१९५६-५७) है। कृषि विद्यालयों में कृषि के साथ-साथ, बागवानी तथा पशु-पालन पढ़ाया जाय।

**निर्देश तथा परामर्श.**—बहुमुखी पाठ्यक्रम के आयोजना के कारण, शिक्षकों तथा स्कूलों पर एक नयी जिम्मेवारी आ गयी है। वह जिम्मेवारी यह है कि विद्यार्थियों को अपनी क्षमता एवं रुचियों का भान हो जाय तथा उन्हें इस प्रकार निर्देश तथा परामर्श मिले कि उनके उपयुक्त कौन-कौन से विषय हैं, जिनके अध्ययन से उन्हें अधिकतम सफलता मिले। विषयों के निर्वाचन के समय प्रत्येक विद्यार्थी को आठवीं कक्षा में यह परामर्श मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त हर एक छात्र को एक ऐसा निर्देश दिया जाय कि अपनी माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने पर उसे एक उपयुक्त नौकरी मिले; या, यह एक उच्च विद्यालय में शिक्षा मिले। यह सब सोच "सभी स्कूलों को प्रशिक्षित पथ-परामर्श-दाताओं तथा व्यवसाय-निर्देशकों की सेवाएँ अधिकाधिक मात्रा में क्रमशः उपलब्ध करायी जावें।" इस प्रस्ताव के फल-स्वरूप कई प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा राज्य-निर्देश-केन्द्रों ने इन व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त काम आरम्भ किये हैं। आब्र जनता भी निर्देश तथा परामर्श में दिलचस्पी लेने लगी है। १९५१-५९ के बीच बम्बई राज्य सरकारी निर्देश-केन्द्र ने ४२,००० व्यक्तियों को व्यक्तिगत परामर्श तथा २३,००० पुरुष-स्त्रियों को व्यवसायी सलाह दिया था। इसी दौरान में, केन्द्र ने ५० व्यवसाय-सम्मेलन आयोजित तथा १,००० व्यवसाय निर्देशक

# हाईस्कूल पाठ्य-विषयों के निर्वाचन के लिए निर्देश



**प्रशासन :** सहयोग की आवश्यकता.—शिक्षा-विभाग के अतिरिक्त अन्य प्रशासनीय विभागों का भी शिक्षा से सम्बन्ध रहता है, जैसे: कृषि-विभाग, वाणिज्य तथा उद्योग-विभाग, प्राविधिक विभाग, श्रम-विभाग, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता विभाग, इत्यादि। इनके निजी स्कूल रहते हैं, और ये अपना-अपना रह्योटा राग अलग-अलग अलापते हैं। इस कारण श्रम तथा अर्थ के नाश की सम्भावना रहती है। शिक्षा में इस द्वैध शासन को दूर करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया है :

१. प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र में शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले विभिन्न विभागों के मन्त्रियों की एक समिति स्थापित हो। इस समिति का मुख्य उद्देश्य हो कि शिक्षा-विस्तार के निमित्त विभिन्न विभागों के अर्थ का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाय।

२. शिक्षा की उन्नति तथा प्रसार की विभिन्न योजनाओं पर विचार करने के लिए, प्रत्येक राज्य में विभिन्न विभागों के मुख्य अधिकारियों की एक सहयोग-समिति की विशेष आवश्यकता है।


**माध्यमिक शिक्षा-मण्डल.**—शालान्त या/और माध्यमिक परीक्षा चलाने के लिए इस देश में आज पन्द्रह माध्यमिक शिक्षा-मण्डल हैं।† पर यह देखा गया है कि कई मण्डलों के सदस्यों की संख्या अत्यधिक है। कुछ सदस्य तो ऐने रहते हैं, जिनका शिक्षा से कुछ सरोकार नहीं है। काम सुधारने के बदले वे काम बिगाड़ते हैं। इसी कारण माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है :

माध्यमिक शिक्षा के यथोचित विस्तार के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा-मण्डल की रचना ठोस हो। इसके सदस्य शिक्षा-विद् हों तथा उनका कार्य केवल शिक्षा-नीति निर्धारित करना हो।‡

अनेक राज्यों में इन मण्डलों की स्थापना के कारण, द्वैध-शासन आ गया है। कारण, शालान्त कक्षा का पाठ्यक्रम का मानदण्ड निम्न कक्षा के पाठ्यक्रम से बहुतानिचूट रहता है। शिक्षा में निरन्तर्य की आवश्यकता है। द्वैध शासन के कारण, अनेक हानियाँ होती हैं। स्कूलों के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें तथा परीक्षा-नीति स्थिर करने की जिम्मेवारी शिक्षा-मण्डल को दी जाय, पर उन सबका निरीक्षण शिक्षा-विभाग करे।

† २३२२ पृष्ठ १०९।

‡ Secondary Education Commission's Report, p 191



निरीक्षण.—हमारी स्कूल-निरीक्षण-पद्धति का आज तीव्र प्रतिवाद हो रहा है। इस प्रथा के सम्बन्ध में शिक्षा-जगत् में अखण्डतोर च्वास हो रहा है। यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यह पद्धति दोष-पूर्ण है। इसका मुख्य कारण निरीक्षकों की कमी तथा निरीक्षकों में पर्याप्त क्षमता का अभाव ही है। हमारे देश में ऐसा कोई उपयुक्त प्रांशक्षण पाठ्यक्रम नहीं है, जिनके द्वारा हमारे निरीक्षकगण शिक्षा प्रशासन-कला में प्रांशक्षित किये जा सकें। जून, १९५६ में शिक्षा-प्रशासन की एक गोष्ठी श्रीनगर में हुई थी। उसमें निम्न-लिखित प्रस्ताव पास हुए थे :

१. शिक्षा-शासकों को प्रशासन-कला में प्रशिक्षित करने के लिए समस्त समय पर सञ्चित तथा दीर्घ कोसों, गोष्ठियों एवं कर्म-शालाओं का आयोजन किया जावे। इसके सिवा, नवीन अधिकारीगण कुछ समय तक अनुभवी शासकों के साथ पद-शिष्यार्थी के रूप में रहें जावें।

२. निरीक्षकों की संख्या बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है।

३. प्रत्येक राज्य में एक सचालक की नियुक्ति हो, जो शिक्षा-शासकों के प्रशासन का उपयुक्त प्रबन्ध करे। ... .. प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालय में एक शोध-विभाग की स्थापना हो, जिसका काम शिक्षा तथा शिक्षा-प्रशासन सम्बन्धी तथ्यों का शोध करना हो।†

स्वाधीन भारत में निरीक्षण-पद्धति में विशेष परिवर्तन की आवश्यकता है। आधुनिक जगत् में निरीक्षण का ध्येय अध्यापन की उन्नति है। यह कार्य शिक्षकों से होने-उठाने से ही नहीं पूरा होगा। निरीक्षकों तथा अध्यापकों के पारस्परिक सहयोग से ही अध्यापन में उन्नति हो सकती है। इस कार्य में निरीक्षक-विशेषों का मित्र परामर्श-दाता तथा मार्ग-निर्देशक है। यह भी शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा सकता है। इस भाव के अभाव के कारण, निरीक्षण बहुधा भ्रष्ट ही चला जाता है।

प्रबन्ध.—ता.दिना १२ में प्रबन्ध के अनुसार माध्यमिक स्कुलों का विभाजन किया गया है : गवर्नीय स्कुल (२००२), स्थानीय निवाय (३१०९) तथा स्वसंचालित (४७०९)। इन्हें तक धन गबता है, सरकार रतनः माध्यमिक स्कुल खोलना नहीं चाहती है। सरकारनी नीति निजी स्कुलों को प्राण्ट देकर प्रोत्साहन देने की है। हाँ, सरकार कल्याणालाएँ तथा पब्लिकविश स्कुल रतनं स्थापित करती है तथा निछड़े हुए क्षेत्रों निजी माध्यमिक स्कुल खोलती है।

स्थानिक बोर्डों-द्वारा परिचालित माध्यमिक स्कूल प्रायः सफल नहीं होते। इन समस्याओं की आलोचना करते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने मत दिया, “इन स्कूलों में अनेक सुधारों का प्रयोजन है।” देश की आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय निकाय अपना सम्पूर्ण ध्यान अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की ओर दें।

वर्तमान काल में स्वसञ्चालित स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। ये स्कूल चाहे जहाँ, खुलते ही जा रहे हैं। कहीं-कहीं तो दो-तीन स्कूल पास-पास स्थापित हो जाते हैं, पर अनेक स्थानों में कोई भी माध्यमिक स्कूल नज़र नहीं आते हैं। यह भी देखा गया है कि अनेक अच्छे मिडिल स्कूल कमजोर हाई स्कूल में बदल दिये जाते हैं। बहुतसे निजी स्कूल अस्वास्थ्यकर स्थानों में लगते हैं। उनमें शिक्षा-साधनों, पुस्तकालय, खेल के मैदान आदि का अभाव रहता है। वहाँ शिक्षकों की बुरी दशा रहती है। यथार्थ में इन स्कूलों का वहाँ रहने का भी कोई हक नहीं है। पर किसी न-किसी रीति-द्वारा वे शिक्षा-विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं। इन स्कूलों की दशा पर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने गौर किया है :

अभाग्यवश इस शिथिलता के फल-स्वरूप अनेक निकायों में स्कूल संचालकों के खास गरम करने के लिए चलते रहते हैं। ... .. न उनके पास उपयुक्त स्कूल-गृह रहता है, और न शिक्षा-साधन। शिक्षा-विभागों को मजबूर होकर, उन्हें स्वीकृति देनी पड़ती है। कारण, उनके भरती किये हुए विद्यार्थियों की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है।†

पर इन स्वसञ्चालित स्कूलों से घटतर हैं अस्वीकृत स्कूल। हाल ही में दिल्ली सेण्ट्रल इन्सटिट्यूट ऑफ़ एजुकेशन ने एक सर्वेक्षण किया है। इससे शत होता है कि जितने विद्यार्थी दिल्ली उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में बैठते हैं, उनसे दुगुने परीक्षार्थी निजी अस्वीकृत स्कूलों द्वारा पञ्जाब मैट्रिक परीक्षा के लिए तैयार किये जाते हैं। एक बड़े अस्वीकृत स्कूल के प्रिंसिपल का मासिक वेतन ₹, २००) है। इसी प्रकार एक अस्वीकृत मण्डल के अन्तर्गत १२ संस्थाएँ हैं जिनमें से छः संस्थाएँ एक मील के अर्ध व्यास में स्थित हैं। शिक्षा में यह व्यवहार नहीं तो क्या है !

**वित्त.**—अर्थात्कारण के कारण, अनेक माध्यमिक स्कूल कमजोर हैं। उन्हें विद्यार्थियों की फीस पर अपना निर्वाह करना पड़ता है। प्रायः २५ प्रति शत स्वयं संचालित स्कूलों को सरकारी अनुदान नहीं मिलता। कुछ बरों से माध्यमिक शिक्षा में

अनेक सुधार हुए हैं, तथा होने जा रहे हैं, जैसे: विविध विषयों का समावेश, क्राफ्ट शिक्षा, शिक्षकों की वेतन-वृद्धि, क्रिडोर-कन्याग, इत्यादि। अतः स्कूलों का खर्च बढ़ गया है तथा निजी स्कूलों को अधिक सरकारी प्राण्ट की ज़रूरत है। प्रत्येक राज्य में प्राण्ट की रकम स्थिर रहती है, पर स्कूलों को यथेष्ट सहायता नहीं मिलती। इस कारण, एक मुक्ति-पूर्ण वित्त-नीति की आवश्यकता है। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्न-लिखित सुझाव उपस्थित किये :

१. माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन तथा उन्नति के कार्य में, केन्द्रीय तथा राज्य का पूर्ण सहयोग स्थापित हो।

२. यह मोखना शक्य है कि केन्द्रीय सरकार की माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। विनोयनः, प्राविधिक तथा नागरिक शिक्षा के प्रकार का उत्तरदायित्व भारत सरकार अपने ऊपर ले।

३. माध्यमिक शिक्षा पर प्राविधिक तथा स्वास्थ्यविक शिक्षा के विभाग के लिये एक उपकर लगाया जाय, जो 'औद्योगिक शिक्षा उपकर' कहा जाय।

४. शिक्षा-दान की रकम पर कोई उपकर न लगाया जाय।†

**परीक्षा तथा योग्यता-निर्धारण.**—भारतीय शिक्षा पर परीक्षा का किनासा प्रभाव है, यह तो सबको विदित ही है। शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का ध्यान सदा परीक्षाओं की ओर विव्वा रहता है। हमारी परीक्षा-पद्धति में अनेक दोष हैं। किा भी इन परीक्षा की परिष्कृत नहीं कर सके। बाण्य, परीक्षा ज़रूरी है। इसके मुख्य तीन कार्य हैं : (१) परीक्षा, अध्यापन का एक आङ्क है, (२) विद्यार्थियों के वर्गीकरण का यह एक माधन है, और (३) विद्यार्थियों की प्रवृत्ति तथा शिक्षकों की कार्य-बुध्दयता की जाँच करने की यह एक बगौली है।

परीक्षाएँ कन्द नहीं की जा सकती हैं। उनमें सुधार की विविध आवश्यकता है। इन दिग्ग पर कुछ मुलायम शिये जाने हैं : (१) विद्यार्थियों की उन्नति निरन्तर लेखा गये जायें, (२) वारिक परीक्षा सब धेरियन करने के समय सावधिह तथा प्रेनन्टिह परीक्षा सब एवं उन्नति निरन्तर लेखा पर विचार किया जाय, (३) सावधिह परीक्षा में केवल उन्नते ही असा की परीक्षा ही कर, जो उन दिग्ग बाद में पदार्थ कर हो। बाद की अदधि ४० दिनों में अरिह न हो, (४) सावधिह परीक्षा के लिये में केवल

नवीन परीक्षा-प्रणाली के प्रश्नों का समावेश हो। त्रैमासिक तथा वार्षिक परीक्षाओं में आधे निबन्ध प्रश्न और आधे नवीन परीक्षण-प्रणाली के प्रश्न हों, (५) सार्वजनिक परीक्षा-काल में आन्तरिक परीक्षाओं, छात्रों की उन्नति-विषयक लेखा तथा साल भर के किये गये कार्य पर विचार किया जाय।

सितम्बर, १९५९ के माध्यमिक शिक्षा-मण्डल के मंत्रियों के एक सम्मेलन ने शालान्त परीक्षा के दोषों पर विचार करते हुए स्थिर किया : (१) एक सतुलित पाठ्यक्रम की बहुत ही आवश्यकता है; इस कारण, प्रचलित पाठ्यक्रम की परीक्षा शिक्षकगण तथा राज्यीय पाठ्यक्रम समिति करे। (२) पाठ्यक्रम के ध्येय, अध्यापन विधि तथा परीक्षा-पद्धति में एक विशेष समन्वय की आवश्यकता है, ताकि परीक्षार्थी की बौद्धिक क्षमताओं की जाँच हो न कि स्मरणशक्ति की। (३) सार्वजनिक परीक्षा दो प्रकार की हो : (अ) शालान्त — उन विद्यार्थियों के लिए जो आगे न पढ़ना चाहते हों, और (आ) प्रवेशिका — जो उच्च शिक्षा पाना चाहते हों।†

**विद्यार्थियों का चरित्र-निर्माण.**—आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की मानसिक, नैतिक एवं शारीरिक शक्तियों का विकास करना है; परन्तु खेद की बात है कि हमारे अधिकांश माध्यमिक स्कूलों का ध्येय शिक्षा-विभाग-द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम समाप्त करना तथा विद्यार्थियों को सार्वजनिक परीक्षा के लिए तैयार करना ही हो गया है। ये न तो शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद की ओर ही ध्यान देते हैं और न विद्यार्थियों के स्वास्थ्य तथा चरित्र-निर्माण के प्रति ही सचेष्ट रहते हैं। स्कूल का आखिरी घण्टा बजते ही मानो उनका दैनिक उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्वर्गीय आचार्य प्रफुल्लचन्द्र घोष की निम्नांकित युक्ति सर्वथा उपयुक्त एवं आश्चर्य-विरहित है :

क्या हम अपने नवयुवकों को मनुष्य बना रहे हैं या और कुछ ?  
क्या हम उन्हें कुछ संभाव्य प्रश्नों के उत्तर कंठस्थ करने के निदा और भी कुछ सिखा रहे हैं ? क्या हम उनकी चिन्तन-शक्ति, आत्म-निर्भरता तथा आत्म-निश्वास बढ़ाने की दिशा में कुछ भी प्रयत्न कर रहे हैं ?

उपर्युक्त कथन मूले ही अत्यन्त कटु हो, पर यह अतीव सत्य है। हमारे माध्यमिक स्कूलों पर एक गुरुतर उत्तरदायित्व है। उन्हें अपने विद्यार्थियों को एक प्रबलतन्त्र राष्ट्र का मुदोन्नत नागरिक बनाना है, उनमें सामाजिक, आर्थिक तथा गहननैतिक क्षेत्रों में स्वतन्त्र रूप से सोचने तथा कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करना है, जिससे वे समाज के बलवन्तकारी अङ्ग बन सकें।

### उपसंहार

आज पूरे भारत में माध्यमिक शिक्षा-मुधार की पुकार मच रही है। नये दङ्ग के स्कूलों का प्रादुर्भाव हो रहा है। शिक्षा के ढाँचे में आमूल परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके अनुसार एक माध्यमिक विद्यार्थी सत्रह वर्ष की अवस्था में उच्चतर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर डिग्री कोर्स में प्रवेश पाने की आकांक्षा रखता है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पूरा देश एक ही रंग में रंग जाय। आरि, हममें हजे ही क्या है कि एक विद्यार्थी अपनी माध्यमिक शिक्षा १६ या १७ या १८ वर्ष की आयु में समाप्त करे। विद्यार्थी का योग्यता तथा पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के विभिन्न प्रक्रमों की अवधि में हेरफेर होना उचित है। राधाकृष्णन आयोग ने देश को यह चेतावनी दी है, "भारतीय शिक्षा में सदैव एक पल्नी एकरूपता कायम रही। यह देश के लिए हितकर नहीं है।" †

इस कारण, हमें शिक्षा-मुधार सोच-मसल कर करना चाहिए। तेजी से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरा एक-ही प्रश्न पर विचार कीजिए — "हमारे देश के ११,००० हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूल में बदलने की समस्या।" ये स्कूल तो कमर कम कर बैठे ही हैं। एक दशारा मिलन ही, ये स्वयं को उच्चतर माध्यमिक स्कूल में बदलना आरम्भ कर देंगे। ये तनिक भी विचार नहीं करेंगे कि इस परिवर्तन के लिए किन-किन योजनाओं की आवश्यकता है। उच्चतर स्कूल होने पर सस्था एवं संचालक की प्रतिष्ठा बढ़ जावेगी, तथा प्रधानाचारक एवं शिक्षकों के धेतन में वृद्धि होगी। यही विचार-धारा उनके मरिष्क में प्रवाहित है। कोई जग सोचता भी नहीं है कि यह स्वयं हम उच्चतर कार्य के लिए योग्य, मक्षम अथवा उपयुक्त है या नहीं है।

इस प्रकार हमें समझ-बूझकर ह्दम करना चाहिए। हमें इस देश के लिए उपयुक्त माध्यमिक स्कूलों की आवश्यकता है, जिनमें हमारे विद्यार्थी को उपयुक्त शिक्षा मिले। प्रायः एक सौ वर्ष पूर्व प्रसिद्ध अंग्रेज शिक्षान् मैथ्यू एर्नाल्ड ने कहा था, "हमारे देश का माध्यम वर्ग बहुत ही कमजोर है।" इस कथन के परवान् संदेश की माध्यमिक शिक्षा-पद्धति को पूर्ण एव सशक्त होने के लिए सतर वर्ष लगे। भारतान् जाने भारतीय शिक्षा की मरने कमजोर करी बब मजबूत होगी !!



## छठा अध्याय

### विश्वविद्यालयीय शिक्षा

#### प्रस्तावना

पहले अध्याय में हमारे प्राचीन विश्वविद्यालयीय शिक्षा की चर्चा की गयी है। यह शिक्षा इस देश के लिए कोई नयी वस्तु नहीं है। वैदिक युग में, कितने ही कुलपतियों के आश्रम खासे सावाम विश्वविद्यालय थे। बारमीकि, बगिष्ठ, दुर्वासा इत्यादि आचार्यों के आश्रमों में प्रायः दस सहस्र शिष्य विद्याध्ययन करते थे। उपनिषत्काल में परिषदों की स्थापना हुई थी। उनमें आधुनिक विश्वविद्यालयों के सभी उपकरण प्रस्तुत थे।

बौद्ध युग में 'विहार' या 'संघाराम' शिक्षा केन्द्रों में संगठित होने लगे। धीरे-धीरे वे विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गये। इन शिक्षा-केन्द्रों में नालन्द, तक्षशिला, विक्रमशिला एवं वल्लभी मुख्य थे। कई एक विश्वविद्यालयों में दूर-दूर देशों के विद्यार्थीगण विद्याध्ययन के लिए आते थे।

मुस्लिम युग में, अनेक मदरसे खुले। ये कालिजों के समकक्ष थे। कई एक मदरसों की तुलना आधुनिक विश्वविद्यालयों से की जा सकती है। दिल्ली, आगरा, रामपुर, जौनपुर, बीदर, मुर्शिदाबाद, लखनऊ, आदि स्थानों में प्रख्यात मदरसे थे। इसी समय में अनेक टोल एवं पाठशालाएँ स्थापित हुईं। इन संस्थाओं में हिन्दू-पद्धति पर उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था थी। बनारस, नव-द्वीप (वर्तमान 'नदिया'), मिथिला, पूना तथा अहमदनगर मुख्य हिन्दू-शिक्षा-केन्द्र थे। जॉन रॉमास, एक वेस्टिस्ट पादरी, ने नव-द्वीप की तुलना आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ की है, (१७९१)।

#### आधुनिक काल में उच्च शिक्षा

**भूमिका.**—उच्च शिक्षा के अनुशीलन के लिए, हम आधुनिक काल को चार उपकालों में बाँट सकते हैं : (१) कालिज कॉल (सन् १७८१ से सन् १८५७ तक), (२) मूल विश्वविद्यालय काल (सन् १८५७ से सन् १९१७ तक), (३) आधुनिक विश्वविद्यालयों का उदय-काल (सन् १९१७ से सन् १९४७ तक) और (४) स्वातन्त्र्योत्तर काल।

**कालिज काल्.**—इस काल का प्रारम्भ कलकत्ता मद्रास की स्थापना से होता है, तथा अन्य मूठ विश्वविद्यालयों (कलकत्ता, बम्बई और मद्रास) के स्थापन के साथ होता है। इस काल में कई अंग्रेजी और प्राच्य—सरकारी और निजी—महाविद्यालय खुले। इन मद्रासों का रूप वर्तमान कालिजों से विभिन्न था। आरम्भ में ये मद्रासों माध्यमिक स्कुल थीं, पर धीमे ही ये कालिज के रूप में विकसित हो गयीं। इसी कारण प्रत्येक मद्रास के दो अंग थे : कालिज और हाई स्कूल। इस काल के प्रसिद्ध कालिज में : कलकत्ता मद्रास (१७८१), बनारस समूह कालिज (१७९१), हिन्दू कालिज, कलकत्ता (१८१७), भीमनपुर कालिज (१८१८), मद्रिडा नर्व कालिज, कलकत्ता (१८२०) बिरामन कालिज, बम्बई (१८२२), एल्फिन्स्टन कालिज, बम्बई (१८२५), त्रिनिदाद कालिज, मद्रास (१८२७), पट्टेन्ना कालिज, मद्रास (१८४१), ग्रेट इन्स कालिज आगरा (१८५२), इत्यादि। इस बीच में कलकत्ता (१८२५), मद्रास (१८४३) और बम्बई (१८५५) में सेंट्रल कालिज तथा बम्बई में इन्जिनियरिंग कालिज (१८४७) स्थापित हुए। इनके सिवा, कुछ काल्नीय भी कक्षाएँ भी खुलीं।

सन् १८४५ और सन् १८५२ में विश्वविद्यालय आरम्भ करने के प्रयत्न हुए पर ये प्रयत्न कार्यरहित न हो सके। मद्रास के सत्कारीय सरकार लार्ड विलिंगडन कोर्ट आदिक दायरेकर के पास मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ८ प्रस्ताव भेजा (१८२९)। यह प्रस्ताव स्वीकृत न हो सका। इस काल के कार्यरत शिक्षित का पना निम्न शिक्षित साक्षिण से मिलता :

**साक्षिण १६**

**कालिजों की संख्या, सन् १८५७**

प्रान्त	प्रकार	साक्षिण		
		कालिज	हाई स्कूल कालिज	इन्जिनियरिंग कालिज
बंगाल	सरकारी	७	१	—
	निजी	७	—	—
बम्बई	सरकारी	२	१	—
	निजी	—	—	—
मद्रास प्रदेश	सरकारी	४	—	१
	निजी	—	—	—
मद्रास	सरकारी	१	१	—
	निजी	२	—	—
<b>कुल</b>		<b>२३</b>	<b>३</b>	<b>१</b>

मूल विध्यालय-संस्थाएँ — पूरे के संसार में शिक्षा विभागों के विभाग बनाने, उन्हें और सशक्त बनाने में शिक्षा विभागों को (१८७७) के शिक्षा विभाग का बौद्धिक सहायता के अभाव में अक्षम हुए। सशक्त राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग का बौद्धिक सहायता के लिए शिक्षा विभागों के लिए उद्देश्य था: "शिक्षाओं के द्वारा उन लोगों को अनुभव, शिक्षा विभागों के लिए न सिद्ध सेवा में धनता प्राप्त की है, तथा इन धनता के अभाव में उन्हें शिक्षा उपायों में प्रदान करना।"

शिक्षा विभागों का ध्यान सशक्त की माता पर। इसका मन्त्र 'सुदृढता, उपसुदृढता तथा सशक्तों के द्वारा होता था। सशक्तों का 'सुदृढता' होने में, तथा उपसुदृढता सशक्तों द्वारा सशक्तों को होना था। शिक्षा के सशक्त दो प्रकार के थे: परेन तथा मानव्य। सशक्त आधुनिक की बात पर है कि सशक्तों की अधिकांश सशक्त शिक्षाओं नहीं की गयी थी, तथा उनकी नियुक्ति भी आजीवन नहीं थी। इस प्रकार सरकार द्वारा सशक्तों की सशक्त इच्छानुसार बढ़ाना सम्भव था, तथा अन्तिम सशक्त नञ्जे तक कोई भी सशक्त शिक्षा में प्रवेश करना था। इसके अनिश्चित, कानूनों निश्चित की कोई व्यवस्था नहीं थी। बाद में प्रत्येक शिक्षा ने अपने अपने शिक्षा विभागों में निर्मित लिये। चूंकि इनका कोई कानून नहीं था, अतएव इनका कोई वैधानिक महत्व भी न था।

विश्वविद्यालय बोर्डों के महानों में लगने थे। परीक्षा लेने तथा प्रमाण वितरण के अनिश्चित, उनका और कुछ काम न था। उनमें अध्यापन की सहायता नहीं थी। स्कूलों तथा कॉलेजों को मान्यता प्रदान करने का उन्हें अधिकार अथवा पर विश्वविद्यालयीय कानूनों की अनिश्चितता के कारण स्कूलों तथा कॉलेजों का विश्वविद्यालयों से स्थापित सम्बन्ध अस्पष्ट था।

सन् १८८२ तथा १८८७ में पंजाब तथा अलाहाबाद विश्वविद्यालय पुर विश्वविद्यालयों के आधार पर क्रमशः स्थापित हुए। विश्वविद्यालयों की सहायता कॉलेजों का विस्तार भी द्रुतगति से हुआ। सन् १८८२ में कॉलेजों की सहायता विश्वविद्यालयों की संख्या २७९ हो गयी — १३८ अंग्रेजी भारत में,

पर हम विस्तार के साथ साथ, अनेक टोप भी दृष्टि आने लगे। प्रथमतः, विश्वविद्यालय इतने अधिक कालिजों का भार वहन नहीं कर सकते थे, तथा उन्हें कालिजों की कार्यवाही को निरन्वित करने का कुछ भी अधिकार न था। इसी कारण शिक्षा के स्तर में पतन हो गया था। दिनीयात, सदस्यों की समस्या की वृद्धि के कारण, सिनेट का रूप अल्पव्यवहार हो गया था। वे अपना काम-काज ठीक रूप में संभाल न पा रही थीं। इनके अतिरिक्त लोग यह अनुभव करने लग गये थे कि परीक्षा सञ्चालन के सिवा, विश्वविद्यालयों को अनुसन्धान तथा अध्यापन-कार्य करना चाहिए।

इतने में लार्ड कज़न भारत के वाइसराय होकर आये। उन्होंने उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। कमीशन की रीति का विवरण रखा गया — “द्वितीय भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की दशा तथा उनके भविष्य की रीति करना और उनके विधान एवं कार्य प्रणाली में सुधार के प्रस्ताव प्रस्तुत करना।” अपनी नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर ही, आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसी रिपोर्ट के आधार पर, लार्ड कज़न ने सन् १९०४ में एक कानून निकाला, जो कि भारतीय विश्वविद्यालय कानून के नाम से प्रसिद्ध है। इसके मुख्य नियम निम्न लिखितानुसार हैं :

१. विश्वविद्यालयों के अधिकार बढ़ा दिये जायें। इनको अधिकार है कि वे परीक्षा देने के अतिरिक्त अनुसन्धान तथा शिक्षण-कार्य आरम्भ करें। इसके लिए वे प्रोफेसर तथा लेक्चरर नियुक्त करें; पुस्तकालय, अज्ञात घर तथा प्रयोगशालाएँ स्थापित करें, एवं विद्यार्थियों के आवास-शुद्ध करावें।

२. सिनेट के सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाय—यह कम-से-कम ५० और अधिक-से अधिक १०० रहे। उनकी सदस्यता की अवधि आजीवन न होकर पाँच वर्षों के लिए हो। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों के निर्धारित सदस्यों की संख्या बीस तथा अन्य विश्वविद्यालयों की निर्धारित सदस्य-संख्या पन्द्रह रखी जाये।

३. सिटीकेंटों की कानूनी स्वीकृति दी जाये, और उनमें विश्व-विद्यालय के शिक्षकों का उचित प्रतिनिधित्व हो।

४. सरकारी कालिजों को सम्पन्न करने के निम्नों में सहायता दी जाये, तथा सिटीकेंट-द्वारा उनके निर्माण की निर्दिष्ट रूप से व्यवस्था हो।

५. सरकार आवश्यकतानुसार सिनेट-ड्राग बनाये गये नियमों की संशोधित एवं परिवर्तित कर सकती है। यदि निर्धारित तिथि तक सिनेट कानून न बनाये, तो सरकार स्वतः कानून बना सकती है।

६. सपरिषद गवर्नर जनरल प्रत्येक विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित कर दे।

इतना मय कुछ होते हुए, इस कानून ने न अलीगढ़, बनारस, दाका, पटना, रंगून तथा नागपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की माँग को स्वीकृति दी, और न सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त दूसरे प्रकार के विश्वविद्यालयों की कल्पना ही की। लेकिन कानून ने भारतीय उच्च शिक्षा में कई उद्देश्य योग्य परिवर्तन किये। प्रथमतः, खिण्डीक्रेट एक वैधानिक समिति हो गयी; इस कारण उस पर किसीका दबाव न रहा। द्वितीयतः, नए संगठित सिनेट पहले सिनेटों की अपेक्षा अधिक डोल तथा प्रभाव युक्त बनी। तृतीयतः, सम्बद्ध कालिजों के निरीक्षण तथा नियन्त्रण के कारण उच्च शिक्षा की उन्नति हुई। कुछ निकम्मे कालिज तो लुप्त ही हो गये। चतुर्थतः, विश्वविद्यालयों को सरकारी अनुदान मिलने लगा।

लाई कंजेंट के सुधार के दस वर्ष बाद, उच्च शिक्षा के पुनर्निरीक्षण की फिर से आवश्यकता पड़ी। कालिजों की संख्या-वृद्धि होती जा रही थी तथा विश्वविद्यालयों पर बोझ बढ़ रहा था। इतने पर भी विश्वविद्यालयीय शिक्षा की माँग पूरी न हो रही थी। फलतः, मन् १९१३ में सरकारने अपनी शिक्षा-नीति के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पारित किया। इसके अनुसार अधिक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता स्वीकार की गयी। इसने फिर सुझाव दिया कि वर्तमान विश्वविद्यालयों की अधिकार सीमा इतनी विस्तृत हो गयी है कि उसे घटाकर नये विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें। यह कार्य दो प्रकार से हो सकता है : (१) प्रत्येक बड़े बड़े प्रान्त में सम्बद्ध विश्वविद्यालय खोले जायें और (२) नये स्थानीय तथा सावसिक विश्वविद्यालय मुख्य उच्च विद्या-केन्द्रों में स्थापित किये जायें। इस प्रस्ताव ने धोरणा की कि सरकार ने पटना एवं नागपुर में प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा दाका, अलीगढ़ और बनारस में स्थानीय विश्वविद्यालय खोलना ध्वङ्गीकार किया है। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव ने उचित समझा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की मानसिक, नैतिक तथा शारीरिक उन्नति के लिए उपयुक्त वातावरण हो।

इस शिक्षा-नीति की सिफारिशों के कारण, नवीन विश्वविद्यालय स्थापित हुए : बनारस और मैसूर (१९१६), पटना (१९१७), हैदराबाद (१९१८) तथा एम० एन०

डी० टी० महिला विश्वविद्यालय (१९१७)। इनकी स्थापना से विश्वविद्यालयीय शिक्षा के नये विचार स्पष्ट दृष्टि आने लगे। इनारस सबसे पहला एकात्मक तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय है; पटना प्रथम प्रादेशिक एवं सम्बन्धीय विश्वविद्यालय है; मैसूर तथा हैदराबाद तत्कालीन देशी राजाओं के प्रथम विश्वविद्यालय हैं; एम० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, भारत में उच्च स्त्री-शिक्षा के प्रसार का एक अनूठा दृष्टान्त है। इसके साथ-साथ दामा, पूना तथा अहमदाबाद में क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की चेष्टा होने लगी। सन् १९१६ में कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग जोड़े गये।

**आधुनिक विश्व-विद्यालयों का उदय-काल.**—इस प्रकार पिछले उपकाल के अन्त में कुछ नये विश्वविद्यालयों का उदर हुआ। किन्हीं भी विश्वविद्यालयों की समस्या इतनी न हुई। सन् १९१७ में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया। इसकी माध्यमिक शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्तावों की चर्चा पहले की गयी है। विश्वविद्यालय के कार्य के सम्बन्ध में आयोग ने ये निष्कारणों कीं :

१. नये विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा विद्यमान विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन—जहाँ तक हो सके, ये एकात्मक, साधारण, शैक्षणिक मस्यार्थ हों।

२. स्नातक या पाठ्यक्रम तीन वर्ष का हो तथा 'पाम बोर्स' के अलावा 'अनर्स बोर्स' आरम्भ हो।

३. छात्रों की भर्तियों के विचार से, हर विश्वविद्यालय में एक शारीरिक शिक्षा-अवलोक नियुक्त किया जाय।

४. भारतीय भाषाओं की शिक्षा के लिए, युनिवर्सिटी प्रोफेसर या सहायक नियुक्त हो।

५. अध्यापन, बान्धन, इन्जीनियरिंग, हाकररी, कृषि, एवं आदि की औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध विश्वविद्यालय में किया जावे।

६. विश्वविद्यालय-सम्बन्धी समस्याओं पर विचारनिर्देश करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिकारियों का सार्वत्रिक सम्मेलन किया जावे।

इस आनेग की रिपोर्ट के बाद, भारत में पंद्रहवें विश्वविद्यालय गुरु गुरु : दादा और गुरु (१९२०), अलीगढ़ और लखनऊ (१९२१), दिल्ली (१९२२),

गपुर (१९२३), आन्ध्र (१९२६), आगरा (१९२७), असमल्य (१९२९), बंगकौर (१९३७), डककल (१९४३), मागर (१९४७), सिंध तथा राजपूताना (१९४७)। कालिजों तथा उनके छात्रों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। इसका निम्नांकित तालिका में चलेगा।

### तालिका १७

अंग्रेजी भारत में कालिज शिक्षा, १९२१-४७

विभाग	१९२१-२२	१९३१-३२	१९४६-४७
कालिज संख्या	२३१	४२७	९३३
छात्र संख्या	७९,७९१	९९,४९३	१,९९,२५३

स्वातन्त्र्योत्तर काल.—देश के विभाजन के बाद, अठारह नवीन विभाजन स्थापित हुए : पंजाब (१९४७), गौहाटी, पूना, कर्णाट तथा वाम्प और तिर (१९४८), वडोदा (१९४९), कर्नाटक और गुजरात (१९५०), विशाख (१९५२), धर्मपुर (१९५४), जयपुर तथा मद्रास परममार्ग विभाजन, मद्र (१९५५), कुर्घोव (१९५६), मौरापुर, उरुलपुर, विजय-विभाजन, मद्र (१९५७), मद्रासराजा तथा इन्डियन इस्टट्यूट ऑफ गाइन्स, बंगलौर (१९५८)। १९५९ में १९५९ में विश्व-भागी तथा एम० एन० सी० टी० मद्रिय विभाग की वैधानिक स्वीकृति की गयी है।

जनवरी, १९४८ में, भारत सरकार ने डॉ० मण्डलकर की अध्यक्षता में, एक विचार-आयोग नियुक्त किया। आयोग की यह निर्देश दिया गया कि यह सर्वोच्च विचार-आयोग शिक्षा की विधि के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करे और हमारे मूल्य तथा शिक्षण के लिए परामर्श दे, जो देश की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार हो।" अगस्त १९४९ में, आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रेषित कर दिया। इसके मुद्दों की सूची इस अध्याय के अन्त में दी जा रही है।

**वर्तमान विश्वविद्यालयीय शिक्षा की कुछ विशेषताएँ**

वर्तमान विश्वविद्यालयों को ठीक तरह से समझने के लिए हमारी उच्च शिक्षा के कुछ विशेषताओं को समझना आवश्यक है। इस कारण, इस प्रकरण में इन विषयों की खोज की गयी है : (१) कालिजों का वर्गीकरण, (२) विश्वविद्यालयों के प्रकार (३) विश्वविद्यालय प्रशासन और (४) कनिष्ठ प्रशासन-निकाय।

**कालिजों का वर्गीकरण.**— सन् १९५५-५६ में, सम्पूर्ण देश में, कुल १,२०८ कालिजें थीं : ७४६ क्या तथा विज्ञान कालिजें, ३४६ विभिन्न व्यवसायीय शिक्षा देनेवाले कालिजें तथा ११२ विविध शिक्षादायक कालिजें (सर्वांगीण, नृत्य, कला, व्यायाम, प्राच्यविद्या, समाज विज्ञान तथा एह-विज्ञान)। प्रथम की दृष्टि में इन कालिजों का वर्गीकरण निम्नांकित तालिका में दिया गया है।

**तालिका १८**

**प्रबंधानुसार कालिजों का वर्गीकरण, १९५५-५६\***

प्रकार	क्या तथा विज्ञान कालिजें	व्यवसायिक कालिजें	विविध कालिजें	कुल संख्या
सर्वांगीण ... ..	१८६	१९४	२८	४०८
व्यायामीय संस्थान ... ..	३	३	१	७
व्यवसायिक शिक्षादायक संस्थान ... ..	४५८	१०१	६८	६२७
व्यवसायिक ... ..	९९	४५	१५	१५९
<b>कुल संख्या</b>	<b>७४६</b>	<b>३४६</b>	<b>११२</b>	<b>१२०४</b>

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट होता है : (१) दो प्रकार के कालिजें व्यवसायिक शिक्षा देनेवाली हैं (२) ५६ प्रतिशत व्यवसायिक कालिजें सर्वांगीण हैं और (३) व्यायामीय संस्थानों के कल्पनात्मक संख्या ७७ है।

\* १९५५-५६ के आँकड़ों के लिए देखें 'The Higher Education in India, 1955-56'।



**विश्वविद्यालयों के प्रकार.**—आज भारत में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या ३८ है। ये विश्वविद्यालय तीन प्रकार के हैं : (१) सम्बन्धीय, (२) एकात्मक (३) सहायक।

**सम्बन्धीय.**—प्रत्येक सम्बन्धीय विश्वविद्यालय का मुख्य कर्तव्य है राष्ट्रीय कालिजों का विकास करना। ऐसे विश्वविद्यालय का क्षेत्र विस्तृत रहता है तथा इसके सम्बन्धीय कालिजें दूर-दूर के शहरों तथा गाँवों में फैले हुए रहते हैं। विश्वविद्यालय सम्बन्धीकरण का अर्थ है कि विश्वविद्यालय का क्षेत्र विस्तृत रहता है तथा समय-समय पर वह अपने कालिजों का निरीक्षण करता है। सम्बन्धीय कालिजों को विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसके द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम चलाया पड़ता है तथा उसकी सार्वजनिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों को बैठाना पड़ता है। कालिजों के सफलतापूर्वक परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा मिलना है।

विश्वविद्यालय तथा उसके सम्बन्धीय कालिजों का पारस्परिक सम्बन्ध भारतीय विश्वविद्यालय कानून, १९५४ के द्वारा नियन्त्रित होता है। कानून के मुख्य मुद्दों का एक सरकारी रिपोर्ट से उद्धृत निम्न-लिखित अंश से मिलेगा :

एक भारतीय विश्वविद्यालय अपने अधीनस्थ कालिजों का निरीक्षण करता है तथा उनसे सम्बन्ध स्थापित करता है, पाठ्यक्रम स्थिर करता है, परीक्षाएँ चलाता है तथा डिग्री प्रदान करता है। .. वह अपने क्षेत्र में स्थित किसी भी कालिज को, मान्यता प्रदान कर सकता है। ... इन कालिजों को वह स्वतः नहीं चलाता है, पर सम्बन्धीकरण की शर्तों को निर्धारित करता है, जिन्हें कालिजों को पालना पड़ता है। निरीक्षण-द्वारा विश्वविद्यालय जाँच करता है कि सम्बन्धीकालिजें शर्तों का यथोचित पालन कर रहे हैं या नहीं।\*

कानून की २१ वीं, २२ वी तथा २४ वीं धाराओं में सम्बन्धीकरण की शर्तों का विवरण वर्णन है। इन प्रतिबंधों की सन्तोषप्रद परिपूर्ति हुए बिना विश्वविद्यालय किसी कालिज को मान्यता प्रदान नहीं करता है। संक्षेप में, ये धाराएँ कालिजों के प्रयोग के साथ संलग्न हैं : (१) व्यवस्था तथा प्रबंध, (२) कर्मचारीगण, (३) आर्थिक, (४) शिक्षा-साधन तथा असहाय, (५) विद्यार्थी,

देखिए, दूसरा परिशिष्ट।

*Progress of Education in India, 1927-32, Vol. I p 54*

*Progress of Education in India, 1902-07, Vol. I p. 13.*

(६) वित्त, (७) पुस्तकालय, (८) प्रयोग-शाला, (९) रजिस्टर और (१०) विविध विवरण ।

शुरू-शुरू में ये विश्वविद्यालय केवल सम्बन्धीकरण की व्यवस्था तथा परीक्षा-सम्बन्धित करने थे । पर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के कारण, इस प्रकार के प्रायः सभी विश्वविद्यालय कुछ-न-कुछ अप्पायन की व्यवस्था स्वतः करने लगे हैं । इस देश के सम्बन्धीय विश्वविद्यालय ये हैं : आगरा, आन्ध्र, बिहार, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, मद्रास, मुंबई, जम्मू और कश्मीर, बनारस, केरल, मद्रास, मराठावाड़ा, मेरठ, नागपुर, ओम्मानिया, पंजाब, पूना, गवर्णमेन्ट, सागर, एम० एन० टी० टी०, स्वतंत्र, उत्कल तथा विजय ।

**प्रशासनिक.**—ऐसा विश्वविद्यालय सामाजिक तथा शैक्षणिक होता है । इसका क्षेत्र किसी भी एक केंद्र में सीमित रहता है, जहाँ पर वह स्वतः सम्पूर्ण अप्पायन कार्य की व्यवस्था करता है । अपने निजी विभागों या अर्थात् कारिजों के द्वारा वह शिक्षण कार्य स्वतः चलाता है । यहाँ तक कि सभी अप्पायन विश्वविद्यालय की मातृशाला में करने देते हैं । इस प्रकार, ऐसा विश्वविद्यालय अपने प्रबंध, प्रशासन तथा अप्पायन का परिचालन स्वतः करता है । भारत के मुख्य प्रशासनिक विश्वविद्यालय ये हैं : अलीगढ़, अमरावती, अजमेर, बंगलूर, बम्बई, जयपुर, कुरुक्षेत्र, लखनऊ, पटना, रायपुर, आनन्द तथा विश्व-भारती ।

**संस्थात्मक.**—संस्थात्मक विश्वविद्यालय के विचार लक्षण ये हैं : (१) विश्वविद्यालय का क्षेत्र एक केंद्र में ही सीमित रहता है, जहाँ कि उसके सम्बन्ध तथा अर्थात् कारिजों का कार्य अप्पायन अवस्थित होते हैं । (२) प्रत्येक कारिज में उच्चतम शिक्षा का प्रबंध रहता है । (३) विश्वविद्यालय के प्रबंध की उत्तमि के लिए प्रत्येक कारिज को उसके प्रशासन में भाग लेना पड़ता है । इस कारण, कारिजों की अर्थात् स्वतंत्रता थोड़ी बहुत होती-होती रहती है । (४) विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार कारिज अप्पायन कार्य करते हैं । सामान्य यह है कि संस्थात्मक विश्वविद्यालय विभिन्न कारिजों का एक ऐसा मंच है जहाँ विभिन्न प्रकार के अर्थात् कारिज-समुदाय मिलकर कार्य करते हैं । सम्पूर्ण विश्वविद्यालय के अप्पायन तथा प्रशासन के वे उत्तमिदार हैं । इस कारण, उनके अर्थात् स्वतंत्रता को कुछ-न-कुछ नियंत्रण करना पड़ता है । कलकत्ता तथा जयपुर के विश्वविद्यालय इस वर्ग के उदाहरण हैं ।

**विश्वविद्यालय-प्रशासन.**—विश्वविद्यालय का प्रशासन नाना प्रकार के कार्यों-द्वारा सम्पादित होता है। इनमें श्रेष्ठतम है कोर्ट या सिनेट। प्रत्येक शैक्षणिक और दैनिक कार्यों का अन्तिम निर्णय यही करती है। इसके सदस्य पदेन, मनोनीत तथा अर्थावित्त होते हैं। पदेन सदस्यों के स्थान, प्रान्तीय शासन तथा विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों एवं कालिजों के प्रिन्सिपलों द्वारा भरे जाते हैं। मनोनीत सदस्यों की लिस्टा प्रान्तीय सरकार बनाती है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अत्यापवगण या पंजीयत स्नातक-मण्डल अपने-अपने निर्वाचन-क्षेत्र में कुछ सदस्य चुनते हैं। प्रत्येक प्रकार के सदस्यों की संख्या निर्धारित रहती है।

सिनेट के बाद आने हैं, एकेडेमिक काउन्सिल तथा सिण्डिकेट। प्रथम निकाय सम्बन्ध रहता है केवल शैक्षणिक प्रश्नों से। सिण्डिकेट या एक्जीक्यूटिव काउन्सिल विश्वविद्यालय की प्रबन्ध-कारिणी सभा होती है। प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम का निर्णय करने के लिए स्वतन्त्र अभ्यास-समिति संगठित होती है। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक प्रश्नों पर विचार करने के लिए विविध समितियाँ होती हैं, जैसे : परीक्षा, न्वेग, प्रकाशन, युष्क-कल्याण, शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद, छात्रावास, छात्रकालय, आदि।

विश्वविद्यालय के प्रधान होते हैं, चांसलर या कुलपति। बहुधा स्थानीय राज्यपाल कुलपति होते हैं, पर विश्वविद्यालयों की संख्यावृद्धि के कारण कुछ राज्यों में अब एक से अधिक विश्वविद्यालय हैं। इस कारण, कई विश्वविद्यालयों के सविधान में कुलपति-निर्वाचन की व्यवस्था की गयी है। कुलपति के बाद उपकुलपति का स्थान है। वास्तव में उपकुलपति ही विश्वविद्यालय के मुख्य शासक होते हैं। उपकुलपति की नियुक्ति की जा या सर्वत्र एक-सी नहीं है। कहीं ये स्थानीय राज्यपाल-द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, कहीं इनका निर्वाचन सिण्डिकेट-द्वारा और कहीं सिनेट-द्वारा होता है। इनकी नियुक्ति तथा अवधि विभिन्न विश्वविद्यालयों के सविधान के अनुसार तीन से पाँच वर्ष की है। कुछ राज्यों में उपकुलपति अवैतनिक तथा कोर्ट प्रतिष्ठित मदानुभाव होने से। इस कारण, अपना पूरा समय विश्वविद्यालय के कार्य में नहीं लगा सकते थे। वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों की विविधता के कारण पूर्ण समय देनेवाले तथा वेतन-भोगी उपकुलपतियों की माँग है।

**कतिपय प्रशासन निकाय**—विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रखनेवाले कई प्रशासन निकाय हैं। इनमें से मुख्य हैं : (१) माध्यमिक या/और इण्टरमीडिएट मण्डल, (२) अन्तर्निश्चयविद्यालय मण्डल तथा (३) विश्वविद्यालय-अनुदान-मण्डल। इन तीनों निकायों की चर्चा इस प्रकार में की गयी है।

माध्यमिक पा/और इण्टरमीडिएट शिक्षा-मण्डल.—कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के परामर्श के कारण इन मण्डलों की सृष्टि हुई है। इनकी संख्या वर्तमान काल में पन्द्रह है। पिछले अध्याय में इनका विस्तृत वर्णन किया जा चुका है।†

अन्तर्विधविद्यालय-मण्डल.—ऐसे मण्डल की आवश्यकता का सुझाव सर्व प्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। तत्पश्चात् सन् १९२४ में भारतीय विश्व-विद्यालयों की एक बैठक शिमला में हुई। इसमें ऐसे मण्डल की स्थापना का सकल्प किया गया। एक वर्ष पश्चात् यह विचार कार्यान्वित हुआ, तथा मण्डल का प्रधान कार्यालय बंगलौर में रखा गया। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

१. अन्तर्विधविद्यालय-संगठन एवं सूचना-केन्द्र के रूपमें कार्य करना,
२. अध्यायकों के आशान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना,
३. विश्वविद्यालयों में विचार विनिमय के अभिकरण रूप में काम करना तथा उनके कार्यों में एकरूपता लाना,
४. भारतीय विश्वविद्यालयों को बाहरी देशों में अपनी उपाधियों की मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था करना,
५. अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि को भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भेजना, और
६. विश्वविद्यालय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमर्श करने तथा भारत के विश्वविद्यालयों-द्वारा दी जानेवाली उपाधियों की परस्पर मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था करना।

प्रत्येक विश्वविद्यालय इन मण्डल में एक प्रतिनिधि भेज सकता है। मण्डल की बैठक प्रतिवर्ष एक बार होती है। शुरू से ही मण्डल उच्च शिक्षा-विषयक मामलों को हल करने में महत्व-पूर्ण भाग लेता रहा है। पर यह स्मरण रहे कि मण्डल केवल एक परामर्शदात्री संस्था है।

विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग.—सार्दण्ट योजना के प्रस्ताव के कारण, भारत सरकार ने एक विश्वविद्यालय-अनुदान-समिति की नियुक्ति सन् १९४५ में की थी। इसका सम्बन्ध केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से था। पाच वर्ष बाद, यह समिति बन्द कर दी गयी। इतने में राष्ट्राध्यक्ष-आयोग के सुझाव के अनुसार सन् १९५३ में 'विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग' की स्थापना की गयी। आयोग के मुख्य कार्य अगले पन्ने में दिये गये हैं :

† दार्जिल पृष्ठ १०९।

**विश्वविद्यालय-प्रशासन.**—विश्वविद्यालय का प्रशासन ज्ञान प्रसार के निरूपाय-द्वारा सम्पादित होगा है। इनमें भेद्योग है पाठ्य या सिनेट। प्रत्येक विश्वविद्यालय या ट्रेनिंग कायों का अन्तिम निर्णय यही करती है। इसके सदस्य पदेन, मनोनीत तथा निर्वाचित होते हैं। पदेन सदस्यों के गणन, प्रान्तीय शासन तथा विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों एवं कालिजों के प्रिन्सिपल्स द्वारा भरे जाते हैं। मनोनीत सदस्यों की तालिका प्रान्तीय सरकार बनाती है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा पंजीयन स्नातक-मण्डल अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ सदस्य चुनते हैं। प्रत्येक प्रकार के सदस्यों की संख्या निर्धारित रहती है।

सिनेट के बाद आने हैं, एकेडेमिक काउन्सिल तथा सिग्डीकेट। प्रथम सिनेट का सम्बन्ध रहता है केवल शैक्षणिक प्रश्नों में। सिग्डीकेट या एक्जीक्यूटिव काउन्सिल विश्वविद्यालय की प्रबन्ध-कारिणी मभा होती है। प्रत्येक नियम के पाठन-मंजूर करने के लिए स्वतन्त्र अभ्यास-समिति समुचित होती है। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक प्रश्नों पर विचार करने के लिए विविध समितियाँ होती हैं, जैसे : परीक्षा, अन्वेषण, प्रकाशन, युवक-कल्याण, शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद, छात्रावास, पुस्तकालय, आदि।

विश्वविद्यालय के प्रधान होते हैं, चांसलर या कुलपति। बहुधा स्थानीय गवर्नर कुलपति होते हैं, पर विश्वविद्यालयों की संख्यावृद्धि के कारण कुछ राज्यों में अब एक से अधिक विश्वविद्यालय हैं। इस कारण, कई विश्वविद्यालयों के सविधान में कुलपति-निर्वाचन की व्यवस्था की गयी है। कुलपति के बाद उपकुलपति का स्थान है। वास्तव में उपकुलपति ही विश्वविद्यालय के मुख्य शासक होते हैं। उपकुलपति की नियुक्ति की प्रथा सर्वत्र एक-सी नहीं है। कहीं ये स्थानीय राज्यपाल-द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, कहीं इनका निर्वाचन सिग्डीकेट-द्वारा और कहीं सिनेट-द्वारा होता है। इनकी नियुक्ति की अवधि विभिन्न विश्वविद्यालयों के सविधान के अनुसार तीन से पाँच वर्ष की है। शुरू शुरू में उपकुलपति अवैतनिक तथा कोई प्रतिष्ठित महानुभाव होते थे। इस कारण, वे अपना पूरा समय विश्वविद्यालय के कार्य में नहीं लगा सकते थे। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा की विविधता के कारण पूर्ण समय देनेवाले तथा वेतन-भोगी उपकुलपतियों की माँग है।

**कतिपय प्रशासन निकाय**—विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रखनेवाले कई प्रशासन निकाय हैं। इनमें से मुख्य हैं : (१) माध्यमिक या/और इण्टरमीडिएट शिक्षा-मण्डल, (२) अन्तर्विश्वविद्यालय मण्डल तथा (३) विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग। इन तीनों निकायों की चर्चा इस प्रकरण में की गयी है।

माध्यमिक या/और इण्टरमीडिएट शिक्षा-मण्डल.—कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के परामर्श के कारण इन मण्डलों की सृष्टि हुई है। इनकी संख्या वर्तमान काल में पन्द्रह है। पिछले अध्याय में इनका विस्तृत वर्णन किया जा चुका है।

अन्तर्विश्वविद्यालय-मण्डल,—ऐसे मण्डल की आवश्यकता का मुद्दा सर्व प्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। तत्पश्चात् सन् १९२४ में भारतीय विश्व-विद्यालयों की एक बैठक शिमला में हुई। इसमें ऐसे मण्डल की स्थापना का संकल्प किया गया। एक वर्ष पश्चात् यह विचार कार्यान्वित हुआ, तथा मण्डल का प्रधान कार्यालय बंगलौर में रखा गया। इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :

१. अन्तर्विश्वविद्यालय-संगठन एवं सूचना-केन्द्र के रूपमें कार्य करना,
२. अध्यापकों के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना,
३. विश्वविद्यालयों में विचार विनिमय के अभिकरण रूप में काम करना तथा उनके कार्यों में एकरूपता लाना,
४. भारतीय विश्वविद्यालयों को बाहरी देशों में अपनी उपाधियों की मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था करना,
५. अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि को भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भेजना, और
६. विश्वविद्यालय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमर्श करने तथा भारत के विश्वविद्यालयों-द्वारा ही जानेवाली उपाधियों की परस्पर मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था करना।

प्रत्येक विश्वविद्यालय इस मण्डल में एक प्रतिनिधि भेज सकता है। मण्डल की बैठक प्रतिवर्ष एक बार होती है। शुरू में ही मण्डल उच्च शिक्षा विवरण मामलों को हल करने में महत्वपूर्ण भाग लेता रहा है। पर यह स्मरण रहे कि मण्डल केवल एक परामर्श दायी शरणा है।

विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग.—सांकेष्ट योजना के प्रस्ताव के कारण, भारत सरकार ने एक विश्वविद्यालय-अनुदान-समिति की नियुक्ति सन् १९४६ में की थी। इसका सदस्य केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में था। पांच वर्ष बाद, यह समिति बन्द कर दी गयी। इतने में राष्ट्राध्यक्ष-आयोग के मुताबिक अनुसार सन् १९६३ में 'विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग' की स्थापना की गयी। आयोग के मुख्य कार्य अगले पक्ष में दिये गये हैं :

१. केन्द्रीय सरकार को एक विशेषण सभा के रूप में उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयों के मान-दण्ड को ऊँचा करने के विषय में परामर्श देना,
२. विश्वविद्यालयों की आर्थिक दशा की ज़ोर पढ़ताल करके, उनको अनुदान देना,
३. यदि कोई प्राधिकाई आवश्यक समझे तो नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना के समय उसे सहाय देना, एवं पुराने विश्वविद्यालयों को सुधार के मार्ग बताना अथवा उनकी किसी भी प्रकार की समस्या को सुधारना,
४. केन्द्रीय या राज्य सरकारों को किसी विश्वविद्यालय की उन्नति की आवश्यकता के विषय में सलाह देना, तथा
५. केन्द्रीय सरकार के अनुसार उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करना तथा विज्ञान-सोचनाओं को कार्यान्वित करना ।


सन् १९५६ में, संसद के एक अधिनियम-द्वारा इसे एक स्वतन्त्र सभा मान लिया गया है। आयोग का संघटन इस प्रकार है : (१) अध्यक्ष (२) अध्यक्षीय तथा (३) नौ सदस्य : विश्वविद्यालयों के उपकुलपति - जिन, मानव संसाधन तथा समाजिक - सेवा, तथा सामाजिक प्रचार विभाग शास्त्री - जयपुर। इस आयोग को शिक्षा सम्बन्धी सर्वोच्च सलाह की विशेषता का अर्थ प्राप्त हुआ है। आयोग का विचार विश्वविद्यालयों को अनुदान देने तथा उनकी विज्ञान-सोचनाओं को कार्यान्वित करने के भी अधिकार प्राप्त है।

### शिक्षण समस्यारू

इस प्रकार से विश्वविद्यालयों, शिक्षण सम्बन्धी कुछ प्रश्नों पर शिक्षण विभाग कार्य करता है। इस विभाग के हैं - (१) अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय, (२) मानव संसाधन तथा समाजिक प्रचार विभाग, (३) जिन, मानव संसाधन विभाग का अध्यक्ष।

अध्यक्ष के विश्वविद्यालयों : उच्च शिक्षा की प्रगति - मानव संसाधन विभाग का अध्यक्ष तथा समाजिक प्रचार विभाग का अध्यक्ष हैं। सन् १९५६ में कुछ प्रश्नों के हल करने के लिए आयोग को सलाह दी गई थी। इसी वर्ष १९५६ में आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉ. ए. ए. कृष्णामाचारी का चयन हुआ। इसी वर्ष १९५६ में आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉ. ए. ए. कृष्णामाचारी का चयन हुआ।

# उच्च शिक्षा की प्रगति (१९५१ से १९५७)





होते हुए भी, भारत की उच्च शिक्षा अनेक देशों की अपेक्षा अभी भी पिछड़ी हुई है। जहाँ हम देश में १० लाख में २,००० उच्च शिक्षित हैं, वहीं अमेरिका में २५,०००, गोविपट मय में २०,००० तथा आस्ट्रेलिया में ८,००० हैं।†

आइए हमारे देश के लोगों में उच्च शिक्षा पाने की तीव्र आकांक्षा है। कालिजों तथा विश्वविद्यालयों की छात्र-संख्या इतनी बढ़ रही है कि अनेक विद्यार्थियों को यहाँ प्रविष्ट होना दुष्कर हो रहा है। अतएव नवीन कालिजों तथा विश्वविद्यालयों की पर्याप्त माँग है।

नये विश्वविद्यालय.—कलकत्ता आयोग की सिफारिशों के कारण, देश में एकात्मक विश्वविद्यालयों की सृष्टि हुई है। ऐसे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी तथा अध्यापकगण निकट सम्पर्क में आते हैं, अध्यापन सन्तोषप्रद होता है, पढ़ाई और परीक्षा का घना सम्बन्ध रहता है, विद्यार्थियों के खेल-कूद का विशेष प्रबन्ध रहता है, इत्यादि। चूँकि सम्बन्धीय विश्वविद्यालयों का सम्पर्क अनेक कालिजों से रहता है, इसलिए उन्हें अनेक अड़चनों का सामना करना पड़ता है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि भविष्य में हम देश में केवल एकात्मक विश्वविद्यालय ही खोले जावें। यदि ऐसा हो तो हमारे विद्यमान १,३०० कालिजों को यह रूप देना पड़ेगा और भविष्य में इनकी संख्या बढ़ती ही जावेगी।

इस कारण से स्पष्ट है कि भारत जैसे विशाल देश में सम्बन्धीय विश्वविद्यालयों की सदैव आवश्यकता पड़ेगी। सार्जेण्ट योजना का मत है, "आर्थिक दृष्टि की ओर से भारत में सदा सम्बन्धीय विश्वविद्यालयों की आवश्यकता रहेगी। उच्च-शिक्षा कभी भी कुछ चुने हुए केन्द्रों में सीमित नहीं रह सकती है।"‡ ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना सौराष्ट्र, मिथिला तथा तामिल क्षेत्र में अर्थात् त्रिचनापल्ली के आसपास हो सकती है। वर्तमान ( पश्चिम बंगाल ) में एक ऐसा विश्वविद्यालय खुलनेवाला है।

एकात्मक विश्वविद्यालय बड़े-बड़े शहरों में खोले जा सकते हैं, जैसे : अमृतसर, अजमेर, बंगलौर, मदुरा, कानपुर, मेरठ, इत्यादि। देखा गया है कि अतीत में कई एकात्मक विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय कुछ प्रसिद्ध कालिजों का बलिदान हुआ था, जैसे : अलाहाबाद इथिंग क्रिश्चियन कालिज, तथा लखनऊ क्रिश्चियन कालिज।

† *Times of India*, August 23, 1958.

‡ *Sargent Report* p 31.

उच्च-शिक्षा के विस्तार के लिए यह मार्ग उचित नहीं है। ऐसे पुराने कालिजों के वन्द होने के कारण, स्थानीय जनता के हृदय में धक्का पहुँचता है। इस कारण शुरू-शुरू में जब दिल्ली में एक एकात्मक विश्वविद्यालय की कल्पना की गयी, तब लोगों ने उमका विरोध किया। यदि वह कल्पना कार्यान्वित होती तो हिन्दू कालिज, सेण्ट स्टीफन्स कालिज तथा गमरूम कालिज मराठों की तीन प्राचीन स्थानीय संस्थाओं को वन्द करना पड़ता। इस समस्या को हल करने के लिए ही दिल्ली में एक सघीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अतएव कुल कालिजों में ताला बन्द कर, एक एकात्मक विश्वविद्यालय न खोला जाय। एक विशाल कालिज को बढ़ाकर ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना हो। इस पन्थ का अवलम्बन अलीगढ़, बनारस, ब्रिटीश, अन्नामलय विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय किया गया था। जिन जगह अनेक कालिज हों, वहाँ एक सघीय विश्वविद्यालय खोलना श्रेयस्कर है।

भारत में कुछ ऐसे विद्यालयों की आवश्यकता है जो कि केवल एक ही विषय में विशेषज्ञ हों। इन्हें विश्वविद्यालय की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी। ऐसे विश्वविद्यालय कई जगह खुल सकते हैं : टाटानगर में धातु विज्ञान, सेवाग्राम में बुनियादी शिक्षा, अहमदाबाद में दम्भ-विद्या आदि।

इसकी बात है कि सम्प्रति भारत में कुछ ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं, जैसे : कृषि-शोध-संस्था, दिल्ली; कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर (लखनऊ के पास); संस्कृत विश्वविद्यालय, मिथिला; संगीत तथा ललितकला विश्वविद्यालय, तिरागढ़।

उचित व्यवस्था—नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के निमित्त, एक विशेष योजना की आवश्यकता है। ये अत्यन्त समस्त-वृक्ष कर खोले जावें। स्वतन्त्र-काल में सपर नये विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं। इनमें से कुछ के लिए भूमि भवदत्त तैयार थी, पर अन्य विश्वविद्यालय स्वीचनान कर खड़े किये गये हैं। ये ऐसी जगह स्थापित हुए हैं, जहाँ कि शायद एक भी कालिज न था। वहीं-वहीं, किसी दानवीर ने दान दिया था, पर इस दान में शायद विश्वविद्यालय की एक इमारत भी खड़ी न हो सकी। पर अधिकारियों की स्थापना क्षेत्रीय आकाश्यों की तृप्ति के लिए या राजनैतिक माँगों को पूरा करने के लिए हुई है। यह प्रवृत्ति अत्यन्त ही हानिकर है। कोई भी विश्वविद्यालय एकाएक खड़ा नहीं हो सकता है। वह ऐसी जगह स्थापित हो, जहाँ कि अनेक स्कूल हों, विविध विषय के कालिज हों, उपयुक्त प्रयोग शालाएँ तथा पुस्तकालय हों, अनुसन्धान की व्यवस्था हो तथा जहाँ विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की मज्जा पसंद रूप में हो। इन सुविधाओं के अभाव में एक विश्वविद्यालय ठीक नहीं चल सकता है। किन्तु यदि

विश्वविद्यालय का अर्थ एक परीक्षा-कार्यालय ही हो तब तो मुझे इस विषय पर कुछ कहना ही नहीं है।

ग्रामीण विश्वविद्यालय.—भारत एक कृषि-प्रधान देश है, और इस देश की ८३ प्रति शत जनता देहात में रहती है। पर इस जनता की शिक्षा की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। सम्पूर्ण देश के शिक्षा-व्यय का प्रायः एक-तिहाई गाँवों पर खर्च होता है। प्रचलित स्कूलों तथा कालिजों के पाठ्यक्रम का ढाँचा शहरी है। जैसा कि अमेरिकन विद्वान् मर्गन ने कहा है, “इन पाठ्यक्रमों से ऐसी धारणा होती है कि सम्भवतः भारत में बिरेले ही गाँव हैं।”†

गाँवों की शिक्षणीय आवश्यकता की ओर सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। आयोग ने प्रस्ताव किया था :

ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना एक केन्द्रीय स्थान में की जावे। इसका सम्बन्ध अनेक छोटे-मोटे सावितिक पूर्व-स्नातक कालिजों से हो, जोकि इसके चारों ओर वृत्ताकार-रूप में स्थित रहें।‡

इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए, भारत सरकार ने एक ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-समिति अक्टूबर, १९५४ में नियुक्त की। इस समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है। समिति ने कहा कि अभी ग्राम्य विश्वविद्यालय खोलना आवश्यक नहीं है। आरम्भ में कुछ ग्रामीण उच्चतर संस्थाओं की स्थापना हो और क्रमशः ये विश्वविद्यालय के रूप में बढ़ायी जावे। इन संस्थाओं में उत्तर ग्रिनियादी तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं के सफलभूत विद्यार्थी भरती किये जावें। इनमें ग्राम्य विषयों से सम्बन्धित तान-दर्पण डिप्लोमा, या दो-वर्षीय सर्टाफिकेट कोर्सों का आयोजन हो। इनके अतिरिक्त उनमें ग्राम्य-शोध, समाज-शिक्षा तथा समाज कल्याण-विस्तार का प्रबन्ध हो।

समिति के मुताबिक पर ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के सम्बन्धी सभी मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक ‘राष्ट्रीय ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-परिषद्’ स्थापित हो चुकी है। परिषद् ने ग्रामीण संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए ग्यारह संस्थाएँ चुनी हैं, जिन्होंने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। ये इन गाँवों या शहरों में स्थित हैं : धीनिपेतन, मद्रुरा, जामियानगर, उदुपपुर, सुरेन्द्रनगर, त्रिगुर्नी (विहार),

† A E Morgan Higher Education in Relation to Rural India Wardha Hindusthani Talimi Sangh, 1950. p 8

‡ University Commission's Report. p 575.

आगरा, मानासरा (मौसाम), राजपूरा (पञ्जाब), कोयंबटूर, अमरावती तथा गार्गोटी । परिपत्र-द्वारा अनुमोदित इन संस्थाओं के लिए चार पाठ्यक्रम स्वीकृत किये गये : (१) ग्राम-सेवाओं का तीन वर्ष का डिप्लोमा-कोर्स — इन डिप्लोमा की विश्वविद्यालय की सर्व प्रथम डिग्री के समान ही मान्यता प्राप्त हो चुकी है ; (२) दो वर्ष का कृषि-विज्ञान का मर्टीफिकेट कोर्स ; (३) तीन वर्ष का सिविल तथा ग्राम्य इंजीनियरिंग का कोर्स ; तथा (४) मैट्रिक परीक्षा विद्यार्थियों के लिए एक वर्ष या पूर्ण डिप्लोमा कोर्स ।

इन प्रारंभिक संस्थाओं के विषय में, कनिष्ठ विचार मन में उठते हैं : (१) क्या देशाती भारत की समस्या इन सुविधायक संस्थाओं से हल हो सकती है, जब कि हमारे देश में प्रायः छः लाख गाँव हैं ? (२) क्या हमें इस प्रकार उच्च शिक्षा पर प्रयत्न करना चाहिए, जब कि ग्रामों में प्राग्भिक शिक्षा का ठीक प्रबन्ध नहीं है / हमारे सिरा कमी कमी हमें गहरी सौम भरनी पड़ती है जब हम देखते हैं कि अविज्ञान संस्थाओं में भी नहीं, बल्कि शहरों में खोली गयी है । वह भी जान नहीं कि ये स्थान किस आधार पर चुने गये हैं ।

आशा की गयी थी कि ये संस्थाएँ ऐसे प्रारंभिक नेता तैयार करेंगी, जो कि हमारे देश की देशाती के समस्याओं को मुहलाने का प्रयत्न करेंगे । पर देखा जाता है कि इन संस्थाओं के अविज्ञान ग्नातक गाँव छोड़कर शहर की ओर दौड़ रहे हैं, तथा देशों की बेकारी की समस्या को बढ़ा रहे हैं ।

ये सब नहीं धुने सोच विचार कर आरम्भ की जायें । इन नवीन संस्थाओं की ऐसी कुछ विशेष आवश्यकता न था । इस प्रकार के कोर्स हमारे कृषि-कारिदों में आगामी में छोड़े ही प्रयत्न में खोले जा सकते थे । हमारे देशों का कनिष्ठ कृषि-कारिदों पर निर्भर है, न कि इन टिमटिमाती हुई दस पाँच प्रारंभिक संस्थाओं पर । जब तक हमारे कृषि-वाणिज्य तथा सामुदायिक विज्ञान कार्यक्रम बन्धे से कच्चा लकड़ बन न बनें, जब तक हमारे देशाती की उन्नति नहीं हो सकती । इन्हीं कृषि कारिदों को इन प्रारंभिक विश्वविद्यालयों के रूप में धीरे-धीरे बदलना पड़ेगा ।

**सरकार तथा विश्वविद्यालयीय शिक्षा :** संविधान तथा विश्व-विद्यालय.—सर्वोच्च शिक्षा के अनुसार, विश्वविद्यालयीय शिक्षा एक राष्ट्रीय विषय है, पर उच्च शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा संस्थाओं को संरक्षण के रूप में उच्च शिक्षा करने तथा उनमें एकसूत्रता स्थापित करने का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा कनिष्ठ राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त एक

प्राविधिक संस्थाओं का मरोफार केन्द्रीय सरकार में है। इन विषयों के लिए सम्पूर्ण देश में एकरूपता का प्रयोजन है। कारण, इनका सम्बन्ध पूरे देश में है। केवल केन्द्रीय सरकार ही यह गमानता सुस्थिर रख सकती है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकार.—उच्च शिक्षा-विस्तार के लिए केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्यीय सरकारों को आर्थिक सहायता देती है। पर यह देखा गया कि अनेक राज्य सरकारें उच्च शिक्षा पर पर्याप्त अर्थ व्यय नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनका प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा-व्यय ही इतना ऊँचा होता है कि उनके पास अनुसूचित अनुदान के लिए भी पर्याप्त अर्थ नहीं रहता। अतएव वे केन्द्रीय उच्च-शिक्षा योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। इस आर्थिक समस्या पर विचार करते हुए, कई शिक्षा-विशेषज्ञों का मत है कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार ले ले।

गवार्डियन आयोग इस विचार में सहमत नहीं हुआ। इसके दो मुख्य कारण थे। केन्द्रीय शासन का सबसे बड़ा खतरा रहता है अपरिवर्तनीय एकरूपता। केन्द्रीय सरकार सदा शिक्षा को एक ढाँचे में ढालने की चेष्टा करती है। शिक्षा की प्रगति के लिए यह रवैया अहितकर है। हमें सदा स्थानिक जरूरतों की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग ने यह नहीं चाहा कि उच्च शिक्षा शासन हस्तान्तरित होने के कारण भारत सरकार तथा राज्य सरकारों में अनबन हो। इन अड़चनों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सिफारिश की कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा समवर्ती सूची में रखी जाय। आयोग ने सुझाव दिया कि केन्द्रीय सरकार के अधिकार वित्त, विविध विषयों की सुविधाओं का संयोजन, राष्ट्रीय नीति प्रचलन, प्रशासन के मान-दण्ड का निर्धारण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा विश्वविद्यालयों एवं राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच सम्पर्क-स्थापन तक ही सीमित रहे।† आयोग की सिफारिशों के कारण, विश्वविद्यालय-अनुदान आयोग की सृष्टि हुई है, और इसीके जरिये विश्वविद्यालयों को भारतीय सरकार से प्राण्ट की प्राप्ति होती है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार तथा विश्वविद्यालयों के बीच मनोमालिन्य होने की सम्भावना दूर हुई।

विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार.—केन्द्रीय सरकार के मातहत चार विश्व-विद्यालय हैं : अलीगढ़, बनारस, दिल्ली और विश्व-भारती। अन्य विश्वविद्यालयों का सम्पर्क राज्य सरकारों से है। पर हमारे देश के विश्वविद्यालय न ब्रिटिश विश्वविद्यालयों

† Ibid., pp. 406-7.

के समान सम्पूर्ण स्वाधीन हैं, और न यूरोपीय युनिवर्सिटियों की नाईं पूर्णतः राज्य-शासित हैं। इनकी स्थिति इन दोनों विपरीत दिशाओं के बीच में है। हमारे विश्व-विद्यालय सरकार पर दो विषयों के लिए निर्भर रहते हैं : (१) इनकी सृष्टि राज्यीय विधान समा-हारा होनी है, अतएव इनके सविधान तथा अधिकार का निर्णय राज्य-सरकार करती है; एव (२) राज्य सरकार इन्हें अनुदान देती है। ग्राण्ट की रकम विधान-समा निर्धारित करती है। इन दोनों प्रतिबन्धों के सिवा, हमारे विश्वविद्यालय पूर्णतः स्वाधीन हैं।

विश्वविद्यालय तथा स्वायत्तता.—वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की विशेष आलोचना हो रही है। कारण, लोगों की धारणा है कि सरकार आदर्शतः विश्वविद्यालय-प्रशासन में निरर्थक हस्तक्षेप कर रही है। कुछ उदाहरणों की आलोचना यहाँ की जा रही है। प्रथम उदाहरण है बर्बेट विश्वविद्यालय का। कुछ वर्ष पूर्व, स्वर्गीय डॉ० जॉन मर्याडें इस विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। उन्होंने बताया कि कई बार कुछ नियुक्तियों की बाबत उन्हें राज्यपाल तथा राज्य मंत्रियों के बीच झटकना पड़ा। उन्होंने भारत में प्रचलित इस प्रथा का विरोध किया कि विश्वविद्यालयों के कुलपति राज्य के राज्यपाल पदेन रहें। उद्घाषा जब राज्यपाल पदेन कुलपति होता है, तब वास्तविक दार्शनिक प्राणीय सरकार के हाथ में पहुँच जाती है, क्योंकि राज्यपाल राज्य का वैधानिक अधिकारी है। राज्य की सरकारें स्वभावतः सभी प्रश्नों को राजनैतिक स्थिति की दृष्टि में देखती हैं। किन्तु हमारे विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता में बाधा पड़ती है, और यदि उनमें विचारों का स्वातन्त्र्य न रहे तो वे न तो स्वस्थ शिक्षा ही दे सकते हैं और न मार्गदर्शन ही कर सकते हैं। सचिदायन की मनोवृत्ति में साकारी नीति को अक्षरतः लागू करने की प्रवृत्ति होती है। वह शिक्षा के मुक्त वातावरण में सर्वथा निष्ठ होती है। उसके अन्तर्गत न तो विश्वविद्यालय का सर्वोपर श्रेय प्राप्त हो जाता है। विद्यार्थी, गुरु, अधिष्ठ शिक्षकों के रिश्तों में वह इतना उबड़ खाता है कि उनकी स्वतंत्र दृष्टि अन्तर्गत मुक्तता में लग जाती है, और विश्वविद्यालय के वे अधिकारी जिन्हें कार्य मुक्त विज्ञान, मूल्य, अध्यापन और शिक्षण के विचार-समूह में आधार उनको प्रेरणा देना और उनका मार्ग दर्शन है, साकारी और विद्यार्थी की भूत भूतल में संस्कार करने अथवा अन्तर्गत कार्य की और स्वयं

नहीं दे पाते। डा० जान मथाई ने इस संवेध में अपने बचड़े के अनुभवों की चर्चा की और अन्त में उन्होंने यह निष्कर्ष-युक्त बात कही, “राज्यपालों के पदेन कुलपति होने की प्रथा बन्द कर दी जाय। कारण, उनके द्वारा विश्वविद्यालयों पर गजनेतिक प्रभाव पड़ता है।” † इस निष्कर्ष के लिए, भारतीय शिक्षा जगत् स्वर्गीय जान मथाई का आभारी है।

कुछ ही महीने बाद, मद्रास में राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय के बीच झगड़ा खड़ा हुआ। झगड़ा तीन विषयों पर था : (१) तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स का प्रारम्भ, (२) कॉलेजों में मातृ-भाषा-द्वारा शिक्षा और (३) सरकार-द्वारा पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन।

सरकार का कहना था कि तीन-वर्षीय डिग्री-कोर्स का तात्पर्य है इण्टरमीडिएट कोर्स का अन्त, तथा उसके फल-स्वरूप प्रथम वर्ष का माध्यमिक शिक्षा से योग एवं द्वितीय वर्ष का स्नातक कोर्स से सम्बन्धित होना। विश्वविद्यालय अकेले यह सुधार अमल में नहीं ला सकता है। कारण, उसका माध्यमिक शिक्षा पर कोई भी अधिकार नहीं है। इसके विपरीत विश्वविद्यालय का कथन था : (१) तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स की शुरुआत, सिनेट तथा एकडेमिक काउन्सिल में पूर्ण विवेचना के पश्चात् हुई है; (२) कॉलेजों की शिक्षा का माध्यम शीघ्र बदला जाय; और, (३) सरकार-द्वारा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों के कारण, शिक्षा में अपरिवर्तनीय एकलपता की सृष्टि होगी। — वाद-विवाद के फल-स्वरूप विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० लक्ष्मणस्वामी मुदलियार तटन भा गये। सरकारी हस्तक्षेप का प्रतिवाद करते हुए उन्होंने कहा :

जैसी स्वायत्तता खली आ रही है, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। ... .. हरगिज यह स्वायत्तता नहीं है। शिक्षा-मन्त्रालय ने उपदेशों का तौला लगा ही रहता है। एक सचिव के बाद दूसरा सचिव यह निर्देश देता ही रहता है कि यह शुरू करो और यह बन्द करो। ‡

वर्तमान समय की सबसे प्रेक्षणीय घटना है भारतीय सच प्रेसीडेंट की चौदहवीं जून, १९५८ की विदेश आज्ञा, जिसके द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय एकट का मुनार हुआ। इसके अनुसार, सिनेट को केवल परामर्श देने का अधिकार रह गया, तथा सदस्यों का चुनाव बन्द हो गया। तत्पश्चात् विश्वविद्यालय की कार्यवाही

† *Times of India*, February 28, 1957

‡ *Ibid.*, November 20, 1957

की शंभ के लिए एक समिति की नियुक्ति हुई। इस समिति के प्रतिवेदन पर काफी मनोमग्न चर्चा भी हुई। वह मंत्र को विद्रित ही है। इस नियम की चर्चा करने हुए, सम्प्रती के सहायक लिखते हैं :

इस प्रकार विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता समाप्त हो ही गयी है। सरकार के मनोनीत लोगों से परिचालित और शिक्षा मन्त्रालय के अधीन रहनेवाली मन्त्रालय के स्वतन्त्रता और आत्मनिर्भरता नगरिक उन्नयन नहीं हो सकते। ऐसी समस्या 'जी ह्यूमन' और 'गेटिंग्स' का ही निवारण कर सकेगी।।

ये हुए विश्वविद्यालयीय स्वातन्त्रता सम्बन्धी कुछ अन्य नव उदाहरण। उन प्रश्नों का उत्तर है कि क्या सरकार को विश्वविद्यालयीय स्वातन्त्रता पर हमला करना उचित है। प्रायः सभी एकमत हो स्वीकार करते हैं कि विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए स्वातन्त्रता निराला आवश्यक है, पर सम्पूर्ण स्वातन्त्रता दितकर नहीं है। श्री विन्हाउस देश-व्यापक बता ही है :

कभी कभी यथेष्ट स्वातन्त्रता के कारण विश्वविद्यालयों में कुमन्त्रालय रूप प्रभावित देखा गया है। उचित निरीक्षणों के अभाव में कारण, कई विश्वविद्यालयों में आन्तरिक झगड़े तथा पक्षपात होते हुए। निरीक्षण का विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालय के अधीन स्थापित शासन विभाग नहीं करते। पर इसके साथ ही केंद्रीय तथा राज्य-सरकार का भी दृष्ट है कि विश्वविद्यालयों पर निगरानी रखे ताकि उनका स्तर निम्ने न जाने और देश-व्यापक अनुदान का यथोचित उपयोग करे।

**विषय : वर्तमान स्थिति.**—सन् १९५५-५६ में, विश्वविद्यालयों पर केंद्रीय अर्थ और मानवता प्रमाण कानूनों की कुछ धारा ३७-८२ बरौह करके थे। १९५६-५७ में, पर कानून १९५३-५४ में २८-५३ बरौह करके तथा १९५४-५५ में ३१-८३ बरौह करके थे। सन् १९५५-५६ की आरम्भ शीघ्रता में कानून ३० में निम्न करके है :



## सांख्यिकी १९१

प्रत्येक शिक्षा की आय का स्रोतवार बंटवारा, १९५५-५६  
(करोड़ रुपये)

स्रोत	रकम	प्रति शत
<b>भाषणार्थी</b>		
केन्द्रीय सरकार	१.११	८.२
राज्य सरकार	१०.५३	२३.८
स्थानीय मण्डल	०.०८	०.२
फीस	१३.२५	३२.०
दान	०.५६	१.५
अन्य स्रोत	२.६१	६.५
<b>अभाषणार्थी</b>		
केन्द्रीय सरकार	२.४८	६.६
राज्य सरकार	२.५२	६.७
अन्य स्रोत	२.६८	७.१
कुल योग	३७.८२	१००.००

ऊपर के अङ्कों से स्पष्ट होगा : (१) ४७.६ प्रति शत खर्च सरकार ने उठाया, (२) दूसरा उद्देश्य योग्य स्रोत फीस है एवं (३) स्थानीय मण्डलों का अंश नहीं के बराबर है। अब यह विचार किया जाय कि उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए विभिन्न स्रोतवार खर्च का अधिकतम उपयोग किस तरह किया जा सकता है।

सरकारी अनुदान.—यह पहले ही स्पष्ट किया जाय कि विश्वविद्यालय का स्वर्चकारी अनुदान, फीस, दान एव दूमरे स्रोतों में खलता है, पर मान्यता-प्राप्त कालिजों 1 विश्वविद्यालयों से कुछ भी प्राण्ट नहीं मिलता है। इन्हें राज्य-सरकार अनुदान ती है। प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी नीति है। कहीं तो कालिजों को कुल स्वर्च 1 ५० प्रति शत प्राण्ट मिल जाता है, और कहीं अति अल्प। यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यथेष्ट सरकारी प्राण्ट के बिना गैरसरकारी कालिज अथवा कार्य ठेक-ठीक नहीं चल सकते। गयाटृष्णान-आयोग ने सिफारिश की है कि सरकारी अनुदान न मद्रों के लिख दी जावे : (१) इमागत, (२) असबाब तथा शिक्षा-साधन, (३) पुस्तकालय, (४) छात्रावास, (५) अस्थापकों का वेतन, वेतन तथा प्रावीडेण्ट फण्ड, (६) प्राय-वृत्ति एव परिपट-वृत्ति, (७) अस्थापन-अवकाश और (८) गवर्नरा तथा स्नातकोत्तर कार्य, रिगेरत : प्राथमिक तथा व्याधमायिक क्षेत्रों में।†

अधिकतर राज्य-सरकारें खण्ट-अनुदान नीति का अनुसरण करती हैं। यह गुरुम पिछटे कई वर्षों की कुछ स्थिर मद्रों के व्यय का हिमात्र ल्याकर निर्धारित होती है। इस कारण उनके आय-व्ययक में मद्र घाटा बना ही गता है। अनुदान निर्धारण करते समय मद्र स्वाभाविक तथा अन्य विचारगुण खचों का ध्यान रहे। सरकारी अनुदान का पता वर्ष के प्रारम्भ में चल जाना चाहिए। इसमें शिक्षा-सम्बन्धी को अपने आय-व्ययक निर्माण में पर्याप्त सहायता मिलती है।

केन्द्रीय प्राण्ट विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग के द्वारा प्राप्त होता है। इस अनुदान का आवण्टन विगत कई वर्षों में इस प्रकार हुआ है :

### तालिका २०

विश्वविद्यालय-अनुदान आयोग-द्वारा अनुदान-आवण्टन

वर्ष	रकम
१९५४-५५	१,७८,४६,५४६
१९५५-५६	२,६६,१५,११०
१९५६-५७	३,४१,८९,६३५

† University Education Commission's Report, p. 419

‡ Ten Years of Freedom, p. 18

उत्तम अनुदान इन विषयों में मिल सके : (१) वैज्ञानिक, प्रयोगिक तथा इन्जीनियरिंग विद्यालय, (२) पुराने, अपभ्रष्ट तथा विषम-व्यवस्था, (३) इलाक़ों, (४) मूलभूमिहीन विद्यालयों का प्रबन्ध करना, (५) छात्रों के भोजन, (६) शिक्षित छात्रों के अन्वेषणों द्वारा प्रयोग कार्य, (७) स्थान-स्थान विद्यार्थियों तथा (८) सामान्य शिक्षा का आगमन। अनुभव-वश तथा इस प्रकार शिक्षण पर अनुदान, सर्व सरकारी तथा प्रोविन्सियल विद्यालयों को इस बात पर दिया जाता है कि वे आर्यों वर्गों का आशा तथा भरोसा। वर्गों का एक शिक्षित स्तर: प्रदान करेंगे। अन्य वर्गों के लिए में यह समझीया है कि शिक्षित स्तरका स्तर पर आर्य विद्यार्थियों तथा पर सर्व सरकारी अनुदान स्तरों स्तरों का मिले।

दान, धनरा इत्यादि.—दत्तार्थ उच्च शिक्षण का अति सामान्य वर्गों दान, चन्दा आदि में निरूपता है। इसका विषयगत अमेरिका तथा यूरोप में इत्यादि विश्वविद्यालयों शिक्षा के लिए कार्य प्रबन्ध प्रकटा करता है। हमारे देश में इन और लोगों का प्रदान विशेष आकर्षण नहीं हुआ है। अमेरिका विश्वविद्यालयों तथा अनेक शिक्षा संस्थाओं में एक स्वतन्त्र अधिकारी स्तर है, शिक्षण कार्य ही चन्दा प्रकट करना होता है। इनमें मध्य यद् न सोचना चाहिए कि पैसा केवल दान योग्य में ही मिलता है। छोटे-मोटे चन्दों को जोड़कर भी बृहत् स्तर का बन सकती है। सन् १९२१ में अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्थाओं को बरौचर ऐडु क्रोडु द्वारा पुराने विद्यार्थियों तथा मध्यम वर्ग के स्तरियों के प्रकट से मिले थे।

स्वसञ्चालित कालिज.—हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न है स्वसञ्चालित कालिजों का। कालिज १८ में स्पष्ट होगा कि हमारे देश के दो तिहाई कालिज स्वसञ्चालित हैं। इनकी कार्यक्षमता के लिए आवश्यक है उपयुक्त प्रबन्ध समिति। राष्ट्राङ्गणन आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक निजी कालिज की प्रबन्ध-समिति में १२ से १५ तक सदस्य हों, जिनमें दस प्रकार के सभासद सम्मिलित हों :

१. दान देनेवाले निवासियों के प्रतिनिधि,
२. प्रिन्सिपल एवं अध्यापक वर्ग के प्रतिनिधि,
३. कालिज के पुराने छात्र-सच के प्रतिनिधि,
४. विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि,

५. राज्य-सरकार के प्रतिनिधि (यदि कालेज को सरकारी अनुदान मिला हो), एव

६. कुछ नामवट शिक्षा-शास्त्री (अधि-निर्वाचित सदस्य) ।†

अध्यापकों तथा सञ्चालक-गण के बीच प्रायः सदा झगड़ा चलता रहता है। इसे निबटाने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक गैरसरकारी न्याय-सभा की आवश्यकता है, पर इसके फैसले को मान्यता दी जानी चाहिए। इसके बिना सम्पूर्ण कार्यवाही हास्यास्पद हो जाती है। उदाहरण-स्वरूप दिल्ली विश्वविद्यालय तथा उसी सभा के भूतपूर्व सचिवनशास्त्र के अध्यापक श्री० एस० दत्त के मुकदमे का बयान नीचे दिया जाता है :

सन् १९४९-५१ के बीच, विश्वविद्यालय के साथ मेरी काफी अनबन हुई। मामला विश्वविद्यालय न्याय-सभा को सौंपा गया। सत्रहवीं जून, सन् १९५३ को सभा ने अपनी राय मेरे पक्ष में दी, पर विश्वविद्यालय ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके फलस्वरूप सरकारी अदालत में मुकदमा टायर बनने के सिवा मेरे पास कोई चारा न रहा।

मुकदमा छः वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय में चला। तथा न्यायालय ने गवर्नर को यद्यपि विश्वविद्यालय-न्याय-सभा को झगड़ा निबटाने का पूर्ण अधिकार है, तो भी न्यायालय उस फैसले को पंच निर्णय-स्वरूप प्रयुक्त करने में असमर्थ है।

यदि सर्वोच्च न्यायालय का यह अनुभव है तब तो दूसरों का करना ही क्या है। कानून में इस प्रकार छिद्र रहने के कारण, निस्सहाय अध्यापकों की यह दुर्दशा होती है। रिट्टे बर्ष लोकर-सभा में शिक्षा-मन्त्री डाक्टर भीमानी ने ऐसी न्याय-सभाओं की उपयोगिता की खर्चा ही थी। इस विषय में तर्क-वितर्क की कोई भी आवश्यकता नहीं है। केवल इन्हीं मसल बनाने की आवश्यकता है, जिसने इनकी गयी का आदर हो।

स्वाधीन भारत तथा विश्वविद्यालय

भूमिका

इस प्रकार हमारे देश में उच्च शिक्षा की परम्परा प्राचीन काल में चली आ रही है। किसी भी विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों का शिक्षण। हमने जुड़ा हुआ है अनुसन्धान, क्योंकि विश्वविद्यालय का लक्ष्य सदा उच्चतम शिक्षा देना है। उद्योगों शान्ति में हमारे देश में, सम्बन्धीय विश्वविद्यालयों की मूर्ति

† University Education Commission's Report, p. 419

हुं। इस प्रकार हमारे विधिविद्यालयों पर एक नवीन उपायविधि का प्रहार —  
मारपीटका हुआ।

राष्ट्रीयता-अर्थों वाले के अभाव हमारे विधिविद्यालयों की शिक्षण-शैली भी  
बद गयी है। विद्यार्थियों की शिक्षण-समय तथा अनुसंधान व माध्यम, इनकी  
विश्लेषणात्मक नहीं हो जाती है। इन्हें मजबूत, मजदू तथा मजबूत देना भी उचित  
होता है। इस प्रकार एक आधुनिक विधिविद्यालय व कार्य-विद्यालय की सीमा उभरी  
हूई अवस्थाओं की सीमाएँ तक ही सीमित नहीं रह जाती। हमें मजबूत के विभिन्न  
प्रकार के उपायों की आवश्यकता की ओर ध्यान देना पड़ता है, यथा: उच्च  
शिक्षण और अधिािक्षण, पुस्तक और छात्र, धनी और गरीब, विमान एवं वाहन।  
उपरोक्त प्रणाली का अर्थ ही इनकी स्वरूप-रूढ़ि हो सकती है। इस प्रकार राष्ट्रीय  
स्तर में विधिविद्यालय के कार्य-मुद्दे अर्थ हैं: (१) शिक्षण, (२) अनुसंधान,  
(३) मजबूतीकरण और (४) प्रशासन।

शिक्षण

प्रायः सभी कालों तथा विधिविद्यालयों का मुख्य उद्देश्य है अन्त-अन्त  
विद्यार्थियों का शिक्षण। शिक्षण के माध्यम अनेक प्रश्न सुटे हुए हैं। कुछ मू  
प्रश्नों की चर्चा इस प्रकरण में की जा रही है।


विश्वविद्यालयों में प्रवेश.—कुछ वर्षों में विधिविद्यालयों में भीड़ बढ़ती  
ही जा रही है। सन् १९४७ में इनकी छात्र-संख्या बढ़ाई गयी थी। मात्र (१९५७)  
पर आठ लाख है। शिक्षण-योजना के अन्त तक इस संख्या के इस तरह तक पहुँचने  
की सम्भावना है। प्रायः प्रत्येक उच्च शिक्षण-संस्था की छात्र-संख्या गत दस वर्षों में  
दुगुनी हो गयी है। पर इस छात्र-वृद्धि के अनुपात में न उनमें स्थान-विस्तार ही हुआ  
और न उनके व्यय-मात्र या शिक्षा-साधन ही बढ़ाये गये। इतना होते हुए भी विद्यार्थियों  
को तो कालों में भरती होना मुश्किल है। कई एक को तो 'एडमीशन बन्द' की  
खुशी ही दौंग देनी पड़नी है। इस सूचना-पत्र को देखकर विद्यार्थियों को पैसा ही  
नस्ताय होता है, जैसा कि एक दर्शनाभिज्ञानी व्यक्ति को सिनेमा-गृह या नाटक-घर में  
'हाऊस फुल' का पाठिस देखकर, या, नौकरी के उम्मेदवार को किसी कार्यालय में  
'नौकरी खाली नहीं' की सूचना सुनकर मार्मिक पीड़ा होती है।

इतना होते हुए भी सभी शिक्षाएँ करते हैं कि हमारी शिक्षा का स्तर दिन प्रति  
दिन गिरता ही जा रहा है। अगले पन्ने के तालिका में विभिन्न युनिवर्सिटी परीक्षाओं  
का परिणाम दिया जाता है :



# उत्तीर्ण ग्रेजुएट संख्या (हजार)

१९५१-५२ से १९५५-५६



की विद्यालयन प्रणालि ने पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया, "अब वह समय आ गया है जब कि हमें निर्णय करना है कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा केवल चुनिन्दे विद्यार्थियों के लिए है; या, उन सर्वत्र लिये, जो माध्यमिक शिक्षा समाप्त कर इसका लाभ उठाना चाहें।" देश की आर्थिक उन्नति की आरंभ विदेश आवश्यकता है। इस कारण हमें यह निर्णय लेना है कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा केवल उद्योग कर्मियों को ही होवे। 'केमरिशम' ने भी अपने छात्रोंमें वैश्विक परिवर्तन के समर्थन इस प्रश्न पर विचार किया। मगरल ने कहा, "विद्यार्थियों की संख्या की सीमा रखन रखने हुए कालिनों में एटनीशन (प्रवेश) नियन्त्रित किया जाय।" १

पर इसके साथसाथ यह प्रश्न उठता है कि क्या यह विश्वविद्यालय प्रवेश नियम ही देश के लिए उचित होगी, जब कि हम देखते हैं कि अन्य देशों की संस्थाएँ हमारे देश की उच्च शिक्षा विस्तार कर रही हैं। आरंभ भाग की जन-संख्या तीस करोड़ के आस-पास है, पर हमारे विश्वविद्यालयों में केवल ४७ हजार छात्रक प्रति वर्ष आते हैं। इससे जिनके अर्थ छोटे छोटे देशों में हमसे दुगुने केन्द्रित साधना करती है। अतएव यह स्पष्ट है कि देश की उन्नति के लिए उच्च शिक्षा विभाग को समर्थ आवश्यकता है। पर जब हम देश की वर्तमान व्यापक स्थिति पर विचार करते हैं तब हम मानना ही पड़ता है कि अभी उच्च शिक्षा में गुणवत्त उन्नति की जरूरत है, न कि मात्र मात्र शिक्षा की।

**सार्वजनिक उद्योग सार्वजनिक की आवश्यकता।**—उद्योग हमारे विश्वविद्यालयीय व्यवस्था के आस-पास, जिन तथा सार्वजनिक के हमें मिले मिलने को अपनी हस्त के लिए लेना पड़ता है। इसका एक अत्यन्त निराल होता है। अतएव, विश्वविद्यालयीय व्यवस्था के लिए हमें यह स्पष्ट करने है कि, सर्वे सार्वजनिक शिक्षा नहीं ले पाते हैं। इस तरह के विद्यार्थी मिलने मिले जाते हैं। कोई दैनिक संचालना नहीं है कि के लिए मिलने नहीं देना हुए के, दास उद्योग सार्वजनिक के अन्तर्गत ही रहने का विचार है।

इस तरह के हुए जाने के एक तरह इतर व्यवस्था में सुलभ हो है। सार्वजनिक व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय सार्वजनिक के विचारों की आवश्यकता है। अतः



(कला), गणित तथा अतिरिक्त प्रत्येक विभागाध्यय को पूरा-रिश्तन तथा सन्तुलन-रूप की शिक्षा का अन्वेषण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन प्रत्येक शाखाओं में विविध विषयों के समावेश की आवश्यकता है। इस प्रकार के सुधार में अनेक उपायों की सम्भावना है। प्रथमतः, प्रत्येक कालिज की अपनी-अपनी विशिष्टता रहेगी। ये कई विषयों की पढ़ाई का प्रबन्ध कर सकेंगे। द्वितीयतः, विविध विषयों के समावेश के कारण, प्रत्येक विद्यार्थी अपनी-अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकेगा। यह निरुत्सुकता नहीं बढ़ाएगा। तृतीयतः, कालिज की कक्षाओं की छात्र-संख्या घटेगी क्योंकि कई विषयों की पढ़ाई का प्रबन्ध होगा। इनके अतिरिक्त, प्रत्येक विषय में तथा व्यावसायिक कालिजों में चुनिन्दे विद्यार्थी विद्याभ्यास करेंगे।

तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स.—तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स की आवश्यकता की चर्चा पहले की जा चुकी है। बङ्गाल, बर्मा, केरल, मद्रास, ओरिसा तथा सागर विश्वविद्यालयों ने इस पाठ्यक्रम का आरम्भ १९५७-५८ या उसके पहले ही किया था। अलीगढ़, आन्ध्र, अजमेर, मैसूर, नागपुर, आनन्द तथा व्यंकटेश्वर विश्वविद्यालय इस योजना को १९५८-५९ में एच यूना, राजस्थान, उत्तर, विन्ध्या तथा महिला विश्वविद्यालय इसे १९५९-६० में शुरू करनेवाले थे। चर्चे हुए विश्वविद्यालय इस योजना के विषय में सोच-विचार कर रहे हैं। द्वितीय योजनाकाल में इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए पन्द्रह करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया है। यह अर्थ १८० इण्टरमीडिएट कालिजों को डिग्री कालिजों में बदलने के लिए तथा ३६० डिग्री कालिजों के पुनर्गठन के हेतु खर्च किया जायगा।†

सामान्य शिक्षा.—देखा गया है कि कालिजों में चार वर्षों तक अध्ययन करने के पश्चात् भी हजारों स्नातकों की शिक्षा का सर्वाङ्गीण विकास नहीं होता है। उन्हें संसार के अनेक विषयों का ज्ञान नहीं रहता है, जिनकी आवश्यकता एक शिष्ट मनुष्य के लिए है। जैसा कि श्री सैयदैन ने कहा है :

विश्वविद्यालयीय शिक्षा-द्वारा हम सकीर्ण, कल्पना-हीन विशेषज्ञ प्रस्तुत करते हैं। हमारे विज्ञान के स्नातकों को कला तथा कविता, सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। इसी प्रकार कला के

† Evaluation Committee Report of the Three Year Degree Course Delhi, Ministry of Education, 1958, p 12

विद्यार्थी ठीक तरह समझ नहीं पाते कि विज्ञान तथा वैज्ञानिक पद्धति ने किस प्रकार उस विश्व को बदल दिया है, जिस पर वे बाम करते हैं ।<sup>1</sup>

शिक्षा की इस कमी को अनुभव करते हुए, राष्ट्राध्यक्षन आयोग ने सुझाव उठाया कि इण्टरमीडिएट तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी शिक्षा के ढोंग को दूर करने के लिए कला तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा की व्यवस्था की जावे । इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नर एवं नारी को बड़ा ज्ञान देना है जो उनको उनके विद्यार्थीकृत अध्ययन के कारण नहीं मिल पाता है । इन प्रकार सामान्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थीकृत शिक्षा के ढोंगों को दूर करना है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वाङ्गपूर्ण विकास हो सके । साथही उसे उसके विशिष्ट क्षेत्र में पूरा प्रतिष्ठान मिले, और वह एक उपयुक्त नागरिक बन सके ।

गत पच्चीस बरों से शिक्षा की इस समस्या पर गृह बहस हो रही है । अमेरिका तथा युरोपीय अनेक देशों में सामान्य शिक्षा का सम्परीक्षण चल रहा है । साधारणतः इस शिक्षा का आयोजन निम्नलिखित किसी भी तीन तरीके से होता है .

१. पाठ्यक्रम का कुछ मुख्य भागों में विभाजन.—विद्यार्थी को प्रत्येक भाग से कुछ-कुछ बोझ लेना पड़ता है,

२. उन सर्वेक्षण बरों का आयोजन, जिन्हें विद्यार्थी अपने विद्यार्थीकृत अध्ययन के कारण नहीं ल पाते; एवं

३. एक अनिवार्य पाठ्यक्रम.—जिसमें प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा भाषा-शास्त्र का समावेश रहता है ।

उपर्युक्त तीन पद्धतियों पर, विश्वविद्यालयीय एक समिति ने विचार किया (१९५५) । समिति ने निर्णय किया कि हमारे देश के लिए तीसरी पद्धति अनुकूल होगी । अन्त में सन् १९५६ में एक अध्ययन-अण्डली इंग्लैण्ड तथा अमेरिका भेजी गयी । इस समन्वयी ने अपना प्रतिवेदन जगद्वी, १९५७ में सरकार को दिया । सरकार ने सामान्य शिक्षा की दो योजनाएँ तैयार की हैं । इसकी मुख्य योजना में प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि में सम्बन्धित मूल विषयों के अध्ययन की सामान्य शिक्षा सभी छात्रक पूर्व और-स्नातकस्तरिक संस्थाओं के लिए अनिवार्य रखी जानी है । वैदिक संस्था में शिक्षा पाठ्यक्रम के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में सामान्य शिक्षा

<sup>1</sup>H. G. Sarvajanin *Education, Culture and Social Order* 1st ed. New Asia Publishing House, 1952, p. 163

के लिए गारा में छः पीरियड के अत्यासन की व्यवस्था की जाती है। भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम की लागू करना स्वीकार किया है और अधिकांश में इस कार्यक्रम में कार्य आगमन भी कर दिया है।

**निर्देश तथा परामर्श.**—विभिन्न विषयों तथा सामान्य शिक्षा के समावेश के साथ साथ आदर्श हैं छात्रों को निर्देश तथा परामर्श। इनके अभाव में प्रत्येक विद्यार्थी के अनुकूल उपयुक्त विषयों का चुनाव अव्यवहार होगा। इस कारण प्रत्येक कालिज तथा विश्वविद्यालय में एक निर्देश तथा परामर्श कार्यालय की आवश्यकता है। इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य हो, प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता एवं रुचि की जांच करना तथा उमर्का पिछली शिक्षा एवं भाष्य की ओर ध्यान गाने हुए सरथा के प्रचलित पाठ्यक्रम में उसके उपयुक्त विषय स्थिर करना, ताकि उनके अध्ययन से उसे अधिकतम सफलता प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी के टिप्पणी-विषयक रेकार्ड की भी आवश्यकता है। कार्यालय इन रेकार्डों की छानबीन करे तथा विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार परामर्श दे।

**शिक्षण का मान-दण्ड.**—बहुतों का कहना है कि हमारे विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक मान-दण्ड विशेष ऊँचा नहीं है, तथा अध्यापन का स्तर धीरे-धीरे नीचे की गिरता ही जा रहा है। यह आरोप बहुत कुछ सत्य है। शिक्षा की इस अमन्तोपजनक स्थिति के मुख्य कारण ये हैं :—अध्यापकों की नियुक्ति, उपयुक्त शिक्षण-पद्धति का अभाव, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के बीच निम्न सम्पर्क का अभाव।

एक विश्वविद्यालय अध्यापकों का केन्द्र-स्थल है। वे ही उसे बढ़ा सकते हैं या गड़बड़े में टकेल सकते हैं। इस कारण उच्च शिक्षा की उन्नति के लिए उपयुक्त अध्यापकों की आवश्यकता है। पर गत-दस वर्षों से कालिजों की संख्या इतनी बढ़ रही है कि योग्य शिक्षकों का मिलना कठिन हो गया है। किसी-किसी कालिज में तो कोई भी एम० ए० पकड़कर अध्यापक बना दिया जाता है। अनेक होनहार नवयुवक कालेज या विश्वविद्यालय में आचार्य होकर अवश्य प्रविष्ट हो जाते हैं, परन्तु उनका मुख्य उद्देश्य रहता है अधिकतर वेतनवाले पदों के लिए प्रस्तुत होना। आजकल अनेक अध्यापक आई० ए० एस० परीक्षाओं में बैठते हैं। यदि वे यहाँ सफलीभूत न हुए तो वे शिक्षा-कार्य छोड़कर अन्य पदों पर चले जाते हैं। कोई-कोई तो न्यूनतम वेतनवाले पदों को स्वीकार करते हैं; कारण, यहाँ अतिरिक्त अर्थोपार्जन की सम्भावना रहती है।

इस विवेचन का निष्कर्ष यह निकला कि कालिज एवं विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को सन्तोपजनक वेतन मिलना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रावीडेण्ट फण्ड, छुट्टी

का काम-काज के योग्य वा यथोचित प्रत्यक्ष हो। इसके सिवा, अध्यापकों के भारी होने की प्रथा में विरोध सुधार की आवश्यक है। अनेक अध्यापक नये रंगभूट होने हैं, जो उनके अध्यापन-कार्य का कुछ भी अनुभव नहीं रखा है। ऐसे व्यक्ति किस प्रकार अपने कर्तव्य सफलता पूर्वक पूरा सकते हैं? अतएव यह प्रश्नान्तर किया जाता है कि जैसे कालिज तथा विश्वविद्यालय में कुछ शोध शिक्षक-वृत्तियों के पद हों, जिनमें कुछ शिक्षक उत्कृष्ट-ग्रेजुएट विद्यार्थी कम-से-कम दो वर्षों के लिए नियुक्त हों। इनमें से कुछ जहाँ-तहाँ विद्यार्थी भविष्य में अध्यापक नियुक्त किये जायें।

इसके साथ-साथ नये अध्यापकों की शिक्षण-पद्धति का भी थोड़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस ज्ञान से पढ़ाना सरल हो जाता है, तथा शिक्षा विधि रोचक बन जाती है। सम्पत्ति विश्वविद्यालय के उपयुक्तपरिचयों के एक सम्मेलन में इस विषय की विस्तृत रूपसे आलोचना हुई थी, तथा सम्मेलन ने कालिजों के अध्यापकों के लिए एक कठिन पूर्व-अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक समझा गया।<sup>†</sup> इस केंद्र में उच्च शिक्षा अध्यापन की आवश्यकताओं का ध्यान रहना चाहिए।

यह भी देखा गया है कि कालिज-अध्यापकों को एक से अधिक विषय तथा इनमें पर्य्याप्त परिपक्वता प्रति सप्ताह लेना पड़ता है। इस अतिरिक्त बोझ के दबाव के कारण, वे हॉपने लगते हैं। उनमें नवीन ज्ञान-प्राप्ति की आकांक्षा नहीं रहती है और वे अपने व्याख्यान के लिए जो प्रमाला एकत्र कर चुकते हैं, उसे ही क्यों बोलते हैं या किसी नकार-नोट से कुछ अंदा पढ़कर विद्यार्थियों को सुना देते हैं। जब तक अध्यापकों का अध्यापन-कार्य कम न किया जायगा, तब तक यह परिस्थिति दूर नहीं सकती है। न किसी आचार्य को एकाधिक विषय ही पढ़ाना पड़े, और न उन्हें कक्षा में खोले से अधिक परिपक्व ही लेना पड़े। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सप्ताह के अध्यापकों के अध्यापन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि श्री एस० एन० शोम ने कहा है :

प्रत्येक विश्वविद्यालय में अनेक तरह अध्यापकों की अमुविधाओं का सामना करना पड़ता है — न उन्हें बैठने के लिए उपयुक्त स्थान ही मिलता है, न अनुसन्धान के लिए साधन तथा उपयोगी पुस्तकें, और न अन्य मदकारियों के साथ विचार-विमर्श करने की सुविधा।<sup>‡</sup>

<sup>†</sup> देखिए नवीं अध्याय।

<sup>‡</sup> Ministry of Education, Indian University Administration

शिक्षा-स्तर के पतन का एक और प्रधान कारण है विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के बीच निरुत्तमयोग का अभाव। दस वर्ष पूर्व, किसी भी कालिज-वर्ग की छात्र-संख्या ५०-६० से अधिक नहीं रहती थी। इन कारण विद्यार्थीगण तथा शिक्षकवर्ग परस्पर अपरिचित नहीं रहते थे, तथा शिक्षकगण विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकता की ओर ध्यान रख सकते थे। पर आज तो अनेक कालिज की छात्र-संख्या दो-तीन हजार से अधिक है तथा प्रत्येक कक्षा में १५०-२०० विद्यार्थी बैठते हैं। इस अत्यधिक छात्र-संख्या का विषम परिणाम पड़े बिना नहीं रहता। हाल ही में विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने सुझाव दिया है कि किसी कालिज तथा कालिज-वर्ग की छात्र-संख्या क्रमशः १,५०० तथा ८० से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त आयोग ने उपरक्षा-माली पर विशेष जोर दिया है।

**पाठ्य-अवधि की हदता.**—उच्च शिक्षा में व्यर्थता का एक प्रधान कारण है पाठ्य-अवधि की हदता। हमारे देश की प्रत्येक डिग्री या डिप्लोमा लेने की अवधि निर्धारित रही है, जैसे: बी० ए० या एम० ए० कोर्स दो-दो वर्ष, डाक्टरी कोर्स पाँच वर्ष, इंजीनियरिंग कोर्स चार वर्ष, इत्यादि। यह अवधि विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार घटायी या बढ़ायी नहीं जा सकती है। इसके दो प्रमुख दोष हैं। प्रथमतः, इस पद्धति के अनुसार एक कमजोर विद्यार्थी को भी अपनी शिक्षा निर्धारित समय में समाप्त करनी पड़ती है। उसे सभी परीक्षाओं में एक साथ बैठना पड़ता है, एवं वह दो-तीन बार बाह्य परीक्षाओं में लड़कता है और सम्भवतः वह सभी पास भी नहीं होता है। यदि उसे यही पाठ्यक्रम कुछ अधिक समय में समाप्त करने को दिया जाय, तो उसके असफलभूत होने की सम्भावना कम रहती है। द्वितीयतः, वर्तमान शिक्षा-पद्धति विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ कमाई का अवसर कम देती है। यदि पाठ्यक्रम कुछ निर्धारित समय के बदले अमेरिकी पद्धति के अनुसार पाठ्यों में बाँट दिया जाय, तो विद्यार्थियों की यह कठिनाई दूर होगी। कारण, काम करते हुए भी, वे अपने अन्वेषण के समय में कालिज में विद्यार्थ्यन कर सकेंगे। उन्हें एक काम करनेवाले विद्यार्थी की अपेक्षा समय-अवसर अधिक लगेगा, पर अन्त में उन्हें पूर्ण शिक्षा का लाभ तो मिलेगा। हमारी उच्च शिक्षा में इस सुधार की बहुत ही जरूरत है।

† भीष्मनाथ मुकुर्जी: अमेरिका में शिक्षण—यूनाइटेड स्टेट्स इनफार्मेशन सर्विस, १५४, पृष्ठ २३।

अंग्रेजी का स्थान — आजकल उच्च शिक्षा के माध्यम एवं पाठ्यक्रम में अंग्रेजी को स्थान देने या न देने के सम्बन्ध में घोर वाद-विवाद चल रहा है। यह गलत है कि हमारे विद्यार्थी यह भाषा खूबी के साथ सीखते हैं तथा अनेक विद्यार्थियों ने हम भाषा में पर्याप्त दक्षता दिखाने ली है, पर अंग्रेजी घोटते-घोटते अनेक विद्यार्थियों का दम निकल जाता है। इतने पर भी उनका सम्पूर्ण धैर्यकिक विकास नहीं हो पाता है। हमें सदा याद रखना चाहिए कि किसी राष्ट्र की प्रगति निजी भाषाओं द्वारा ही होनी है, न कि एक विदेशी भाषा के द्वारा।

गणराज्यन आयोग ने सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो। हम प्रस्ताव पर घोर वाद-विवाद हुआ। उच्च शिक्षा का माध्यम कोई अंग्रेजी रखना चाहते हैं, कोई हिन्दी अर्थात् राष्ट्र-भाषा, एवं कोई क्षेत्रीय भाषा। अपने मन की पुष्टि के लिए प्रत्येक पक्ष कुछ-न-कुछ न्यायमगत मुक्ति प्रस्तुत करते हैं। इसी कारण यह विवाद बढ़ता ही जाता है।

मानवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा होना चाहिए। जिस प्रकार एक नवजात शिशु के लिए मातृ-दुग्ध हितकर होता है, उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र तथा व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए मातृभाषा-द्वारा शिक्षा आवश्यक है। पर इस शिक्षा-माध्यम का एक बड़ा खतरा यह है कि हमारे विश्वविद्यालय सर्वांग क्षेत्रीय समस्याएँ न बन जायें। क्षेत्रीय भाषाएँ हमारे देश के लिए हितकारी नहीं हैं। भारत का उत्तमोत्तर विकास तभी सम्भव है जब कि समूचे देश में एकता कायम रहे। इसी कारण, हमारा दल राष्ट्र-भाषा के माध्यम का समर्थक है।

तीसरा दल अंग्रेजी के पक्ष में है। उनका कथन है कि चूंकि यह भाषा विदेशी है, इस कारण हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजी ने इस देश में एकता की सृष्टि की है, हमें इसी भाषा के द्वारा विश्व का संदेश प्राप्त होता है तथा उसीके द्वारा हम समस्त समाज पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। अतएव हमारे द्वारा अंग्रेजी भाषा की उपेक्षा किया जाना एक अवगण है।

हम समस्या को सुलझाने के निमित्त विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने अक्टूबर, १९५५ में एक समिति नियुक्त की। इसके अध्यक्ष के भी हदय्याय कुंवरू। समिति की जाँच के निम्न दो बिंदु : (१) विश्वविद्यालयीय शिक्षा के माध्यम पर विचार करना, तथा (२) अंग्रेजी भाषा के स्तर को ऊँचा रखने के लिए उपाय सुझाना। प्रथम प्रश्न पर पूर्णतः विचार करने के पश्चात्, समिति ने प्रस्ताव किया है कि पूर्ण

तैयारी के पश्चात् विश्वविद्यालयीय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी से किसी भी भारतीय भाषा में बदला जावे। इस परिवर्तन के बाद भी, विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय रहे। इनके अतिरिक्त समिति ने प्रस्ताव किया :

१. जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा पाना चाहते हों, उनकी शिक्षा में अंग्रेजी के प्रति विशेष जोर दिया जाय;

२. चूँकि प्रायः सभी विश्वविद्यालयों ने तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स अपनाया है, इस कारण पूर्व-विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना आवश्यक हो गया है; और

३. नवीन अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति का अध्ययन आवश्यक है, और यह ज्ञान शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को दिया जावे।

इस रिपोर्ट पर राज्य सभा में बहस हुई (२६ फ़रवरी, १९५९)। सरकार ने अनुमोदन किया कि उच्च शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं के द्वारा दी जावे। पर उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों के अभाव तथा अन्य कठिनाइयों के कारण यह निर्णय हुआ कि यह कार्य कुछ समय तक स्थगित रखा जाय। इस अवधि में अंग्रेजी ही उच्च शिक्षा का माध्यम रहे, अतएव इस भाषा का स्तर गिरने न पावे।

**वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पारिभाषिक शब्द.**—जहाँ तक हो सके, प्रत्येक भारतीय भाषा के वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पारिभाषिक शब्द अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत शब्द हो। उच्चतर शिक्षा के लिए यह ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। हमारी भाषाओं में पारिभाषिक शब्द-कोष निर्माण करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। राधाकृष्णन आयोग ने इस विषय पर कहा ही है, "अन्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों का उपयोग भारतीय भाषाओं में किया जाय, पर उनके हिज्जे तथा उच्चारण प्रत्येक भाषा के स्वभाव के अनुसार अपनाये जायें।"† यह मानना ही पड़ेगा कि पारिभाषिक शब्द स्वीकाराने पर अनुयायिन होने हैं। अनेक अनुयायिन शब्दों का ठीक अर्थ ही नहीं निकलता। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक ज्ञान का सम्बन्ध किसी प्रदेश या देश में नहीं है, बरन् सम्पूर्ण विश्व में है। इस कारण, अन्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हितकर तथा आवश्यक है।

† University Education Commission's Report p 326.

**परीक्षा.**— भारतीय शिक्षा का एक बड़ा दोष 'उसकी परीक्षा-पद्धति' है। इसके विरुद्ध गत पचास वर्षों से आवाज उठायी जा रही है। सन् १९०२ के विश्वविद्यालय आयोग ने गौर किया कि "विश्वविद्यालयीय शिक्षा का ध्येय है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिये तैयार करना। इस कारण, परीक्षा की विनोय छाप अध्यापन तथा अध्ययन पर पड़ती है।" और, सन् १९४९ में गधाकृष्णन-आयोग ने परीक्षा का विस्तारण करते हुए कहा, "यदि विश्वविद्यालयीय शिक्षा पर हमें केवल एक ही सुझाव देना हो तो हम कहेंगे कि यह परीक्षा-सुधार है।" पर परीक्षाओं के उन्मूलन का समर्थन न कर कर्माधान ने उनमें सुधार चाहनीय बनलाया है। आयोग ने निम्न-लिखित सुझाव उपस्थित किये :

१. शिक्षा-मन्त्रालय शिक्षण-योगता-जॉच-विषयक विविध परीक्षाओं का सर्वेक्षण करे।

२. प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक स्थायी, पूर्ण कालिक परीक्षा मण्डल संगठित हो। यह मण्डल अध्यापकों को वस्तुगत प्रश्न के निर्माण तथा प्रयोग के संबंध में परामर्श दे।

३. वर्ष में किये गये कक्षा-कार्य को भी परीक्षा की सफरना असफरना में मगिमन्त्रि किया जावे। प्रत्येक परीक्षा में जो अङ्क निर्दिष्ट रहें, उन अङ्कों का एक-तृतीयांश इस कार्य के लिये सुरक्षित रखा जावे।

४. कालिक की तीन वर्ष की पढ़ाई में, एक अन्तिम परीक्षा के बदले विभिन्न कालिक परीक्षाएँ ली जावें।

५. परीक्षकों का चुनाव काफी गारधानी से किया जाय। कोई भी ऐसा व्यक्ति उम विषय में परीक्षक न बना दिया जाय, जिसे उसने कम से कम पाँच वर्ष तक न पढ़ाया हो।

उपर्युक्त सुझाव अति दितकारी हैं। बाह्य परीक्षा-पद्धति निर्णय करते समय आन्तरिक परीक्षाओं, कक्षा तथा उपकक्षा रेकार्ड पर विचार करना अत्यावश्यक है। परीक्षाओं में निरवध रूप प्रश्नों के अतिरिक्त, वस्तुगत प्रश्नों का समावेश किया जाय। परीक्षा-सुधार पर समन्वित अनेक मोटिवों हुई हैं। सभी ने परीक्षा सुधार का प्रयोजन एक मात्र होकर स्वीकार किया है। प्रश्न केवल यही है कि यह सुधार किस प्रकार किया जाय !



**विद्यार्थियों की आर्थिक समस्या.**—उच्च शिक्षा दिनों-दिन अधिकतर खर्चीली होती जा रही है। इस कारण अनेक निर्धन, किन्तु योग्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती है। सम्प्रति कालिजों में ५ से १५ प्रति शत विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा अवश्य मिलनी है, तथा सरकार ने अनेक छात्र वृत्तियों का प्रबन्ध भी किया है। सन् १९५६-५७ में छात्रवृत्ति पर कुल सरकारों व्यय प्रायः तीन करोड़ रुपये था।

पर यह व्यय स्येष्ट नहीं है। इंग्लैण्ड में ७२.८ प्रति शत विश्वविद्यालयीय विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति या मुफ्त शिक्षा मिलनी है। अनेक पाश्चात्य देशों में सरकारी कालिजों तथा विश्वविद्यालयों में स्थानिक विद्यार्थियों की फीस बहुत ही कम रहती है। पर अर्थाभाव के कारण यह योजना हमारे देश में अभी स्वप्नातीत है। अमेरिका में उच्च शिक्षा के विस्तार का एक प्रधान कारण यह है कि उस देश के अभिजात विद्यार्थी कमाई भी क्रिया करते हैं और पढ़ते भी हैं। साथ ही कालिज का 'नियुक्त-कार्यालय' विद्यार्थियों को नौकरों दिलाने में उनकी पूर्ण सहायता करता है। हमारे देश में भी ऐसी ही शिक्षा-व्यवस्था की विशेष आवश्यकता है।

### अनुमन्थान

राधाकृष्णन-आयोग ने कहा है कि 'अनुमन्थान के बिना अध्ययन मृत हो जाता' — यह अतीव सत्य है। पर हमारे विश्वविद्यालयों ने अनुमन्थान की ओर हाल ही में ध्यान दिया है। यह अनुमन्थान पर्याप्त रूप में नहीं हो रहा है। इसके अनेक कारण हैं :

१. अर्थाभाव।

२. अध्यापकों पर अधिक दायित्व-भार, जिससे उनका अधिमात्र समय कठिन लेक्चरों में व्यतीत हो जाता है। इसीसे अनुमन्थान कार्य के लिए उन्हें धनराश ही नहीं मिल पाता है।

३. उपयुक्त पुस्तकालय, अबाजमरर तथा प्रयोग शालाओं का अभाव।

४. शोध शिष्य-वृत्ति की अन्यायिता।

५. पी० एच० डी० के प्रशिक्षण में अनुमन्थान रीतियों की अनुपस्थिति।

६. विश्वविद्यालयों का अन्य निदानों के माध्यम से अर्थान्याय का अभाव, जैसे : सरदार, कृषि, वाणिज्य, दण्ड, इत्यादि।

इन कमियों के दूर हुए बिना अनुसंधान की उन्नति नहीं हो सकती है। सम्प्रति सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। अब सरकार संवेरणा की वृद्धि के लिए पर्याप्त चेष्टा कर रही है। सन् १९५५-५६ में ५२७ छात्रों को सरकारी शोध-वृत्ति मिली। विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने तो अनुसंधान में एक नया जीवन ही डाल दिया है। विश्वविद्यालयों को पुस्तकालय तथा प्रयोग शालाओं की उन्नति के लिए पर्याप्त द्रव्य मिलने लगा है, अत्यायुक्तों को संवेरणा के निमित्त आर्थिक सहायता दी जा रही है तथा अनुसंधान फंडों नियुक्त हो रहे हैं। इस प्रकार विश्वविद्यालयीय शिक्षा में संवेरणा को एक प्रमुख स्थान मिला रहा है। पर यह शोध केवल औद्योगिक न हो। मानव की उन्नति के लिए व्यापारिक अनुसंधान की विशेष आवश्यकता है।

उपयुक्त अनुसंधान तभी सम्भव है, जब अप्पायक-संग इस काम में दिलचस्पी ले तथा उन्हें संधोषित अवकाश मिले। इस कारण प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे प्राध्यापक हों, जो अपना अधिकांश समय शोध के निमित्त बितायें, तथा उनके नीचे कतिपय मित्र-वैद्यों को काम करें। हायवट विश्वविद्यालय का एक आशीर्षक यथार्थ है: "या तो संवेरणात्मक शोध प्रकाशित करेंगे, या रिक्त हो जाओ, या तो शिक्षण एवं ज्ञान अर्जित करके उत्तर उठाओ, या विश्वविद्यालय से निवृत्त जाओ।" इस प्रकार अध्यापन क्षेत्र में उन्हीं लोगों की जरूरत है, जो दालतव में शिक्षा प्रेमी हैं और ज्ञान की बलिबेदी पर मुख्य-मुविधाओं को खड़ा सकते हैं।

### सामग्रीकरण

हमारे देश के आर्थिक अधिक विश्वविद्यालय संबन्धी हैं। इनके कार्य-काल्य की खर्चा हम कर चुके हैं। इस पद्धति के अनुसार सरकारी कर्मियों के पालन-पोषण, पाठ्य पुस्तकें तथा परीक्षाएँ एक ही होती हैं। इनके परिणाम-स्वरूप सरकारी अर्थ-व्यय-व्ययिता को घटती है, तथा उनकी स्थानिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान भी पड़ान नहीं दिया जाता है।

शिक्षा में एक मात्र सफल कामकाज करने के लिए, उपर्युक्त पद्धति प्रबलित की जानी थी; पर प्रदेव कार्य-व्यय की निम्नी समन्वयों तथा स्थानिक आवश्यकताएँ रहनी हैं। इस कारण उनके पालन-पोषण में कुछ हेर-फेर प्रवेष्टनीय होगा है। संबन्धी विश्वविद्यालयों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्रदेव कार्य-व्यय निम्नी समन्वयों को अपने निर्दिष्ट-दिश निर्देश के अनुसार के द्वारा विश्वविद्यालय के कार्य-प्रणाल्य करें। विश्वविद्यालय की स्थानिक निर्देश-व्ययिताएँ इस पर विचार करें तथा विद्यमान-व्ययिताएँ

करे। समिति के निर्णय के अनुसार, कालिज को अपने कार्य-कलाप में कुछ नई स्वाधीनता मिले। इस प्रकार सर्वदीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन में कुछ की आवश्यकता है। इन्हें सदा लकीर के फकीर रहकर काम न करना चाहिए।

**मेका.**—हमारे कालिज तथा विश्वविद्यालय सामान्य जनता के सम्पर्क में न आते हैं। यह नीति ठीक नहीं है। चूँकि जनता के अर्थ से ये गठित होती हैं, अतएव इन्हें जनता की आवश्यकता की ओर ध्यान देना इस सम्बन्ध में कालिज तथा विश्वविद्यालय दो प्रकार के काम कर सकते हैं : शिक्षा तथा (२) समाज-सेवा।

**शिक्षा.**—ग्रीड शिक्षा के प्रोग्राम तीन प्रकार के हैं : (१) सातत्य शिक्षा प्रक्रम उन व्यक्तियों के लिए है, जो कालिज के साधारण विद्यार्थियों के साथ पढ़ना चाहते हैं। नवीन विद्या पाने की आकांक्षा के कारण, अनेक ग्रीड में भाग लेना चाहते हैं। (२) पुनर्जीवन कोर्स — अनेक व्यक्तियों की में अर्जित विद्या में जग लग जाता है, पर वे आधुनिकतम विद्या का लाभ न लेते हैं। ऐसे व्यस्क व्यक्तियों के लिए सक्षिप्त कोर्स लाभदायक होते हैं। कार्यक्रम — इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है, हमारे गाँवों तथा शहरों के पसार के विविध क्षेत्रों की प्रगति से परिचय कराना।

**समाज-सेवा.**—वर्तमान समय में हमारे विश्वविद्यालय जनता में शान-लिए कुछ वक्तृताओं का आयोजन करते हैं। यह पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक में एक मनोरञ्जन तथा वक्तृता कार्य-पीठ की आवश्यकता है। ऐसी ही मनोरञ्जक कार्यक्रम, नाट्याभिनय, प्रदर्शनी आदि का आयोजन विश्वविद्यालय कार्य-पीठ के कार्यक्रमों का वर्णन दिया जाता है :

कार्य-पीठ अपने राज्य के विभिन्न सामाजिक समूहों से सम्बन्ध रखती हैं। उनकी आवश्यकताओं तथा उनकी माँगों को पूरा करने के लिए, वह अपने कालिजों तथा विभिन्न शिक्षा-विभागों से उपयुक्त वक्तृता भेजती रहती है। यही मनोरञ्जक कार्यक्रम, नाट्याभिनय, प्रदर्शनी आदि का आयोजन भी करती है।†

सेवा की ओर हमारे कुछ विश्वविद्यालयों का ध्यान अभी-अभी गया है। ए डाक्टरी की डिग्री मिलने के पदले अनेक विद्यार्थियों को कुछ समय तक

गाँवों में काम करना पड़ता है। केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय ने एक ऐसी योजना तैयार की है, जिसके अनुसार प्रत्येक स्नातक के लिए राष्ट्र-सेवा अनिवार्य होगी। शिक्षा-मन्त्रालय हम योजना को तृतीय पंच-वर्षीय योजना के आरम्भ होने ही चलाना सोच रही है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने पाठ्यक्रम के अनुकूल छः महीने से दो वर्ष उन क्षेत्रों की उन्नति में भाग लेना पड़ेगा, जो रिछड़े हुए हैं। आशा की जाती है कि प्रथम वर्ष अर्थात् १९६१-६२ में ९०,००० विद्यार्थी हम कार्य में जुट जावेंगे। इसीके आधार पर अन्दाज लगाया जाता है कि योजना का वार्षिक खर्च पाँच करोड़ रुपया पड़ेगा।†

### उपसंहार

ये हमारे विश्वविद्यालयों की प्रमुख समस्याएँ हुईं। इसके लिए हम किसी को टोप नहीं दे सकते हैं। हमारे वर्तमान विश्वविद्यालयों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य राक्षसीय कामकाज के लिए कर्मचारी जुटाना था। इनका ध्येय अध्यापन या अनुसन्धान एकदम नहीं था। ये तो छोटे मोटे दफ्तर थे, जिनका उद्देश्य था परीक्षा चलाना और प्रमाण-पत्र वितरण करना। ये विश्वविद्यालय न हमारे देश के तक्षशिला या नालन्दा से मिलते जुटते थे और न आक्सफोर्ड या पेरिस से। फिर हम उन्हें उनके कार्यक्षेत्र के लिए बेमै तोड़ी टहरा सकते हैं ?

कल्पना विश्वविद्यालय आयोग ने हमारे विश्वविद्यालयों को नवीन जीवन प्रदान किया है, और उनके सामने नया उद्देश्य रखा है। यथार्थ में हमारी विश्वविद्यालयीय शिक्षा केवल पारंगत वर्ष पुरानी है। हम अग्रे में हमारे विश्वविद्यालयों में जो कुछ किया है, यह सराहनीय है। इन्होंने सम्पूर्ण देश में एकता की सृष्टि की, और यहाँ से निकले हुए स्नातकों ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध मोर्चा लिया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय कभी मृत्यु से न दिगें, तथा महा उच्च आदर्श सामने रखे। जैसा कि राष्ट्राध्यक्ष-आयोग ने कहा है :

उच्च शिक्षा के प्रमुख कार्य ज्ञान के संचरण, नवीन ज्ञान के अन्वेषण, जीवन के प्रयोजन की निरन्तर खोज, तथा देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त व्यावसायिक शिक्षा के आयोग हैं। आदर्श समुदाय स्वयं होते हैं, किन्तु इनकी और निरन्तर प्रयत्न करना प्रत्येक नागरिक तथा गवर्नमेंट का कर्तव्य है।‡

† *Times of India*, July 25, 1959

‡ *University Education Commission's Report*, p. 66

## सातवाँ अध्याय

### स्त्री-शिक्षा

#### प्रस्तावना

वर्तमान युग की सबसे उल्लेखयोग्य घटना है, नारी-प्रगति। यदि एक शताब्दी पूर्व का कोई भूत व्यक्ति पुनर्जीवित होकर भारत में लैट आवे, तो वह हमारे देश के महिला-जीवन में आमूल परिवर्तन देखकर निश्चय ही दण्ड रह जायगा। यहाँ पर एक शताब्दी पूर्व अनेक व्यक्ति स्त्री-शिक्षा के घोर विरोधी थे, पर आज सभी स्वीकार करते हैं कि इस शिक्षा के विचार के बिना देश की उन्नति नहीं हो सकती है। स्त्री-शिक्षा को अनेक विप्र-बाधाओं का सामना करना पड़ा : पर्दा-प्रथा, बाल-विवाह, कन्या-शिक्षा के प्रति माता-पिताओं की उदासीनता, पाश्चात्य शिक्षा पर अविश्वास, मध्यम वर्ग की आर्थिक समस्या, लड़कियों के उपयुक्त पाठ्यक्रम का अभाव, शिक्षिकाओं की अपर्याप्तता, इत्यादि। धीरे-धीरे ये कठिनाइयाँ हल होती जा रही हैं। आज देश में कन्या-शिक्षा की चाह बढ़ रही है। राष्ट्रीय सगठन में स्त्रियों का विशेष स्थान है।

#### स्त्री-शिक्षा का विस्तार

**भूमिका.**—सब कुछ होते हुए भी, आज केवल १२ प्रति शत भारतीय स्त्रियाँ शिक्षिता गिनी जाती हैं। गत सौ वर्ष में स्त्री-शिक्षा बहुत ही धीरे-धीरे फैली। सरकार तथा जनता की उदासीनता के कारण, इसका विस्तार आशानुरूप न हुआ। इसका पता निम्न-लिखित विवरण से मिलेगा।

**ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन-काल में.**—स्त्री-शिक्षा की आवश्यकता के प्रति, कम्पनी का ध्यान कभी नहीं गया। शायद उसे नारी क्लर्क एवं अफसरों की आवश्यकता न थी। इसके अतिरिक्त स्त्री-शिक्षा के विषय में लोगों में एक भ्रम-भूलक धारण थी, जो कि परम्परा से चली आ रही थी। स्त्री शिक्षा के विषय में, एडम्स साहब अपनी रिपोर्ट (१८३८) में लिखते हैं, “देश के सभी विद्यालय पुष्पों

के लिए है। स्त्रियों की शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। वे तो अन्धकार में डूबी हुई हैं।”

इस प्रकार कम्पनी के राजत्व-काल में लड़कियों के लिए एक भी सरकारी स्कूल न था। हनी-गिनी कुछ बालिकाएँ लड़कों के स्कूलों में शिक्षा पाती थीं। इस काल में कतिपय निजी तथा मिशनरी बालिका-विद्यालय अवश्य खोले गये थे। उदाहरण-स्वरूप सन् १८५१ में, प्रोटेस्टेण्ट मिशनरी संघ ८६ मादास स्कूल तथा २८५ साधारण स्कूल खोला था। इनकी छात्र-संख्या क्रमशः २,२७४ और ८,९१९ थी। रोमन कैथलिक संघों भी कुछ स्कूल खोले थे, पर इनकी संख्या का कुछ ठीक पता नहीं है। कई उदार इनों तथा सरकारी अफसरों ने भी कुछ बन्धा-शालाएँ खोलीं। इनमें मुख्य है बेथून न, जिसकी स्थापना ट्रिंकवाटर बेथून साहब ने सन् १८४९ में की थी। ये भारत-व्यापार के कानून-विषयक तत्कालीन महत्त्व थे। अपने जीवन की सारी कमाई इन्होंने इस स्कूल में लगा दी थी। इस समस्या ने लोगों में बन्धा-शिक्षा के प्रति एक नवीन भावना पैदा की, और उसीके आदर्श पर बालिका-विद्यालय खुलने लगे।

सन् १८५७ से सन् १९०२ तक.—सन् १८८२ के शिक्षा-आयोग ने कहा : “स्त्री शिक्षा बहुत ही पिछड़ी हुई है। इसे विस्तार करने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न आवश्यक हैं।” बर्मादान ने प्रस्ताव किया कि सरकार स्त्री-शिक्षा पर अधिकतर व्यय करे। इस कारण सरकार ने स्तरतः कई बालिका-विद्यालय खोले, तथा निजी स्कूलों की अनुमति देना स्वीकार किया। अतएव स्त्री-शिक्षा भी थोड़ा प्रगति हुई। सन् १९०१-१९०२ में बालिका मध्याह्निकी की संख्या इस प्रकार थी : १२ बालिका, ४६७ माध्यमिक स्कूल तथा ५,६२८ प्राथमिक स्कूल। इनमें ४,४७,४७० लड़कियों शिक्षा पा रही थी।

सन् १९१२ से सन् १९१७ तक.—शूनैः शूनैः स्त्री शिक्षा के प्रति लोगों की उदासीनता दूर होने लगी, तथा जनता स्त्री शिक्षा में रुचि लेने लगी। इसके कई कारण थे। अनेक माता पिता अनुभव करने लगे कि उनकी लड़कियों की शिक्षा उनकी ही आवश्यक है, जितनी उनके लड़कों की; अब लोगों में शिक्षिता स्त्री की वार्द बनी। शिक्षा विभाग भी स्त्री शिक्षा विस्तार के लिए प्रयत्न करने लगा : स्वतंत्र तथा सरकारी बालिका-विद्यालयों की स्थापना, विद्यालयों में बालिकाओं के आश्रयण के लिए दान का प्रवर्धन, हस्तकर्मों तथा शिक्षिकाओं की नियुक्ति, लड़कियों के लिए रुचि तथा धन

पीठ की व्यवस्था, बन्वाशाखाओं के लिए उच्च सरकारी अनुदान-नीति, प्रांतीय महिला-शिक्षा-समितियों की नियुक्ति, इत्यादि।

उपरोक्त चेष्टाओं के कारण, स्त्री-शिक्षा फैलने लगी। सन् १९०४ में, धीनी एनी बर्मिन्गहम ने बनारस में 'सेण्ट्रल हिन्दू बालिका विद्यालय' की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था बालिकाओं में हिन्दू-धर्म के आधार पर पाश्चात्य विद्या का प्रसार। सन् १९१६ में लेडी हाइविज मेडिकल कॉलेज, दिल्ली स्थापित हुआ। इस देश में विज्ञान-शास्त्र का यही सर्व प्रथम नारी महाविद्यालय है। इसी वर्ष महिला विद्याविद्यालय भी स्थापित हो गया। सन् १९१७ में बालिकाओं के लिए १२ आर्य बालिका, नार ब्यारग्राफिक कॉलेज, ६८९ माध्यमिक स्कूल तथा १८,१२२ प्राथमिक स्कूल थे। इन समस्त शाखाओं में इसी वर्ष १२,३०,४१९ लड़कियों शिक्षा पा रही थी।

सन् १९१० से १९४७.—इस अवधि में स्त्री-शिक्षा का गन्तोषप्रद विस्तार हुआ, लोगों के अनेक मान्य स्थान दूर हुए तथा स्त्री शिक्षा की प्राप्ति बड़ी। इसका प्रा विभिन्न विभिन्न तालिका में मिलेगा :

### तालिका २२

स्कूल तथा कॉलेजों में लड़कियों की संख्या,  
१९२१-२२ से १९४६-४७

वर्ग	१९२१-२२	१९३१-३२	१९४१-४२	१९४६-४७
प्राथमिक स्कूल	१०,५७,१३७	१९,४६,०७०	३१,२३,६४३	२७,१५,२३०
माध्यमिक स्कूल	१,२६,९५६	१,९६,१७०	४,१०,१३३	४,६२,५०३
आर्य तथा आर्य बालिका	१,३०३	२,६८५	११,७७८	१६,७८६
बालिका कॉलेज ...	२६६	५७१	१,७७५	२,६२८
बालिका उच्च स्कूल ...	१९,५००	१७,५६८	६०,८३९	३८,३३०

1. नोट: सन् १९३१-३२ से १९४१-४२ तक के १०६ तथा १९४६-४७ के ७६ विद्यालय बन्द हो गये (विस्तारित तालिका में संख्या ०० है।)

यह अवधि भारतीय इतिहास में विस्मरणीय रहेगी : इसमें दो विश्व युद्ध हुए, सामाजिक क्रान्ति आयी, आर्थिक स्थिति में घोर परिवर्तन हुआ, समूचे देश में राष्ट्रीय जाग्रति हुई तथा अन्त में १५ अगस्त, १९४७ के दिन हमारा देश स्वाधीन हुआ। इसी समय अमेरिका तथा अनेक युरोपीय देशों में नारी-स्वाधीनता का आन्दोलन पूरे दम पर चला। इसकी आँव भारत में भी पहुँची। हमारे देश की लड़कियाँ भी संगठित होने लगीं। सन् १९१७ में डा० एनी बीसेण्ट तथा श्रीमती मार्ग्रेट कस्विन्स के प्रयत्नों के कारण अखिल भारत-महिला-संघ का गठनपात हुआ। इसके आठ वर्ष पश्चात्, स्त्री-जातीय-परिषद् स्थापित हुई। वर्तमान काल में, भारत में इस परिषद् की चौदह राष्ट्रीय शाखाएँ हैं, तथा परिषद् विश्व-स्त्री-परिषद् से सम्बन्धित है। सन् १९२७ में सर्व प्रथम अखिल भारत-स्त्री-परिषद् से सम्मेलन का आदि अधिवेशन हुआ। तबसे यह सम्मेलन वार्षिक हुआ करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ही नारी-प्रगति है। इसके साथ ही सामाजिक दोषों का उन्मूलन तथा स्त्री-शिक्षा का विस्तार इस सम्मेलन के लक्ष्य हैं।

इसी समय गान्धीजी का नेतृत्व अस्तित्व में आया। उन्होंने भारतीय नारी जीवन में एक नवीन प्राण का सञ्चार किया। स्वातन्त्र्य-युद्ध के लिए उन्होंने भारतीय लड़कियों को आह्वान किया। राष्ट्रीय भावनाओं में उनका हृदय परिपूर्ण हुआ। वे परदे से निकल कर स्वाधीनता-संग्राम में कूट पड़ीं, और पुरुषों की नाईं उन्होंने सभी यातनाओं को सहन किया। उन पर लाठियों चलायी गयीं, उन्हें कैद भुगतना पड़ा, उन्होंने अपने स्वामियों तथा सन्तानों का रक्तपात देखा, पर वे न टिगीं। इस प्रकार नवीन जाग्रति हुई। समाज-मुधार तथा स्त्री-शिक्षा-विस्तार की आकांक्षाएँ बढ़ीं। क्या पुरुष, क्या स्त्री सभी यह अनुभव करने लगे कि बालिका-शिक्षा के द्वारा ही माता तथा कुटुम्ब की शिक्षा हो सकती है। शिक्षिता बालिकाएँ ही सुरक्षित बन सकती हैं, तथा समाज का अधिकारा मुधार भी उन्हीं पर निर्भर है।


### वर्तमान स्थिति

**भूमिका** — स्वातन्त्र्योत्तर-काल में स्त्री शिक्षा का काफी विस्तार हुआ। सन् १९४०-४८ में सम्पूर्ण देश में कुल १६,९५१ बालिका-विद्यालय थे, तथा इनकी छात्र-संख्या ३५,५०,५०३ थी।<sup>†</sup> सन् १९५६-५७ में विद्यालयों की संख्या २६,४२५ पहुँची, तथा इनकी छात्र-संख्या ९९,९७३३९ हुई।<sup>‡</sup> छात्र-संख्या की सबसे अधिक

† *Seven Years of Freedom*, p. 25

‡ *Education in the States, 1955-57*, p. 3-4.





वृद्धि कालिज-स्तर में व्यावसायिक और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में हुई। इसके बाद विश्व-विद्यालय और कालिज की सामान्य शिक्षा का स्तर आता है। इसके सिवा, माध्यमिक शिक्षा के छात्रों की संख्या दुगुनी तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह बढ गुनी हुई।<sup>†</sup>

प्रशासन.—कहा जाता है कि उपयुक्त प्रशासन के अभाव के कारण, स्त्री-शिक्षा का प्रबन्ध ठीक नहीं हो रहा है। किसी भी राज्य में अथ डिप्टी डाइरेक्ट्रेस आफ एजुकेशन अर्थात् शिक्षा-उप सचालिका का पद नहीं है, एवं सम्पूर्ण देश में निरीक्षिकाओं की संख्या ६९ है।<sup>‡</sup> अतएव स्त्री-शिक्षा का प्रशासन अधिकतर पुरुषों के हाथ में है। इन्हें कालिकाओं की विशेष ज़रूरतों की ओर ध्यान देना चाहिए।

स्त्री शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए मई, १९५८ में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा-समिति नियुक्त की थी। समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत है। इसमें यह सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय तथा प्रत्येक राज्य-सरकार में एक प्रशासन-मण्डल की आवश्यकता है जो कि स्त्री-शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न मामलों की देख-भाल करे। समिति के सुझाव के कारण, केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय के मानहत राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा परिषद की स्थापना सन् १९५९ में हुई। परिषद में एक अध्यक्ष, चौदह राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, दो ससद सदस्य तथा योजना आयोग, सामुदायिक विकास तथा सहायक मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, धर्म मन्त्रालय, तथा केन्द्र-शासित प्रदेशों का एक एक प्रतिनिधि और शिक्षा मन्त्रालय के दो प्रतिनिधि होंगे। गैर-सरकारी व्यक्तियों का कार्य-काल दो वर्ष रहेगा।<sup>§</sup>

परिषद की पहली बैठक १६ अक्टूबर, १९५९ में भरी। इसमें यह स्थिर हुआ कि स्त्री शिक्षा के कार्यक्रमों की देखरेख के लिए केन्द्रीय सरकार में एक समुक्त शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया जाना चाहिए तथा शिक्षा मंत्रालय में स्त्री-शिक्षा का एक अलग युनिट बना देना चाहिए। प्रत्येक राज्य में सलाहकार परिषदों के अनिश्चित एक समुक्त निदेशक भी नियुक्त किया जाय, जो विद्यों तथा लड़कियों की शिक्षा के काम की देखरेख करे।<sup>§</sup>

† शिक्षा-मन्त्रालय: भारत में शिक्षा-सेख विज्ञानों में। दिल्ली, डेनेजर ऑफ पब्लिकेशन, १९५०, पृष्ठ २०।

‡ *Education in India, 1955-56, Vol. I p. 123.*

§ भारतीय समाचार, १ अगस्त १९५९, पृष्ठ ४००।

§ सप्टेंबर, १६ अक्टूबर, १९५९, पृष्ठ १५९।

उपयुक्त अधिकाधिकों के अधिगम, प्रदेह मान में एक शिक्षा का मन्वदिका तथा प्रदेह शिक्षा में एक निरीक्षिका की आवश्यकता है। मन्वदीय मन्वदी को वास्तविक प्राथमिक शिक्षा की देखरेख के लिए कुछ उपयुक्तियाँ नियुक्त करें। मानव अर्थ पर है कि मन्वदी-शिक्षा की प्रगति के लिए उपयुक्त मन्वदी, प्रत्यक्ष तथा निरीक्षण की आवश्यकता है।

**प्राथमिक शिक्षा.**—मानवीय स्थितियों को मन्वदीय शिक्षा के स्तर तक पहुँचाने के लिए अभी एक मानव मानव तथा मन्वदी है। आज लगभग एक-दो-तीन लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा मिल रही है। सन १९५०-५१ में ६-११ वर्षीयों के पढ़नेवाले बालक तथा बालिकाओं की संख्या प्रमथा: ५९ तथा २५ प्रति शत थी। १९५५-५६ में यह संख्या ६९ लड़कों के लिए तथा ३३ लड़कियों के लिए हो गयी। द्वितीय आयोजना के अंत तक समयतः ८६ प्रति शत बालक तथा ४० प्रति शत बालिकाएँ शिक्षा पाने लगेंगी। प्रथम पंचवर्षीय आयोजना के दौरान में ११-१४ वर्षीयों के छात्रों तथा छात्राओं की संख्या २२ तथा ५ प्रति शत में बढ़कर प्रमथा: ३० और ८ हुईं, एवं दूसरी आयोजना में ३६ और १० प्रति शत लड़कों तथा लड़कियों को शिक्षा की सुविधाएँ देने का स्तर निर्धारित किया गया है।

सांगठन यह है कि लड़कियों की शिक्षा लड़कों की अपेक्षा बहुत ही दिखड़ी हुई है। इसके सिवाय लड़कियों स्कूलों में ज्यादा दिन नहीं ठहरती। स्कूलों की पहली कक्षा में भरती किये हुए प्रति १०० बच्चों में से प्रायः ४३ चौथी कक्षा में पढ़ना छोड़ देते हैं, पर १०० में से केवल ३० लड़कियाँ चौथी कक्षा में पहुँचती हैं। इस प्रकार लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में, प्राथमिक अवस्था में स्पर्धता अधिकतर है। लड़कियों में अनिवार्य शिक्षा भी अधिक नहीं फैली। सन १९५५-५६ में अनिवार्य शिक्षा की स्थिति इस प्रकार थी : २८४ शहर (केवल लड़कों के लिए) तथा ७९९ शहर (बालक-बालिकाओं के लिए), एवं ८,९५९ गाँव (केवल लड़कों के लिए) तथा ३०,३२७ (बालक-बालिकाओं के लिए)।†

**माध्यमिक शिक्षा.**—लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा में आशातीत प्रगति हुई है। अनेक बालिका-विद्यालय खुले, छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई, बालकों के स्कूलों में पढ़नेवाली बालिकाओं की तादाद बढ़ी तथा शालांत परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवाली बालिकाओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। बालिका वेईस से इस प्रगति का स्पष्टीकरण होता है :

† Education in India, 1955-56, Vol II, p 90

## तालिका २३

शालिका माध्यमिक शिक्षा में प्रगति



वर्ष	स्कूल	छात्रा संख्या	बालक विद्यालयों में पढ़नेवाली बालिकाओं का कुल प्रति शत	शालान्त परीक्षा में उत्तीर्ण बालिकाओं की संख्या
१९५१-५२	२,८६३	९,०८,७७५	२९-६	३६,२९५
१९५२-५३	३,००७	९,८७,६४५	२९-७	४५,५०८
१९५३-५४	३,२६८	१०,९२,६२१	३०-७	५८,८८८
१९५४-५५	३,४०२	११,९७,७००	३२-७	६५,४८१
१९५५-५६	३,९२०	१३,४०,०७१	४०-२	७२,३२८

संख्या-वृद्धि के साथ ही, स्त्री-शिक्षा में गुणात्मक उन्नति भी हुई है। लड़कियों अब स्कूलों में पहले की अपेक्षा अधिक टहरने लगी हैं। शालान्त परीक्षा में उत्तीर्ण बालिकाओं की संख्या प्रायः दुगुनी हो गयी है। तथापि अभी भी स्थिति सतोषदायक नहीं बनी जा सकती है। आज देश में १४-१७ वयवर्ग की लड़कियों की संख्या १२० लाख है। इस संख्या के ३ प्रति शत का शिक्षा मिल रही है। वर्तमान पाठ्यक्रम भी पूर्ण है। इसमें लड़कियों की आवश्यकता की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। लड़कियों भी प्रायः उन्हीं विषयों का अध्ययन करती हैं, जिन्हें बालक पढ़ते हैं।

उच्च शिक्षा.—उच्च शिक्षा की माँग भी क्रिया में बढ़ रही है। मन् १९५६-५७ में लड़कियों के लिये ११५ बाला तथा विज्ञान के कालिड, १४ विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा देनेवाले कालिड तथा १६ विदेशी शिक्षादाते कालिड थे। इस वर्ष ८५.८१० छात्राएँ उच्च शिक्षा पा रही थीं। विभिन्न विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या कालिड शैक्षिक में देखिए :

## तालिका २४

भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रा-संख्या

परीक्षा	१९८९-५०	१९५५-५६
इण्टरमीडिएट .. .. .	८,२५२	१९,९२१
बी. ए. तथा बी. एससी. .. .. .	४,६९४	८,९४८
एम. ए. तथा एम. एससी .. .. .	६४०	२,१६६
व्यावसायिक विषय (केवल डिग्री) .....	१,१६८	३,८२१

इस प्रकार गत पाँच वर्षों में उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या दुगुनी से अधिक हो गयी है। इतना होते हुए भी, सम्पूर्ण देश में १७-२३ वयोवर्ग की स्त्रियों में से केवल एक प्रति शत ही को शिक्षा मिल रही है। पाठ्यक्रम भी सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि लड़कों और लड़कियों का पाठ्यक्रम एक सा ही है। हॉ, कहीं-कहीं संगीत तथा नृत्य को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है। सम्प्रति कुछ यह विज्ञान महाविद्यालय खोले गये हैं, जैसे : लेडी इरविन कालिज, दिल्ली; होम साइन्स फेकल्टी, बड़ौदा; मोहनलाल हरगोविन्ददास महिला यह-विज्ञान कालिज, जबलपुर, इत्यादि। इनके सिवा कुछ सरथाएँ केवल महिलाओं के लिए ही हैं, जैसे : एस० एन० डी० टी० महिला महाविद्यालय, बम्बई; प्रयाग महिला विद्यापीठ, अलाहाबाद; आर्यकन्या महाविद्यालय, बड़ौदा, इत्यादि।

**व्यावसायिक और विशेष शिक्षा.**—इस क्षेत्र के कालिज स्तर में विशेष उन्नति हुई है। सन् १९५६-५७ में १२,७७३ लड़कियाँ यह शिक्षा पा रही थीं। इनमें से सर्वाधिक छात्रा-संख्या ४,६६१ और शिक्षिका प्रशिक्षण महाविद्यालयों की थी। इसके पश्चात् डाक्टरी कालिजों की छात्रा-संख्या ४,५७७ और ललित कला महाविद्यालयों की छात्रा-संख्या २,११० थी। स्कूल-स्तर में छात्राओं की संख्या निरन्तर बढ़ती ही रही। आज लगभग तीस हजार महिलाएँ शिक्षिका-प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षित हो रही हैं। स्वाधीन भारत में, स्त्रियोचित एक नवीन शिक्षण-संस्था अर्थात् 'ग्राम-सेविका-

प्रशिक्षण केन्द्र' का आविर्भाव हुआ है। आज भारत में ऐसे ४३ केन्द्र हैं। इनमें मैट्रिक पास छात्राएँ प्रविष्ट होती हैं। पाठ्यक्रम डेट वर्क का होता है। प्रथम वर्ष में कृषि तथा गृह-विज्ञान मिश्रितया जाता है, और अन्तिम वर्षों में प्रचारण पद्धति का साधारण ज्ञान दिया जाता है। प्रशिक्षण समाप्त होने पर प्रशिक्षित ग्राम-सेविकाएँ सामुदायिक विकास खण्डों में सेवार्थ नियुक्त होती हैं।

**प्रीट शिक्षा**—सन् १९४७-५७ में स्त्री-प्रीट-शिक्षा की सभसे अधिक उल्लेख्य उपति हुई है। सन् १९५७ में एकत्र १,४५,१३९ महिलाएँ ४,७१६ शिक्षा-केन्द्रों में शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। एक सरकारी रिपोर्ट का कथन इस प्रकार है :

देखा गया है कि क्या शहर और क्या गाँव—गर्भव—विरादिता मित्तों में समान शिक्षा पाने की उत्कट आकांक्षा है। जहाँ वहीं उन्हें ऐसी शिक्षा का अक्षर प्राप्त हुआ, उमका लाभ उन्होंने पूरा लिया। †

**सह-शिक्षा**—पालिका विद्यालयों की संख्या अत्यंत होने के कारण, हमारे देश में सह शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है। सन् १९५५-५६ में विभिन्न शिक्षा-स्तरीयों में सह शिक्षा पानेवाली छात्राओं की संख्या का कुल छात्राओं की संख्या का इस प्रकार प्रति घात था : प्राथमिक—७९.२, माध्यमिक—४०.२, क्या तथा विज्ञान कालिब—५३.१, एव व्यावसायिक तथा विशेष शिक्षावाले कालिब—६४.३। प्राथमिक तथा कालिब स्तरीयों में, सह-शिक्षा का विशेष विरोध नहीं है। कारण प्राथमिक विद्यालयों में कालिकाएँ निरी बच्चियाँ रहती हैं, तथा कालिबों में पहुँची हुई लड़कियाँ अपने आपको बहुत कुछ नियंत्रित रखना सीख जाती हैं। पर माध्यमिक स्तर में सह शिक्षा वाञ्छनीय नहीं है। विशेष अकरत्या के कारण बहूधा कालिकाएँ इस स्तर में अनेक नैतिक दुर्घटियों कर देती हैं। पर जब तक लड़कियों के लिए अदरन्त स्कूल एव कालिब पर्याप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक सह शिक्षा का विरोध नहीं करना चाहिए।

### आलोचना

**एक. मदीम लड़िकाएँ**—सह परने ही बलवाना हो चुका है कि भारतीय नारी प्रगति राष्ट्रीय लड़िका के चल-स्वरूप हुई है। देशोदार का रीढ़ा लेकर अरु के अनेक शुभ तथा सुखियों एव गृह में रंग लगी। उन्होंने इस देश की रमणियों के समस्त एक नदीन आरसी प्रदत्त किया, तथा एषक समाज को बर्तमानुक्त किया। कदरि पर मज्ज ताजगीक आन्दोलन में लड़िका था, लड़िका बर हीनर एव लण्डितर था। हमने बर वलाय तथा अमक न ही, को एकराव नता-आन्दोलन में लड़ी लड़ी है।

आज इस देश में नारी और पुरुष का समान अधिकार है। भारतीय संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक (नर अथवा नारी) को जीवन यापन के लिए यथेष्ट और समान अवसर दे, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था करे, और अपनी धार्मिक क्षमता तथा विकास की सीमा के अनुसार सभी को काम करने का समान अधिकार दे। गत दो विश्व युद्धों ने स्पष्ट कर दिया है कि नारी अब अबला नहीं है, वह 'बहुबल धारिणी' है। वह पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर अब जीविकोपार्जन करने लगी है। आज वह पिछड़ी नहीं, वान् अग्रगमिनी है। कार्यालयों में नारी-बाहिनी देखकर लोगों को दङ्ग रह जाना पड़ता है। निम्न लिखित तालिका में कुछ क्षेत्रों में कार्यरत महिला-कर्मचारियों की (सन् १९५७ की) संख्या दी जाती है :

तालिका २५  
कतिपय क्षेत्रों में नारी†

क्षेत्र	संख्या
राजकीय प्रशासन ... ..	२,७२,४८३
शक्ति तथा स्वास्थ्य ... ..	७९,६२५
शिक्षा तथा अनुसन्धान ... ..	१,१८,४९१
राज्य विभाग ... ..	२,०४७
टेलीफोन विभाग ... ..	२,६२३
पुत्रिय ... ..	४,१२९
बन्दूक तथा फनिंग ... ..	८,९५९

स्त्री-शिक्षा का आदर्श.—उपर्युक्त विवरण इस बात का सूचक है कि महिलाएँ पुरुषों के साथ जीवन-यापन के लिए मुकामला कर रही हैं। वे पुरुषों से किमी भी अङ्ग में हीनतर नहीं हैं। गंधार्वणन आयोग ने कहा ही है, “वे कोई भी साहित्यिक कार्य उसी प्रकार सर्वाङ्गपूर्ण सम्पन्न कर सकती हैं, जिस प्रकार पुरुष करते हैं। नर और नारी की योग्यता में विशेष कुछ प्रभेद नहीं है।”<sup>†</sup> पर इसके साथ-ही प्रश्न उठता है कि स्त्रियों की शिक्षा का आदर्श क्या होना चाहिए ? इस विषय में दो विरुद्ध मत हैं। प्रथम पक्ष का मत है कि नारी का स्थान गृह में है। इस कारण उनका शिक्षा पुरुषों से भिन्न हो। द्वितीय पक्ष का मत है कि मनुष्य जीवन एक गाड़ी के समान है, जिसके नर और नारी दो पहिये हैं, अतएव दोनों की शिक्षा समान हो।

दोनों पक्षों का कथन बहुत कुछ सत्य है। परंपरा से भारत में गृहणी सद्व्युहिणी बन कर बाप और जननी के रूप में इस देश की उन्नति करती रही हैं, अतएव गृह ही उसका प्रधान रंग मन्त्र है। ऐसी स्थिति में स्त्री-शिक्षा के पाठ्य-क्रम का ध्येय गृह एवं परिवार की उन्नति होना चाहिए। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि ये गृह-रूपी कर्तव्यमाने में बन्द रह कर, उन्हें मुक्त-वायु सेवन करने न दिया जाय, एव पारिवारिक आर्थिक अवस्था सोचनीय होने पर भी, उन्हें कमाने का अवसर न दिया जाय। जो स्त्रियाँ पुरुषों के साथ-साथ एक ही पाठ्यक्रम का अभ्यास कर जीवन-यात्रा में उनसे प्रतियोगिता करना चाहती हैं, उनके लिए भी कोई रुकावट न हो। वर्तमान शिक्षा में अनेक दोषों के गहने हुए भी इस शिक्षा ने सरोजिनी नायडू, विद्यालक्ष्मी पण्डित, राजकुमारी अमृतकौर सरिणी देवियो को समुद्भूत किया है। परन्तु इसका यह अर्थ कर्नापि नहीं है कि ऐसी शिक्षित नाशियों भरने यह के प्रति उदासीन हो। नारी गृह की अधिष्ठात्री देवी है। नायि ही पत्नी-रूप में पति की सहयोगिनी और पगमर्दा-शत्री बनकर उसे कर्तव्य-पथ पर अग्रसर करती है, तथा गृह-रथ का सुमञ्जस्यन करती हुई राष्ट्र-निर्माण का मार्ग परिष्कृत करती है।

इन यह कदापि नहीं चाहते हैं कि आज शिक्षित नारी बेकारी के दरिद्र में फँस जावे। कलाप की एक शिक्षा रिपोर्ट ने बीस वर्ष पूर्व चेन्नैकी टी वी : “इससे शिक्षित पुरुषों की बेकारी में शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि स्त्री शिक्षा का भी यही परिणाम न निकले। हमारे देश की शिक्षा-प्रणाली के दोषों को हमें दूर करना चाहिए।”

† University Education Commission's Report, p. 323





शिक्षाव्रत करना चाहें, और उसके द्वारा अपनी आर्थिक उन्नति तथा अपना मानसिक विकास करने का विचार रखती हों। ऐसी महिलाओं को माध्यमिक स्कूलों में भर्ती करने की शर्तों को एकदम हटाना चाहिए तथा उन्हें शालान्त परीक्षा में प्राइवेट बैठने देना चाहिए। अनेकों को आर्थिक सहायता की भी ज़रूरत हो सकती है, अतएव उनके लिए उचित वृत्ति एवं मुफ्त शिक्षा वाञ्छनीय है। राष्ट्रीय स्त्री-शिक्षा-परिषद की पड़ती बैठक में यह तय हुआ कि प्रौढ स्त्रियों को मिडिल तथा मैट्रिक शिक्षा देने के लिए छोटे पाठ्यक्रम तैयार करके ऐसी सुविधाएँ देनी चाहिए, जिससे १०० गावों के एक खंड में इस प्रकार के दो पाठ्यक्रम पूरे किये जा सकें।

**उच्च शिक्षा.**—उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में विरोध मुद्दा की आवश्यकता है। कई विश्वविद्यालयों में यह-विज्ञान का अध्ययन आरम्भ हुआ है, पर इस विषय के हंगामे का लित्त ही है। इसके सिवा, पाठ्यक्रम में विविध कल्पित-कलाओं का समावेश की आवश्यकता है, जैसे : चित्रकारी, संगीत, नृत्य, नाट्य-कला, इत्यादि। ऐसे विषयों के अध्यास से नारीत्व प्रस्तुत होने की विरोध सम्भावना है।

तृतीय योजना-काल के दौरान में गाटे आठ लाख स्त्री-कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी। इस कार्य के लिए ऐसी बयस्क नारियों की आवश्यकता होगी, जिनकी माध्यमिक शिक्षा समाप्त हो चुकी हो। इनके लिए अल्प-कालिक टोस कोर्सों का आयोजन किया जाये। स्त्रियों के उपयुक्त नौकरियों के अनेक मार्ग खुलते जा रहे हैं, जैसे : मशीन-दरिद्रिका, धारी, घाय, ग्राम-मेडिका, स्टेशनमाफर, आदि। इस ओर महिलाओं को अधिकतर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस ओर महिलाओं का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है।

**निम्न शिक्षा प्रशिक्षण.**—नारियों स्वभावनः अध्यापन-कार्य सुचारुता-पूर्वक कर सकती हैं, परन्तु देश में स्त्रियों का अध्यापन प्रति शत शिक्षिकाओं का है : प्राथमिक स्तर १६.० प्रति शत, मिडिल स्तर १७.७ प्रति शत, एवं हाईस्कूल स्तर १९ प्रति शत। इनमें से अनेक शिक्षिकाएँ तो स्कूलों के विद्यालयों में काम कर रही हैं, अतएव शिक्षिकाओं के अधिकतर शिक्षक पुराने हैं। वे स्कूलिकों की आवश्यकताओं को पूर्णतः नहीं समझ सकते हैं।

नारी का हृदय कल्पित में अंत-प्रोत रहता है। प्राथमिक तथा पूर्व-प्राथमिक स्तरों का अध्यापन-कार्य स्त्रियों को ही सौंपना चाहिए। अतएव स्कूलों में यह तय होना चाहिए कि स्कूलों के दौरान में एकर लाख शिक्षिकाओं की आवश्यकता है, यदि पूर्व-प्राथमिक

तथा प्राथमिक स्कूलों में केवल महिलाएँ ही नियुक्त हों। परन्तु शिक्षित महिलाएँ शिक्षिका बनना पसन्द नहीं करतीं। इसके कई कारण हैं। प्रथमतः, शिक्षकों का वेतन आकर्षक नहीं है। द्वितीयतः, महिलाएँ घर छोड़कर बाहर, विशेषकर देहात में, नहीं जाना चाहती हैं। तृतीयतः, शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण का पर्याप्त रूप में प्रबन्ध नहीं है। इन अमुविधाओं को दृष्टिगत हुए यह आवश्यक है कि शिक्षिकाओं को ठीक वेतन दिया जाय, ताकि शिक्षित लड़नाएँ इस ओर आकर्षित हों। यदि वे पूर्ण समय तक कार्य न करना चाहें, तो वे आशिक काल के लिए ही नियुक्त की जायें। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की पढ़ी-लिखी स्त्रियों को भी इस कार्य के लिए खींचना हितकर है। यह भी देखा गया है कि अध्यापिकाएँ बहुधा अकेली रहने के लिए हिचकिचाती हैं। यह ठीक ही है। इस कारण स्थान स्थान पर संयुक्त-गृहों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहाँ कुछ शिक्षिकाएँ एक साथ रह सकें।

**प्रौढ़ शिक्षा.**— इस विषय की विवेचना दसवें अध्याय में की जावेगी। यहाँ यह बतलाना उचित है कि प्रौढ़ाओं की शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कारण, पुरुष की शिक्षा एक व्यक्तिमात्र की ही शिक्षा है, किन्तु नारी की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है। स्त्रियों को चाहिए बच्चों के पालन-पोषण, सूचि-कर्म तथा परिवारिक कार्य का ज्ञान। उन्हें घर संभालना तथा सुधारना है। वह गृहिणी है, जननी है। राष्ट्र के निर्माण में उसका बहुत बड़ा हाथ है।

### वपसंहार

इस देश में नारी-जागृता पूर्ण रूप से हो चुका है। सैकड़ों बयों की सुपुता नारी ने पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर शुभ जागरण को प्राप्त किया है। इस सभ्यता से वह इतनी प्रभावित हुई है कि वह घर की चहार दीवारी से निकलकर सामाजिक राजनैतिक और साहित्यिक क्षेत्र में पदार्पण करने लगी है। वह पुरुष की सहयोगिनी बनकर प्रति पल कदम बढ़ाती हुई, उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुँची रही है।

पाश्चात्य सभ्यता की ओर हमारे देश की स्त्री-शिक्षा पद्धति पर लग रही है। भारतीय रमणियों स्कूलों तथा कालिजों की ओर दौड़ रही हैं, जहाँ उन्हें पुरुषोचित पाठ्यक्रम सिखाया जा रहा है। पाश्चात्य देश भी शिक्षा के इस दीप को अनुभव कर रहे हैं। इंग्लैण्ड की एक सरकारी रिपोर्ट का कथन है, "यद्यपि इस शिक्षा के द्वारा नारी में एक नवीन जीवन का संचार हुआ है, पर यह अपनी सुदृढता, सुकोमल

प्रवृत्ति धीरे धीरे खो रही है।”† हमें इस चेतावनी का लाभ उठाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि स्त्री अपनी नारी-मुलभ लज्जा को खो बैठे। पतजी ने कहा ही है, “आधुनिक ! तुम नहीं कुछ अगर नहीं मिर्फ तुम नारी।”

और न हम यही चाहते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता के परिणाम-स्वरूप नारी अब स्वच्छन्द-विहारिणी तितली-का-सा रूप धारण कर यहाँ-वहाँ विहार करने लगे। भारतीय नायियों का मश आदर्श रहा है सदग्रहिणी बनकर माता एव स्त्री के रूप में राष्ट्र की सेवा करना। सामल्य-प्रिय भारतीय लज्जा गार्हस्थाश्रम को कैसे भूल सकती है ! हमें पाश्चात्य देशों के दृष्टान्त से लाभ उठाना चाहिए। इन देशों में तो जैसे पारिवारिक जीवन लुप्त हो रहा है, और उसके बदले क्लब तथा होटेल जीवन का प्रसार हो रहा है। हमें नीर-धीर-विश्वेकी बनकर कर्तव्य-पथ का अनुकरण करते हुए, पश्चिम से ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी कोने में किसी भी सद्भाव को प्रदग् करना है।

परम्परा से हमारे देश में नारी के जीवन-ग्रन्थ के चार अध्याय रहे हैं : पुत्री, भगिनी, भार्या तथा माता। वर्तमान काल तक नारी ने स्वयं व्यक्तिगत रूप में अपना सुयोग्य मन्तवि-मुमनों-द्वारा राष्ट्र-निर्माण के हेतु न जाने कितना कर्ति-मकरन्द विकीर्ण किया है। आज वर्तमान की शाकी भी समुग्गल दृष्टिगोचर हो रही है। नारी स्वातन्त्र्य मोपान पर आरोहण कर राष्ट्रोन्नति की ओर शनैः शनैः अग्रसर हो रही है। अपनी धडान्दलि हम नारी को सादर अर्पित करने हैं। कविवर ‘प्रसाद’ की अमृतमयी उक्ति हमारे कर्ण-कुरर में ध्वनित हो उठती है :

नारी, तुम केवल धडा हो,  
विश्राम-रजत-जन्म-पद-तल में;  
पीयूष श्रोत सी बस बरो,  
जीवन के समतल हृद-तल में।

† H. M. S. O. *Differentiation of Curves's, etc* London,  
H. M. S. O. 1923, p. 13.

## आठवाँ अध्याय

### प्राविधिक शिक्षा

#### प्रस्तावना

द्वितीय समय भारत अपने शिल्प एवं विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। महोच्चोदारं ध्वंसारोपों के अन्वेषण से पता चलता है कि हजारों वर्ष पहले भी हमारे पूर्वजों के शहर निर्माण, सिविल इंजीनियरिंग तथा भवन-निर्माण का विशेष ज्ञान था। श्रमदेव में चौध तथा नहर का उद्भव है। अढ़ाई हजार वर्ष पूर्व हमारे देश का इत्यात सारे विश्व में विख्यात था। स्वदेश लौटते समय सिन्दूर यहाँ से इत्यात लाद कर यूनान ले गया था। तत्पश्चात् इस देश के प्राविधिक ज्ञान का धीरे धीरे क्षय होता गया।

यहाँ एक ओर भारत की क्रमशः अवनति होती गयी, यहाँ दूसरी ओर अन्य देशों की क्रमोन्नति हुई। दो सौ वर्ष पूर्व अमेरिका एक नव देश गिना जाता था। आज वही देश विश्व का सिरमौर है। यहाँ पर खाद्य-सामग्री के उत्पादन की इतनी प्रचुरता है कि ऊँची कीमत कायम रखने के लिए ज्वार और भुट्टा जला दिये जाते हैं तथा दूध नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। पचास वर्ष पूर्व जापान भी हमारे देश से बहुत पिछड़ा हुआ था। इस स्वल्पावधि में ही जापान ने अपनी कृषि-उद्योग विषयक अतीव उन्नति की और हम सोते ही रहे। देखते-ही-देखते सोवियट रशिया का रूप बदल गया। एक पिछड़े हुए कृषि-प्रधान देश ने अपनी उन्नति करके सारे ससार को शन्द्रमा तक पहुँचाने का मार्ग दिखा दिया है।

हमारी अवनति के अनेक कारण हैं। प्रथमतः, यहाँ औद्योगिक ज्ञान वश या परिवारगत ही हुआ करता था। द्वितीयतः, वर्तमान युग में प्राविधिक शिक्षा की पर्याप्त उपेक्षा की गयी थी। इस ओर सरकार का ध्यान अभी-अभी गया है। सन् १९४७ तक इस शिक्षा का उद्देश्य सरकारी प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना मात्र था। तृतीयतः, अभी अभी तक प्राविधिक शिक्षा अल्प-मति बालकों के लिए ही उपयुक्त समझी जाती थी। विश्वविद्यालयीय शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती

थी, फिर माध्यमिक शिक्षा का, और उसके बाद प्राविधिक शिक्षा का नम्बर आता था। युगोप में भी यही स्थिति थी। आरम्भ में तकनीकी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं जाता था। कार्डिनल न्यूमैन का कथन है कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का विशेष स्थान न हो।

आज समय ने पलटा खाया है। फलतः हमारे देश में इस समय प्राविधिक शिक्षा की सर्वाधिक माँग है। अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए माता-पिता अपनी सन्तान को यही—प्राविधिक—शिक्षा देना चाहते हैं। कारण, शिल्ली तथा प्राविधिकों की मासिक आय पर्याप्त उच्च होती है। आधुनिक सम्पत्ता मशीन, शक्ति तथा ऊर्जा पर निर्भर है। यह जमाना एटम बम का है। एक शक्तिशाली राष्ट्र भी इसका सामना नहीं कर सकता है। इस प्रकार शारीरिक बल का मान घट रहा है तथा वैज्ञानिक ज्ञान का आडर बढ़ रहा है।

भारत में आज उठकर खड़े होने का प्रयत्न कर रहा है। हमारा पंच-वर्षीय योजनाओं में प्राविधिक शिक्षा का विशिष्ट स्थान है। आज यह सभी अनुभव कर रहे हैं कि देश की गरीबी दूर करने के लिए तथा बेकारी की समस्या के निवारण के लिए हम शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके बिना न हम कृषि की उन्नति कर सकते हैं, न उद्योग घटा सकते हैं और न अन्य राष्ट्रों का मुकाबिला ही कर सकते हैं। प्राविधिक शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता की अनेक योजनाएँ, देश के सामने हैं। इस अध्याय में इन सब बातों पर विचार किया जायगा।

### ब्रिटिश शासन काल में प्राविधिक शिक्षा

**भूमिका.**—प्राविधिक शिक्षा के कई रूप हैं—औद्योगिक, इंजीनियरिंग तथा शिल्प विज्ञान। यह शिक्षा दो स्तरों में दी जाती है : बालेज तथा विश्वविद्यालय, और स्कूल। अंग्रेजों के शासन-काल में, हम शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। यह बात मुख्य तीन समयों में विस्तृत किया जा सकता है : (१) १८००-१८५७, (२) १८५७-१९०२ और (३) १९०२-१९४७।

**प्रथम उपकाल (१८००-१८५०).**—ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में कुछ हनी गिनी सभाएँ स्थापित हुईं। इनके खोलने का मुख्य उद्देश्य सरकारी आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र था। अनेक शासन-काल में कंपनी को टाकरों, इंजीनियरों तथा परिदोषक बनेकारियों की आवश्यकता थी। इसी प्रेरणा के कारण इन सभाओं का प्रादुर्भाव हुआ, न कि उन दिनों के लिए। इस अवधि में रक्षा, कलकत्ता तथा मद्रास में इंजीनियरिंग

काठिण समसः १८४७, १८५७ तथा १८५८ में ग्वास्ता हुए । पुने में एक इंजीनियरिंग हाग सन् १८५४ में गोल्य गया ।

**द्वितीय उपकाल (१८५७-१९०२).—**प्राविधिक शिक्षा का क्रमबद्ध विद्यय सन् १८५७ के बाद हुआ । सन् १८६६ में, पुना इंजीनियरिंग हाग एक काठिण के रूप में बर्दित हुआ । सन् १८५७ में रिस्सोमिया अर्थात् टेक्निकल इन्स्टीट्यूट की स्थापना वावर्दे में हुई । यह संस्था वावर्दे में स्थित पुतगीधरो के लिये कुशल कारीगरो के प्रशिक्षण के निमित्त उद्घाटित हुई थी ।

इस इष्टिया कम्पनी औद्योगिक शिक्षा के प्रति भी उदासीन थी । हों, ईसाई मिशनरो ने कई औद्योगिक स्कूल अवरर स्थापित किये थे । सन् १९०१-१९०२ में भारत भर में कुल चार इंजीनियरिंग काठिण तथा अस्सी तकनीकी या औद्योगिक स्कूल थे । स्कूलों में पुरानी परिपाटी के अनुसार कई देशी कारीगरी (बढ़ईगिरी, लुहारी, आदि) सिखायी जाती थी ।

**तृतीय उपकाल (१९०२-४७).—**उत्तीगवी शताब्दी के अन्तिम दशान्त में देश में प्राविधिक शिक्षा की माँग आरम्भ हुई । अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन (सन् १८८७) में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि देश की औद्योगिक उन्नति के लिए सरकार तकनीकी शिक्षा की ओर ध्यान देवे । तब से कई परवर्ती अधिवेशनों में भी प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था की माँग बुलुन्द की गयी । सरकार हाथ-पर-हाथ रखकर मौन न रह सकी । उसने बजीफे देकर कुछ चुनिन्दे विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए युरोप तथा अमेरिका भेजना आरम्भ किया ।

तथापि अनेक प्रगतिशील भारतवासी इस वृत्ति-व्यवस्था मात्र से सन्तुष्ट न हुए । सन् १९०४ में कलकत्ता में 'वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शिक्षा-प्रसार-संघ' नामक एक संस्था की स्थापना हुई । कुछ चुने हुए सुयोग्य भारतीय विद्यार्थियों को शिल्प एवं उद्योग सम्बन्धी उच्चतर शिक्षा की प्राप्ति के लिए विदेश भेजना ही इसका मुख्य उद्देश्य था । बंगाल में 'राष्ट्रीय शिक्षा परिषद' ने जादवपुर में इंजीनियरिंग और टेक्नोलोजिकल कालिज की स्थापना की । इस संस्था ने मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स सन् १९०५ में शुरू किया, तथा केमीकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स सन् १९२१ में आरम्भ किया । पर डिग्री कोर्स आरम्भ करने का श्रेय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कालिज को मिलता है, जिमने सन् १९१७ में मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं मेटलर्जी का अध्यापन आरम्भ किया । स्वतन्त्रता-

## प्राविधिक शिक्षा

प्राप्ति के समय भारत में अहार्डम इंजीनियरिंग तथा प्राविधिक कालिज थे। इसी में कई टेकनोलौजीकल कालिज स्थापित हुए। इनमें से मुख्य हैं : इंडियन स्कूल ऑफ मैनेज्मेंट, धानबाद; इरकोर्ट बस्तर टेकनोलौजीकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर; स्कूल् फोर्मीकल टेकनोलौजी, बम्बई, इत्यादि।

इस प्रकार शस्त्र तथा ज्वला-दोनों-के प्रथम स्वरूप प्राविधिक शिक्षा विभाजित हो चला। इस कार्य को दो अन्य घटनाओं के कारण और भी प्रेरणा प्राप्त हुई। शिक्षित व्यक्तियों में बेकारी-समस्या की गंभीरता के कारण, लोगों का ध्यान तकनीकी औद्योगिक शिक्षा की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ। इस शिक्षा के प्रति जो मर्कटिंग विचार थे, वे बदल गये, और लोगों में इस शिक्षा की प्राप्ति का आकांक्षा प्रादुर्भूत हुई। दूसरी घटना द्वितीय विश्व युद्ध की थी, जिसने इस प्राविधिक शिक्षा में एक क्रांति उत्पन्न कर दी। इस युद्ध की तात्कालिक माँगों को पूरा करने के लिए, ब्रिटिश सरकार को प्रत्येक फैक्टरी को तकनीकी प्रशिक्षण-केन्द्र बनाने का आदेश देना पड़ा। इस प्रकार इस देश में प्राविधिक शिक्षा की तैयारी हुई।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के कुछ ही वर्ष पूर्व भारत सरकार ने एक देश-व्यापी प्राविधिक शिक्षा योजना चलावना आरम्भ किया। उसकी प्रमुख संस्थाएँ निम्नलिखित हैं :

1. औद्योगिक शोध-कार्य की सहायता के लिए 'विशाल औद्योगिक शोध-परिषद्' की स्थापना (सन् १९४०)।
2. दिल्ली पॉलीटेकनीक का आरम्भ (सन् १९४१)।
3. उच्च तकनीकी शिक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में परामर्श के लिए श्री नलिनीरजन सरकार की अध्यक्षता में टेकनोलौजिकल कमीशन की नियुक्ति (सन् १९४५)। यह समिति 'सरकार कमेटी' के नाम से जानी जाती है।
4. ३० नवम्बर, १९४५ में 'अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद्' की स्थापना।
5. सम्पूर्ण देश की जरूरतों को देखते हुए विभिन्न स्तर के प्राविधिक शिक्षा, यंत्रों तथा प्राविधिकों की एक सूची तैयार करके 'राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा तथा मानवीय शक्ति मन्त्रिण' की नियुक्ति (सन् १९४७)।



## स्वाधीन भारत में प्राविधिक शिक्षा

**भूमिका—**स्वाधीनता मित्रों के पञ्चान्न प्राविधिक शिक्षा के विचार की पूर्ण दृष्टि में रोका हो रही है। कारण, यह स्पष्ट है कि देश के प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति—कृषि, कला, वाणिज्य, विज्ञान, उद्योग, स्वास्थ्य, तथा समाज-सुखी शिक्षा पर निर्भर है। प्रथम योजना का उद्देश्य था, देश के प्रत्येक भाग में शिक्षा स्तर पर प्राविधिक शिक्षा बढ़ाना तथा इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजीकल के उन पाठ्यक्रमों का आरम्भ करना, जिनकी स्वरूपा इस देश में नहीं थी। द्वितीय योजनाकाल में औद्योगिक प्रसार विभाग दो प्रकार के कार्यक्रम हैं। एक के द्वारा पहली योजना में जो कार्य शुरू किये गये, उन्हें विस्तारित, समुन्नत तथा विस्तृत करना है; और दूसरे कार्यक्रम के अनुसार इस अवधि में औद्योगिक शिक्षा के नये कार्यशुरू करना तथा नयी संस्थाएँ स्थापित करना है। द्वितीय योजनाकाल में ५२ करोड़ रुपये तकनीकी शिक्षा के लिए निर्धारित किये गये हैं। प्रथम योजनाकाल में इस शिक्षा पर केवल तैरस करोड़ रुपये खर्च हुए थे। अब नवीन पंच-वर्षीय योजना की चर्चा हो रही है। उसमें भी तकनीकी शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है।

स्वाधीन भारत में प्राविधिक शिक्षा के यथार्थ रूप को समझने के लिए, हमें इन विषयों का ज्ञान आवश्यक है : (१) प्रशासन, (२) शिक्षा-स्वरूपा, (३) प्राविधिक शिक्षा का विस्तार और (४) नवीन योजनाएँ।

**प्रशासन—**१० फरवरी, १९५८ तक प्राविधिक शिक्षा का प्रशासन केन्द्रीय शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान मन्त्रालय के एक विभाग के मातहत था। पर अब इसका सम्बन्ध केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मन्त्रालय से है। प्राविधिक शिक्षा समस्याओं पर विचार करने के लिए तथा नवीन योजनाओं को लागू करने के निमित्त भारत-सरकार समय-समय पर विशेषज्ञों की समितियाँ नियुक्त करती रहती है।

तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा राज्यीय सरकारों को 'अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद' (अभाप्रशिप) परामर्श देनी है। यह परिषद विविध क्षेत्रों के प्रतिनिधियों-द्वारा संगठित होती है : सदस्य, विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालय, राज्य सरकारें, अन्तर्विदेशीविद्यालयीय मण्डल तथा प्राविधिक शिक्षा से सम्बन्धित भिन्न-भिन्न गैरसरकारी संस्थाएँ (उद्योग, वाणिज्य, श्रम, व्यवसाय, इत्यादि)। कुल सदस्यों की संख्या ० है। दैनिक कामकाज एक समन्वय मण्डली चलाती है।

प्राविधिक शिक्षा के प्रबन्ध के लिए, परिषद ने चार विभागीय समितियाँ— उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम—नियुक्त की हैं। ये अपने-अपने विभागों की ज़रूरतों का अध्ययन करती हैं और उनके अनुसार अपनी योजनाएँ तैयार करती हैं। इन समितियों के अतिरिक्त परिषद ने मात्र पाठ्यक्रम-माध्यम विविध विषयों के सुधार के लिए स्थापित किये हैं : सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तथा कॅमिकल इंजीनियरिंग, वाणिज्य, कॅमिकल टेकनोलॉजी एवं एप्लाइड आर्ट्स। प्रत्येक विषय के राष्ट्रीय डिप्लोमा तथा मर्टीफिकेट पाठ्यक्रम अब तैयार हैं। परिषद ने एक विशेषज्ञ समिति स्थापित कर पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त की है।

परिषद की बैठक प्रति वर्ष एक बार होती है। लेकिन समन्वय समिति तथा विभागीय समितियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। ये अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय बैठ सकती हैं।

शिक्षण-व्यवस्था. प्रत्येक उद्योग में तीन प्रकार के व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है : (१) मैनेजर (२) परिसरगत कर्मचारी एवं (३) कारीगर। इसी प्रकार अनुसार प्राविधिक शिक्षा तीन स्तर में दी जाती है : डिप्ली, डिप्लोमा तथा मर्टीफिकेट।

डिप्ली बोर्ड. डिप्ली बोर्ड की शिक्षा वालिड तथा रिअक्रेडिटेशन में दी जाती है। इस पाठ्यक्रम में हायरमीट्रिक या उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाती है। स्थापक बोर्ड १२ व वर्ष का होता है, पर इस बोर्ड में प्रवेश के पूर्व उच्च माध्यमिक शिक्षाधियों को एक वर्ष पूर्व हायरमैट्रिक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है।

स्थापकोत्तर बोर्ड की स्थापना दो साल की होती है। कुछ वर्ष पूर्व हमारे देश में इस पाठ्यक्रम का अस्तित्व था। इस बोर्ड को दूर करने के लिए 'अनारडिण्ड' में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। इस समिति की सिफारिशों पर 'अनारडिण्ड' में खुले हुए दो सालों में तैयार किये गए स्थापकोत्तर पाठ्यक्रम लागू करना स्वीकार कर लिया है। इस ही में 'अनारडिण्ड' की सिफारिशों पर भारत सरकार ने इन्फ्लैटरीन और डिफ्लैटरीन की दृष्टि से समिति की सलाह बनाने और स्थापकोत्तर डिप्ली तथा डिप्लोमा की स्थापना के लिये सिफारिशें करने के लिए एक उच्च स्तर का

समिति नियुक्त की है। वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मंत्रालय के सचिव प्रो० ए०-ए०० धैर दस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति स्नातकोत्तर ट्रेनिंग-केन्द्रों और अनुसन्धान शालाओं का दौरा करेगी तथा वहाँ के प्रधानों एवं अनुभवी प्रोफेसरों से विचार विमर्श करेगी।†

**डिप्लोमा कोर्स.**—डिप्लोमा कोर्स में विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा के बाद भरती वि जाते हैं। इसका दौरान तीन वर्षों का होता है। यह शिक्षा बहुधा पॉलीटेक्नीक तथा तकनीकी स्कूलों में दी जाती है। सफलभूत विद्यार्थीगण विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों में परिदोषक कर्मचारी नियुक्त होते हैं।

**सर्टीफिकेट कोर्स**—काराग दो प्रकार के होते हैं : (१) कुशल काराग और (२) अर्द्ध-कुशल और सामान्य श्रमिक। पहले प्रकार के व्यक्तियों को तकनीकी हाई स्कूल अथवा तकनीकी स्कूल, आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स स्कूल एवं उत्तर-बुनियादी स्कूलों में ट्रेनिंग मिलती है। पर अर्द्ध-कुशल अथवा सामान्य श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए, हमारे देश में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। आशा है कि प्रवर बुनियादी स्कूल इस माँग को पूरा करेंगे। किसी-किसी उद्योग संस्था ने अपने श्रमिकों के लिए अंश कालिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की है।

**प्राविधिक शिक्षा का विस्तार.**—स्वार्थीनता मित्रों के पश्चात् भारतीय शिक्षा में सबसे उल्लेखयोग्य विस्तार प्राविधिक शिक्षा का हुआ। सन् १९४७ तक, हमारी तकनीकी संस्थाओं से पर्याप्त रूप में शिक्षार्थी नहीं निकलते थे, तथा शोध एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का नाम निदान नहीं था। उम वर्ष पूरे देश में इंजीनियरिंग तथा प्राविधिक शिक्षावाले २८ डिग्री-संस्थान तथा ४१ पॉलीटेक्नीक संस्थान थे। सन् १९५७ में डिग्री तथा डिप्लोमा संस्थानों की संख्या क्रमशः ७४ तथा १२९ पहुँची।

इसी अवधि में छात्र-संख्या में भी विशेष वृद्धि हुई। सन् १९४७ में डिग्री तथा डिप्लोमा कोर्सों में क्रमशः २,९४० तथा ३,६७० विद्यार्थियों के प्रवेश की सीमा थी। सन् १९५७ में वही संख्या त्रिगुनी हो गयी। जाने ९,७७८ डिग्री कोर्स के तथा १५,९९६ डिप्लोमा कोर्स के हो गये।† यद् अनुमान लगाया गया है कि डिग्री पाठ्यक्रमों के अन्त में प्राविधिक संस्थाओं में डिग्री-पाठ्यक्रमों तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष क्रमशः १३,००० तथा ७४,००० विद्यार्थियों को प्रवेश


† भारतीय समाचार, १५ नवम्बर, १९५९, पृष्ठ ५१९।

‡ भारत, १९५९, पृष्ठ ८३।


# प्राविधिक शिक्षा की प्रगति

१९४७ से १९५७

(अ) डिग्री कोर्स



(आ) डिप्लोमा कोर्स



संस्थाएँ  
(दस)

स्वीकृत छात्र-संख्या  
(हज़ार)

उत्तीर्ण छात्र-संख्या  
(हज़ार)



**नवीन योजनाएँ.**—स्वातन्त्र्योत्तर-काल में, प्राविधिक शिक्षा की उन्नति के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएँ चलायी हैं। इनमें से मुख्य ये हैं : (१) भारतीय विज्ञान-संस्था, बंगलोर की स्थापना, (२) उच्चतर प्रौद्योगिकी संस्थाओं की स्थापना, (३) नवीन पाठ्यक्रमों का आरम्भ, (४) वृत्ति की व्यवस्था, (५) विज्ञान मन्दिरों की स्थापना एवं (६) अनुसन्धान।

**भारतीय विज्ञान-संस्था, बंगलोर**—इस प्रसिद्ध संस्थान की स्थापना मन् १९११ में हुई, और तभी से यहाँ उच्चतर विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है। इस संस्था में ३,००० से अधिक स्नातक शास्त्री, भौतिकविद्, इंजीनियर, भूगर्भ-शास्त्री इत्यादि अभी तक निकले हैं। ये भारत की उच्चतम शिक्षा-संस्थाओं, सरकारी ओइशे तथा औद्योगिक केंद्रों में काम कर रहे हैं। मन् १९४६ में भारत-सरकार इस संस्थान को उदार अनुदान दे रही है। मई, १९५८ में, यह संस्था विश्वविद्यालय के रूप में स्वीकृत हुई। इस विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान का समुचित प्रबन्ध है।

**उच्चतर प्रौद्योगिक संस्थाएँ.**—हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में बड़े उद्योगों के विस्तार पर बल दिया है। इस कार्य के लिए उच्चतर प्राविधिकों की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 'सरकार-समिति' में चार उच्चतर प्रौद्योगिकी संस्थाओं—भारत के प्रत्येक विभाग में एक—की स्थापना की निफारिश की थी। 'अभ्यर्थासार' ने इस मुद्दा का अनुमोदन किया। मन् १९५१ में सर्वे प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कलकत्ते के पास खड़गपुर में स्थापित हुई। बम्बई की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था में दिग्दर्शीय मन्त्र परदे मन् १९५८ में प्रवेश हुए। काजपुर तथा मद्रास में दो और संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं। इन दोनों संस्थाओं में कुल मिलाकर २,००० से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा सकेगी।

**नवीन पाठ्यक्रम.**—'अभ्यर्थासार' की निफारिश के फल-स्वरूप कुछ नवीन पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण आरम्भ किया गया है : मुद्रण कला, प्रबन्ध-व्यवस्था तथा राष्ट्र-साम कल्पना। देश में इन विषयों के अध्ययन की माँग है, पर इनके प्रशिक्षण का उपोचित प्रबन्ध नहीं है। केंद्रीय सरकार तथा राज्यीय सरकारों के द्वारा समुक्त रूप से अणुशास्त्र, कलकत्ता, दार्जिल तथा मद्रास में स्थापित चार मुद्रण-स्कूलों में से प्रत्येक में प्रति वर्ष २०० विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त आठ संस्थाओं में प्रबन्ध-व्यवस्था-शास्त्री पाठ्यक्रम लागू किये जा चुके हैं। इनके

नाम है : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर; अर्थशास्त्र-स्कूल, दिल्ली; अर्थशास्त्र विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय; अर्थशास्त्र तथा समाज-विज्ञान स्कूल, बम्बई; भारतीय विज्ञान-संस्था, बंगलौर; समाज-कल्याण तथा कारोबार-प्रबन्ध-संस्था, कलकत्ता; और पिक्टोरिया लुबली प्राविधिक संस्था, बम्बई । /

दिल्ली में एक 'शहर-ग्राम-कल्पना' विद्यालय (स्कूल आफ टाऊन एण्ड कण्ट्री प्लेनिंग) स्थापित हुआ है। इसमें उत्तर-स्नातक स्तर पर दो प्रकार के पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया है : (१) दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स तथा (२) एक गहन कोर्स, उन शिल्पी, इंजीनियर इत्यादि के लिए जिन्हें अपने विषय का कुछ व्यावहारिक अनुभव हो।

इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार की ओर से बंगलौर में एक 'औद्योगिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्था' स्थापित होनेवाली है। यहाँ औद्योगिक उत्पादन का उच्चतर ज्ञान दिया जावेगा। संयुक्त राष्ट्र सघ ने इस संस्था को ९,००० डालर अनुदान देना स्वीकार किया है।

वृत्ति.—तकनीकी शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध की उन्नति के लिए भारत सरकार नेगत दस वर्षों में तीन प्रकार की वृत्तियों का आयोजन किया है : प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टाइपेण्ड, राष्ट्रीय शोध शिष्य-वृत्ति-योजना तथा विश्वविद्यालयीय शोधवृत्ति। प्रथम योजना के अनुसार, चुने हुए स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को अपनी शिक्षा समाप्त करने पर प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के लिए मासिक स्टाइपेण्ड मिलता है—प्रति छात्रक. १५० रु. तथा डिप्लोमा प्राप्त-यत्री १०० रु.। इनके ट्रेनिंग का बन्दोबस्त सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी केन्द्रों में किया जाता है। अभी तक १,००० स्टाइपेण्ड दिये गये हैं। द्वितीय योजना के अधीन ४०० रु. मासिक की ८० शिष्य-वृत्तियाँ तथा प्रति वर्ष बंध तथा अन्य साधनों के लिए एक हजार रुपये के अनुदान की व्यवस्था की गयी है। यह योजना सन् १९५५-५६ में शुरू की गयी थी। इनके अतिरिक्त २०० रु. मासिक की ८०० शोध-वृत्तियाँ विश्वविद्यालयों तथा इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थाओं को दी गयी हैं।

विज्ञान-मंदिर.—सामुदायिक विकास योजना के कार्य-क्षेत्रों में 'विज्ञान-मन्दिर' नामक २१ ग्रामीण वैज्ञानिक केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। प्रत्येक केन्द्र में एक प्रयोगशाला और योग्य तथा प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं। ये केन्द्र ग्रामीण लोगों में वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करते हैं, तथा उन्हें इसके उपयोग की साधकता के विषय में समझाते हैं। वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मंत्रालय के मन्त्री श्री हुमायूँ कबीर

का ध्येय 'सम्पूर्ण देश में ३२० विज्ञान-परिषदों—अर्थात् प्रत्येक जिले के लिए एक—स्थापित करना' है। प्रत्येक सरथा का सम्बन्ध एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रहेगा।

**अनुसन्धान.**—वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध के लिए भारत सरकार ने, सन् १९४२ में, 'वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध-परिषद' की स्थापना की थी। आज यह परिषद वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मन्त्रालय का भाग है। परिषद शोध-सम्पन्नो में सभ्य वैज्ञानिकों को साहाय्य-अनुदान और योग्य व्यक्तियों को छात्रवृत्तियाँ देने तथा विज्ञान-सम्बन्धी जानकारी के प्रसार का कार्य भी करती है। सन् १९५८-५९ में परिषद का आवर्तक व्यय ३-३१ करोड़ रुपये तथा अनुमानित पूँजीगत व्यय १-७८ करोड़ रुपये हुआ।<sup>१</sup>

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद में परिषद देश के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ स्थापित कर चुकी है। इनका विवरण इस प्रकार है : (१) केन्द्रीय ईंधन शोध संस्था, जलेश्वर (बिहार), (२) केन्द्रीय वीज तथा कुम्भकार कार्य शोध-संस्था, जादवपुर, (३) केन्द्रीय लवन शोध केन्द्र, धानबाद, (४) केन्द्रीय स्वयं-औद्योगिकी शोध संस्था, मैंगल, (५) केन्द्रीय स्वयं-शोध संस्था, मद्रास, (६) केन्द्रीय नमक शोध संस्था, भावनगर, (७) केन्द्रीय भवन-शोध-संस्था, दहली, (८) केन्द्रीय रेशम शोध संस्था लखनऊ, (९) केन्द्रीय मशीनी इंजीनियरिंग शोध संस्था, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), (१०) केन्द्रीय रिगुन इंजीनियरिंग शोध संस्था, विजानी, (११) केन्द्रीय रिगुन स्थापक शोध-संस्था, बराहकुटी (मद्रास), (१२) केन्द्रीय सहक शोध-संस्था नयी दिल्ली, (१३) केन्द्रीय सांकेतिक स्फुरण शोध संस्था, मानपुर, (१४) प्रादेशिक शोध प्रयोगशाला, हैदराबाद, (१५) प्रादेशिक शोध प्रयोगशाला बम्बे-जार्ज (बम्बे तथा काशी), (१६) विद्युत औद्योगिक तथा औद्योगिकी सङ्गणक, बलकल, (१७) भारतीय जीव-रसायन तथा परीक्षणक औद्योगिक-संस्था, बलकल, (१८) राष्ट्रीय धातु-कर्म प्रयोगशाला, जदपूर, (१९) राष्ट्रीय औद्योगिक प्रयोगशाला, नयी दिल्ली; (२०) राष्ट्रीय स्थापक प्रयोगशाला, पूना, एव (२१) राष्ट्रीय दूरदर्शन-विज्ञान उद्योग, लखनऊ।<sup>१</sup>

### बनियम समझौते

**भूमिशा.**—इस प्रकार हमारे देश का प्राविधिक शिक्षा की दृष्टि से हम कहीं भी नहीं हैं। इसे स्थापना के लिए हमें इस देश के प्राविधिक विज्ञान को जानना पड़ेगा।



ब्रॉचे जा रहे हैं, बड़े-बड़े कारखानों की सृष्टि हो रही है, आवागमन के साधनों में उन्नति हो रही है, नगर-पुनर्रचना चल रही है, परिवहन का विकास हो रहा है, इत्यादि, इत्यादि ।

पर इन योजनाओं को कौन तैयार कर रहा है ? इन्हें कौन चला रहा है ? खेत के साथ हमें उत्तर देना पड़ता है कि “विदेशी विशेषज्ञ” । हम उस समय हताश होना पड़ता है, जब हम देखते हैं कि स्वाधीन होते हुए भी, ऐसे कार्यों के लिए हमें विदेशी परामर्श-दाताओं का मुँह ताकना अनिवार्य होता है । विशेषज्ञों की बात जाने दीजिए । हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार विकास-कार्य बहुत कुछ हो रहा है; पर प्रत्येक क्षेत्र की वृद्धि के अनुपात में, प्रौद्योगिक प्रशासकों का विशेष अभाव है । वर्तमान जगत में एक औद्योगिक प्रशासक के लिए केवल प्राविधिक ज्ञान ही यथेष्ट नहीं है । भाषा पर उसका समुचित अधिकार होना चाहिए तथा उसे वक्तृत्व-कला-दृष्ट भी होना चाहिए । उसे देश तथा विश्व की आर्थिक स्थिति तथा वित्तीय ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि इन सबका घना सम्बन्ध प्रौद्योगिक योजनाओं से है । उसे प्रशासन कार्यक्रम का अनुभव चाहिए, अन्यथा उसे लिपिकों के इशारों पर नर्तन करना पड़ता है । परन्तु उसे सबसे अधिक आवश्यकता ‘मानव-सम्बन्धी ज्ञान’ की है, क्योंकि उसकी अधीनता में कितने ही कर्मचारी कारीगर तथा अभिक्रिया-रत रहते हैं, जिनके साथ कार्य करना तथा उनसे काम करना असाधारण कार्य होता है । इन कठिनाइयों का अनुभव करते हुए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने यह विचार किया कि “विकास के प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से बढ़ती हुई सख्या में प्रौद्योगिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ।”

‘अमाप्रशिव’ की चेष्टाओं के कारण हमारे देश में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हाट ही में शुरू हुए हैं तथा उच्चतर प्रौद्योगिकी संस्थाओं की सृष्टि हुई है । प्रबन्ध-व्यवस्था के कान्ति भी खुल गये हैं । आशा की जाती है कि इस उच्चतर शिक्षा के मिलने के पश्चात्, हमारे देश में भी पर्याप्त रूप में प्राविधिक प्रशासक निकलने लगेंगे ।

**संकीर्ण पाठ्यक्रम.**—पिछले शीर्षक की चर्चा में यह भी स्पष्ट हुआ होगा कि हमारे देश के प्राविधिक पाठ्यक्रम संकीर्ण हैं । उनमें केवल तकनीकी विषयों का ही प्रेश रहता है । पर एक प्राविधिक के लिए भाषा, अर्थशास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान ज्ञान जरूरी है । तकनीकी शिक्षा की इस कमी को दूर करने के लिए, अमेरिका ने प्राविधिक पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा एक अनिवार्य विषय रखा गया है । अमेरिकी उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रेमीडेंट आयोग का कथन है :

सामान्य शिक्षा का मूल तद्देश है, व्यावहारिक योग्यता की वृद्धि इस ज्ञान के बावजूद, मनुष्य की दृष्टि-संकीर्णता दूर होनी है, कार्य-कुशल बढ़नी है और यह समाज को स्पष्टतर समझ सकता है।

पर प्रवर्धित पाठ्यक्रम के सुधार के बिना, सामान्य शिक्षा का समावेश नहीं सकता है। 'अभागाशिव' ने अपने २२ मार्च, १९५७ के अधिवेशन में यह तथ्य निरूपित किया कि एक उचित मान दण्ड नियम रखने के लिए यह आवश्यक है कि इजीप्टीयन एवं टेकनोलोजीकल की प्रथम डिग्री के लिए तत्काल माध्यमिक स्तर के प्रथम पाठ्यक्रमों में आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाय। वर्तमान पाठ्यक्रम के गहनता के अतिरिक्त परिपक्वता के तद्देश है नवीन कौशल में विशेषीकृत शिक्षा के विना, न कि अतिरिक्त विषयों का समावेश करना। परिपक्वता ने यह काम अपने पाठ्यक्रम में सम्पन्न कर लिया है।

आज की दुनिया में साधारण ज्ञान की आवश्यकता प्रत्येक अर्थ-कुशल सामान्य व्यक्ति को भी है। बीसवीं शताब्दी मशीन तथा सामूहिक उत्पादन का परिणाम है। दिन-प्रतिदिन मशीन क्रिया अधिकतर पेशीय होती जा रही है। मनुष्य के लिए, विद्यमान पदों का ज्ञान एक अतिरिक्त को भी जरूरी है। आज के इन्जीनीयरिंग में एक मजदूर या कारीगर का काम इस समाज में अब नहीं मिलेगा। यदि हमें अपना, मशीन तथा समाज-कार्य का ज्ञान दिया जाय, तो उद्योगिक विकास के साथ ही उच्चतर उत्पादन शक्ति की भी आवश्यकता होगी।

नये कारखानों की माँग.—इस बात की चर्चा करने की ही ही है कि नये कारखानों के निर्माण के दौरान में नये टेकनोलोजीकल कारखाने एक सफलतापूर्वक रूप से स्थापित हों। ये कारखाने संचालित न हों, और पदों में परिवर्तन करने के आवश्यकता का अनुभव हों। ये कारखाने होने तथा उद्योगिक विकास के लिए ही आवश्यक हों। इसी कारणों से अतिसार, उनमें संचालित तथा प्रयोग-कार्यों की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

शिक्षकों की कामों.—शिक्षकों की कार्य-वृद्धि के लिए-एक उच्च शिक्षण कार्यक्रम को भी नहीं छोड़ना है। किसी किसी कारखाने में विशेषीकृत शिक्षण

होते हैं। अध्यापकों के अभाव के कारण, प्राविधिक शिक्षा के विस्तार में बड़ा पहुँचने की सम्भावना है। कर्मरक्षक व्यक्तियों को अध्यापन कार्य में रोकने के लिए उचित वेतन की अवश्य जरूरत है। इसके साथ-साथ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को ऐसा प्रकथ करना चाहिए कि तकनीकी अध्यापकगण शिक्षण-कार्य छोड़कर इधर-उधर न भागने पावें।

कुछ वर्षों से नवीन तथा खातकोत्तर पाठ्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इस कार्य के लिए भी काफी अध्यापक नहीं मिलते हैं। कुछ क्षेत्रों के लिए तथा कुछ समय तक तो हमें विदेशियों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, तथा हमारे कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजना पड़ेगा।

**शिक्षा का माध्यम.**—२ सितम्बर, १९५६ को श्री नेहरू ने राज्याय मंत्रियों से चर्चा करते हुए कहा कि यह स्पष्ट ही है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगा। वर्तमान परिस्थिति को देखने हुए श्री नेहरू का अभिप्राय शायद ठीक ही है; पर भविष्य में सरकारी नीति क्या होगी, यही प्रश्न है। यदि प्राविधिक शिक्षा के माध्यम का निर्णय अनिश्चित काल तक छोड़ दिया जाय तो सभी वैज्ञानिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगा, और विज्ञान की नीति दूसरे विषयों के लिए भी चलाना पड़ेगी। जितनी जल्दी हो सके, मातृ-भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए।

पर विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक संस्थाओं में अंग्रेजी एक द्वितीय अनिवार्य विषय रहे। इसके सिवा, भारतीय भाषाओं में, प्राविधिक साहित्य लिखने का यत्न किया जावे। यह स्मरण रहे कि चीन तथा जापान सरीखे पूर्वीय देशों में मातृ-भाषा ही प्राविधिक शिक्षा का माध्यम है, पर अंग्रेजी एवं रशियन सीखने पर विशेष जोर दिया जाता है।

**कर्म-शाला-अभ्यास.**—हमारी प्राविधिक संस्थाएँ अपने विद्यार्थियों को सर्वाङ्ग-पूर्ण कर्म-शाला-अभ्यास नहीं दे सक रही हैं। यह याद रहे कि दूसरी विद्याओं का अध्यापन तो मस्था की चहारदीवारी के भीतर हो सकता है, पर प्राविधिक शिक्षा संस्थान के अन्दर सीमित नहीं रह सकती है। मुख्य ज्ञान तो विद्यालय की कर्म-शाला तथा प्रयोग-शाला में अवश्य दिया जायगा, पर यथार्थ व्यावहारिक अभ्यास के लिए बाहरी कर्म-शालाओं, कारखानों तथा खलिहानों की शरण लेनी पड़ती है। तकनीकी शिक्षा की दक्षता बहुत-कुछ भीतरी व्यावहारिक अभ्यास के समन्वय पर निर्भर है। अनेक संस्थानों में उपयुक्त कर्म-शालाओं तथा प्रयोग-शालाओं का अभाव है। इस कारण

बाहरी सहायता और भी आवश्यक है। पर यह सहायता हमारे देश में पर्याप्त रूप से नहीं मिल रही है। सरकार ने सम्प्रति प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की उन्नति के लिए कुछ छात्र-वृत्तियों का बन्दोबस्त किया। पर यह यथेष्ट नहीं है। जहाँ तक बने, सरकार को अपने कल-कारखानों में व्यावहारिक अभ्यास की सुविधा देनी चाहिए। अनेक विना बजीला वाले विद्यार्थी अंग-कालिक नौकरी व्यापारी फर्मों में कर सकते हैं। इस व्यवस्था से कम-से-कम फायदा लाभ है : (१) विद्यार्थियों को प्राविधिक सहायता मिलनी है, (२) उनको स्वाभाविक वातावरण में व्यावहारिक अभ्यास मिलना है (३) उन्हें विभिन्न स्तर के कर्मचारियों तथा श्रमिकों से मित्रों का सुअवसर मिलना है, एवं (४) काम करने-कान्ते, उनकी क्षमारी नौकरी भी ठीक हो जाती है; और शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्हें नौकरी के लिए यहाँ-वहाँ भटकना नहीं पड़ता है। यह प्रथा अनेक देशों में प्रचलित है।

**उत्तर-विद्यालय-शिक्षा.**—जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त, मनुष्य को ज्ञानार्जन करने का सुअवसर रहता है। पर बहुधा भाग्यवासियों की शिक्षा स्कूल या कालिज छोड़ने के साथ-साथ समाप्त हो जाती है। विनियमक यह कथ्य एक प्राविधिक के लिए अनिष्कारक है। बीसवीं शताब्दी में प्राविधिक ज्ञान की दिन प्रति-दिन उन्नति हो रही है। जो कल था, वह धातु नहीं है; और जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। अतएव एक शिल्पी या कर्मार्थ अपने पूर्ण ज्ञान के भण्डार निष्क्रिय बैठा नहीं रह सकता है। उसे नवीन विद्या के संस्पर्श में रहना पड़ेगा। अतएव उत्तर-विद्यालय-शिक्षा की विदोष आवश्यकता है। हमारे देश में ३८ विश्वविद्यालय, ७४ डिग्री कॉलेजियाली तथा १२९ डिग्रीना-कॉलेजियाली प्राविधिक संस्थाएँ हैं। पर इनका ध्यान अभी तक हम और नहीं गया है। उन्हें प्राविधिकों के लिए पुनर्मौलान कॉलेज का आयोजन करना चाहिए, ताकि उन्हें व्यावहारिक विद्या का लाभ मिले और उनके ज्ञान में जग न लगे।

हमारे कारिगरों तथा श्रमिकों के लिए अंग-कालिक कॉलेज की अति आवश्यकता है। ये कॉलेज माध्यमिक से आरम्भ हो सकते हैं, ताकि नौकरी करने हुए भी वे अध्ययन कर सकें। उनकी औद्योगिक निपुणता की वृद्धि करने का यह एक अच्छा उपाय है। इसके अतिरिक्त इन लोगों की अवकाश शिक्षा का आयोजन करना पड़ेगा। इन दिवसों में कि हमारे श्रमिकों की पुनर्मौलान का समय लयें होकर, बिना पीने या पर निद्रा करने में हीन रहते हैं। यदि हीन व्यवस्था में हृदय रहने हैं या कर्मस्थलों की दायर में पड़े रहने हैं। परन्तु उनके इस अवकाश काल का सदुपयोग हो सकता है, यदि उनके लिए संस्थाएँ

शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया जाय। किन्तु हमारी औद्योगिक संस्थाएँ, इस ओर उदासीन हैं। अनेक पाश्चात्य देशों में मजदूरों के लिए नाट्य-शालाएँ, स्नानागार, ग्रीहा-स्थल, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था है। ऐसी समुचित सुविधाओं के कारण श्रमिक अपनी थकावट को भूल जाते हैं, उनका पैसा बर्बाद नहीं होता है तथा उनके व्यक्तित्व का विकास पूर्णता की ओर उन्मुख होता है। हमारे देश में ऐसी परिकल्पनाएँ इस समय स्वप्नवत् प्रतीत होती हैं।

श्रमिकों के लिए उत्तर-विद्यालय-शिक्षा का आयोजन पाश्चात्य देशों में जरूरी समझा जाता है। उदाहरणार्थ, सोवियट रूस में किसान तथा मजदूरों के लिए अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा आरम्भ हो गयी है। शिक्षा रात्रि-शालाओं में दी जाती है। पत्र-व्यवहार-द्वारा भी शिक्षा का प्रबन्ध है। ये पाठ्यक्रम लोक-प्रिय हैं। प्रायः २०,००,००० व्यक्ति इस शिक्षा का लाभ उठा चुके हैं, और १२,००,००० श्रमिक इस आयोजन का लाभ प्रति वर्ष ले रहे हैं। सरकार इस कार्य के लिए प्रतिवर्ष २०० करोड़ रुबल खर्च करती है।

**अनुसन्धान.**—स्वाधीन भारत ने अनुसन्धान की ओर विशेष ध्यान दिया है, तथा दम ही दर में अनेक शोध-प्रयोग शालाएँ स्थापित हुई हैं। पर मोड़ के साथ करना पड़ता है कि हमें मनीष, कल पुत्रे तथा अन्न-यन्त्र के लिए भी दूसरे देशों की ओर श्रय भी निहारना पड़ता है। हमारे देश की पर्याप्त सम्पत्ति बाहर चली जाती है, हम देश की बेकारी की समस्या का समाधान नहीं कर सक रहे हैं, तथा उद्युक्त हथियार-औद्योगिक के अभाव के कारण हमारी योजनाओं का ठीक-ठीक विचार नहीं हो पा रहा है। अतएव औद्योगिक अनुसन्धान की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

उदाहरणार्थ, उत्पादन-शोध हीनिए। इस शोध का स्वरूप हो : (१) उत्पादनों की सुगमता प्रवर्धन; (२) माल, क्रियाओं तथा ब्याजों की वृद्धि; (३) उत्पादन-दिवस में विचारण करना; (४) उत्पादन सम्बन्धी क्रियाओं की तकनीकी की गौरवना; (५) एव स्वरोपन्न स्थापित करना; एवं (६) क्रेता विवेकाओं के मध्य मद्दाय पैदाना।

इस प्रदेह क्षेत्र में संशोधन का प्रयोजन है। देश की उद्योगों को देशी सुगमता में आब कीर्तिद्ध नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रिक अनुसन्धान की विशेष आवश्यकता है।

कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य आदि का नवीनीकरण इस शोध के बिना नहीं हो सकता है, अतएव हमारे अनुसन्धान कक्षांग इस ओर विशेष ध्यान दें।

**सरकार, उद्योग तथा प्राविधिक शिक्षा में सहयोग.**—अन्य शिक्षा क्षेत्र तो अपने पौर पर खड़े रह सकते हैं, पर प्राविधिक शिक्षा एककल्पन नीति का अन्वयन नहीं कर सकती है। सरकार तथा उद्योग में उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। सरकार कुछ प्राविधिक संस्थाएँ स्थापित करती है, कुछ को आर्थिक अनुदान देती है, एव शोध तथा व्यावहारिक अभ्यास का कन्द्रबन्त करती है। उसी प्रकार प्राविधिक शिक्षा को भी राज्य की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना चाहिए; जैसा, किम क्षेत्र में तथा कितने प्राविधिकों की आवश्यकता है। इसके लिए उचित सर्वेक्षण होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त प्राविधिक शिक्षा तथा उद्योग के बीच सहयोग की आवश्यकता है। शिक्षा संस्थाएँ उद्योगों की माँगों को पूरा किया करनी हैं। पर उद्योग तकनीकी विचारियों को व्यावहारिक अभ्यास की सुरक्षा प्रदान करता है, तथा शिक्षा की समाप्ति के उपरान्त उन्हें नौकरी देता है। किन्तु प्रायः उद्योग-मूलक शिक्षा क्षेत्र का ध्येय सत्र समय स्पष्ट रहना चाहिए। जैसा कि प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान् लार्ड यूस्टेस पनी का कथन है :

हमें उद्योग को सूचना देनी होगी कि शिक्षा का ठोका भाव क्या है, इसका साथ क्या है, हम इसमें क्या सुधार करना चाहते हैं, और हमें स्वास्थ्य तथा उद्योग की ज़रूरतों की ओर ध्यान देने हुए उनके उपयुक्त एवं औजार तैयार करना पड़ेगा। साथ ही उनके अनुकूल नवीन योजनाएँ चलायी पड़ेगी।

### उपसंहार

इस अध्याय में भारतीय प्राविधिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति की चर्चा की गयी है, तथा उसमें सम्बन्धित बहुरूप समस्याओं पर विचार किया गया है। बीननी राजकीय विज्ञान का युग है। विज्ञान की प्रगति को न इस रोक सकते हैं और न रोका जाते हैं। यदि हम स्वयं राष्ट्रीय में अपनी गगना बगना चाहते हैं, तो हमें भी उगी स्तन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा।

हमारी पत्र-पत्रों के माध्यमों का भी ध्यान है, विद्यालय कार्यकर्ताओं एवं पेशेवरों की भावना, उनके उपयुक्त शिक्षण, कर्मी तथा प्राविधिकों को तैयार करना तथा देश



## नवाँ अध्याय

### शिक्षक प्रशिक्षण

#### पूर्व-वृष्टिका

**भूमिका.**—समाज में शिक्षा एक प्रधानतम व्यवसाय क्षेत्र है। भारत में आज बाह्य जगत् में अधिक सर्वांग शिक्षण-कार्य-द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं। जीवन क्षेत्र में अध्यापन का महत्त्व सर्वाधिक है। शिक्षकों का सम्बन्ध केवल एक घृष्टन छात्र-समुदाय में ही नहीं रहता, बल्कि विभिन्न आयु के विद्यार्थियों में भी रहता है।

प्राचीन एवं मध्य युगीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षक प्रशिक्षण का कोई विधिबद्ध नियम न था। उर्ध्वमूर्ती शाताब्दी के अन्त तक छात्राभ्यासक प्रणाली (मार्नीटर पद्धति) प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार सम्पूर्ण स्कूल या कक्षा कनिष्ठ एकत्र एकत्र टुकड़ियों में बाँट दी जाती थी। प्रत्येक टुकड़ी एक मार्नीटर या बरगक विद्यार्थी के मार्गदर्शन में रहती थी। मार्नीटर अपनी टुकड़ी को पढ़ाता था। अन्त में टुकड़ी के विद्यार्थीगत अपना पाठ शिक्षक को सुनाते थे।

डा० एम्. डेव ने, श्री कि. मद्रास सैनिट अनाथालय के सुपरिटेंडेण्ट थे, इस प्रथा को इस माध्यम से अपनाया (सन् १७८७ ई०)। बाद को उन्होंने इसका प्रचार होटल बिरोन में भी किया। सन् १८०१-१८४५ की अवधि में उस देश के प्रसिद्ध स्कूलों में यही पद्धति प्रचलित थी। यह प्रथा कम खर्चीली थी, तथा शिक्षक-संख्या कम-से-कम की आवश्यकता थी। इस प्रथा के कई नाम बरग हुल : मार्नीटर पद्धति, मद्रास प्रथा, सेक्युलर पद्धति, सेक्युलरी विधि, अगमले प्रथा, इत्यादि। बसुना यह प्रणाली भारतीय प्रचलित देशी पद्धति का अटुकरा थी।

विश्व प्रचलित एक नदीय काल है। भारत में इसका अस्तित्व अस्तित्व युग ही ही हुआ है। इसके विकास का अध्यापन क्षेत्र मुख्य कारणों में विद्यमान रहता है : (१) लक्ष्य-पद्धति प्रणाली, (२) विश्व-वैदिक और (३) विश्व-वैदिक।



छात्राध्यापक प्रजापती.—इस बात का विचार सन् १८०१ में सन् १८८२ तक है। इस अरधि में शिक्षक प्रशिक्षण की विभिन्न मायदा नही की गयी थी। कुछ प्रशिक्षण केन्द्र यहाँ यहाँ अल्पसंख्यक में, पर ये प्राथमिक शिक्षकों के निमित्त खोले गये थे, तथा अधिकांश में रीगमकारी मन्थान में।

आरम्भ में इंग्लिश निगमनी पाठशाला में अल्पसंख्यक शिक्षकों की प्रशिक्षण करने के लिए कुछ प्रयत्न किये, तथा भीमनगर में डा० बॉरे ने एक नार्मल स्कूल स्थापित किया। तत्पश्चात्, बम्बई, मद्रास तथा बंगाल की शिक्षा-मन्त्रालयों ने शिक्षक-प्रशिक्षण की आवश्यकता अनुभव की और इसके लिए कुछ केन्द्र खोले। बम्बई देशी शिक्षा मन्डल ने २८ प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण केंद्रों की प्रशिक्षण किया तथा उन्हें प्रेसीडेन्सी के विभिन्न भागों में प्राथमिक शिक्षकों के निर्देशन के लिए भेजा (सन् १८२६)। मद्रास में सर टायमसन ने शिक्षकों की प्रशिक्षण करने के लिए एक केन्द्रीय स्कूल खोला (सन् १८२६)। कलकत्ता में स्थानीय स्कूल-मन्त्रालय ने एक शिक्षक-प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित किया (सन् १८१९)। तत्पश्चात् कलकत्ता मद्रास शिक्षा मन्त्रालय ने भी शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण के निमित्त एक दूरीय केन्द्र खोला।

इन रीगमकारी मन्थानों के सिवा कुछ सरकारी संस्थान भी स्थापित हुई। उदाहरणार्थ, बम्बई एलफिन्स्टन इन्स्टीट्यूशन, पूना मद्रास स्कूल एवम् सेंट अग्नेसी स्कूल में नार्मल बक्षाएँ आरम्भ हुईं। सन् १८४९ में कलकत्ते में एक नार्मल स्कूल स्थापित हुआ, और इसके दस वर्षों के भीतर बंगाल में और भी तीन नार्मल स्कूल खोले गये। उत्तर-पश्चिम प्रदेश में आगरा, मेरठ तथा बनारस में क्रमशः १८५२, १८५६ तथा १८५७ में नार्मल स्कूल स्थापित हुए।

बुड के घोषणा-पत्र ने शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था पर बल दिया। इतने आदेश दिया कि प्रत्येक प्रेसीडेन्सी में नार्मल स्कूल खोले जायें। इस आदेश की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, तथा सन् १८५९ के घोषणा-पत्र को कहना ही पड़ा कि “कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स के निर्देश के अनुसार, शिक्षक-प्रशिक्षण-केन्द्र संख्या में स्थापित नहीं हुए हैं। इस ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।” सन् १८५९ के पश्चात् निमित्त अनुदान-प्रथा में भी, प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन के लिए अनुदान की

† J. A. Ritchie *Selections from Educational Records, Vol II*

‡ Stanley's Despatch, para 44

विशेष ध्यान रखी गयी। इन विधेयों के फल स्वरूप शिक्षकों के प्रशिक्षण की ओर संश्लेषित ध्यान दिया गया। सन् १८८२ में ब्रिटिश भारत में १०६ नार्मल स्कूल थे, शिक्षार्थियों की संख्या ३,८८६ थी तथा प्रशिक्षण पर चार लाख रुपये व्यय किये गये थे।

यह ध्यान रहे कि ये प्रशिक्षण-मस्यौदा केवल प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए था। बहुतों शिक्षार्थी प्राथमिक स्कूल पास विद्यार्थी हुआ करते थे। पाठ्य-क्रम में स्कूल के विषयों के प्रति विशेष बल दिया जाता था, ताकि शिक्षार्थीगण इसके उपयोग अपनी शिक्षा-समाप्ति के बाद स्कूलों में कर सकें। उस समय शिक्षण-विधि पर विशेष ध्यान न था। शुरू-शुरू में शिक्षार्थियों को मानीटर-पदवति का प्रशिक्षण दिया जाता था। बाद में एक उम्मीदवार-पदवति शुरू हुई। इसके अनुसार एक पद-शिक्षार्थी को कुछ समय तक एक अनुभवी शिक्षक के निरीक्षण में काम करना पड़ता था। उदाहरणार्थ, बम्बई शिक्षा विभाग का तत्कालीन एक आदेश पढ़िए :

प्रत्येक ताड़का से कुछ विद्यार्थी चुने जायें। ये तीन वर्षों तक तीन से पाँच रुपये मासिक स्टाइपेंड पर किसी सफल शिक्षक के निरीक्षण में उम्मीदवार की भौति काम करें। तत्पश्चात् वे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्कूल में छः रुपये मासिक स्टाइपेंड पर भर्ती किये जायें।

अब तक माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। केवल दो ट्रेनिंग कालिज स्थापित हुए थे : एक मद्रास में (सन् १८५६) तथा दूसरा, एगहोर में (सन् १८८१)। इनमें स्नातकों और उपस्नातकों को साथ ही प्रशिक्षित किया जाता था। पाठ्यक्रम में स्कूल के शिक्षण-विषयों के प्रति अधिक ध्यान दिया जाता था, किन्तु व्यावहारिक विषयों का विशेष ध्यान न था।

**शिक्षक-ट्रेनिंग (१८८२-१९४७)**—इस प्रकार शुरू-शुरू में ट्रेनिंग सम्पादकों के पाठ्यक्रम में अध्यापन विधि का विशेष ध्यान न था। सन् १८८२ के भारतीय शिक्षा आयोग तथा सन् १९०४ की शिक्षा-नीति ने प्रचलित शिक्षक-प्रशिक्षण को एक नवीन रूप प्रदान किया। प्रथम निकाय ने सिफारिश की कि नार्मल और ट्रेनिंग सम्पादक देश के भिन्न-भिन्न भागों में आसन्न-सन्नानुसार स्थापित की जायें। † माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आयोग ने प्रस्तावित किया :

† As quoted by Bhagwan Dayal *The Development of Modern Indian Education* Bombay, Longmans, 1955 p 474.

‘अध्यापन सिद्धान्त एव प्रयोग’ पर एक परीक्षा आगम की जाय। इस परीक्षा में सफल होने पर ही शिक्षकगण स्थायी रूप से क्या सरकारी और क्या गैरसरकारी माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त हों।†

कमीशन ने इस बात पर बल दिया कि स्नातकों तथा उपस्नातकों का प्रशिक्षण विभिन्न प्रकार का हो। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक भारत में छः ट्रेनिंग कालिज (मद्रास, लाहोर, राजमहेन्द्री, कुर्सेयांग, जवल्पुर तथा अलाहाबाद) एवं पचास ट्रेनिंग स्कूल माध्यमिक शिक्षकों के लिए थे। कुछ प्रान्तों ने ‘अध्यापन प्रमाण-पत्र-परीक्षा’ की व्यवस्था भी कर ली थी।

भारत-सरकार की सन् १९०४ की शिक्षा नीति ने शिक्षक-प्रशिक्षण के विभिन्न विषयों पर सुचारुरूप से अपना मत व्यक्त किया। शिक्षा-नीति ने प्रस्ताव किया :

१. स्नातक शिक्षकों का कोर्स एक वर्ष का हो तथा प्रशिक्षण समाप्त होने पर सफलीभूत शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालयीय डिग्री या डिप्लोमा मिले। पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सिद्धान्तों तथा अध्यापन-अभ्यास पर विशेष जोर दिया जाय। उप-स्नातक शिक्षकों का प्रशिक्षण कोर्स दो वर्ष का हो। अध्यापन-विधि के अतिरिक्त, इस पाठ्यक्रम में साधारण ज्ञान के प्रति लक्ष्य रहे।

२. शिक्षण-सिद्धान्तों के अध्यापन का अभ्यास के साथ संश्लिष्ट सम्बन्ध रहे। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालय से सम्बन्धित एक अभ्यास विद्यालय रहे।

३. ट्रेनिंग महाविद्यालय तथा माध्यमिक स्कूलों के बीच एक घनिष्ठ सम्बन्ध रहे, ताकि प्रशिक्षण समाप्त होने पर, प्रत्येक शिक्षार्थी महाविद्यालय में सिखाये हुए सिद्धान्तों का यथोचित अभ्यास करे।‡

इस घोषणा के फल स्वरूप ट्रेनिंग संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई, स्नातकों तथा उपस्नातकों के प्रशिक्षण का स्वतन्त्र-रूप से अलग-अलग आयोजन प्रारम्भ हुआ—स्नातकों के लिए एक-वर्षीय कोर्स तथा उप-स्नातकों के लिए द्वि-वर्षीय कोर्स। इनके साथ-साथ, प्रत्येक ट्रेनिंग संस्था में अभ्यास विद्यालय स्थापित हुए। सन् १९१३ की सरकारी शिक्षा-नीति ने इस कार्य को और भी प्रभावित किया। इस नीति ने स्पष्ट रूप से ही

† Report of the Indian Education Commission, para 2

‡ Government of India's Resolution on Educational Policy, 1904, para 39.

कहा, "प्रशिक्षण के बिना किसी भी शिक्षक को पढ़ाने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए ।" कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन ने शिक्षण में अनुसन्धान, प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या वृद्धि की आवश्यकता तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा-विभाग खोलने का परामर्श दिया। हाटंग समिति ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये, जैसे : प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाना, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में योग्य अध्यापकों की नियुक्ति, पुनर्संजीवन कोर्सों का आयोजन, इत्यादि ।

उपर्युक्त सुझावों के कारण, कई विश्वविद्यालयों में शिक्षा-विभाग स्थापित हुए। प्रशिक्षण-अनुसन्धान-टिप्पणी आरम्भ हुई, ट्रेनिंग संस्थाओं की गुणात्मक उन्नति हुई तथा पुनर्संजीवन कोर्सों का प्रारम्भ हुआ । देश में तीन विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं की सृष्टि हुई : (१) स्नातकों के लिए ट्रेनिंग कालिज, (२) उप-स्नातकों या मिडिल स्कूल के शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग स्कूल तथा (३) प्राथमरी स्कूलों के लिए ट्रेनिंग नार्मल स्कूल । इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार की प्रशिक्षण-व्यवस्था इस देश में अब तक अविदित थी । स्वतन्त्रता-प्राप्ति (सन् १९४७) तक भारत में ३४ शिक्षण महाविद्यालय ३३९ (पुरुषों के लिए) नार्मल स्कूल तथा १८९ (स्त्रियों के लिए) नार्मल स्कूल खुल चुके थे । इनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः २,४९३, २३,७५४ और १०,१९३ थी ।

**शिक्षक-प्रशिक्षण (१९४७-६०).**— इस प्रकार शिक्षकों के ट्रेनिंग की प्रगति सन् १९४७ के पूर्व हुई । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् इस दिशा में नये विचार उत्पन्न हुए। इसके अनेक कारण हैं। प्रथमतः, स्वाधीन भारत में अनेक शिक्षा-योजनाएँ स्वलायी गयीं हैं । इनको सफलभूत बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में आवश्यकता है । द्वितीयतः, पूर्व स्वतन्त्र्योत्तरकाल की शिक्षा नीति आज नहीं चल सकती है । जन-तान्त्रिक राज्य में यह आवश्यक है कि प्रशिक्षित शिक्षकगण लोक-तन्त्र की गुण तथा पद्धति से सम्पूर्ण रूप में परिचित हों । तृतीयतः, सम्पूर्ण विश्व में शिक्षकों की पूर्ण-अभ्यासन-क्रिया में व्यामूल परिवर्तन हो रहा है । इसका सम्बन्ध विद्यार्थियों की सम्पूर्ण जीवन से है । इसकी परिधि कतिपय पाठ्य-परिचयों तक मर्यादित नहीं रह सकती है । प्रसिद्ध अमेरिकन शिक्षा-शास्त्री विलियम किलपेट्रिड्ज ने कहा है "ज्ञानवर तथा सर्वज्ञ के जट ट्रेण्ड होने हैं, शिक्षकगण प्राविष्ठित होने हैं ।"

† Government of India's Resolution on Educational Policy, 1947, para 51.

‡ Progress of Education in India, 1937-47, Vol I, p 31.

अन्ततः, बुनियादी शिक्षा के प्रादुर्भाव ने भारतीय शिक्षा-जगत में एक क्रान्ति उत्पन्न की है। यह नवीन शिक्षा, विद्यार्थियों के जीवन, उनके सम्पूर्ण वातावरण तथा सामाजिक आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देती है। इस विचार-धारा ने हमारे देश की शिक्षक-प्रशिक्षण पद्धति को एक नया जीवन दिया है। इसके साथ साथ गणानुष्णन आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा-आयोग की सिफारिशों के कारण यह विचार-धारा और भी प्रभावित हुई है। प्रथम कमीशन ने कहा ही है, “यथायं शिक्षा को तो स्कूली पढ़ाई तथा मुदन्त विद्या पर निर्भर नहीं रहनी है। इसका सम्बन्ध है दैनिक जीवन तथा आशयपूर्ण कार्य-कलाप से।”<sup>1</sup> तात्पर्य यह है कि पूर्व-अभ्यास पाठ्यक्रम के सुधार की परांत चेष्टा हो रही है। इसका ध्येय है, ‘अभ्यासक ट्रेनिंग’ से ‘शिक्षक प्रशिक्षण’ की ओर अग्रसर होगा।

### वर्तमान-परिस्थिति

**भूमिका.**—स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात्, इस देश में शिक्षक-प्रशिक्षण का दृष्टि विस्तार हुआ है। सन् १९४७-४८ में शिक्षक प्रशिक्षण-संस्थाओं की टाप गणना ४२,१५७ थी; सन् १९५६-५७ में यह संख्या, १,०५,१९४ तक पहुँची गयी। इसी अवधि में खर्च १ १६ करोड़ रुपये से २-६३ करोड़ रुपये बढ़ गया।

आज इस देश में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएँ साधारणतः छः प्रकार की हैं :

- (१) पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र;
- (२) नार्मल या प्राथमरी ट्रेनिंग स्कूल,
- (३) माध्यमिक ट्रेनिंग स्कूल (उपगन्तव्य शिक्षकों के लिये);
- (४) ट्रेनिंग कॉलेज (ग्रन्थक शिक्षकों के लिये);
- (५) विनोदक ट्रेनिंग केन्द्र, पर
- (६) शिक्षा प्र. शक-संस्थाने।

**पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र.**—संलग्न समय में इस देश की पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थाएँ निम्न प्रकार की हैं। भारत में केवल २६ पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं। इनमें से तीन सफलता सम्पन्न हैं, और दो सफलतापूर्ण हैं।<sup>2</sup>

<sup>1</sup> *University Education Commission's Report*, p. 215

<sup>2</sup> *Report of the All-India Child Education Conference*, 1956

इनका कोर्स एक वर्ष का है तथा इनमें दशुघा मैट्रिक तथा अथ प्राथमरी पास शिक्षार्थी भगती क्रिये जाते हैं ।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में एकरूपता के अभाव के कारण, प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम में भी समानता नहीं है । ये विभिन्न प्रकार के पूर्व प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करते हैं, जैसे - नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन, मोण्टेसरी पद्धति एवं पूर्व-प्राथमिक । तब पर भी पाठ्यक्रम में बहुत कुछ समानता रहती है । मद्रास प्रान्त की 'नर्सरी, मोण्टेसरी / किंडरगार्टन मटीरिअल परीक्षा' के लिए निम्न लिखित विषयों के प्रश्न-पत्र स्वीकृत हैं (१) मनोविज्ञान, (२) आरोग्य-विज्ञान एवं आहार, (३) स्कूल-प्रशासन, (४) शिक्षण-पद्धति (५) संगीत या चित्रकला या सूची कर्म और हेण्ड-क्राफ्ट एवं ब्याथड ।† इसी प्रकार पूर्व बुनियादी पाठ्यक्रम के निम्नलिखित विभाग हैं : (१) सामाजिक जीवन की व्यवस्था, (२) समाज प्रशिक्षण, (३) गणित अवलोकन, (४) गणित-शिक्षा का इतिहास, (५) पूर्व-बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त एवं ध्येय, (६) पूर्व-बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम, (७) कार्यक्रमों का आयोजन, (८) स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, (९) मूर्तिविज्ञान, (१०) भाषा, (११) संगीत तथा ताल, एवं (१२) कला तथा क्राफ्ट ।‡

गत वर्ष में बड़ौदा विश्वविद्यालय के गृह-विज्ञान कालिज ने एक स्नातकोत्तर पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण डिप्लोमा कोर्स आरम्भ किया है । इसका उद्देश्य है निरीक्षक, प्रधानाध्यापक तथा पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए अध्यापक तैयार करना । सन् १९५३ में केन्द्रीय सरकार ने एक 'भारतीय शिशु-शिक्षा-समिति' ग्थापित की है । इस समिति का उद्देश्य है : शिशु शिक्षा के विषय में सलाह देना, तथा देश के विभिन्न भागों में इस शिक्षा में हो रहे कार्यों में एकगुणता स्थापित करना ।

**नार्मल तथा प्राथमरी ट्रेनिंग स्कूल :** भूमिका. हमारे देश में दो प्रकार के प्राथमरी स्कूल हैं । बुनियादी एवं गैर बुनियादी : इसीके अनुसार प्राथमरी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएँ भी दो प्रकार की हैं । सन् १९५६-५७ में सम्पूर्ण देश में, ५८१

† Madras Government Press Revised Syllabuses for Nursery, Montessori, Kindergarten Training School Leaving Examinations, 1948 p 1

‡ Hindustani Talimi Sangh Pre-Basic Education 953 p. 6

बुनियादी तथा ३३५ गैर-बुनियादी शिक्षक-प्रशिक्षण केन्द्र थे।† सभी राज्यों में गैरबुनियादी संस्थाओं को बुनियादी रूप देने की चेष्टा की जा रही है।

**सर्टीफिकेट-व्यवस्था.**—दोनों प्रकार के केन्द्रों में दो प्रकार के सर्टीफिकेट की व्यवस्था है : (१) अपर-प्रायमरी पास शिक्षार्थियों के लिए एवं (२) मैट्रिक शिक्षार्थियों के लिए। प्रथम वर्ग के शिक्षार्थियों को 'अवर शिक्षक सर्टीफिकेट' तथा द्वितीय वर्ग के विद्यार्थियों को 'प्रवर शिक्षक सर्टीफिकेट' मिलता है। दोनों कोसों की अवधि दो वर्ष की होती है।

**गैर-बुनियादी पाठ्यक्रम.**—प्रत्येक राज्य के पाठ्य क्रम में कुछ-न-कुछ विशिष्टता रहती है। पंजाब राज्य की 'अवर सर्टीफिकेट परीक्षा' के पाठ्य-क्रम का विवरण नीचे दिया गया है :

(अ) लिखित कार्य : छः पत्रों : (१) एक आधुनिक भारतीय भाषा (उर्दू, हिन्दी या पंजाबी), (२) शिक्षण-पद्धति १ — (भाषा एवं गणित), (३) शिक्षण-पद्धति २—(सामान्य ज्ञान, नागरिक शास्त्र तथा दैनिक विज्ञान), (४) कक्षा-प्रबन्ध, (५) शिक्षा-सिद्धान्त एवं शिक्षा-मनोविज्ञान, तथा (६) हिन्दी या पंजाबी (यह भाषा जो पहले प्रश्न-पत्र में न ली गयी हो)।  
(आ) अध्यापन-अभ्यास तथा मौखिक कार्य : (१) भाषा, भूगोल या कृषि एवं दैनिक विज्ञान, (२) दो हेण्डी-क्राफ्ट (प्रत्येक विभाग से एक) — प्रथम विभाग — लकड़ी का काम, मिट्टी का काम, ज़िल-साजी, बुनार, कुककूट-पालन, चित्रकारी एवं रेखा-चित्र; तथा द्वितीय विभाग—ईंट बनाना, टोकनी बुनना, दर्पण का काम, साबुन-निर्माण, स्याही बनाना, छीट की छपाई, कमरत, फर्ट एंड एवं स्काउटिंग।

प्रवर परीक्षा के पाठ्यक्रम की रूप-रेखा भी इसी प्रकार है, पर स्वाभाविक ही यह कार्य अधिकतर गुरुत्वपूर्ण होता है। अन्तर केवल इन बातों पर है : (१) दूसरे पत्र में बीजगणित तथा रेखागणित शामिल हैं, (२) चौथे पत्र में कक्षा-प्रबन्ध के अतिरिक्त स्कूल व्यवस्था के प्रति विशेष ध्यान दिया जाता है, (३) हेण्डी-क्राफ्ट-शिष्टा में ये विषय शामिल हैं—कुककूट-पालन, रात्रिगिरी, धर्मकारी, धातु-कार्य, रंगरेजी, फूल तथा सन्दी-परिचय, रसी बॉटना, टाट बनाना, रोशम के कीड़े पालना, मनुष्य-जी-पालन, पशु-पालन।

† *Education in the States, 1956-57, p. 3-5*

बुनियादी पाठ्यक्रम.—बुनियादी पाठ्यक्रम में नयी तालीम के निम्नलिखित आदर्शों की ओर लक्ष्य रहता है :

१. सामाजिक जीवन में शिक्षार्थियों को भाग लेना तथा उन्हें मिलनसार बनाना;
२. उन्हें नयी तालीम के सामाजिक आदर्शों का तथा शिक्षा के साथ सत्य एवं अहिंसा के सम्बन्ध का परिचय कराना;
३. शिक्षार्थी के शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक तथा कल्यात्मक प्रवृत्तियों को पूर्ण रूप से जागृत करना, ताकि उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके; एवं
४. उसे अपने व्यावसायिक क्षेत्र के लिए तैयार करना, ताकि वह पेशों के शारीरिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझ सके ।†

कुछ समय तो हिन्दुस्तानी तालीम के शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को चला रहे हैं, और बुलने इसमें थोड़ा-बहुत हेर-फेर किया है। नीचे चम्बई राज्य के प्राथमरी शिक्षकों के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम दिया जाता है :

**पहला ग्रूप (क्राफ्ट)—१०० गुण :** (१) तीन बुनियादी क्राफ्ट (कटाई, छपि, लकड़ी का काम) एवं (२) चार सहायक क्राफ्ट (कटाई, बागवानी, दफ्तरीगिरी, गृह-क्राफ्ट) । — प्रत्येक विद्यार्थी को एक बुनियादी क्राफ्ट और हमे छोड़कर दो और कोई सहायक क्राफ्ट लेना पड़ता है। महिलाओं के लिए गृह-क्राफ्ट एक अनिवार्य विषय है।

**दूसरा ग्रूप (शिक्षा)—(अ) लिखित परीक्षा (१५० गुण)—**  
 तीन वर्षों : (१) शिक्षण सिद्धान्त, (२) स्कूल व्यवस्था एवं प्रबन्ध, (३) अध्यापन विधि एष (आ) अध्यापन-अभ्यास (१५० गुण—१०० गुण समूचे वर्ष के कार्य के लिए एवं ५० गुण अतिरिक्त पाठ के निमित्त) । वर्ष के कार्य में शामिल हैं—(१) २० सत्रावधि पाठ, (२) ५० पाठों का अध्ययन, (३)

† Hindustani Talimi Sangh Revised Syllabus of the Training of Teachers 1952 pp. 6-9.



विषी पुनिवारी मूला में एक गमाह का गमाना अन्तान अन्तान, (६) तीन अन्तान पाठ, (७) दो विभाग गायत्री की गैतरी ।

**तीसरा मूला (गार्हपत्य विद्या) :** ३०० गुण—७ : वर्षे—  
(१) दोषीय भासा १ (पाठ्य पुस्तक) (२) दोषीय भासा २ (साधारण)  
(३) हिन्दू, (४) गमानागम, (५) साधारण विद्या एव (६) साधारण  
गति या एक गार्हपत्य भासा ।

**चौथा मूला (गार्हपत्य अनुष्ठान) १०० गुण—३ मूला की को**  
परीक्षा नहीं है । गुण पूरे वर्ष के कार्य पर दिये जाते हैं । इसमें शामिल हैं  
गार्हपत्य अनुष्ठान तथा कालिदास एव अन्तान विद्या के गार्हपत्य जीवन में  
भाग-महल ।

अन्त एव प्रार परीक्षाओं का पाठ्यक्रम एकमा है । केवल मूला तीन का  
पाठ्यक्रम प्रार विद्यार्थियों के लिए उन्नतर होता है ।

**माध्यमिक ट्रेनिंग स्कूल—**निम्नलिखित मूला के शिक्षणगम अविस्त  
मैट्रिक वा इण्टरमीडिएट पास होने हैं । ये माध्यमिक ट्रेनिंग स्कूलों में प्रशिक्षित होते  
हैं । इनका कोर्स एक या दो वर्ष का होता है, एव सफलभूत शिक्षार्थियों को विश्व  
विद्यालय या शिक्षा-विभाग में टिप्पणमा मिलना है । उदाहरण-स्वरूप, बड़ौदा, बम्बई,  
गुजरात, पूना, कर्नाटक, नागपुर, सागर तथा जयपुर विश्वविद्यालयों में उप-स्नातक  
शिक्षकों के लिए टी० डी० (प्रथम पॉन विश्वविद्यालय) या डिप० टी० (अन्तिम तीन  
विश्वविद्यालय) कोर्स की व्यवस्था है । टी० डी० कोर्स की अवधि एक वर्ष की होती  
है । इसमें तीन वर्ष के अनुभव प्राप्ति शिक्षक एवं विश्वविद्यालय के प्रथम वर्षीय परीक्षा  
में उत्तीर्ण छात्रगम भरती हो सकते हैं । डिप० टी० कोर्स में उप-स्नातक लिये जाते हैं ।  
इसकी अवधि दो वर्षों की है । कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक वर्षीय एल० टी० कोर्स  
चाहू है, जिसमें इण्टरमीडिएट पास शिक्षार्थी भरती होते हैं । इन विश्वविद्यालयों के  
अतिरिक्त, प्रायः सभी राज्यीय शिक्षा-विभाग उप-स्नातक शिक्षकों के लिए स्वतः  
पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तथा परीक्षाएँ चलाते हैं ।

राज्य-शिक्षा-विभागीय या विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रमों में समानता नहीं है, पर  
दोषीय प्रायः एक-सा है । इसके मुख्य दो भाग हैं : (अ) सैद्धान्तिक कार्य (चार पत्रों)—  
(१) शिक्षा-मनोविज्ञान, (२) शिक्षण-सिद्धान्त, (३) अध्यापन-विधि और (४) स्कूल-  
प्रबन्ध तथा आरोग्य-शास्त्र; एवं (आ) अध्यापन-अभ्यास ।

**ट्रेनिंग कालिज.**—सातक शिक्षकगण ट्रेनिंग कालिजों में प्रशिक्षित होते हैं। ये संस्थाएँ दो प्रकार की हैं : बुनियादी एवं गैरबुनियादी। सन् १९५६-५७ में बुनियादी कालिजों की संख्या ३३ थी तथा गैरबुनियादी कालिजों की १००। इनकी छात्र-संख्या क्रमशः २,४६९ तथा १२,६४७ थी। अधिकतर संस्थाएँ राजकीय हैं। कनिष्ठ संस्थाएँ आर्ट्स एवं साइन्स कालिज चलाते हैं, और कुछ विश्वविद्यालयों के शिक्षा-विभाग हैं, जैसे : अलीगढ़, अलाहाबाद, अनामलाय, बड़ौदा, बनारस, गौहाटी, कलकत्ता, ओस्मानिया, लखनऊ, गोरखपुर, नागपुर, लखनऊ एवं पटना।

**गैरबुनियादी संस्थाएँ.**—इन संस्थाओं के पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष की होती है, तथा इनके सफलभूत विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयीय या राष्ट्रीय शिक्षा-विभाग के नियमों के अनुसार बी० टी०, बी० एड०, एल० टी० या डिप० एड० डिग्री मिलती है।

पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित होता है : (अ) शैक्षणिक (पाँच पवें) : (१) शिक्षा-मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी, (२) शिक्षा-सिद्धान्त, (३) स्कूल-प्रशासन एवं आरोग्यशास्त्र, (४) अध्यापन विधि, (५) शिक्षा-इतिहास तथा वर्तमान शिक्षा-समस्याएँ; और (आ) अध्यापन-अभ्यास।

**बुनियादी संस्थाएँ.**—बुनियादी शिक्षा के प्रादुर्भाव के साथ-साथ बुनियादी प्रशिक्षण कालिज स्थापित हुए हैं। इनका उद्देश्य है प्राथमिक स्तरों के लिए निरीक्षक एवं बुनियादी ट्रेनिंग स्तरों के लिए अध्यापक तैयार करना। इन संस्थाओं का पाठ्य-क्रम एक-सा नहीं है। प्रत्येक राज्य अपना-अपना पाठ्यक्रम चलाते हैं। इस विषयता को दूर करने के लिए बुनियादी ट्रेनिंग कालिजों के प्रिंसिपलों की एक समिति ने अधोलिखित पाठ्यक्रम की सिफारिश की है :

१. प्रथम पत्र : (१) शिक्षण तत्त्वज्ञान एवं समाजशास्त्र ( विशेषकर बुनियादी शिक्षा सम्बन्धित), (२) शिक्षा-मनोविज्ञान, (३) शिक्षण प्रशासन एवं निरीक्षण, या प्रयोगिक शिक्षा एवं शिक्षण-अनुसन्धान विधि, (४) बुनियादी शिक्षा विधि तथा (५) अल्प-शिक्षा—सिद्धान्त एवं अभ्यास।

२. द्वितीय पत्र : (अ) मुख्य बुनियादी वाक्य ( कोई भी एक )— (१) इति (सबु पाठ्य-सहित), (२) बुनाई एवं बगार, (३) टफ्तगीसिरी, लकड़ी का काम एवं सर्वोन्मुख धातु कार्य, और (आ) सहायक वाक्य (कोई

मी एक) — (१) गृह-निर्माण, (२) कनाई (यदि यह मुख्य फ़ाइट न हो), (३) गञ्जी की बागवानी (यदि कृषि मुख्य फ़ाइट न हो), (४) चमड़े का काम, (५) मधु-मक्खी पालन, (६) कुम्हार काम ।

३. अध्यापन-अभ्यास — (१) अभ्यास-योजना रचना, (२) किस्म स्कूल कक्षा के उपयुक्त निर्वाचित विषयों का योजना परीक्षण निर्माण, (३) वैयक्तिक एवं सामूहिक परीक्षणों का परिचालन, (४) अपने अभ्यास पाठों के विषयों पर शिक्षा-साधन तैयार करना, (५) बुनियादी स्कूलों से सम्बन्धित समुदाय सामग्री-निर्माण । †

यह याद रहे कि इन्गे-गिने दो-चार विश्वविद्यालयों को छोड़कर, बुनियादी उत्तर-स्नातक-डिप्लोमा का परिचालन गजतीय शिक्षा-विभाग ही करते हैं । इस कारण, ऐसे डिप्लोमा धारी व्यक्तियों को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । बहुधा ये विश्वविद्यालयीय उत्तर-स्नातक कोर्सों में भर्ती नहीं हो सकते हैं । इस कारण, बुनियादी अनुमान-निर्धारण-समिति ने प्रस्ताव किया है कि विश्वविद्यालय भी बुनियादी विश्वविद्यालय चलावें तथा उत्तर-स्नातक बुनियादी डिप्लोमा को मान्यता दें । 'केसशिप' भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है ।

**विशेषज्ञ प्रशिक्षण-केन्द्र.** — विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के लिए आयोजन किया गया है । ये क्षेत्र हैं : शारीरिक शिक्षा, ललित कला, गृह-विज्ञान, पेट एव विविध विषय ।

**शारीरिक शिक्षा** — शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण कालिजों में स्नातकों को तथा डिप्लोमा में उप-स्नातकों को मिलता है । सम्पूर्ण देश में केवल बीस केन्द्र हैं, जो यह शिक्षा देते हैं । इनका कोर्स एक-वर्षीय होता है, तथा डिप्लोमा का सर्टीफिकेट संस्था या राज्यीय शिक्षा-विभाग से मिलता है । अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा डिग्री या डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था नहीं है ।

३० जून १९५७ को केन्द्रीय सरकार ने ग्वालियर में लक्ष्मीबाई शारीरिक महा-विद्यालय की स्थापना की है । भारत में यह सर्व प्रथम संस्था है, जिसने शारीरिक शिक्षा-सम्बन्धी तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स आरम्भ किया है । आशा की जाती है कि भविष्य में यह कालिज अनुसन्धान तथा उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रम की व्यवस्था करेगा ।

† Ministry of Education. *The Five Year Plan - Schemes of Educational Developments.* pp 4-5

ललित कला.—कतिपय केन्द्रों को छोड़कर, हम महत्त्वपूर्ण विषय के शिक्षकों के प्रशिक्षण का विशेष प्रबन्ध हमारे देश में नहीं है। कुछ मुख्य संस्थाएँ ये हैं : (१) विश्व-भांग्ती (संगीत, नृत्य तथा चित्रकला), (२) मग जे० जे० स्कूल ऑफ़ आर्ट्स, बम्बई (चित्रकारी), (३) ललित कला फेकल्टी, बडौश विश्वविद्यालय (चित्रकला और संगीत), (४) कला-क्षेत्र, अहमदाबाद, मद्रास (नृत्य), (५) संगीत शिक्षण महा-विद्यालय, मद्रास (संगीत), (६) राजकीय आर्ट्स स्कूल, लखनऊ (कला), (७) आर्ट प्रशिक्षण-संस्था, जामिया मिलिया, दिल्ली (आर्ट एव क्राफ्ट)।

गृह-विज्ञान.—माध्यमिक स्कूलों के लिए अनेक गृह विज्ञान शिक्षिकाओं की आवश्यकता है। इन शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण का प्रबन्ध निम्न-लिखित संस्थाओं में है : लेडी इरविन कालिज, दिल्ली; एम० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय बम्बई; गृह-विज्ञान फेकल्टी, बडौश; राजकीय गृह-विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, अलाहाबाद; इत्यादि।

क्राफ्ट.—आज मिडिल स्कूल-पाठ्यक्रम में क्राफ्ट एक अनिवार्य विषय है। इस कारण, क्राफ्ट शिक्षकों की विशेष आवश्यकता है। प्रायः सभी राज्यों ने अपने प्राविधिक हाईस्कूलों तथा क्राफ्ट स्कूलों में इन शिक्षकों के प्रशिक्षण का उद्योग किया है।

विविध विषय.—अनेक राष्ट्रीय शिक्षा विभाग तथा प्रशिक्षण महाविद्यालय कतिपय विशेष विषयों का बोर्स चलाते हैं। मुख्य विषय हैं : अग्नेयी, राष्ट्रभारा अर्थात् हिन्दी, भूगोल, निर्देश तथा पत्राचार। उद्योग ये बोर्स एक-वर्षीय होते हैं।

शिक्षिका प्रशिक्षण संस्थाएँ.—शिक्षिकाएँ स्त्री अध्यापन संस्थाओं तथा पुस्तक महाविद्यालयों में प्रशिक्षित होती हैं। सन् १९५६-५७ में सम्पूर्ण देश में ३१ स्त्री अध्यापन कालिज (एक बुनियादी तथा तीन गैर-बुनियादी) तथा २५८ स्कूल (१५६ बुनियादी एव १०२ गैरबुनियादी) थे। इस वर्ष कालिजों की छात्रा-संख्या थी ४,५६१ (बुनियादी ४०७ एव गैरबुनियादी ४,१५४), और स्कूलों की छात्रा-संख्या २५,९१४ (बुनियादी ११,१६४ एव गैरबुनियादी १४,७५०) थी।<sup>१</sup>

अनुसन्धान एवं उत्तर-सहायक कार्य

उत्तर-सहायक शिक्षक-प्रशिक्षण कार्य इस देश में हाल ही में आरम्भ हुआ है। यह प्रारम्भिक दो प्रकरण का होता है : (१) एम० ए० (शिक्षा) एव एम० ई०

<sup>१</sup> Education in States 1956-57, 1: 3-5



मध्य-अध्यापन-प्रशिक्षण

**भूमिका.**—प्रशिक्षण के दो रूप हैं : (१) 'पूर्व-अध्यापन-प्रशिक्षण' अर्थात् किसी प्रशिक्षण-केन्द्र में नियमित रूप से पूर्णकालिक ट्रेनिंग। हम इन कोसों की चर्चा इस अध्याय के द्वितीय शीर्षक के अन्तर्गत कर चुके हैं। अनेक पाश्चात्य देशों में इस ट्रेनिंग का नामकरण 'पूर्व अध्यापन-प्रशिक्षण' किया गया है। कारण, वहाँ पर पूर्व-कालिक प्रशिक्षण पाये बिना कोई भी व्यक्ति अध्यापन-कार्य आरम्भ नहीं कर सकता है। (२) 'मध्य अध्यापन-प्रशिक्षण'—पूर्व अध्यापन-प्रशिक्षण के पश्चात् एक व्यक्ति शिक्षक बनता है। पर कुछ समय के बाद, उसके पूर्वजित ज्ञान में मोरचा लग जाता है। अध्यापन कार्य करते हुए, नवीन ज्ञान से सम्पर्क न रखने के कारण ही बहुधा ऐसा होता है। इस असम्पर्क के फल-स्वरूप अध्यापन कार्य ठीक-ठीक नहीं चल सकता है। मासिक आयोग ने कहा ही है :

चाहे कितना ही अच्छा शिक्षक प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम हो, पर इसमें उत्कृष्ट परिणाम नहीं निकलता है। इसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञान मिलता है, जो एक नौसिविए को ज्ञाती रहता है। इससे उसका आत्म-विश्वास बढ़ता है। कार्य-क्षमता तभी बढ़ती है जब कि कुछ अनुभव के पश्चात् शिक्षक स्वतः या समुदाय में उन्नति की चेष्टा करे। अतएव शिक्षक-प्रशिक्षण-केन्द्रों को मध्य अध्यापन प्रशिक्षण का समुचित आयोजन करना चाहिए।†

**पूर्व चेष्टाएँ.**—यह न सोचना चाहिए कि हमारे देश में इस प्रशिक्षण की कुछ भी व्यवस्था न थी। समय-समय पर राष्ट्रीय शिक्षा विभाग तथा वरिष्ठ शिक्षण-प्रशिक्षण समितियाँ कई प्रकार की योजनाएँ चलाती थीं, जैसे : (१) पुनर्जीवन बोर्ड, (२) बर्म शाखाएँ, (३) विशिष्ट विषयों के अल्प-कालिक बोर्ड तथा (४) प्रशिक्षित शिक्षकों की गोष्ठियों एवं सम्मेलन। किन्तु इन कार्य-बन्धनों की व्यवस्था समुचित न थी।

**ट्रेनिंग कालिज प्रसारण केन्द्र.**—माध्यमिक शिक्षा आयोग के निरीक्षण की और केन्द्रीय तथा प्रदेश पाठ्यपुस्तकालयों का प्दान आश्रित हुआ; और उनकी चेष्टाओं के कारण, हमारे कुछ ट्रेनिंग कालिजों में, प्रयाग-केन्द्र स्थापित हुए — १९५५ में २४ केन्द्र, १९५६ में १७ और भी अतिरिक्त केन्द्र, एवं १९५७ में १२ अतिरिक्त केन्द्र। इस प्रकार की मध्य-अध्यापन प्रशिक्षण की योजना विश्व के विभिन्न देशों में

† Secondary Education Commission's Report, p. 170.



प्रशिक्षण महाविद्यालय

अल्पकालिक कोर्स

दीर्घकालिक कोर्स

कर्मशाखाएँ

गोष्ठियाँ

शैक्षणिक सप्ताह

प्रदर्शनी

परामर्श तथा निर्देश

पुस्तकालय सुभीते

श्रव्य-दृश्य उपकरण

प्रकाशन



माध्यमिक स्कूलें

चित्र १५ - प्रसारण कार्य

सम्भवतः अभी तक चलायी नहीं गयी है। बोर्ड फाउण्डेशन हम योजना को आर्थिक साहाय्य—अनुदान—देता है, एवं अमेरिकी टेक्नीकल कोऑपरेशन मिशन शिक्षण-साधन भेंट करती है।

प्रमाण-केन्द्रों के कार्य-कलापों की यह रूप-रेखा है : (१) अल्प-कालिक, दीर्घ कालिक तथा सप्ताहान्त कोर्स, (२) कर्म-शालाएँ, गोष्ठियाँ एवं समूह-चर्चा, (३) शैक्षणिक सहाय्य तथा प्रदर्शनी, (४) परामर्श तथा निर्देश गोष्ठियाँ, (५) पुस्तकालयीय सुविधाएँ, (६) श्रव्य-दृश्य माध्यमों की सहायता एवं (७) प्रकाशन।

**विशिष्ट गोष्ठियाँ.**—प्रमाण केन्द्रों की स्थापना के अतिरिक्त, केन्द्रीय शिक्षण-मन्त्रालय समय-समय पर प्रधान अध्यापकों तथा शिक्षण-प्रशासकों की गोष्ठियाँ आयोजित करता है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है, शिक्षकों तथा प्रशासकों को एकत्र करना, तथा शिक्षा के उन पेंचीदे—उत्थान-पूर्ण—प्रश्नों की चर्चा करना, जिमसे अध्ययन एवं अध्यापन की उन्नति हो सके। अभी तक ऐसी पन्द्रह गोष्ठियाँ आयोजित हुई हैं। विशेष विषयों की चर्चा के लिए भी सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। मार्च, १९५७ के अन्त तक ऐसी सप्ताह गोष्ठियाँ सम्पन्न हुई हैं। इनमें विज्ञान, गणित शास्त्र, अंग्रेजी-अध्यापन, प्रशासन इत्यादि विराट् विषयों की चर्चा की गयी है। इनके अतिरिक्त परीक्षा-सुधार के लिए सात कर्म-शालाओं की भी व्यवस्था की गयी थी। हम प्रचार मध्य-अध्यापन प्रशिक्षण एक नवीन जीवन भारत में आरम्भ हुआ है।

### शिक्षक-प्रशिक्षण-समस्याएँ

**भूमिका.**—स्वातन्त्र्योत्तर-काल में शिक्षक प्रशिक्षण का स्पष्ट विस्तार हुआ है, तथापि वर्तमान स्थिति अभी पूर्णतः सन्तोषप्रद नहीं है। शिक्षा की प्रगति के साथ-साथ अध्यापन के नये पेंचीदे प्रथम स्थान पर हैं। हम रीपब्लिकेन अन्तर्गत हम प्रमुख प्रश्नों की चर्चा की जायगी। हमें हम बात में टाटस होता है कि आज शिक्षा जगत् इन मामलों से सुगन्धित है।

**मर्दान विचार-धारा.**—आजकल हम देश में शिक्षा की स्पष्ट प्रगति हो रही है, और सभी यह अनुभव कर रहे हैं कि “यह नृपण शिक्षण केवल शैक्षणिक अध्यापन पर ही आधारित न रहे, अतिसु इसका सयोग मानवीय जीवन के दैनिक





प्रशिक्षण महाविद्यालय

अल्पकालिक कोर्स

दीर्घकालिक कोर्स

कर्मशाखाएँ

गोष्ठियाँ

शैक्षणिक सप्ताह

प्रदर्शनी

परामर्श तथा निर्देश

पुस्तकालय सुभीते

श्रव्य-दृश्य उपकरण

प्रकाशन



माध्यमिक स्कूलें

सम्भवतः अभी तक जल्दपी नहीं गयी है। फोर्ड फाउण्डेशन इस योजना को आर्थिक साहाय्य—अनुदान—देता है, एवं अमेरिकी टेक्नीकल कोआपरेशन मिशन शिक्षण साधन भेंट करती है।

प्रसारण-केन्द्रों के कार्य-कलापों की यह रूप-रेखा है : (१) अल्प-कालिक, दीर्घ-कालिक तथा समाप्तान्त कोर्स, (२) कर्म-शालाएँ, गोष्ठियाँ एवं समूह-वर्चों (३) दैहिक तथा प्रदर्शनी, (४) परामर्श तथा निर्देश गोष्ठियाँ, (५) पुस्तकालयीय सुविधाएँ, (६) श्रव्य-दृश्य माध्यमों की महामता एवं (७) प्रकाशन ।<sup>†</sup>

**विशिष्ट गोष्ठियाँ.**—प्रसारण केन्द्रों की स्थापना के अतिरिक्त, केन्द्रीय शिक्षण-मन्त्रालय समय-समय पर प्रधान अध्यापकों तथा शिक्षण-प्रशासकों की गोष्ठियाँ आयोजित करता है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है, शिक्षकों तथा प्रशासकों को एकत्र करना, तथा शिक्षा के उन पेंचीदे—उत्थान-पूर्ण—प्रश्नों की चर्चा करना, जिनमें अध्ययन एवं अध्यापन की उन्नति हो सके। अभी तक ऐसी पन्द्रह गोष्ठियाँ आयोजित हुई हैं। विशेष विषयों की चर्चा के लिए भी सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। मार्च, १९५७ के अन्त तक ऐसी ग्यारह गोष्ठियाँ सम्पन्न हुई हैं। इनमें विशाल समाज शास्त्र, अंग्रेजी-अध्यापन, प्रशासन इत्यादि विषय विषयों की चर्चा की गयी है। इनके अतिरिक्त परीक्षा-सुधार के लिए सात कर्म-शालाओं की भी व्यवस्था की गयी थी। इस प्रकार मध्य-अध्यापन प्रशिक्षण एक नवीन जीवन भारत में आरम्भ हुआ है।

### शिक्षक-प्रशिक्षण-समस्याएँ

**भूमिका.**—स्वातन्त्र्योत्तर-काल में शिक्षक-प्रशिक्षण का यथेष्ट विस्तार हुआ है तथापि वर्तमान स्थिति अभी पूर्णतः सन्तोषप्रद नहीं है। शिक्षा की प्रगति के साथ साथ अध्यापन के नये पेंचीदे प्रथम खड़े हो रहे हैं। हर दीर्घक के अन्तर्गत नये प्रमुख प्रश्नों की चर्चा की जायगी। हमें इस बात में टाटून होना है कि आत्र शिक्षण जगत् इन मामलों से सुपरिचित है।

**नवीन विचार-धारा.**—आजकल हम देश में शिक्षा की यथेष्ट प्रगति देख रही हैं, और सभी यह अनुभव कर रहे हैं कि "यह नूतन शिक्षण केवल शिक्षाकारों के अध्यापन पर ही आधारित न रहे, अपितु इसका मयोग मानवीय जीवन के दैर्घ्य

<sup>†</sup> Second Seminar on Extension in Training Colleges Erina: June-July, 1955.

कार्य-कलाप से हो।" | अतएव आज अध्यापन-कला में विशेष हेर-फेर की आवश्यकता है, जब कि नूतन शिक्षक-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का सम्बन्ध बालकों तथा शिक्षकों के सांसारिक जीवन से रहे।

इस चुनौती का सामना, बुनियादी-प्रशिक्षण-संस्थाएँ थोड़ा-बहुत कर रही हैं। इस शिक्षा में ज्ञान तथा ज्ञान-स्थितियों से अधिकतर गुरुत्व-पूर्ण है जीवन तथा जीवन-स्थिति। हर्ष की बात है कि थोड़े ही समय में हमारे देश की सभी प्राथमिक अध्यापन संस्थाएँ बुनियादी रूप में परिवर्तित हो जावेंगी।

यह भावना हमारे बी० टी० तथा बी० एड० प्रशिक्षण को भी प्रभावित कर रही है। बी० एड० पाठ्यक्रम-सुधार-समिति को उद्बोधन भाषण देते हुए श्री सैयदेन ने सम्पूर्ण देश का ध्यान निर्मूलखित दो मुख्य तत्वों की ओर आकर्षित किया है, जिन पर शिक्षक-प्रशिक्षण-सुधार निर्भर रहना चाहिए :

१. शिक्षार्थियों के ज्ञान तथा प्रशिक्षण का स्कूलों के दैनिक कार्य-कलाप से अटूट सम्बन्ध रहे।

२. ट्रेनिंग कालिज के प्रत्येक अध्यापक का कर्तव्य है कि उसका सैद्धान्तिक कार्य राष्ट्रीय जीवन के नवीन सामाजिक-आर्थिक विचार-धारा से सश्लिष्ट रहे। इसके अभाव में प्रशिक्षण निस्तेज होगा तथा शिक्षार्थी का ज्ञान अधूरा रहेगा। मनुष्य-जीवन की सम्पूर्ण समस्याओं का चित्र उसके सामने न खिंच सकेगा।†

समिति का विचार-विमर्श उपर्युक्त दो तत्वों पर आधारित रहा। समिति-द्वारा स्तुत परिवर्तित बी० एड० पाठ्यक्रम की रूप-रेखा नीचे दी जाती है :

१. सैद्धान्तिक कार्य (चार पन्ने) : (१) शिक्षा-सिद्धान्त तथा तथा स्कूल-प्रबन्ध, (२) शिक्षा-मनोविज्ञान और आरोग्य-शास्त्र, (३) स्कूल-शिक्षण विधि एवं (४) भाग 'अ' - भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ, और भाग 'आ' - किसी भी एक विशिष्ट क्षेत्र का अध्ययन : स्कूल पुस्तकालय का प्रबन्ध, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक निर्देश, स्कूल-प्रशासन, अशक्त बच्चों की

† *University Education Commission's Report*. p. 558.

‡ *Ministry of Education. Secondary Education. October, 1956.*

शिक्षा, साम्य शिक्षा, श्रव्य-दृश्य-प्रशिक्षण, मानसिक भाव, शारीरिक शिक्षा, सह-पाठ्यक्रमीय कार्य-कलाप, गमना-शिक्षा, आदि ।

२. अध्यापन-अभ्यास, जिसमें शामिल रहेंगे,—(१) अध्यापन-पाठ, (२) अवलोकन-पाठ, (३) समालोचना-पाठ, (४) विभिन्न स्तर और प्रकार के सृष्टियों का अवलोकन, (५) सह-पाठ्यक्रमीय कार्य-कलापों में अंश दान तथा उनका प्रबन्ध, (६) स्कूल-विद्यार्थियों के सह-कार्य तथा स्वाभाव्य अभ्यासों का सशोधन, (७) श्रव्य-दृश्य उपकरण प्रस्तुत करना ।

मुधार के तीन ध्येय ये : (१) प्रचलित सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम को घटाना, (२) प्रत्येक शिक्षार्थी को एक विविष्ट क्षेत्र का ज्ञान देना तथा (३) अध्यापन-अभ्यास का दृढमुष्ठी प्रसार । उपर्युक्त रूप-रेखा के आधार पर, सभी विश्वविद्यालयों ने अपने बी० एट० पाठ्यक्रम का सुधार आरम्भ कर दिया है ।

युनियारी तथा गैरयुनियारी पाठ्यक्रम में एकिकरण की आवश्यकता.—तीसरे अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि आज भारतीय शिक्षा में दो विचार-धाराएँ प्रचारित हो रही हैं—युनियारी तथा गैरयुनियारी । हमके अनुरूप शिक्षक-प्रशिक्षण में दो विभिन्न अटान्तिमार्गें खड़ी हैं । इस विचार पर कई प्रश्न उठते हैं : (१) क्या इस देश में प्रतिद्वन्द्वी स्वरूप दो प्रकार के शिक्षक-प्रशिक्षण महारिद्यालयों की आवश्यकता है ? (२) क्या इन दो विभिन्न विचार-धाराओं की आवश्यकता है ? (३) क्या इन दो विपरीत दिशाओं में बढ़ने देना सही है ? (४) क्या यह भ्रम नहीं है कि ये दो निर्दोषियों निककर एक ही रूप में परिणत हो जायें, जिससे दोनों लयक बनें ?

अब दोनों पद्धतियों पर विचार किया जाये । गैर-युनियारी प्रणाली में सैद्धान्तिक ज्ञान तथा शिक्षण विधियों का व्यापक ज्ञान पूर्ण रूप में दिया जाता है । लेकिन सैद्धान्तिक ज्ञान अभ्यास में दूर रहता है । हमने खररी सामान्य का ध्यान अधिक रखा है, तथा जीवन की सामयिक स्थिति में हमका सम्बन्ध नहीं रहता है । हमके विपरीत युनियारी पद्धति कार्य-कलाप विधि पर निर्भर रहती है, अभ्यास तथा सामयिक जीवन पर विशेष जोर देती है, जब साम्य जीवन में अज्ञान सामर्थ्य बहुत कम है । पर इनका सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम दृढमुष्ठी नहीं होता है । यह युनियारी शिक्षण सिद्धान्तों पर आधारित होती है ।

दुसरे अध्याय में गैर-युनियारी शिक्षण-समस्या में दोनों प्रकार की पद्धतियों की तुलना कुछ तुलना-योग्य हुई । अन्त में यह विचार हुआ कि देश की जरूरतों के लिए

एकही प्रकार के उत्तर-स्नातक शिक्षक-प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिमें दोनों शालियों के विशेष गुणों का समावेश हो। सम्मेलन ने फैसला किया कि यह एकीकरण दो उपायों से हो सकता है :

१. बी० एड० के सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के बोझ को कुछ कम करना, तथा उसमें नियमित रूप से सुधार करना; एवं

२. अध्यापन-अभ्यास का प्रसार करना, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को क्राफ्ट, सामाजिक जीवन एवं समवाय-शिक्षा का ज्ञान मिले।†

परिवर्तित बी० ए० पाठ्यक्रम में इस ओर अवश्य लक्ष्य रखा गया है, पर पूर्ण रूप से नहीं। दो-एक ट्रेनिंग कालिज इस ओर चेष्टा कर रहे हैं। उदाहरण-स्वरूप, विश्व-भारती के विनय-भवन (ट्रेनिंग-कालिज) में एक पाठ्यक्रम प्रचलित है, जिसकी अवधि पाठ्यक्रम बी० एड० की अवधि से कुछ अधिक है। इस पाठ्यक्रम में बुनियादी और उच्च-बुनियादी सिद्धान्तों का समावेश है। इसी प्रकार का एक प्रयोग विद्या-भवन, उदयपुर में कर रहा है।

**बी० एड० अध्यापन-अभ्यास में विस्तीर्णता.**—अभी तक बी० टी० एड० अध्यास के अन्तर्गत, प्रत्येक शिक्षार्थी को कुछ स्थिर पाठ पढ़ाना पड़ता है। आजकल इस पद्धति की काफी नुकता-चीनी हो रही है, क्योंकि इसका दृष्टि-कोण अति सकीर्ण है। आधुनिक शिक्षक का कर्तव्य केवल स्कूल पाठों तक ही मर्यादित नहीं होता है, बल्कि उसे स्कूल के खेल-कूद में भाग लेना पड़ता है, श्रव्य-दृश्य शिक्षा-साधनों का विशद रूप में उपयोग करना पड़ता है, आधुनिक वस्तुगत परीक्षाओं को मंजूर करना पड़ता है, विद्यार्थियों की उन्नति-विषयक रिकार्ड रखने पड़ते हैं तथा समाज के साथ मिल-जुल कर रहना पड़ता है। इसके साथ-साथ यह भी कहा जाता है कि शिक्षार्थियों को देशी-देशी स्कूलों का कुछ भी अनुभव नहीं मिलता, जहाँ कि अधिकांश शिक्षार्थियों को अपने ट्रेनिंग के समाप्त होने पर काम करना है। इसी कारण, बुनियादी अध्यापन-अभ्यास (उत्तर-स्नातक डिप्लोमा) का क्षेत्र यथेष्ट विस्तृत रखा गया है, तथा समाज एवं देशी-देशी से सम्पर्क स्थापित रखने के लिए 'सघन क्षेत्र' (कॉन्सन्सन्ट एरिया) में कुछ समय तक लगातार अध्यापन-अभ्यास का केंद्र स्थापित किया गया है। बी० एड० पाठ्यक्रम-सुधार-समिति का भी ध्यान प्रचलित अध्यापन-

† *Journal of Education and Psychology* January, 1955 p 231

अभ्यास की संरचना की ओर आवर्तित हुआ था। इसी कारण समिति ने अभ्यापन-अभ्यास को सर्वोच्च ज्ञान की कोशिश की थी। इस ओर खेड़ा भी हो रही है, पर यह काम यथा-रीति नहीं हो सक रहा है। कारण, बी० ए० प्रशिक्षण का कार्य-काल केवल नौ महीने ही है। हम कठिनाई को समझते हुए, समिति ने सैद्धान्तिक कोर्स बहुत कुछ कम कर दिया है।

परन्तु अभ्यापन-अभ्यास ठीक तौर से तभी दिया जा सकता है, जब कि ट्रेनिंग कालिज का प्रत्येक विद्यार्थी कुछ समय तक किसी स्कूल में पढ़-विद्यार्थी के रूप में काम करे, यह स्कूल-कार्य में भाग ले, विद्यार्थियों का गृह-कार्य-संशोधन करे, रंजन-कार्य-परिचालन करे, अव्य-दृश्य-उपकरण तैयार करे, स्थानिक समाज के सम्पर्क में आवे, इत्यादि। यह अभ्यास दो से चार सप्ताह तक किसी अनुभवी शिक्षक के निरीक्षण में दिया जाय। सब से अच्छा तो यह है कि इस कार्य के लिए ग्राम्य स्कूल-सुने जायें, ताकि शिक्षार्थी देशांत के सम्पर्क में आ सके।

**मान-वर्षीय शिक्षा-स्नातक कोर्स.**—बी० ए० कोर्स अल्प-कालिक होने के कारण, थोड़े समय में शिक्षार्थियों के प्रतिष्ठा में बहुत कुछ ह्रासना पड़ता है। इसी कारण माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने इस कोर्स की अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाने का मुझाव दिया था, लेकिन शिक्षकों की कमी को देखते हुए आयोग को पीछे हटना पड़ा। उसने अंगीकार किया कि 'प्रशिक्षण के लिए हम शिक्षार्थियों को दो वर्ष रोक नहीं सकते हैं।'

एक ओर मुझाव दिया जाता है कि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के पश्चात् एक तीन-वर्षीय शिक्षा स्नातक कोर्स शुरू किया जावे। इसके अन्तर्गत सांस्कृतिक ज्ञान के साथ-साथ शिक्षक-प्रशिक्षण का बी० ए० स्तरीय ज्ञान दिया जावे। जिस प्रकार कृषि या वाणिज्य की व्यवस्था बी० ए० या बी० काम० कोर्स में की गयी है, उसी प्रकार 'शिक्षा' का अभ्यापन प्रस्तावित पाठ्यक्रम में किया जा सकता है। इस मुझार से दो मुख्य लाभों की सम्भावना है। प्रथमतः, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक ज्ञान का घना सम्बन्ध रहेगा। द्वितीयतः, शिक्षक-प्रशिक्षण की अवधि दीर्घतर होने के कारण, शिक्षा का ज्ञान एक विस्तृत समय में फैलाया जा सकेगा। हम विषय पर प्रथम अखिल भारतीय-ट्रेनिंग-कालिज-सम्मेलन में विषय रूप से चर्चा हुई थी। अतिरिक्त विश्वविद्यालय प्रस्तावित पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में सोच-विचार कर रहे हैं। यह योजना कुछ नवीन

नहीं है। यह अमेरिका में प्रचलित है तथा कुछ अंग्रेजी विश्वविद्यालयों ने भी इसे आरम्भ किया है।

**बहूद्देश्याय स्कूलों के ट्रेण्ड शिक्षक.**—हमारे नये बहूद्देश्याय स्कूलों के लिए, कई विशिष्ट क्षेत्रों के प्रशिक्षित शिक्षकों की विशेष आवश्यकता है—प्राविधिक, कृषि, ललित कला, वाणिज्य एवं गृह-विज्ञान। प्रथमतः, इन क्षेत्रों के शिक्षक पर्याप्त रूप में नहीं मिलते। द्वितीयतः, इनके प्रशिक्षण का कुछ भी बन्दोबस्त आज तक इस देश में नहीं है।

ट्रेनिंग की सबसे अधिक कठिनाई यह है कि हमारे प्रशिक्षण-महाविद्यालयों में इन विशिष्ट क्षेत्रों के प्रशिक्षित अध्यापक नहीं हैं। इस समस्या को हल करने के केवल दो उपाय हैं : (१) इन विशिष्ट क्षेत्रों के कुछ कालिजों में शिक्षा-विभाग स्थापित हो, या (२) कुछ प्रशिक्षण-महाविद्यालयों में एक/अधिक विशिष्ट विषय का/के विभाग खोले जायें। दोनों प्रस्तावों का उद्देश्य यह है कि शिक्षा तथा विशिष्ट क्षेत्र के अध्यापनगत कर्तव्यों से कल्याण मिलानकर काम करेंगे—शिक्षा-शास्त्री अध्यापन-विधि की ओर ध्यान देना एवं वैशिष्ट्यपूर्ण विशिष्ट विषय ज्ञान पर।

गत वर्ष, राष्ट्रीय शिक्षा-मन्त्रियों के एक सम्मेलन में यह तय हुआ कि पार क्षेत्रीय प्रशिक्षण-केन्द्र हम कार्य के लिए स्थापित हों (२ जुलाई, १९५९)। पर ऐसे केन्द्र जल्दी खोले नहीं जा सकते। हमें उपर्युक्त फ़िन्सी भी एक तरफ़े की अग्रगण्य देना—या, कुछ ट्रेनिंग कालिजों में विशिष्ट क्षेत्रों के विभाग खोले जायें; या, कृषिय विज्ञान-आधारित कालिजों में शिक्षा-विभाग स्थापित हो।

**माध्यमिक ट्रेनिंग स्कूल.**—माध्यमिक ट्रेनिंग स्कूलों का कोर्स कहीं एक वर्ष का अर्थात् का है और कहीं दो वर्ष का है। यह कोर्स सभी राज्यों में दो वर्ष का किया गया, ताकि एक स्तर का आये तथा ट्रेनिंग सुचारु रूप में दिया जा सके—प्रथम वर्ष में सामान्य ज्ञान एवं द्वितीय वर्ष में व्यावसायिक शिक्षा। अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त, अनेक शिक्षार्थी कम से कम एक क्षेत्र में विशेषता प्राप्त करें : (१) प्राथमिक शिक्षा, (२) वास्तु शिक्षा ( माध्यमिक शिक्षा-आयोग द्वारा प्रस्तावित एक वास्तु )। (३) शारीरिक शिक्षा एवं (४) कला तथा संगीत।

**उच्च-स्नातक पाठ्यक्रम.**—एन० एच० पाठ्यक्रम के सुचारु की भी विशेष आवश्यकता है। इसका देना जाना है कि ये की० एच० कोर्स के स्थापित संस्थाएँ हैं।

इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा क्षेत्र के उन्नत उच्च स्तर के शिक्षक, प्रशासक तथा ट्रेनिंग कालिजों के अध्यापक तैयार करना। इस परीक्षा के तीन मुख्य भाग हों : (१) अनिवार्य—(अ) शिक्षण तन्त्र ज्ञान, पाठ्यक्रम, शिक्षा मनोविज्ञान, विभिन्न देशों के आधुनिक शिक्षण-विधि तथा शिक्षा प्रशासन नियमों का तुलनात्मक ज्ञान, (आ) शैक्षणिक साहित्य एवं अनुसन्धान विधि; (२) वैकल्पिक— किसी विशेष क्षेत्र का ज्ञान तथा उसीमें सम्बन्धित किसी प्रयोग पर एक निबन्ध; एव (३) मौखिक परीक्षा।

अनिवार्य विभाग का उद्देश्य हो शिक्षार्थी को शिक्षा के समूचे क्षेत्रों का दिग्दर्शन करना, पर वैकल्पिक विभाग का लक्ष्य रहे कि उसे एक चुने हुए विषय का विशेषज्ञ बनाना तथा अनुसन्धान करने के पश्चात् अपने विचारों को विधिवत् निबन्ध रूप में प्रस्तुत करना। मौखिक परीक्षा का अभिप्राय है, शिक्षार्थी की समझ की जाँच करना, जो कि लिखित परीक्षा-द्वारा कभी नहीं हो सकती है। वैकल्पिक विभाग में कतिपय नये विषयों का समावेश हो, जैसे : पाठ्यक्रम, बुनियादी शिक्षा, प्रशासन-कार्य, शिक्षक-प्रशिक्षण, निर्देश एवं पत्रमार्ग, किसी विशेष पाठ्य-विषय की शिक्षण विधि, विश्वविद्यालय में सामान्य ज्ञान, इत्यादि।

**कालिज अध्यापकों की तैयारी.**—यह देखा गया है कि शिक्षण-विधि के ज्ञान के अभाव के कारण अनेक कालिज अध्यापकों का अध्यापन सफ़लीभूत नहीं हो पाता है। इस कारण, उनसे पढ़ाई नीरम हो जाती है। इस विषय की चर्चा, एक आईस-ब्रान्चेटर के सम्मेलन में की गई थी। सम्मेलन ने अनुभव किया कि कालिज के नये अध्यापकों को शिक्षा-विधि के मूल तत्वों का दिग्दर्शन कराया जावे।† ये विषय हैं : (१) अपने विषय का यथोचित ज्ञान तथा इसे सुव्यवस्थित रूप में समझाना, (२) स्पष्ट भाषण, (३) मुचाकरूप से समझाने की शक्ति, (४) विद्यार्थियों में नवीन विचारों का प्रोत्साहन एव (५) उनमें ज्ञान-पिपासा की वृद्धि।

इस विषय पर मध्यक-राज्य अमेरिका में बहुत कुछ चर्चा हुई। अन्त में बहुमत से स्वीकार किया गया कि कालिज तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों को भी शिक्षा-पद्धति जानना आवश्यक है। इसके ज्ञान से पढ़ाना सरल हो जाता है, तथा शिक्षा-विधि रोचक बन जाती है। आज अमेरिका के कालिजों तथा विश्वविद्यालयों की पढ़ाई में निम्न-लिखित पद्धतियों का अनुसरण किया जाता है : (१) धकनूना-प्रणाली, (२) चर्चा विधि, (३) प्रायोगिक पद्धति, (४) श्रव्य और दृश्य साधनों का उपयोग, एव



(५) गोठियों तथा कर्मशालाओं का आयोजन । हमारे देश में भी, इस ओर मुद्धार की जरूरत है ।

**अनुसन्धान-कार्य.**—माध्यमिक-शिक्षा-आयोग ने लिखा है, “ट्रेनिंग कालिब्र केवल शिक्षक-प्रशिक्षण-संस्था ही नहीं है, वरन् यह विभिन्न सर्वशिक्षी तत्वों का अनुसन्धान-कार्यालय भी है ।”<sup>१</sup> गवेषणा-कार्य प्रशिक्षण-महाविद्यालयों के आचार्यों के तत्वावधान में हो । हाँ, ये माध्यमिक शिक्षकों से अवश्य सहायता ले सकते हैं । उनके निरीक्षण में कतिपय शोध-शिष्य भी काम कर सकते हैं । आज हमारे देश में निम्न लिखित शिक्षा-क्षेत्रों पर गवेषणा की अत्यधिक जरूरत है :

१. पाठ्य-क्रम निर्माण के लिए प्रायोगिक कार्य,
२. शिक्षा-प्रबन्ध तथा प्रशासन,
३. शिक्षकों का कार्य-बोझ,
४. शिक्षण-पद्धति की उन्नति,
५. भारतीय शिक्षु का मनोविज्ञान,
६. निर्देश एवं परामर्श,
७. परीक्षा,
८. बुद्धि-परीक्षण, एवं
९. शिक्षण समाज-शास्त्र ।

**समन्वयता का अभाव.**—अन्त में हम शिक्षक-प्रशिक्षण प्रणाली में समन्वय का अभाव देखने हैं । उदाहरण स्वरूप डिप्टी-डिप्टोमेटों का नामकरण ही लीजिए — एम० इंजी०, एम० ए० (शिक्षा), एम० टी०, पी० टी०, पी० एड०, एल० टी०, सी० टी०, टी० टी० सी०, टिप० टी०, टी० टी० इत्यादि । फिर ट्रेनिंग की आरंभ लीजिए । कहीं एम० इंजी० का कोर्स दो वर्ष है, और कहीं एक वर्ष । यही बात स्नातक पाठ्य क्रम का भी है । इसी प्रकार 'कालिब्र' शब्द का उपयोग विभिन्न रूप की संस्थाओं के लिए आया है । यही तक कि डिप्टी डिप्टी राज्य में प्रथमिक शिक्षण केन्द्रों के लिए भी यह शब्द प्रयुक्ति है । इतना ही नहीं, कहीं ये संस्थाएँ 'नॉर्मल स्कूल' कही जाती हैं, और कहीं 'ट्रेनिंग कालिब्र' । इस अस्पष्टिपण रूप को दूर करने की विधि आवश्यक है ।

हमारे शोध-कार्य में भी एक सुश्रेणी की आवश्यकता है। कभी-कभी एक ही प्रसंग पर कतिपय विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान चलना रहता है, तथा प्रयोगात्मक कार्य होता रहता है। हमारे देश के लिए यह हितकर नहीं है। कारण, हमारा शोध-कार्य पिछड़ा हुआ है। इसी कारण राधाकृष्णन्-आयोग ने मिस्रिश की थी कि अनुसन्धान-कार्य की व्यवस्था अखिल भारतीय आधार पर हो।

इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रशासन में हम गड़बड़ी देखते हैं। किसी-किसी राज्य में तो उच्च-स्नातक, स्नातक तथा उप-स्नातक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रशासन दो विभिन्न निकाय करते हैं; अर्थात्, विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय शिक्षा-विभाग। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए, माध्यमिक-शिक्षा-आयोग ने यह प्रस्ताव किया था :

स्नातक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को स्वीकृति तथा मान्यता विश्वविद्यालय देवे और वे ही डिग्रियाँ प्रदान करें। उपस्नातक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण की मुख्यवस्था तथा समुन्नति के लिए एक विशिष्ट मण्डल प्रत्येक राज्य में स्थापित किया जाय। †

### शिक्षकों की कतिपय समस्याएँ

**शिक्षकों का स्थान.**—किसी भी राष्ट्र की शिक्षा-प्रगती में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है शिक्षक का। शिक्षा की उन्नति के लिए, अवश्य उचित पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तक, शिक्षा-साधन, शाला-रूढ़ की जरूरत है। पर उनमें ज्यादा जरूरत है पर्याप्त रूप में उपयुक्त शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की। वे ही शिक्षा-पद्धति को चलाते हैं, वे ही पुस्तक, नक़्शों, भण्ड-द्वय उपकरणों का उपयोग करते हैं और उन्हें छात्रों को समझाते हैं, वे ही शाला-रूढ़ में एक नवीन जीवन शाल देते हैं। देश के भारी नागरिकों का निर्माण वे ही करते हैं। इस प्रकार किसी भी राष्ट्र का भविष्य शिक्षकों के हाथ में है।

अतः, अच्छे शिक्षकों के अभाव में किसी भी देश की शिक्षा-पद्धति निर्गम और निम्नेत्र हो जाती है। यही समझ कर, प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षकों का एक विशिष्ट स्थान था। राजा और रंक, नर और नारी, विद्वान् और निर्धर-महानार — सभी गुरु को मान देने थे। समय ने आर पन्था म्नाया है। आज, शिक्षक भारतीय समाज का दलित प्राणी है।

**शिक्षकों की संख्या.**—आज, भारत में ११ लाख से अधिक शिक्षक तथा शिक्षिकाएँ विद्यमान हैं। इनके विभिन्न स्तरों की संख्या का पता तालिका ३० में मिलेगा :

† University Education Commission's Report, p. 216

**तालिका २६**  
भारत में शिक्षकों की संख्या, १९५६-५७ †

श्रेणी	पुरुष	स्त्री	कुल
विश्वविद्यालय तथा कॉलेज	१७,५५४	४,६१६	२२,१७०
माध्यमिक स्तर :			
प्रशिक्षित ... ..	१,७५,७९७	५०,१२५	२,२५,९२२
अप्रशिक्षित... ..	१,२६,१४१	२०,११७	१,४६,२५८
प्राथमिक स्तर :			
प्रशिक्षित ... ..	३,७१,०२८	९१,११९	४,६२,१४७
अप्रशिक्षित ... ..	७,१७,८५०	२०,१४२	७,३७,९९२
पूर्व प्राथमिक स्तर :			
प्रशिक्षित ... ..	२२४	१,०३५	१,२५९
अप्रशिक्षित... ..	१०२	७५०	८५२
व्यावसायिक तथा तकनीकी स्तर :	१४,४४२	३,०४९	१७,४९१
विशेष शिक्षानालये स्तर :	२४,२०३	३,२०७	२७,४१०
योग... ..	९,६७,४६१	२,०३,१६०	११,७०,६२१

पन्द्रह प्रति शत शिक्षक महिलाएँ हैं, तथा पूर्व-प्राथमिक स्तरों में अधिकतर शिक्षक महिलाएँ हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या है— माध्यमिक स्तर में ५९-१ प्रति शत (पुरुष ५८-६ तथा स्त्री ७१-१) तथा प्राथमिक स्तर में ५६-६ (पुरुष ५६-६ तथा स्त्री ७१-१) इस प्रकार शिक्षकों की व्यवस्था शिक्षिकाएँ अधिक प्रशिक्षित हैं।

शिक्षकों का घेत्तन-क्रम.— शिक्षकों का घेत्तनक्रम सन्तोषप्रद नहीं है, तथा विभिन्न राज्यों की पृथक् नीति है। हम वर्तमान स्थिति की ओर ध्यान रखते हुए देखते

हैं तो किसी-किसी राज्य के शिक्षकों को न्यूनतम वेतन-भोगी पाते हैं, जो अत्यन्त हास्यास्पद जान पड़ता है — प्राथमिक शिक्षक ३०], मैट्रिक-पास शिक्षक ४५], स्नातक शिक्षक ७०] एवं हाई स्कूल के हेडमास्टर २००]। अनेक राज्यों में २५ वर्ष नौकरी के पश्चात् एक व्यक्ति १००] मासिक वेतन पर प्राथमिक स्कूल का तथा २००] माहवार पर हाई स्कूल का हेडमास्टर नियुक्त होता है। इस प्रकार उनके जीवन की उच्चतम आकांक्षा पूर्ण होती है। अवश्य, सभी राज्यों की स्थिति इतनी बुरी नहीं है।

कालिज तथा विश्वविद्यालयीय अध्यापकों की स्थिति भी गिरी हुई है। इन अध्यापकों को हम पाँच स्तरों में बाँट सकते हैं — डीन या प्रिंसिपल, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर, ट्यूटर या डिमोन्स्ट्रेटर। विश्वविद्यालयों में तो यह वर्गीकरण निश्चित रूप से रहता है, पर सम्बद्ध कालिजों में इसका कोई ठीक हिसाब नहीं रहता है। बहुधा 'प्रोफेसर' नामक अतिरिक्त रूप से व्यवहृत होता है। इसके अतिरिक्त, अध्यापकों के वेतन-क्रम भी विभिन्न हैं — किसी विश्वविद्यालय में कुछ, और किसी में कुछ; किसी राज्य में कुछ, तो किसी में कुछ, सरकारी कालिज में कुछ, तो गैर-सरकारी कालिज में कुछ; साधारण कालिजों में कुछ, तो व्यावसायिक कालिजों में कुछ। इस समस्या की आलोचना करते हुए 'राधाकृष्णन आयोग' ने कहा ही है, "इस प्रकार समान कार्य करते हुए भी, वेतन असमान है।"† चित्र १६ से कालिज तथा विश्वविद्यालयीय अध्यापकों के विभिन्न वेतन-स्तर के अनुरूप विभाजन का पता चलेगा।

इस प्रकार २५ प्रति शत अध्यापकों को १५५] से कम मासिक वेतन मिलता है, ५० प्रति शत को २२०] से कम तथा ७५ प्रति शत को ३१५] से कम। केवल १० प्रति शत अध्यापकों को ४७२] से अधिक मासिक वेतन मिलता है एवं पाँच प्रति शत को ६१५] से ज्यादा।‡

इस ओर शासकों की दृष्टि थोड़ी-बहुत आकर्षित हुई है। विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग कालिज तथा विश्वविद्यालय के वेतन-स्तर की उन्नति तथा उसमें शृंगार स्थापना की चेष्टा कर रहा है। शिक्षकों की वेतन-वृद्धि के लिए, भारत सरकार राज्यीय सरकारों को अनुदान भी दे रही है—सन् १९५७-५८ में, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतनक्रम बढ़ाने के लिए ४३,७२,२५० रु० अनुदान देना स्वीकार किया। प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के वेतन-

† *University Education Commission's Report*, p 73.

‡ *Ministry of Education Education in Universities in India, 1954-56, Delhi, Manager of Publication, 1959. p 29.*

# वेतन-वर्गों के अनुसार कालिज-अध्यापकों का वर्गीकरण (१९५५-५६)

मासिक वेतन	(प्रत्येक पूर्ण प्रतीक = १००)	संख्या	
१०० रु. से कम	१००	२,१५४	९.८
१०१-१५० रु	१००	४,०७५	१३.५
१५१-२०० रु	१००	५,७१२	१८.९
२०१-२५० रु	१००	५,६२८	१८.६
२५१-३०० रु	१००	३,५९९	११.९
३०१-३५० रु	१००	२,२२२	७.४
३५१-४०० रु	१००	१,६२३	५.४
४०१-४५० रु	१००	९८०	३.२
४५१-५०० रु	१००	८७८	२.९
५०१-५५० रु	१००	४५६	१.५
५५१-६०० रु	१००	४४३	१.५
६०१-६५० रु	१००	३२४	१.१
६५१-७०० रु	१००	२०४	०.७
७०१-७५० रु	१००	१६९	०.५
७५१-८०० रु	१००	२०८	०.७
८०० रु. से अधिक	१००	७९९	१२.४

वृद्धि के लिए, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सन् १९५६-५७ में ७६,९५,५०० रु. और १९५७-५८ में १,८५,४६,००० रु. दिया था ।†

**अन्य सुभीते.**—वेतन के अतिरिक्त शिक्षकों को अन्य सुभीतों की भी बहुरत है ताकि वे अपना अध्यापन-कार्य ठीक रीति से कर सकें । माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित सुभीतों के आयोजन की सिफारिश की है : (१) उचित प्रार्थीडेण्ट फण्ड तथा बीमा, (२) मुक्त चिकित्सा (३) बच्चों की निःशुल्क शिक्षा एव (४) गृहवारी प्रथा पर मकान । ‡ हर्ष की बात है कि प्रायः सभी राज्यों में गैर-सरकारी शिक्षकों के लिए प्रार्थीडेण्ट फण्ड की व्यवस्था की गई है—शिक्षक अपने वेतन का ६६ प्रति सत अपने वेतन से देते हैं और उतना ही पैसा परिचालकगण अंशदान करते हैं ।

**शिक्षकों के प्रति व्यवहार.**—जीवन में केवल पैसा या वेतन ही सब कुछ नहीं है । संस्था के प्रति शिक्षकों के स्नेह की उत्पत्ति तथा वृद्धि परिचालकगण के व्यवहार पर निर्भर रहती है । पर गैर-सरकारी शिक्षकों के प्रति दुर्गवहार के अनेक दृष्टान्त सुने जाते हैं—कहीं घृथा शिक्षकियों सुननी पड़ती हैं, कहीं अवाग्न ही पड़च्युन होना पड़ता है, कहीं वेतन काट लिया जाता है, तथा कहीं सिर पर कोई भी चढ़ा दिये जाते हैं । अवरुध कभी कभी, शिक्षकगण भी निर्दोष नहीं रहते । पर अधिकांश 'जिमकी छटी उसकी भैंस' वाली कथावत चरितार्थ होती है । परिचालकगण की अधाधुन्धी चल्ती है ।

शिक्षकों के ह्वाय के लिए, प्रत्येक राष्ट्रीय शिक्षा विभाग ने बावदे कानून अवरुध बनाये हैं । पर उनका दयोचित पालन नहीं होता । शिक्षक तथा परिचालकगण के हानकों के निराने के लिए न्याय-समिति (ट्रिब्युनल) की कहीं-कहीं स्थापना हुई है । पर हर तक हसे कानूनी स्वीकृति न मिले, सब तक यह कठपुतली के समान है । हमका एक दृष्टान्त निछले पत्रों में लिखा गया है ।\*

### कपसंहार

गत हर्ष के स्वार्थान्ता-दिवस के उपलक्ष्य में, राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने कुछ शिक्षकों को राष्ट्रीय सम्मान-द्वारा विभूषित किया । पर दिवस दत्तन्त शिक्षा-

† भारतीय सनाचार, १५ निसबर, १९५६, पृष्ठ ५१८ ।

‡ Secondary Education Commission's Report pp. 154-155

\* द.दि.प. पृष्ठ १६१ ।

इतिहास में निगम-स्मरणीय रहेगा । कारण सरकार ने प्रकट रूप में, शिक्षकों के महत्त्व को स्वीकार किया है ।

पर इने-गिने पत्र-वितरणों से काम न चलेगा । शिक्षकों को अपने पैरों पर खुद टाढ़े होना पड़ेगा, उन्हें मिल-जुलकर काम करना पड़ेगा, कठिबद्ध होकर शिक्षक-संघ स्थापित करने पड़ेंगे । ये संघ विविध स्तर में हों—जिन्या, राज्पीय, अखिल-भारतीय । इनका सम्बन्ध विभिन्न शिक्षा-क्षेत्रों के मुताबिक भी हो—प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालयीय, प्राविधिक, चिकित्सा, शिक्षक-प्रशिक्षण इत्यादि । 'एकता से लाम' का पाठ केवल कक्षा में ही नहीं, पर उन्हें अपने जीवन तथा व्यावसायिक क्षेत्र में कार्यान्वित करना पड़ेगा । उन्हें खुद को न भगवान् के भरोसे ही छोड़ना चाहिए, न दूसरों के भरोसे । स्वावलम्बी हुए बिना जीवन में कभी सफलता नहीं मिलनी । "वे अपनी समस्याओं पर," जैसा कि डाक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है, "स्वतः विचार करें तथा उनको हल करने का प्रयत्न करें ।" †

† जाकिर हुसैन : "उद्बोधन-भावण", बिहार राज्पीय शिक्षण-गोष्ठी, १७ फरवरी, १९५८ ।

## दसवाँ अध्याय

### त्रिविध विषय

#### १. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

**भूमिका.**—कुछ वर्षों से लोगों का ध्यान पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ओर आकर्षित हुआ है। वे दैशवावस्था के गौरव को समझने लगे हैं। यह देखा गया है कि मानव-जीवन के प्रारम्भिक छः वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। दैशवावस्था में जो संस्कार बालक में डाल दिये जाते हैं, वे ही कालान्तर में मुदृढ़ हो जाते हैं और उसके चरित्र-गठन के आधार बनते हैं। ये संस्कार-मनुष्य के आयु पर्यन्त रहते हैं, क्योंकि प्रथम प्रवाह अन्तिम या स्थिर प्रवाह होता है। इसके अतिरिक्त यदि शिशु के प्रारम्भ से ही सवेग तथा स्थायी भाव मुचाव रूप से निर्मित हो जायें, तो उनका भविष्य निश्चित ही उच्चतर बन जाता है। अतएव दैशवावस्था से ही, हमें शिशु के जीवन की ओर ध्यान देना चाहिए।

**पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का रूप.**—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की अवधि मनुष्य-जीवन के प्रथम छः वर्ष रहती है, अर्थात् शिशु के भूमिष्ठ होने से लेकर प्राथमिक शिक्षा के आरम्भ होने तक। इसमें शामिल है माता-पिता की शिक्षा, पूर्व-जन्म-विषयक तथा उत्तर-जन्म-विषयक सतर्कता, एवं दैशवावस्था का प्रशिक्षण। यदि वास्तव में पूरा ध्यान तो इस प्रशिक्षण की सीमा स्कूल के निश्चित घण्टों की शिक्षा तक ही मर्यादित नहीं रहती है। गान्धीजी ने कहा ही है, “यथार्थ शिक्षा मानव-जीवन के गर्भस्थान से ही आरम्भ होती है, क्योंकि इसी समय से माता बच्चे की जिम्मेवारी लेना आरम्भ करती है।” हमें महाभारत पढ़ने से प्रारम्भ होता है कि अभिमन्यु ने अश्व-शिक्षा का शान मुद्रा के गर्भ में अवस्थित रह कर ही अर्जुन किया था।

**पाश्चात्य देशों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की प्रगति.**—यू.के. के बाहर पूर्व प्राथमिक शिक्षा के आरम्भ करने का भेद्य सुप्रसिद्ध जर्मन शिक्षा-शास्त्री भी प्रोबेल को निम्ना चाहिए। उन्होंने सन् १८१७ में जर्मनी के ‘ग्लेकनबर्ग’ नामक नगर में



प्रथम किण्डरगार्टन स्कूल स्थापित किया। श्री फ्रीवेल ने अपनी शिक्षा-पद्धति शिक्षा-उपकरणों में प्रीसा-पद्धति को चरितार्थ करने का प्रयास किया है। किण्डर पद्धति बालक की चार वर्ष की आयु से आरम्भ होती है।

किण्डरगार्टन के बाट नर्सरी (शिशु) स्कूल शुरू हुए। इनकी योजना उन के लिए की गयी थी, जिनके मरान तंग मरानों तथा गन्दी गलियों में श्रमगिय और जिनकी माताओं को जीविकोपार्जन के लिए दिन भर बाहर इतस्ततः काम पड़ता था। ये स्कूल अति ही लोक-प्रिय हैं। कारण, ये सरघाएँ छोटे बच्चे खरदारी रखती हैं। जैसा कि धीमती मार्गेट मेकलिन नामक एक अंग्रेजी पूर्व प्राथमिक शिक्षा-विद् ने कहा है, "नर्सरी स्कूलों की माँग है; कारण, छोटे-छोटे बच्चों को ही जारुत है।"† नर्सरी स्कूल में दो से चार वर्ष वाले बच्चे भरती किये जाते हैं

इन सब के पश्चात् प्रचलित हुए 'मोण्टेसरी स्कूल'। इनकी प्रतिष्ठात्री डा० मे मोण्टेसरी ने अपनी पद्धति तथा शिक्षा-साधनों का प्रयोग निर्धन एवं अस्वाम बच्चों के बीच किया था। उनका पाठन-सुक्ति-सूत्र (डायडेक्टिक एपरेट्स) ऐशान के लिए अति उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा शिशु सीमाति सीमा शिक्षा कर लेता है, और अपने ही प्रयास से चढ़ पढ़ना-लिखना तथा गिनना सीख लेता इस प्रकार, यह पद्धति शिशु को ही अपनी शिक्षा का उत्तर-दायित्व देती है।

**पूर्व-प्राथमिक स्कूल क्या है ?**—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का प्रारम्भ अ बच्चों के गर्भाधान-काल से ही होता है, तथा यह अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रा-तक चलती रहती है; पर एक पूर्व प्राथमिक स्कूल ही २-६ वयोवर्ग के बच्चों देखरेख का भार उठाते हैं। ऐसे पूर्व-प्राथमिक स्कूल में उपर्युक्त तीन पद्धतियों में कोई भी एक प्रचलित रहती है। इस शिक्षा के मुख्य उद्देश्य अधोलिखित हैं :

१. बच्चों के ब्राह्म वातावरण की ओर ध्यान दिया जाय, ताकि मुक्त वायु, धूप तथा प्रकाश का समुचित सेवन कर सकें;
२. स्वास्थ्यप्रद, आनन्दमय तथा नियमानुसार जीवन-यापन व्यवस्था की जावे;
३. शृंखला-बद्ध हाकरी-निरीक्षण का प्रवन्ध हो;

† Margaret Mc Millan. *The Nursery School* London, Dec 1930. p 5.

४. अच्छी आदतों का निर्माण करना
५. शिशु की कल्पना शक्ति के विकास का अध्ययन हो
६. बच्चों के सामाजिक जीवन का समुचित होना
७. यह-जीवन के साथ एकता स्थापित की जाये।

इस प्रकार एक पूर्व-प्राथमिक स्कूल छोटे बच्चों की शारीरिक, मानसिक तथा धार्मिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। यह स्कूल एक व्यापक प्राकारण प्रदान करता है, ताकि बच्चों को यथेष्ट हवा तथा धूप मिले। उनके स्वास्थ्य का जाल-जाली समय पर होनी ही चाहिए, ताकि वे नीरोग बनें, और मरना वे किसी आशा नहीं मानें। उनके खाने-पीने, उठाने-बैठने तथा सोने का समय तथा दूध-पाना इत्यादि का ध्यान। उन्हें ठीक तरह मुँह धोना पड़ता है। दात तथा प्रसार माफ़ करना पड़ता है तथा प्रत्येक घण्टा को यथोचित स्थान पर रखना सिखाया जाता है। इस प्रकार उनमें अच्छी आदतों की नींव डाली जाती है। उनको ठीक उच्चारण के साथ किम्बत करना तथा धम्मिय करना पड़ता है। वे गाते हैं, नाचते हैं, खेलते तथा दृष्टत हैं। अपने शरीर से बच्चे का पहचान बना देते हैं एवं नाली के रूप में नदी बहा देते हैं, जिन चीजों से वे कागज़ काटते हैं। साथ अर्थ यह है कि एक पूर्व-प्राथमिक स्कूल शिशु के धार्मिक विकास की ओर सततता पूर्ण ध्यान देता है। यही कारण है कि यह उद्योग नहीं रहता, यह श्रीदा की स्वच्छन्द प्रवृत्ति में लाने उठाता है। इस काल में धार्मिक शिक्षा का नामनिदान नहीं रहता है, बल्कि इसका ध्येय बच्चों में धार्मिक प्रवृत्ति के लिए प्रस्तुत करना होता है, इसके लिए आवश्यक है— सगम शरीर, अच्छी आदतें, नियमित जीवन, विशुद्ध उच्चारण, एकप्रता तथा समझने की शक्ति। एक सुव्यवस्थित पूर्व प्राथमिक स्कूल यह कार्य बहुत कुछ सम्पादन कर सकता है।

**भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा.**—भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा जिसका जन्म है। सन् १९५१-५२ में सम्पूर्ण देश में केवल ३३० पूर्व प्राथमिक स्कूल थे जो १९५६-५७ में ७७३। इस प्रकार प्रति वर्ष लगभग १०० स्कूल खुलते जा रहे हैं। इन स्कूलों में ३-६ बच्चों के बच्चे भरती किये जाते हैं। इनके विभिन्न नाम हैं: ज्योती, विद्याभारत, मोण्टेसरी, बाल मन्दिर, शिशु-विहार, पूर्व प्राथमिक एवं पूर्व विद्यालय। इन-विनी संस्थाओं को छोड़कर प्रायः सभी स्कूलों में विद्यार्थियों का

बहुधा ये संस्थाएँ कोरी कक्षाएँ होती हैं तथा किसी स्कूल से सलग होती हैं। ये सभी संस्थाएँ शहरो में स्थित हैं। राजकीय स्कूलों की संख्या बहुत ही कम है। सरकार अवश्य स्वसञ्चालित स्कूलों को अनुदान देती है। अचिकांश स्कूलों की दशा भी है। न उनके शाला-गृह ही स्वास्थ्यकर स्थान में अवस्थित हैं, न उनमें यथोचित शिक्षा-उपकरण की व्यवस्था है और न प्रशिक्षित शिक्षकों की। आज पूर्व-प्राथमिक शिक्षा इन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है : शिक्षिकाओं की कमी, पूर्व-प्राथमिक शिक्षण की अव्यवस्था, इस देश के लिए उपयुक्त शिशु-साहित्य तथा शिक्षण-विधि का अभाव, अनुसन्धान तथा बाल-प्रयोग-शालाओं की अनुपस्थिति।

**नये प्रयत्न : प्रारम्भिक चेष्टाएँ.**—आज सभी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की योगिता स्वीकार करते हैं। डॉ० मोण्टेसरी इस देश में सन् १९४०-४८ तक रहीं। इनने सैकड़ों शिक्षकों को स्वतः प्रशिक्षित किया। इसके फल-स्वरूप हमारे देश की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। हमारी कुछ आधुनिक सरकारी स्कूलों ने भी इस शिक्षा की अच्छी कदर की। उदाहरण-स्वरूप 'केसशिम्' की द्वितीय समिती ने मुझाव दिया कि अनिवार्य शिक्षा की सहायता के लिए नर्सरी स्कूलों की आवश्यकता है। सार्जेंट रिपोर्ट और भी आगे बढ़ी। उसने सिकारिश "सरकार को चाहिए कि अपने भार्वा नागरिकों के लिए स्वास्थ्यप्रद नर्सरी स्कूलों का प्रवर्धन करे। इनमें शिक्षिकाओं तथा शिक्षा-उपकरणों का यथोचित प्रवर्धन हो।"† रिपोर्ट ने मुझाव दिया कि इस देश में दस लाख ३-६ वयवर्ग के बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल शिक्षा का प्रवर्धन किया जाय। हाल ही में अनुमान-समिती की चौथी रिपोर्ट को लोक-सभा में प्रस्तुत करते हुए श्री बलवन्तराय मेहता ने कहा, "पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के विषय में ऐसी अखिल भारतीय नीति नहीं है, जिससे राज्यों तथा व्यवस्थापकों के बीच नदंश मिल सके।"‡ समिती ने मुझाव दिया कि कुछ शिक्षा-शास्त्रियों तथा वैज्ञानिकों से परामर्श लेकर शिशु-शिक्षा के प्रवर्धन एवं प्रसार के लिए कुछ नियम किये जावें।

**पूर्व-प्राथमिक शिक्षा.**—पूर्व प्राथमिक शिक्षा-क्षेत्र में कुछ नये प्रयोग हो रहे हैं। यह शिक्षा गर्भाधान से शुरू होकर सात वर्ष की आयु तक चलती रहती है। इसके मुख्य चार प्रवर्ग हैं : (१) गर्भाधान से जन्म तक, (२) जन्म से २½ वर्ष की

† Sargent Report. p 18.

‡ Estimates Committee, *Elementary Education*, 1957-58  
Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1958. p 6

आयु तक, (३) २½ वर्ष से ४ वर्ष की आयु तक और (४) ४ से छः वर्ष की आयु तक। प्रथम दो प्रणमों का सम्बन्ध केवल माता तथा बच्चे के साथ रहता है। इस कारण, पूर्व-बुनियादी स्कूल के साथ एक मातृ-कल्याण सदन का रहना आवश्यक है, ताकि माताओं को अपने तथा बच्चे के सम्बन्ध में यथोचित सलाह मिल सके।

अढ़ाई वर्ष की आयु में, बच्चा एक पूर्व-बुनियादी स्कूल में भरती होता है तथा यहाँ सात वर्ष की आयु तक रहता है। शिक्षु के प्रशिक्षण में इन बातों की ओर ध्यान दिया जाता है : (१) पाठ्य-पौष्य, (२) डाक्टरों की निरीक्षण (३) आत्म-विश्वास, (४) सामाजिक प्रशिक्षण, (५) शिक्षणीय सूचनात्मक कार्य-कलाप, (६) गीत, कहानी तथा अभिनय द्वारा उच्चारण विकास, (७) अक-सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि, (८) वैज्ञानिक दृष्टि का विकास, (९) संगीत एवं नृत्य और (१०) कला। शिक्षा जीवन-श्रमिति या शिक्षु के स्वाभाविक वातावरण की परिस्थितियों में सम्बन्धित रहती है।

समन्वय पद्धति.—आज, पूर्व-बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त हमारे देश की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ तो किण्वरगाटन पद्धति या मोण्टेसरी पद्धति का ही अनुकरण करना चाहते हैं, कुछ पूर्व-बुनियादी शिक्षा को अपना रहे हैं तथा कुछ मोण्टेसरी एवं पूर्व बुनियादी शिक्षा में एक समन्वय स्थापना की चेष्टा कर रहे हैं। तृतीय दर्जे की संस्थाओं में नूतन बाल शिक्षण-मण्ड, भावनात्मक प्रधान है। इसके कार्य-कलापों में मोण्टेसरी तथा पूर्व बुनियादी पद्धति के अच्छे गुणों के आधार पर एक नवीन प्रयोग प्रयोग रहे हैं। सम्भवतः यह पद्धति हमारे देश के पूर्व प्राथमिक स्कूलों के लिए अनुकूल तथा उपयुक्त सिद्ध होगी।

उपसंहार.—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का प्रसार आज सभी चाहते हैं, और इसका विना अधिक प्रचार होगा, उतना ही यह राष्ट्र के लिए हितकर होगा। पर हमें दो बाधाओं का सामना करना पड़ेगा : अर्थान्ध्र तथा शिक्षकों की कमी। आज देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न अर्थान्ध्र प्राथमिक शिक्षा का है। हम हमें ही हल नहीं कर पा रहे हैं। तब हमें पूरे प्राथमिक शिक्षा विस्तार का बीड़ा किस बूते उठा सकते हैं ? लेकिन हमें हथौड़ा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक देश की निजी सम्पत्तियों हुआ करती है। हमें भारत की शिक्षा संस्थाओं का समन्वय विभिन्न स्तरों में करना पड़ेगा।

1 Report of The First All India Education Conference, 1953, pp. 102-108

प्रथमतः, हमारे देश में इने-गिने शहर हैं, और समूचे देश में गाँवों का मानो जाल बिछा हुआ है। इन गाँवों में पहुँचने के लिए लम्बे मार्गों को तय करना पड़ता है। मार्गों की यह दूरी पूर्व-प्राथमिक स्कूलों की स्थापना में बाधा पहुँचानी है। अतएव कुछ समय तक गाँवों को टहरना पड़ेगा, और हमें अभी शहरों की ओर ही अधिक ध्यान देना उचित है। शहर में भी हमें अभी, मध्यम वर्ग तथा गरीबों का ख्याल करना पड़ेगा। अभी तो निस्सन्देह अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। वे अपने बच्चों के लिए अध्यापिकाएँ नियुक्त कर सकते हैं, या, सर्वोत्तम पूर्व-प्राथमिक स्कूल खोल सकते हैं। उन्हें पैसों के लिए पराथा मुख ताकना नहीं पड़ता है। परन्तु वस्तुतः ऐसी संस्थाओं की सर्वाधिक आवश्यकता है उन गरीब बच्चों के लिए, जिनके माँ-बापों को दिन भर काम करना पड़ता है, जिनके पेट में कठिनाई से दाना पड़ता है, और जो गन्दी गलियों में निवास करते हैं। ऐसे ही बालक-बालिकाओं के लिए मुक्त-वायु स्थित नर्सरी स्कूलों की आवश्यकता है। जब तक इन असहाय बच्चों की ओर हम उचित ध्यान न देंगे, तब तक हम इस राष्ट्र को उन्नत मस्तक न कर सकेंगे।

मध्यम वर्ग के लिए, हमें माता-पिता सम्बन्धी एव पारिवारिक शिक्षा का आयोजन करना पड़ेगा। कारण, शिशु के सर्व प्रथम शिक्षक हैं उसके माता-पिता। अतएव उन्हें शिशुओं के पालन-पोषण का यथोचित ज्ञान होना चाहिए। यह शिक्षा उन्हें विवाह के पूर्व, स्कूल तथा कालिज में देना उचित है। प्रौढ़ों को भी उत्तर जन्म-विषयक तथा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हितकर सिद्ध होता है। अपठ प्रौढ़ों के साथ भी परिवार-योजना की चर्चा करनी चाहिए।

इस प्रकार हमें अपने घरों की स्थिति ठीक करनी चाहिए। कारण, देश की समृद्धि गृह-गृह की उन्नति पर निर्भर रहती है। मनुष्य-जीवन की उन्नति का बीज घर में ही बोया जाता है। उचित वातावरण में वह पल्लवित होकर शाखाएँ प्रशाखाएँ फैलाने लगता है। यदि वातावरण अनुकूल न हुआ तो वह अङ्कुरित होने के पश्चात् ही कुम्हलाने लगता है।

## १. प्रौढ (समाज) शिक्षा

### प्रस्तावना

विशेषता.— सन् १९५१ की जन-गणना के अनुसार देश की कुल जन-संख्या ३५.७ करोड़ थी, अर्थात् पृथ्वी की संपूर्ण जन-संख्या की १५.१ प्रति शत जन-संख्या इस देश में वास करती थी। इस जन संख्या में १६.६ व्यक्ति माक्षर थे—२४.९ पुरुष एव ७.९ स्त्री, अथवा ३४.६ प्रति शत शहरी लोग और १२.१ ग्राम-वासी।

अतएव, आज प्रौढ़ शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। निरक्षरता देश की उन्नति पग-पग पर बाधा डालती है। चाहे हम कोई भी जीवन-क्षेत्र लें, आर्थिक, राज-तिक या सामाजिक। इन सबमें प्रौढ़ जन ही समाज के मुखिया के रूप में हमारे सामने आते हैं। परिवार की उन्नति भी उन्हीं पर निर्भर रहती है। अपढ़ मनुष्य देश का बंधा बन्धु शत्रु होता है। वास्तव में वह शिक्षा के महत्व को समझ नहीं जाता है, फलतः वह अपने बच्चों को भी शिक्षा नहीं देना चाहता। अशिक्षित प्रौढ़ ही बच्चों की शिक्षा में बाधा डालते हैं। अस्तु, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के यथोचित स्तर के लिए प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता है।

**प्रौढ़ कौन है ?**—‘प्रौढ़’ तथा ‘प्रौढ़ शिक्षा’ का उपयोग विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार का होता है। इंग्लैण्ड के सन् १९४४ के शिक्षा कानून के अनुसार, अठारह वर्ष के बालक-बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा का बन्दोबस्त किया गया है, तथा अठारह वर्ष की आयु तक उन्हें आंशिक सातत्य शिक्षा मिलनी है। अठारह वर्ष की ऊपर की आयु के व्यक्ति ही इंग्लैण्ड में प्रौढ़ गिने जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में बीस वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और स्त्री वयस्क (प्रौढ़) कहे जाते हैं। हमारे देश का लक्ष्य ६-१४ वयोवर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है, अतएव १४ वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को हम प्रौढ़ कह सकते हैं।

**प्रौढ़ शिक्षा के रूप.**—‘प्रौढ़ शिक्षा क्या है ?’—इस विषय पर भी मतभेद है। प्रसिद्ध अमरीकी विद्वान् ब्राह्मन का कथन है, “इस शिक्षा के अन्तर्गत हम मनुष्य के उन शैक्षणिक कार्य-कलाओं का गिन सकते हैं, जिनका उपयोग वह अपने दैनिक जीवन में करता है और जिनसे उसके ज्ञान की अभिवृद्धि होती है।” इसी प्रकार अंग्रेज विद्वान् भी अर्नेस्ट बार्कर का मत है, “अपने जीविकोपार्जन के साथ-साथ वह शिक्षा प्रौढ़ों को अंश-बालिक रूप में मिलती है। अतएव इस शिक्षा के अन्तर्गत वे सभी औपचारिक तथा अनौपचारिक उपदेश आ सकते हैं, जिन्हें हम वयस्कों को दे सकते हैं।”

हमारे देश में इस शिक्षा के दो रूप हैं : (१) प्रौढ़-साक्षरता, अर्थात् उन वयस्कों की शिक्षा, जो निरक्षर हैं, एवं (२) शिक्षित प्रौढ़ों की सातत्य शिक्षा।

**प्रौढ़-साक्षरता से समाज शिक्षा**

**पूर्य-पूर्यकार.**—भारत में अभी ऐसा समय नहीं रहा है, जब कि जन-समाज को शिक्षित करके उसके जीवन को उन्नत करने के साधन नहीं अपनाये गये हों। वैदिक काल में श्रद्धेक परित्राबक या सन्नाही का बर्तव्य था कि वह नगर-नगर और

ग्राम-ग्राम घूम कर अध्यात्म-नीति तथा सदाचार का प्रचार करे। तत्पश्चात् हमारे सामाजिक जीवन के उन्नयन का प्रेरक एक और साधन था, वह था कथाओं, कीर्तनों, रामलीलाओं, नाटकों आदि की परम्परा। मध्य युग में हमारे भाट, चारण, जोगी और ब्रजल द्वार-द्वार पर घूम-घूम कर मित्रता का पाव लिये, सारंगी अथवा अन्य वाद्य की सुमधुर ध्वनि के साथ उपदेशात्मक पद्य सुनाया करते थे। पर आजकल मित्रता वृत्ति एक व्यवसाय-मात्र है।

**ब्रिटिश युग.**—ब्रिटिश युग में हम प्रौढ़ शिक्षा के विकास को दो मुख्य कालों में बाँट सकते हैं। प्रथम काल की अवधि सन् १८५७ से १९१९ ई० तक समझी जाती है, अर्थात् ईस्ट इंडिया कम्पनी के पतन से सन् १९१९ ई० के गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया कानून तक। इस अवधि में प्रौढ़ शिक्षा के लिए कुछ छिट-पुट प्रयत्न अवश्य किये गये। इन सबका उद्देश्य निम्न-श्रेणी के बच्चों तथा बच्चों को साक्षर बनाना था। इसी उद्देश्य से, मिशनरी मण्डलों ने कुछ प्रौढ़ पाठशालाएँ खोलीं तथा औद्योगिक केंद्रों में कतिपय रात्रि शालाएँ सञ्चालित हुईं। बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों का आरम्भ सन् १९१० में हुआ। इस अवधि के अन्त में कुछ रात्रि पाठशालाएँ मद्रास, बम्बई, बंगाल, मैसूर तथा बड़ौदा में चल रही थीं, पर उनमें उचित व्यवस्था न थी।

प्रौढ़ शिक्षा विकास का द्वितीय युग सन् १९१९ से १९४७ तक माना गया है, अर्थात् गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया कानून, १९१९ से स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक। इसी अवधि में भारतीय प्रौढ़ शिक्षा का क्रमबद्ध इतिहास आरंभ होता है। माण्टफोर्ड सुधार तथा प्रथम विश्व युद्ध ने लोगों में एक नवीन चेतना आरंभ कर दी। सुधार के कारण, मत-दान का क्षेत्र विस्तृत हो गया; इस कारण यह आवश्यक हो गया कि जनता अपने हक को सोचे-समझे। प्रथम विश्व-युद्ध के कारण, अपढ़ सिपाही अन्य देशों के सम्पर्क में आये। वे हमारे देश में नये विचार लाये और उनमें ज्ञान की पिपासा उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त माण्टफोर्ड सुधार के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा की बागडोर भारतीय शिक्षा-मन्त्रियों के हाथ में आयी। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया।

इस प्रकार प्रौढ़-साक्षरता का आन्दोलन पूरे देश में आरम्भ हुआ। प्रौढ़ शालाएँ तथा रात्रि पाठशालाएँ खुलीं, कई प्रान्तों में ग्रामीण पुस्तकालय तथा चलते-फिरते पुस्तकालय स्थापित हुए। साक्षरता-प्रचार के उद्देश्य से, अनेक स्थानों में, गैर-सरकारी संस्थाएँ भी खोली गयीं। सरकार ने उन्हें अनुदान अवश्य दिया। सन् १९१८ में भारतीय प्रौढ़-शिक्षा समिति दिल्ली में स्थापित हुई। यह समिति क्रमशः भारत की केंद्रीय संस्था बनने की ओर अग्रसर होने लगी।

सन् १९४२ ई० के राजनैतिक आन्दोलन और ब्रिटिश दमन नीति का विपरीत प्रभाव साक्षरता आन्दोलन पर भी पड़ा। इस नीति के फल-स्वरूप सन् १९४२ से सन् १९४७ तक सभी प्रान्तों की प्रौढ़ शिक्षा-प्रगति में स्थिरता आ गयी। भिन्न-भिन्न गवर्न सरकारों ने अपने आय-व्यय की सूक्ष्म को घटाकर सीमित क्षेत्र में तय सीमित दाय पर साक्षरता प्रसार के कार्य को जीवित रहने दिया।

**प्रौढ़ शिक्षा को नया रूप.**—सन् १९४७ तक प्रौढ़ शिक्षा का एक मात्र ध्येय केवल साक्षरता था, पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रौढ़ शिक्षा के इतिहास में एक नवीन युग का अवतरण हुआ। 'कैमिनिम' के पन्द्रहवें अधिवेशन के समय (जनवरी, १९४४) शिक्षा-मन्त्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने घोषणा की कि स्वाधीन भारत में प्रौढ़ शिक्षा का ध्येय केवल साक्षरता नहीं हो सकता है। इस शिक्षा को समाज शिक्षा का व्यापक रूप दिया जाय, जिसमें न केवल साक्षरता का स्थान हो बल्कि स्वास्थ्य, सामाजिक चेतना, उन्नत कृति तथा कला आदि सर्वोद्येय के समर्थकों का समावेश हो।

**समाज-शिक्षा का कार्यक्रम.**—समाज-शिक्षा के अन्तर्गत एक पञ्चसूची कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके उद्देश्य ये हैं : (१) साक्षरता प्रसार, (२) स्वास्थ्य तथा सफ़ाई के नियमों के ज्ञान का प्रसार, (३) वयस्क व्यक्तियों के आर्थिक स्तर की उन्नति, (४) नागरिकता की भावना, अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जनत में जागरूकता को प्रोत्साहन देना, और (५) समाज तथा व्यक्ति की आपस-सहायता के अनुरूप स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना।†

### समाज शिक्षा आन्दोलन

**भूमिका.**—मौलाना आज़ाद की घोषणा के पश्चात्, प्रौढ़ शिक्षा में एक नया ज्ञान आयी। सन् १९४८-४९ के बाद समाज-शिक्षा-प्रसार के लिए स्पष्ट चेष्टाएँ की जा रही हैं। इन सबको हम पाँच भागों में बाँट सकते हैं : (१) प्रशासन, (२) समाज शिक्षा संस्थाएँ, (३) समाज शिक्षा व्यवस्थापक और कार्य-कर्ताओं का प्रशिक्षण, (४) गोष्ठियों, और (५) उच्च-साक्षरता का प्रकल्प।

**प्रशासन.**—केंद्रीय शिक्षा-मन्त्रालय अखिल भारतीय स्तर पर समाज शिक्षा आन्दोलित करता है। यह कार्य योजना-आयोग तथा सामुदायिक विकास मन्त्रालय के सहयोग से चलाया जाता है। अपने कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के कनिष्ठ मन्त्रालय-अध्यक्ष, परिचयन एवं प्रतिगन्धा—स्वतः कुछ प्रोग्राम चलाते हैं।



केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय के मुख्य कर्तव्य हैं : संयोजन, निर्देशन एवं आर्थिक सहायता । प्रथमतः, मन्त्रालय उन योजनाओं का विचार करता है, जिन्हें वह स्वतः सुझाता है और जिन्हें विभिन्न राज्य-सरकार चलाती हैं । द्वितीयः, 'केमशिम' अथवा अन्य परिपदों की बैठकों में भारत के विभिन्न समाज शिक्षा विषयक कार्य-कलाओं पर विचार विमर्श हुआ करता है । इन सामूहिक बैठकों का निर्णय देश के लिए हितकर सिद्ध होता है ।

समाज शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए कई समितियाँ हैं । प्रथम निकाय है 'केमशिम' की समाज शिक्षा स्थायी समिति, जो सन् १९४८ में स्थापित हुई थी । यह समिति केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को बयस्कों की शिक्षा समस्याओं पर परामर्श देता है । द्वितीय निकाय है 'केन्द्रीय समाज-कल्याण मण्डल' । इस स्वायत्त-शाली संस्था की स्थापना अगस्त, १९५३ में हुई थी । इसके द्वारा समाज कल्याण सम्बन्धी कार्यों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से स्वेच्छिक समाज सेवा संगठनों को सहायता-अनुदान दिये जाते हैं । समाज शिक्षा इस मण्डल का एक मुख्य काम है । तृतीय निकाय है 'राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा-केन्द्र' । उच्च कर्मचारियों को समाज शिक्षा के कार्य का प्रशिक्षण देने तथा चुनी हुई समस्याओं पर उपयुक्त शोध-कार्य करने के लिए, इस संस्था की स्थापना हुई है ।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा गैरसरकारी संस्थाओं को अनुदान प्रदान करती है । शोध-कार्य तथा नव-साक्षरों के साहित्य के प्रकाशन के प्रोत्साहन के लिए भी वह आर्थिक सहायता देती है । इसके अतिरिक्त समाज शिक्षा की कुछ गोटियों को या तो वह स्वयं चलाती है, अथवा अन्य संस्थाओं को इस कार्य के लिए अनुदान देती है ।

सामाजिक शिक्षा के प्रसार का उत्तरदायित्व प्रधानतः राज्य-सरकारों पर ही है, पर इस विषय पर द्वैध शासन है । शिक्षा विभाग, अपना पुराना कार्य चलाते हैं; पर समाज शिक्षा के नवीन अंगों का परिचालन सामुदायिक विकास विभाग करता है । अनेक राज्यों ने इस द्वैध शासन का बहिष्कार किया है । उसका अधिकार एक ही निकाय की अधीनता में रहता है, चाहे सम्पूर्ण प्रशासन न हो ।

सम्पूर्ण राज्य का प्रशासन एक विभिन्न अफसर करते हैं, और उनके नीचे क्षेत्रीय और/या ज़िला-स्तर पर कार्य करते हैं । विभिन्न स्तर के अधिकारीगण सलाहकारी समितियों की सहायता से काम करते हैं : राज्य, क्षेत्र, ज़िला या नगर । राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय समितियों का कर्तव्य केवल परामर्श देना ही रहता है, पर ज़िला या नगर समितियों को

जनता के प्रतिष्ठ सम्पर्क में आना पड़ता है, समाज सेवा के कार्य-कलापों को चला पड़ता है, और यदि हेर-फेर की आवश्यकता पड़े तो सरकार को सलाह देना पड़ता है।

**संस्थाएँ**—समाज-सेवा के पंचमुखी उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए विविध प्रकार के संस्थाओं की आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी तथा देश की आवश्यकताओं को समझ सके और समाज के निकटतम सम्बन्ध में आ सके। नीचे कतिपय मुख्य संस्थाओं का विवरण दिया जाता है।

**साक्षरता-कक्षाएँ**—प्रारम्भिक संस्थाओं का उद्देश्य व्यक्तियों की निरक्षरता निवारण करना था। सन १९५३ तक इन संस्थाओं की संख्या ४०,००० थी। इस काम प्रति वर्ष प्रायः चार लाख व्यक्ति उठाने थे। सामुदायिक विकास की कार्यवाही कारण, इस कार्य को विनियम प्रोत्साहन मिला। इस विकास के आरम्भ होने के प्रायः ही ७,००० नयी कक्षाएँ खुलीं, जिनकी छात्र संख्या ९८,००० थी। सन १९५५ के अन्त तक सामुदायिक विकास-खण्ड ७५,००० कक्षाएँ चला रहे थे, जिनमें लाख से अधिक प्रौढ़ समाज-शिक्षा पा रहे थे। निरक्षरता निवारण योजना का उद्वलित दृष्टान्त है।

समाज सदन, कभी-कभी साक्षरता-कक्षाएँ विकसित होकर समाज सदन रूप धारण करती हैं। इस संस्था में गाँव के लोग इकट्ठे होते हैं। इसमें आमोद-प्रामोद एवं खेल का सम्बन्ध रहता है तथा लोग विविध विषयों की चर्चा भी करते हैं। किसी सदन में तो व्यायाम-शाला, उद्योग-कक्षा, जट्टान-गृह, आदि की व्यवस्था रहती है।

तरण संघ—बैल-बुढ़ संघों को ग्रिप होते हैं। इस कार्य के लिए, वे स्थापित करते हैं। धीरे-धीरे सभ अन्य कार्य भी आरम्भ करते हैं, जैसे : नाटकात्मक निरक्षर परिश्रमण, स्नाउटिंग, सेवा-सक्रियता, सुस्था दल, इत्यादीय एवं प्रशस्ति गौरी में कभी-कभी तरण-वृद्ध संघ भी स्थापना होती है। इसका मुख्य उद्देश्य है ज्ञान विभाग एवं सेवा की उत्पत्ति। अधिकतर ऐसे संघों की स्थापना पंचव गण्डपुर हैं।

**महिला-संस्थान**—प्रत्येक सामुदायिक विकास-खण्ड में एक स्थापना की जाती है। उसका काम ही महिला-संस्थाओं की स्थापना करना होता है। इन संस्थानों के कार्य होते हैं : (१) भ्रमण तथा जीवन के लिए देशी-औरतों का सम्बन्ध, (२) उच्चतम तथा लीगों का सदन, (३) घर उत्पत्ति तथा विद्युत-सम्बन्ध, (४) कृषि एवं सेवा, (५) लक्ष्य विज्ञान और भ्रमण विज्ञान, (६) कुशल, शिक्षा, दूर-दिक

कोई अन्य इन्फोर्मेशन, (७) पाठों, भाषण, प्रदर्शनी, आदि, (८) मेल-बूट शिबिरों आदि का आयोजन, (९) गांव मन्त्री की कार्रवाई करना, (१०) साक्षरता, इत्यादि।

विस्तार.—यह कुछ वर्षों में समाज शिक्षा का कार्य विस्तार हो रहा है। विस्तार का अनुमान निम्नलिखित तालिका से किया जा सकता है।

### तालिका २७

समाज शिक्षा का विस्तार, १९५१-५२ से १९५५-५६

वर्ष	कक्षा, केन्द्र, स्कूल	छात्र-संख्या	साक्षरता प्रभाग-पत्र वितरण	खर्च (लाख रुपये)
१९५१-५२	४३,४६३	१०,६१,२८०	४,८९,१३६	७१-८३
१९५२-५३	४४,५९५	१०,८८,७८४	४,४२,७००	७३-७७
१९५३-५४	३९,९६५	९,४८,८४७	३,९२,४४०	६२-०५
१९५४-५५	४३,२२३	११,३१,४०५	४,६९,१०१	७७-४६
१९५५-५६	४६,०९१	१२,७८,८२७	५,४५,२२१	९६-८०

सन् १९५५-५६ में कुल संस्थाओं की संख्या ४६,०९१ थी। जिनमें १३,२७४ सरकारी, ४५८ जिला-मडल की, २८२ नगर-पालिका की एवं ३२,०७७ स्वसंचालित थीं। खर्च का आवण्टन इस प्रकार था : सरकारी ९२-२ प्रति शत, स्थानीय मण्डल ३०० प्रति शत एवं अन्य स्रोत ४-८ प्रति शत।†

संस्थाओं के प्रोग्रामों में निम्नलिखित कार्य-क्रम शामिल थे :

१. शैक्षणिक.—साक्षरता-कक्षा, वाचनालय, समाचार-सूचना-पत्र, पुस्तक-आलोचना, प्रवचन, वाद-विवाद, गोष्ठी, प्रदर्शनी, भाषण, प्रारम्भिक तथा अत्यावश्यक चिकित्सा, इत्यादि।

† Education in India, 1956-56. Vol. I. p. 289

२. सांस्कृतिक.—अल्प दृश्य उपकरणों का उपयोग, नाटकामिनय, लोक-गीत, लोक-नृत्य, कवि-सम्मेलन, मुद्रापत्र, प्रीति भोज, इत्यादि ।

३. आमोद-प्रमोद.—कथा, भजन, खेल-कूद, प्रीति-यात्रा, तैरना, निरुद्देश्य परिभ्रमण, इत्यादि ।

४. कला और हस्तोद्योग.—बुनाई, सिलाई, दर्जीगिरी, कशीदे का काम, बागवानी बटईगिरी, साबुनसाजी, पाक-मिठा, कागज़ बनाना, इत्यादि ।

५. समाज-सेवा.—प्रभात फेरी, नागरिक आन्दोलन, सफाई कार्य-क्रम, गंदे मुहलों की सफाई, पागानो आदि का निर्माण, साक्षरता-आन्दोलन, इत्यादि ।

**समाज शिक्षा-कार्य-कर्त्ताओं का प्रशिक्षण.**—समाज शिक्षा एक कला है, और इसकी विशेषज्ञता प्रशिक्षण के बिना सम्भव नहीं है । समाज शिक्षा-कार्य करने-वाले मुख्यतः तीन कोटियों में विभक्त हो सकते हैं : (१) व्यवस्थापक, (२) कार्य-कर्त्ता शिक्षक तथा बहुमुख्य ग्राम-स्तर कार्य-कर्त्ता (ग्राम-स्तर पर समाज शिक्षा का संगठन करनेवाला, समाज-सेवक, शिविर-व्यवस्थापक, समाज-केन्द्रों का संचालक, ग्रामीण युवक कक्षाएं व्यवस्थापक) एवं (३) संगठन कर्त्ता । ये वैतनिक और अवैतनिक—दोनों—हो सकते हैं ।

व्यवस्थापक तो उत्तर-रत्नांक प्रशिक्षित होते हैं । उन्हें व्यावसायिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा समाज-सेवा महाविद्यालयों में मिलनी है । कार्य-कर्त्ता किसी समाज शिक्षा-केन्द्र या जनता-कालिज में प्रशिक्षित होते हैं । भारत में इन केन्द्रों की संख्या प्रायः शून्य है । इन केन्द्रों में तीन से एक वर्ष के पाठ्यक्रम की व्यवस्था रहती है । पाठ्यक्रम की रूप-रेखा नीचे दी गयी है :

१. **सैद्धान्तिक (सात वर्षे) :** (१) समाज-शास्त्र के सिद्धान्त तथा समाज शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय, और समाज-शिक्षा का इतिहास ; (२) शिक्षण मनोविज्ञान और समाज शिक्षा-विधि ; (३) समाज शिक्षा और समाज सेवा का संगठन तथा व्यवस्था एवं स्वास्थ्य शिक्षा ; (४) कृषि एवं गृह-उद्योग एवं ग्रामीण अर्थशास्त्र ; (५) अल्प दृश्य शिक्षा और लोक साहित्य तथा लोक कला ; (६) ग्राम-पंचायत, सरकार, सामुदायिक विकास योजना एवं (७) सामान्य जनशरी ।

२. **व्यावहारिक** : सामूहिक श्रम का अभ्यास, गौर का सर्वेक्षण, भव्य दृश्य कर्तों का प्रशिक्षण, सांस्कृतिक मर्यादों में भाग, प्रदर्शनी, उत्सव तथा त्योहारों का संगठन, आदि ।

उपर्युक्त प्रशिक्षण-शिक्षा के अतिरिक्त दान-मुषार कार्यक्रमों को सहजता तथा कृपि-मुषार की शिक्षा दी जानी है । गाँवों की सर्वतोमुखी उन्नति और मुषार के लिए ग्राम-मेयरहग भी प्रायः इसी दृष्ट से प्रशिक्षित किये जाते हैं ।

**गोष्ठियाँ**—रत्नकृता प्राप्ति के पश्चात् प्रौढ़ शिक्षा-आन्दोलन एक महत्वपूर्ण अभियान है । विभिन्न एशियाई देशों की अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी इस दिशा में एक उत्तेजनोपपन्न है । यह गोष्ठी मन् १९४९ में मैसूर में मरी थी । उममें अनेक एशियाई देशों ने भाग लिया था तथा वरस्क शिक्षा की अनेक समस्याओं पर महत्वपूर्ण निर्णय हुए थे । तब से हमारे देश में विभिन्न स्तरों पर गोष्ठियों का आयोजन हुआ ही करता है — अल्पित भारतीय, राज्यीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय । गोष्ठियों में समाज शिक्षा के व्यवस्थापकग, संगठन कार्य-कर्ताग तथा अन्य कार्य कर्ताग एकत्र होते हैं, और सामूहिक रूप से इस शिक्षा विवरक तथ्यों की आलोचना करते हैं, जेने : प्रशासन, अनुदान, पाठ्य क्रम, प्रशिक्षण, नवसाक्षर-साहित्य, भव्य-दृश्य-उपकरण, इत्यादि ।

**उत्तर-साक्षरता का प्रबन्ध**—सामाजिक शिक्षा की जिम्मेवारी साक्षरता प्रमाण-पत्र विनगण के साथ ही समाप्त नहीं हो जाती है, वरन् यह भी देलना पड़ता है कि नवशिक्षित वयस्क अपनी साक्षरता स्थिर रत सके । अतएव उत्तर-साक्षरता का प्रबन्ध करना चाहिए, ताकि समाज शिक्षा-द्वारा जो कुछ एक प्रौढ़ ने सीला हो, उसकी षोड़ी बहुत चर्चा प्रौढ़ों में परस्पर हुआ करे । इसके लिए तीन विषयों की व्यवस्था चाहिए : (१) नव साक्षर-साहित्य प्रकाशन, (२) भव्य-दृश्य उपकरणों का निर्माण एवं (३) पुस्तकालयों का प्रबन्ध ।

राज्य सरकारों के सहयोग से केन्द्रीय सरकार ने नव-साक्षर साहित्य प्रकाशन की षोड़ी-बहुत व्यवस्था की है । प्रथमतः, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उत्तम वयस्कोपयोगी पुस्तकों के लेखक को इनाम दिया जाता है तथा प्रकाशकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन पुस्तकों की अनेक प्रतियाँ सरकार खरीदती है । द्वितीयतः, नव-साक्षरों के उपयोग में हिन्दी पुस्तकें भी सरकार खरीदती है, जिनका आधा खर्च भारत सरकार देती है और आधा राज्यीय सरकार । इसके अतिरिक्त पैकिंग और यातायात का पूरा व्यय केन्द्रीय सरकार स्वयं ही वहन करती है । तृतीयतः, समय-समय पर सरकार विशिष्ट कर्मशालाओं

## विभिन्न विषय

की आयोजना करती है। इनमें लेखकों को इस नवीन साहित्य पर लिखने का प्रोत्साहन दिया जाता है। चतुर्थतः, सरकार स्वयं नव-साधर साहित्य का प्रकाशन करती है। कुछ स्वीकृत सस्थाओं को इस कार्य के लिए अनुदान देती है। हाल ही में "राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट" की स्थापना हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य कम खर्च में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में आदर्श पुस्तकों का प्रकाशन है।

दिल्ली में 'केन्द्रीय अन्वय दृश्य शिक्षा-सस्था' स्थापित हो चुकी है। यह भारत एवं राष्ट्रीय सरकारों को अन्वय-दृश्य शिक्षा के विषय में परामर्श देती है। चल-चित्र संग्राह्य में शिक्षा तथा सस्कृति-सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर ४,९७ चित्र आदि हैं, जो संग्रहालय की 'सदस्य शिक्षा-सस्थाओं' को निःशुल्क दिये जायेंगे। १,००५ शिक्षा-सस्थान तथा सामाजिक संगठन इस संग्रहालय के सदस्य हैं। 'अन्वय शिक्षा' शीर्षक एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। समय-समय पर केन्द्रीय तथा राष्ट्रीय सरकारें अन्वय-दृश्य कार्य-कर्त्ताओं की प्रशिक्षण गोष्ठियों का आयोजन करती रहती हैं।

पुस्तकालय उच्च-साक्षरता का प्रधान अङ्ग है पर हमारे देश में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है। सम्पूर्ण देश में लगभग ३२,००० पुस्तकालय हैं। ये समाज-शिक्षा-केन्द्रों या अन्य संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। औसत एक व्यक्ति पीछे पचास पुस्तकें हैं और प्रति वर्ष शायद ही दस मनुष्य एक से अधिक पुस्तक पढ़ते ही !!

### मातृशिक्षा

**भूमिका.**—खेद की बात है कि हमारे देश में एक शिक्षित व्यक्ति की स्त्री स्कूल या कालिज की पढ़ाई के साथ समाप्त हो जाती है। स्कूल शिक्षा की समाप्ति पर भी, प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को चाहिए कि वह विद्या की कुछ न-कुछ धन-धान्य प्राप्त करे, बुद्धि-वैशेष्य इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिखाया है कि यद्यपि भी किम्वदन्त सौंभल सकते हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र लिखा जाय—सामाजिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक—सभी जगह कुछ-न-कुछ सीखने की गुंजायश रहती है। सतत परिवर्तन संसार का नियम है। जो व्यक्ति इस बदलते हुए ज्ञान के अनुरूप नहीं रहेगा, वह सदा असन्तोषी तथा शिवायती रहेगा।

शिक्षित व्यक्तियों की ज़रूरतों को देखते हुए मातृशिक्षा तीन स्तरों पर हो सकती है : (१) उच्च शिक्षित, (२) माध्यम शिक्षित और (३) अल्प शिक्षित।

**उच्च शिक्षित.**—उच्च शिक्षित व्यक्तियों के लिए कालिज तथा विश्वविद्यालय प्राण वक्तव्यता का बन्दोबस्त करते हैं। भारत में यह आन्दोलन मन् १९१५ में आरम्भ हुआ था। कुछ प्रविश्व महाविद्यालयों के प्रमाण केन्द्र शिक्षकों के लिए अच्छा काम रहे हैं, पर यह यथेष्ट नहीं है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक प्रमाण-विभाग की व्यवस्था है, जिनका उद्देश्य हो, उच्च शिक्षित व्यक्तियों में सुचारु रूप से प्रमाण-कार्य है। इनकी चर्चा छठे अध्याय में की गयी है।

**साधारण शिक्षित.**—पैसे के अभाव के कारण, अनेक भारतवासियों की शिक्षा — सांस्कृतिक या औद्योगिक — पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे व्यक्तियों के हितार्थ नैतिक कक्षाएँ चलायी जायें। यह प्रथा अनेक सम्य देशों में प्रचलित है। उच्च शिक्षा का उदाहरण लीजिए। यहाँ हजारों नैतिक-कक्षाएँ चलती हैं, जिनका लाभ लाखों लोगों को उठाते हैं। इन कक्षाओं में अनेक विषयों की अंश-कालिक शिक्षा दी जाती है। प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। पर ये कक्षाएँ निरर्थक केन्द्र नहीं हैं। यद्यपि इनका वातावरण बहुत कुछ सामाजिक कक्षाओं के समान होता है, किन्तु वे बर्बाद अपने अवकाश के समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होते हैं।

उच्च शिक्षा की माँग को पूरा करने के लिए तथा नौकरी में स्थित व्यक्तियों की शिक्षा के लिए, हमारे देश के केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय पत्र-व्यवहार द्वारा कतिपय विषयों के कोर्स का प्रबन्ध करनेवाले हैं। मन्त्रालय विश्वविद्यालयों को नैतिक-कक्षाएँ चलाने का भी सुझाव देनेवाले हैं, ताकि दिवा-कक्षाओं में भीड़ की कमी हो तथा स्थित व्यक्तियों को अध्ययन का सुअवसर मिले। शिक्षित व्यक्तियों के सातत्य को बढ़ाने का यह पहला कदम होगा।

**अल्प शिक्षित.**—माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने कहा है :

यद्यपि सविधान यह निर्देश देता है कि चौदह वर्ष के बालक-बालिकाओं के लिए अंश-कालिक शिक्षा का आयोजन किया जाय, तब पर भी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यह निर्देश कार्यान्वित करना, कुछ समय तक असम्भव प्रतीत होता है।

आयोग ने सिफारिश की है कि ११-१४ वर्षीय (वयोवर्ग के) बच्चों के मिडिल तथा हाई स्कूलों में निःशुल्क, अंश-कालिक सातत्य शिक्षा की व्यवस्था की

† देखिए पृष्ठ १७६।

‡ Secondary Education Commission's Report p 56.

जाये। इनके लिए विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाय तथा चौदह वर्ष की आयु प्राप्त करते-करते विशोर-विशोरी इस व्यवस्था का लाभ उठा सकें।

हमारी नृतीय एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य इस विचारधारा को कार्यान्वित करना है। शिक्षक तथा विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार, यह सातत्य शिक्षा दिवस या रात्रि में ही जायगी। इनका ध्येय छात्रों को प्रारंभ बुनियादी या मिडिल स्कूल शालागत परीक्षा के लिए तैयार करना है।

हमारे देश में २०-३५ वयोवर्ग के अनेक बच्चे हैं, जिन्हें २-३ वर्ष की शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा था, और जो अब अध्ययन करना चाहते हैं। इनके लिए दो-तीन वर्ष की आयु के अग्र-कालिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ वर्ष पहले केन्द्रीय समाज-कल्याण मण्डल ने इस वयोवर्ग की महिलाओं के लिए कुछ काम चलाये थे। जिनमें पढ़कर कुछ शिक्षार्थिनियों वर्नाक्युलर फाइनेल परीक्षा में बैठी, और कुछ मैट्रिक परीक्षा में। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के पश्चात् जीविफो-पार्टनर के अनेक द्वार खुल जाते हैं, जैसे : ग्राम सेविका, धात्री, शिक्षिका, मुहर्निर, इत्यादि। पुरुष तथा स्त्री, दोनों के लिए, ऐसे प्रयानों की आवश्यकता इस देश में इस समय अनुभव की जा रही है।

इस प्रकार हमारे देश में सातत्य शिक्षा की समुचित व्यवस्था की विशेष आवश्यकता है। यह शिक्षा उन बच्चों की कमियों को दूर करती है, जिनकी शिक्षा अर्धमात्र या अन्य कारणों से अधूरी ही रह गयी है। यह शिक्षा न केवल उनके व्यक्तित्व का विनाश करती है, वरन् उनके आर्थिक जीवन को उन्नततर करती है। विविध क्षेत्रों के लिए, छात्रों को तैयार कर यह देश की जरूरतों को पूर्ण करती है तथा बेकारी-समस्या के उन्मूलन में योग देता है। देखिए, चीन ने क्या कर दिखाया है :

चीन के विश्वविद्यालय उन युवक-युवतियों के लिए भी सदा खुले रहते हैं, जो अर्ध शिक्षित होते हैं; या, जिनकी शिक्षा मिडिल स्कूल तक ही रहती है। सन् १९५४ की प्रवेश परीक्षा में जो विद्यार्थीलग बैठे, उनमें १६ प्रति शत ऐसे ही छात्र-वृन्द थे और उनका कार्य बोर्ड अमन्तोपग्रह न था।

यह सुभवसर अन्य विद्यार्थियों को भी दिया गया। वे ये ३,००० प्रायमरी शिक्षक एवं विविध उद्योगों के ६,००० ऐसे व्यक्ति, जिन्हें उच्च तकनीकी शिक्षा नहीं मिली थी। इनका प्रवर्ग सरकार ने किया था।



तत्काल में विधिवत् रूप में प्रकट हुए थे। वे निर्दिष्ट परिणाम में नहीं बँटे। इनके लिए विशेष परिणाम का आश्चयन किया गया था।

### ३. मजबूती की शिक्षा

मजबूती का घर्षोकारण : भूमिका.—पीगरी साराणी बच्चों का युग जिना जाता है। सर्वांग बच्चों की देखा भा १ के विषय में मजबूत अन्य मजबूत देशों में विरुद्ध हुआ है, तथापि इस देश में कुछ सामान्य बात का उदाहृत है। संज्ञान मर्याद युग में मानव बचपन तथा बच्चों की मजबूती की ओर ध्यान देना विशेष आवश्यक हो गया है। भी नैश्य में कहा ही है :

शत्रु की प्रतीति में मनुष्य का प्रयत्न स्थान है। मानव विकास की प्रिति रीतशासकता में बाधक होती है। इस बाधक, यन्त्र की अवेक्षा विद्यु अविश्वर मजबूती है।

मजबूत बच्चे.—मजबूती दो प्रकार की होती है—बाह्यमजबूत तथा अन्तः-मजबूती। वैयक्तिक या आत्मगत अर्रोपन के कारण, प्रथम प्रकार की मजबूती आ जाती है। यद्यपि ये शिशु के स्वाभाविक सामर्थ्य में बाधक सिद्ध होते हैं। द्वितीय यकीकरण का लक्षण होता है कोई असाधारण या भद्रता आचार स्वरुप। इसी आन्तरिक अर्रोपन के कारण, ये लक्षण प्रकट होते हैं।

कारणात्मक घर्षोकारण.—इस मजबूती की तीन भेदिकाएँ हैं : शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक।

शारीरिक मजबूत या विरुद्धात्त तीन प्रकार के होते हैं—अन्धे, बहरे और मूंगे, तथा लूले-लूंगे।

जिन लोगों की बुद्धि औसत में कम होती है, ये द्वितीय भेदी में गिने जाते हैं। बुद्धि-परीक्षाओं के आधार पर, ये व्यक्ति दो भागों में बाँटे जा सकते हैं :

१. सीमा-रेखा स्थित अपूर्ण व्यक्ति.. बोध-लब्धि : ७०-८०।

२. मानसिक दुर्बल

(१) मूर्ख ... .. बोध लब्धि : ५०-७०।

(२) मूढ़ ... .. " : २५-५०।

(३) जड़ ... .. " : २५ से निम्न।

सामाजिक मजबूर अनाथ या निराश्रित बच्चे होते हैं। ये घर-द्वार-रहित होते हैं तथा इनके कोई अभिभावक नहीं रहते।

लक्षण-सम्बन्धी घर्षाकरण.—जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक बच्चे की अनेक विपत्तियों की जन्मगति रहती है—शारीरिक, वैदिक या सामाजिक। उमे भोजन, शारीरिक आगम, सामाजिक अभिव्यक्ति, प्यास एवं मरुता आदि। परन्तु जीवन में ऐसी अनेक बाधाएँ आ जाती हैं, जिनके कारण, इन आकाशवाणी की तृप्ति के साधन अनुपलब्ध रहते हैं। इन समस्या-असामञ्जस्यों के कारण, मानसिक रोगों की सृष्टि होती है।

कुछ स्वाभाविक अभाव के कारण, मनुष्य अपने प्रकृत वातावरण एवं अरम्या में सामञ्जस्य स्थापित नहीं कर पाता है—थोड़ी सी कठिनाई पटी और उमका अगम्योप काग उठा। वातावरण का अभाव भुल्लास नहीं जा सकता है। वातावरण में मुख्य है : अशिक्षा, निर्धनता, शालावस्था में माता-पिता का दुर्ब्यरहा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक भी एल्लर के बचनानुसार समाज में निम्न स्थान, स्वरगाय में अगपय्या, वैदिक जीवन में अशान्ति — ये असामञ्जस्य के प्रमुख कारण हैं। परन्तु यह स्वाभाविक अभाव प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं होता, तथापि कुछ इनके स्वर वन ही बँटते हैं। ऐसे घटनसीध अरने जीवन को निपल गिन्ने हैं और अवेतना-वय उरने कुछ न कुछ असामान्य आचार पैलने हैं। कोई हटील वन बँटता है, तो कोई रिछदा हुआ होता है, कोई उदादीन तो कोई अरगधी। बड़े-बड़े तो अन्वदिक पगल्लधी या शिग-व्यारि वल हो आते हैं।

इन साधारण अवस्थाओं में से तीन मुख्य हैं : (१) अरगध, (२) रिग व्यारि में होने वाले मानसिक रोग, एवं (३) सृष्टी विपत्तियों में रिछदना। वृष्ण ये तीनों अवस्थाएँ आपस में मिली जुली रहती हैं, और तीनों की प्रातिक्रिया एक साथ बनता प्रविण है।

मजबूतों का ईशानिका परल्लवाम : उरेव.—मजबूतों के परल्लवाम में इनके अरपेधन तथा आवरल्लका की ओर वजन देना पड़ेले, अरपेध इने देसुल्ल वरेग कि उमकी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति बहो लह उमकी रिग में लख मिड होगे है। इरीके अरुक्त उमका परल्लवाम की होल। वरी लह ले, इने लखले को दुर बनल वरिए। प्रदेव मजबूत अरने की निरी वरने होल है और मरीके अरुल्ल उमका परल्लवाम भी होल वरिए।

**रोग-निर्णय.**—लक्षण-सम्बन्धी अवरोधित व्यक्तियों को समझना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इनका रोग-निर्णय प्रायः मजबूरी का आविष्कार कहा जा सकता है। इनकी डाक्टरों परीक्षा आवश्यक है। इन्हें निर्देश तथा परामर्श चाहिए। इनके रोग-निर्णय की जिम्मेवारी शिशु-निर्देश तथा उपचार-गृहों को सौंप देना उचित है।

**शिक्षण-संस्थाएँ.**—रोग-निर्णय के पश्चात् बच्चों की आवश्यकता के अनुसार इन तीनों में से किसी भी एक प्रकार की व्यवस्था हो सकती है : (१) बच्चों को किसी उपचार-गृह या मानसिक अस्पताल में रखना, (२) बच्चे को एक साधारण स्कूल में भरती करना और उसके अनुरूप किञ्चित् परिवर्तित पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना, एवं (३) उसे एक विशेष स्कूल या संस्था में दाखिल करना। विशेष संस्थाएँ सात प्रकार की हैं : (१) अन्ध-विद्यालय, (२) मूक-बधिर-विद्यालय, (३) लूले-लंगड़ों के शिक्षालय, (४) मानसिक मजबूरों के संस्थान, (५) अनाथालय, (६) बाल-अपराधियों की संस्थाएँ एवं (७) उपचार-गृह तथा निर्देश-केन्द्र।

**भारत में मजबूरों की शिक्षा-व्यवस्था :** मजबूरों की संख्या.—वेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश की जन-गणना में मजबूर बच्चों का वर्गीकरण अभी तक नहीं किया गया है यहाँ तक कि भिन्न-भिन्न प्रकार के विकलाङ्गों तक की संख्या का ठीक-ठीक पता नहीं मिलना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मजबूरों की संख्या प्रति हज़ार 'बीस' है। इसी गणना के आधार पर, भारत में मजबूरों की संख्या ७० लाख निर्धारित की गयी है। इस आनुमानिक गणना का हम कुछ भी भरोसा नहीं करते हैं। सार अर्थ यह है कि मजबूरों के लिए कोई भी शिक्षा-योजना प्रस्तुत करते समय इनकी भिन्न-भिन्न श्रेणियों की संख्या जानना आवश्यक है।

**प्रारम्भिक चेष्टाएँ.**—अंग्रेज़ सरकार मजबूरों की शिक्षा के प्रति निष्पक्ष एवं उदासीन रही। प्रारम्भ में इस ओर ईसाई मण्डलियों ने कुछ ध्यान दिया। सन् १८८३ में कुमारी एनी डार्वे नामक एक प्रोटेस्टेण्ट महिला ने अमृतसर में एक स्कूल अन्धी लड़कियों के लिए खोला। सन् १९०३ में यह संस्था देहगढ़ में स्थानान्तरित की गयी। सन् १८९० में कुमारी एस्कविथ ने पाल्पन-बोर्डिंग में एक दूसरा स्कूल अन्धों के लिए खोला। तत्पश्चात् कलकत्ता अन्ध-निर्वालय का नम्बर आना है, जिसे सन् १८८७ में श्री स्वयंसेविका शारदा नामक एक मागनीय ईसाई ने स्थापित किया था। सन् १९०० में कुमारी एन्ना मिन्गट ने बम्बई में अन्धों के लिए एक स्कूल खोला, जिसका वर्तमान नाम 'शारदा स्कूल फॉर ब्लाइण्ड गर्ल्स' है।

स्वातन्त्र्योत्तर काल में प्रगति.—स्वाधीनता-अर्जन के पश्चात् भी इस क्षेत्र में प्रगति नहीं हुई। यह अवश्य है कि केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय तथा राज्यीय शिक्षा-विभाग मजदूरों की शिक्षा के लिए अनुदान देते हैं। सन् १९५२ में 'राष्ट्रीय सु-संगठित परिषद' की स्थापना हुई है। इसका उद्देश्य है, बच्चों के प्रगत्यर्थ कार्य का प्रोत्साहन एवं शोध, आर्थिक सहायता तथा समाचार-प्रदान। सन् १९५५-५६ में एक नया राष्ट्र-परिषद स्थापित की गयी है। यह परिषद सरकार को विद्यालयों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा निरोद्धन-सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श देती है।

शिक्षा-संस्थाएँ.—निम्नलिखित तालिका में मजदूरों की भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं तथा उनकी छात्र-संख्या का पता चलेगा :

### तालिका २८

शिक्षा-संस्थाएँ, १९५५-५६ †

संस्था	संस्था-संख्या	छात्र संख्या
विशाल :		
अन्य ... ..	४९	२,३४५
मूल-विधियाँ ... ..	३४	२,२९०
सुते विद्यालय ... ..	८	५५६
मानसिक मजदूर ... ..	१	३३३
कुल	९२	५,३२४



चित्र १७—वेल्-पद्धति द्वारा शिक्षा

अन्ध-विद्यालय.—हमारे देश में बोल लाग से अधिक अन्धे हैं, पर इस माल्या किञ्चिन्त् अंश को ही शिक्षा मिलनी है। अधिकांश मर्याएँ स्व-सञ्चालित हैं। उन्हें हम अनायास भी कह सकते हैं। उन्हें सरकार में थोड़ा-बहुत अनुदान मिलता है, पर उनकी आर्थिक स्थिति शोचनीय है। ब्रेल-पद्धति पर बच्चों को अपनी मानु भाषा के बहने तथा लिखने का ज्ञान दिया जाता है। प्रत्येक बच्चा एक दम्पकारी भी सीखता है। मुख्य उद्योग है : बेंत की बुनाई, टोकरों बनाना, निगार या टाट बुनना, गोमवत्ती का काम, जिल्दगामी, बड़ईगिरी, बुनाई-कताई, इत्यादि। अन्ये प्रायः मगीत-पढ़ होते हैं। कई मर्याओं में इन्हें मगीत भी सिखाया जाता है।

अन्धों की शिक्षा की विशेष जल्दियों की ओर भारत सरकार ध्यान दे रही है। हाल ही में 'भारतीय ब्रेल' की सृष्टि हुई है। अक्टूबर, १९५० ई० में, देहरादून में केन्द्रीय ब्रेल-मुद्रणालय स्थापित हुआ है, जिसके द्वारा भारतीय ब्रेल साहित्य प्रकाशित किया जाता है। मन् १९५० में केन्द्रीय सरकार ने देहरादून में 'अन्ध (मौढ़) प्रशिक्षण-केन्द्र' स्थापित किया है। इस मर्या के अन्तर्गत दो वर्षों का पाठ्यक्रम रखा गया है, तथा प्रशिक्षणार्थियों को ध्यातु-लिपि तथा टाइप साहित्य में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इस मर्या का एक और भी महत्वपूर्ण अङ्ग है 'मगीत-शिक्षा'। मन् १९५८ में इस मर्या के अन्तर्गत एक महिला विभाग भी खोला गया है।

देश में अभी तक नेत्र-हीन बालकों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं है। अक्टूबर सन् १९५१ में अजमेर तथा बांदाय (बन्डू) में इन बालकों के लिए पाठशालाएँ स्थापित हो जाने के बाद, यह बनी कुछ दूर तक दूर हो गयी है। इसके अतिरिक्त भारत-सरकार नेत्र-हीन बालकों के लिए देहरादून में एक आदर्श पाठशाला स्थापित करनेवाली है। आशा है कि निकट भविष्य में यह कार्य पूरा हो सकेगा।

नेत्र-हीनों के प्रशिक्षण तथा पुनर्वास कार्य को संचालित करने के लिए भारत सरकार ने १९४७ ई० में शिक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत एक विशेष इकाई (इकाई) स्थापित की है, जिसका मन्त्रालय एक उप-शिक्षा-मन्त्रालय के अर्थात् है। भारत सरकार के सशुभ प्रशिक्षण नेत्र-हीनों को जीवनी दिखाने की सहायता करने के लिए एक विभाग था। इस समस्या को हल करने के लिए १९५५ में सरकार ने मन्त्रालय में एक विभाग की स्थापना की, जिसका कार्य ही विभिन्न उद्योग-धन्धों में नेत्र-हीनों के लिए समुचित कार्य की तलाश करना तथा उन्हें जीवनी दिखाना है।



'बाल-अधिनियम'। यह नियम आन्ध्र प्रदेश, उत्तर-प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मद्रास, मध्य-प्रदेश तथा मैसूर राज्यों और दिल्ली के सघीय क्षेत्र में लागू है। इसके अनुसार बालापगधी न्यायालय स्थापित किये गये हैं। जहाँ इनकी व्यवस्था नहीं है, वहाँ बालापगधियों का न्याय साधारण अदालतों में होता है। अपगधीय बालापगधी केन्द्रवालों में निरीक्षित रखे जाते हैं। आन्ध्र-प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मद्रास तथा मैसूर में 'किशोर बन्दी' (बोस्टल स्कूल) अधिनियम लागू है। मन् १८९७ का 'सुधार-विद्यालय अधिनियम' सभी बड़े राज्यों तथा कुछ सघीय क्षेत्रों में लागू है।

सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त तीनों प्रकार की संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इनमें से कुछ मर्यादों शिक्षा प्राप्त करके निकलनेवाले बाल-अप-गधियों को उपकरण तथा धन-सम्बन्धी सहायता भी देती है, जिससे वे सीमे हुए व्यवसाय में लग सकें। इन संस्थाओं में अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा देने के साथ साथ क्रीडा (खेल-बूट), नाटक, संगीत आदि की भी शिक्षा दी जाती है।

सम्प्रति केन्द्रीय सरकार ने एक पालन-पोषण (टेल्ड-भाल) कार्यक्रम लागू किया है, जिसके अनुसार राज्यों को सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार, मद्रास, मध्य-प्रदेश, मैसूर तथा त्रिपुरा में सुधार-विद्यालयों आदि के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है।

उपचार-गृह तथा निर्देश-केन्द्र.—इन केन्द्रों में बच्चों तथा यशकों की मानसिक चिकित्सा उच्च स्तर पर होती है। हमारे देश में ऐसे केन्द्र बहुत कम हैं। घुषा ये मानसिक अस्पतालों एवं बाल-स्था-गृहों से खलग्न होते हैं। २ मार्च, १९५५ के दिन, केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय ने एक बाल-निर्देश केन्द्र दिल्ली नर्मिग महाविद्यालय में स्थापित किया है। भारत में यह सर्व प्रथम सरकारी मर्यादा है, जिसमें बच्चों की मानसिक चिकित्सा की व्यवस्था की गयी है।

प्रशासन.—मजदूरों की शिक्षा के लिए, प्रत्येक राज्य की निजी शासन व्यवस्था है। कहीं पर प्रदान अधिकारी को 'चीफ इन्स्पेक्टर ऑफ मर्डीफाइट स्कूल' करने हैं, और कहीं 'प्रोविशन अफसर'। किसी-किसी राज्य में तो प्रादेशन अफसर को देना हुआ चलन भी नहीं मिलता है। पर उनके नियुक्त जिनके बच्चे मिये करने हैं, उनकी मर्यादा के अनुसार उमे मेंहनताना मिलता है।

मजदूरों की संस्थाओं के खर्च के लिए चार स्रोतों में आर आनी है : (१) सरकार, (२) स्थानीय निवार, (३) विद्यार्थियों में आय, अर्थात् उनकी फंड तथा उनके



द्वारा प्रस्तुत सामग्रियों से आय एवं (४) दान, चन्दा, आदि। सन् १९५५-५६ में इस शिक्षा पर २३.९६ लाख रुपये व्यय हुए थे।

सम्प्रति केन्द्रीय सरकार ने मद्रास तथा बम्बई में मजदूरों के लिए दो नौकरी-विनिमय केंद्र स्थापित किये हैं। उच्चतर शिक्षा अथवा प्राविधिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अन्वे, बहरे तथा विकलांग विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियाँ दी जाती हैं।

**कतिपय समस्याएँ.**—इस प्रकार मजदूरों की शिक्षा का आयोजन इस देश में किया गया है। मजदूरों की मजदूरियों की ओर पूरे देश का ध्यान आकृष्ट हुआ है, पर पैसे की मजदूरी के कारण, सभी मजदूर हैं। कतिपय ऐसी समस्याएँ हैं, जिनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है :

१. **मजदूरों की संख्या का निर्णय.**—मजदूर विभिन्न प्रकार के हैं। कोई भी शिक्षा योजना इन विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर रहेगी। पर हमारे देश की जन-गणना रिपोर्टों से इसका पता नहीं चलता है। हमारे देश की भावी जन गणना रिपोर्ट इस ओर ध्यान दें।

२. **उत्तम तथा सुव्यस्थित संस्थाओं की आवश्यकता**—हमारे देश में मजदूर बच्चों के लिए शिशु शालाएँ, बृद्ध-वृद्धाओं के लिए कल्याण-गृह तथा मजदूरों के लिए पुस्तकालय, दस्तकारी-शिक्षा तथा उच्च शिक्षा की यथोचित व्यवस्था होनी चाहिए।

३. **देहाती पाठ्य-क्रम की ओर झुकाव.**—बहु संख्यक मजदूर गाँवों में रहते हैं। इस कारण उनके पाठ्य-क्रम में देहाती एवं कृषि-शिक्षा की ओर अधिक ध्यान रहे, ताकि यह शिक्षा मजदूरों को उपयुक्त ग्राम-वासी बनावे।

४. **यथेष्ट अर्थ की आवश्यकता.**—अधोभास के कारण, मजदूरों की शिक्षा की ओर, उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आशा की जाती है कि हमारा पंचवर्षीय योजनाएँ इस ओर ध्यान देवेंगी। स्वयं-चांश्चि संस्थाओं के लिए सरकारी अनुदान-नीति निश्चित होनी चाहिए।

५. **प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत.**—सन् १९५५-५६ में केवल ६७% शिक्षित मजदूर बच्चों के विद्यालयों में जान कर रहे थे। इनमें से अधिकांश व्यक्तियों को द्विती प्रहार का विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला था।

६ प्रशासन की कमजोरियाँ.—शासक अधिनियम अभी पूरे देश में क्रियान्वित नहीं हुए हैं; और जहाँ हुए भी हैं, वहाँ भी उनका यथोचित पालन नहीं किया जा रहा है। सभी राज्यों में अफसरों की कमी है।

## ४. स्वास्थ्य एवं अनुशासन

**भूमिका.**—किसी भी देश की शक्ति, जनता के विकास पर निर्भर रहती है, न कि लघु शान-शीलता पर। जनता के विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, शारीरिक स्वास्थ्य तथा अनुशासन। इतिहास साक्षी है कि जो देश स्वयं अपने पैरों पर खड़ा नहीं रहता है तथा अन्य देशों से सहायता की अपेक्षा रखता है, उसकी स्वतन्त्रता बर्बाद स्थानी नहीं रही है।

संगठित परिश्रम के पश्चात् हमें स्वाधीनता प्राप्त हुई है। हम फिर से पराधीनता की बेड़ियों नहीं पहनना चाहते हैं। पर यदि हममें वीरता की चिनगीरी प्रज्ज्वालित न रही, यदि हमारे देशवासी शारीरिक दीबल्य के लक्ष्य रहे, यदि हममें उचित अनुशासन न रहा, तो भारत हम फिर से अपनी नवजात स्वाधीनता को खो बैठे। अतएव हमारा प्रत्येक राष्ट्रीय योजना का एक अनिवार्य अंग होगा स्वास्थ्य एवं अनुशासन। स्कूल तथा कॉलेजों के विद्यार्थियों की ओर विशेष कर ध्यान देना पड़ेगा। ये ही हमारे देश के भवी नगरिक हैं। इस विषय के अन्तर्गत आते हैं : (१) शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद, (२) विद्यार्थियों की मैट्रिक शिक्षा, (३) सुवर्ण-कल्याण तथा (४) राष्ट्रीय अनुशासन योजना।

**शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद :** भूमिका:—स्कूल तथा कॉलेजों में कबड्डी तथा गोल-कूद की कुछ न-कुछ व्यवस्था अंग्रेजों के शासन-काल से ही थी। प्राथमिक विद्यालयों के अभाव के कारण, कवायद या हिल निवृत्त मैट्रिकों, अंग्रेजियों का पालननों द्वारा सिखलायी जाती थी। पारम्परिक खेलों का प्रचलन अधिक था, एवं देशी खेलों की उपाधा की जाती थी।

**सर्वोच्च प्राप्ति.**—स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् हमारे स्कूलों तथा कॉलेजों में 'शारीरिक शिक्षा' का उदय हुआ। प्राथमिक स्कूलों के प्रथम वर्ष से लघु कबड्डी-शिक्षा की समाप्ति पर्यन्त, शारीरिक शिक्षा हमारे स्कूल तथा कॉलेजों में एक अनिवार्य विषय है। प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थानों के निम्न पाठ्यक्रम हैं, पर ये पाठ्यक्रम सुचारु रूप से चलाने नहीं जा रहे हैं। उदात्त प्रशिक्षण केवल प्रवेशन में नहीं मिलते, ७५ प्रतिशत शारीरिक शिक्षा-संस्थानों के खेल-कूद के निम्न पाठ्यक्रम नहीं हैं, और ६० प्रतिशत संस्थानों के स्कूल-कूद अस्वास्थ्यकर हैं।

**केन्द्रीय सरकार की चेष्टाएँ.**—केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय का ध्यान शारीरिक शिक्षा की ओर सम्प्रति आकर्षित हुआ है। मन्त्रालय का एक संविभाग 'व्यायाम तथा मनोरंजन' की देखरेख करता है। विभिन्न कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक 'केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन-परामर्श मण्डल' स्थापित किया जा चुका है। हाल ही में मण्डल ने 'राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन-योजना' तैयार की है। शारीरिक शिक्षावाले संस्थानों तथा कालिजों के विकास के लिए यह योजना तैयार की गयी है। इसका उद्देश्य अखाड़ों एवं व्यायाम-शालाओं आदि को सभी प्रकार की सहायता देना है। यह योजना कार्यान्वित की जा रही है।

एम् मण्डल ने अपनी १० नवम्बर, १९५९ की बैठक में ठहराव किया : (१) केशोरों की शारीरिक उन्नति के लिए एक शारीरिक मान-दण्ड स्थिर किया जाय, जिसमें रहूँचे बिना विद्यार्थियों को शालान्त परीक्षा पास न होने दिया जाय; (२) प्रत्येक शिक्षण-संस्था में प्रति २५० विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक हो; एवं (३) जिन संस्थाओं में छात्र संख्या ७५० से अधिक हो, वहाँ एक उत्तर-स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता है। वह संस्था की शारीरिक शिक्षा का मुख्य अधिकारी गिना जावे।

**खेल-कूद का आयोजन.**—खेल-कूद के कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत-सरकार ने निम्न-लिखित उपाय किये हैं :

१. अखिल भारतीय खेल-कूद-परिषद् की स्थापना;
२. विभिन्न राज्यों में राज्य खेल-कूद-परिषदों की स्थापना; एवं
३. 'राजकुमारी खेल-कूद शिक्षण योजना' के अन्तर्गत देश में १९५३ से भारतीय तथा विदेशी खेल-कूद विशेषज्ञों की देखरेख में शिक्षण केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं।

**विद्यार्थियों की सैनिक शिक्षा: भूमिका.**—भारत के स्वतन्त्र होने पर हमें अपने सैनिक प्रबन्ध का कार्य अपने बन्धों पर उठाना पड़ा है। सैनिक शिक्षा प्रत्येक देश के लिए आवश्यक एवं गौरव की वस्तु है। जहाँ देश के नवयुवकों को पुस्तकीय शिक्षा दी जाती है, वहाँ इसका होना भी आवश्यक है। इससे नवयुवकों में अनुशासन, आत्म-समर्पण, स्वामिमान, स्वदेश-प्रेम और आज्ञाकारिता की भावना का उदय होता है। आज हमारे स्कूलों एवं कालिजों में राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल (एन० सी० सी०) एवं सहायक सैन्य शिक्षार्थी दल (ए० सी० सी०) की ट्रेनिंग दी जाती है। शिक्षा-संस्थानों के बाहर 'सैनिक-सहायक सेना' का आयोजन किया जा रहा है।

† *Times of India* November 10, 1959.

की स्थापना १५ जुलाई, १९४४ में हुई  
 वयोवर्ग के छात्र और छात्राएँ भरती हो  
 उच्च, निम्न और बालिका। प्रथम दोनों  
 दुकड़ियों की बल, स्थल तथा वायु-शाखाएँ होती हैं। इन की प्रगति का पता  
 अधो-लिखित तालिका से चलेगा :

**तालिका २८**  
**राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल की प्रगति।**

तारीख	बालक		बालिकाएँ		योग
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	
१-१-१९४९	१४,९६०	२०,१६०	—	—	३५,१२०
१-१-१९५०	२२,१८४	३६,१८०	९३	—	५८,४५७
१-१-१९५१	०३,३४९	४५,१०५	२७९	—	६५,७३३
१-१-१९५२	२३,५७०	४७,६६३	२७९	—	६९,५१२
१-१-१९५३	२६,१०३	५३,५१५	५२७	—	८०,१४५
१-१-१९५४	२८,२१७	५४,४००	६२०	—	८३,२३७
१-१-१९५५	३९,०८५	५६,६१७	२,७२८	२,९१४	१,०१,३४४
१-१-१९५६	४६,६८०	६६,३०७	३,२५५	५,१४६	१,२१,३८८
१-१-१९५७	५२,१४७	७०,८९९	३,९९९	६,७२७	१,३३,७७२
१-१-१९५८	६४,४७५	७६,५१०	५,७१०	९,२००	१,५६,००५
१-१-१९५९	७३,४०७	९२,२५८	९,२४६	१७,३४२	१,७२,२५३

**सहायक सैन्य शिक्षार्थी दल.**—स्कूलों के उन छात्रों तथा छात्राओं के सैनिक प्रशिक्षण के लिए, जो राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल में प्रवेश नहीं पाते, 'सहायक सैन्य शिक्षार्थी दल' की स्थापना की गयी है। इसके सैनिक १२-२३ वयवर्ग के होते हैं। प्रशिक्षण में सैनिक की अपेक्षा शैक्षणिक आवश्यकताओं की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। शिक्षक स्कूलों से चुने जाते हैं, और इन्हें सेना तथा राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल के कर्मचारीगण ट्रेनिंग देते हैं। सन् १९५२ में इस दल का आयोजन किया गया था, जब कि शिक्षार्थियों की संख्या ७०,००० थी। सन् १९५८ के अन्त में इनकी संख्या ८,५७,९४७ पहुँची।

८. लोक-सहायक सेना.—सहायक क्षेत्रीय सेना, जो १९५४ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में पुनर्संगठित हुई थी, अब 'लोक-सहायक-सेना' कहलाती है। इसका उद्देश्य पाँच वर्षों में लगभग पाँच लाख व्यक्तियों को प्रारम्भिक सैनिक शिक्षा देना है। इस सेना में, भूतपूर्व सैनिकों तथा भूतपूर्व सैन्य शिक्षार्थियों को छोड़कर १८ से ४० वर्ष तक के सभी स्वस्थ पुरुष भरती हो सकते हैं।

नये रंगरूटों को तीस दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण काल में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए, भोजन तथा वस्त्र आदि की निःशुल्क व्यवस्था रहती है। तथा शिविर की समाप्ति पर जेब खर्च के लिए उनको पन्द्रह रुपये दिये जाते हैं।

**युवक-कल्याण**—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् युवक-कल्याण की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हुआ है। प्रायः प्रत्येक स्कूल, कालिज और विश्वविद्यालय में कम से कम एक 'युवक-कल्याण समिति' रहती है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के पाठान्तर कार्यों का आयोजन एवं सयोजन है। संस्थानिक समितियों के अतिरिक्त अनेक जगह क्षेत्रीय कमिटियाँ भी होती हैं, जो विद्यार्थियों के खेल-कूद, समारोह, रहने की व्यवस्था, आदि की देख-भाल करती हैं।

सन् १९५१ में सयुक्त गण्ट-संघ ने शिमला में एक गोष्ठी का आयोजन किया था। इस गोष्ठी ने युवक-कल्याण के प्रसार के लिए विविध योजनाओं पर विचार किया। नई, १९५५ में केंद्रीय शिक्षा-मंत्रालय में एक युवक कल्याण सविभाग स्थापित हुआ। युवक-कल्याण के क्षेत्र के मुख्य गति-विधियों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है:

१. मन् १९५४ से अन्तर्विद्वद्विद्यालय समारोह का आयोजन तथा अन्तर्कालिज समारोहों के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता का दिया जाना;

२. युवक-नीतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का संगठन किया जाना;

३. ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के स्थानों के लिए युवक यात्राओं के सम्बन्ध में किराये के सुभीते;

४ युवकों के लिए छात्रावासों का बन्दोबस्त;

५. विश्वविद्यालय तथा राज्य-सरकारों को युवक-कल्याण मण्डल स्थापित करने के लिए तथा यथोचित कार्यों के सम्पादन के निमित्त अनुदान;

६. कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों के छात्रों के रहन सहन का सर्वेक्षण;


७. छात्रेतर युवक-कल्याण मण्डलों की स्थापना;

८. विद्यार्थियों में शरीररक्षण की प्रतिष्ठा के प्रति भावना पैदा करने के लिए श्रम-दान तथा समाज-सेवा योजना का लागू किया जाना; तथा

९. अन्तर्कालिज समारोह योजना. प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षा संस्थानों में व्यायाम-शाला, सन्तान-जलाशय, खुले रंगमंच, आदि की व्यवस्था ।

उपर्युक्त कार्यशालाओं की बंटीलत हमारे देश के युवकों में नवीन जागृति हुई है । हमारे विश्वविद्यालयों में ललित कला, संगीत, नाट्याभिनय का नवीन जन्म हो रहा है । स्वार्षिक समाज-सेवा में दिलचस्पी ले रहे हैं, उनका नेतृत्व का प्रशिक्षण मित्र रहा तथा उनमें शरीर रक्षण की प्रतिष्ठा के प्रति भावना पैदा हो रही है । विभिन्न विद्यार्थियों के श्रम-दान का ध्येय आर्थिक न हो । इसका उद्देश्य सदा शैक्षणिक रहे ।

**राष्ट्रीय अनुशासन योजना :** पूर्व-वृष्टि.—एक ही में, हम देश में एक नवीन योजना आरम्भ हुई है । इसका उद्देश्य है, विद्यार्थियों की वर्तमान उदात्ता एवं उत्कृष्टता को रोकना तथा उन्हें अनुशासित करना । इस योजना की भावना भी ब्रह्मसंहिता के एक अधिभाग से शुरू होती है । मन् १९५४ में उन्होंने दिल्ली के एक राष्ट्रीय मेमिड हल को मुकद काल में देश की रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया । इस अवसर पर उन्होंने एक राष्ट्रीय अनुशासन-योजना की पर्चा की । इसे



युवक  
उत्सव

प्रशिक्षण  
शिविर

अन्तर्काभिज  
समारोह

यात्रा के  
सुभीते



श्रमदान तथा  
समाजसेवा

# युवक कल्याण



छात्रावास



छात्रेतर युवक-  
कल्याण मण्डल

छात्रों की रहन-सहन  
का सर्वेक्षण

युवक-कल्याण  
मण्डल

कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी तत्कालीन पुनर्बांध उप-मन्त्राधीन जे० के० भोंगले को सौंपी गयी। जापान तथा अन्य देशों के अनुभवों के आधार पर, श्री भोंगले ने इस नवीन योजना की एक रूप-रेखा तैयार की।

इसका धीमेपेश दिल्ली के 'कम्यूनिज निफेतन' में हुआ। मन् १९५४ के अंत में श्री नेहरू ने इस संस्था के शिक्षार्थियों के कार्यकाल का परिदशन किया। वे इसमें इतने उत्तुष्ट हुए कि उन्होंने इस योजना को पूरे भारत में लागू करने का आदेश दिया।

**विस्तार.**— योजना का कार्यक्रम सम्पूर्ण दिल्ली, फरीदाबाद, राजपुरा, उड्डाम-नगर, जल्धर में विस्तारित हुआ। प्रथम वर्ष अर्थात् १९५४-५५ में इस कार्यक्रम के लिए सिर्फ एक लाख रुपये खर्च किये गये। इस वर्ष यह योजना १९ शिक्षा-संस्थानों में लागू हुई, तथा २४,८८१ शिक्षार्थी प्रशिक्षित किये गये। मन् १९५६ के अंत में ६९,००० छात्र-छात्राओं ने इस योजना का लाभ उठाया। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए पाँच करोड़ रुपये की माँग है।

केंद्रीय शिक्षा-मन्त्रालय का 'व्यायाम और मनोरंजन सविभाग' इस योजना का परिचायन करता है। इस योजना को १९५९-६० में लागू करने के लिए आवश्यक में दीम लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस साल जिन नयी संस्थाओं में योजना लागू की गयी/या की जायगी, उनकी संख्या इस प्रकार है :

### तालिका २९

राष्ट्रीय अनुशासन-योजना की व्यवस्था, १९५९-६०†

राज्य	स्कूलों की संख्या	बच्चों की संख्या
दिल्ली	१६	६,५६१
पन्जाब	८०	४८,२६८
मध्य-प्रदेश	३	१,०००
उत्तर-प्रदेश	८	२,४५०
बम्बई	२५	५,०२०
पश्चिम बंगाल	२६	५,१५०
कुल...	१५८	६८,४४९

† भारतीय समाचार, १५ सितम्बर, १९५९, पृष्ठ ५१९।





# ग्यारहवाँ अध्याय

## कतिपय राष्ट्रीय संस्थान

प्रस्तावना

गिरे पत्रों में हमारे देश की मुख्य समस्याओं की आलोचना की गयी है। हमकी राजनीति के आरम्भ में अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध काफी अग्रगण्य था। भारत के अन्दर अंग्रेजों में कुछ समस्याएँ स्थापित हुई, जिनका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय पद्धति पर प्रहार करना। अधिकतर समस्याएँ अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध गयीं न रह सकीं, वे विनीत हो गईं। पर कुछ अभी भी अग्रगण्य सिद्ध हो चुकी हैं। इनमें से मुख्य हैं :  
गुरुकुल बॉगरी, एम० एन० सी० टी० महिला विश्वविद्यालय, विश्व-भारती, त्रिपाठी, इत्यादि।  
इन्हीं के अतिरिक्त अणु, एच० इन्दुरथानी नालीमी संघ, सेवाग्राम। इनका सशक्त विवरण दे दिया जाता है।

गुरुकुल बॉगरी

उत्तरीय राजनीति के मध्य में, हिन्दू-धर्म-सुधार का आन्दोलन आरम्भ हुआ। जहाँ दयानन्द सरस्वती ने प्रारम्भ किया, "हमें वेद का पुनर्निर्माण करना है।" इसके अनुयायी, गुरुकुल बॉगरी का प्रचार भी आवश्यक समझा गया। उत्तरीय राजनीति के आरम्भ में कई गुरुकुल स्थापित हुए। जिनमें गुरुकुल बॉगरी मुख्य है। इसकी स्थापना जहाँ दयानन्द ने सन् १९०३ में हरिद्वार के पास बॉगरी में की।

मध्या का उद्देश्य है समस्त साहित्य के माध्य-माध्य वैदिक साहित्य का अध्ययन, प्राचीन राष्ट्रीय शिक्षण, भारत के प्राचीन इतिहास तथा पुरातत्व का अध्ययन। इसीलिए यहाँ संस्कृत वेद और अंग्रेजी साहित्य के माध्य अंग्रेजी, रसायन, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, चतुर्विध शास्त्र, भू-विज्ञान, कृषि, पशुपालन, दर्शन, अर्थशास्त्र तथा आधुनिक पद्धतों की व्यवस्था की गयी है। शिक्षा का माध्यम हिन्दी है।

इसके अतिरिक्त यहाँ संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी की भाषा में एक संस्था स्थित है। यहाँ मानव प्रगति के अनुयायी शिक्षा दी जाती है, शिक्षा और शिक्षक माध्य-माध्य रहते हैं।

से आठ वर्ष की उम्र में, यहाँ बालक प्रविष्ट होता है; चौदह वर्ष के अध्ययन के बाद, ह स्नातक तथा दो वर्ष पश्चात् वाचस्पति होता है। गुरुकुल का आयुर्वेदिक विभाग ख्यात है। यहाँ विविध प्रकार की दवाइयाँ प्रस्तुत होती हैं। यहाँ का पाठ्य-क्रम च-वर्षीय होता है, और १५-१९ वयोवर्ग के विद्यार्थी भर्ती किये जाते हैं।

गुरुकुल में सहशिक्षा निषिद्ध है। बालकों को चौबीस वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य-पालन करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। उन्हें निरामिष भोजन करना पड़ता है। स्वारथियों की दिनचर्या प्राचीन गुरुकुलों की नारें होती है: प्रातःकाल उठना, शारीरिक श्रम, हवन, इत्यादि। आश्रम को साफ सुथरा उन्हें ही रखना पड़ता है।

### स० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय

इस विश्वविद्यालय का विकास पूना के एक सामान्य स्कूल से हुआ, जिसकी स्थापना सन् १८९६ में आचार्य कर्वे ने हिन्दू विधवाओं के लिए की थी। धीरे-धीरे स छोटे से स्कूल में कई संस्थाएँ सलभ हुई, जैसे : एक छात्रावास, एक प्राथमरी स्कूल तथा एक प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण केन्द्र। संस्था इतनी लोकप्रिय हुई कि अनेक पिता-पिता अपनी कुर्बानियाँ कन्याओं को छात्रावास में रखने लगे।

इससे आचार्य कर्वे का उत्साह बढ़ा और उन्होंने भारतीय छात्राओं के लिए एक उच्च शिक्षा योजना आरम्भ की। उनका कथन है कि नर और नारियों का पाठ्य-क्रम समान नहीं हो सकता, कारण दोनों के जीवन-क्षेत्र ही विभिन्न हैं। इसीलिए उन्होंने यह भी तय किया कि यह शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जाय, प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास निज भाषा के द्वारा ही हो सकता है।

सन् १९१६ में आचार्य कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की एक राष्ट्रीय संस्थान है। कारण, यहाँ भारत के कोने-कोने से छात्राएँ अध्ययन आती हैं। विश्वविद्यालय की अधोलिखित विशेषताएँ हैं, जो अन्य विश्वविद्यालय नहीं पायी जाती :

१. विश्वविद्यालय केवल महिलाओं के लिए है;
२. इसके स्वीडिश कालिज देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं;
३. पाठ्य-क्रम में स्त्रियों के लिए उपयोगी अनेक विषयों का समावेश है, जैसे : संगीत, चित्रकला, नाट्य शास्त्र, यह विज्ञान, आदि;

४. शिक्षा का माध्यम मानुषाभा है; एष

५. परीक्षाओं में साथ छात्राएँ भी बैठ सकती हैं। इसका लाभ अनेक महिलाएँ उठाती हैं, जो कि कालिजों में नियमित रूप से सदा अध्ययन नहीं कर सकतीं।

सन् १९३० में विश्वविद्यालय का सदन मुकाम बम्बई में स्थानान्तरित हुआ। क्योंकि बम्बई के एक करोड़पति ने अपनी माता, श्रीमती नाथीबाई दामोदर टाडरसी, की पुण्य स्मृति में स्वयं रुपये दान दिये। इसी कारण इस विश्वविद्यालय का वर्तमान नामकरण हुआ। सन् १९५१ में, इसे वैधानिक स्वीकृति दी गयी है। विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त कॉलेज बम्बई, बड़ीगा, पुना, मुम्बै, भावनगर तथा अहमदाबाद में स्थित हैं। सन पार्लियमन्ट को ये सद् संस्थान हमारे देश की महिलाओं की शान्ति और मानसिक शान्ति में बड़ा योग दे रहा है।


### विश्व-भारती

सन् १८६३ में कवि श्रीरुद्रनाथ टाकुर का रिता, महर्षि देवेन्द्रनाथ टाकुर, ने परमार्थ साधकों के लिए एक आश्रम की स्थापना बल्दरत्ते के पास कोलपुर ग्राम में की थी। इसका नामकरण उन्होंने शान्ति नियेत्तन किया। जिस स्थान में वे साधना किया करते थे, वहाँ एक सततमेघ-शिला पर बैंगन-भांग में मुद्रा हुआ है :

निनि आगार प्राणो अगमन, मनो अगमन, आत्मन शान्ति ।<sup>१</sup>

सन् १९०१ में मुम्बई में इसी स्थान में बच्चों के लिए एक प्रायोगिक विद्यालय स्थापित किया, जिसका उद्देश्य टैसी शिक्षा देना था जो प्राकृतिक हो वहाँ बच्चे परिवार से दानाकरण का अनुभव करें और वे पारम्परिक शिक्षण और उन्माह के साथ स्वतन्त्रतापूर्वक अध्ययन करें। सन् १९२१ में यही विद्यालय विश्व-भारती के नाम से। अन्तर्राष्ट्रीय विवरणियाँ के रूप में परिचित हुआ। कविने ने संकाय स्वीकृति की प्राप्ति न की। वे १५ अरुण सत्या का साक्षात्कारी कार्य में सम्मिलित नहीं रहने लगे थे। अर्थात् उनके कारण उन्हें अध्ययन पढ़ा, पर उन्होंने अपने कार्य की अज्ञानता न बनाया। स्वर्गीय ज्ञान में ही इस विश्वविद्यालय की प्राकृतिक सत्यता सन् १९५१ में वैधानिक स्वीकृति दी गई। विश्वविद्यालय के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

१. बच्चों के भी सत्य के अज्ञान, सब के अज्ञान एवं अज्ञान का दान है।



१. विभिन्न दृष्टिकोण से मनुष्य-जीवन का अध्ययन,
२. पूर्व की विभिन्न सभ्यताओं का अध्ययन एवं अनुसन्धान,
३. पूर्व की विभिन्न सभ्यताओं को उनकी मौलिक एकता के आधार पर पश्चिम के विद्वानों और सभ्यता के निकट पहुँचाना; एवं
४. सहस्रभुज्य का अनुभव करते हुए पूर्व और पश्चिम का समन्वय करना, जिससे विश्व-सन्धुत्व और विश्व एकता सम्भव हो सके।†

विश्व-भारती एक सावाम विश्वविद्यालय है, जहाँ भारत के विभिन्न भागों से विद्यार्थीगण आते हैं तथा प्राध्यापकगण काम करते हैं। इसके अनिश्चित अन्य देशों के छात्र तथा दसकगण यहाँ सदा आते जाते ही रहते हैं। विदेशी छात्रगण भी यहाँ नियमित या अनियमित विद्यार्थी रूप में अध्ययन कर सकते हैं। अनियमित छात्रों के लिए विशेष उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रम का प्रबंध किया जाता है, जैसे - पगला, हिंदी, संस्कृत, पाली, चीनी और तिब्बती भाषाएँ, प्राचीन भारत का इतिहास, भारतीय दर्शन शास्त्र, प्राचीन भारतीय सभ्यता, इत्यादि। भारतीय कथा तथा नृत्य की शिक्षा का भी यहाँ विशेष प्रबंध है। इसके अनिश्चित इस विश्वविद्यालय में (महा कुल) अनिश्चित की (सूक्त) दिने कोई भी विद्यार्थी किसी भी बोर्ड का अथवा नियमित या अनियमित छात्र के रूप में कर सकता है, धर्मों कि वह उन दिनों की और विशेष अनिश्चित शिक्षाएँ।

विश्वविद्यालय के मुख्य निम्नी कालिख ये हैं : विद्या भवन (उप-स्नातक एवं उत्तर-स्नातक कक्षाएँ तथा अनुसन्धान), शिक्षा-भवन (उत्तर-स्नातक स्कूल), कला भवन (कविता कला एवं मस्यर), संगीत भवन (संगीत एवं नृत्य), विनय भवन (विभिन्न प्रशिक्षण महाविद्यालय), विश्व-भवन (पुस्तकालय प्रशिक्षण-केन्द्र)। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय विशाल है जहाँ लगभग दो लाख पाठ्यलिपियों का सङ्ग्रह है।

दुनिया के सभ्यताओं से दूर, शान्ति निकेतन में पूर्ण शान्ति सिखाती है। नील सदन के नीचे आदर्शकानुसार कक्षाएँ सजती हैं। शिक्षा में विद्यार्थियों के सम्पूर्ण स्वतंत्र की और विशेष ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम में अनेक शिक्षों का समावेश है, ताकि प्रत्येक छात्र अपनी इच्छा के अनुसार विनय का चुनाव कर सके। विनय, नाच, संगीत, कला कला, पुस्तकें का काम, भाषा-कथाएँ, इत्यादि शिक्षों की शिक्षा की यहाँ व्यवस्था है। यह व्यवस्था अनेक विश्वविद्यालयों में नहीं सृष्टी है। विशेषतः इनका अध्ययन करने है।

विद्यार्थियों में सत्य-संकेत की भावना उत्पन्न करना विश्व-भारती का एक प्रधान उद्देश्य है। देश-सौते, अन्ध-धर्म तथा अन्य अन्ध-धर्मों की सेवा का सेवा इन विश्व




Figure 1. A rectangular object, possibly a book or document, lying on a textured surface.



१. विभिन्न दृष्टिकोण से मनुष्य-जीवन का अध्ययन,
२. पूर्व की विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन एवं अनुसन्धान;
३. पूर्व की विभिन्न संस्कृतियों को उनकी मौलिक एकता के आधार पर पश्चिम के विद्वानों और संस्कृत के निकट पहुँचाना; एवं
४. सद्बन्धुत्व का अनुभव करत हुए पूर्व और पश्चिम का समन्वय करना, जिससे विश्व-बन्धुत्व और विश्व-एकता सम्भव हो सके।

विश्व भारती एक साधारण विश्वविद्यालय है, जहाँ भारत के विभिन्न भागों से विद्यार्थीगण आते हैं तथा प्राध्यापकगण काम करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य देशों के छात्र तथा दशकगण यहाँ मद्रा आते जाते ही रहते हैं। विदेशी छात्रगण भी यहाँ नियमित या अनियमित विद्यार्थी रूप में अध्ययन कर सकते हैं। अनियमित छात्रों के लिए विशेष उच्च-स्नातक पाठ्यक्रम का प्रबंध किया जाता है, जैसे - अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, पाली, चीनी और तिब्बती भाषाएँ, प्राचीन भारत का इतिहास, भारतीय दर्शनशास्त्र, प्राचीन भारतीय संस्कृति, इत्यादि। भारतीय कला तथा नृत्य की शिक्षा का भी यहाँ विशेष प्रबंध है। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में बिना कुछ अतिरिक्त फी (शुल्क) दिये कोई भी विद्यार्थी किसी भी कोस का अध्ययन नियमित या अनियमित छात्र के रूप में कर सकता है, धनते कि वह उस विषय की ओर विशेष अभिरुचि दिखलावे।

विश्वविद्यालय के मुख्य निजी कालिब्र ये हैं : विश्व-भवन (उच्च स्नातक एवं उच्च-स्नातक कक्षाएँ तथा अनुसन्धान), शिक्षा-भवन (उच्चतर माध्यमिक स्कूल), कला भवन (ललित कला एवं साहित्य), संगीत भवन (संगीत एवं नृत्य), विज्ञान भवन (विद्युत प्रशिक्षण महाविद्यालय), शिल्प-भवन (कुटीर-शिल्प प्रशिक्षण-केन्द्र)। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय विशाल है जहाँ लगभग दो लाख पाठ्युपकरणों का संग्रह है।

दुनिया के सारे देशों से हुए, शान्ति निकेतन में पूर्ण शान्ति सिखायी है। शान्ति-भवन के नीचे आदर्शशालाएँ बसायी हैं। शिक्षा में विद्यार्थियों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम में अनेक विषयों का समावेश है, ताकि प्रत्येक छात्र अपनी दृष्टि के अनुसार विषय का चुनाव कर सके। विज्ञान, साहित्य, संगीत, कला, नृत्य, योग, योग्यता का काम, भाषा-कक्षाएँ, इत्यादि विषयों की शिक्षा की यहाँ व्यवस्था है। यह व्यवस्था अनेक विश्वविद्यालयों से नहीं मिली है। विशेषतः इनका अध्ययन करते हैं।

विद्यार्थियों से कक्षा-कक्षा की मदद कराने वाला विश्व-भारती का एक मन्त्र उद्घोष है। इसे-सौते, अन्ते-सुते तथा अन्य अन्तर्दोषों की सेवा का सेवा इस विश्व





१. विभिन्न दृष्टिकोण से मनुष्य जीवन का अध्ययन;
२. पूर्व की विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन एवं अनुसन्धान,
३. पूर्व की विभिन्न संस्कृतियों को उनकी मौलिक एकता के आधार पर पश्चिम के विद्वानों और संस्कृत के निकट पहुँचाना; एवं
४. महानुत्थ का अनुभव करते हुए पूर्व और पश्चिम का समन्वय करना, जिससे विद्व-व्युत्थ और विद्व-एकता समझ हो सके।†

विश्व भारती एक साधारण विद्वविद्यालय है, जहाँ भारत के विभिन्न भागों से विद्यार्थी आते हैं तथा प्राध्यापकगण काम करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य देशों के छात्र तथा दर्शनगण यहाँ मद्य आते जाते ही रहते हैं। विदेशी छात्रगण भी यहाँ नियमित या अनियमित विद्यार्थी रूप में अध्ययन कर सकते हैं। अनियमित छात्रों के लिए विना उन्नत-स्नातक पाठ्यक्रम का प्रबंध किया जाता है, जैसे : अगत्या, हिंदी, संस्कृत, पार्सी, चीनी और तिब्बती भाषाएँ, प्राचीन भारत का इतिहास, भारतीय दर्शन शास्त्र, प्राचीन भारतीय संस्कृति, इत्यादि। भारतीय कला तथा नृत्य की शिक्षा का भी यहाँ विशेष प्रबंध है। इसके अतिरिक्त हम विद्वविद्यालय में बिना कुछ अतिरिक्त की (शुल्क) द्विजे बोंटें भी विद्यार्थी किरी भी बोल का अ यत्न नियमित या अनियमित छात्र के रूप में कर सकता है, वगैरें कि वह उस विषय की और विशेष अभिरुचि दिखलावे।

विद्वविद्यालय के मुख्य निजी कारिगरे ये हैं . विद्या भवन (उप स्नातक एवं उन्नत-स्नातक कक्षाएँ तथा अनुसंधान), शिक्षा-भवन (उच्चतर माध्यमिक स्कूल), कला भवन (कलित कला एवं क्राफ्ट), संगीत भवन (संगीत एवं हार), विज्ञान भवन (विश्वक प्रशिक्षण महाविद्यालय), विद्व-भवन (बुद्धिग शिल्प प्रशिक्षण-केन्द्र)। विद्वविद्यालय का पुस्तकालय विख्यात है जहाँ लगभग दो लाख पाठ्यपुस्तकें हैं।

दुनियाँ के सर्वे शास्त्रों से हुए, शास्त्रिक विवेचन में पूर्ण समर्थ सिद्धांतों हैं। नीच-मगन के नीचे आसुरक शक्तुसार कक्षाएँ लगती हैं। शिक्षा में विद्यार्थियों के समुद्र्य शक्ति व की और शिखर धरत दिशा जाता है। पाठ्यक्रम में अनेक विद्यों का समावेश है, ताकि प्रत्येक छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय का चुनाव कर सके। विद्व-भवन, नाच, संगीत, क्राफ्ट कला, मुद्राई का काम, मासके-कान्द, इत्यादि विद्यों की शिक्षा की यहाँ व्यवस्था है। इन व्यवस्था अनेक विद्यार्थियों को नयी शक्ति हैं। विद्व-भवन इनका अध्ययन करते हैं।

विद्व-भवन में शास्त्रिक विद्या की अदम्य शक्ति कक्षा विद्य-भारती का एक महान् संस्था है। यहाँ विद्यों, अर्थिक शक्त अथवा अर्थिक शक्ति की शक्ति का संस्था इन विद्य

अध्यय ने उठाया है। विद्यार्थियों को आसपास के गाँवों में जाना पड़ता है तथा उन्हें रात या पतितों की उन्नति की ओर लक्ष्य रखना पड़ता है, ताकि इन गरीबों का जीवन स्वतः सुखप्रद हो।

शान्ति-निकेतन में एक मील दूरी पर पश्चिम की ओर 'श्रीनिकेतन' है। यह ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-संस्था है, और विश्वभारती का एक भाग है। श्रीनिकेतन का स्थापना गुरुदेव ने मन् १९२१ में की थी। तभी से यह ग्राम-सुधार तथा ग्राम-शिक्षा का केंद्र रहा है।

गुरुदेव के देहावसान को आज दस से अधिक वर्ष बीत गये हैं, पर विश्व-भारती में उनके व्यक्तित्व की छाप विद्यमान है। संस्था के वातावरण में कविता बहती उठती है — गाँव की सादगी, कोपई नदी का कल-कल ख, बग-बगीचे की हरीनिमा, शुष्क पत्तों की नर्मर ध्वनि तथा पक्षियों का अजरु कर्ण मधुर संगीत! हम कह सकते हैं कि शान्ति निकेतन को प्रकृति का घराना है। विश्व-भारती भारतीय शिक्षा का केंद्र है तथा अन्तर्गर्भीय ज्ञान का विद्यापीठ है। इस संस्था के जन-हित समाजसेवा-सम्बन्धी कार्य मूल्य एवं श्लाघ्य हैं।

## विद्यापीठ

मन् १९२० के अमहोपग आन्दोलन के समय, कतिपय राष्ट्रीय विद्यापीठों के मिश्र-मिश्र स्थानों में स्थापित हुए, जैसे : पुना, अहमदाबाद, बनारस, लाहौर, श्रीनगर, (बाद में दिल्ली में स्थानान्तरित)। इनका मुख्य उद्देश्य था हमारे देश के नौजवानों को ऐसी उच्च शिक्षा देना कि उनके हृदय में राष्ट्रीय भाव प्रस्फुटित हो सकें और वे देशोद्धार के सम्राट् में चूट पड़ें। अंग्रेजी कानिज्ञों तथा विद्वानों के द्वारा उच्च शिक्षा सम्भव न थी।

इस उद्देश्य को सामने रखते हुए विद्यापीठों का वास्तविक तैयार किया गया। भारतीय भाषाओं तथा संस्कृति को प्रमुख स्थान दिया गया, तथा इन्हीं एक ही दिशा में शिक्षा दिया गया। इनमें शिक्षा मात्र भारत के माध्यम में दी जाती थी। इन्होंने निराले विद्यार्थियों तथा विद्यार्थिनीयों को प्रदान करने में। अनेक देश-भरों ने अल्प-संख्यक रूप में विद्यापीठों में अभिरुचि का कार्य स्वीकार किया, पर अमहोपग आन्दोलन के बाद के साथ-साथ दिल्ली की शान्ति निकेतन के विद्यापीठों के विद्यापीठ बन्द हो गये। नौजवानों के लिए इन विद्यापीठों के विद्यापीठों को मान्यता नहीं दी गयी। इन विद्यापीठों के अस्तित्व का क्या भविष्य है? देश-भरों की समस्त जीवन में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं।



औंधी-तूफानों को झेलते हुए भी, जामिया ने अपनी स्वाधीनता कायम रखी । सरकारी मान्यता की परवा न की, और तत्कालीन पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं । इसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा इसकी डिग्रियाँ भी स्वीकृत हुईं । पर भित्दारियों को सदा अपनी स्वाधीनता खोनी पड़ती है, इसके कारण या ने सरकारी अनुदान की तनिक भी अपेक्षा नहीं की । उसने सदा अपने आदर्शों कायम रखे । दान और चन्दे पर ही यह सस्था चलती रही । लोगों ने इस सस्था की सहायभूति भी दितलायी । कागण, उन्हेने जामिया के आदर्शों को समझा ।

आज जामिया निम्न-लिखित संस्थाओं को चला रही है :

१. एक सावास कालिज.—इसमें कला, विज्ञान तथा सामाजिक शास्त्र की शिक्षा दी जाती है ।

२. एक सावास ब्रह्मदेशीय उच्चतर माध्यमिक शाला ।

३. एक सावास प्राथमिक स्कूल —यहाँ पर प्रोजेक्ट पद्धति-द्वारा शिक्षा दी जाती है ।

४. प्रौढ शिक्षण-सस्था—जो प्रयोगिक समाज-शिक्षा-केन्द्रों का परिचालन करती है ।

५. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय.—इसमें बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षित होते हैं । अवर पाठ्यक्रम के लिए डिप्लोमा तथा प्रवर पाठ्यक्रम के लिए बी० एड० डिग्री मिलती है ।

६. मकतबा.—यहाँ से स्कूली पाठ्यपुस्तके प्रकाशित होती हैं ।

७. पुस्तकालय.—यहाँ बीस हजार से अधिक पुस्तके हैं ।

८. कला-प्रशिक्षण-केन्द्र.—क्राफ्ट शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ।

९. ग्राम्य अर्थशास्त्र तथा समाज-शास्त्र केन्द्र—यहाँ उत्तर-स्नातक स्तर पर अनुसन्धान-कार्य होता है ।

१०. इतिहास एव राजनीति शोध-संस्था.—यहाँ इन विषयों की शिक्षण-विवियों में समन्वय स्थापित करने के लिए शोध-कार्य हो रहा है । तथा यहाँ से सहायक शिक्षण-सामग्री तैयार होती है ।

११. एक ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-संस्था ।

१२. एक पूर्व-प्राथमिक स्कूल ।

२३. समाज शिक्षा प्रकाशन-केन्द्र.—दही नवमिथित वस्त्रों की शिक्षा के विषय में अनुसन्धान किया जाता है, तथा उनके उपयोगी साहित्य का प्रकाशन किया जाता है।

आमन्त्याग में विनेसांठ धर्मियों के द्वारा, इस सम्प्रदाय का सम्बन्ध होता है। ये केन्द्र २००-५०० रु० मासिक व्यय लेते हैं तथा सम्प्रदाय की बीच वस्त्रों का वितरण और भी काम करते हैं। ऐसे ही महानुभाव इस सम्प्रदाय के सदस्य हो सकते हैं। दही सदस्य सम्प्रदाय की देखभाल करते हैं तथा दसवीं प्रत्येकशिक्षणी मन्त्र के सदस्य होते हैं।

### हिन्दुस्थानी तालीमी मध्य, वेधाप्राम

**भूमिगत.**—दुमिरानी शिक्षा की संस्था बना इस मध्यक व सीमा सम्प्रदाय में थी। हिन्दुस्थानी तालीमी मध्य, वेधाप्राम इस नदीय शिक्षा का प्रधान केन्द्र है। इसकी स्थापना सन् १९३६ में हुई थी।

इस कार्य के लिए वेधाप्राम मध्येषण स्थान शिक्षा का प्रधान है। इस केन्द्र के इंदे विभिन्न सम्प्रदाय लोग गांव है। वस्तु को भी गांव दशा में अधिक दूर नहीं है। इस वेधाप्राम मध्यक के लक्ष्य गांव की दूरी का प्रथम है। वेधाप्राम मध्यक के लक्ष्य गांव तथा वस्तु प्राम का एक प्रधान केन्द्र है।

सम्प्रदाय में मध्य में एक पूर्ण दुमिरानी मध्यक कायदा है। इसमें वेधाप्राम २ प्रथमिक शिक्षा की कार्य थी। नदी तालीमी के लक्ष्य मध्यक के लक्ष्य को भी वेधाप्राम का प्रधान केन्द्र है। वेधाप्राम, नदी तालीमी के लक्ष्य मध्यक का प्रधान है। (१) हिन्दु शिक्षा, (२) पूर्ण दुमिरानी शिक्षा। (३) दुमिरानी शिक्षा केन्द्र, (४) वेधाप्राम दुमिरानी शिक्षा

**विभिन्न विभाग.**—वेधाप्राम मध्यक के लक्ष्य मध्यक के लक्ष्य का प्रधान है

१. पूर्ण वेधाप्राम मध्यक का प्रधान है।

२. वेधाप्राम मध्यक का प्रधान है। वेधाप्राम मध्यक के लक्ष्य मध्यक के लक्ष्य का प्रधान है। वेधाप्राम मध्यक के लक्ष्य मध्यक के लक्ष्य का प्रधान है।

३. वेधाप्राम मध्यक के लक्ष्य मध्यक के लक्ष्य का प्रधान है। वेधाप्राम मध्यक के लक्ष्य मध्यक के लक्ष्य का प्रधान है। वेधाप्राम मध्यक के लक्ष्य मध्यक के लक्ष्य का प्रधान है।

औधी-तूफानों को झेलने हुए भी, जामिया ने अपनी स्वाधीनता शायद अपने मरकारों मान्यता की परवा न की, और तत्कालीन पाठ्यक्रम को स्वीकार किया। इसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा इसकी डिग्रियाँ भी स्वीकार नहीं हुई। पर भित्थारियों को सदा अपनी स्वाधीनता खोनी पड़ती है, इसके का जामिया ने सरकारी अनुदान की तनिक भी अपेक्षा नहीं की। उसने सदा अपने आद सामने रखा। दान और चन्दे पर ही यह सस्था चल्ती रही। लोगों ने इस सं प्रति सदानुभूति भी दिगलायी। कागण, उन्होंने जामिया के आदर्शों को समझा।

आज जामिया निम्न-लिखित संस्थाओं को चला रही है :

१. एक सावास कालिज.—इसमें कला, विज्ञान तथा सामाजिक शास्त्र की शिक्षा दी जाती है।
२. एक सावास ब्रह्मदेदीय उच्चतर माध्यमिक शाला।
३. एक सावास प्राथमिक स्कूल.—यहाँ पर प्रोजेक्ट पद्धति-द्वारा शिक्षा दी जाती है।
४. प्रौढ़ शिक्षण-संस्था—जो प्रयोगिक समाज-शिक्षा-केन्द्रों का परिचालन करती है।
५. शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय.—इसमें बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षित होते हैं। अवर पाठ्यक्रम के लिए डिप्लोमा तथा प्रवर पाठ्यक्रम के लिए बी० एड० डिग्री मिलती है।
६. मकतबा.—यहाँ से स्कूली पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित होती हैं।
७. पुस्तकालय.—यहाँ बीस हजार से अधिक पुस्तकें हैं।
८. कला-प्रशिक्षण-केन्द्र.—क्राफ्ट शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए।
९. ग्राम्य अर्थशास्त्र तथा समाज-शास्त्र केन्द्र—यहाँ उत्तर-स्नातक स्तर पर अनुसन्धान-कार्य होता है।
१०. इतिहास एवं राजनीति शोध-संस्था.—यहाँ इन विषयों की शिक्षण-विधियों में समन्वय स्थापित करने के लिए शोध-कार्य हो रहा है। तथा यहाँ से सहायक शिक्षण-नामग्री तैयार होती है।
११. एक ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-संस्था।
१२. एक पूर्व-प्राथमिक स्कूल।



१३. समाज-विज्ञान प्रकाशन-केन्द्र.—यहाँ नवमिक्षित्त नगरों की शिक्षा के विषय में अनुसन्धान किया जाता है, तथा उनके उद्योगी माहिल्य का प्रकाशन किया जाता है ।

आत्मन्त्याग-वन लेनेवाले व्यक्तियों के द्वारा, इस सभ्या का सम्न्धान होता है । ये केवल २००-५०० ६० मानिक धन लेते हैं तथा सभ्या की वीम दर तक सेवा करना अंगीकार करते हैं । ऐसे ही महाभारत इस सभ्या के सदस्य हो सकते हैं । यही सदस्य सभ्या की देखभाल करते हैं तथा उसकी प्रवृत्तिकाणि सभ्या क सदस्य होत हैं ।

### हिन्दुस्थानी तालीमी मघ, सेवामाम

भूमिदाता.—हुमियादी शिक्षा की दिग्भूत नर्वा इस पुस्तक के तीसरे अरण्य में की गयी है । हिन्दुस्थानी तालीमी मघ, सेवामाम इस नवीन शिक्षा का प्रधान केन्द्र है । इसकी स्थापना सन् १९३६ में हुई थी ।

इस कार्य के लिए सेवामाम सर्वोत्तम स्थल मिला जा सकता है । इस केन्द्र क इतने मिटे लगभग तीस गौर हैं । परन्तु कोई भी गौर यहाँ से अधिक दूर नहीं है । यहाँ रेलवे स्टेशन यहाँ से केवल पाँच मील की दूरी पर मियत है । सेवामाम पास सुन्दर, स्वामी प्रचार तथा पशुपालन का एक प्रधान केन्द्र है ।

पुस्तकालय में मघ में एक पूर्ण हुमियादी मूल कायम किया । इनमें आठवर्गीय प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी । नयी तालीम के विचार के साथसाथ मघ को भी अरने काइकल्यर बढ़ाने पडे । कारण, नयी तालीम के अन्तर्गत अब शामिल हैं : (१) प्रीट्ट शिक्षा, (२) पूर्ण हुमियादी शिक्षा । (३) हुमियादी शिक्षा एवे, (४) उच्च हुमियादी शिक्षा

विभिन्न विभाग.—आठ गह मघ अधोविविध शिक्षा का सञ्चालन करता है—

१. पूर्व प्राथमिक स्कूल का 'अन्तर्दाली' ।

२. हुमियादी मूल (७-१४ वर्षीय) के बच्चों के लिए । यह मघ 'आनन्द विविधन' नामक एक मूल स्कूल चलता है, और आनन्द के लोके में मियत १९३० तक लोके के हुमियादी मूल के लोके चलता है ।

३. उच्च हुमियादी मूल—

विद्यार्थियों को १४ वर्ष की आयु तक

म सम्पूर्ण विद्ये

के इन विद्ये

के लोके




उत्पादन, (४) बाहु एवं भाग्य कार्य, (५) मान इंजीनियरिंग एवं विभाजन, (६) पुनर्निर्माण, (७) इतिहास, (८) एतद्विषय (सहायक विभाग)। नदी नालीय व विद्यालय व अनुसंधान विभागों को आवश्यकता अनुसार बनाया है।

८. विश्वविद्यालयीय शिक्षा—इति, पशु-पालन, मान इंजीनियरिंग, सहायक व्यवस्था का पाठो-पठन किया जा रहा है या किया जानेवाला है।

९. प्रसार कार्य—एक कार्य विश्वविद्यालय कार्य में सम्मिलित है। मुख्य कारणांतर इस प्रकार है। (१) सवाप्राम में ७ मील के अर्धवृत्त में स्थित सदन क्षेत्रों में प्रसार कार्य, ताकि लोग नदी-तट-समाप्त के हेतु को समझ सकें। (२) १९ वर्षों में ऊपर के गुरुक एवं युवाओं को नदी तटवर्ती की मान स्वच्छता पद्धति में प्रशिक्षण करना, ताकि ये भूदान आन्दोलन में भाग ले सकें। (३) नदी नालीय शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण-कार्य।

उत्तर धूमिलारी, विश्वविद्यालयीय तथा प्रसार कार्य शिक्षा के लिए मानव के विभिन्न भागों में विद्यार्थीयों वही आते हैं। थोड़े-बहुत अतिथि विदेशीयों में भी आते



चित्र २०—सेवाप्राम में गान्धीजी की कुटिया

हैं। इनके लिए अल्प-कालिक (दो सप्ताह से लेकर कई महीने) प्रशिक्षण का विशेष प्रबन्ध किया जाता है।

**उपसंहार—**यह सच बीस वर्ष से भी अधिक काल से अपना कार्य सतत कर रहा है। इसे अनेक विपन्न बाधाओं का सामना करना पड़ा, पर इसने अपना कार्य प्रत्येक स्थिति में जारी रखा। सर ने भारत के शिक्षा जगत में एक नयी क्रांति उमर की है। सच का उद्देश्य एक ऐसे समाज की सृष्टि करना है, जिसके जनसमुदाय स्वावलम्बी हों, जो अपने हाथ से स्वयं धन कर स्व भित हों, और उन्हें दूसरों की सहायता इत्यादि न लेनी पड़े। अपने दृढ़ संकल्प को कार्यान्वित करने में सच को बहुत कुछ सफलता भी मिली है। आश्रम में स्थित गान्धीजी की कुटिया उसे ज्योति दिखानी रही है, और आगे दिखानी ही रहेगी।

# यादृश्या अप्याय

## उपसंहार

युक्तः १३ अंश के अन्तर्गत, विष्णु की मूर्ति १३ अंश के बीच के अन्तर्  
में बसती नहीं है, और बसती आती है। विष्णु का भी अन्तर्गत १३  
अन्तर्गत नहीं हुआ है। जो कौनों में अन्तर्गत मन्त्र में अन्तर्गत विष्णु मूर्ति  
रही है। इस मूर्ति की अन्तर्गत का दश इन्हीं का अन्तर्गत है कि  
३ अंश का अन्तर्गत की मूर्ति मन्त्र ही है। इन्हीं ही नहीं, विष्णु  
की उनके अनुगत विष्णु नहीं विष्णु। इस विष्णु के अन्तर्गत का अन्तर्गत  
और यादृश्या विष्णु भी न हुआ। इन मूर्तियों की बारी तुलना करने की  
ही भी रही है। पर इनका विष्णु रूप में अन्तर्गत नहीं विष्णु मन्त्र। मन्त्र के  
ना पढ़ना है कि अन्तर्गत मन्त्र में भी इस पुनर्गत का अन्तर्गत विष्णु  
ना मन्त्र।

मन्त्रे शिक्षा-मन्त्रेणो तथा परिणतो मे, एवं विधिविज्ञानपौत्र दीक्षन्त मन्त्रो  
देव के मन्त्रमन्त्र मन्त्रनुभार मन्त्रे योही होता है और शिक्ष के दोषो की  
पर्याय बर्णो है। इन्हीं मुनिकर द्वारा हो जाना पड़ता है। देवा कि स्वर्ग  
अनुत्त कल्याण आवाद ने कहा ही है, “ये नहीं मन्त्रा पाते हैं कि ऐसी  
ना के कारण, मन्त्रों के अन्तर्गत पुनर्गत ही होती है। इस मन्त्रा के विष्णु  
प शिक्षा मन्त्रा दीक्षे पढ़ जाने हैं, विष्णु मन्त्रा निरन्तर हो जाने हैं एवं अन्तर्गत  
अनादर करने लगती है।”। हम इन उच्च-पदसा विष्णु मन्त्रा मन्त्रा से  
होते हैं कि आखिर उन्होंने स्वयं शिक्षा के पुनर्गत के लिए क्या किया।

यादृश्या शिक्षा को अनेक समस्याओं का सामना करना है। इनकी चर्चा विष्णु  
में की गयी है। फिर भी हम तीन समस्याओं के सम्बन्ध में, इस अध्याय में,  
त कदना चाहेंगे। ये समस्याएँ ये हैं : (१) प्रशासन, (२) शिक्षा का विष्णु  
व-दण्ड एवं (३) विद्यार्थीवर्ग की अनुशासन-हीनता।

प्रशासन की कमजोरियों के कारण, शिक्षा के दोष दूर नहीं हो रहे हैं। सरकार की किसी भी समय परामर्श का अभाव नहीं रहा। समय-समय पर अनेक समितियों तथा आयोगों की नियुक्तियाँ हुई हैं। उन्होंने विगट रूप से शिक्षा-समस्याओं का अध्ययन किया तथा उपयुक्त प्रस्ताव भी किये। वर्तमान काल में शिक्षा के प्रायः प्रत्येक अङ्ग पर पूर्णतः विचार कर्मके तथा सम्यक् मुझाव देने के लिए स्थायी समितियों एवं परिषदों की नियुक्तियों की गयी है। प्रति वर्ष कतिपय कर्म शालाएँ एवं गोष्ठियाँ भरती हैं। इन सबका परिणाम क्या निकला? कहना नहीं होगा कि निराशा और हाथ मलने के सिवा कोई सुफल हगोचर नहीं हुआ। कोई भी क्षेत्र हम लेते हैं तो हमें वहाँ सर्वत्र मृगनृणा की सृष्टि साकार दिलायी पडती है, चाहे हम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ले या माध्यमिक शिक्षा में बहुद्वेद्रीय पाठ्यक्रम की योजना को ही ले, अथवा अनुसन्धान या विश्वविद्यालयीय शिक्षा का मुधार ले। बड़ी-बड़ी योजनाओं में तब दूरदर्शिता के अभाव का अनुभव प्रत्यक्ष होता है। उनके अनुसार व्यय की व्यवस्था नहीं हो पाती, और हममें उनकी कार्यान्वित करने की क्षमता भी नहीं रहती है। कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री, डॉ० वाट्टाल भीमानी, जो लोक-सभा में स्पेड के साथ यह स्वीकार करना पड़ा कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा भारत मविशान के निर्देशानुसार नियत समय में कार्यान्वित नहीं की जा सकती है।।

दुसरे के दोष दर्शन एवं तुकताचीनी में हमें आनन्द मिलता है, पर हम यह कभी भी विचार नहीं करते हैं कि हम स्वयं क्या कर सकते हैं! उदाहरण-रूप, माजेंट योजना का उद्देश्य कम-से कम ४० वर्षों में शिक्षा के उस स्तर की प्राप्ति करना गया जो मन्त्रीयन इंग्लैण्ड में पहुँच चुका था। इसकी मूर टीका-टिप्पणी हुई, और स्वर्गीय मौलाना आजाद ने कहा कि स्वर्गीय भारत चालीस वर्षें टहर नहीं सकता। सन् १९४८ की स्वर-मिति ने मुझाव दिया कि सर्वव्यापी अनिवार्य धैमिक शिक्षा देश में सोल्ड वर्षों के भीतर ही लागू की जा सकती है। पर 'जो की जा सकती है', यह की नहीं गयी। हम लोग प्रसिद्धतम प्रतिवेदन लिख सकते हैं, पर उम कार्यान्वित करने का हममें कोई मन-नम नहीं। हम मजे में स्वर्गों लेते रहे। अब तो सोल्ड पत्राव अवधि दीर्घ ही समाप्त होने वाली है, और हम स्वर्गीय पुत्र्य ही पकाने वाले जा रहे हैं। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय का धेय अब सन् १९७५ में इस लक्ष्य तक पहुँचने

है। पर हम इतने धक्के खा चुके हैं कि इमाग विश्वास किसी भी योजना पर नहीं है। भगवान् कम-से-कम इस योजना को तो सफल बनावें !

यह मानना ही पड़ेगा कि सरकार शिक्षा के लिए पर्याप्त अर्थ की व्यवस्था नहीं कर रही है। तिस पर भी गत दस वर्षों में हमारे देश का शिक्षा-विभागीय व्यय तिगुना हो गया है। पर यह शिक्षा-व्यय यथोचित नहीं हो रहा है। इस समय तो केन्द्रीय मन्त्रालय की हालत उम गधेवाले बूढ़े के समान है, जो कि सबको सन्तुष्ट करने की चेष्टाओं में असफल हुआ। मन्त्रालय आज इधर हाथ मार रहा है तो कल उधर। — समाज 'जनता कालिज', तो कल 'संस्कृत-विश्वविद्यालय', तो परसों 'ग्रामीण उच्चतर शिक्षा'। हाल ही, उक्त मन्त्रालय एक नवीन योजना की परिकल्पना कर रहा है, जिसके अनुसार स्नातक होने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष ग्राम-सेवा करनी पड़ेगी। इस अनिवार्य भरती पर वार्षिक व्यय पांच करोड़ रुपये होगा, अर्थात् प्रति व्यक्ति पर एक हजार रुपये। न कभी बलान् कोई कार्य सफल हो सकता है, और न टण्डे की मार में समाज-सेवा का भाव ही उदित हो सकता है। यह तो 'धर-नाथ सती करना' रहा। हमें पैसे की अरबादी को भी रोकना चाहिए। कभी-कभी हम अन्धा-धुन्ध अर्थ-नाश कर सकते हैं। फरवरी या मार्च में धड़ाधड़ नवीन योजनाओं को स्वीकृति दी जाती है; अल्प-विचार किये बिना ही, अल्प काल में द्रव्य का व्यय कर दिया जाता है और यह प्याल भी नहीं किया जाता कि पैसे का उचित उपयोग हुआ भी है या नहीं !! इस समय में हम हार्टेग समिति की अधो लिखित चेतावनी कभी विस्मृत नहीं कर सकते :

लोगों का ख्याल है कि शिक्षा-विस्तार केवल पैसे का सवाल है। यह ठीक नहीं है। हम यह अवश्य स्वीकार करते हैं कि सर्वदा पैसे की आवश्यकता होती है; पर इससे भी अधिक आवश्यकता एक हृद् एव गिर्य सफल की होती है, जिसके अनुसार शिक्षा-नीति को कार्यान्वित करने का निरन्तर प्रयत्न किया जाय और उसीके अनुरूप अर्थव्यय हो। †

आज हमारे देश की सबसे अधिक आवश्यकता है जन-शिक्षा, और उसी ओर हमें धरने प्रयत्नों को केन्द्राभूत करने की भी आवश्यकता है। एक सर्वेक्षण से ज्ञात जाता है कि भारत की ५ प्रति शत जनता, याने, दो करोड़ व्यक्तियों की मानिक आय २ रुपये है, १० प्रति शत जनता ३८ करोड़ जनता की आय ६-२ रुपये है तथा १० प्रति शत अर्थात् कीच करोड़ लोगों की आमदनी १४-६ रुपये है। भारत की एक-चतुर्थांश जनता को चार आने के पंच पर दैनिक जीवन गुज़ारना पड़ता है।

† Hartog Report, p. 294

हमारी शिक्षा-योजनाओं को लोगों की आर्थिक उन्नति की ओर ध्यान देना होगा। शिक्षा के द्वारा ही जनता का गरीबी दूर हो सकती है; जैसा कि श्री सेयमन ने कहा है, "उचित शिक्षा के अभाव में यह निर्धनता चिरस्थायी रहेगी।"

आज हम ऐसे गण-तांत्रिक समाज के सूजन में मग्न हैं जो कि न्याय, स्वतन्त्रता, समता तथा बन्धुत्व पर आधारित हैं। पर हम भावना का अभाव हम अपनी शिक्षा-योजनाओं में अनुभव कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अर्थर्याभाव के कारण, हमारे कितने ही नवयुवकों को यथोचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। यदि पिता या अभिभावक के पास सम्पत्ति हुई तो बच्चों को शिक्षा मिल सके, अन्यथा योग्यता एवं पिपासा रहती हुए भी उनके मरम्बनी देवी में नमस्कार कर लेना पड़ता है। हम यह अवश्य मानते हैं कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने वृत्ति ज्ञान तथा नृपन शिक्षा का थोड़ा बहुत कदोबस्त अवसरमेव किया है, पर यह यथेष्ट नहीं है। हम और बर्रई राज्य का प्रयास मराहनीय है। गत वर्ष से हम राज्य में, उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय नव सौ रुपये से अधिक नहीं है। शिक्षा को लोक-तन्त्रीय बनाने का हम देश में यह सर्वप्रथम प्रयास है। आशा की जाती है कि अन्य राज्य भी हम आदर्श का अनुसरण कर शिक्षा को लोक-तन्त्रीयता प्रदान करने में सहायक होंगे।

किसी भी शिक्षा-पुनर्योजना में सबसे अधिक आवश्यकता रहती है सशक्त शासकीय प्रबन्ध की। ग्रेड के साथ बढ़ना पड़ता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाद 'केन्द्रीय शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध मन्त्रालय' दो भागों में विभक्त हुआ। मौलाना साहब की मृत्यु पर्यन्त, शिक्षा-मन्त्रालय की बागदोर एक मन्त्री मण्डल के सदस्य के हाथ में थी। पर हम विभाजन के कारण, दो राज्य मन्त्री दो भिन्न विभागों के लिए नियुक्त हुए। यदि काम बढ़ जाने के कारण, इन दो पृथक् मन्त्रालयों की सृष्टि हुई हो तो हमें कुछ घटना नहीं है; पर यदि इस विभाजन का कोई वैयक्तिक कारण हो, तो यह निस्सन्देह ग्रेड का विषय है। हम नीति का प्रत्यक्ष फल होता है, कतिपय वार्षिकताओं का दोहवा, अर्थ तथा धन की कुछ-न-कुछ बरबादी।

शिक्षा प्रशासन में अभी यथेष्ट अलगाव है।<sup>†</sup> राज्यीय शिक्षा-विभाग पर शिक्षा की अधिकतर जिम्मेवारी रहती है, और शिक्षा मन्त्रालय ही अधिकांश शिक्षा-संस्थाओं को चलाता है। पर कुछ विशेष स्कूलों तथा कालिजों को अन्य मन्त्रालय (केन्द्रीय तथा

<sup>†</sup> *Times of India* July 18, 1959

<sup>‡</sup> दारिद्र्य पृष्ठ १२०।

गर्जनीय) भी चलाते हैं, जैसे : कृषि, रेल, भ्रम, परिवहन, स्वास्थ्य, उद्योग, मानुसिक विकास, आदि । ये मन्त्रालय अपनी-अपनी डाफ्टरी, अपना अपना काम अलग करते हैं तथा ये बहुत ही कम एक दूसरे के संस्पर्श में आते हैं । इनके कार्यालयों में मनुष्य स्थापित करने की विधि आवश्यकता है ।

हमारे शिक्षा कार्यालयों की पाइलों का मर्यादा दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है । किसी भी सामान्य विषय पर आदेश निकालने के लिए महीनों लग जाते हैं । इस प्रकार शिक्षा-प्रकार में लकड़ा लग जाता है । इस शोचनीय स्थिति के दो कारण हो सकते हैं : (१) निर्गमक पत्र व्यवहार तथा टफ्तरों परिपाटी और (२) अफसरों की शिक्षिता या अकर्मण्यता । शिक्षा-विभागों को प्रथम कारण की तदर्थीज्ञान करनी चाहिए । जो प्रयास अनावश्यक मात्राम पड़े, उन्हें तत्काल उठा देना चाहिए । पर शिक्षिता या अकर्मण्यता तो सफ़ती में ही रोमी जा सकती है । इसे दूर करने के लिए पञ्जाब सरकार ने एक विवेक-पूर्ण मार्ग निकाला है । इसके अनुसार सरकारी अफसरों की एक टोली किसी भी टफ्तर की एकाएक तलाशी लेती है और जाँच करती है कि अफसरगण अपना काम कहाँ तक सुचारु रूप में करते हैं । हाल ही में एक ऐसी जाँच शिक्षा-विभाग की हुई थी; और देखा गया है कि २,६०० अनिर्णीत कागजात पड़े हुए थे । एक यह दृष्टान्त ही हमारे टफ्तरों की वर्तमान स्थिति पर यथेष्ट प्रकाश डालता है ।

अन्त में हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश की शिक्षा-नीति शिक्षा-विद्वेष द्वारा निर्धारित हो, न कि गजनीतियों या अधिकारी-दल द्वारा । खेद के साथ कहना पड़ता है कि अधिकारी-दल के नियमों के आधार पर अनेक राष्ट्रीय मरदारों अपनी शिक्षा-नीति स्थिर करती है । शिक्षा एक अत्यन्त तकनीकी विषय है, जिसका प्रबन्ध सुचारु रूपेण शिक्षा-शास्त्री ही कर सकते हैं । शिक्षा को सबसे अधिक क्षति पहुँचती है 'प्रयास और भूल-पद्धति' द्वारा । हम राजनीतियों से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वे कृपया शिक्षा-क्षेत्र में अपना पैर पसारने की अनाधिकार चेष्टा न किया करें ।

हमारी शिक्षा की दूसरी जटिल समस्या है शिक्षा का गिरता हुआ मान-दण्ड— शिक्षा स्तर का क्रमागत हास । इस विषय पर दो भिन्न मत नहीं हैं । लेकिन हमें हताश नहीं होना चाहिए । हमें समझना होगा कि शिक्षा के विस्तार के कारण, अब सभी प्रकार के विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं । पच्चीस या पचास वर्ष पहले ज्यादातर उच्च स्तर के छात्रगण स्कूल या कालिज में प्रविष्ट होते थे । पर अब तो समस्त शिक्षा-न्याय छात्र-समूह से स्वभाविक भर रही है । हमें यह भी मानना पड़ेगा कि आत्रकल के नम विद्यार्थिगण, भूतपूर्व अष्टतम छात्रों में अच्छा काम कर दिवा रहे हैं ।

अनेक देशों में भी शिक्षा के मान-दण्ड में अवमति दृष्टिगोचर हो रही है। आक्सफोर्ड या केम्ब्रिज सरीखे विश्वविद्यालयों का ही इलाक़ लीजिए। वहाँ छात्र-वृत्ति या शिक्षण वृत्ति के लिए विशेष योग्य छात्र नहीं मिल रहे हैं। विद्यार्थियों का उपयुक्त विद्यार्थियों के अभाव के कारण, कतिपय विश्वविद्यालयीय-वृत्ति रोक रखनी पड़ी थी।

हम सब चर्चा का यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम अस्मंग्य बनकर बैठे रहें और निश्चेष्टता के नाम पर शीघ्र बहाया करें। हम शिक्षा स्तर के उन्नयन की भाग्य चेष्टा करनी चाहिए। हम सम्बन्ध में कुछ सुपावों की चर्चा करते ही की गयी है, जैसे : शिक्षा सम्पादकों की छात्र वृद्धि रोकना, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात की उन्नति, निदेश पत्राचार योजना, दूरदृष्टीय पाठ्यक्रम का प्रबंध, शिक्षा विधि की उन्नति, उन्नत प्रणाली का प्रसार, विश्वविद्यालयों में चुनिन्टे विद्यार्थियों का प्रवेश, इत्यादि। हम यह भी मानना पड़ेगा कि शिक्षा-सम्पादकों की वृद्धि के कारण, अब सभी प्रकार के उत्कृष्ट शिक्षक या प्राध्यापक निरुक्त हो रहे हैं। इस कारण भी अभावजन्य स्तर भाव पैदा नहीं है, जैसा हम वर्ष पूर्व था। विद्यार्थीगण भी आसक्त-भावित बनकर प्रवृत्ति क हो गए हैं। अविज्ञान छात्र मन लगाकर विद्याभ्यसन करते ही नहीं हैं। अतएव कोई आश्चर्य नहीं है कि शिक्षा स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है।

परन्तु भारतीय शिक्षा की सबसे दृग्गम्य एवं चिन्तनीय समस्या है "विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता" होना। यह विरति हीरोई की माटी की भाँति इन नर दिव्य पदवी ही चर्चा जा रही है और इसके कारण गारे देश दायी गरीबी भोगे जा रहे हैं। इस शोचनीय स्थिति पर बड़ी-बड़ी विचारें कियी जा सकती हैं। तथापि इसके प्रमुख कारणों का यहाँ उल्लेख किया जाता है। वे कारण ये हैं : (१) स्थूल तथा कार्यिक प्रणाली में शिक्षा, (२) सुशेख या उपयुक्त अध्यापकों का अभाव, (३) शिक्षा सम्पादकों में अल्प छात्र वृद्धि, (४) कक्षा की पठार व स्थिति, विद्यार्थियों में, असाधकता, सांसारिक शिक्षा तथा आर काये का अभाव, (५) शिक्षार्थी माटी का असाधकता, (६) शिक्षा सम्पादकों में धार्मिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा का अभाव, (७) अल्प समयपत्र, (८) निदेश तथा पत्राचार सुगमता, (९) विशेषतः विरति निर प्रणाली का अभाव, (१०) दृष्टि शिक्षा-प्रणाली, (११) शिक्षार्थियों का शिक्षा का सुशेख, (१२) आधुनिक शिक्षण-प्रणाली का विद्यार्थियों पर प्रभाव, (१३) अध्यापक के विरति से देखीए एक (१४) साधक जीवन में अध्यापक का अभाव।

प्रत्यक्ष हम कारणों का उल्लेख हम प्रणाली के सुशेख से ले ले सुखा है हम यहाँ पर बंदर का नाम और कारणों की चर्चा बंद है। हमें सम्बन्ध का संकेत कि हमें





अंगनी मन् १९५७-५८ की रिपोर्ट में विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने स्वीकार किया है कि विद्यार्थियों में अनुशासन-हीनता का मुख्य कारण है सामाजिक जीवन में अनुशासन का अभाव एवं राष्ट्रीय भावों का प्रभाव। इसे रोकने के मुख्य तीन उपाय हैं। प्रथमतः, कावदे-कानूनों के द्वारा प्रवृत्तों एवं विद्यार्थियों का उपयोग चुनाव या किसी भी राजनीतिक प्रचार के लिए बन्द कर दिया जावे। इसके साथ हमारे नेतागण यह घोषणा करें कि वे विद्यार्थियों का उपयोग स्वार्थ-सिद्धि के लिए नहीं करेंगे। हमारे देश में पुरातन काल में धर्म युद्ध का ही मन्त्र था। क्या चुनाव जीतने के लिए यह आवश्यक है कि हम बालकों की एक पूरी पीढ़ी की नैतिकता और शिक्षता का अन्वितान कर दें? द्वितीयतः, शिक्षा संस्थानों को भी मतकं रचना चाहिए कि मस्या में विद्यार्थी-सभ क्षेत्रीय या राजनीतिक आधार पर सगठित न हों। विद्यार्थियों का सामाजिक लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करना है। उनका यह उद्देश्य तभी सिद्ध होगा जब वे इन चित्त होकर विद्या-प्राप्ति में ही मग्न रहें। राजनीति के कार्यों में भाग लेने से, जीवन में मर्यादा, शान्ति और विप्रती के बीजों का अंकुरण होता है, जिससे उनकी प्रकाशता नष्ट हो जाती है और शिक्षा के कार्यों में एक प्रसार का आन्दोलन मन्त्रता है। तृतीयतः, छात्रों को अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करना सिखाया जाय। विद्यार्थी कल्याण-कार्यों के प्रसार की सख्त जरूरत है।

वस्तुतः छात्रों की अनुशासन-हीनता की चर्चा जिनने बड़े पैमाने पर हम सुना या पढ़ा करते हैं, उनसे पैमाने पर यह होती नहीं है। यह तो परस्फुरिता का प्रमाण है कि एक छोटी-सी घटना को मित्र ममाला त्वाकर रिस्तृतरूप दे दिया जाता है। हमें यह भी रिस्तृतरूप नहीं करना चाहिए कि विद्यार्थियों की यह अनुशासन-हीनता केवल हमारे देश की ही बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक विश्व-व्यापी व्याधि है। दो विश्व-युद्धों के कारण, समार के अनेक देशों का नैतिक पतन हुआ है, जैसा कि भी हमारे बनीर कहते हैं :

इन युद्धों के समय में, पृथ्वी से 'सत्य' का सर्वोपलब्ध लोप हुआ।  
लड़ाइयों के फल स्वरूप एक ऐसे व्यक्तिवर्ग का उदय हुआ, जिसने अमन  
उपायों के द्वारा धन जोड़ा था।... नैतिक पतन, बाल्य-शासन, उ-कोच,  
रिस्तृतरूप या घूमव्योरी का प्रभाव युद्ध-अनुशासन पर पड़े जितना न रहा।।

अनुशासन-हीनता का एक और कारण है, और यह है भविष्य जीवन की अन्वितारिता। विद्यार्थियों का हृदय दहल उठता है, जब वे सोचते हैं कि विद्यार्थी जीवन

† Humayun Kabir Student Indiscipline Delhi, Publication  
D. 1955 p. 6

की समाप्ति के बाद क्या होगा ! बेकारी की समस्या को सोचकर उनका हृदय भयाङ्क हो जाता है । आज जो पढ़े-लिखे लोग बेकार हो रहे हैं, और उनकी संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है; वह कितनी चिन्ताजनक है !! आज से अस्सी वर्ष पूर्व भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने एक व्यंग्य लिखा था :

तीन बुलावे, तेरह धावे;

निज-निज विपदा रोह सुनावे ।

आँखें फूटी, भरा न पेट;

क्यों सखि साजन ? नहीं 'प्रेषुष्ट' !!

हमारे देश में प्राविधिक शिक्षा का विस्तार हो रहा है । पर कभी-कभी प्रभ यह उठ खड़ा होता है कि क्या हम आवश्यकता से अधिक प्राविधिकों की संख्या तो नहीं बढ़ा रहे हैं ? माधारण शिक्षित की बेकारी की अपेक्षा उच्च एवं महेँगी शिक्षा पाये हुए प्राविधिक व्यक्तियों की बेकारी में अधिक जटिल समस्याएँ, अमन्तोप और कुण्ठा उत्पन्न होती है ।

प्राथमिक और इंटरमिडियट और माइटिकल रिमर्च की उपलब्ध जानकारी के अनुगार जनवरी, १९५७ में १,३४८ उच्च शिक्षा-प्राप्त वैज्ञानिक और प्राविधिक बेकार बैठे हुए थे । ये आँकड़े सम्पूर्ण न थे । अभी जब हमारी वैज्ञानिक एवं प्राविधिक शिक्षा योजनाएँ पूरी तरह से चालू नहीं हो पायी हैं और उनसे अपेक्षित संख्या में स्नातक नहीं निकल रहे हैं तब उनकी बेकारी की यह स्थिति है !! तो यह स्थिति उग समय किस रूप में होगी जब देश और विदेश में वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर देश में स्नातकों का भेला लगेगा ? निश्चय ही यह एक जटिल समस्या है, जिसके हल न होने में देश की आर्थिक क्षति तो होगी ही, साथ ही हम उच्च शिक्षित और योग्य व्यक्तियों की बेकारी से उत्पन्न खतरों का सामना करने को भी बाध्य हो जाँगे । जब देश में निरोधन का संकल्पना है, तब अत्यन्त ही यह आशा की जा सकती है कि देश के कार्यरत अभी से हम खतरे को मोड़ने का प्रयत्न करेंगे ।

पर सबसे बड़ा खतरा यह है दैनिक जीवन में आशंका की अचानक की । इन वर्षों की दृष्टि काफी है, वहाँ ही आशंका का पथन देखने हैं । एक शिक्षित का प्रयत्न यह है, अपने लिए तैयारी कर रही है, अचानक तो वह विदेशियों को बड़ी-बड़ी नौकरियाँ मिलने हैं, बड़े-बड़े का लोग संख्या की और बड़ी खतरा नहीं है । उच्च शिक्षित ही उच्चतम का दूर खतरा है, न ही कार्यरत वर्ग । प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की

उपदेश देने हैं — बड़े-बड़े उपदेश — सत्य बोलो, मेहनत करो, काम से जी न चुगओ, आदि। पर जब वह नवयुवक उसी पूज्य उपदेशक को अमल्यवादी, उच्छृलल और काम-ब्योम पाता है तब वह घबरा उठता है, उसका मन सत्य से डिग जाता है और वह आत्म-विश्वास रंगो बँडता है। हमारे नवयुवकों के सामने केवल आदर्श की आवश्यकता नहीं है, बरन् आदर्श पुरुष, आदर्श जीवन और आदर्श समाज की आवश्यकता है। पर आजकल तो भारत का दिनो दिन नैतिक पतन होता जा रहा है।

आज हम पंच-वर्षीय योजनाएँ चला रहे हैं। हम फेक्टरी तथा वैज्ञानिक शोध-मर्यादाएँ ग्वाल रहे हैं, कल-कारखानों की उन्नति करना चाहते हैं, नदियों पर बाँध बांध रहे हैं, कृषि की उन्नति चाहते हैं, सहकारिता की योजनाएँ चला रहे हैं। इन सब कार्य-कल्पों का उद्देश्य है देश की समृद्धि, लोगों की आर्थिक उन्नति तथा देश में गरीबी और बेकारी का निष्कासन। पर किसी भी देश की उन्नति उसकी धन राशि के द्वारा मारी नहीं जा सकती है। देश की उन्नति जनता की वैयक्तिक उन्नति पर निर्भर है। जनतन्त्र भारत में हमें प्रत्येक व्यक्ति के विकास की ओर ध्यान देना पडेगा। कारण, जनतन्त्र बनों द्वारा ही संचालित होता है। इस कारण, स्वाधीन भारत की उन्नति के लिए हमें ऐसे नर-नारी चाहिए, जिनका हृदय देश-प्रेम से भरा हो, एव जो कर्तव्य-निष्ठ तथा चरित्रवान् हो। कहा ही है :

बने कर्मठ, दृढ़ मती, पवित्र —

कर मके भारत का अम्युदय;

लक्ष्य हो जिसका दिग्गज चरित्र

मिले हम सबको ऐसा हृदय!!



## परिशिष्ट एक

शिक्षा संस्थाएँ एवं छात्र-संख्या

भारत (१९५६-५७)

संस्था	संस्था-संख्या	छात्र-संख्या
विश्वविद्यालय ...	३३	
माध्यमिक एवं इण्डरग्रीजिएट शिक्षा-मण्डल	१२	
अनुसन्धान संस्थाएँ	४१	
कला एवं विज्ञान कालिज ...	८४९	६,२७,७३४

### व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा-सम्बन्धी कालिज

कृषि ...	२५	७,०५१
वाणिज्य	२८	६१,३६३
शिक्षक-प्रशिक्षण ...	१३३	१५,१६६
इजीनियरिंग ...	४७	१९,२०४
वन-विद्या ...	३	४२७
कानून ...	२९	२०,८१७
मेडिकल ...	९९	२७,२८९
शारीरिक शिक्षा	१०	४७८
टेकनोलॉजी ...	७	२,७०१
पशु-विद्या	१४	४,६५९
अन्य क्षेत्र ...	४	८७८

### विशेष शिक्षा-सम्बन्धी कालिज

संगीत, नृत्य, एवं अन्य उल्लिखित कलाएँ	२७	३,७३८
प्राच्य विद्या	७९	५५३
समाज-शास्त्र ...	६	४७६
अन्य क्षेत्र	१०	३,१८२

संस्था	संस्था सत्या	छात्र-संख्या
उच्च शिक्षा के स्कूल		
उच्च/उच्चतर एवं उच्च-बुनियादी ...	११,८१५	२२,५४,९१२
मिडिल ...	२४,४८६	५७,५८,६८५
प्राथमिक ...	२,८७,२९८	५,७९,६४,८०८
व्यं प्राथमिक	७६०	१९,३१३
द्वितीयक एवं तकनीकी स्कूल		
विश्वविद्यालय	१४	६,७४४
उच्च एच मास्ट	३०४	१४,७४५
मिडियम ...	८२९	८०,००१
विद्या ...	६८	१०,००६
विश्वविद्यालय ...	४	१३४
स्कूल ...	५३३	३६,८००
वैश्विक शिक्षा ...	१०९	७,५६१
उच्च प्रतिष्ठान ...	३६	३,५००
विश्वविद्यालय ...	९१४	९५,४७४
विश्वविद्यालय ...	१११	१७,६६६
विश्वविद्यालय ...	७	१,०६६
विश्वविद्यालय ...	११	१,७००
विश्वविद्यालय-महाविद्यालयी स्कूल		
विश्वविद्यालय के लिए ...	९८	५,००८
कार्यक्रमों के लिए ...	४४	४,०१०
उच्च एवं अन्य उच्चतर विद्यालयों	१८४	१,०६०३
विश्वविद्यालयों के लिए ...	३,३२७	१,००,३०६
विश्वविद्यालयों के लिए ...	३७	२,२७३
विश्वविद्यालयों के लिए ...	४४,०५८	१०,०४,९८०
विश्वविद्यालयों के लिए ...	१,३२७	६८,८०८
कुल योग..	२,००,८३०	३,६०,०५,६३०

**परिशिष्ट दो**  
**भारत के विश्वविद्यालय, १९५८**

क्रम	नाम एवं स्थापित होने का वर्ष	कार्य	कालिन्न संख्या	छात्र संख्या
१	आगरा विश्वविद्यालय, आगरा (१९२७)	शैक्षणिक एवं संवर्दीय	६०	३७,३१५
२	अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (१९२०)	सावास एवं शैक्षणिक	२	४,३७०
३	अलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलाहाबाद, (१८८७)	सावास एवं शैक्षणिक	४	८,१६९
४	आन्ध्र विश्वविद्यालय, वास्तेयर (१९२६)	संवर्दीय एवं शैक्षणिक	४९	२९,८४०
५	अन्नामलय विश्वविद्यालय, अन्नामलयनगर (१९२९)	सावास एवं शैक्षणिक	—	२,७६५
६	बनारस विश्वविद्यालय बाराणसी (१९१६)	सावास एवं शैक्षणिक	२१	१०,२१०
७	बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा (१९४९)	सावास एवं शैक्षणिक	३	४,८५१
८	बिहार विश्वविद्यालय, पटना (१९५२)	संवर्दीय एवं शैक्षणिक	७६	४८,०३१
९	बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई (१८५७)	सचात्मक एवं शैक्षणिक	४२	३९,४५६
१०	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता (१८५७)	संवर्दीय एवं शैक्षणिक	१४८	१,१३,७५१
११	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली (१९२२)	संवर्दीय एवं शैक्षणिक	२२	१३,०२८
१२	गोशटी विश्वविद्यालय, गोशटी (१९४८)	संवर्दीय एवं शैक्षणिक	२६	१५,५८१

क्रम	नाम एवं स्थापित होने का वर्ष	कार्य	कालिज्र संख्या	छात्र-संख्या
१३	गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (१९५७)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	१२	—
१४	गुजरात विश्वविद्यालय अशमनवाड (१९५०)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	४५	२१,५७६
१५	जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर (१९५७)	संबन्धीय एवं सघात्मक	१७	—
१६	जाइवपुर विश्वविद्यालय, जाइवपुर (१९५४)	सावाम एवं शैक्षणिक	२	१,२१८
१७	जम्मू एवं काश्मीर विश्वविद्यालय, धीनगर (१९४८)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	२५	६,०९९
१८	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ (१९४९)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	२५	८,२२०
१९	केरल विश्वविद्यालय, त्रिविन्द्रम (१९३७)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	६६	३०,७७७
२०	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (१९५७)	सावाम एवं शैक्षणिक	—	—
२१	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (१९२१)	सावाम एवं शैक्षणिक	१३	१०,८११
२२	मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास (१८५७)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	१०५	६०,२८९
२३	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद (१९५८)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	—	—
२४	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर (१९१६)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	५३	२६,२२०
२५	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर (१९२३)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	२८	१३,४७८



क्रम	नाम एवं स्थापित होने का वर्ष	कार्य	कालिज मख्या	छात्र-संख्या
२६	ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (१९१८)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	३४	१७,५१४
२७	पञ्जाब विश्वविद्यालय, लण्डोण्ड (१९४७)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	११६	५१,११५
२८	पटना विश्वविद्यालय, पटना (१९१७)	सावास एवं शैक्षणिक	१०	९,४७७
२९	पूना विश्वविद्यालय, पूना (१९४९)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	३९	१९,८४६
३०	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (१९४७)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	४१	१७,७२४
३१	रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की (१९४८)	सावास एवं शैक्षणिक	—	६७
३२	सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ, वहलभविद्यानगर, आनन्द (१९५५)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	४	२,६३१
३३	सागर विश्वविद्यालय, सागर (१९४६)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	२३	९,४५०
३४	एम० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, बम्बई (१९५१)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	६	१,९९४
३५	श्री व्यंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति (१९४८)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	१७	२०,००२
३६	उत्कल विश्वविद्यालय, कटक (१९४३)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	२१	७,१३०
३७	विश्व-मार्गती विश्वविद्यालय, शान्ति-निकेतन (१९५१)	सावास एवं शैक्षणिक	६	६५९
३८	विक्रम-विश्वविद्यालय, उज्जैन (१९५७)	संबन्धीय एवं शैक्षणिक	२६	—

\* —अंक प्राप्त नहीं हुए।

# परिशिष्ट तनि

## परिभाषिक शब्दावली

**A**

Ability-योग्यता  
 Aborigine-आदिवासी  
 Academic-शास्त्रीय  
 Accommodation-वास-स्थान  
 Account-हिमाव, लेखा  
 Achievement-निरति  
 Act-कानून  
 Activity-क्रियाशीलता  
 ——— Method-क्रियामक प्रणाली  
 Administrator-प्रशासक  
 Adolescent-विशेष  
 Adviser-समन्वयकर्ता  
 Alliating-सम्बन्धीय  
 Agenda-कार्यक्रम  
 Aid-सहायता  
 Aided-सहायता प्राप्त  
 All-India Council for  
 Elementary Education  
 -सर्वभारतीय प्राथमिक शिक्षण  
 परिषद  
 All-India Council for  
 Secondary Education-  
 सर्वभारतीय माध्यमिक शिक्षण  
 परिषद  
 All-India Council for  
 Technical Education-  
 सर्वभारतीय प्रौद्योगिक शिक्षण  
 परिषद

Astronomy-ज्योतिष  
 Audio-visual aids-श्रवण-दृश  
 उपकरण  
 Autonomy-स्वायत्तता  
 ACC-सहायक अन्य शिक्षार्थी दल

**B**

Basic Education-बुनियादी  
 शिक्षण  
 Bin-द्विचर  
 Biology-जीव विज्ञान  
 Board-संघ  
 Body-निहाय  
 Book-binding-लिप्यमाली  
 Borsal school-विशेष-  
 स्कूल  
 Botany-वनस्पति शास्त्र  
 Budget-आय व्यय  
 Bureau-संस्था

**C**

Came-सर्जिन  
 Camp-टिप  
 Card-board work-दस्तावेज  
 Carpentry-सूत्रकर्म  
 Census-जनगणना  
 Central Advisory B  
 (C.A.B.)-केन्द्रीय स  
 मन्वय परिषद  
 Central Board of  
 Secondary Education-  
 केन्द्रीय माध्यमिक  
 शिक्षण बोर्ड  
 Cert. Examinations-प्रमाण  
 परीक्षा  
 Cert. Examinations-प्रमाण  
 परीक्षा  
 Cert. Examinations-प्रमाण  
 परीक्षा

Cancellor—कुलपति  
 Charter—अधिकार-पत्र  
 Chemistry—रसायन-शास्त्र  
 Citizenship—नागरिकता  
 Classification—वर्गीकरण  
 Code—अवचार-ग्रन्थ  
 Co-curricular—पाठ्य-विषय-बिना  
 College—कॉलेज, महाविद्यालय  
 Commerce—वाणिज्य  
 Commission—आयोग  
 Committee—मिति  
 Compact—टोप, सघन  
 Cumulative Record Card—  
 उच्चतर विद्यालय की पंजी  
 Concurrent—समकालीन-पूजा  
 Co-education—सहाय्य शिक्षा  
 Continuation Education—  
 सहाय्य शिक्षा  
 Constitution—संविधान  
 Coordination—समन्वय, एकत्व-  
 कार्य  
 Correspondence—संवाद, समन्वय  
 Courtesy—सन्मान  
 Credit—अनुभव-पत्र, कर्मा-  
 पत्रिका

## D

Data—सूचना-सूत्र  
 Date—दिनांक  
 Day—दिनांक  
 Deaf—अन्ध-बुद्धि  
 Deaf-blind—अन्ध-बुद्धि-  
 अन्ध-बुद्धि  
 Deaf-mute—अन्ध-बुद्धि-  
 अन्ध-बुद्धि

Director of Education—शिक्षण  
 संचालक  
 Discipline—अनुशासन  
 Drawing—चित्र-कला  
 Dying—संवेदनी

## E

Education—शिक्षा  
 Education Department—  
 शिक्षण विभाग  
 Educationist—शिक्षाविद, शिक्षण  
 विद्वान्  
 Efficiency—कार्यकुशलता  
 Embroidery—करीबरी का काम  
 Engineer—इंजीनियर  
 English—अंग्रेजी  
 Entertainment—आनन्द प्रदान,  
 मनोरंजन कार्य  
 Examination—परीक्षा  
 Examination (External)—  
 बाह्य परीक्षा  
 ——— (Internal)—  
 आन्तरिक परीक्षा  
 ——— (Personal)—  
 आन्तरिक परीक्षा  
 Examinee—परीक्षक  
 Experiment—प्रयोग  
 Experimental Method—  
 प्रयोग-विधि  
 External—बाह्य  
 Externalities—आन्तरिक-  
 बाह्य

F  
Family Planning-परिवार  
नियोजन

Federal-संघात्मक

Fee-शुल्क

Finance-वित्त

Fund निधि

Furniture-असबाब

### G

Gardening-बागवानी

General Education-मानान्य  
शिक्षा

Geology-भूगर्भ विज्ञान

Geometry-रेखा-गणित

Gift-उपहार

Graduate स्नातक

Grant-in-aid-आर्थिक अनुदान

Guidance-निर्देश

———— Bureau-निर्देश-केन्द्र

### H

Handicapped-मजबूर

Handicraft-दस्तकारी

Hostel-छात्रावास

Humanities-मानवीय विषय

### I

Idiot-उद्द

Indirect-परोक्ष, अप्रत्यक्ष

Individual-वैयक्तिक, व्यक्तिगत

Industry-उद्योग

Infancy-शैशव

Inspection-निरीक्षण

Inspector-निरीक्षक, इन्स्पेक्टर  
Inservice Education-मध्य-  
अध्यापन शिक्षा

Institution-संस्था

Integration-एकीकरण

Intelligence-बुद्धि

Intelligence Quotient-बोध  
लब्धि

———— Test-बुद्धि परीक्षा  
माप

International-अन्तर्राष्ट्रीय

### J

Juvenile-बाल अपराधी

———— Court-बालापराधी  
न्यायालय

### L

Laboratory-प्रयोगशाला

Labourer-श्रमिक

Leather-work-चर्मकार्य

Life-long-आजीवन

### M

Maladjusted-असामञ्जस्य

Management-प्रबन्ध

Manual-शारीरिक

Mechanistic-यांत्रिक

Medium-माध्यम

Meeting- बैठक, अधिवेशन

Mental Testing-बुद्धि परीक्षण

Military Training-सैनिक  
प्रशिक्षण

Ministry-मन्त्रालय

Minute-दोम-पत्र

Monitorial System-  
छात्राचारक प्रणाली  
Moron-मूर्ख  
Mother tongue-मातृ-भाषा  
Multipurpose-बहु-देशीय  
Municipality-नगरपालिका  
Ministry of Education-  
शिक्षा मन्त्रालय

Ministry of Scientific  
Research and Cultural  
Affair-वैज्ञानिक अनुसन्धान  
और सङ्कलित मन्त्रालय

## N

NCC-राष्ट्रीय सेन्य शिक्षार्थीदल  
National Council of  
Rural Edn - राष्ट्रीय ग्रामीण  
उच्चतर शिक्षा परिषद  
National Council for  
Women's Edn -राष्ट्रीय  
स्त्री-शिक्षा परिषद  
Needle-work-सूचि-कार्य  
Nurse-घात्री

## O

Objective Test-वस्तुगत परीक्षा  
Observation-अवलोकन  
Occupation-धन्धा, रोजगार  
Optional-वैकल्पिक  
Oral-मौखिक  
Overseer-कार्य-निरीक्षक

## P

Physically Handicapped

Physiology-शरीर विज्ञान  
Planning-योजना  
Post-graduate-उच्चतर-  
Post-war युद्धनिर  
Poultry-मुद्गुट-पालन  
Practice Teaching-  
अभ्यास  
Preparatory-प्रारम्भिक  
Pre-service Educa  
पूर्व-अभ्यास शिक्षा  
President-अध्यक्ष  
Principal-आचार्य  
Private-निजी, स्वमन्त्रालय  
Productive-उत्पादनशील  
Psychology-मनोविज्ञान

## Q

Qualification-योग्यता  
Qualitative-गुणात्मक  
Quantitative-संख्यात्मक  
Quarterly-त्रैमासिक  
Quinquennial-पंच-वर्षीय

## R

Rambling-परिभ्रमण  
Recognition-मान्यता, प्र  
Reconstruction-पुनर्रचना  
Re-education-पुनः शिक्षा  
Reformatory-सुधार विद्या  
Refreshers-पुनर्जन्म  
Report-प्रतिवेदन  
Repression-दमन  
Research-शोध, गवेषणा,  
अनुसन्धान

Resolution-प्रस्ताव

Rural-ग्राम्य

## S

Salary-वेतन

Scholar-ship-वृत्ति

Secretary-सचिव

Self activity-आत्मक्रियाशीलता

— Government-स्वायत्त शासन

— Supporting-स्वावलम्बी,  
स्वाभरी

Sewinar-सोयी

Sense training-ज्ञानेन्द्रिय शिक्षा

Social Efficiency-सामाजिक  
कुशलता

Socialization-समाजीकरण

Specialization-विशिष्टीकरण

Specialist-विशेषज्ञ

Spinning-कताई

Spiritual-आध्यात्मिक

Stagnation-अवरोधन

Standard-स्तर, मान

Stage-प्रदम

State-राज्य

Statistics-सांख्यिकी

Survey-सर्वेक्षण

## T

Table-तालिका

Technical Education-

तकनीकी या प्राविधिक शिक्षा

Text-book-पाठ्य-पुस्तक

Theoretical-तैदात्मिक

Thesis-महा निबन्ध

Time-table-समय-सारिणी

Training-प्रशिक्षण

Trial-and-error Method

प्रयास और त्रुटि-प्रणाली

Tribunal-न्याय-सभा

## U

Unaided-स्वाश्रित

Undergraduate-उप-स्नातक

Union-संघ

Unit-अन्विति

UNESCO-विशान एव संस्कृति  
संगठन

UNO-संयुक्त राष्ट्र संघ

Uniformity-एकरूपता

Universal-सार्वभौमिक

UGC-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

## V

Value-मान्यता, मूल्य

Virtue-गुण

Vocational-व्यावसायिक

## W

Wastage-व्ययता

Weaving-बुनाई

Work-कार्य

— load-कारभार

— shop-कर्मशाखा

## Y

Youth-युवक

— welfare-युवक-कल्याण

## प्रथम-सूची

### पहला अध्याय : भारतीय शिक्षा की स्वरूपा

1. *U. C. Universities in Ancient India*. Patana, Faculty of Education, Patna University, 1957, pp. 2-3.
2. *V. S. Education in Modern India*. Calcutta, Orient Black Co., 1947, pp. 1-4.
3. *Prakash Dayal, Development of Modern Indian Education*. Bombay, Orient Longmans, 1955, pp. 33-.
4. *Government of India India, 1959* 1A-26, Ministry of Information & Public Affairs, 1959, pp. 2-3.
5. *James, H. R. Education and Statesmanship in India*. Bombay, Longmans, 1917, pp. 143.
6. *Mayhew, A. The Education of India*. London, Faber & Gwyer, 1928, pp. 309.
7. *Mookerji, R. K. Ancient Indian Education*. Bombay, Macmillan, 1947, pp. 658.
8. *Mukerji, S. N. History of Education in India (Modern Period)*. Baroda, Acharya Book Depot, 1957, pp. 341.
9. *Nurullah S., and Naik J. P. A History of Education in India*. Bombay, Macmillan, 1951, pp. 953.
10. *प्रकाश, मुनेदर : भारतीय शिक्षा का इतिहास, प्रथम भाग, पटना, अकाला प्रेस, १९५५, पृष्ठ २८८ ।*

### दूसरा अध्याय : शिक्षा-व्यवस्था

- भारत सरकार के पब्लिकेशन्स डिपार्ट्मन्ट द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित प्रतिवेदन :
1. *Annual Reviews on Education: Education in India, 1947-48; 1948-49; 1949-50; 1950-51; 1951-52; 1952-53; 1953-54; 1954-55; 1955-56.*
2. *भारत, १९५९, पृष्ठ ३८९ ।*
3. *Education—A Graphic Representation in India, 1957, Ch. VI.*
4. *Progress of Education in India, 1947-52, 1953 pp. 279.*

Mukerji, S. N. *An Introduction to Indian Education*. Baroda, Acharya Book Depot. 1958 Ch. II.

—, *Secondary School Administration* Baroda, Acharya Book Depot, 1959. Ch III.

The Indian Institute of Public Administration *The Organisation of Government of India* Bombay, Asia Publishing House, 1958. Ch XVI.

### तीसरा अध्याय : बुनियादी शिक्षा

अन्वार्ति, गैरत एव गर्मा, मोहनलाल : बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त. दिल्ली, अक्षयचन्द्र कपूर एण्ड सन्स, १९५८. पृष्ठ १६० ।

Aryanayakam, E. W. *The Story of Twelve Years* Sevagram, Hindustani Talimi Sangh n. d. pp 16

Avinashlingam, T. S. *Understanding Basic Education* Delhi, Manager of Publications, 1954 pp 61

Government of India. *Handbook of Teachers for Basic Schools*. 1956. pp. 325.

Hindustani Talimi Sangh, Sevagram *Basic National Education* n. d. pp. 96.

—, *Educational Reconstruction*. 1950. pp. 163

—, *One Step Forward*. 1940. pp. 292

समग्र सङ्घ तालीम, १९४६. पृष्ठ २२५.

कश्यप, मनोहरावर एव गुप्त, अमृतलाल : सङ्घ तालीम के सिद्धान्त एवं शिक्षाविधि. पंजाब, बिनाकर, १९५७. पृष्ठ २८६ ।

Kripalani, J. B. *The Latest Fad*. Sevagram, Hindustani Talimi Sangh, 1938 pp. 102.

Patel, M. S. *Educational Philosophy of Gandhiji*. Ahmedabad, Navivan Press, 1953. pp. 238.

Strimali, K. L. *The Wardha Scheme*. Udaipur, Vidya Bhawan, 1949. pp. 303.

Solanki, A. B. *Technique of Correlation in Basic Education* Baroda, Faculty of Education & Psychology, 1956. pp. 43



### सौदायिक शिक्षा : प्राथमिक शिक्षा

Das, A. N. *Primary Education in India*. Calcutta, Indian Association for the Advancement of Education, 1952. pp. 100.

दस, अणुनाथ आर्यभट्ट भारत की प्राथमिक शिक्षा का विकास, इण्डियन एसोसिएशन फॉर एड्युकेशनल प्रोग्रेस, कलकत्ता, 1952, पृष्ठ 100

Das, D. M. *Universal Compulsory and Free Primary Education in India*. Lucknow, Indian Institute of Education, 1952. pp. 39.

Das, D. M. *Primary Education in India*. Bombay, Government of India Secretariat, 1948. pp. 1-2.

दस, दामोदरमोहन दास एच. एम. आर्यभट्ट, भारतीय शिक्षा का इतिहास, अणुनाथ आर्यभट्ट द्वारा, 1950, पृष्ठ 498।

Estimates Committee *Elementary Education*. New Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1955. pp. 89.

Minister of Education *Report of the First Meeting of the All India Council for Elementary Education*. Delhi, Manager of Publications, 1955. pp. 121.

Parulekar, R. V. *Literacy in India*. Bombay, Macmillan, 1939. pp. 181.

Sayadain, K. G., Nair, J. P., and Husain S. Abid. *Compulsory Education in India*. Paris, UNESCO, 1952. pp. 191.

Sen, J. M. *History of Elementary Education in India*. Calcutta, Book Co., 1943. pp. 313.

सिंह, जैशंकर एवं शास्त्री, भूदेव, भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास. आगरा, गायप्रसाद एण्ड सन्स, 1950. पृष्ठ 229।

## पाँचवा अध्याय : माध्यमिक शिक्षा

*A Report on Secondary Education Extension Course.* Madras, South India Teacher, Nos. 7 & 8 1954

Estimates Committee. *Secondary Education* New Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1958. pp. 90.

Government of India *Head Masters on Secondary Education* Delhi, Publications Division, 1954 pp. 40.

—, *Report of the Secondary Education Commission* Delhi, Publications Division, 1953. pp. 319

Hampton, H. V. "Secondary Education", *The Educational System* Bombay, O.U.P. n. d. pp. 64

Mukerji, S. N., ed. *Secondary Education in Other Lands.* Baroda. Faculty of Education and Psychology 1956 pp. 65

Report of a Study by an International Team *Teachers and Curricula in Secondary Schools.* Delhi, Ford Foundation 1954. pp. 142.

"Report on Baroda Workshop," *Journal of Education & Psychology.* April, 1955

मिर्, रायप्रसाद : भारतवर्ष तथा उत्तरप्रदेश में प्रजातन्त्रिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की ऐतिहासिक भूमिका. छलनऊ, हिन्दी साहित्य भंडार, १९५९. पृष्ठ २०८।

Siqueira T. N. "The Aim of Secondary Education", *South India Teacher.* November, 1954.

## छठा अध्याय : विश्वविद्यालयीय शिक्षा

Basu, A. N. *University Education in India* Calcutta, Book Emporium. 1944. pp. 166.

Dongerakety, S. R. *Thoughts on University Education.* Bombay, Popular Book Depot, 1955. pp. 170.

— *Universities and National Life.* Bombay, Hind Kitabs 1953, pp. 115.

## चौथा अध्याय : प्राथमिक शिक्षा

Basu, A. N. *Primary Education in India*. Calcutta, Indian Associated Publishing Co. 1946. pp 64.

भटनागर, रामप्रसाद. भारतीय शिक्षा का आधुनिक इतिहास मुद्राबद्ध, स्टोर्स, १९५९, पृष्ठ २४० ।

Desai, D. M. *Universal Compulsory and Free Primary Education in India* Bombay, Indian Institute of Education pp 392.

Desai, Dinker. *Primary Education in India*. Bombay of India Society, 1948 pp. 128.

दुवे लक्ष्मीकान्त एवं सुर रमणीकान्त. भारतीय शिक्षा का इतिहास कृतावधर, १९५७, पृष्ठ ५९८ ।

Estimates Committee. *Elementary Education*. New Sabha Secretariat, 1958. pp. 89.

Ministry of Education *Report of the First Meeting India Council for Elementary Education*. Delhi Publications, 1958. pp 121.

Parulekar, R. V. *Literacy in India* Day, Me pp. 181.

Sayadain, K. G., Naik, J. P. *Education in India*. F in S. Ablo 1952

Sen, J. M. *History of India* Book Co., 1943. p

सिंह, बंशीधर एवं शास्त्री  
गयाप्रसाद एण्ड

- Dasgupta, Jyoti Probha. *Girls' Education in India in the Secondary and Collegiate Levels*. Calcutta, University of Calcutta, 1938. pp. 269
- Gandhi, M. K. *Women and Social Injustice*. Ahmedabad, Navjivan Press, 1942. pp. 276
- Government of India. *Report of the National Committee on Women's Education*. Delhi, Manager of Publications 1959 pp. 335.
- Indra. *Status of Women in Ancient India*. Lahore, Minerva Book Shop, 1949 pp. 324
- Joshi, K. L., and Shukla P. D. 'Women and Education in India,' *Women and Education*, Paris, UNSECO, 1953 pp. 264.
- मि. गणेशप्रसाद : हमारी शिक्षा. वागवती, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, १९५८. पृष्ठ ३०९.

### आठवाँ अध्याय : प्राविधिक शिक्षा

- C. A. B. E. *Report of the Technical Education Committee*, 1943  
Delhi, Manager of Publications, 1956 pp. 37
- Chandiraman, G. K. *Technological Education in India*. Delhi, Publications Division, 1956 pp. 20
- Estimates Committee, *Technical Education*. New Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1958 p. 127.
- Government of India. *Report on Vocational Education in India*. (Abbott Wood Report). Delhi, Manager of Publications, 1937. pp. 138.
- . *Scientific Research*. Delhi, Manager of Publications, 1957. pp. 88.
- National Planning Committee *General Education and Technical Education, and Developmental Research*. L. S. V. Veda & Co., 1938. pp. 23.
- प्रसाद, कुमेश्वर : भारतीय शिक्षा का इतिहास. (1875-1947). वटवा, श्री अरुणदा प्रेस, १९५७. पृष्ठ ५१७.

- ११५
- ११५
- Universities and Their Problems.* Bombay  
Hindustan, 1948. pp. 191.
- Education Committee. *Report of the Three-year Degree Course*  
Delhi, Ministry of Education, 1957. pp. 23.
- Estimates Committee. *University and Rural Higher Education.*  
New Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1957. p. 112.
- Ghosh, J. *Higher Education in Bengal.* Calcutta, Book Company,  
1929. pp. 242.
- Government of India. *Directory of Institutions of Higher Education.* 1958. Delhi, Manager of Publications, 1958. pp. 245.
- Indian University Administration.* Delhi, Manager of  
Publications, 1958. pp. 149.
- . *Rural Institutes.* Delhi, Manager of Publications, 1955.  
pp. 77.
- . *The Report of the University Education Commission.* Vol. I.  
Delhi, Manager of Publications, 1949. pp. 747.
- Iyenger, K. R. S. *A New Deal for Our Universities.* Calcutta.  
Orient Longmans, 1951. pp. 134.
- हिंसरन, वसुदेवराव एच. शर्मा, चेट्टरान : हमारे शिक्षा प्रतिवेदन. अलीगढ़, विश्व-  
प्रकाशन, १९५९. पृष्ठ ५५८.
- Mukerji, S. N. *Higher Education and Rural India.* Baroda,  
Acharya Book Depot, 1956. pp. 342.
- Sheshadri, P. *The Universities of India.* Bombay, Oxford Uni-  
versity Press, pp. 58.

### सातवाँ अध्याय : स्त्री-शिक्षा

- All-India Women's Conference. *Education of Women in Modern  
India.* Aundh Publishing Trust, 1946. pp. 87.
- Bair, Tara Ah, ed. *Women of India.* Delhi, The Publications  
Division, 1958. pp. 276.
- Cousins, M. E. *Indian Womenhood Today.* Allahabad, Kitabistan,  
1941. pp. 207

- Dasgupta, Jyoti Probha. *Girls' Education in India in the Secondary and Collegiate Levels*. Calcutta, University of Calcutta, 1938 pp 269.
- Gandhi, M. K. *Women and Social Injustice*. Ahmedabad, Navivan Press, 1942 pp 276.
- Government of India. *Report of the National Committee on Women's Education*. Delhi, Manager of Publications 1959. pp. 335
- Indra. *Status of Women in Ancient India*. Lalore Minerva Book Shop. 1949 pp 324
- Joshi, K. L., and Shukla P. D. "Women and Education in India," *Women and Education*, Paris, UNESCO, 1953 pp. 264.
- मि. गणेशप्रसाद : हमारी शिक्षा, वागवती, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, १९५८, पृष्ठ ३०९.

### आठवाँ अध्याय : प्राविधिक शिक्षा

- C. A. B. E. *Report of the Technical Education Committee*, 1943 Delhi, Manager of Publications, 1956 pp 37
- Chandrasekari, G. K. *Technological Education in India*. Delhi, Publications Division, 1956 pp 20.
- Estimates Committee, *Technical Education*. New Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1958 p 127
- Government of India. *Report on Vocational Education in India* (Abbott Wood Report). Delhi, Manager of Publications, 1937 pp. 138
- , *Scientific Research*. Delhi, Manager of Publications, 1957. pp 28
- National Planning Committee. *General Education and Technical Education, and Developmental Research*. Lucknow, Vera & Co., 1958 pp 29
- ग्रन्थ सूची : भारतीय शिक्षा का इतिहास, (१९५२ (२-२२) खण्ड, ६ खण्ड २९, १९५३, पृष्ठ ५९०.

मन्त्र, एनोए १. भारतीय शिक्षा का इतिहास, भाग १, सत्य प्रकाशन, १९५४  
११६०२।

Venkattaman, K. "Technical Education", *The Educational System* London, O. U. P., 1953 pp. 64

### नवीं अध्याय : शिक्षक प्रशिक्षण

A. V. C. E. L. *School and Community Laboratory Experiences in Teacher Education*. Oleana, N. Y. 1947. pp. 340

Association of Training Colleges in India. *Report of the First, Second and Third Conferences*. Buxa, Faculty of Education and Psychology.

Commission on Teacher Education *The Improvement of Teacher Education*. Washington, American Council on Education, 1946. pp. 263.

Divekar, S. M. "A Ploy for Bridging Gulf Between the Basic and Non-Basic Graduate Teacher Education Programmes", *Journal of Education & Psychology*, October, 1956,

Filho, M. B. L. *et al. The Training of Rural School Teachers* Paris, UNESCO, 1953. pp. 164.

Hindustani Talim Sangh. *Revised Syllabus for the Training of Teachers*. Sevagram, 1952. pp. 81.

Kaul, G. N and Menon T. K. N *Experiments in Teacher Training*. Delhi, Publications Division, 1954. pp. 73.

Mukerji, S. N. "Practical Work of Teachers' Colleges." *Journal of Education & Psychology*, January, 1955.

National Teachers' Association. *Education for Teaching*. Washington, WCOTP. 1954. pp. 57.

*of the First Seminar on Extension Services in Training Colleges*. Hyderabad, 1954. pp. 55.

C. A. *et al. The Education of Teachers in England, France and U.S.A.* Paris, UNESCO. 1953. pp. 339.

Theodore, C. B., and Cooper, R. M., eds. *The Preparation of College Teachers*. Washington, American Council on Ed., 1950. pp. 186.

### दसवाँ अध्याय : विविध विषय

#### १. पूर्व-प्राथमिक-शिक्षा

All-India Child Education Conference. *Problems of Child Education in India*. Indore, Bal-Niketani Sangh, 1956 pp. 150

Estimates Committee. *Elementary Education* New Delhi Lok Sabha Secretariat, 1958. pp. 89

Hindustani Talimi Sangh *Pre-Basic Education* Sevagram, 1953. pp. 26.

Narulkar, Shanta. *Plan and Practice* Sevagram, Hindustani Talimi Sangh, 1950. pp. 64.

#### २. समाज शिक्षा

Apte, D. G. *Social Education at a Glance* Baroda, Faculty of Education & Psychology, 1956 pp. 15.

Community Projects Administration. *Manual of Social Education* Delhi, Publications Division 1955 pp. 110.

Indian Adult Education Association *Teachers' Handbook of Social Education* Delhi, Publications Division 1955. pp. 191.

दाशरी धर्मेन्द्र प्रकाशरी : सामाजिक शिक्षा और समाज सेवा, पटना, मध्य-राजधानी प्रकाशन, पृष्ठ ३६७.

Sohan Singh. *Social Education in India*. Delhi, Ministry of Education, 1956, pp. 18.

#### ३. मजदूरों की शिक्षा

Litigation Committee. *Special Education* New Delhi, Lok Sabha Secretariat 1958 pp. 63

Planting Commission *Social Welfare in India* Delhi, Publications Division 1955 pp. 253



- Priestly, K. L., and Wright B. P. *Mental Health and Education*. Hong Kong, University Press, 1956, pp. 97.
- Seit, M. "Problems of Handicapped Children in India", *Indian Journal of Child Health*, November 1952, pp. 597-607.

#### ५. व्याख्य एवं अनुशासन

- C. A. B. E. *A National Plan of Physical Education*. Delhi, Publications Division, 1959, pp. 61.
- Desai, C. R. *History and Progress of Physical Education in India*. Bhopal, Faculty of Education & Psychology, University of Bhopal, unpublished Dissertation for M. Ed., 1956, pp. 521.
- Estimates Committee. *Cultural and International Activities*. New Delhi, Lok Sabha Secretariat, 1955, p. 116.
- Fairing Commission. *Social Welfare in India*. Delhi, Publications Division, 1955, pp. 53-119.

#### संदर्भों अर्थात् : कविद्वय राष्ट्रीय मन्थान

1. *Education in India*, D. J. Schoor's *With a Message for India*. Madras, O. P., 1945, pp. 196.
2. *Report of the Committee on Experiments in Primary and Basic Education*. Delhi, Ministry of Education, 1957, pp. 39-56.
3. *Central Board of Secondary Education, Annual Report, 1954-55* (1). *General*, pp. 1-10, 20-21, 30-31, 32-33, 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-49, 50-51, 52-53, 54-55, 56-57, 58-59, 60-61, 62-63, 64-65, 66-67, 68-69, 70-71, 72-73, 74-75, 76-77, 78-79, 80-81, 82-83, 84-85, 86-87, 88-89, 90-91, 92-93, 94-95, 96-97, 98-99, 100-101, 102-103, 104-105, 106-107, 108-109, 110-111, 112-113, 114-115, 116-117, 118-119, 120-121, 122-123, 124-125, 126-127, 128-129, 130-131, 132-133, 134-135, 136-137, 138-139, 140-141, 142-143, 144-145, 146-147, 148-149, 150-151, 152-153, 154-155, 156-157, 158-159, 160-161, 162-163, 164-165, 166-167, 168-169, 170-171, 172-173, 174-175, 176-177, 178-179, 180-181, 182-183, 184-185, 186-187, 188-189, 190-191, 192-193, 194-195, 196-197, 198-199, 200-201, 202-203, 204-205, 206-207, 208-209, 210-211, 212-213, 214-215, 216-217, 218-219, 220-221, 222-223, 224-225, 226-227, 228-229, 230-231, 232-233, 234-235, 236-237, 238-239, 240-241, 242-243, 244-245, 246-247, 248-249, 250-251, 252-253, 254-255, 256-257, 258-259, 260-261, 262-263, 264-265, 266-267, 268-269, 270-271, 272-273, 274-275, 276-277, 278-279, 280-281, 282-283, 284-285, 286-287, 288-289, 290-291, 292-293, 294-295, 296-297, 298-299, 300-301, 302-303, 304-305, 306-307, 308-309, 310-311, 312-313, 314-315, 316-317, 318-319, 320-321, 322-323, 324-325, 326-327, 328-329, 330-331, 332-333, 334-335, 336-337, 338-339, 340-341, 342-343, 344-345, 346-347, 348-349, 350-351, 352-353, 354-355, 356-357, 358-359, 360-361, 362-363, 364-365, 366-367, 368-369, 370-371, 372-373, 374-375, 376-377, 378-379, 380-381, 382-383, 384-385, 386-387, 388-389, 390-391, 392-393, 394-395, 396-397, 398-399, 400-401, 402-403, 404-405, 406-407, 408-409, 410-411, 412-413, 414-415, 416-417, 418-419, 420-421, 422-423, 424-425, 426-427, 428-429, 430-431, 432-433, 434-435, 436-437, 438-439, 440-441, 442-443, 444-445, 446-447, 448-449, 450-451, 452-453, 454-455, 456-457, 458-459, 460-461, 462-463, 464-465, 466-467, 468-469, 470-471, 472-473, 474-475, 476-477, 478-479, 480-481, 482-483, 484-485, 486-487, 488-489, 490-491, 492-493, 494-495, 496-497, 498-499, 500-501, 502-503, 504-505, 506-507, 508-509, 510-511, 512-513, 514-515, 516-517, 518-519, 520-521, 522-523, 524-525, 526-527, 528-529, 530-531, 532-533, 534-535, 536-537, 538-539, 540-541, 542-543, 544-545, 546-547, 548-549, 550-551, 552-553, 554-555, 556-557, 558-559, 560-561, 562-563, 564-565, 566-567, 568-569, 570-571, 572-573, 574-575, 576-577, 578-579, 580-581, 582-583, 584-585, 586-587, 588-589, 590-591, 592-593, 594-595, 596-597, 598-599, 600-601, 602-603, 604-605, 606-607, 608-609, 610-611, 612-613, 614-615, 616-617, 618-619, 620-621, 622-623, 624-625, 626-627, 628-629, 630-631, 632-633, 634-635, 636-637, 638-639, 640-641, 642-643, 644-645, 646-647, 648-649, 650-651, 652-653, 654-655, 656-657, 658-659, 660-661, 662-663, 664-665, 666-667, 668-669, 670-671, 672-673, 674-675, 676-677, 678-679, 680-681, 682-683, 684-685, 686-687, 688-689, 690-691, 692-693, 694-695, 696-697, 698-699, 700-701, 702-703, 704-705, 706-707, 708-709, 710-711, 712-713, 714-715, 716-717, 718-719, 720-721, 722-723, 724-725, 726-727, 728-729, 730-731, 732-733, 734-735, 736-737, 738-739, 740-741, 742-743, 744-745, 746-747, 748-749, 750-751, 752-753, 754-755, 756-757, 758-759, 760-761, 762-763, 764-765, 766-767, 768-769, 770-771, 772-773, 774-775, 776-777, 778-779, 780-781, 782-783, 784-785, 786-787, 788-789, 790-791, 792-793, 794-795, 796-797, 798-799, 800-801, 802-803, 804-805, 806-807, 808-809, 810-811, 812-813, 814-815, 816-817, 818-819, 820-821, 822-823, 824-825, 826-827, 828-829, 830-831, 832-833, 834-835, 836-837, 838-839, 840-841, 842-843, 844-845, 846-847, 848-849, 850-851, 852-853, 854-855, 856-857, 858-859, 860-861, 862-863, 864-865, 866-867, 868-869, 870-871, 872-873, 874-875, 876-877, 878-879, 880-881, 882-883, 884-885, 886-887, 888-889, 890-891, 892-893, 894-895, 896-897, 898-899, 900-901, 902-903, 904-905, 906-907, 908-909, 910-911, 912-913, 914-915, 916-917, 918-919, 920-921, 922-923, 924-925, 926-927, 928-929, 930-931, 932-933, 934-935, 936-937, 938-939, 940-941, 942-943, 944-945, 946-947, 948-949, 950-951, 952-953, 954-955, 956-957, 958-959, 960-961, 962-963, 964-965, 966-967, 968-969, 970-971, 972-973, 974-975, 976-977, 978-979, 980-981, 982-983, 984-985, 986-987, 988-989, 990-991, 992-993, 994-995, 996-997, 998-999, 1000-1001.

Shahore C. N. "Some Aspects of the Educational Thought of India", *Educational Studies and Investigations*, Vol I Bombay, Asia Publishing House, 1951. pp 262

Shrivastava-Indra. "Gurukulas Contributions to the Present Educational System", *Educational India* December 1955

Shrivastava-Dharati. *Prospectus*. Santiniketan Press. n. d. pp 15

सहायक अध्याय : उपसंहार

Shrivastava, A. *Thoughts on Indian Education*. Delhi: Manager of Publications, 1958. pp 101

Government of India. *Future of Education in India*. Delhi: Ministry of Information and Broadcasting, 1957

—, *The Field of Education*. Delhi, Ministry of Education & Scientific Research, 1957 pp 72

Shrivastava, Humayun. *Education in New India*. London: George Allen & Unwin, 1955. pp 212

—, *Student Indiscipline*. Delhi, Ministry of Education, 1957 pp 23

Shrivastava, G. D. *A Plan for Youth Welfare*. Delhi: Ministry of Education, 1956 pp 67



# अनुक्रमणिका

(विषयानुसार)

अ

अग्रहार, ६ ।  
 अज्ञायवधर, १३९ ।  
 अमरिकी टेकनिकल कोअपरेशन, २३१ ।  
 अनाथालय, २६४, २६८ ।  
 अनुदान केन्द्रीय, २८, ३३, ८६, ९३,  
 १५९; प्राथमिक, ६४, ६९, ७८,  
 ८६, ९३; प्राविधिक, २-४; प्रौढ़  
 (समाज), २५२, २५४; माध्यमिक,  
 ९२, ९९, १११, १३१, १३२;  
 विद्याविद्यालय, १४०, १५९, १६०;  
 शिक्षक, २४१, २४२; शिक्षक-  
 प्रशिक्षण, १११; स्त्री-शिक्षा १८० ।  
 अनुशासन, २७१, २७५, २७७, २७८,  
 २९०, २९५, २९६ ।  
 अनुसन्धान: अनुदान, १४८, १५९,  
 १६०, १७५; प्रयोगशालाए, ३३,  
 १७५, २०५; प्रशासन, १३१;  
 प्राथमिक शिक्षा, ७२, ९५, ९६;  
 प्राविधिक शिक्षा, ३३, २०४, २०५,  
 २१२; बुनियादी शिक्षा, ५०, ५१;  
 माध्यमिक-शिक्षण, ११२, १३१;  
 विद्याविद्यालयीय शिक्षा, १४२,  
 १५९, १६०, १६९, १७६, १७५;  
 वृत्ति, १५९, १७६, १७५, २०६,  
 २०५; वैज्ञानिक, ३३; शिक्षक-  
 प्रशिक्षण, २१९, २०९, २३०, २३८;

समाज शिक्षा, २५४; संस्थाएं, ३३,  
 ३६, २२० ।

अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित आरिभ  
 जातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्ग, ७३,  
 ८२, ८९, ९०, ९२, ९९ ।

अवरोधन, ७७, ७८, ९६ ।  
 अमचाव, १११, १४४, १५९, १६० ।  
 अहिंसा, ४०-४२, ४४, ४७ ।  
 अंग्रेजी, १८-२०, ४२, ४५, ९७, ९८,  
 १००, १०१, १२०, १२१, १२३,  
 १७१, १७२, २१० ।

आ

आयुर्वेद, १२, ३५ ।  
 आयोग : अमरिकी उच्च शिक्षा, २०८,  
 २०९; माध्यमिक शिक्षा, १०५,  
 ११६-२२, १३०, १३२, १३३,  
 २३६, २३९, २४३; योजना, ८५,  
 २०६; विद्याविद्यालय (१९०२),  
 २१, १३९, १७३; विद्याविद्यालय  
 अनुदान, ५१, ३३, ११२, १४७,  
 १४८, १५४, १५९, १७१, २४१,  
 २९७; विद्याविद्यालयीय (समाजशास्त्र)  
 शिक्षा, १०५, ११८, १३५, १६२,  
 १५२, १५४, १७२, १७६, १७७,  
 १८९, २३९, २६१; गैर-शिक्षण, २१  
 १००-०२, १६१, २१९; शक्ति,  
 २१, ९८, १७९, २१७ ।

आधुनिक, ३, ५ ।





१२; वायु, ४९, ११३, ११४,  
 १२४, २८१; भौतिक, २३७; वस्तु-  
 गत, १३४, २३८; विश्वविद्यालयीय,  
 १३५, १७३; शालान्त, १०२,  
 ११४; सुधार, ११२, १३३, १३४,  
 १७३, २३१ ।  
 पञ्च-वर्षीय योजनाएँ : २३, २१३;  
 तृतीय, २५, ८५, १७७, १९०,  
 १९१, २०२, २६१; द्वितीय, २३,  
 २४, ८३, १२५, १९०, २००,  
 २०७, प्रथम, २३, ८३, १११ ।  
 पाठ्यक्रम : गुरुकुल, २७९, २८०;  
 टोल, १५; पूर्व-प्राथमिक, २४७,  
 प्राथमिक, ६३, ७२, ७६, ७७,  
 ८२; प्राविधिक, १९९, २००,  
 २०३, २०४, २०८, २०९;  
 प्रौढ (समाज), २५३; बुनियादी,  
 ४२, ४५, ४६, ४९; मकनव,  
 १३, १४; मन्वृत्त, २६७-२६९;  
 मशगल, १४; माध्यमिक, ११३,  
 ११९-२५, १२८; विश्वविद्यालयीय,  
 १५२, १५३, १६५-६८; शिक्षक-  
 प्रशिक्षण, २२८-३२, २३५-३७;  
 स्त्री शिक्षा, १७८, १८७, १८९,  
 १९१ ।  
 पाठ्य पुस्तक, १४, ३५, ६३, २५८,  
 २५९, २८७ ।  
 पाठशाला, १५, ६२ ।  
 पारिभाषिक शब्द, १७२, २८५ ।  
 पब्लिशिंग, १७, २७ ।  
 पब्लिकेशन, २००, २०२ ।  
 पुस्तकालय, १२, १४, १६, ३२, १११,

१३९, १४६, १५९, १६९,  
 २५८, २५९, २८३, २८५, २८६ ।  
 पूर्व प्राथमिक शिक्षा : कार्यक्रम,  
 २४७, २४९; प्रकार, २४८, २४९,  
 प्रगति, २४७; प्रयोग, २४८, २४९;  
 प्रौढ शिक्षा, ४४; बुनियादी शिक्षा,  
 ४५, २४६; रूप, २४४; शिक्षक,  
 २४९, सुधार, २४८ ।  
 पेंशन, १५९ ।  
 प्रमाणन, २८, ३२, १७५, २३०,  
 २३१, २५४, २५९, २८७ ।  
 प्रदर्शनी, १७६, २३०, २३१, २५६ ।  
 प्रशामन : केंद्रीय सरकार, २२,  
 २७-३३, ४८, ५०, ८५, १११,  
 ११५, १२५, १३०, १५४, १५५,  
 २४१, २५४, २६७, २७२, २९३,  
 पूर्व-प्राथमिक, २४५, प्राथमिक,  
 ७०, ७२, ८५, ८६; प्राविधिक,  
 ३३, १९८; मन्वृत्तों की शिक्षा,  
 २६९, २७०; माध्यमिक, ९९,  
 १०१, १०८, १०९, १११, ११२,  
 १२५, १३०; गन्तु सरकार, २१,  
 २२, ३३, ३४, ६४, ७१, ८६,  
 १११, १२५, १५६, १६०, २८१,  
 २५४, २९२; विश्वविद्यालयीय, ९९,  
 १०१, १३८-४०, १४३, १६७,  
 १४८, १५३-५७, समाज शिक्षा,  
 २५३, २५४; स्थानीय सरकार, ३६,  
 ३५, ६८, ८०; स्त्री शिक्षा, १८३,  
 १८४ ।  
 प्रशासन कार्य, ११०, १६०, १६०,  
 १७६, १८७, २११, २६०, २८८ ।

सांख्यिक शिक्षा : अनुसन्धान, १०,  
 १६; अनिर्धार, ६६ ७१, ७६, ८०,  
 ८८, २९१; इतिहास, ६४-७१;  
 देशीय, १०, ११; पाठ्यक्रम, ७६,  
 ७७, ८५, ९२; प्रशासन, ७२, ७८,  
 ८०, ८५; शिक्षण, ७३, ७४, ८०,  
 ८१, ८३, माता-पिता, ७३, १. शिक्षक,  
 ७६, ९३, शिक्षण, ८३ ।

सांख्यिक शिक्षा : अनुसन्धान, २०३,  
 २०५, २१२, इतिहास, ११-१२,  
 कल्याण प्रशासनिक समीक्षा, २०३  
 २०४, कर्मचारियों का प्रशासन, २१०,  
 २११, पत्र-संचालन योजनाएँ, २४, २५,  
 २००-०३, पाठ्यक्रम, २०३, २०४,  
 २०८, २०९, प्रशासन, २३, २४, २५,  
 २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२,  
 ३३, शिक्षण, २००-०२, शिक्षण,  
 २०४, शिक्षण की आवश्यकता, २००,  
 शिक्षण, २००, २०१ ।

सांख्यिक शिक्षा, १५९, १६९, १७३ ।  
 शिक्षण (अनुसन्धान) : इतिहास, १५५,  
 १५६, १५७, शिक्षण, १५६,  
 १५७, १५८ पाठ्यक्रम, १५६, १५७,  
 शिक्षण, १५७, शिक्षण, १५६,  
 १५७, १५८, १५९, शिक्षण, शिक्षण  
 शिक्षण, १५६, १५७, १५८, शिक्षण,  
 १५६, १५७, शिक्षण, शिक्षण,  
 शिक्षण, शिक्षण, शिक्षण, शिक्षण ।

शिक्षण, शिक्षण, शिक्षण ।  
 शिक्षण, शिक्षण, शिक्षण ।

घ

बहु-स्तरीय स्तरीय २४, १०५, १११-  
 -१३, १२५, १२६, २३६, २८६,  
 २९१ ।

युनिवर्सिटी शिक्षा : अनुसन्धान ५१;  
 अक्षांश : ४१, ४२; आयोग,  
 ५२-५४; उच्च युनिवर्सिटी, ४६,  
 ४७, १०६, १०८, १०९; पेन्शनरी  
 एग्रेसरी, ४२, ४५, ५२-५४;  
 युग, ५६-५७, ६०, ६१; धार्मिक  
 शिक्षण, ५४; खर्च, ४०, ४३, ४५,  
 ५७, नियम-निष्ठा, ५८, ५९;  
 पाठ्यक्रम, ४२ ४५ ४६, ४९;  
 पूर्व युनिवर्सिटी ४५; प्रश्न ६०,  
 ६९, प्रती, ४३ ५७, प्रीट्ट शिक्षण  
 ४४ ४५, भूतान, ४३ ४९;  
 शिक्षण परिभाषा, २५४, २७५,  
 २३७-३४, समन्वय ५३, ५४ ।

देशीय शिक्षण, २९, ८१ ।  
 देशीय शिक्षण, २६८, २६९ ।  
 देशीय शिक्षण, २६६, २६७ ।

ग

देशीय शिक्षण, २७, ३३, ३५,  
 ८३ ८५, १०५ १५३, १८८,  
 २३० ।

देशीय शिक्षण, २४, २५, ४५, ८१,  
 १०३ १०४-१०६ १४४ १४५,  
 १४७ ।

देशीय शिक्षण, ४३ ४४ ५० ५१ ।  
 देशीय शिक्षण, १३ ।

घ

देशीय शिक्षण, २६, २७, २८ ।

मण्डल अन्तर्विधविद्यालय ३१ १४६,  
 १४७, १९९; केन्द्रीय समाज  
 कल्याण, ३५४ केन्द्रीय समाज सेवा,  
 ३१; केन्द्रीय मलाहकारी शिक्षा,  
 २८, ३१, ३२, ४९, ११८, १२३,  
 १६५।  
 मण्डलों की शिक्षा : इतिहास, २६४;  
 पाठ्यक्रम, २६३; प्रशासन, २६९,  
 २७०; वर्गीकरण, २६२, २६३,  
 मर्यादा, २६४-६९।  
 मद्रास, १४, १७, ६२, १३६।  
 मनोरञ्जन कार्य १०४, १७६, ५७,  
 २६९।  
 मन्त्रालय कृषि, १३०, २९०,  
 परिवहन एवं प्रतिष्ठा, २५३,  
 २९३; पाणिज्य तथा उद्योग, १३०,  
 वित्त, २१४; वैज्ञानिक मोक्ष एवं  
 मण्डल, २९, ३३, १९८, २००,  
 शिक्षा, २९-३२, ७३, १११,  
 ११२, १५६, १७७, १८३, २५४,  
 २६४, २७०, ७४, १७७, २७८,  
 २९१, २९३; अन्न, १३०, १८३,  
 ५५३; सामुदायिक विकास तथा  
 मण्डल; १३० १८३, २९३,  
 मूल्य तथा प्रशासन, १९३; व्याप्य  
 १८३, २६९।  
 सामुदायिक शिक्षा : अनुसंधान, ११२,  
 ११३; इतिहास ९७-१०५;  
 उद्देश्य, ११५, ११६, माण्ड इन एंड  
 ९८, निर्माण १११; पाठ्य ९८,  
 ९९, ११६-११५, १३३; पाठ्य  
 अन्न ९८, ९९, १०१, १०४,

११३-११४, ११९-२४; प्रशासन,  
 १०१ १०६, १०८, १३०-३४;  
 माध्यम, ९७, १०१; वित्त, ११०,  
 १११; विद्यार्थी स्कूल, १२४-२८;  
 शाला-गृह ११३; शिक्षा मण्डल,  
 १०९; शिक्षक, १२५, २४०,  
 २४१।  
 मैट्रिक परीक्षा, ३८, ४२, ९३, ९८,  
 ९९, १०१, १०४, १०९, ११४,  
 ११६, १५१, १८५ २६१।

य

यशोवर्षा, ०, ५, १  
 युद्ध कल्याण, १४६, २३४, २७५।  
 व्यर्थता, ७७, ७८, ९६, १६३।  
 व्यसय निर्देशक, १०८।  
 व्यापार, ३, ४, २९ ३०, १०६,  
 २७२।

ब

बालशिक्षा नियाम, २६८।  
 बाल्य (प्राथमिक) स्तर, २१, २२, २८,  
 २९ ३२ ३४ ६४ ७१, ७५,  
 ८६-८८, ९३ १११, ११५, १५४  
 १६०, २४१ २-४, २९२।  
 भारतीय प्रयोग मण्डल २५, ३३, १५४,  
 २०५।  
 बालि बालशिक्षा, २-२ २-५ २६०।  
 बालि, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७,  
 १०८, १०९; बालि बालि ४०,  
 ५०, ५३; बालि बालि बालि,  
 ३५, बालि ४९, ५१ ८६,  
 १०१ १०३, १०४ ४८ १०५।



वाणिज्य, ६, ३८, ४६ ।

वित्त : पञ्च-वर्षीय योजनाएँ, ०३-२५,

८७, १२५, १९८; प्राथमिक शिक्षा  
६४, ७३, ७४, ८७; प्राविधिक  
शिक्षा, १९८; गजपूरों की शिक्षा,  
२७०; मध्य अध्यापन शिक्षा  
२२९, २३१; माध्यमिक शिक्षा,  
११०, विश्वविद्यालयीय शिक्षा  
१५७, १६०; शिक्षा, ३८, समाज  
शिक्षा, २५६ ।

विद्यापीठ, २७९, २८४, २८५ ।

विश्वविद्यालयीय शिक्षा : अध्यापन,  
१६८-७०; अनुदान, १५९;  
अनुसन्धान, १३९, १६९ १७४,  
१७५; अंग्रेजी, १७१; इतिहास,  
१३६-४२; कालिज १४३, १४८-  
५०, १६०, १६१; ग्रामीण,  
१५२, १५३; छात्र, १४८, १७४,  
१७५; परीक्षा, १३८, १६३,  
१७३; पाठ्यक्रम, १६५-६८;  
पुस्तकालय, १३९, १४५; प्रकार,  
१४४, १४५; प्रशासन, १४६,  
१५३-५७, १६०, १६१; माध्यम,  
१७१, १७२; माध्यमिक शिक्षा,  
१००-१०२; वित्त, १४५, १५७,  
१६० ।

विहार, ९, १३६ ।

विज्ञान मन्दिर, २५, २०४ ।

वृत्ति, १५, ३०, ३१, १११, १५९,  
२०४ ।

वेतन, ४१, १३३, १३५, १९२, २४१-

४३ ।

गहर-ग्राम कल्याण, २०३, २०४ ।

शान्ति मेना, ४८ ।

शारीरिक शिक्षा, २९, १०४, १२०,  
१३४, १४१, १४६, २२६ ।

शाल्या-गृह, ६३, ८७, ९०, १११,  
११३, १३२, १५९, १६०, २१४ ।

शिक्षा का माध्यम : १४, १८, १९, २५;  
प्राथमिक, ६३; प्राविधिक, २११;

बुनियादी, ४१; माध्यमिक, ९६,  
२००, १०१, १२०; विश्वविद्या-  
लयीय, १७१, १७२ ।

शिक्षा का ढाँचा, ३६-३८, १०६, १९९ ।

शिक्षा छनाई सिद्धान्त, ६५, ६६, ७९ ।

शिक्षा-नीति : वैदिक (१८३५), ९६;  
हाडिगज (१८४४), ९६; सरकारी

प्रस्ताव (१९०४), २१, ६४, ८९,  
१०१, २१७; सरकारी प्रस्ताव

(१९१३), २१, ६९, १४० २१८,  
२१९ ।

शिक्षा परामर्शदाता, २९, ३१, ७३ ।

शिक्षा-मन्त्री, २२, २९, ३२, ३३, ३४,  
४८, ७१, ८५, ८७, ९३, १३०,  
१५६ ।

शिक्षा-न्यय, १२, १७, २३, ३९, ४०-  
४२, ४६, ६४-६६, ७३, ७४,  
८१, ८७, ११०, १५७-६०, १६६,  
१८२, २९८, १०४, २१७ २२०,

२२८, २६९, २७७, २९१।  
 शिक्षा-साधन, ६३, ८७, १११; १२३,  
 १४४, १५८, १६०, २३३, २५७।  
 शिक्षा-संचालक, २७, २८, ३४, १८४।  
 शिक्षा-सूचना-कार्यालय, २८, ३२।  
 शिक्षक ४८, ६३, ७६, ८१, ८२,  
 १३, २०६, २०९; २१० २३९-  
 ४४, २७८।  
 शिक्षक-प्रशिक्षण : अनुमान, १११; अनु-  
 साधन, २७७, २७८; अनुसन्धान,  
 १११, २१९, २२७, २२८, २३८,  
 २३९, २४१-२९; उत्तर-स्नातक,  
 २२६, २२६, २३३, २३४; कालिज  
 अध्ययन, १६९, २३७; पाठ्यक्रम,  
 २३४, २३५; पूर्व-प्राथमिक, २००,  
 २२१; प्राथमिक, २२१ २८; बुनि-  
 यादी, २२३, २२५, २२६, २३३,  
 २३४; मध्य-अध्ययन, ९४, ११२,  
 २२९, २३०; अर्थ, २१७; गृहि,  
 १११; शिक्षिका, १८६, १८७,  
 १९१, २२०, २२७; सुधार, २३१-  
 ३९; स्नातक, २१९, २२०।  
 अर्थ-तन्त्र शिक्षा, ६३, १३०, १३१,  
 १३३, १३७ १३८, १५७, १६८।

१४

सनातन धर्मशास्त्र, ८९, ९१, २०४।  
 सनातन वेदा, १७६, १७७, १७८,  
 १८४।  
 सनातन धर्मशास्त्र-अनुमान  
 १५३;

२००; कम्प्यूटर अनुमान, १६८;  
 केन्द्रीय बुनियादी, ४९; कुञ्जः  
 (शास्त्रीय शिक्षा) २७८, (शिक्षा  
 माध्यम) १७१, १७२; खेद, ४८,  
 ४९, २९१, ग्रामीण उच्चतर शिक्षा,  
 ३१, १५२, बुनियादी अनुमान  
 निर्धारण शिक्षा, ४५, ५०; ताराचन्द्र,  
 १०५; भारतीय शिक्षा शिक्षा, २०१;  
 राष्ट्रीय नारी शिक्षा, १८३, १९०;  
 वैज्ञानिक एवं मानवीय शक्ति, १९७;  
 गणकार, १९७, २०३, हार्दंग, २८,  
 ७१, १०१, १०२, २९२।  
 सम्मेलन : अखिल भारतीय ट्रेनिंग कालिज,  
 २३३, २३४, अखिल भारतीय  
 राष्ट्रीय शिक्षा, ४०, ४३, ४४;  
 अखिल भारतीय स्त्री परिषद, १८९;  
 माध्यमिक शिक्षा-मण्डल सचिव,  
 १३४; राष्ट्रीय शिक्षा मन्त्री, ८५,  
 १३६; विश्वविद्यालय उपकुलपति,  
 १६९, २३७।  
 सर्वेक्षण, ७२, ७७, ८०, ८३, १३३,  
 २९२।  
 सह शिक्षा, ५, १८७, १९१, २८०।  
 मध्य : अखिल भारत महिला, १८१;  
 अखिल भारतीय शिक्षा, ११२;  
 शिक्षा-तन्त्र की ऐतिहासिक शिक्षा प्रणाली,  
 १९६; शिक्षा-तन्त्र की ऐतिहासिक शिक्षा प्रणाली,  
 २२३, २७९, २८७, २८८; अनुमान  
 १५३, १५४

समुदायिक शप, २९, ३० ।  
 सामुदायिक शिक्षा, १८, १९, ३५ ।  
 शान्त में शिक्षा, ८५, १७६, १९२ ।  
 सामान्य शिक्षा, १६६, १६७, २०९ ।  
 सामुदायिक शिक्षा में योगदान, १६३ ।  
 शास्त्रज्ञ, २७, ६२, ९६, १७८, २५०,  
 २५५, २९० ।  
 शिनेट, १३८, ४०, १४६, १५६ ।  
 शिष्टाचार, १३५, १३९, १४६ ।  
 शैक्षिक शिक्षा, २७२, ७५ ।  
 शैक्षिक शिक्षाधीनः राष्ट्रीय, ११३, २७४,  
 २७५, २७८; सहायक, २५, २७२,  
 २७४, २७८ ।  
 स्वायत्त शासन, २९-३४ ।

श्री शिक्षा : आदर्श, १८९, १९०-९२;  
 इतिहास, १७८-१८१; उच्च शिक्षा,  
 १८५, १८६, १९३; पाठ्यक्रम,  
 १७८, १८५, १८६, प्रशासन,  
 १८३; प्राथमिक शिक्षा, १८४,  
 १९०; प्रौढ़-शिक्षा, १८२; माध्यमिक  
 शिक्षा, १८४, १८५, १९५, १९७;  
 स्नातकोत्तर शिक्षा, १८७; वाधारे,  
 १७८; विश्वविद्यालयीय, १८५,  
 १८६, १९३; शिक्षा सम्मेलन, १९०,  
 शिक्षा प्रशासन, १९१ ।

ह

हावेली निरीक्षण, ८०, ८९, ।  
 हिन्दी, २९, ३०, ४२, ४३, १२०,  
 १२१, १२३, १७१ ।  
 हेड मास्टर, २४१ ।



ओ

ओदन्तपुरी, १०, १२ ।  
ओस्मानिया, १४५, १६६, २२५,  
२२८, ३०४ ।

क

कर्जन, लार्ड, २१, १००, १३९, १४० ।  
कटक, १०९ ।  
कनौज, ६ ।  
कबीर, हुँमायुन, २०४, २९७ ।  
कमलाबा, १३ ।  
कलकत्ता, २१, ३३, ९८, १३७,  
१३९, १४५, १९५, २१६, २२४,  
२२५, २२८, २८१, ३०२ ।  
कर्वे, डी० के०, २८० ।  
कानपुर, ३३, १९७, २०३ ।  
कारे, २१६ ।  
काशी, ६ ।  
काश्मीर, १०, ४३, १४२, १४५,  
१४६, ३०३ ।  
काँची, ६ ।  
किलपेक्किरू, विलियम, २१९ ।  
कुरुक्षेत्र, १४२, १५५, ३०३ ।  
कुसुंयोग, २१८ ।  
कुंजरू, हृदयनाथ, १७१, २७८ ।  
केरल, २६, १४५, १६६, २०२,  
२२२, २६९, ३०३ ।

ख

खड्गपुर, २०३ ।  
खारो जंगम, १३ ।  
खिलजी, अलाउद्दीन, १५ ।

ग

गर्गी, ५ ।  
गार्गोटी, १५३ ।  
गान्धीजी, ३८, ४०, ४१, ४३, ४४,  
४८, १८१, २४६, २९९ ।  
गायकवाड़, महाराजा सयाजीराव, ६७ ।  
ग्वालियर, १०९ ।  
गुजरात, १०, ६६, १४२, २२४,  
२२८, ३०३ ।  
गोलखे गोपालकृष्ण, २१, ६८-७०,  
८८ ।  
गोरखपुर, १४२, १४५, २१८, २२४,  
२२८, ३०३ ।  
गौहाटी, १४२, १४५, १९५, २२४,  
२२८, ३०३ ।

घ

घोषा, ५ ।  
घोष राघविहारी, १०० ।

च

चीन, ८८, ९६, २६१ ।  
चेम्सफोर्डे, लार्ड, २१, ६९ ।

ज

जमदल, १०, १२ ।  
जबलपुर, १४२, १४५, २१८, २२४,  
२२४, २२८, ३०३ ।  
जमशेदपुर, २०२ ।  
जमनी ५४, ९५, २१४ ।  
जयपुर, १०९, ३०४ ।  
जाकिर हुसैन, ४१, ४३, ५२, ५३,  
२४४ ।

जार्जे, पेंचम, ६९ ।  
जाडवपुर, १००, १४२, १४५, १९६,  
३०३ ।

जायान, ८८, ९६, २६१ ।  
जमियानगर, १५२ ।

ट

टकी, ९४, ९६ ।

ठ

ठाकुर, देवेन्द्रनाथ, २८१ ।  
ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, १००, २८१,  
२८२, २८४ ।  
ठाकुरमी, भीमनी नाथीसाई दामोदर,  
२८१ ।

ड

डम्बर, जानार्थन, १७ ।  
डेनमार्क, ९४ ।

ढ

ढाफा, १०९, १४१ ।

ण

नक्षत्रिया, ६ ।  
नैजीर, ६ ।

ण

धामस, जान, ११६ ।  
धेकर, एम० एम०, २०० ।

द

दण्डानन्द मारवती, २७८ ।  
दिगी, १३, २७, ६९, १०९, १३६,  
१४१, १४५, १५४, २०२, २२८,  
२६९, २७७, ३०३ ।

दुर्गापुर, २०२ ।  
दुर्वासा, १३६ ।  
देशमुख, चिन्तामन, १५७, १६५ ।  
देसाई, महादेव, २८५ ।  
देसाई, मोरारजी, २१४ ।  
देववानी, ५ ।  
देहरादून, २६४, २६७ ।

न

नवद्वीप, १३६ । -  
नागापुर, २७, १०९, १४०, १४१,  
१४५, १६६, २०२, २२५, ३०३ ।  
नायडु, सरोजिनी, १८१ ।  
नाल्फ्ट, १२ ।  
नामिक, ६ ।  
नेहरू, जवाहरलाल, २१०, २६२, २७५ ।  
नेरोबी, ३२ ।  
न्यूजीलैण्ड, ९४ ।

प

पाण्डन, निजपालशर्मा, १८९ ।  
पन्त, मुमिबानन्द, २९३ ।  
पटना, १०९, १४०, १४१, २४५,  
२२५, २८४, ३०४ ।  
पटेल, बलभन्नाई, २४२, ३०४ ।  
पटेल, विष्णुभाई, ७०, ८८, १४२ ।  
पती, सुशेस, २१३ ।  
पहाव, १०, २६, १३८, १४५, १५३,  
२०३, २६९, २७७, ३०४ ।  
पटलीपुत्र, ६ ।  
पूना, १०९, १३६, १४१, १४२,  
१४५, १६६, १९५, २२४, २८०,  
२८४, ३०४ ।

शिमला, २७३ ।

शिला संस्थाएँ : अर्थ-शास्त्र स्कूल, दिल्ली, २०४; अर्थ-शास्त्र तथा समाज विज्ञान स्कूल, बम्बई २०४; अन्ध प्रशिक्षण केन्द्र, देहगदून, २६७; अन्ध विद्यालय, कलकत्ता, २६८; आर्य कन्या महाविद्यालय, बड़ौदा, १८६; इण्डियन स्कूल ऑफ मार्ईन्स, धानबाद, ३३, १९७, कलकत्तामटरमा, १७, १३७; कलाक्षेत्र, अहमदाबाद, २२७; कस्तूरबा निकेतन, दिल्ली, २७७; क्रिश्चियन कालिज, मद्रास, १३७; गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद; ४३, २८४, २८५; गुल्कुल, काँगड़ी, २७९, २८०; जामिया मिलिया, दिल्ली, ४३, २२७, २७८, २८१, २८५-८७; थामैसन इंजीनियरिंग कालिज, रुड़की, १३७; दिल्ली पॉली-टेक्निक, ३३, १९७; नवभारत विद्यालय, वर्धा, ४०; नर्मिंग महाविद्यालय, दिल्ली, २६९; नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वेमिक एज्युकेशन, दिल्ली, ३२, ५१; पदोपा कालिज, मद्रास, १३७; प्रयाग महिला विद्या पीठ, अलाहाबाद, १८६; भारतीय ओपेनिंग मन्वा, राहगपुर, ३३, २०३; भारतीय विज्ञान मन्वा, जेजुरी, २०३, २०४; राष्ट्रीय मूखमून शिक्षा केन्द्र, दिल्ली, २५४; स्वामी-राई स्त्रीशिक्षा शिक्षा महाविद्यालय, मद्रास, २३७; स्त्रीशिक्षा महाविद्यालय,

बड़ौदा, २२७; लेडी इरविन कालिज, दिल्ली, १८६; लेडी हाडिग्न मेडी-कल कालिज, दिल्ली, १८०; विक्टोरिया जुबिली टैकनीकल इन्स्टिट्यूट, बम्बई, १९६, विद्याभवन, उदयपुर, २३४; विलसन कालिज, बम्बई, १३७; विश्व-भारती, (शान्ति-निकेतन), १४२, १४५, १५४, २२७, २३४, २७९, २८१-८४; श्रीमती नाथीबाई दामोदर टाकरसी महिला विश्वविद्यालय, बम्बई, १४१, १४२, १४५, १८६, २२९, २७८-८१; श्रीनिकेतन, १५२, २८४; समाज, कल्याण तथा कारोबार प्रबन्ध संस्था, कलकत्ता, २७४; सर जे० जे० स्कूल ऑफ आर्ट्स, बम्बई, २२७; संस्कृत कालिज, बनारस, १७; सेण्ट जॉन्स कालिज, आगरा, १३७; सेण्ट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन, दिल्ली, ३२, १३२; सेण्ट्रल ग्रेजुएट, देहरादून, ३२, २६७; सेण्ट्रल हिन्दू चार्ल्स विद्यालय, बनारस, १८०; हागोर्ट बटलर टैकनीकलीकल इन्स्टिट्यूट, कानपुर, १९७; हिन्दू कालिज, कलकत्ता, १३७; होम साइन्स फेडरेशन, बड़ौदा, १८६, २२१ ।

श्री अरविन्द, १०० ।

श्रीनगर, २०२, ३०३ ।

श्रीमती, काठला, ८०, १६१, २९१ ।

श्रीमती, काठला, ८०, १६१, २९१ ।

श्रीमती, काठला, ८०, १६१, २९१ ।

श्रीमती, काठला, ८०, १६१, २९१ ।

श्रीमती, काठला, ८०, १६१, २९१ ।

श्रीमती, काठला, ८०, १६१, २९१ ।

श्रीमती, काठला, ८०, १६१, २९१ ।

